# आज़ादी
## का
# पन्द्रहवां वर्ष

१९६१-६२

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

मूल्य : पांच रुपये

सम्पादक : सूर्यकुमार जोशी

हीरा आर्ट प्रेस, सदर बाजार, दिल्ली-६ द्वारा मुद्रित और एन० बालकृष्णन् द्वारा
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ७, जंतर मंतर रोड, नयी दिल्ली के लिए प्रकाशित।

# विषय सूची

| अध्याय | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

# भूमिका

१५ साल पहले आजादी पाने के बाद से हम १५ अगस्त को वर्ष-प्रतिवर्ष इस पुस्तक का प्रकाशन करते आये हैं जिसमें हमारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों की उपलब्धियों का लेखा दिया जाता है। आजादी पुस्तक-माला का यह १५वां प्रकाशन है।

पिछले १५ वर्ष से हम स्वतंत्रता का उपभोग करते आये हैं। यह १५ वर्ष बहुत कठिनाइयों और परेशानियों का समय रहा है। हमें एक विदेशी सरकार से विरासत में बहुत-सी समस्याएं मिलीं। देश का विभाजन इनमें से एक सबसे बड़ी भीषण समस्या थी। आज भी १५ वर्ष बाद हमारी कठिनाइयां दूर नहीं हुई हैं। यद्यपि, हमने इस समस्या को धैर्य, बुद्धिमानी और एक असाधारण सफलता के साथ हल करने की कोशिश की है। इसके अलावा गरीबी, निरक्षरता और बीमारी आदि की भी समस्याएं थीं जिनको हल करने में हम लगातार लगे रहे हैं। हमने लोकतंत्रीय समाजवाद के आधार पर प्रगति और समृद्धि की अपनी योजनाएं बनाई हैं। हम सफलतापूर्वक अपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों को पूरा कर चुके हैं और अब तीसरी योजना के दूसरे वर्ष से गुजर रहे हैं।

कांग्रेस ने देश में समाजवादी-सहकारी-सम्मिलित राज्य कायम करने के अपने उद्देश्य के लिये आयोजन को एक मात्र तरीका समझ कर अपनाया है। हमारे जैसे अर्द्ध-विकसित देश में प्रगति और समृद्धि किसी भी बेतरतीब ढंग से नहीं पायी जा सकती है। पिछले १० साल की आयोजना से हमें किस हद तक यह प्रगति और समृद्धि मिली है, उसका फैसला इस देश के लोग और सारी दुनिया कर सकती है। आयोजन के खिलाफ यह दलील नहीं चल सकती कि कोई बहुत बड़ा कमाल हासिल नहीं किया गया है और कि हम अभी तक अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। हमने अपनी मंजिल पर पहुंचने का एक लोकशाही तरीका अपनाया है और हम अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचने के लिये लोकतंत्र को त्याग नहीं सकते। हम सचमुच एक मूक क्रान्ति लाने के प्रयास में लगे हुए हैं जो आज समझदार लोगों को साफ दिखाई दे रही है। आज पहले से कम गरीबी है, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। आज हमारे पास पहले से ज्यादा खाने और पहनने को है। शिक्षा संस्थाओं की संख्या भी बढ़ी हुई है जहां पहले की अपेक्षा अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं। आज पहले से ज्यादा रोजगार हैं। पहले से ज्यादा उद्योग हैं। अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये सिंचाई की सुविधायें हैं। बहु-प्रयोजनीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों को पहले से ज्यादा बिजली दे रही हैं और अनेकों समाज-सेवाओं ने जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने में सहायता भी दी है। इन कामयाबियों पर हमें गर्व होना चाहिये। किन्तु हमें अपने प्रयास में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये।

वर्ष-प्रतिवर्ष जन-साधारण के सम्मुख विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सरकार द्वारा किये गये कार्यों का विवरण हम पेश करते आये हैं। इस पुस्तक में आजादी के १५वें वर्ष, १९६१-६२ की सफलताओं का संक्षिप्त उल्लेख है। १५ वर्ष का अपना कोई अलग महत्व नहीं है क्योंकि जो कुछ १५वें साल में हासिल किया गया है वह गुजरे सालों की कोशिश का ही फल है। आयोजन एक

सतत् प्रक्रिया है। जिस क्रान्ति को हम लाने में लगे हैं वह दो कारणों से अल्प अवधि में नहीं आ सकती—एक तो हमें बड़े पेचीदा मसले विरासत में मिले हैं और दूसरे यह कि हम लोकतंत्रीय ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें विलम्बकारी हैं। तरक्की की रफ्तार को तेज कदम बनाने के लिये जनता का सहर्ष और सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

आशा है कि इस कार्य-विवरण से जन-साधारण को आयोजन में अपना सक्रिय और सहर्ष सहयोग देने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

१५ अगस्त, १९६२.

डी० संजीवय्या
कांग्रेस अध्यक्ष

# प्रस्तावना

"आज़ादी का पंद्रहवां वर्ष" समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कांग्रेस सरकारों ने जो प्रयास किया है उसका निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है। जिस हद तक हम अवसर की समानता दिलाने, असमानताओं को कम करने और धन को कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने को रोकने में सफल हुए हैं उसी हद तक हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं।

तीसरे आम चुनावों के नतीजे से ज़ाहिर है कि देश की आम जनता ने केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस सरकारों की नीति का समर्थन किया है। जो भी हो गत आम चुनावों में कुछ परेशानियों की नयी बातें दिखाई दीं। राजनीतिक क्षेत्र में सामुदायिक, प्रान्तीय और धार्मिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण से एक मात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि लोकतंत्रीय समाजवाद के विषय में सर्वव्यापी अज्ञान है और यही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को भावना और सिद्धान्त के स्तरों पर आपस में मिलाकर रख सकती है। आवश्यक है कि देश की विशाल जनता को लोकतंत्रीय समाजवाद का मन्तव्य समझाया जाए ताकि वे महसूस कर सकें कि इस व्यवस्था से उन्हें ही लाभ होगा। यदि निजी स्वार्थसिद्ध करनेवाले लोगों व पार्टियों द्वारा जनता की मुक्ति के लिए इस महान् संघर्ष का कुछ और अर्थ लगाया जाता है तो उस दोष को तुरन्त दूर करना जरूरी है। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक विशेष समिति नियुक्त की है जिसमें (१) श्री मोरारजी देसाई, (२) श्री गुलजारीलाल नन्दा, (३) श्री कृष्णा मेनन, (४) श्री सी० सुब्रमण्यम, (५) श्री हरेकृष्ण मेहताब, (६) श्री उ० न० ढेबर और (७) श्री सादिक अली हैं। यह समिति नयी आर्थिक प्रवृत्तियों की जांच करेगी और आवश्यक परिवर्तनों में सुझाव देगी। जिस देश में ज्यादातर लोग २० रुपए प्रति माह से कम कमाते हों, ज्यादा उद्योगीकरण करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि निम्न वर्ग की आय को क्रमशः ऊंचा उठाना है।

भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश और एक नवजात लोकतंत्र के उन्नति के प्रथम चरण में मध्य वर्ग को स्वभावतः बहुत अधिक कठिनाई उठानी पड़ रही है। भाग्यवश मध्य वर्ग ने राष्ट्रीय उन्नति की कीमत पर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के प्रलोभन को ठुकराया है। किन्तु उसके सीमित साधन शून्य प्रायः हो चले हैं और उसे सहायता की आवश्यकता है। सस्ते अनाज, निशुल्क चिकित्सा और आवास-व्यवस्था उसकी अल्पतम आवश्यकताएं हैं। न चाहते हुए भी मध्य वर्ग का व्यक्ति अब और अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ है। उपर्युक्त समिति की नियुक्ति से उसे फिर आशा प्राप्त हुई है। वह समिति से आशा करता है कि भ्रष्टाचार के राक्षस का अधिक मज़बूती के साथ मुकाबला किया जाएगा।

के० के० शाह
प्रधान मंत्री

: १ :

# योजना की प्रगति

तीसरी पंचवर्षीय योजना अप्रैल, १९६१ से आरम्भ हुई। यद्यपि इस योजना ने संसद के सम्मुख पेश किये जाने के बाद अगस्त, १९६१ में एक राष्ट्रीय योजना के रूप में औपचारिक सफलता पाई। १९६१-६२ की वार्षिक योजना, जो कि तीसरी योजना का प्रथम वर्ष है, पहले ही बनायी जा चुकी थी। इस वार्षिक योजना में दूसरी योजना के बहुतसे बाकी कामों को पूरा करना और तीसरी योजना के कुछ नये काम शामिल हैं।

तीसरी योजना की अवधि में कुल ११,६०० करोड़ रुपये की वृद्धि की कल्पना की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है। यद्यपि इस क्षेत्र के लिए बनाई गई स्कीमों की कुल लागत ८,००० करोड़ रुपये से ऊपर होगी। निजी क्षेत्र में ४,१०० करोड़ रुपए के विनियोग की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में ७,५०० करोड़ के परिव्यय में से विनियोग व्यय ६,३०० करोड़ रुपए होगा और शेष १,२०० करोड़ रुपए चालू व्यय के रूप में ही रहेंगे। योजना के कुल परिव्यय में से ३,६०० करोड़ रुपए का भार केन्द्र उठाएगा तथा राज्य-सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र की ओर से क्रमशः ३,७२५ करोड़ रुपए और १७५ करोड़ रुपए व्यय किया जाएग।

जबकि तीसरी योजना के ७,५०० करोड़ रुपए के परिव्यय में दूसरी योजना से चली आ रही स्कीमों का खर्च शामिल है तथापि, ३००० करोड़ रुपए का व्यय उसमें शामिल नहीं है जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर इन स्कीमों को चालू रखने में खर्च हुआ है।

चूंकि तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में आरंभ किए गए अधिकांश कार्यक्रमों को पूरे होने में कुछ समय लगेगा, उनके परिणाम तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार १९६१-६२ में जो वार्षिक उपलब्धियां हुई हैं, वे दूसरी योजना में किए गए प्रयासों का फल है और साथ ही जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनके कारण और विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण योजना के परिव्यय में वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था में जिसमें घरेलू बचत कम होती हो और जो विकास की ओर उन्मुख हो, स्वभावतः कई कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, जिस देश की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है और जिस देश को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विदेशों की सहायता पर निर्भर करना पड़ता हो, उस देश की एक वर्ष की प्रगति को आंक कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित न होगा। इस पृष्ठभूमि में हमें १९६१-६२ में योजना की प्रगति तथा १९६२-६३ के भावी कार्यक्रमों के बारे में विचार करना चाहिए।

## १९६१-६२ और ६२-६३ में योजना का परिव्यय

पहली और दूसरी दोनों योजनाओं को मिलाकर जो कुछ हासिल किया गया है उससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तीसरी योजना में रखे गये हैं। स्पष्ट है कि इस भारी और विशाल

प्रयास को धीरे-धीरे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुमान है कि योजना की समूची अवधि में जो प्रयास किया जाएगा उसका १५ प्रतिशत लगभग प्रथम वर्ष में, १९ प्रतिशित भाग दूसरे वर्ष में और ३३·५ प्रतिशत अन्तिम वर्ष में होगा।

१९६१-६२ की वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए १,२१६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। १९६१-६२ में अनुनान है कि वार्षिक व्यय १,१४८ करोड़ रुपए होगा। १९६२-६३ में १,४४६ करोड़ रुपए के परिव्यवस्था है। इस प्रकार प्रथम दो वर्षो के योजना के कुल परिव्यय का लगभग ३४ प्रतिशत भाग काम में लाया जाएगा। १९६-६२ तथा १९६२-६३ के लिए योजना के परिव्यय का विवरण पृष्ठ तीन पर दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

नीचे दी गयी तालिका में १९६१-६२ में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय की स्थिति दी गयी है :—

**करोड़ रुपयों में**

| | केन्द्र | राज्य | कुल जोड़ |
|---|---|---|---|
| (१) चालू राजस्व का शेष | ७८ | ४८ | १२६ |
| (२) रेलवे योगदान | २३ | — | २३ |
| (३) उद्योगों का योगदान | २० | १२ | ३२ |
| (४) सार्वजनिक ऋण | ९८ | ६९ | १६७ |
| (५) अल्प बचत | ३५ | ६८ | १०३ |
| (६) प्रोवीडैण्ट फण्ड | ४० | १५ | ५५ |
| (७) स्पात समीकरण कोष | १८ | — | १८ |
| (८) विविध पूंजी प्राप्ति | ५७ | ४७ | १० |
| (९) अतिरिक्त कर | ५६ | १८ | ७४ |
| (१०) विदेशी सहायता | ४९० | — | ४९० |
| (११) कुल सामान्य साधन | ९१५ | १८३ | १,०९८ |
| (१२) बजट सम्बन्धी फ़र्क | ७१ | ५१ | १२२ |
| (१३) बजट सम्बन्धी फ़र्क का मिलाकर कुल जोड़ | ९८६ | २३४ | १,२२० |
| (१४) केन्द्रीय सहायता | ३५२ | ३५२ | — |
| (१५) आयोजन परिव्यय | ६३४ | ५८६ | १,२२० |

## कृषि

जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष १९६०-६१ में मौसम अनुकूल था, तीसरी योजना के प्रथम वर्ष १९६१-६२ में वह उतना अनुकूल न था। नतीजा यह हुआ कि तीसरी योजना की रिपोर्ट के उत्पादन अनुमान के अनुसार ७६० लाख टन पैदावार होनी थी, वस्तुतः ७९० लाख टन की पैदावार हुई। १९६१-६२ में आशा है कि ७९० लाख टन के अनुमति सम्भाव्य उत्पादन के मुका-बले ८०० लाख टन का वास्तविक उत्पादन होगा। यदि १९६१-६२ का वास्तविक उत्पापन

| मद | तीसरी योजना | | | १९६२-६३ | | | | | | १९६२-६३ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बजट | | | प्रत्याशित | | | बजट | | |
| | केन्द्र | राज्य | कुल जोड़ | केन्द्र | राज्य | कुल जोड़ | केन्द्र | राज्य | कुल जोड़ | केन्द्र | राज्य | कुल जोड़ |
| (करोड़ रुपयों में) | | | | | | | | | | | | |
| कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग | १४९ | ९१९ | १,०६८ | २०.०७ | १४४.६९ | १६४.७६ | १६.२९ | १३४.७० | १५०.०९ | २५.८७ | १६६.४६ | १९२.३३ |
| सिंचाई और बिजली | १५२ | १,५१० | १,६६२ | १०.८९ | २२९.४३ | २४०.३२ | ८.१२ | २२१.०० | २२९.१२ | १८.५२ | २७०.९९ | २८९.५१ |
| उद्योग | १,५७७ | २०७ | १,७८४ | २१९.५९ | ३३.०० | २५२.५९ | २१९.५३ | २९.०० | २४८.५३ | २९१.०८ | ४२.१५ | ३३३.२३ |
| परिवहन और संचार | १,२६० | २२६ | १,४८६ | २६६.४० | ४४.१० | ३१०.५० | २६०.७१ | ४२.१० | ३०२.८१ | ३०५.६८ | ४३.४१ | ३४९.०९ |
| समाज सेवाएं | ४३७ | ८६३ | १,३०० | १११.४२ | १२७.८७ | २३९.२९ | ८७.४१ | ११५.४० | २०२.८१ | १०४.३२ | १५२.८० | २५७.१२ |
| विविध | २०० | — | २०० | ५.३१ | ७.८९ | १३.२० | ६.२८ | ७.८० | १४.०८ | १२.५१ | १२.५१ | २५.०२ |
| कुल जोड़ | ३,७७५ | ३,७३५ | ७,५०० | ६३३.६८ | ५८६.९८ | १,२००.६६ | ५९८.३४ | ५५०.०० | १,१४८.३४ | ७५७.९८ | ६८८.३२ | १,४४६.३० |

१९६०-६१ के उत्पादन से केवल १.३ प्रतिशत ही बढ़ा हुआ था तो भी वह १९६०-६१ के अनुमानित सम्भाव्य उत्पादन से ५.३ प्रतिशत अधिक था और दूसरी योजना के आधार वर्ष १९५५-५६ के वास्तविक उत्पादन से २१.८ प्रतिशत अधिक था। १९६२-६३ की वार्षिक योजना में अनाज के उत्पादन सम्भाव्य शक्ति ५० लाख टन है। कृषि-क्षेत्र में उत्पादन के लक्ष्य से सम्बन्धित मुख्य विकास कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

| मद | इकाई | तीसरी योजना के लक्ष्य १९६५-६६ | अनुमानित उपलब्धि १९६१-६२ | १९६२-६३ के लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| बड़ी और मध्यम सिंचाई (उपयोग) | लाख एकड़ (ग्रोस) | १३६.४ | १८.४ | २२.८ |
| छोटी सिंचाई (सम्भाव्य) | ,, ,, | १२८.० | १६.७ | २०.० |
| भूमि-संरक्षण (अतिरिक्त एकड़ों को लाभ) | लाख एकड़ | ११०.० | १०.४ | १२.६ |
| कृषि योग्य बनायी गयी भूमि (अतिरिक्त) | ,, | ३६.० | ०६.४ | ०६.४ |
| सुधरे बीजों के अन्तर्गत कुल इलाका (अनाज) | ,, | २०३०.० | ७००.३ | ८८०.६ |
| रासायनिक खाद का उपभोग | | | | |
| (क) नाइट्रोजीन्स | ००० टन्स | १,०००.०० | २८०.०० | ४७५.०० |
| (ख) फासफेटिक (पी२ओ५) अतिरिक्त | ,, | ४००,५०० | ६०.०० | १४०.०० |

## व्यापारिक फसलें

जहां तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है पटसन, तिलहन और गन्ने में संतोषजनक प्रगति हुई है। १९६१-६२ में पटसन का वास्तविक उत्पादन ६२ लाख गांठे था जो कि १९६०-६१ के उत्पादन से ५५ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ के उत्पादन से ४८ प्रतिशत अधिक था। वास्तव में १९६१-६२ का उत्पादन १९६५-६६ में तीसरी योजना के अन्तर्गत उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है उसके बराबर है। लेकिन यह मुख्यतः असाधारण रूप से अच्छे मौसम और अनुकूल कीमतों के कारण सम्भव हो सका। अतः १९६२-६३ में उत्पादन का लक्ष्य कुछ नीचे रखा गया है यानी ५५ लाख गांठे। १९६१-६२ में गन्ने का वास्तविक उत्पादन ९५ लाख टन था जो कि १९६० के उत्पादन से १०.३ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ के उत्पादन से ६० प्रतिशत अधिक था। यह भी अनुकूल कीमतों और अच्छे मौसम के कारण सम्भव हुआ और इसीलिए १९६२-६३ का लक्ष्य कुछ नीचे रखा गया है यानी ९३ लाख टन। जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ के वर्ष में उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख टन है, जहां तक तिलहन का सम्बन्ध है १९६१-६२ में वास्तविक उत्पादन ७० लाख टन हुआ जो कि १९६० के उत्पादन से

७.७ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ के उत्पादन से २५ प्रतिशत अधिक था। १९६२-६३ के उत्पादन का लक्ष्य ८३ लाख टन रखा गया है जब कि १९६५-६६ का लक्ष्य ९८ टन है। लेकिन जहां तक कपास का सम्बन्ध है उत्पादन निराशाजनक हुआ। १९६१-६२ में कपास का वास्तविक उत्पादन ४४ लाख गांठे था जो कि १९६०-६१ के उत्पादन से १८.५ प्रतिशत कम था। यद्यपि, १९५५-५६ के उत्पादन में १० प्रतिशत अधिक था। उत्पादन में यह गिरावट मुख्यतः मौसम की खराबियों से पैदा हुई। १९६२-६३ में कपास के उत्पादन का लक्ष्य ५७ लाख गांठे रखा गया है जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ में ७१ लाख गांठों का उत्पादन किये जाने का अनुमान है। विदेशों की दृष्टि से व्यापारिक फसलों के विशेष महत्व को देखते हुए इन फसलों की पैदावार पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। कपास और तिलहन की पैदावार के लिए विशेष अभियान संगठित करने की व्यवस्था की जा रही है। कपास की निम्नतम कीमतों को बढ़ाया गया है। पटसन की कीमतों को बहुत ज्यादा गिराने से रोकने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। गेहूं की निम्नतम दर तय कर दी गयी है और चावल की दर के तय करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

१९६१-६२ में पहले से चुने गये सात जिलों के कुल १३९ खण्डों में से १०२ खण्डों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम आयोजित किये गये। आशा है कि १९६३ तक सभी खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया जावेगा। शेष राज्यों में से हर एक के जिलों में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। तीसरी योजना की अवधि में प्रायोगिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में ८२०० सहकारी खेती समुदाय स्थापित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६१-६२ में ३०० समितियां स्थापित की गयीं। इन इलाकों में १९६२-६३ में अन्य ८०० सहकारी कृषि समितियां स्थापित की जाएंगी। १९६१-६२ में प्रायोगिक परियोजना क्षेत्रों से बाहर लगभग ४७० सहकारी कृषि समितियां स्थापित की गयीं। १९६२-६३ में इन इलाकों में अन्य १०० समितियां स्थापित करने का इरादा है। सहकारी-ऋण समितियों द्वारा किसानों को दी गयीं अल्पकालीन और मध्य-कालीन ऋणों की रकम १९५५-५६ में ५० करोड़ और १९६०-६१ में २०८ करोड़ थी और अब १९६१-६२ में २४० करोड़ है। १९६२-६३ का लक्ष्य ३०० करोड़ रखा गया है जबकि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ का लक्ष्य ५३० करोड़ है। दीर्घकालीन ऋण (बकाया ऋण) १९६०-६१ में ३७ करोड़ रुपये और १९६१-६२ में ४५ करोड़ था और १९६२-६३ में आशा है कि ६४ करोड़ रुपये होगा। ग्राम निर्माण कार्य में क्रमशः विस्तार हो रहा है। जबकि प्रथम चरण में ३४ परियोजनाएं आरम्भ की गयीं थी, दूसरे चरण में १९४ परियोजनाएं आरम्भ की गयी हैं और तीसरे चरण में ६००से ८०० परियोजनाओं के आरम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है

## उद्योग

१९६१-६२ में कई महत्त्वपूर्ण उद्योग जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, औद्योगिक मशीनरी, मशीनरी टूल बिजली साज-सामान, रासायनिक खाद, भारी रसायन और सीमेंट की उत्पादन-क्षमता में विशेष वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक लगभग ८ प्रतिशत बढ़ गया। यदि पटसन और सूती कपड़े के उद्योग को अलग रखा जाए जिन्हें कच्चे माल की कमी से कठिनाई का सामना करना पड़े तो अन्य उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि लगभग १४ प्रतिशत हुई। नीचे दी गयी

तालिका से जाना जा सकता है कि १९६१-६२ के औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि और इन उद्योगों के बारे में उन्नति की १९६२-६३ मे कितनी आशा है :—

| मद | इकाई | १९५५-५६ में स्थिति | १९६०-६१ में स्थिति | तीसरी योजना का लक्ष्य १९६५-६६ | अनुमानित उपलब्धि | १९६२-६३ का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| औद्योगिक उत्पादन का सूचक-अंक | ... | १३९ | १९४ | ३२९ | २१० | २३० |
| तैयार इस्पात | लाख टन | १३ | २४ | ६८ | ३० | ३८ |
| अल्युमिनियम | ००० टन | ७.३ | १८.२ | ८०.० | २०.० | ३५.० |
| जस्ता | ,, ,, | २.१ | ३.६ | १५.० | ३.८ | ४.० |
| मशीन टूल | करोड़ रुपये | ... | ७.२४ | ३०.० | ९.४ | १०.० |
| औद्योगिक और वैज्ञानिक साजसामान | ,, ,, | ... | ३.५ | १२.० | ४.० | ५.६ |
| ए० सी० एस० आर० कन्डकटर्स | ००० टन | ... | २३.५ | ४४.० | २६.० | २८.० |
| नाइट्रोजीनस रासायनिक खाद | ,, ,, | ७९.० | ९६.४ | ८०.० | १४०.० | २००.० |
| सलफ्यूरिक एसिड | ,, ,, | १६४.० | ३६१.९४ | १५०० | ४२५.० | ४७५.० |
| डी डी टी | मैट्रिक टन | २८०.० | २८२१.०० | २,८४५ | २,८०६.० | २,८४५.० |
| पेंसिलीन | एम एम यू | ६.६ | ३९७६ | १२० | ५०.० | ६०.० |
| साबुन | ००० टन | १०२.० | १४६.५ | ५०० | १५०.० | १६०.० |
| रेअन फिलामेंट | लाख पौण्डस | ... | ४७० | १४०० | ५४० | ७०० |
| पेपर और पेपर बोर्ड | ,, ,, | १८७० | ३५०० | ७०० | ३६०० | ३९०० |
| सीमेंट | लाख टन्स | ४६० | ७९७ | १३० | ८१ | ९० |
| रिफ्रेक्ट्रीज | ००० टन्स | २८०.०० | ५४६.०० | १५००.० | ५८०.० | ८००.० |
| कच्चा लोहा | लाख टन्स | ४४ | १०७ | ३०० | १२१ | १३५ |
| कोयला | मैट्रिक टन्स | ३९.० | ५५.१ | ९७.० | ५५.२ | ६२.० |

कई उद्योगों में ऐसी क्षमता है जिसका पूरा उपयोग नहीं किया गया लेकिन विदेशी विनिमय की कमी के कारण कल पुर्जे और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धि और यातायात और बिजली सम्बन्धी असुविधाएं यदि नहीं होतीं तो निश्चय ही कहीं अधिक उत्पादन किया गया होता। औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य कमी सीमेंट और इस्पात से सम्बन्धित है। सीमेंट के उत्पादन में नाम-मात्र की वृद्धि हुई—१९६०-६१ के मुकाबले में १९६१-६२ में केवल १.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि, यह उत्पादन १९५५-५६ के उत्पादन को देखते हुए ७६ प्रतिशत अधिक है। १९६२-६३ का लक्ष्य ९० लाख टन रखा गया है लेकिन ख्याल है कि यह लक्ष्य से १० लाख टन कम रहेगा। १९६१-६२ में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ३५.७ लाख टन था और वस्तुतः उत्पादन लक्ष्य से ५ लाख टन

कम हुआ। आशा है कि १९६२-६३ में ३८ लाख टन उत्पादन होगा। लेकिन यह मांग से कम रहेगा।

## कोयला

कोयले की उपलब्धि भी मांग को देखते हुए कम हुई। इसका आंशिक-कारण गहरी खुदाई और नये क्षेत्रों और कुछ यातायात की कठिनाई रहा। कोयले के यातायात के लिए रेलवे ने माल डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं। कोयले की उपलब्धि की कठिन समस्या को दूर करने के लिए तटवर्ती जहाजों और सड़क परिवहन द्वारा अधिकाधिक काम लिया जा रहा है और पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के कई उद्योगों में कोयले की जगह फर्नेस तेल काम में लाया जा रहा है। कोयले की स्थिति में गिरावट जो १९६१-६२ के आरम्भ में आयी थी, अब दूर होने लगी है। १९६२-६३ में प्रायः सभी मुख्य उद्योगों में कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने का भार रेलवे ने ले लिया है लेकिन सोफ्ट कोयला, ईंट के भट्टों में काम में लाया जाने वाला कोयला और अन्य लघु उद्योगों के काम में लाये जाने वाले कोयले की सप्लाई अभी कुछ समय तक कठिन रहेगी।

## हाथ करघा वस्त्र

१९६१-६२ में हाथ करघा वस्त्र का उत्पादन अनुमानतः २००१० लाख गज हुआ और आशा है कि १९६२-६३ में बढ़कर २२७०० मिलियन गज हो जाएगा। १९६१-६२ में ९३ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की स्कीमों को मन्जूरी दी गई। इस प्रकार १९५५-५६ से जबकि यह स्कीम चालू की गई अभी तक २१२ औद्योगिक बस्तियां कायम की जा चुकी हैं। गाँवों में उद्योगों की प्रगति की समीक्षा और योजना सम्बन्धी समस्याओं पर सलाह देने के लिए एक उच्च ग्रामोद्योग आयोजन समिति स्थापित की गई है जो कि गांवों के सघन विकास और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों के बारे में सिफारिश करेगी। ४० चुनींदा इलाकों में ग्रामोद्योग कार्यक्रम आरम्भ किया जाना है।

## बिजली

**बिजली सम्बन्धी स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है—**

| मद | इकाई | स्थिति ५५-५६ | स्थिति ६०-६१ | तीसरी योजना लक्ष्य १९६५-६६ | अनुमानित उपलब्धि १९६१-६२ | १९६२-६३ लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थापित क्षमता | मिलियन वाल्ट | ३,४०० | ५,५९५ | १२,७०० | ५७९ | ८१७ |
| उत्पत्ति | मिलियन कि०वाल्ट | १,०७७७ | २,००,४०० | ४५,००० | २,९०० | ४,१०० |
| शहरों और गांवों का बिजलीकरण | संख्या | ७,४०० | २२,९८६ | ४३,००० | २,७५० | २,७५० |

यद्यपि, १९६१-६२ में बिजली पैदा करने में काफी तरक्की की गई। कई राज्यों में, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और मद्रास शामिल हैं, बिजली की कमी महसूस की गई। सितम्बर-नवम्बर, १९६१ में सभी राज्यों का दौरा करने वाले वरिष्ठ अधि-

कारियों के एक दल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार बिजली-उत्पादन के कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है।

सिंचाई और बिजली मंत्रालय तथा योजना आयोग के एक सम्मिलित दल ने सितम्बर-नवम्बर, १९६१ में सभी राज्यों का दौरा किया और बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रमों पर विचार किया तथा उन कारणों की खोज की जिनसे विलम्ब होता था। साथ ही, इस दल ने एक यथार्थ कार्यक्रम भी तैयार किया। बिजली पैदा करने वाली योजनाओं के काम की जांच के बारे में एक प्रोग्राम बनाया जा चुका है और बारूद, सीमेन्ट, कोयला व अन्य जरूरी सामान मुहय्या होने में जो देर होती है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी योजना के अन्तर्गत अधिकांश बिजली पर योजनाओं को विदेशी-विनिमय का आश्वासन प्राप्त है और इसलिए बिजली पैदा होने के बाद उसे किस तरह काम में लाया जाएगा इस बारे में स्कीम बनाई जा रही है। बिजली के संचार की ट्रांसमीशन लाइनों के निर्माण में प्रगति हो रही है और देखना यह है कि नई बिजली का अविलम्ब उपयोग हो। बिजली विकास-कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। औद्योगिक विकास और बिजली सप्लाई के बीच समन्वय करने के लिए राज्य सरकारों की सलाह से कार्यवाही की जा रही है। देश के बहुत से भागों में बिजली की जो अधिकतम मांग की जा रही है वह बहुत कुछ औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने के कारण हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वे २००० किलोवाट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाली किसी परियोजना के लिए लाइसेन्स की सिफारिश न करें, जब तक कि वे स्वयं अपनी स्वीकृत तीसरी योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवश्यक बिजली उपलब्ध करने में समर्थ न हों।

## परिवहन

हाल में भारी उद्योग विशेषतः कोयले और इस्पात के उद्योग के विकास कार्यक्रमों के साथ रेलवे के विकास कार्यक्रमों को मिलने के सवाल पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों और उनके समन्वय की समस्या पर एक अन्तर्विभागीय कार्य-समूह द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

१९६१-६२ में रेलवे द्वारा १६०० लाख टन माल ढोया जबकि १९६०-६१ में १५३५ लाख टन और १९५५-५६ में ११४० लाख टन माल ढोया गया था। आशा है कि १९६२-६३ में १७५० लाख टन माल का परिवहन किया जाएगा जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ का लक्ष्य २४५० लाख टन के माल के परिवहन का है। गत कुछ वर्षों में रेलवे की क्षमता में अधिकतम वृद्धि होने के बावजूद परिवहन की स्थिति अभी तक सामान्य है। १९६१-६२ में ४४४ इंजिन १५७३ सवारी गाड़ियां और २३,४८९ मालगाड़ियां तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। १९६२-६३ में ३८६ इंजिन, १७०० सवारी डिब्बे, और २३,४६९ मालडिब्बों का आर्डर देने का प्रस्ताव है। १९६१-६२ में ३२७ मील लम्बी लाइनों का बिजलीकरण किया गया और आशा है कि १९६२-६३ में अन्य २१७ मील लम्बी लाइनों का बिजलीकरण पूरा हो जाएगा। १९६१-६२ में लगभग ३७३ मील दोहरी पटरियां बिछाई गईं। और आशा है कि १९६२-६३ में ४९७ मील लम्बी डबल लाइनें बनाई जाएंगी। जहां तक सड़क के विकास कार्यक्रम का

सम्बन्ध है १९६१-६२ में परस्पर सम्बन्धित करने वाली ७० मील छोटी सड़कें और कई बड़े पुल बनाए गए और मौजूदा ३०० मील लम्बी सड़क की मरमत की गई। १९६२-६३ में ७० मील छोटी सड़कों, १० बड़े पुलों और ४०० मील लम्बी मौजूदा सड़कों की मरम्मत शामिल हैं। १९६१-६२ में देश की सड़कों में ४,००० मील लम्बी नई सड़कें शामिल हुई जब कि १९६२-६३ में आशा है कि अन्य ४,५०० मील लम्बी सड़कें तैयार हो जायेंगी। १९६१-६२ में लगभग ३६,००० वर्ष व्यापारिक गाड़ियां काम में लाई गई और अनुमान है कि ६२-६३ में अन्य ४० हजार गाड़ियों का आर्डर दिया जाएगा। यदि इस्पात और विदेशी-विनिमय का अभाव नहीं होता तो निश्चय ही रेल और सड़क परिवहन के कार्यक्रमों में बहुत अधिक उन्नति हुई होती।

रेलवे विकास कार्यक्रम की समीक्षा की गई है और रेलवे को मन्जूरी दी गई है कि वह कोयले के परिवहन सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नई लाइनें बिछाएं। कोयला कन्ट्रोलर और खान व ईंधन मंत्रालय द्वारा भावी मांगों को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा २७५ मील लम्बी दोहरी लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि कोयले का परिवहन आसानी से हो सके। साथ ही, कई बिजलीकरण कार्यक्रमो की प्रगति को बढ़ाने का कार्य-भार भी रेलवे को सौपा गया है ताकि बिजली की उन्नत क्षमता का यथासम्भव लाभ उठाया जा सके। रेलवे द्वारा अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जिस अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वह वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

मालडिब्बे बनाने के कार्यक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है और स्टील कासटिंग तथा अन्य सामान की वृद्धि देशी व विदेशी साधनों से करने की व्यवस्था की गयी है। कोयले के परिवहन को अविलम्ब बढ़ाने के लिए रेलवे खास प्रकार के मालडिब्बे काम में ला रहा है। इन डिब्बों के प्रयोग से कोयले की खानों में सुविधा अनुभव की जा रही है। इस कार्यक्रम में खान व इस्पात मंत्रालय मदद दे रहा है।

## समाज सेवा

१९६१-६२ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। १९६१-६२ में प्राइमरी स्कूलों में ३७.८ लाख बच्चे पढ़ते हैं। यह संख्या १९६०-६१ से १०.२ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ से ५० प्रतिशत अधिक। १९६२-६३ में आशा है कि ४.१५ लाख बालक प्राइमरी स्कूलो में शिक्षा पा रहे होंगे जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ में ४९.६ लाख बालकों को शिक्षा देने का अनुमान किया गया है। १९६१-६२ में डिग्री कालेजों में १५,३९९ छात्र शिक्षा पा रहे थे जब कि १९६०-६१ में १३,८६० और १९५५-५६ में ५,८९० शिक्षार्थी थे। आशा है कि १९६२-६३ में १५,९४० विद्यार्थी डिग्री कालेजों में होंगे जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत यह संख्या अनुमानतः १९.१४० होगी। १९५५-५६ में डाक्टरों की संख्या ६५.००० थी जो कि १९६०-६१ में ७१,५१० हो गयी और अब १९६०-६२ में ७४,५०० है और आशा है कि ६२-६३ में ७७,७१८ हो जाएगी जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ में ८१,००० डाक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति नीचे दी गयी है :—

| मद | इकाई | ५५-५६ में स्थिति | ६०-६१ में स्थिति | तीसरी योजना का लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि १९६१-६२ | १९६२-६३ का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक शिक्षा (६ से ११ वर्ष) | | | | | | |
| प्रवेश-प्राप्त: | लाख | २६२ | ३४३ | ४९६ | ३७८ | ४१५ |
| आयु वर्ग का प्रतिशत | | ५२.९ | ६१.१ | ७६.४ | ६५.४ | ६९.९ |
| मिडिल ११ से १४ वर्ष | | | | | | |
| प्रवेश प्राप्त | लाख | ४३ | ६३ | ९८ | ६९ | ७६.० |
| आयु वर्ग का प्रतिशत | | १६.५ | २२.८ | २८.० | २४.० | २५.० |
| माध्यमिक : (१४ से १७ वर्ष) | | | | | | |
| प्रवेश प्राप्त | लाख | १९ | २८ | ४६ | ३१ | ३४ |
| आयु वर्ग का प्रतिशत | | ७.८ | ११.१ | १५.६ | ११.८ | १२.८ |
| टैक्नीकल शिक्षा | | | | | | |
| डिग्री (प्रवेश) | संख्या | ५,८९० | १३,८६० | १९,०९० | १५,३०० | १५,९४० |
| डिप्लोमा (प्रवेश) | | १०,४८० | २५,५७० | ३८,१९० | २६,४५० | २८,२७० |
| स्वास्थ्य : | | | | | | |
| शैय्या | | १२५ | १८६ | २४० | १९३ | २०२ |
| डाक्टर | | ६५,००० | ७१,५१० | ८१,००० | ७४,५०० | ७७,७८० |
| नर्स | | १८,५०० | २७,००० | ४५,००० | २९,४१० | ३२,१९० |

अनुसूचित जातियों व अदिम जातियों के कार्यक्रमों में निम्नलिखित दो उल्लेखनीय हैं :—

(१) १९६१-६२ में मैट्रिक से पूर्व के बालकों को १.२५ लाख छात्रवृत्तियां भत्ते दिये गये और यह संख्या आशा है कि १९६२-६३ में बढ़कर २.२५ लाख हो जाएगी।

(२) १९६१-६२ में आदिम जातियों के विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जो कि आशा है कि १९६२-६३ में बढ़कर ३५ लाख हो जाएगी।

## आय, रोजगार और कीमतें

१९६०-६१ की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय आय १४,२३६ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६०-६१ में १४,६९० करोड़ रुपये हो गयी। १९६१-६२ में भी राष्ट्रीय आय का यही अनुमान लगाया गया है। १९६१-६२ के वर्ष में शुरू किये गये विकास कार्यक्रम के अनुसार २० लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जाने का अनुमान है। १९६२-६३ में २४ लाख रोज़गार के अवसर उपलब्ध किये जाने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम, जिनमें १९६१-६२ में शुरू की गयी ३२ प्रयोगात्मक परियोजनाएं शामिल है, लगभग २०० विकास खण्डों में शुरू की जा

चुकी है। यह कार्यक्रम दूसरे क्रम में चार गुना बढ़ जाने की आशा है। दूसरी योजना की अवधि में मूल्यों में ३० प्रतिशत वृद्धि हो गयी थी। मार्च, १९६२ के समान भावों के सूचक अंक में ३.१ प्रतिशत की गिरावट आयी और यह सूचक अंक मार्च, १९६१ के मुकाबले पर निम्न स्तर में था। विगत कुछ महीनों के सामान्य भावों के सूचक अंकों में कुछ वृद्धि हुई है और अब समान भावों का सूचक अंक १९६१-६२ में जो माल का स्तर था, उसी में आ गया है। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आयी है। खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में २.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि दालों के मूल्यों में १.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

| | | |
|---|---|---|
| (ग) भविष्य निधि (वास्तविक) | ५३.६ | ५४.३ |
| (घ) विदेशी ऋण (वास्तविक) | २६३.० | ३५९.१ |
| (ङ) विशेष प्रतिभूतियों में पी० एल० ४८० निधि का निवेश (वास्तविक) | २४०.० | ९६.० |
| (च) विविध पूंजीगत प्राप्तिया (वास्तविक) | ८५.४ | १११.९ |
| (छ) घाटे की वित्त व्यवस्था | ५०.८ | ११९.३ |

*इसमें रेलों और डाक-तार विभाग के साधनों से किये गये विस्तार और प्रतिस्थापन सम्बन्धी व्यय शामिल है। इसमें गैर-विभागीय सरकारी प्रतिष्ठानो और स्थानीय प्राधिकरणों से भिन्न अधिकरणों को दिये गये ऋण शामिल नहीं हैं।

+विशेष विकास निधि में किये गये नियंत्रण शामिल नहीं है।

**इसमें मूल्य-ह्रास के लिये की गयी व्यवस्था तथा रेलों और डाक-तार विभाग द्वारा अपने पास रखे गये काम शामिल हैं।

## व्यय

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के बजटों में २,८६३ करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा है। इस व्यय में रेल विभाग, डाक और तार विभाग के अन्तर्गत हुये विस्तार और पुन: स्थापना पर परिव्यय सम्मिलित है। इसमें से १,९३७ करोड़ रुपये (६८ प्रतिशत) विकास कार्यो जैसे सिंचाई, बहु-प्रयोजनीय नदी घाटी योजनाओं, असैनिक निर्माण कार्य, रेल, उद्योगों, कृषि, शिक्षा, विज्ञान विभागों, सार्वजनिक चिकित्सा इत्यादि पर खर्च किये जाने का सुझाव है और ९२६ करोड़ रुपये (३२ प्रतिशत) विकास के अतिरिक्त अन्य मदों जैसे कर-वसूली, सरकारी-ऋण से सम्बन्धित देनदारियों, प्रतिरक्षा, पुलिस और सामान्य प्रशासन पर खर्च किये जाने का अनुमान १९६०-६१ के संशोधित अनुमान से १४२ करोड़ रुपये ज्यादा है। व्यय में इस वृद्धि का ९/१० वां भाग विकास कार्यो पर व्यय होगा। व्यय में यह वृद्धि ज्यादातर योजना के कार्यक्रमों के कारण हुई।

## राजस्व

राजस्व-प्राप्ति की उपर्युक्त तालिका में रेल और डाक-तार विभाग के लाभांश और पंजीगत अवमूल्यन के लिए रखी गयी रकम शामिल है; इन राजस्व प्राप्तियों का अनुमान १९६१-६२ के लिये १,८७२ करोड़ रुपये लगाया गया था, करों से आय और करों के अतिरिक्त आय का अनुमान क्रमश: १,३६७ करोड़ रुपये और ५०५ करोड़ रुपये लगाया गया। इस वर्ष कुल राजस्व में पिछले वर्ष के राजस्व की अपेक्षा ९६ करोड़ के वृद्धि दिखाई गयी और कर से प्राप्त आय में वृद्धि हो जाने और १९६१-६२ में अतिरिक्त कर लगाये जाने के परिणामस्वरूप कर से प्राप्त आय शीर्षक के अतिरिक्त ८५ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। पिछले वर्षो के बजट में राजस्व और व्यय में ९९१ रुपये का अन्तर रहा। उसकी पूर्ति देश के भीतर सरकारी ऋण-पत्र जारी करके, और विदेशी सहायता और अन्य पूंजीगत आय से किये जाने की व्यवस्था की गयी फिर

भी ११९ करोड़ रुपये का घाटा रिजर्व बैंक को ट्रेजरी बिल के विक्रय और प्रारक्षित कोष से धन निकाल कर पूरा करने की व्यवस्था करनी पड़ी।

## घाटे की वित्तीय व्यवस्था

हाल में जो संकेत मिले हैं उनसे कुल व्यय अपेक्षाकृत कम रहने, राजस्व-प्राप्तियां अधिक होने और पूंजीगत आय तालिका में दिए गए आंकड़ों से कम रहने की आशा है। विदेशी ऋण से कुल ३०० करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जब कि बजट में ३५९ करोड़ रुपए इस मद के जरिए मिलने का अनुमान लगाया गया है। पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार विशेष प्रकार की सिक्यूरिटियों में अमरीकी सरकार द्वारा ५४ करोड़ रुपए लगाए जाने का अनुमान है जब कि बजट में इस मद से ९६ करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था।

बजट में १४५ करोड़ रुपए बाजार-ऋण से और १०५ करोड़ रुपए बचत से होना दिखाया गया है। बजट अनुमान के अनुसार कुल घाटा १११ करोड़ रुपए होना चाहिए लेकिन अब यह घाटा कम रह जाने की सम्भावना है।

विदेशी ऋणों से अपेक्षित धन-राशि नहीं मिल पाई। इसका प्रमुख कारण ऋण के लिए वायदा मिल जाने के बाद भी वास्तविक रूप में ऋण प्राप्त होने में देरी हो जाना है। १९६०-६१ के वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्राप्त धनराशि में विदेशी ऋण का परिमाण कहीं अधिक था। पी० एल० ४८० के अधीन अमरीकी पूंजी-विनियोग बजट के अनुसार पूरा न होने के कई छोटे-मोटे कारण हैं। तीसरी योजना में छोटी बचत द्वारा ६०० करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि तीसरी योजना की अवधि में छोटी बचत के लक्ष्य को पूरा करना है और यदि १९६२-६३ की बजट-व्यवस्था के अनुसार १०५ करोड़ रुपए छोटी बचत द्वारा इकट्ठे किए जाने हैं तो सरकार को छोटी बचत के क्षेत्र में पिछली नकामयाबी को ध्यान में रखकर अपने प्रयत्नों में वृद्धि करनी होगी।

## पूंजी-निर्माण

भारत सरकार के बजट में संशोधित अनुमान के अनुसार विशुद्ध पूंजी-निर्माण ९३१ करोड़ रुपए का बताया गया है, इसमें से २८९ करोड़ रुपए का पूंजी-विनियोग केन्द्रीय सरकार द्वारा परिसम्पत्ति और शेयरों में किया गया और ६४२ करोड़ रुपए राज्य सरकारों, गैर विभागीय व्यापारिक उद्योगों को ऋण और अनुदान के रूप में पूंजी-निर्माण के लिए बांट दिया गया। योजना परिव्यय में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूंजी-निर्माण में भी वृद्धि हुई। १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार के संशोधित बजट के अनुसार पूंजी-निर्माण १९५५-५६ की तुलना में दुगना हुआ। यह पूंजी-निर्माण १९६०-६१ के वर्ष में हुए पूंजी-निर्माण से २१ प्रतिशत अधिक था। १९६२-६३ के वर्ष में १,१९५ करोड़ रुपए के पूंजी-निर्माण का अनुमान लगाया गया है।

## कर पद्धति

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा १,०५२ करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर लगाए गए, तीसरी योजना में १,७१० करोड़ रुपए के कर लगाने का लक्ष्य

रखा गया—११०० करोड़ रुपए के केन्द्र में और ६१० करोड़ के राज्यों में। १९६१-६२ के केन्द्रीय बजट में कुछ उत्पादन शुल्कों में वृद्धि हुई और १८ वस्तुओं पर नये कर लगाए गए। अनेक वस्तुओं के सीमा-शुल्कों में वृद्धि का गयी। एक लाख से ऊपर अर्जित आय पर सरचार्ज ५ प्रतिशत से बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया गया और निगम कर को भी युक्तिसंगत बनाया गया। इन उपायों से ६३.२ करोड़ रुपए इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया था—३०.९ करोड़ रुपए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से, २९.३ करोड़ रुपए सीमा शुल्क से और ३ करोड़ रुपए आय सम्बन्धी कर से। इसके बाद जो संशोधन किये गए उनसे राज्य कोष में ६.१ करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की आशा थी, इस प्रकार अतिरिक्त कर से कुल प्राप्ति कम होकर ५७.१ करोड़ रुपए हुई। १९६१-६२ के वर्ष में इन प्रस्तावों द्वारा वास्तविक राजस्व-प्राप्ति ८५ करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इस प्रकार तीसरी योजना की अवधि में ४५० करोड़ रुपए इन प्रस्तावों द्वारा प्राप्त होने का अनुमान है। १९६१-६२ के वर्ष में राज्य अतिरिक्त कर से १७ करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे और तीसरी योजना में १०२ करोड़ रुपए अतिरिक्त कर से इकट्ठा कर लेंगे। यह देखते हुए कि राज्यों को तीसरी योजना में कुल ६१० करोड़ रुपए अतिरिक्त कर से जमा करना है, योजना के प्रथम वर्ष में उपर्युक्त किया गया प्रयास समुचित प्रतीत नही होता। इस सिलसिले में यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उन्हें रिजर्व बैंक की कठिनाई हल करने में सहायतार्थ ऋण भी दिये हैं, राज्य सरकारों को दिए गए ऋण लगभग ३० करोड़ रुपए के थे। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों द्वारा समुचित साधन जुटाने की दिशा में स्वयं प्रयास करना कितना अधिक महत्व रखता है।

## तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशें

तृतीय वित्त आयोग ने अपनी जो सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के सामने पेश की हैं और जिन पर १ अप्रैल, १९६२ से ४ वर्ष के लिए अमल होने लगेगा, उनसे राज्यों के वित्तीय संसाधनों की स्थिति में काफी सुधार हो जाना चाहिए।

तीसरे वित्त आयोग ने दिसम्बर, १९६१ में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। आयोग की प्रमुख सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। इनमें आय कर में राज्यों का हिस्सा ६० प्रतिशत से बढ़ाकर ६६.२ प्रतिशत कर देना और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के अन्तर्गत ८ वस्तुओं के स्थान पर ३५ वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन-शुल्क को राज्यों में बाँटना, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में राज्य सरकारों का हिस्सा २५ प्रतिशत से घटाकर २० प्रतिशत कर देना इत्यादि सम्मिलित है। केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिश स्वीकृत कर ली है कि भारत सरकार राज्यों में संचार के सुधार के लिए विशिष्ट अनुदान देगी लेकिन सरकार ने आयोग के इस सुझाव को नहीं माना है कि राज्य की योजनाओं में राजस्व की कमी की पूर्ति वैधानिक अनुदान द्वारा होनी चाहिए।

## सरकारी व्यय में वृद्धि

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के १९६२-६३ के बजटों में सरकारी व्यय में वृद्धि दिखाई गई है, योजना के अन्तर्गत व्यय १,४४६ करोड़ रुपए का दिखाया गया है जब कि इससे पहले वर्ष में

यह व्यय १२१४ करोड़ रुपए रखा गया था। योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया कर-प्रयास ज्यादा महत्व रखता है। एक पूरे वर्ष में केन्द्र अतिरिक्त कर से ७१ करोड़ रुपये प्राप्त करेगा। १९६२-६३ के वर्ष में ६८ करोड़ रुपए प्राप्त करेगा—आय और सम्पत्ति कर प्रत्यक्ष कर से ३८ करोड़ रुपए और शेष उत्पादन और सीमा-शुल्क से। रेल किराया-कर में वृद्धि से १९६२-६३ में २१ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है और पूरे वर्ष में २८ करोड़ रुपए। १९६२-६३ के वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गए अतिरिक्त कर से, जिसमें रेल किराया कर में वृद्धि भी शामिल है, तीसरी योजना में ४०० करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य सरकारों ने १९६२-६३ के बजटों के अतिरिक्त कर के कई प्रस्ताव रखे हैं—यह बात बहुत ही प्रोत्साहनजनक है। राज्य सरकार के अतिरिक्त कर के सुझाव से, एक पूरे वर्ष में ५५ करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है और योजना की अवधि में लगभग २९० करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। इस प्रकार तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गए अतिरिक्त कर-प्रयास से तीसरी योजना की अवधि में कुल मिलाकर ११६० करोड़ रुपए प्राप्त हो सकेंगे। जब कि तीसरी योजना में अतिरिक्त कर से १७१० करोड़ रुपए प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है।

## घरेलू बचत

समस्त विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्थाओं का एक सामान्य लक्षण यह है कि उनमें उनकी पूंजी-विनियोग आवश्यकताओं के मुकाबले में घरेलू बचत कम होती है और उनमें वृद्धि लाने के लिए देश के भीतर प्रयास करने और विदेशी सहायता उपलब्ध करने की आवश्यकता है। तीसरी योजना में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का अनुमान २६०० करोड़ रुपए लगाया गया है—इसमें विदेशी ऋण पर ब्याज, किश्त आदि की अदायगी की जरूरत को शुमार कर लिया गया है। इसके मुकाबले में भिन्न-भिन्न देशों से एवं अंतर्राष्ट्रीय सगठनों से कुल १८०० करोड़ रुपए की सहायता मिलने का वचन अभी तक मिला है—इस रकम में दूसरी योजना की अवधि में मिलने वाली विदेशी सहायता को भी शामिल कर लिया गया है।

## विदेशी विनिमय

अब तक जितनी विदेशी सहायता का वचन मिला है उससे तीसरी योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भाग पूरा हो जाना चाहिए, फिर भी तीसरी योजना के लिए विदेशी सहायता की काफी कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता का वचन मिल जाने के बावजूद वास्तविक प्राप्ति में देर लग जाती है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमारे विकास-कार्यक्रमों की सफलता अन्ततः देश के अपने प्रयास पर निर्भर करती है और इस सिलसिले में हमारे निर्यात-व्यापार ने प्रमुख भूमिका अदा करनी है। हाल में विदेशी-विनिमय कोष बहुत ही निम्न स्तर पर आ गया है और निर्यात-व्यापार वर्तमान स्थिति में रहकर मुश्किल से ही आयात की आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। इस प्रकार हमारी वर्तमान और भावी योजनाओं की पूर्ति हमारे निर्यात-व्यापार की वृद्धि पर निर्भर करती है। आगामी दशाब्दि में हमारे वार्षिक निर्यात को दुगुना कर लेना हमारा लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में योजना की सफलता बहुत कुछ हमारे अपने प्रयत्नों पर निर्भर करती है।

: ३ :

# अन्तर्राष्ट्रीय मामले

संसार के प्रायः सभी देशों के साथ भारत के अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। प्रायः सभी देश कहने का कारण यह है कि चीन, पाकिस्तान और पुर्तगाल के साथ परिस्थितिवश हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रह सके। इन देशों के साथ सम्बन्ध बिगड़ने का कारण इन देशों का अपना अनुचित रवैया था जिससे संघर्ष पैदा हुआ। जहां तक पुर्तगाल का सम्बन्ध है हम १९४७ में आज़ादी पाने के बाद से ही भारत भूमि पर पुर्तगाली बस्तियों को खत्म करने के लिए बातचीत करते आए थे। किन्तु गोआ, दीव और दमन के हस्तान्तरण के प्रश्न पर हमारी इस बातचीत से कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। जबकि भारत स्थित फ्रेंच बस्तियां वस्तुतः बहुत पहले भारत में मिल चुकी थीं और जुलाई १९६२ में फ्रांस की राष्ट्रीय संसद के एक एक्ट द्वारा उनका विधिवत् हस्तान्तरण भी पूरा हो चुका था, पुर्तगालियों ने भारत स्थित अपनी औपनिवेशिक बस्तियों से हटने से इन्कार कर दिया और दलील यह रखी कि बस्तियां पुर्तगाल का ही अंग थीं। दिसम्बर १९६१ में पुर्तगाल सरकार के प्रत्यक्ष शत्रुतापूर्ण कार्यों से भारत का धैर्य टूट गया और भारत सरकार ने १८ दिसम्बर को सामरिक कार्यवाही आरंभ की और २० दिसम्बर १९६१ को पुर्तगाली बस्तियों की पुर्तगाली सरकार और सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार देश का यह भूभाग भारत सरकार के अधीन आ गया और शांति स्थापित करने के लिए कुछेक मास के सैनिक शासन के पश्चात् अब एक असैनिक शासन की स्थापना की गई है। भारत सरकार की इस सैनिक कार्यवाही को लेकर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत-विरोधी प्रचार होने लगा और कहा जाने लगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र तथा पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए एक आक्रमणकारी कृत्य किया है। अतः विश्व के उस भाग में, जहां कि जानबूझ कर भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था, लोगों को यह समझाने में काफी वक्त लगा कि भारत ने जो कुछ किया था वह उचित ही था। शत्रुतापूर्ण आलोचना के प्रथम प्रवाह के बाद इन देशों के लोग समझने लगे कि भारत द्वारा अपनी भूमि पर से एक ऐसी शक्ति को हटाना न्यायोचित ही था जोकि पिछले सैकड़ों वर्षों से उस पर बलात अधिकार पाए हुए थी।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है भारत की सीमाओं पर इसके आक्रमणकारी कृत्यों से चिन्ता बनी रही। इन कृत्यों के विरुद्ध भेजे गए कड़े से कड़े विरोध-पत्रों का कोई असर नहीं हुआ। लद्दाख के इलाके में फिर हमला हुआ है और हमारे धैर्य की कठिन परीक्षा हो रही है। न केवल नम्र भाषा में कही गई हमारी उचित शिकायतों को ही नहीं सुना गया बल्कि पहाड़ी सैनिक चौकियों पर स्थित हमारे सैनिकों पर यह दोष थोपा गया है कि उनकी ओर से आक्रमणकारी कार्यवाही हुई है। स्वाभाविक ही है कि चीनी सरकार के इस रवैये से हमारे देश के लोगों में उद्विग्नता पैदा हो गई और मांग की जाने लगी कि सरकार द्वारा चीन के खिलाफ तुरन्त सैनिक कार्यवाही की जाय लेकिन हमारी सरकार जो कि निःसंदेह चीनियों के इस रवैये से परेशान है अभी तक धैर्य धारण

किए हुए है और उम्मीद करती है कि आक्रमणकारियों में बुद्धि आए और वे सैनिक कार्यवाही स्वयं समाप्त कर देंगे। यह हमारी अपनी सैनिक कमजोरी के कारण नहीं है बल्कि इस विश्वास के साथ है कि पंचशील के सिद्धान्तों में आस्था रखने के कारण हम युद्ध के अतिरिक्त सभी साधनों का समुचित उपयोग करने से नहीं चूकना चाहते।

काश्मीर के सवाल को लेकर पाकिस्तान हमारे लिए एक समस्या बनाए हुए है। प्लेबिसाइट का सवाल जो कि बहुत पहले मर चुका था पाकिस्तान ने फिर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। लेकिन ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद के बावजूद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्णा मेनन ने पूरी सफाई से मजबूती के साथ कहा कि काश्मीर में प्लेबिसाइट का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि काश्मीर भारत का एक अंग बन चुका है और अब इसे भारत से अलग करने की बात सोची तक नहीं जा सकती। काश्मीर समस्या के अतिरिक्त पाकिस्तान में अल्प संख्यकों का दमन तथा भारत में शरणार्थियों का आगमन चल रहा है। इस तरह स्वभावतः भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कटुता आ गई और परस्पर वैमनस्य की भावना उत्पन्न हुई है।

शक्ति गुटों में शामिल न होने और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में शांतिपूर्ण समझौते की भारतीय नीति में कोई अन्तर नहीं हुआ है। भारत ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन तथा लाओस शान्ति सम्मेलन में भाग लेकर विश्व में शान्ति की स्थापना की अपनी उत्कट इच्छा का प्रमाण पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभाओं में अथवा अन्यत्र भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने और शान्ति की शक्तियों को बढ़ाने का यत्न करते आया है।

प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में ७ दिसम्बर १९६१ को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित बहस पर बोलते हुए कहा कि चीन के साथ युद्ध की सामान्यतः साम्भावना के प्रश्न पर हमने दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखने की इच्छा नहीं की और वर्तमान के प्रवाह में नहीं बह जाना चाहते। जब हमारे सामने दीर्घकालीन दृष्टिकोण होता है तो हम जानते हैं कि अन्ततः हमें कहां जाना है और फिर हम उसके लिए तैयार होते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते। हम इस समस्या को शांति के साथ हल करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम अगले ५० साल तक लगातार दुश्मनी कायम रखते रहे तो हमारे लिए और चीन के लिए और मैं समझता हूं कि एशिया के लिए विनाश कारी सिद्ध होगा। हम दोनों बड़े देश हैं कोई भी देश दूसरे को पूरी तरह हरा नहीं सकता। अतः इसलिए अगर हम घृणा और भय की भावनाओं को आपस में पनपाते रहे तो उसका असर दुनिया पर पड़े बिना नहीं रहेगा। भारत सरकार की विदेश नीति का पथ-प्रदर्शन करने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पटना में १९६२ में अपने वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर किसी भी गुट में शामिल न होने की अपनी नीति की पुनर्घोषणा की थी। प्रस्ताव नीचे लिखे अनुसार है—

१. यह कांग्रेस संसद और देशवासियों द्वारा सरकार की विदेश नीति का बार-बार समर्थन करने तथा प्रधान मंत्री द्वारा अभी हाल में फिर से यह पुष्ट किए जाने का कि इस नीति का दृढ़ता से पालन किया जाएगा, स्वागत करती है। राष्ट्रों की सम्पूर्ण प्रभुसत्ता का सम्मान करने, अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए दृढ़ रहने, शक्ति गुटों और सैनिक समझौतों में शामिल न होने, उपनिवेशवाद को खत्म करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को वार्ता और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की यह नीति सही और बुद्धिमतापूर्ण रही है। गोआ में गत वर्षों और अभी हाल

में की गई कार्यवाहियों के बारे में यह नहीं माना जा सकता और न ही माना जाना चाहिए कि इस बुनियादी नीति को छोड़ दिया गया है जैसा कि दूसरे प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है ।

२. राष्ट्रों और सरकार के सामने प्रमुख और अनिवार्य समस्या शान्ति और मानवीय अस्तित्व को बचाने की है । कांग्रेस को सन्तोष है कि हमारे देश और समूचे विश्व ने इस बात पर राहत महसूस की है कि पिछले साल शान्ति के लिए पैदा हुए गम्भीर तनाव और खतरे, जोकि आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में हैं, वास्तविक युद्ध में परिणत नहीं हुए । नियंत्रण और निरीक्षण के कारगर उपायों सहित विश्व निरशस्त्रीकरण ही, जो कि युद्ध को कानूनन निषिद्ध बनाएगा, इन संकटों को वास्तव में हल और समाप्त कर सकता है । इसलिए, कांग्रेस वार्ताओं की सफलता का स्वागत करती है जिससे निरशस्त्रीकरण की वार्ता में आया गतिरोध समाप्त हो गया है ।

३. कांग्रेस उपनिवेशों की मुक्ति के पक्ष में विश्व-मत में हुई वृद्धि का भी हार्दिक स्वागत करती है और उसे विश्वास है कि उपनिवेशवाद का तत्काल अन्त किए जाने के संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा ।

४. कांग्रेस टंगानिका की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसकी सदस्यता का स्वागत करती है । कांग्रेस टंगानिका सरकार और वहां के निवासियों को अपनी शुभकामनाएं भेजती है।

५. यद्यपि अलजीरिया में अभी औपनिवेशिक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है फिर भी अलजीरिया की आजादी ज्यादा दूर नहीं है । कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि अलजीरिया शीघ्र ही एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा ।

६. कांग्रेस सरकार की कांगो सम्बन्धी नीति का पूरा समर्थन करती है । उसे खेद है कि कुछ शक्तियां और स्वार्थी हित, विदेशी साधन और भाड़े पर लाए गए विदेशी कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के विरुद्ध आक्रमक कार्य कर रहे हैं ।

७. कांग्रेस हमारे पड़ोसी राज्यों, पाकिस्तान और चीन, जिन्होंने हमारे इलाकों पर गैर-कानूनी और जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, सम्बन्धी सरकार की नीति का जोरदार समर्थन करती है । कांग्रेस की राय में सरकार को भारत की बुनियादी नीति और तरीकों के अनुरूप शान्तिपूर्ण समझौते की सभी कोशिशें करनी चाहिए और वह सरकार की नीति पुष्टि करती है जिसका उद्देश्य अपनी भूमि पर से आक्रमकों को हटाना है ।

अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

## भारत से विशेष संधि-सम्बन्ध रखने वाले राज्य

१. **भूटान :** इस वर्ष भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया है जिसमें कुल १७.२२ करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी । समूची राशि भारत द्वारा अनुदान के रूप में दी गई है ।

विकास कार्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और खानों का विकास शामिल है ।

२. **सिक्किम :** सिक्कम की सप्तवर्षीय योजना जो कि १९५४ में आरंभ हुई थी ३१ मार्च १९६१ को सम्पन्न हुई । इस योजना द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य, सड़कों, यातायात तथा बिजली के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

## भारत के पड़ोसी देश

१. **अफगानिस्तान** : आलोच्य वर्ष में भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकी और दौस्ताना सम्बन्ध बने रहे। दोनों सरकारों के बीच एक व्यापारिक समझौते को फिर से ताजा करने के लिए दो अफगानी व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल भारत आए। इस सम्बन्ध में संतोषजनक बातचीत हुई और भारत-अफगानिस्तान व्यापार के लाभार्थ कुछ अन्य शर्तें भी इस समझौते में जोड़ी गई।

काबुल विश्वविद्यालय के विज्ञान शाखा के प्राध्यापक डा० अब्दुल गफार खां जनवरी-फरवरी १९६१ को भारत सरकार के निमंत्रण पर बम्बई में एटमी रिएक्टर और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए आए।

अफगानिस्तान के विभिन्न स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए ११ भारतीय अध्यापक काम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य ५ अध्यापक अफगानिस्तान के लिए चुने गए हैं और उन्हें भेजने की वैयारियां हो रही हैं।

२. **बर्मा** : बर्मा के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहे। बर्मा के तत्कालीन प्रधान मंत्री उ० नू० अपनी पत्नी और पुत्री तथा अन्य अधिकारियों का एक दल भारत पधारा था और ११ से १७ जनवरी १९६२ तक यहां रहा।

बर्मा के चुनाव आयोग के चार सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भारत के आम चुनाव देखने के लिए १५ फरवरी को नई दिल्ली पहुंचा। इसके बाद १७ फरवरी १९६२ को इस प्रतिनिधि-मंडल में बर्मा के तीन राजनीतिज्ञ—थाकिन प्यान म्यांग (यूनियन पार्टी) यू० खिन० मांग लाट (ए० एफ० पी० एफ० एल०) और यू० टी० पी० व्हान (एन० यू० एफ०) भी शामिल थे।

२ मार्च १९६२ को बर्मा में एक नई सरकार की स्थापना हुई। भारत सरकार ने अपने बर्मा स्थित राजदूत को आदेश दिया कि वे बर्मा के विदेश मंत्री को सूचना दे कि वे नई सरकार की तटस्थता तथा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने की नीति को स्वीकृत करती है।

३. **श्रीलंका** : श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं।

श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार को बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए १००० पौंड चाय का उपहार भेजा। इसके अलावा भारत की रेड क्रास सोसायटी ने लंका की रेड क्रास सोसायटी से लगभग १३ हजार रुपए का कपड़ा व अन्य वस्तुएं प्राप्त की।

४. **नेपाल** : नेपाल के साथ हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे। नेपाल के प्रधान मंत्री कुछ समय के लिए दिल्ली पधारे और उन्होने भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की नेपाल की इच्छा पर जोर दिया। अगस्त १९६१ में नेपाल नरेश बैलग्राड में तटस्थ देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते समय दिल्ली पधारे थे।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव पी० एन० कृपाल नेपाल सरकार के निमंत्रण पर १९ नवम्बर १९६१ को नेपाल पहुंचे और उन्होंने काठमाण्डु में राष्ट्रीय पुरातत्वशाला के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

२३ जनवरी १९६२ को पुरातत्व विभाग के महानिदेशालय को १ लाख रुपए की स्वीकृति दी गई ताकि नेपाल के लुम्बिनी-कपिलवस्तु क्षेत्र में पुरातत्व सम्बन्धी खोज की जा सके। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का एक दल इस काम के लिए १२ फरवरी १९६२ को चल पड़ा और इस समय खोज में लगा हुआ है।

## पाकिस्तान

**(क) सिंधु नदी जल संधि**—सिंधु नदी जल संधि १९६० का औपचारिक पुष्टीकरण १२ जनवरी १९६१ को नई दिल्ली में किया गया। पुष्टीकरण सम्बन्धी पत्रों के औपचारिक आदान-प्रदान के बाद से यह संधि लागू हुई और १ अप्रैल १९६१ से अमल में लाई जा रही है।

**(ख) भारत पाकिस्तान सीमान्त सम्मेलन**—जनवरी १९६१ में भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब के कुछ इलाके पर भारत या पाकिस्तान के अनुचित कब्जे के फलस्वरूप तथा भारत और पश्चिम पाकिस्तान की सीमान्त समस्याओं पर भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में किए गए निर्णयों के अनुसार (पंजाब) भारत और पश्चिम पाकिस्तान के सीमा स्थित वर्तमान् भूमि नियमों पर विचार कर आवश्यक सुझाव दिए तदनुसार नई दिल्ली में २२ से २६ अगस्त १९६१ तक एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें दोनों देशों की सरकारों के सचिवों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन में मित्रतापूर्ण बातचीत हुई और भूमि नियमों में कुछ सुधार करने के सम्बन्ध में एक मत समझौता हुआ। परिणामस्वरूप पंजाब (भारत) और पश्चिम पाकिस्तान के सीमान्त पर नए भूमि नियम तत्काल लागू हो गए।

**(ग) सीमान्त पर लड़ाई झगड़े**—अक्टूबर १९५९ तथा जनवरी १९६० में आयोजित भारत और पाकिस्तान के बीच भारत तथा पूर्व पाकिस्तान की सरहद और पंजाब (भारत) तथा पश्चिम पाकिस्तान के बीच की सरहद के झगड़े को तय करने के लिए जो समझौता हुआ था उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मवेशियों को उठा ले जाना या डकैती आदि घटनाएं होती रहीं। लेकिन फिर भी भारत की क्षेत्रीय सत्ता का घोर उल्लंघन हुआ जब कि कुछ पाकिस्तानियों ने गोला-बारी करने के बाद अप्रैल १९६१ में कर्नल भट्टाचार्य का भारतीय भूमि से अपहरण किया। इसके अलावा भारत और पूर्व पाकिस्तान के सम्मिलित सीमाकरण काम में लगे हुए कुछ भारतीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और सताया भी गया।

**(घ) सितम्बर १९५८, अक्टूबर १९५९ और जनवरी १९६० के भारत-पाकिस्तान सरहद करारों का लागू किया जाना**—जहां तक सितम्बर १९५८ और अक्टूबर १९५९ के समझौते का सवाल है बेरुबाड़ी संघ नवम्बर १२ तथा कूच-बिहार के इलाकों से सम्बन्धित सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत और पूर्व पाकिस्तान की सरहद का पूरी तरह सीमाकरण होने के बाद दोनों देशों के अनुचित कब्जे में जो इलाके हैं उनका आदान-प्रदान किया जाएगा।

**(च) सीमाकरण**—१. राजस्थान और पश्चिम पाकिस्तान की सरहद पर ६४५ मील का भूमिगत सीमाकरण पूरा हो चुका है। केवल लगभग ५ मील का इलाका शेष रह गया है। मानचित्रों को तैयार करने से पूर्व के कार्यों को पूरा किया जा चुका है।

२. भारत और पूर्व पाकिस्तान के सीमाकरण का कार्य २८ फरवरी १९६१ तक २,५२० मील हो चुका था। शेष कार्य में भी प्रगति हो रही है।

**(छ) काश्मीर**—पाकिस्तान के समाचार-पत्रों और रेडियो ने जिन पर सैनिक शासन का पूर्ण नियंत्रण है और साथ ही तथाकथित काश्मीर सरकार ने भारत के विरुद्ध अपना घृणापूर्ण और विषाक्त प्रचार जारी रखा। भारत के प्रति घृणा का यह भाव मंत्रियों और यहां तक कि प्रे० अयूब

के वक्तव्यों में प्रकट हुआ जब कि वे पश्चिम एशिया, उत्तर-पूर्व एशिया पश्चिम योरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा कर रहे थे। भारत के प्रधान मंत्री ने १९ जुलाई १९६१ को श्रीनगर में एक आम बयान देते हुए पाकिस्तान के इस अस्वस्थ मानसिक दोष का अवलोकन किया। श्री नेहरू ने कहा कि दरअसल काश्मीर की समस्या यह है कि पाकिस्तान ने उस पर हमला किया है और अब वह भारत के विरुद्ध घृणा उत्पन्न कर अपने हमले को छिपाना चाहता है। पिछले १४ वर्षों से पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर के उस भाग को रिक्त करना अस्वीकार कर दिया है जो कि भारत देश का एक अविछिन्न अंग था। इस प्रकार पाकिस्तान ने प्लेबिसाइट के सिद्धान्तों का खण्डन किया है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने ५ जनवरी १९४९ के अपने प्रस्ताव में सुझाया था। फिर भी पाकिस्तान प्लेबिसाइट का रुख अलापता रहा है। हालांकि पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें बनीं किसी ने भी अपने लोगों को तथा पाकिस्तान के कब्जे के काश्मीर के लोगों को स्वतः आम चुनाव का अवसर प्रदान नहीं किया। अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने के अधिकार को न देने के पाकिस्तान के मजबूत इरादे के बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा की एक बैठक काश्मीर में हुई और एक लोकतान्त्रिक संविधान तैयार किया गया। इसके बाद काश्मीर में आम चुनाव हुए और दो पंचवर्षीय योजनाएं सम्पन्न हुई जिससे काश्मीर के लोगों के रहन-सहन में काफी सुधार हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को ११ जनवरी १९६२ को अनुरोध किया कि ४ वर्ष पुरानी ग्राहम रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सुरक्षा समिति की एक बैठक बुलाई जाय। भारत सरकार ने सुरक्षा समिति से कहा कि वे पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि के अनुरोध को मानना अस्वीकार कर देंगी क्योंकि पाकिस्तान द्वारा बैठक बुलाने की मांग केवल अवसरवादी, आन्दोलनात्मक और प्रचारात्मक कार्यवाही है। जब कि भारत में आम चुनाव होने जा रहे थे काश्मीर के सवाल पर सुरक्षा परिषद में विचार-विमर्श अथवा भारत व पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत का समय न था।

सुरक्षा परिषद ने काश्मीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान विवाद पर विचार आरंभ किया और एक प्रस्ताव पास किया कि भारत और पाकिस्तान यह झगड़ा स्वयं मिलकर निपटाए।

नवम्बर १९६१ के अंत तक पाकिस्तानी सैन्य व उनके एजेंट ऐसी ४०५ घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे जिसमें जम्मू-सियालकोट सोमा और युद्ध-विराम रेखा पर गोलाबारी की घटनाएं हुई। पहले वर्ष की इस प्रकार की घटनाओं को देखने मे इस वर्ष ५ गुनी ज्यादा घटनाएं हुई। पाकिस्तान के लोगों द्वारा किए गए इन हमलों में खास यह बात होती थी कि हमलावारों में पाकिस्तानी सिपाही या पुलिस के लोग और शसस्त्र नागरिक होते थे जिन्हें पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ाई के साज-सामान और शिक्षा व सुरक्षा मिलती थी। पाकिस्तान की ओर से की गई विध्वंसात्मक और तोड़-फोड़ की कार्यवाही को विफल कर दिया गया और घुसपेट करने वाले १५७ व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

**(ज) निष्क्रांत सम्पत्ति (चल)**—१९५० के चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत विभिन्न मदों को तय करने के लिए भारत द्वारा सहमत उपायों पर अमल करने का जो गतिरोध पिछले वर्ष चल रहा था वह चालू वर्ष में काफी हद तक दूर हुआ।

## पाकिस्तान में अल्पसंख्यक

१९५० के प्रधान मंत्रियों के करार में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जाति को कुछ मूलभूत अधिकारों की गरंटी दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति की दशा पिछले वर्ष की तरह असंतोषजनक बनी रही। खुलना, जैसोर और गोपालगंज में भीषण सम्प्रदायिक झगड़े हुए जिसमें अल्प संख्यक जाति के लोगों की जान और माल दोनों की हानि हुई। इन साम्प्रदायिक झगड़ों के अलावा हर साल ऐसी रिपोर्टें आती रहीं कि अल्पसंख्यक जाति के जान और माल पर हमले हुए।

पिछले साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान के हिन्दुओं का कुछ पैमाने पर निष्क्रमण होता रहा।

## दक्षिण-पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड

दक्षिण-पूर्व एशिया के देश आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ भारत के सम्बन्ध सौहार्द्र एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे।

१. **अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण आयोग : वियतनाम और कम्बोडिया में आयोग**—आलोच्य अवधि मे वियतनाम और कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण आयोग उस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहा। १ दिसम्बर १९६१ को श्री जी० पार्थसार्थी ने वियतनाम अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के अध्यक्ष-पद का भार संभाला।

**लाओस में कमीशन :** लाओस में युद्ध छिड़ने के बाद और हिन्द-चीन पर १९५४ के जिनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्ष द्वारा २४ अप्रैल १९६१ को दिए गए सम्मिलित संदेश के बाद लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण आयोग से भारतीय प्रतिनिधि श्री एस० सेन की अध्यक्षता में २८ अप्रैल १९६१ में दिल्ली में पुनः संयोजित किया गया।

लाओस पर एक १४-सदस्यीय सम्मेलन समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजने के लिए जिनेवा में आयोजित किया गया और एक सम्मिलित सरकार बनाई गई।

२. **हिन्देशिया :** जनवरी १९६१ में हिन्देशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एवं सेनाध्यक्ष जनरल ए० एच० नसूतियन ने अपने १०-सदस्यीय दल के साथ भारत की यात्रा की।

फरवरी १९६१ में हिंदेशिया के वायु सेनाध्यक्ष सूर्यधर्म और उनकी पत्नी चार वरिष्ठ अधिकारियों के दल के साथ राजकीय यात्रा पर भारत आए।

मार्च १९६२ में हिन्देशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० मोहम्मद हाटा और हिन्देशिया के वायु संचार मंत्री महामान्य एअर व्हाईस मार्शल इस्कन्दर भारत पधारे थे।

फरवरी १९६१ में मलय संघ के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री दातों ओंग योके लिन भारत में आयोजित विश्व-स्वास्थ्य सभा में भाग लेने भारत पधारे थे।

इस वर्ष कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ३ सदस्यों का एक रेल कमीशन मलय रेलवे के काम काज की जांच करने के लिए मलय देश भेजा गया।

पिछले वर्ष की तरह कई मलय कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षित किया गया और कई मलय विद्यार्थियों को भारत के चिकित्सा और अन्य कालेजों में प्रवेश दिलाया गया।

४. **फिजी :** फरवरी १९६१ में फिजी के विधान एवं कार्यकारिणी परिषद के मुख्य सदस्य

के० के० टी० राट्ट मारा के नेतृत्व में ४ सदस्यों का एक सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भारत आया।

**फिलिपीन :** बंगाल और अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक श्री बुद्धदेव बोस ने मनीला में रिज़ाल शताब्दी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

कलकत्ता के "जुगान्तर" नामक पत्र के सहायक सम्पादक श्री अमिताभ चौधरी को पत्रकारिता एवं साहित्य के लिए १९६१ का रोमोन पुरस्कार दिया गया।

इस वर्ष फिलिपीन की सरकार को हैजा-निरोधक टीकों की १०,००० शीशियां उपहार-स्वरूप भेजी गई।

६. **न्यूज़ीलैंड :** न्यूजीलैंड के उप-प्रधान मंत्री महामान्य जे० आर० मार्शल ने मार्च १९६१ में भारत की यात्रा की। आकलैंड चिड़ियाघर के लिए एक हाथी का बच्चा भेंट किया गया।

७. **आस्ट्रेलिया :** अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा लीग के निमंत्रण पर भारत के तत्कालीन उपखाद्य एवं कृषि मंत्री श्री एम० वी० कृष्णप्पा ने आस्ट्रेलिया की यात्रा की।

## पूर्व एशिया

१. **चीन :** चीन के साथ हमारे सम्बन्ध जो कि १९५९ से बिगड़े हुए थे, इस वर्ष और भी बिगड़े। जब कि चीन अपने प्रचार द्वारा यह जतलाने का प्रयत्न कर रहा है कि भारत के साथ सीमा-विवाद बातचीत द्वारा हल किया जाने वाला "घरेलू" मामला है, फिर भी अपने पक्के आश्वासनों के बावजूद अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी।

फरवरी १९६१ में सीमा-विवाद पर भारत और चीन लोक गणराज्य की सरकारों के कर्मचारियों की रिपोर्ट संसद के सामने रखी गई। इस रिपोर्ट में भारत का पक्ष सिद्ध हुआ है कि परम्परागत सीमाओं के निर्माण के विषय पर संसार द्वारा मान्य सिद्धान्तों, इतिहास के श्रृंखलाबद्ध प्रमाणों तथा प्रशासकीय अभिलेखों द्वारा भारतीय रेखाकंन अच्छी तरह स्पष्ट होता है

जुलाई १९६१ के विदेश मंत्रालय के महासचिव श्री आर० के० नेहरू ने मंगोलिया से वापिस आते हुए चीन की यात्रा की। यह औपचारिक यात्रा थी और उसका उपयोग चीनी नेताओं से मिलने और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिवेदन द्वारा स्थापित तथ्यों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए किया गया।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर सीमा-विवाद सम्बन्धी और विचार करने के लिए चीन सरकार ने कोई यत्न नही किया बल्कि उलटे भारत सरकार को कई नोट भेजे जिसमें यह आरोप लगाए गए कि भारतीय सैनिकों, कर्मचारियों तथा विमानों ने चीनी प्रदेश और वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण किया है जिससे सीमान्त क्षेत्रों में तनाव पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर यथास्थिति और शांति बनाए रखने की इच्छा से उन्होंने स्वयं अपने सैनिकों को आदेश दे रखा है कि वे उस रेखा के २० किलोमीटर के अन्दर गस्तीदल न भेजें। लेकिन भारत सरकार को जो सूचनाएं मिली हैं उनसे सिद्ध होता है कि चीनियों के इस कथन में कुछ भी सच्चाई नहीं है।

१९६२ के पिछले तीन महीनों में चीन सरकार के साथ चीन-भारत सीमा पर और भी पत्र-व्यवहार हुआ। चीन सरकार भारत द्वारा चीन के प्रदेश और वायुक्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने का निराधार आरोप लगाती रही। इन आरोपों का सविस्तर खण्डन किया जा चुका है।

चीन स्थित भारतीय मिशनों पर बहुत-सी रुकावटें लगी हुई हैं। २६ जनवरी १९६२ के

गणराज्य दिवस समारोह के लिए भी चीनी अधिकारियों ने आवश्यक होटल व्यवस्था करने में इतना विलम्ब कर दिया कि इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका।

अगस्त-सितम्बर १९६१ में भारत सरकार को पक्की रिपोर्ट मिली कि चीन सेनाओं ने लद्दाख में ७८ डिग्री १२ इंच पूर्व और ३५ डिग्री और १९ इन्च उत्तर में न्यागुजू पर और डम्बूगुरु के निकट ३ अन्य सैनिक चौकियां स्थापित कर ली थी और इन चौकियों पिछले अड्डों से बढ़ाने के लिए सड़कें बना ली। चीन सरकार ने ३० नवम्बर १९६१ को अपने नोट में यह स्वीकार किया कि ७८ डिग्री और १२ इंच पूर्व और ३५ डिग्री और १९ इंच उत्तर पर न्यागुजू में दो चौकियां स्थित हैं लेकिन डम्बूगुरु के निकट चौकियों के अस्तित्व को अस्वीकार किया। इन बातों की जांच कर स्पष्ट कर लिया गया है कि डम्बूगुरु के लगभग १॥ मील दक्षिण-पश्चिम में एक चीनी सैनिक चौकी है। जुलाई १९६२ में लद्दाख के इलाके में चीनियों ने फिर आक्रमण किया।

१९५४ का चीन-भारत करार २ जून १९६२ को समाप्त हो गया और इस करार का पुनर्नवीकरण नही किया गया।

इस वर्ष यह भी पता चला है कि भारत में रहने वाले जिन चीनी राष्ट्रीकों को तोड़-फोड़ की कार्यवाही में लगे रहने के कारण भारत छोड़ देने का नोटिस दिया गया था वे या तो उन आदेशों की अवहेलना करते रहे या उनकी अवज्ञा का प्रयत्न करते रहे। अतः भारत सरकार को कुछ व्यक्तियों को निष्कासित कर देना पड़ा। भारत में कुल मिलाकर १२,००० से अधिक चीनी आबादी है जिसमें से केवल १२ आदमी को निष्कासित कर दिया गया।

इस वर्ष दोनों देशों के विद्वानों का आदान-प्रदान का कार्यक्रम बंद कर दिया गया।

१९ जुलाई १९६१ को श्री जी- पार्थसार्थी ने चीन में भारतीय राजदूत के भार से अवकाश लिया। तब से राजदूतावास कार्यनायक के अधीन है।

इस वर्ष तिब्बती शरणार्थियों का निरन्तर आना रहा और उनकी कुल संख्या बढ़कर ३३,००० हो गई। अक्टूबर १९६१ तक ४,०९१ नए शरणार्थी आए। विभिन्न मार्ग-शिविरों में अब भी ५,००० ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें अभी इधर-उधर भेजा जाना है।

## जापान

नवम्बर १९६१ में जापान के प्रधान मंत्री श्री हयाटा इकेडा की भारत यात्रा से भारत और जापान के बीच घनिष्ट और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए। भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों ने पारस्पारिक हित की समस्याओं पर, विशेष कर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर दोस्ताना बातचीत की।

जापान के कई वाणिज्यक एवं औद्योगिक शिष्टमंडलों ने भारत की यात्रा की।

भारत सरकार ने जापान के प्रति अपनी सद्भावना एवं मैत्री की भावना के रूप में टोकियो महानगर चिड़ियाघर के लिए एक गेंडा भेंट किया।

जनवरी-मार्च १९६२ में ८ जापानी विशेषज्ञों के एक "मध्य तथा दक्षिण-भारत अभियान दल" ने कुछ चिकित्सा सम्बन्धी समस्यों का अध्ययन करने और भारतीय जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं का परिचय प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा की। जापान वापिस जाने के पूर्व इस दल के सदस्य हमारे प्रधान मंत्री जी से मिले।

**कोरिया : कोरिया जनवादी लोक गणराज्य :** मई १९६१ में कोरिया जनवादी लोक गणराज्य के उप प्रधान मंत्री एवं व्यापार मंत्री श्री ली० जुन युन के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विषय पर विचार-विमर्श करने और एक-दूसरे के लिए लाभकारी तथा संतुलित आधार पर व्यापार को बहुविध बनाने और उसकी मात्रा बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए भारत-यात्रा की।

दोनों देशों के बीच एक-दूसरे देश में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करने पर भी समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार कोरिया जनवादी लोक गणराज्य सरकार ने नई दिल्ली में अपने व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय खोल लिया है।

**कोरिया गणराज्य :** जुलाई-अगस्त १९६१ में कोरिया गणराज्य सरकार ने श्री चाई डक शिन के नेतृत्व में जो तब सैगोने में राजदूत थे और अब कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री हैं, चार सदस्यों का एक शिष्टमंडल भेजा था।

भारत सरकार ने कोरिया गणराज्य के साथ प्रथम कौंसिल स्तर पर कौंसिली सम्बन्ध स्थापित करने के लिए समझौता किया है।

**मंगोलिया :** मंगोलिया लोक गणराज्य की सरकार के निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय के महासचिव श्री आर० के० नेहरू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-मंडल उलन बातोर में गण-राज्य की स्थापना के चालीसवें वार्षिक समारोह में भाग लेने गया।

सांस्कृतिक समझौतों की शर्तों के अन्तर्गत मंगोलिया से एक पत्रकार जनवरी १९६२ में भारत आया।

## पश्चिम एशिया

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मामलों में सहयोग और भी बढ़ा।

१. **ईरान :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन सहसचिव श्री के० आर० एफ० खिलनानी के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार शिष्टमंडल ने एक व्यापार करार पर बातचीत करने के लिए अप्रैल १९६१ में ईरान की यात्रा की। २ मई १९६१ को तहरान में इस व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अंतर्गत ईरान ६००० टन चाय और ५०,००० टन चीनी मगाएगा और भारत डेढ़ करोड़ रु० मूल्य का मेवा और २५ लाख रु० मूल्य का गोंद और खजूर आदि ईरान से मंगाएगा।

२. **ईराक :** भारत सरकार ईराक को तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में तकनीकी सहायता देती रही। पिछले वर्ष की तरह, ईराक सरकार के निमंत्रण पर, उप रेल मंत्री, श्री शहनवाज खां को १४ जुलाई की क्रांति की तीसरी वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए बगदाद भेजा गया।

३. **जोर्डन:** भारत में जोर्डन राजदूत श्री एहसान हाशिम ने १० अक्टूबर १९६१ को अपने विश्वास-पत्र पेश किए।

४. **कुवैत :** इस वर्ष कुवैत में एक भारतीय व्यापार कमीशन खोला गया। श्री एन० के० निगम को वहां भारत का पहला व्यापार कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

५. **लबनान :** भारत सरकार ने अपने राजनयिक मिशन को राजदूतवास बना दिया। श्री आई० एस० चोपड़ा ने लबनान में भारतीय राजदूत का कार्य-भार संभाला।

६. **मस्कत :** श्री डब्ल्यू० ई० ईलिंग ने मस्कत में भारत के प्रधान कौंसिल का पदभार संभाल लिया है।

७. **सीरिया :** ५ नवम्बर १९६१ को भारत सरकार ने सीरिया अरब गणराज्य की नई सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी।

## अफ्रीका

**अल्जीरिया :** इस वर्ष भारत ने अल्जीरिया की नई सरकार को मान्यता दी।

भारत ने ३०,००० रुपए मूल्य की सहायता सामग्री, चीनी और बच्चों के कपड़े के रूप में मोरोक्को और ट्यूनीसिया में अल्जीरियाई शरणार्थियों के पास भेजी।

२. **लीबिया :** तकनीकी कर्मचारियों के लिए लीबिया ने जो अनुरोध किया था उस पर अनुकूल विचार किया गया। नवम्बर १९६१ को डा० जे० साहू त्रिपोली विश्वविद्यालय में रसायन-शास्त्र के प्रोफसर का पद संभालने त्रिपोली गए।

३. **मोरोक्को :** मोरोक्को का एक शिष्टमंडल एवं वाणिज्य अदायगी करार को पूरा करने के लिए भारत आया और १९६० में जिस व्यापार करार पर बातचीत की गई थी उस पर हस्ताक्षर हुए।

४. **ट्यूनीसिया :** जब संयुक्त राज्य संघ के सामने ट्यूनीसिया की इस मांग का प्रश्न प्रस्तुत किया गया कि बिज़टी-अड्डे से फ्रांसीसियों को हटा दिया जाय तो इसका भारत ने पूरा समर्थन किया। बिज़टी में फ्रांसीसी कार्यवाही से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भारत सरकार की सहानुभूति व्यक्त करने के लिए भारत सरकार ने १०,००० रुपए मूल्य की चिकित्सा सामग्री हवाई जहाज द्वारा भेजी।

५. **संयुक्त अरब गणराज्य :** भारत सरकार फ्रांस और फ्रांसीसी प्रदेशों में संयुक्त अरब गणराज्य के हितों की देखभाल करती रही।

भारत ने गाज़ा क्षेत्र में संयुक्त राज्य अभियान दल में अपनी सैनिक टुकड़ी बनाए रक्खी।

६. **नाइजीरिया :** जुलाई १९६१ में नाइजीरिया आर्थिक मिशन और पूर्व नाइजीरिया के प्रतिरक्षा मंत्री और उनके दल के भारत आगमन से भारत और नाइजीरिया के बीच मैत्री और भी सुदृढ़ हुई।

अक्तूबर १९६१ में पूर्व नाइजीरिया लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष ने तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती के लिए भारत का दौरा किया।

७. **घाना :** भारत के वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल सितम्बर १९६१ में अकारा में आयोजित राष्ट्रीय मंडल वित्त मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया।

८. **कांगो :** कांगो की बिगड़ी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव ने जनवरी १९६१ में भारत के प्रधान मंत्री को अपील की कि वे भारतीय सैनिकों का एक ब्रिगेड कांगो में काम करने के लिए भेजें। संयुक्त राष्ट्र संगठन की मर्यादा बनाए रखने के लिए

भारत सरकार ने अप्रैल-मई १९६१ में ब्रिगेडियर श्री के० ए० एस० राजा के अधीन तीन बटालियनों का एक ब्रिगेड़ कांगो में संयुक्त राष्ट्र सैनिक-संचालन आयोग के अधीन काम करने के लिए भजा। इसका तत्कालीन परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुदृढ़ हुआ और कांगो में स्थिति मजबूत हुई। कांगो में भारतीय सैनिकों की संख्या ६००० से कुछ कम है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अनुरोध पर भारत ने सितम्बर १९६१ में ६ कैनबरा हवाई-जहाज भी कांगो भेजें।

**९. अंगोला :** मार्च १९६१ से अंगोला राष्ट्रवादियों और पुर्तगाली सैनिकों के बीच अंगोला में हथियारों की लड़ाई हो रही है। भारत सरकार ने भारतीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा कांगो में अंगोला शरणार्थियों के लिए ५०० कंबल १,७०० गज कपड़ा और एक लाख बहु-विटामिन टिकियां भेजी।

**१०. ब्रिटिश-पूर्व अफ्रीका :** भारतीय अफ्रीका परिषद के तत्वावधान में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री दिनेशसिंह, संसद सदस्य ने २२ अगस्त से ४ दिसम्बर १९६१ तक कीनिया, तांगानिका उगांडा और जंजीबार की यात्रा की।

**११. तांगानिका :** भारत सरकार ने दार-एस-सलाम में भारत का एक कमिशन स्थापित किया जिसके कि श्री एन० ए० वेल्लोडी को भारत का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया।

तांगानिका ९ दिसम्बर १९६१ को स्वाधीन हुआ। तांगानिका की सरकार के निमंत्रण पर तत्कालीन उप विदेश मंत्री श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन, हिन्देशिया में भारत के राजदूत श्री आप्पा बी० पंत और दार-एस-सलाम में भारत के कमिश्नर श्री एम० ए० विल्लोडी ने दार-एस-सलाम के स्वाधीनता समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

**१२. इथोपिया :** भारत सरकार प्रतिरक्षा संस्थानों में इथोपिया से आए हुए प्रतिरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देती रही।

## दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सरकार ने पहली बार भारत मूलक दक्षिण अफ्रीकियों के इस अधिकार को मान्यता दी कि वे दक्षिण अफ्रीका की आबादी का सुनिश्चित अंग समझे जाएं और प्रत्यपर्गीग की अपनी पहले की वह नीति त्याग दी, जिसे उसने भारतीय "समस्या" को सुलझाने का आधार बनाया था। अब उस सरकार की योजना है कि भारतीयों से अन्य "अश्वेत" लोगों के ही समान बर्ताव किया जाए। एक भारत-कार्य मंत्रालय खोला गया। भारतीयों से सम्बन्धित सभी मामले अब इसी मंत्रालय के जिम्मे होंगे। भारत कार्य-मंत्री डब्लयू० ए० मारी ने भी यह घोषणा की कि गणराज्य सरकार एक भारत-कार्य राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना चाहती है।

## यूरोप

यूरोपीय देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्द्र एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे और विभिन्न सांस्कृतिक व्यापारिक तथा आर्थिक आदान-प्रदान से वे और भी सुदृढ़ हुए।

**१. आस्ट्रिया :** दोहरे कर से बचने के लिए आस्ट्रिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

**२. बेल्जियम :** सितम्बर १९६१ में ब्रुसेल्स में अन्तर-संसदीय संघ का पचासवां सम्मेलन

हुआ जिनमें भारतीय संसद के एक शिष्टमंडल ने श्री एच० एन० कुंजरू के नतृत्व में भाग लिया।

बेल्जियम सरकार ने १९६२-६३ के शैक्षणिक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीकों को तीन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा। इनके अतिरिक्त, बेल्जियम के विदेश व्यापार कार्यालय ने भी अपने यहां के उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिए पांच छात्रवृत्तियां दी हैं।

**३. बल्गारिया :** वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने बल्गारिया की राजकीय यात्रा की।

भारत और बल्गारिया के बीच सांस्कृतिक संपर्कों की शुरुआत हुई। एक भारतीय कलाकार जून १९६१ में बल्गारिया गया और एक बल्गारियाई कलाकार अक्टूबर १९६१ में भारत आया।

**४. चैकोस्लोवाकिया :** खाद्य और कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटील चैकोस्लोवाकिया गए।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय जुलाई १९६१ में चैकोस्लोवाकिया गए।

एक भारी बिजली उपकरण संयंत्र और एक अधिक दबाव के बायलर संयंत्र के परियोजना-प्रतिवेदन की तैयारी के लिए भारी विद्युतयंत्र (भारत) लि० तथा चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स टेकनो-एक्सपर्ट के बीच एक करार पर जून १९६१ में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

**५. डेनमार्क :** ट्रेड मार्क पंजीकरण के लिए भारत और डेनमार्क के बीच १९ जून १९६१ को [illegible] में एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर डेनमार्क के प्रधान मंत्री महामान्य श्री विगो अपनी धर्मपत्नी के साथ १२ दिन के लिए भारत आए और १८ से २९ जनवरी १९६२ तक यहां रहे। अपनी प्रवास की अवधि में उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की।

**६. फिनलैंड :** भारत और फिनलैंड के छात्र एक देश से दूसरे में आ-जा सकें, इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रत्येक पक्ष द्वारा दो-दो छात्रवृत्तियां मंजूर की गईं, बाद में इनकी संख्या तीन कर दी गई।

दोहरे कर के बचने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

**७. फ्रांस :** भारत-फ्रांस तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए ३० जनवरी, १९६१ को भारत और फांस ने पत्रों का आदान-प्रदान किया, जिनमें विशेषज्ञों और फैलोवृत्तियों और छात्रवृत्तियों की शर्त बताई गई थी।

डा० एच० एन० कुंजरू अक्टूबर १९६१ में पेरिस में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की कार्यपालिका की बैठक में भाग लिया।

**८. जर्मन संघीय गणराज्य :** विमान सेवा के बारे में भारत सरकार और संघीय गणराज्य सरकार के बीच अक्टूबर १९६१ में एक करार का सूत्रपात हुआ। यह करार उस समय से लागू होगा जब दोनों सरकारें इसका सत्यांकन कर देंगी।

बिहार में बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने ५९,००० रु० (५०,००० डीशमार्क के बराबर) की राशि भेंट की।

**९. जर्मन जनतंत्रीय गणराज्य :** जर्मन जनतंत्रीय गणराज्य ने कृषि के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए तीन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार किया।

**१०. यूनान :** भारत और यूनान के बीच एक सांस्कृतिक करार पर २२ जून, १९६१ को

हस्ताक्षर हुए। वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री श्री हुमायूं कबीर यूनान की राजकीय यात्रा पर गए थे और उन्होंने इस करार पर हस्ताक्षर किए।

११. **हंगरी :** भारत सरकार के निमंत्रण पर हंगरी लोक गणराज्य के प्रधान मंत्री फेरेंक म्युनिख, हंगरी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत पधारे और २४ से २७ अगस्त १९६१ तक यहाँ रहे।

भारतीय अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष और हंगरी के राष्ट्रीय अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष के बीच पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए अणुशक्ति के विकास के सम्बन्ध में भारत और हंगरी ने एक करार किया।

१२. **इटली :** भारत और इटली के बीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने के लिए इटली सरकार ने इटली में स्नातकोत्तर तथा विशिष्ट अध्ययन के लिए ९० छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं।

१३. **नीदरलैंड :** भारत के उप-राष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन् नीदरलैंड की राजकीय यात्रा पर गए और वहां १७ से २० अक्टूबर १९६१ तक रहे। एम्सटर्डम विश्वविद्यालय के भारतीय कला एवं पुरातत्व विभाग को पुस्तकें भेंट कीं।

एम्सटर्डम विश्वविद्यालय ने १९६० में आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए एक असाधारण अध्ययन पीठ स्थापित की।

१४. **नार्वे :** ओस्लो के विदेश मंत्रालय के महासचिव श्री रेडर अपनी पत्नि के साथ, बंगकोक से लौटते समय अक्टूबर १९६१ में भारत पधारें।

नार्वे के सहकारी महिला-मंडल ने एक सचल स्त्रीरोग-चिकित्सा एकांश भारत सरकार को भेंट किया।

१५. **पोलैंड :** भारत सरकार के निमंत्रण पर पोलैंड लोक गणराज्य के राज्य परिषद् के अध्यक्ष श्री अलेक्जेंडर जवात्जकी ने पोलैंड सरकार के उप प्रधान मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ११ से १४ अक्टूबर १९६१ तक भारत यात्रा की। उनकी यात्रा की परिसमाप्ति पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

बम्बई या मद्रास में ५०,००० (टन) के पोर्ट सिलों के निर्माण का परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत सरकार और "सेकोप" के बीच एक करार पर २१ जुलाई १९६१ को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

१६. **रूमानिया :** तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने लगभग १ करोड़ रु० की लागत पर रूमानिया से तेल-खनन के दो यंत्र (रिग) खरीदे। रूमानिया के कुछ विशेषज्ञ आयोग को तेल-अन्वेषण में सहायता भी दे रहे हैं।

राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों के निमंत्रण पर रूमानिया लोक गणराज्य की महान राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष श्री स्टीफेन इन्कीला के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल भारत आया और २६ मार्च से ३ अप्रैल १९६२ तक यहां रहा।

१७. **सोवियत संघ :** बैलग्रेड में गुटरहित देशों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद हमारे प्रधान मंत्री ने ६ से १२ सितम्बर १९६१ तक सोवियत संघ की यात्रा की।

भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर सोवियत संघ के परम सोवियत के प्रधान मंडल के अध्यक्ष श्री एल० आई० ब्रेजनेव अपनी पत्नि तथा आठ व्यक्तियों के सरकारी दल के साथ भारत

आए और ये लोग राजकीय अतिथियों के रूप में १५ से २९ सितम्बर १९६१ तक यहाँ रहे।

प्रथम सोवियत अंतरिक्ष-यात्री मेजर यूरी गगरिन अपनी पत्नी, पत्रकारों तथा सोवियत अधिकारियों के साथ नवम्बर १९६१ में भारत आए।

सोवियत संघ के निमंत्रण पर कलाकारों, शिक्षाशास्त्रियों, पत्रकारों, व्यापार संघियों, विद्यार्थियों और स्कूली बच्चों ने इस वर्ष के दौरान सोवियत संघ की यात्रा की।

फरवरी १९६१ में सोवियत संघ के साथ ११ करोड़ २५ लाख रूबल के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण का उपयोग गुजरात में एक तेल-शोधक कारखाने के लिए कठारा में कुकिंग कोल वाशरी के लिए, तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कैम्बे अंकलेश्वर और अन्य क्षेत्रों में तेल के अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन के लिए किया जाएगा।

अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास में सहयोग करने के लिए १६ अक्टूबर १९६१ को वियना में एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

१८. **स्पेन** : दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध विकसित करने के लिए "इंस्टीट्यूट हिस्पेन अरेबी ओरियन्टल" की एक शाखा नई दिल्ली में खोली गई। स्पेनी भाषा की शिक्षा देने के लिए श्री जवीर मेनकास की सेवाएं दिल्ली विश्वविद्यालय को सुलभ हो गई।

१९. **स्वीडन** : आवरो प्रान्त (स्वीडन) के राज्यपाल श्री ओ० वाल्टर ऐमन, उपभोक्ता समस्याअ के अध्ययनार्थ राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष, तथा तकनीकी सहायतार्थ स्वीडन की पौर्वात्य समिति के अध्यक्ष मई १९६१ में भारत आए।

१९ अगस्त १९६१ को यह निर्णय हुआ कि अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास में सहयोग करने के लिए स्वीडन और भारत के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएं।

२०. **यूनाइटेड किंगडम** :—राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन २५ से ३० सितम्बर १९६१ तक लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का प्रतिनिधित्व लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष और राष्ट्रमण्डल संसदीय संस्था की भारतीय शाखा के प्रधना श्री एम० अनन्तशयनम् आयङ्गर ने किया।

द्वितीय राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन ११ जनवरी से २५ जनवरी १९६२ तक नई दिल्ली में हुआ। इसमें ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज, मारिशस, चतम हाय हस्वशासित देशों सहित राष्ट्रमण्डल के सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

## अमेरीका

**संयुक्त राज्य अमेरीका** : संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ भारत के राजनीतिक सम्बन्ध अत्यन्त मैत्री और सौहार्द्रपूर्ण बन रहे। हमारे प्रधान मन्त्री की ६ से १३ नवम्बर १९६१ तक की अमेरीका-यात्रा से ये मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए। श्री एस० सी० छागला ने संयुक्त राज्य अमेरीका से भारतीय राजदूत के कार्यभार से ९ जून १९६१ को अवकाश लिया।

संयुक्त राज्य अमेरीका से भारत को सहायता मिलती रही। यह सहायता कई रूपों में थी, अर्थात् आर्थिक और तकनीकी सहायता, कृषि-पदार्थों की सप्लाई और आयात-वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त धन में से स्थानीय मुद्रा की सहायता। इस सहायता द्वारा कृषि, उद्योग, बिजली तथा

परिवहन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य समाज-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को भी लाभ पहुंचा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में भारत को जो एक खास तरह की बड़ी सहायता मिली, वह थी बढ़ती कृषिगत वस्तुओं की सप्लाई। तीसरी योजना के लिए भी १३ अरब डालर तक की ऐसी सहायता का लाभ हमें मिल सकेगा। जो करार अब तक हो चुके हैं, उनके अन्तर्गत १ करोड़ ५० लाख टन गेहूं, ९ लाख टन चावल और ३.२५ लाख रूई की गांठें सुलभ होंगी। खाद्यान्न के आयात के लिए दीर्घकालीन करार इस उद्देश्य से किया गया कि देश में नियमित सप्लाई होती रहे और आवश्यकता के लिए हमारे पास भंडार भी बना रहे।

पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अमेरीकी सहायता से स्थानीय मुद्रा का जो संचय अमेरीकी सरकार ने किया, उसमें से उस सरकार ने भारत को ९,०३९,३०५ डालर मूल्य की अन्य-देशीय मुद्राएं खाद और नल-कूप उपकरण खरीदने के लिए सुलभ कीं।

२६ मार्च १९६२ को नई दिल्ली में एक भारत-अमेराका करार पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत भारत को २५६.८ करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। यह ऋण खेती सम्बन्धी उन वस्तुओं की बिक्री में से दिया जाएगा जो कि पांचवे अमेरीकी पब्लिक ला करार के अन्तर्गत भारत को सप्लाई होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि ने उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना के लिए भारत को ६० लाख डालर मूल्य पर ब्याज-रहित ऋण प्रदान किया। इस परियोजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ८०० नल-कूप खोदने और तैयार करने की व्यवस्था है।

कुल मिला कर, एक अरब से अधिक डालरों के अमेरीकी ऋण के लिए करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, कुल २७ करोड़ ८० लाख डालर के अनुदान और २३ करोड़ ३७ लाख डालर मूल्य के बढ़ते कृषि-पदार्थ भारत के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इस अवधि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी संयुक्त राज्य अमेरीकी से भारत आए :

(१) अमेरीकी के राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती जान एफ० कैनेडी।
(२) अमेरीकी के अन्न-हेतु शान्ति कार्यक्रम के निदेशक श्री जार्ज एस० मैकगवर्न।
(३) अमेरीकी के सहायक शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्री श्री फिलिफ एम० कूम्बस।
(४) अफ्रीकी, एशियाई और लातीनी-अमरीकी देशों के लिए राष्ट्रपति कैनेडी के सलाहकार श्री चेस्टर बोल्स।

### कनाडा

भारतीय हाई कमीशन के प्रथम सचिव श्री के० शंकर पिल्ले को शानी फरीजी नामक एक यूगोस्लाविया-मूलक कनाडा के निवासी-राष्ट्रीक ने अप्रैल १९६१ को दफ्तर में गोली मार दी। हत्यारे पर कनाडा के एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और उसे एक मानसिक चिकित्सालय में भेजा गया है।

प्रधान स्वास्थ्य सेवा निदेशक को कनाडा की टोरंटी-स्थित कनाट औषध अनुसंधान प्रयोगशाला ने पोलियानाशक औषधि की १ लाख खुराकें भेंट स्वरूप दीं।

२६ जनवरी १९६१ को प्रधान मन्त्री ने ट्रांम्बे में कनाडा भारत अणुभट्टी तथा कई अन्य

संस्थानों का उद्घाटन किया तथा यूरेनियम धातु प्लांट, ईंधन-उत्पादन संस्थान और गवाक्ष-सम्बन्धी गवेषणा के लिए "जरलीना" नामक जीरो-ऊर्जा भट्टी। विदेशों के सरकारी प्रतिनिधियों और प्रमुख अणु वैज्ञानिकों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

श्री गोर्डन चर्चिल ने १८ जनवरी १९६१ को कुंडा पनबिजली परियोजना के बिजलीघर संस्था तथा कुंडा तृतीय स्थिति विस्तार योजना का उद्घाटन किया। कुंडा परियोजना को कनाडा प्रचुर सहायता मिली है।

## विदेशों में प्रचार कार्य

सामान्यतः यह ठीक है कि कुछ पाश्चात्य पत्रों में भारत की थोड़ी आलोचना हुई और पाकिस्तान तथा चीन की ओर से भारत-विरोधी प्रचार चलता रहा है, लेकिन इसके बावजूद चालू वर्ष के दौरान संसार के समाचार-पत्रों में हमारे देश के बारे में पहले से अच्छी खबरें छपीं। विदेशी रेडियो और टैलीवीजन संस्थानों ने भारत के विषय में पहले से अधिक और अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए। विदेश-स्थित भारतीय सूचना केन्द्रों के भारत-सम्बन्धी जानकारी के लिए जो प्रार्थनाएं की गई, उनकी संख्या और विविधता से यह जान पड़ता है कि संसार के सभी भागों में भारत के प्रति जिज्ञासा काफी बढ़ी है।

: ४ :

# कृषि

कृषि उत्पादन पर अधिक जोर देने के फलस्वरूप लाभकारी फल प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक पैदावार हुई। कुल मिलाकर उत्पादन सूचकांक १३९.१ तक पहुंच गया। जबकि १९५९-६० में १२८.७ ही था। इस प्रकार इसमें ८.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष यानी १९५५-५६ के मुकाबले १९६०-६१ में कृषि उत्पादन का सूचकांक लगभग १९.१ प्रतिशत अधिक था जिससे पता चलता है कि अलग-अलग वर्षों में उतार-चढ़ाव के बावजूद अनाज की पैदावार का रुख बुनियादी तौर पर ऊपर की ओर ही रहा है।

१९६१-६१ के दौरान में देश के अधिकांश भागों में मौसम तथा कृषि सम्बन्धी परिस्थितियां काफी अच्छी रही हैं, तथा कुल मिलाकर खरीफ की फसल अच्छी होने की सम्भावना बताई जाती हैं। रबी की बुआई भी काफी विस्तृत क्षेत्र में की गई है, और काफी अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती है। व्यापारिक फसलोंमें पटसन की फसल बहुत अच्छी हुई है। पटसन की ६२.७ लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान है, जो १९६०-६१ के उत्पादन के मुकाबले ५७.४ प्रतिशत अधिक है। १९६१-६२ के दौरान मूंगफली के उत्पादन में भी ६.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गन्ना और मेस्ता की भी अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा तथा तेज सर्दी की वजह से कपास का उत्पादन कुछ नीचे जाने की आशंका है।

१९६१-६२ में गेहूं की बहुत अच्छी फसल होने की आशा से उसके भाव को मजबूत रखने के लिए भारत सरकार ने आम सफेद गेहूं की औसत अच्छी किस्म का न्यूनतम भाव १३ रुपए प्रति मन तय कर दिया है। अगर गेहूं का भाव न्यूनतम स्थिर मूल्य से नीचे गिरता दिखाई दे तो ऐसी हालत में खरीद करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक प्रबन्ध किए जाएंगे।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

१९६१-६२ में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होना तथा निर्यात और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना यही तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य है। इस योजना की अवधि में पैदावार की वार्षिक औसत दर प्रायः दुगुनी करने का विचार है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में तथा दूसरी योजना में शुरू की गई विभिन्न विकास योजनाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना जारी रखा। राज्यों की कृषि विकास योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए १९६१-६२ में केन्द्रीय सहायता के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों के वास्ते ४७.७९ करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें ३३.४९ करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे और बाकी १४.३० करोड़ रुपए अनुदान के रूप में। इसके अतिरिक्त उन्नत बीज और

उर्वरक की व्यवस्था और वितरण के लिए अल्पकालिक ऋण के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से २५.२० करोड़ रुपए का अलग से इन्तजाम किया गया है।

## छोटी सिंचाई कार्यक्रम

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सामुदायिक विकास दोनों कार्यक्रमों में छोटी सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ २८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने का विचार है। इसके अलावा दूसरी योजना में ९० लाख एकड़ भूमि में पहले ही इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई की जाने लगी है। इस कार्यक्रम को और तेजी से अमल में लाने के उद्देश्य से अक्टूबर १९६२ में तीन प्रादेशिक छोटी-सिंचाई सम्मेलन हुए जिनमें सिफ़ारिशें की गईं कि कृषि-उत्पादन से जो कुछ भी बचत हो वह सब इस योजना में लगा दी जाए और इसके अतिरिक्त अगर और जरूरत हो तो अतिरिक्त धन की व्यवस्था भी की जाए। सिंचाई की वर्तमान सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग करने पर तथा वर्तमान सिंचाई-कार्यों के उचित रूप से चलते रहने पर, खेतों में नहरें बनाने, सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने पर जोर दिया जा रहा है। नलकूप से सिंचाई करने का जहां तक प्रश्न है जनवरी १९६२ तक २१६ नलकूप लगाए जा चुके थे।

## उन्नत बीज

अधिक क्षेत्र में खेती के लिए उन्नत बीज का प्रयोग किया जा सके इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में उन्नत बीज तैयार करने और उनका वितरण करने के कार्यक्रम को गति देने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा की जाती है कि १९६१-६२ में ७१ नए बीज-फार्म कायम किए जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान बीज-फार्मों में भी सुधार किया जाएगा। बीज-फार्मों में तैयार किए जाने वाले उन्नत बीजों को और अधिक मात्रा में तैयार करने, उनके भंडारण और वितरण का प्रबन्ध करने और बीज की शुद्धता बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बीज-निगम स्थापित करने का निश्चय किया है। यह निगम देशव्यापी स्तर पर दोनस्ली मक्का और दोनस्ली ज्वार की उपजाऊ और रोगरोधी किस्मों के बीज का उत्पादन, वितरण तथा बिक्री का आयोजन किया करेगा।

## उर्वरक और खाद्य

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों और खादों की सप्लाई बहुत जरूरी होती है। इधर कुछ वर्षों में नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है परन्तु देश में उत्पादन कम होने और आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो सकी है। १९६१-६२ के दौरान अमोनियम सल्फेट का हिसाब लगाएं तो २६.७१ लाख टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक की मांग की गई जबकि देशीय उत्पादन और आयात दोनों को मिलाकर अनुमानतः कुल १५.१ लाख टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक उपलब्ध हुआ। कमी को मुख्य रूप से तो आय द्वारा पूरा करना होगा लेकिन साथ ही आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने की भी पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है। और इस उद्देश्य से नई उर्वरक फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। उर्वरकों के उपयोग की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने के खयाल से पहली दिसम्बर १९६१ से किसानों से

खाद का उत्पादन बढ़कर २९.० लाख टन हो गया जबकि इससे पहले वर्ष में २६.८४ टन था। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा खाद तैयार करने में खाद के स्थानीय साधनों का प्रयोग १,५१५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों में शुरू किया गया जबकि १,२१७ बड़ी पंचायतों ने मल से खाद तैयार करने की योजनाए शुरू की हैं। करीब २०.३ हजार एकड़ भूमि में सिचाई के लिए प्रति दिन कोई १७ करोड़ ६० लाख गैलन मलमूत्र और मोरियों का पानी काम में लाया जाता है।

## सघन कृषि जिला-कार्यक्रम

खाद्यान्न की पैदावार में तुरन्त फायदा पाने के लिए और साधनों के सघन प्रयोग के द्वारा वृद्धि करने के सबसे कारगर तरीकों का परिचय देने के उद्देश्य से सघन-कृषि-जिला-कार्यक्रम १९६१-६२ की खरीफ की फसलों, से पंजाब, बिहार, मद्रास, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के सात चूनींदा जिलों में शुरु किया गया था। १९६१-६२ की रबी की फसल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सात चुनींदा जिलों के ११३ खंड़ों की करीब १४.५० लाख एकड़ भूमि में खेती की गई। यह क्षेत्र खेती की कुल भूमि का कोई १६.९ प्रतिशत भाग है। इस कार्यक्रम के प्रति कृषकों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। बाकी आठ राज्यों के चुनींदा जिलों में इस कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। १९६१-६२ में खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के दौरान प्रायः सभी राज्यों में अन्न उगाओ आन्दोलन किए गए थे। इन आन्दोलनों में पंचायत और सहकारी समितियों जैसी ग्राम संस्थाओं के माध्यम से आम जनता का सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है।

## पौध संरक्षण

पौध रक्षा, संगरोध और संचयन-निदेशालय अपने १४ केन्द्रीय पौध संरक्षण केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी परामर्श, महामारी निरोधक दवाइयों और महामारी तथा रोगों की रोकथाम करने वाले कर्मचारियों के रूप में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सहायता करता रहा। इन केन्द्रों ने चुनींदा ग्राम-पंचायत क्षेत्रों में सघन-पौध-संरक्षण कार्य का आयोजन भी किया। समीक्षाधीन वर्ष में पश्चिम की ओर से ८४ टिड्डी दल भारत में आए लेकिन नियंत्रण की सामयिक और कारगर कार्यवाहियां करने के परिणामस्वरूप ये टिड्डी दल अण्डे नहीं रख पाए और किसी राज्य से फसल को कोई विशेष नुकसान होने का समाचार नहीं मिला है। विमान द्वारा कार्यवाही करने वाले यूनिट ने मद्रास राज्य में मूंगफली के ७,५०० एकड़ खेतों में सूंडी आदि कीड़ों को नष्ट करने के लिए तथा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में १४,१९९ एकड़ में टिड्डी दलों को मारने के लिए कार्यवाही की। बिहारी राज्य में गेहूँ और चना के ४४,६२० एकड़ खेतों में कर्तन कीट के बचने के लिए दवाइयां धिड़की गई। पत्तनों और हवाई-अड्डों के संगरोध केन्द्रों में तथा हवाई तथा समुद्री भागों से विदेशों से आयात किए पौधों का तथा पौध-सामग्री का उपचार तथा संगरोध-निरीक्षण किया जाता रहा।

## कृषि-विस्तार और सूचना

अनुसंधान के परिणामों को कारगर तरीके से विभिन्न क्षेत्र-विस्तार कर्मिकों और कृषकों

तक पहुंचाने के लिए विस्तार-सेवाओं को काफी मजबूत किया गया है। ग्राम-सेवक, ग्राम सेविकाओं तथा अन्य श्रेणियों के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों में इन कर्मचारियों की मांग के हिसाब से काम चलता रहा। अब तक कुल मिलाकर ४७,४५० ग्राम सेवक और ४,०५५ ग्राम-सेविकाएं प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। उन्नत कृषि-उपकरणों की मरम्मत रख-रखाव तथा उनका निर्माण करने की दिशा में ग्रामीण दस्तकारों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक १,३६८ ग्रामीण दस्तकार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और ४२५ प्राप्त कर रहे हैं। फार्म सलाहकार बोर्ड के माध्यम से राज्यों को खरीफ और रबी आन्दोलनों का आयोजन करने में सहायता की जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष में फार्म समाचार सेवा और 'फार्म रेडियो सेवा' जारी रही और ग्रामीण पत्रों को ६० फार्म समाचार-विज्ञाप्तियां दी गईं। देहाती प्रोग्रामों में उपयोग के लिए औसत प्रतिमास ५ फार्म रेडियो समाचार विज्ञप्तियां रेडियो स्टेशनों को दी गईं। सूचना साहित्य की ४० लाख प्रतियां प्रकाशित की गईं और ग्रामसेवकों, कृषकों, और अन्य लोगों में बांटी गई। इनमें कुछ एक-एक पृष्ठ की थी, कुछ पुस्तिकाएं और कुछ विज्ञापन थे। १९६१ के दौरान में २५० फिल्म शो किए गए और हर महीने १०० फिल्में प्रदर्शन के लिए मुफ्त दी गईं।

## पशुपालन

पशु पालन विकास कार्यक्रम के अधीन २६० मुख्य खंड स्थापित किए गए जबकि दूसरी योजना में २७५ ग्राम खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य था। इसके अलावा ७२ विस्तार केन्द्र खोलने का जो लक्ष्य निश्चित किया था वह पूरा हो गया। इसके अतिरक्त ३१,२१६ अच्छे बछड़े तैयार किए गए और ५.७ लाख सांडों को बधिया किया गया। ढोरों को रोगों से बचाने के लिए ८३.४ लाख टीके लगाए गए। अच्छी किस्म के बछड़ों के उद्धार की योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर १९६१ तक दूध-बस्तियों से ८०९ बछड़े खरीदे गए और प्रमाणित पालकों मुफ्त बांट दिए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आवारा और जंगली पशुओं को पड़कने की योजना के अन्तर्गत १८,०६५ पशु पकड़े गए जिनमें से २,४७१ पशु पालन के लिए बांटे गए। इस योजना के अन्तर्गत भी राज्यों में पशु-पकड़ने वाले दलों का प्रशिक्षण देने और सकेन्द्रण कैम्प स्थापित करने की व्यवस्था है। बख्शी का तालाब के आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में ४६ व्यक्तियों को खाल उतारने का, १६ को चमड़ा कमाने का काम और १५ को जूता तथा चमड़े की चीजें बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खाल उतारने आदि के काम में प्रशिक्षण देने का एक नया प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का भी विचार है। पशु प्रजनन और कुक्कुट-प्रजनन की बेहतर रीतियों का भी प्रचार करने की गरज से राष्ट्रीय पशुधन समिति ने श्रीनगर में तथा पंजाब में नूरपुर मे प्रादेशिक पशु तथा कुक्कट प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा मथुरा में अखिल भारतीय प्रदर्शनी का। पशुपालन एवं खेती की १३९ सहकार समितियां अब तक कायम की जा चुकी हैं और २,३८३ पशुपालन परिवार इनके सदस्य हैं तथा इनके लिए २६,००० एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।

## कुक्कुट और सुअर उद्योग विकास

समीक्षाधीन वर्ष में अखिल भारतीय पशुधन गणना से पता लगा है कि पिछले पांच वर्षों में यानी १९५६ के गणना के बाद २० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। पांच प्रादेशिक कुक्कट फार्मों

में १९६१-६२ में ६ लाख अण्डे तैयार होने की आशा है जबकि १९६०-६१ में ४.५३ लाख अंडे तैयार हुए थे। इसके अलावा इन प्रादेशिक केन्द्रों ने ९०,००० कुक्कुट बांटे जबकि इससे पहले के वर्ष में ६६,००० कुक्कट-विस्तार-केन्द्रों में १३ लाख अंडों के उत्पादन दिए जाएंगे। तीसरी घोषणा में दो नए सुअर प्रजनन केन्द्र एवं सुअर मांस फैक्ट्रियां स्थापित करने का विचार है। दूसरी योजना के अन्तर्गत ऐसे आठ केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं। इसके अलावा दूसरी योजना में १५ सुअर-प्रजनन यूनिट तथा ३१ सुअर उद्योग-विकास खंड भी स्थापित किए गए थे।

## डेरी प्रबन्ध

देश में डेरी-प्रबन्ध और दूध सप्लाई के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरों में दूध संयंत्र लगाने, ढोरों की बस्तियां बसाने दूधजन्य पदार्थों की फैक्ट्रियां कायम करने, ग्रामीण क्रीमरियां बनाने, सर्वेक्षण और ग्रामीण डेरी-विस्तार कार्य तथा टेक्निकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्य सम्मिलित हैं। शहरों में दूध सप्लाई की दिशा में नौ नई डेरियां शुरू की गई हैं तथा नौ अन्य परियोजनाओं में उपकरण वगैरा लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त १२ अन्य डेरियों के निर्माण-कार्य में और प्रगति हुई है। कलकत्ता और मद्रास की दूध योजनाओं के अन्तर्गत खोली गई पशु बस्तियों में पशुओं की संख्या १०,००० हो गई है। दिल्ली की दूध सप्लाई योजना में बराबर [illegible] प्रगति होती रही और अब इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन ३,५०० मन दूध सप्लाई किया जाता है, जो योजना के निर्धारित लक्ष्य का आधा है। अमृतसर में दूध का पाउडर तैयार करने वाली फैक्टरी में १९६२-६३ में उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है। दूसरी दूध पाउडर फैक्टरी राजकोट में खोली जानी है, इसमें मशीनें आदि लगाने का काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। अलीगढ़ और बरौनी में ग्रामीण क्रीमारियों की इमारतें लगभग बनकर तैयार हो गई हैं और अब वहां उपकरण वगैरा लगाने की प्रारम्भिक कार्यवाहियां की जा रही है।

## मछली उद्योग

केन्द्र और राज्य सरकारों ने देश में मछली उद्योग का विकास करने और मछली उत्पादन बढ़ाने की शिक्षा में प्रगतिशील कदम उठाए हैं। समुद्री मछली क्षेत्रों के विकास के लिए योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने के तरीके में मशीनों के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। इस समय देश में, १,८७० मशीनी नावें थी जबकि दूसरी योजना के अन्त में १५०० ही थी। भारत सरकार में मछली पकड़ने वाले बेड़े ने भारतीय तट पर मछली पकड़ने का काम जारी रखा। इसके अलावा कई गैर-सरकारी व्यवसायियों ने भी बिजली के साधनों द्वारा मछली पकड़ना शुरू कर दिया है। विभिन्न राज्यों में अंतर्देशीय मछली साधनों का विकास करने पर काफी जोर रहा है। मछली संवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सन्तोषजनक ढंग से काम होता रहा तथा अच्छी किस्म की मछली के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। कार्व नाम की आम विदेशी मछली के पालन को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ये मछली बंधे पानी में बड़ी तेजी से पनपती-बढ़ती हैं। मछली की बिक्री में सुधार करने की दृष्टि से कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा कलकत्ता और अहमदाबाद दिल्ली रेल मार्ग पर ठंडी गाड़ियां चलना शुरू किया गया। गुजरात फिशरमेन्स सेन्ट्रल कोआपरेटिव एसोसियेशन की कोशिशों से दिल्ली में समुद्री मछली की अच्छी बिक्री होने लगी

है। यह सहकारी संघ गुजरात से दिल्ली मछलियां भेजता है। मछली और मछली उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने तथा उनकी किस्म सुधारने की दिशा में भी कार्यवाही की जा र.ी है। मछलीपालन के कार्यक्रमों के चौमुखी विकास में तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की विशिष्ट परियोनाओं को लागू करने में खाद्य एवं कृषि संगठन, तकनीकी सहयोगमिशन और भारत नार्वजी परियोजना की ओर से सहायता मिलती रही।

## वन उद्योग

राज्यों के वन उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं: फार्म वन-उद्योग का विकास करना, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बागान लगाना, उजड़े वनों में फिर से पेड़ लगाना, वन में संचार व्यवस्था और सड़कों में सुधार करना, वन-अनुसंधान का विकास, प्रकृति संरक्षण की योजनायें लागू करना तथा वन-रक्षा की दिशा में कार्यवाही करना। अब तक जो रिपोर्ट मिली है, उससे यह पता चलता है कि इन सब योजनाओं के अन्तर्गत सन्तोष-जनक प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त वन-साधनों पर लागत लगाने से पहले उनका सर्वेक्षण करने की एक परियोजना की भी स्वीकृति दी जा चुकी है, जो केन्द्र की देखरेख में होगी और जिसके अन्तर्गत तेजी से उगने वाली जाति के पेड़ लगाने का एक विशेष कार्यक्रम भी शामिल है। वन अनुसंधान संस्था के अन्तर्गत लट्ठे बनाने के चार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की एक नई परियो-जना भी तैयार की गई है। इमारती लकड़ी के उचित अनुपात में वितरण करने के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया गया है जो केन्द्रीय मांग पर लकड़ी की मात्रायें नियत करेगा। यह इस कारण किया जा रहा है कि बढ़िया किस्म की इमारती लकड़ी के साथ हलकी किस्म की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाये क्योंकि बढ़िया किस्म की इमारती लकड़ी की बहुत कमी है। बोर्ड की अगस्त १९६१ की बैठक में अन्य बातों के साथ यह सिफ़ारिश भी की गई थी कि इमारती लकड़ी देते समय रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक प्राथिकमता दी जानी चाहिए। दिल्ली के चिड़ियाघर उद्यान के विकास में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। एक चिड़ियाघर पार्क परिषद बनाई गई है जो चिड़ियाघर के विकास के बारे में सरकार को परामर्श देगी। जुलाई १९६१ के पहले सप्ताह बारहवां वार्षिक वन महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया।

## भूमि संरक्षण

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक करोड़ दस लाख खेती की जमीन में भूमि-संरक्षण की कार्यवाही करने का तथा कोई २ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि में खेती के तरीके अप-नाने का ख्याल है। कार्यक्रम में नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों मे भूमि संरक्षण के उपाय करने पर नदी किनारे पर नदी किनारे की ऊबड़-खाबड़ भूमि में तथा नुनखरी और रेही वाली भूमि में खेती करने पर संरक्षण खेती को सघन बनाने पर खास जोर दिया गया है। १९६१-६२ के विभिन्न राज्यों के भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत २२० योजनायें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में सूखी खेती की जो ४० निदर्शन-पयोजनायें चालू की गई थीं उनके अन्तर्गत भी काम रहेगा। समीक्षाधीन वर्ष में २७ सूखी खेती परियोजनायें भी शुरू की गई हैं जबकि पिछले वर्ष १९ योजनायें ही शुरू की गई थीं। अखिल भारतीय भूमि और भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया

जा चुका था जबकि पूरे वर्ष में २५ लाख एकड़ भूमि में सर्वेक्षण करने का लक्ष्य था। ६५ भूमि-सर्वेक्षण रिपोर्ट और भूमि उपयोग नक्शे प्रकाशित किये जा चुके हैं।

## कृषि विपणन

तम्बाखू, सन, ऊन, सुअर के बाल, बकरी के बाल, नीबू तेल, सन्दल का तेल, तथा पामरोज तेल के निर्यात से पहले उनकी कोटि निर्धारित करके एगमर्क की सील लगाने का काम जारी रहा। वनस्पति तेल, मक्खन, कपास, अंडे, गेहूं के आटे, चावल, आलू, गुड़ और फल आदि अन्तर्देशीय व्यापार की चीजों की कोटि निर्धारित करने का काम भी स्वेच्छिक आधार पर किया जाता रहा। नियमित मंडियों के लिए सलाह-सेवा के अन्तर्गत भी काम किया जाता रहा। फरवरी १९६२ तक नियमित मंडियों की संख्या बढ़कर ७३० हो गई। ९५ उम्मीदवारों कृषि-विपणन में एक साल क प्रशिक्षण दिया गया। २८१ उम्मीदवारों को ५ महीने के मार्केट सेक्रेट्रीज यानी 'मंडी सचिव' अध्ययन क्रम के अधीन प्रशिक्षण दिया गया। समीक्षाधीन वर्ष में फल उ पाद आदेश, १९५५ के के अन्तर्गत ९०३ लाइसेंस या तो नए या पुराने लाइसेंसों की अवधि बढ़ाई गई। ४३८४ फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया तथा विश्लेषण के लए ६२९७ नमूने लिए गए। कोई ११८ अवैध विनिर्माताओं का पता लगाया गया और उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं। टिन प्लेट उत्पदान योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर १९६१ तक टिन की चादरों पर उत्पाद विनिर्माताओं को ५·७ लाख रुपए की राशि उपदान के रूप में देने की मंजूरी दी जा चुकी थी।

## भूमि सुधार

बिचौलिया पद्धति सारे देश में समाप्त कर दी गई है। भूतपूर्व बिचौलियों को कुल मिला कर ६४१ रुपए का मुआवजा दिया जाना है जिसमें २१७ करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। १९६०-६१ में दी गई मुआवजे की रकम अनुमानतः १७ करोड़ रुपए थी। काश्तकारों के पट्टे और मिल्कियत के अविकारों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए और लगान के नियमन की दृष्टि से बनाया गया कानून अधिकांश राज्यों में लागू कर दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में बिहार, गुजरात, महराष्ट्र और मैसूर में जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने का कानून भी लागू किया गया। भूमि की चकबन्दी करने का काम समीक्षाधीन वर्ष में जारी रहा और इसमें और प्रगति हुई है। १९६०-६१ के अन्त तक २ करोड़ ९० लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की जा चुकी थी तथा इसके अलावा करीब १ करोड़ एकड़ भूमि में चकबन्दी का काम किया जा रहा है।

## कृषि अर्थशास्त्र और कृषि सम्बन्धी आँकड़े

भूमि-आलेख और कृषि सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार करने का प्रयास किया जाता रहा। क्षेत्र गणना का समुचित सर्वेक्षण करने, क्षेत्र का आंकलन करने तया परिरक्षण योग्य खाद्य सामग्री और व्यापारिक महत्व की गौण फसलों के उत्पादन और कृषि अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध सूचकांक आदि की योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता दी जाती रही। नवीं पंचसाला पशु-धन गणना उन्नत आधार पर की गई। १५ अप्रैल इसकी निर्देश तिथि थी। मंडी-सूचना व्यवस्था में सुधार करने की योजना जम्मू काश्मीर को छोड़ बाकी सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में लागू की जा रही है। अक्टूबर १९६१ में कृषि अर्थ-शास्त्रीय अनुसंधान के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया

गया। यह सम्मेलन इस उद्देश्य में बुलाया गया ताकि किफायती खेती के तरीकों के बारे में अनुसंधान करने वाली अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ इस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान हो सके। गुजरात और राज्यस्थान राज्यों के लिए एक नया कृषि-शास्त्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया। यह इस तरह का सातवां केन्द्र है। १९५९-६० की भारतीय कृषि के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी समीक्षाधीन वर्ष में प्रकाशित की गई। कृषि-अनुसंधान सांख्यिकी संस्था में आंकड़े एकत्रित करने के तरीकों पर मूल और व्यवहारिक अनुसंधान होता रहा। इसके अलावा यह संस्था प्रशिक्षण देती रही तथा राज्य-सरकारों और अनुसंधान संस्थाओं आदि को परामर्श देती रही और प्राप्त आंकड़ों का कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों में प्रयोग किया जाता रहा।

## कृषि अनुसंधान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि, पशुपालन, सांख्यिकी और सम्बद्ध विषयों पर ७५ नई योजनाओं की स्वीकृति दी जिनकी कुल मिलाकर ४५ लाख रुपए की लागत आएगी। समन्वित मक्का प्रजनन योजना के अन्तर्गत इस समय १४ केन्द्रों में काम चल रहा है, बाकी ३ भी जल्दी ही कायम किए जाने वाले हैं। इस वर्ष में कपास, तिलहन, मिलैट के प्रादेशिक अनुसंधान कार्य को गति देने की परियोजना के अन्तर्गत काम चलता रहा। इस योजना के अधीन १६ केन्द्र पहले ही कायम किए जा चुके हैं, बाकी ५ की स्थापना का काम भी विभिन्न दौरों में है। खेती के उन्नत उपकरणों के बारे में अनुसंधान और परीक्षण करने तथा उनके प्रयोग का प्रशिक्षण देने के केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान तीन केन्द्रों के अतिरिक्त चालू वर्ष में ६ केन्द्र और खोलने का भी विचार है। इंजीनियरी की दृष्टि से अनुसंधान की महत्वपूर्ण समस्यायें जानने के उद्देश्य से उन्नत कृषि उपकरणों के डिआइन, विकास और उनके परीक्षण के बारे में एक संगोष्ठी बुलाई गई।

## कृषि शिक्षा

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा पशु-चिकित्सा स्नातकों की मांग पूरी करने के उद्देश्य से चार नए कृषि-कालिज और २ नए पशु-चिकित्सा कालिज खोलने का विचार है। इसके अलावा वर्तमान सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तीसरी योजना में २०,००० कृषि स्नातकों की और ६,८०० पशु-चिकित्सा स्नातकों की जरूरत होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंतनगर के कृषि-विश्वविद्यालय की तरह के कुछ और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भी आशा है।

## अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और प्राविधिक सहायता

भारत खाद्य और कृषि संगठन का सक्रिय सदस्य बना रहा तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संगठन की सभी महत्वपूर्ण बैठकों और सम्मेलन में उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खाद्य और कृषि संगठन की कई बैठकें भारत में भी हुई जिनमें विदेशी प्रतिनिधि भारत सरकार के अतिथि रहे। संगठन ने "भूख से छुटकारा" का जो विश्व आन्दोलन शुरू कर रखा है, भारत उसमें भी भाग ले रहा है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए रखा गया। व्यापक तकनीकी सहायता कार्यक्रम, भारत अमरीकी सहयोग करार, कोलम्बो योजना आदि के अन्तर्गत विभिन्न कृषि विकास परियोजनाओं को तकनीकी सहायता मिलती रही। भारत ने भी अन्य देशों को विशेषज्ञों के रूप में तथा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाओं के रूप में सहायता दी।

जम्मू और कश्मीर राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य में शिक्षा संस्थाओं में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है। एक विशेष उपलब्धि यह है कि १९५३ से राज्य में प्रारम्भिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। १९४७-४८ में राज्य में शिक्षा पर ३३.४९ लाख रुपए व्यय होते थे जो कि इस वर्ष बढ़ कर ३ करोड़ रुपए हो गए हैं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ सफलताएं निम्न प्रकार हैं :

* पहली पंचवर्षीय योजना में ५ नए कालेज, ३ पोस्ट-मैट्रिकुलेशन स्कूल, ६९ हाई स्कूल, ४८ मिडिल स्कूल, ७६ केन्द्रीय स्कूल, ३० लोअर स्कूल, ५९ प्रारम्भिक स्कूल और ९० मकतबे और पाठशालाएं खोली गईं।

* दूसरी योजना में कालेजों की संख्या बढ़ कर १३, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की १६०, मिडिल स्कूलों की ५८३, प्रारम्भिक स्कूलों की २८५२, लोअर पोस्ट-मैट्रिक स्कूलों में १२ हो गई है। इस अवधि में छात्रों की संख्या २,१,०,२५६ से बढ़कर २,६७,५८६ हो गई है।

* १३१८ नए एक्टीविटी बेसिक स्कूल खोले गए।
* ६५ प्रारम्भिक स्कूलों को एक्टीविटी बेसिक स्कूलों में बदला गया।
* श्रीनगर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोला गया।
* जम्मू में रनबीरसिंह भोरा और कश्मीर में सोपोट में दो कृषि कालेज खोले गए।
* तीसरी योजना के अन्त में राज्य के हर गांव में एक स्कूल होगा।

: ५ :

# खाद्य

१९६१ में तथा १९६२ के प्रथम चार मास में देश की खाद्य-स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रही। १९६०-६१ में खाद्यान्न के उन्नत उत्पादन के कारण सरकार द्वारा अनाज की खरीदारी में कमी की गई। विदेशों से खाद्य का क्रमशः आयात तथा देश में उसके समुचित वितरण से बाजार पर अच्छा प्रभाव पड़ा। खुले बाजार में खाद्यान्नों की सुलभ उपलब्धि के कारण सरकारी भंडार से अनाज की मांग में कमी हुई और इस प्रकार सरकारी भंडारों में वृद्धि हुई। सरकार ने अनाज की उपलब्धि तथा उसकी कीमतों में सुधार के कारण गेहूं सम्बन्धी कई प्रतिबन्ध हटा दिये। इन प्रतिबन्धों से समूचे देश में गेहूं अथवा गेहूं के पदार्थों को लाने-ले जाने तथा गेहूं पर बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने आदि से सम्बन्धित प्रतिबन्ध थे। जहां तक धान का सवाल है, पूर्ववत् बृहत् क्षेत्रों में काम हो रहा है। किन्तु चावल और मोटे अनाज तथा धान पर बैंक द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रण में कुछ शिथिलता लाई गई।

गेहूं की पैदावार को लगातार बढ़ाते रहने के लिये, जोकि हाल के वर्षों में बढ़ती रही है, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना आवश्यक है, जिसमें किसानों को काम करने की प्रेरणा प्राप्त हो। अतः १९६१ में गेहूं पर से नियंत्रण हटाकर किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि १९६१-६२ की गेहूं की कीमतों में गिरावट नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने सफेद गेहूं की अच्छी किस्मों का न्यूनतम मूल्य १३) प्रति मन निर्धारित किया।

**उत्पादन :** १९६०-६१ में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए मौसम सामान्यतः अनुकूल रहा। १९६०-६१ में अनाज के उत्पादन में पिछले मौसम से कहीं अधिक सुधार हुआ और उसने ७ करोड़ ९३ लाख टन का रिकार्ड कायम किया। १९५९-६० की तुलना में १९६०-६१ के वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :—

| अन्न : | १९५९-६० | १९६०-६१ |
|---|---|---|
| | (लाख टनों में) | |
| चावल | ३०९.६ | ३३७.० |
| गेहूं | १००.९ | १०६.५ |
| अन्य अनाज | २२१.४ | २२४.५ |
| कुल अनाज | ६३१.९ | ६६९.० |
| कुल दालें | ११५.३ | १२४.७ |
| कुल खाद्यान्न | ७४७.२ | ७९२.७ |
| | अथवा ७५९.२ | अथवा ८०५.४ |
| | (मीट्रिक टन) | (मीट्रिक टन) |

देश के कई भागों में बाढ़, भारी बरसात और अनावृष्टि के बावजूद १९६१-६२ में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना अच्छी प्रतीत होती है।

## बाज़ार की कीमतें

देश में खाद्यान्न की कीमतें सामान्यतः संतोषजनक रहीं है। आलोच्य अवधि में वे कठिनाइयां प्रायः बिलकुल दूर हो गईं जोकि दो या तीन वर्ष पहले खाद्यान्न की कीमतों के लगातार बढ़ते रहने से पैदा हुई थीं। अनाजों के थोक मूल्यों का औसत वार्षिक अखिल भारतीय सूचकांक १९५८ में १०५ १९५९ में १०४, १९६० में १०५ और १९६१ में १०२ हो गया था। चावल की कीमतें १९६१ के समूचे वर्ष गत वर्ष से कम रहीं और चावल का अधिकतम मूल्य सूचकांक १९६१ में ११० था जब कि १९६० में ११५ रह चुका था। इसी प्रकार चावल के मामले में भी १९६१ के अधिकांश भाग में कीमतें गत वर्ष की अपेक्षा कम रहीं। लेकिन नम्बर से कीमतें कुछ बढ़ने लगीं जबकि १९६० में इस मास कीमतें कम थीं।

१९६२ के प्रथम चार मास में अनाज का अखिल भारतीय सूचनांक गत वर्ष की तुलना में कुछ अधिक था। मार्च, १९६२ में खाद्यान्न की कीमतों का सूचकांक १०२ था जबकि मार्च, १९६१ में वह १०० ही था। खाद्यान्न के सूचकांक में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि का कारण चावल, गेहूं और ज्वार की कीमतों का कुछ बढ़ जाना है, हालांकि, इस मूल्य-वृद्धि का प्रभाव बाजरा, मक्का, रागी और जौ की कम कीमतों से कम हुआ है। किन्तु १९६२ के मार्च मास तक रबी के खाद्यान्नों की कीमतों में मौसमी गिरावट आनी शुरू हो गई थी। इस प्रकार फरवरी, १९६२ से मार्च, १९६२ के बीच मूल्यों का सूचकांक गेहूं के मामले में १०० से घटकर ९४ और जौ के मामलों में १०३ से घटकर ९८ तथा चने में ९० से घटकर ८२ हो गया था।

**घरेलू खरीद :** १९६०-६१ में केन्द्रीय सरकार ने केवल पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे अतिरिक्त पैदावार करने वाले राज्यों से केवल चावल खरीदा। राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और कुछ हद तक त्रिपुरा के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में चावल और धान की खरीद की। १९६०-६१ में (नवम्बर से अक्टूबर तक) चावल और धान की कुल खरीदारी जो कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने की, ५.५३ लाख मीट्रिक टन थी। जबकि पिछले मौसम में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ९.९५ लाख मीट्रिक टन धान और चावल की खरीदारी की गई थी। १९६१-६२ की फसल के मौसम से लेकर फरवरी १९६२ के अन्त तक केन्द्रीय सरकार की ओर से कुल १.९९ लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदारी की गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपने निजी खर्च से फरवरी, १९६२ के अन्त तक ०.८७ लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे।

पंजाब को छोड़कर जहां कि राज्य सरकार ने २० हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, १९६०-६१ में अन्य कहीं से गेहूं की सरकारी खरीद नहीं की गई।

**बाज़ार में गल्ला :** गत वर्ष की तुलना में १९६०-६१ में आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तथा पश्चिम बंगाल के बाजारों में अधिक चावल उपलब्ध था। इन सब राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश को छोड़कर १९६०-६१ में धान की पैदावार में वृद्धि हुई है किन्तु बिहार, मद्रास, मैसूर और उत्तर प्रदेश की मंडियों में गल्ले की आमद गत वर्ष की अपेक्षा कम रही है। १९६१-६२ की खरीदारी के मौसम में अक्टूबर १९६१ से फरवरी १९६२ तक कई राज्यों में जिनमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मैसूर और मद्रास शामिल हैं, चावल की आमद गत वर्ष की तुलना में अधिक रही।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है पंजाब और उत्तर प्रदेश में अप्रैल, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक मंडियों में गेहूं की आमद गत वर्ष से अच्छी रही जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में गेहूं की आमद पिछले वर्ष की तुलना में कम रही।

**आयात :** १९६१ में कुल ३४.९५ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आयात हुआ जिसमें ३०.९२ लाख मीट्रिक टन मिला था। १९६१ में गेहूं का कुल आयात इस प्रकार हुआ :—

३.९६ लाख मीट्रिक टन की व्यापारिक खरीदारी की गई, २१.२२ लाख मीट्रिक टन पी० एल० ४८० समझौते के अन्तर्गत प्राप्त हुआ, ४.१६ लाख मीट्रिक टन मैंगनीज-गेहूं के अदले-बदले से संयुक्त राज्य अमरीका सम्बन्धी समझौते पर प्राप्त हुआ और १.५८ मीट्रिक टन कोलम्बो योजना के अन्तर्गत देश में आया। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से गेहूं तथा संयुक्त राज्य अमरीका, बरमा और संयुक्त अरब गणतंत्र से चावल का आयात किया गया। इन आयात का उपयोग न केवल वर्तमान उपभोग की आवश्यकता पूर्ति, बल्कि अन्न का भंडार निर्मित करने के लिये भी किया गया।

मार्च, १९६२ तक के प्रथम तीन मास में ५.९४ लाख मीट्रिक टन और १.५४ लाख मीट्रिक टन चावल का भारत में आयात हुआ।

**अन्न भण्डार :** ५० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का एक बृहत भंडार बनाने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये भंडार के स्थान की उपलब्धि तथा गल्ले के परिवहन की समस्या को देखते हुए खाद्यान्न का स्टाक क्रमशः बढ़ाया जा रहा है। मार्च, १९६२ के अन्त में केन्द्रीय सरकार के पास २०.९ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का स्टाक था।

**वितरण :** १९६१ के दौरान केन्द्रीय सरकार के स्टाक से फुटकर व्यापारियों, आटे की मिलों इत्यादि अथवा राज्य सरकार को उसके अपने प्रबन्ध में वितरण के लिये कुल ३३.८ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया गया जिसमें २६.९ लाख मीट्रिक टन गेहूं, ६.५ लाख मीट्रिक गेहूं, ६.५ लाख मीट्रिक टन चावल और ०.४ लाख मीट्रिक टन मोटा अनाज शामिल था।

१९६२ के प्रथम तीन मास में कुल १०.१ लाख मीट्रिक टन गेहूं और मीट्रिक टन चावल था। सरकारी गोदामों में चावल की कीमत १४) प्रति मन थी जबकि सामान्य चावल की कीमत १६) प्रतिमन थी।

**खाद्य सम्बन्धी नियंत्रणों में ढिलाई :** १९६०-६१ में गेहूं की अच्छी फसल की सम्भावना से लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया था कि खासतौर पर अतिरिक्त पैदावार करने वाले राज्यों में गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा घट जाएगी। कीमतें कम करने की दृष्टि से गेहूं सम्बन्धी प्रतिबंधों में कुछ ढिलाई की गयी। ५ अप्रैल, १९६१ से देश भर में गेहूं अथवा गेहूं-पदार्थों के लाने-ले-जाने सम्बन्धी सभी प्रतिबंध हटा दिये गये। १५ मई, १९६१ से गेहूं पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटा लिया गया। देशी गेहूं के खुले बाजार से देशी गेहूं खरीदने की आटे की चक्कियों पर जो रोक लगी हुई थी वह भी हटा ली गयी।

पश्चिम बंगाल में जिसमें बृहत कलकत्ता भी शामिल है, चावल के लाने-ले जाने पर से रोक हटा ली गयी है। फरवरी, १९६२ में आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर तथा पांडिचेरी से गोआ को धान और चावल तथा उनसे बने हुए पदार्थों की निर्यात-अनुमति दी गयी। गोआ दमन में महाराष्ट्र और गजरात राज्यों से खाद्यान्न के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया

**सहायक खाद्यान्न तथा पौष्टिक पदार्थ :** योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धन राशी को देखते हुए तीसरी योजना की अवधि में कई महत्त्वपूर्ण स्कीमें व अन्य दिशाओं में आरम्भिक खोज-पड़ताल के कार्य पर ध्यान देना होगा। यूनीसेफ से सहायता-प्राप्त मूंगफली के आटे की परियोजना के अन्तर्गत बम्बई और कोयम्बटूर में स्थापित दो प्रायोगिक संयन्त्रों का उत्पादन १९६२ के प्रथम भाग में आरम्भ हो गया। मूंगफली के आटे के वितरण का उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। होटलों के प्रबन्ध तथा व्यवस्था की शिक्षा देने के लिये कार्यक्रमों के पुर्नगठन की स्कीम तथा दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के कार्यों की प्रगति की गयी है। आशा है कि दिल्ली में यह संस्था जुलाई, १९६२ से तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना १९६२-६३ में हो जाएगी। पौष्टिकता सम्बन्धी समस्याओं पर अधिक ध्यान देने तथा एक राष्ट्रीय पौष्टिकता नीति को जन्म देने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए खाद्य विभाग में एक पौष्टिकता शाखा खोली गयी है और एफ. ए. ओ. तथा यूनीसेफ की सहायता से एक पौष्टिकता सलाहकार की सेवायें उपलब्ध की गयी हैं। चार पौष्टिकता विस्तार इकाइयां कायम की जा रही हैं और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विस्तार इकाई स्थापित करने का सुझाव विचाराधीन है। इस क्षेत्र में इस वर्ष निम्नलिखित कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है :—

चावल को आधा उबालने की उन्नत प्रविधियां सम्बन्धी अध्ययन का अन्वेषण, हरी वनस्पति से प्रोटीन निकालने की सम्भावनाओं से सम्बन्धी अनुसंधान इत्यादि।

**अन्न भंडार और उनका निरीक्षण :** खाद विभाग के पास १९६१ के आरम्भ में २०.५३ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जमा कर रखने के लिये जगह थी जो कि वर्ष के अन्त में २७.३५ लाख टन और मार्च, १९६२ के आरम्भ में २९.३१ लाख टन अन्न रखने की क्षमता को प्राप्त हो गयी। इस वर्ष कलकत्ते में सीलो-कम-एलीवेटर की स्थापना सम्पूर्ण हुई। अन्य ६.२ लाख टन अन्न जमा करने के लिये भंडार-निर्माण कार्य किये जा रहे । आशा की जाती है कि अन्य ६.९१ लाख टन अन्न जमा करने के लिये भी शीघ्र ही प्रबन्ध आरम्भ किया जाएगा। इसके अलावा १.६५ लाख टन अन्न जमा रखने की क्षमता वाले एक अन्य भंडार के निर्माण सम्बन्धी आरंभिक कार्य में प्रगति हो रही है।

जनवरी, १९६१ से मार्च १९६२ के बीच ३६३.५ लाख टन अन्न जमा करने वाले स्थान की कीटाणु नाशक परिचर्या की गयी साथ ही ५८.६ लाख टन अनाज को कीटाणु नाशक भाप पहुंचाई गयी। अन्य विश्लेषण अनुसंधानी शाखाओं में आयात तथा घरेलू क्रम से प्राप्त खाद्यानों के कुल ४५९१६ नमूनों की जांच की गयी। इसके अलावा विदेशों से प्राप्त खाद्यानों में पौष्टिकता के प्रमाण को जानने के लिये भी रासायनिक परीक्षण किये गये।

**खाद्यान्न का परिवहन :** बन्दरगाहों से देश में अन्दरूनी केन्द्रों तक खाद्यान्न, चीनी, रासायनिक खाद इत्यादि के रेल द्वारा परिवहनों की सुविधाओं का ख्याल केन्द्रीय परिवहन संगठन रखता आया है। १९६१ में केन्द्रीय सरकार की ओर से लगभग ३३.३ लाख टन खाद्यान्न का परिवहन हुआ। इसके अलावा जनवरी माह से मार्च, १९६२ के बीच अन्य ९.४ लाख टन खाद्यान्न रेल द्वारा भेजा गया। केन्द्रीय परिवहन संगठन ने १९६१ में चीनी मिलों से लगभग २३.६१ लाख टन चीनी के परिवहन की सहायता ली।

**चीनी :** १९६०-६१ में चीनी का उत्पादन २९.०१ लाख टन हुआ जो कि अपने आपमें

एक रिकार्ड था। इसका उत्पादन १९५९-६० के उत्पादन से ५.३८ लाख टन अधिक तथा १९५८-५९ के उत्पदान से १०.६२ अधिक है। लेकिन चीनी के उपभोग में समान वृद्धि नहीं हुई जब कि गत वर्ष चीनी की घरेलू खपत के लिये २०.२१ लाख टन चीनी उठायी गयी थी। १९६०-६१ में २०.९५ लाख टन चीनी उठायी गयी। १९६०-६१ में विदेशों के निर्यात के लिये अतिरिक्त ३ लाख टन चीनी मिलों से खरीदी गयी। चीनी की कुल उपलब्धि को देखते हुए उसका उपभोग कम मात्रा में हुआ और इसलिये १९६०-६१ के मौसम के अन्त में चीनी की मिलों के पास ११.८५ लाख टन चीनी बची हुई थी। २८ सितम्बर, १९६१ से चीनी के मूल्यों के वितरण पर परिवहन सम्बन्धी नियंत्रण हटा लिये गये। लेकिन मिलों द्वारा बिक्री के लिये चीनी रिहा करने पर उपभोक्ताओं और गन्ना बोने वालों के खेतों पर नियन्त्रण जारी रखा गया। भारत सरकार ने गन्ना बोने वाले तथा साथ ही चीनी उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए १९ सितम्बर, १९६१ को चीनी (उत्पादन पर नियंत्रण) अध्यादेश, १९६१ द्वारा १९६१-६२ के चीनी के उत्पादन को नियंत्रित करने का निश्चय किया। उत्पादन पर नियंत्रण पाने के लिये की गयी इन कार्यवाहियों से गन्ना बोने वालों में शंका पैदा होने लगी कि खेत में खड़े गन्नों की खपत मिलों में हो सकेगी या नहीं। जिन मिलों ने कम उत्पादन किया है उनको अतिरिक्त उत्पादन करने वाली मिलों से अपने स्टाक को स्थानांतरित करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

चीनी के उत्पादन में वृद्धि से उसके निर्यात की कोशिश की गयी। संयुक्त राष्ट्र अमरीका को भेजे जाने वाली चीनी के कोटे पर से १.४७ लाख मीट्रिक टन चीनी ३१ दिसम्बर, १९६१ तक अमरीका भेजी गयी। जनवरी से मार्च, १९६२ के बीच अतिरिक्त ०.४३ लाख मीट्रिक टन चीनी भी भेजी गयी। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत भारत को प्राप्त निर्यात कोटा में से १.८१ लाख मीट्रिक टन चीनी अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भेजी गयी। जनवरी से मार्च, १९६२ के बीच इन देशों को फिर ३,८१६ मीट्रिक टन चीनी भेजी गयी। इस समय संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सिवा अन्य देशों की मंडियों में चीनी के निर्यात पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन कोटा निर्यात करने से सम्बन्धित निर्णय पर समझौता करने में असमर्थ रहा और इसलिये फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार बिना कोटा निर्यात हुए क्रियान्वित हो रहा है। चीनी के निर्यात में वृद्धि लाने के लिये और भी कोशिशें की जा रही हैं और इस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में लगभग १ लाख मीट्रिक टन चीनी की बिक्री की जा चुकी है। इसके अलावा जून, १९६२ के अंत में संयुक्त राष्ट्र अमरीका को ५० हजार संक्षिप्त टन (कच्चा मूल्य) चीनी भेजने का प्रबन्ध किया गया है।

चीनी की निकटतम दर जो कि गेट डिलिवरी १.६२ न० पै० प्रति मन और रेलवे डिलीवरी (कच्चा-मूल्य) १.५० न०पै० प्रति मन थी, १९६२ में भी जारी रही।

## वनस्पति

१९६१ में वनस्पति का उत्पादन ३.३९ लाख मीट्रिक टन हुआ जब कि १९६० में यह उत्पादन ३.३८ लाख मीट्रिक टन था।

COUNT ON

# CAPSTAN*

JWTCC 188A

: ६ :

# उद्योग और वाणिज्य

इस वर्ष संतोषजनक औद्योगिक प्रगति हुई है। उद्योगीकरण से ही देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए एक टिकाऊ नींव कायम हो सकेगी। भारी उद्योग तथा लघु और ग्रामोद्योगों के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। दूसरी योजना में पूंजीगत वस्तुओं के अनेक उद्योग चालू किए गए। तीसरी योजना का लक्ष्य विकास की इस गति को और तेज कर देना है। निजी और सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष ६.६ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत कुछ विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण आयात में कमी आई है। आयात १३ प्रतिशत गिर गया जब कि निर्यात ५ प्रतिशत बढ़ गया। लंका, ईरान, अफगानिस्तान और जौर्डन के साथ नए व्यापार करार किए गए और ईराक, फ्रांस तथा यूनान के चालू करारों को फिर से नया कर दिया गया।

## उत्पादन

१९६१ के पहले १० महीनों के लिए मासिक उत्पादन का सूचक अंक पिछले वर्ष की इसी अवधि के १६७.८ की तुलना में १८०.५ था जो कि ७.६ प्रतिशत अधिक था। जब कि सभी उद्योगों ने उत्पादन में वृद्धि की है किन्तु बिजली के ट्रान्सफार्मर, बिजली के तार, मशीन, औजार, बिजली की मोटरें, घिसाई के चक्के, सोडाएश, कास्टिक सोडा, गन्धक का तेजाब, आक्सीजन गैस के उत्पादन में हुई वृद्धि विशेष उल्लेखनीय है। इस वृद्धि में कपड़ा और तागे का अच्छा योग रहा है और चाय, काफी, रबड़ और कच्चे जूट के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में जूट की फसल लगातार खराब होने के कारण इस वर्ष के अधिकांश में जूट उद्योग को एक बड़े ही कठिन समय में से गुजरना पड़ा, किन्तु साल के अन्त में स्थिरता के लक्षण दिखाई दिए।

## नयी वस्तुओं का उत्पादन

औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के रुख का इस बात से पता चलता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने के लिए कितने आवेदन-पत्र आये। १९६० के ३,४६७ से बढ़कर इनकी संख्या १९६१ में ४,०१२ हो गई है। उत्पादान के अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा विविध उत्पादन करना और बिल्कुल नयी वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना, व्यापक आधार वाली औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विशेषतः सूचक हैं। इस वर्ष जिन नयी वस्तुओं का निर्माण आरम्भ हुआ है उनमें हाईड्रोलिक प्रेस, गैस द्वारा कटाई की मशीनें, सिन्टर्ड बेयरिंग, घड़ियां, रेडियो-वाल्व, कम्प्रेशर (सील्ड इकाई), बड़े केमरे, रिडक्शन गीयर यूनिट, पोटेशियम परमैंगनेट, आरगन गैस, अमोनियम फास्फेट और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट युक्त उर्वरक ब्यूटाइल अलकोहल, ब्यूटाइल एसीटेट, प्लास्टीसाइज्ड पोलीविनाइल क्लोराइड, मिथाइलवाईलट, विटामिन बी-६ और सी तथा कारबोक्सी मिथाइल सैल्यूलोज आदि के नामों का उल्लेख किया जा सकता है।

## पूंजीगत माल का आयात

पूंजीगत माल के आयात के लिए १९६१ में जितने आवेदन-पत्र निबटाए गए थे उनकी कीमत लगभग १६४ करोड़ रु० है। इसका एक बड़ा भाग कागज और लुगदी उद्योग, रसायन, सूती के अलावा अन्य कपड़े, मोटर-गाड़ियां और इंजीनियरिंग उद्योगों को दिया गया है। मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से प्राप्त सहायता ने देश के लिए आयातों के एक बड़े हिस्से की कमी पूरी करने में काफी मदद दी है।

## मशीन निर्माण उद्योग

अनेक प्रकार की मशीनों और उपकरणों को बनाने और रचना करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में अनेक परियोजनायें शुरू की गई हैं। भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रीकल प्लांट भी, जो कि नवम्बर, १९६० से उत्पादन करने लगा है, इस वर्ष पहली बार बिजली के ट्रान्सफार्मरों स्टेटिक कैपेसिटरों, थरमक वैल्डिंग सेटों आदि का निर्माण करने लगा। रानीपुर में हैवी इलैक्ट्रीकल प्लांट और तिरुचिरापल्ली में हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट की स्थापना में भी काफी प्रगति हो चुकी है। जब हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की परियोजनायें—रांची में भारी मशीनें बनाने के संयंत्र और दुर्गापुर में कोयला खनन मशीनों की पूरी हो जायगी तो मशीन निर्माण की क्षमता और भी बढ़ जायगी। वर्धा में भारी प्लेट और वसल बनाने का कारखाना स्थापित करने में भी काफी प्रगति हो रही रही है।

इस समय हम प्रति वर्ष लगभग २०० करोड़ रु० मूल्य की औद्योगिक मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं। इनके अन्तर्गत २९·५० करोड़ रु० कागज उद्योग की मशीनों, १६ करोड़ रु० के रसायन संयंत्र और मशीनों,६·३३ करोड़ रु० की इमारत निर्माण मशीनों, ४.२० करोड़ रु० की चीनी मिलों की मशीनों और २ करोड़ रु० की चाय परिष्करण की मशीनों का निर्माण करने की क्षमता भी शामिल है। हम लगभग ५५ हजार मोटरगाड़ियां, २० हजार मोटर साइकिलें, स्कूटर और तीन पहिए की गाड़ियां, ९,२५० डीजल इंजन, १,१४,५०० शक्ति चलित पम्प और ४,१४,०००, अश्व शक्ति के बिजली के मोटर भी तैयार कर रहे हैं। निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात और अन्य आधारभूत कच्चे मालों की उपलब्धि बढ़ जाने से मशीनें बनाने वाले उद्योगों का उत्पादन भी काफी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ-साथ उन उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है जो इस उद्योग की जरूरत का आवश्यक कच्चा माल और हिस्से-पुर्जों का निर्माण करते हैं।

## इन्जिनियरिंग उद्योग

तार के रस्से, नौकायें, ढांचे, क्रेन और लिफ्टें, इस्पाती नल और नालियां बनाने वाले भारी मशीन, यांत्रिक उद्योगों को अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। टाइप राइटर, मशीनी पेच, डुप्लीकेटर, सेफ्टी रेज़र के ब्लेड आदि हल्के मशीन यांत्रिकी उद्योगों का उत्पादन भी बराबर बढ़ता रहा है। बाइसिकिलों की कीमतें ऊंची होने के कारण बाइसिकिल उद्योग में कोई खास प्रगति नहीं हुई। सिंटर्ड बेयरिंग, जूते बनाने का सामान, घड़ियां देश में पहली बार बनाई गई। शल्य-चिकित्सा के यन्त्र, गणक मशीनें और कार्यालयों में काम आने वाले अन्य उपकरणों की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी है। विद्युत इंजीनियरी उद्योगों में बिजली की बत्तियां, फ्लरो-

सेन्ट ट्यूब, रेडियो रिसीवर, बिजली के पंखे, एअरकंडीशनर, घरेलू मीटर, अलूमीनियम कण्डक्टर, बिजली के केबिल, बिजली से मोटर, टांसफार्मर, माप-यन्त्र और स्विचगियर तथा कन्ट्रोलगियरों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कम्प्रेशर (मोहरबन्द) एअर कण्डीशनरों को चलाने का उपकरण, रेडियो-वाल्व, फोर्क-लिफ्ट ट्रकों के लिए संग्रह-बैटरियां इत्यादि देश में पहली बार बनाई गई। मशीनी औजारों का उत्पादन बढ़ कर ८ करोड़ रु० तक का हो जाने की आशा है जिसमें से लगभग आधा निजी क्षेत्र में होगा। रेम-थरेट मिलिंग मशीनें, ढलाई की मशीनें, हाईड्रोलिक प्रेस, गैस द्वारा काटने की मशीनें, और डिप्रेस्ड सेन्टर व्हील आदि मशीनों औजारों का पहली बार निर्माण किया गया। वैज्ञानिक यंत्रों का उत्पादन भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है और चिकित्सा सम्बन्धी थर्मामीटर, बाक्स कैमरों, थियोडोलाइट और सूक्ष्मदर्शक यन्त्रों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

## रसायनिक उद्योग

रसायनिक उद्योगों के क्षत्र में गन्धक तेजाब, कास्टिक सोडा, सोडा एश कैल्शियम कार-बाइड और ब्लीचिंग पाउडर में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पोटेशियम परमेंगनेट का उत्पादन पहली बार किया गया। उर्वरकों के क्षेत्र में अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेड का उत्पादन भी आरम्भ किया गया। फास्फेट और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, जैसे सुपर-फास्फेट, अमोनियम सल्फेट यूरिया, डबल साल्ट अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। ब्यूटाइल मद्यसार, ब्यूटाइल एसीटेट, प्लास्थीसाइजर्स पकाने का खमीर, और प्लास्टिक का कच्चा माल भी पी वी सी जैसे प्रागांरिक रसायनों का पहली बार उत्पादन शुरू होना रसायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यूरिया, फिनाल-फार्यल्डीहाइड रालें, पोलीथीन और फेना-लिक लेमिनेटों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के रसायन उद्योग के ढांचे में सब से बड़ी एक कमी यह थी कि भेषजों रंगों और प्रांगारिक रसायनों का निर्माण पूरी तौर से विदेशों से मंगाये गए आर्गनिक कैमीकल्स लि० की परियोजनाएं पूर्ण हो जाने पर यह कठिनाई बहुत कुछ दूर हो जायगी। आलोच्य वर्ष में विटामिन बी० और सी० पहली बार तैयार की गई और ट्रेट्रासाइ-क्लीन और आर्सीटेट्रासाइक्लीन का मूलभूत निर्माण भी आरम्भ किया गया। पेन्सिलीन, टेट्रासा-इक्लीन, सल्फाड्रस, निकोटिनिक एसिड आक्साइड तथा विटामिन-बी १२ के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि पाई हैं।

## सरकारी और निजी क्षेत्र

सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मद्रास के उपयुक्त स्थलों पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने के हेतु विशाल संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये हैं।

औद्योगिक उत्पादन की प्रगति बिजली उत्पादन की क्षमता से भी अधिक रही और कुछ उद्योगों में बिजली की कमी भी महसूस की गई। औद्योगिक गतिविधियों की बढ़ती हुई गति ने देश की परिवहन क्षमता पर भी काफी दबाव डाला है। इन समस्याओं का यथोचित और तुरन्त हल निकालने के लिए सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

## औद्योगिक लाइसेंस

उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन लाइसेंस जारी करने

को संक्षिप्त और शीघ्रता से करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। निजी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रमशः सरकारी स्वीकृति, औद्योगिक लाइसेंस, पूंजीगत माल के लिए आयात लाइसेंस और विदेशी सहयोग की स्वीकृति आदि विभिन्न स्तरों से लगातार पास करते रहने के लिए अब एक समन्वयकारी अभिकरण स्थापित कर दिया गया है। नई दिल्ली में भारतीय विनियोजन केन्द्र की स्थापना जिसकी एक शाखा न्यूयार्क में खोली गई है—भारतीय औद्योगिकों और विदेशी पूंजी तथा प्राविधिक कौशल को एक दूसरे के समीप लाने में एक बहुत बड़ा कदम है। विदेशी सहयोग के जिन करारों पर १९६१ में सरकार ने स्वीकृति दी है उनकी संख्या ४०० से भी अधिक है जबकि १९६० में यह संख्या ३९०, १९५९ में १७२ और १९५८ में १०९ थी। मशीन निर्माण उद्योग और कांच तथा चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए दो और विकास परिषदें क्रमशः मार्च और अक्टूबर १९६१ में बनाई गई जिनसे इन परिषदों की संख्या अब १९ हो गई हैं।

## लघु तथा ग्राम उद्योग

अधिक व्यक्तियों को काम देने और आमदनी का अधिक औचित्यपूर्ण वितरण करने के जो उद्देश्य योजना में रखे गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए लघु तथा ग्राम उद्योगों ने भी महत्वपूर्ण योग दिया। सरकार लघु उद्योगों की समस्याओं की ओर विस्तार से ध्यान देती रही। उसने इन्हें वित्तीय, प्राविधिक और अन्य प्रकार की सहायतायें प्रदान कीं, जो कच्चे माल के विषय में विशेषतः थी। नई योजनाओं के विकास के लिए १९६०-६१ में राज्य सरकारों के अनुदान और ऋण में ५११ लाख रु० की केन्द्रीय सहायता स्वीकार की गई। स्टेट बैंक आफ इण्डिया भी अपनी विभिन्न शाखाओं द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देता रहता है। भारत सरकार की गारण्टी योजना के अधीन लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को भी उत्साहित किया जा रहा है। द्वितीय योजना की समाप्ति पर ६७ से अधिक ओद्योगिक बस्तियां चालू हो गई थीं जिनमें लगभग ३० हजार व्यक्तियों को काम मिला हुआ था।

ग्रामीण क्षेत्र में खादी और ग्राम उद्योग लोगों को जीविका के अवसर प्रदान करते रहे। अनुमान है कि खादी और अम्बर मिश्रित कपड़े के निर्माण में १७·३६ लाख व्यक्ति अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से लगे हुए है। लगभग ६ लाख व्यक्ति, ग्राम उद्योगों में लगे हुए हैं। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने १९६१-६२ के लिए १७·३६ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की थी।

बागान उद्योग ने इस वर्ष कुल मिलाकर सन्तोषजनक प्रगति की है। चाय का कुल उत्पादन १९६० में ७१७३ लाख पौण्ड रहा जो कि १९६० के कुल उत्पादन से ६४६ लाख पौण्ड अधिक है।

## विदेशी व्यापार

समीक्षाधीन अवधि में भारत के विदेशी व्यापार की मत्हवपूर्ण विशेषता यह रही कि व्यापार के घाटे में काफी कमी हो गई। अप्रैल से जनवरी १९६१ में यह घाटा १९६० की इसी अवधि की तुलना में ३० प्रतिशत और कम हो गया। आयात १३ प्रतिशत गिर गया जबकि निर्यात

५ प्रतिशत बढ़ गया। पुनर्निर्यात में ५ करोड़ रु० की कमी हो जाने पर भी कुल निर्यात की स्थिति में सुधार हो गया।

## निर्यात

अप्रैल से नवम्बर १९६१ में कुल निर्यात ४४३ रु० का हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में ३८ करोड़ रु० अधिक है। जूट की बनी वस्तुओं और चीनी, प्रत्येक १२ करोड़ रु०, कच्ची और रद्दी रुई (८ करोड़ रु०) तथा चाय (४ करोड़ रु०) के निर्यात में काफी वृद्धि हुई। चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुओं, कच्ची ऊन, कोयर के रेशों, धागे तथा उससे बनी वस्तुओं, खली और लोहे के कबाड़ एवं इस्पात में प्रत्येक का निर्यात भी लगभग एक-एक रु० बढ़ गया है। अप्रैल से नवम्बर १९६१ में अप्रैल से नवम्बर, १९६० की तुलना में जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात मूल्य में कम हो गया है : ये हैं सूती कपड़ा मैंगनीज खनिज और अनुड़नशील वनस्पति तेल, गोद, राल एवं लाख तथा बिना साफ की हुई खालें और चमड़ा।

## आयात

सीमाशुल्क अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल से नवम्बर १९६१ में कुल ५९९ करोड़ रु० के मूल्य का आयात किया गया जबकि अप्रैल से नवम्बर, १९६० में ६९२ करोड़ रु० के मूल्य का आयात हुआ था। आयात में कमी मुख्यतः अनाज में हुई। इस अवधि में इसके आयात के आंकड़े २६ करोड़ रु० हैं, जबकि (अप्रैल से नवम्बर) १९६० में ये आंकड़े ११७ करोड़ रु० थे। अन्य जिन प्रमुख वस्तुओं के आयात में कमी हुई उनके नाम हैं: लोहा और इस्पात, कच्ची कपास तथा रसायन।

## निर्यात संवर्धन

निर्यात संवर्धन के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए गए। निर्यात संवर्धन के लिए उपाय खोजने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए मंत्रिमंडल की एक उप-समिति बना दी गई है जिसकी सहायता एक सचिव समिति करती है। कोचीन क्षेत्र के लिए भी एरणाकुलम में एक बन्दरगाह निर्यात संवर्धन सलाहकार समिति बना दी गई है। इस वर्ष समुद्र से उत्पादित वस्तुओं के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद तथा चार और विशेष निर्यात संवर्धन योजनायें भी बनाई गईं। शुल्कों की वापसी के लिए इस योजना में कुछ और वस्तुएं शामिल कर दी गई है जैसे कागज की बनी चीजें, कम तनाव वाले स्विचगियर, मोटर स्टार्टर, जूट के बोरे आदि। मिठाई की गोलियों, रेडियो ग्वार, गम और बीज, खिडकियों के कांच की चादरें, बिजली के मोटर इत्यादि के रेल भाड़े में भी ५० प्रतिशत छूट दे दी गई है। कान्फ्रेन्स वाली जहाजी कम्पनियों से जिन वस्तुओं का समुद्री भाड़ा कम करा लिया गया है उनके नाम ये हैं: छिलके सहित मूंगफली, इलायची, सूती थान, चाय, काफी, चावल की भूसी आदि। अनेक चीजों के निर्यात से कंट्रोल हटा लिया गया है जैसे मुर्गी-मुर्गे आदि, चावल के बने पदार्थ, शीरा, कुछ तिलहन, सीमेंट इस्पात पुनर्वलित इस्पाती पाईप, बेन्जीन, भेड़ें और बकरियां आदि। नवम्बर १९६० में नियुक्त की गई किस्म नियंत्रण तथा जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी तदर्थ समिति ने मई १९६१

में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। ये इस प्रकार हैं:—निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण करने के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार देना तथा उन नई वस्तुओं के बारे में विचार करने के लिए जिनकी किस्म का अनिवार्य रूप से नियंत्रण किया जाना चाहिए, एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार परिषद स्थापित करना। काजू की गिरी, काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, अरण्डी का तेल, मशीनी कोल्हू से तैयार की गई खली, अखरोट और बहेड़े पर अनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण लागू करने का निश्चय किया गया है निर्यात व्यापार की भली प्रकार व्यवस्था करने के लिए सरकार ने निर्यातकों के लिए एक नामाकंन योजना तैयार की है जिसके अधीन किसी भी निर्यातक को तब तक निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वस्तु बोर्ड में अपना नाम न दर्ज करवा लिया हो। निर्यात के लिए दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अब सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार कर रही है।

## मुदलियार समिति

आयात व निर्यात व्यापार नियंत्रण विनिमयों के अधीन वर्तमान प्रक्रिया का पुनरावलोकन करने और उसमें वांछित परिवर्तन सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए श्री ए० रामस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में आयात व निर्यात नीति समिति स्थापित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस समिति ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वर्तमान कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयातों की प्राथमिकताओं पर विचार किया और निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों, जैसे निर्यात नियंत्रण में ढील, प्रोत्साहन, राजस्व तथा अराजस्व विषयक युक्तियों की कुशलता का पुनरावलोकन भी किया।

चालू साल में अनेक वस्तुओं, जैसे औजार और काटने के उपकरण कारखानों में से हवा खींचने के पंखे, धौंकनियां, बुनाई की मशीनों के हिस्से-पुर्जे आदि के आयात कोटा निश्चित करने के लिए आधारभूत अवधि बढ़ाई गई। कुछ वस्तुओं, जैसे चमकदार नरम चादरें, काटी हुई छड़ें, गोली तथा बेलन बेयरिंग विशेष प्रकार के पम्प आदि के सम्बन्ध में वैधता की अवधि बढ़ाई गई। लाइसन्सों की पुनरावृत्ति करने की योजना भी अप्रैल, १९६१ मार्च १९६२ की अवधि में जारी रही।

## व्यापार करार

लंका, ईरान, अफगानिस्तान और जोर्डन के साथ नए व्यापार करार किए गए तथा ईराक, फ्रान्स और यूनान के चालू कनारों को फिर से नया कर दिया गया। इस वर्ष जिन अनेक देशों से व्यापार प्रतिनिधि-मंडल, भारत आये उनमें फ्रांस, मिश्र, ट्यूनिसिया, हालैंड, इटली, पौलैंड, रुमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, चैकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, अफगानिस्तान, जोर्डन, मोरक्को, मलाया तथा नेपाल शामिल हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपने निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य निगम यूरोप की कुछ व्यापारिक कम्पनियों से बातचीत कर रहा है। ब्रिटेन के

यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के निर्णय से कुछ चिन्ता उत्पन्न हो गयी है और सरकार इस समय स्थिति का अध्ययन कर रही है।

**विविध**—वर्ष १९६१ के बजट, वर्षा और शीत-कालीन सत्रों में इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए जो सात विधेयक संसद ने पास किए उनके नाम ये हैं— खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, नमक उप-कर (संशोधन) विधयक, काफी (संशोधन) विधेयक, उद्योग (विकास तथा नियमन) संशोधन विधेयक, भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्ह) संशोधन विधेयक, विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) विधेयक तथा भारतीय तटकर (संशोधन) विधायक। लाख पर निर्यात शुल्क लाने के बारे में मंत्रालय द्वारा पेश किया गया एक संकल्प भी संसद ने स्वीकार कर लिया।

दिसम्बर १९६१ को समाप्त होने वाले १३ महीनों में १८०२ नई कम्पनियां (अधिकृत पूंजी ३३५ करोड़ रु०) दर्ज की गई जबकि नवम्बर १९६० में समाप्त होने वाले ११ महीनों में १,४७८ कम्पनियां (अधिकृत पूंजी २४३ करोड़ रु०) दर्ज की गई थीं, जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था।

: ७ :

# जन-स्वास्थ्य

प्रत्येक मनुष्य का यह मूलभूत अधिकार है कि उसे स्वास्थ्य की अधिकतम सुविधाएँ मिलें। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अतः यहाँ की राष्ट्रीय विकास योजनाओं में स्वास्थ्य स्कीमों पर विशेष बल दिया गया है। आजादी के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उनका कारण न केवल अच्छी स्वास्थ्य-सेवाओं की व्यवस्था है, बल्कि मलेरिया, तपेदिक, फिलेरिया कुष्ट आदि जैसे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और उन्मूलन के लिए उठाये गए कदम भी हैं। सरकार को पहली पंचवर्षीय योजना अवधि की कुछ स्कीमों की सफलता से बढ़ावा मिला और उसने कुछ संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए उपाय किये।

## संक्रामक रोग

**मलेरिया :** राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम १९५३ में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया के कीटाणुओं को मारने के लिये घरों तथा अन्य स्थानों में डी. डी. टी. का छिड़काव किया जाता है। इस नियंत्रण कार्यक्रम को अप्रैल, १९५८ में उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। १९६१ का वर्ष इस कार्यक्रम का चौथा वर्ष था। इस कार्यक्रम का निर्माण इस ढंग से किया गया कि समूचे देश को इस रोग से बचाया जा सके और शीघ्र से शीघ्र इस रोग का पूर्णतया उन्मूलन किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्थानों पर जहां कि मलेरिया की बीमारी फैलती है, डी० डी० टी० का सघन छिड़काव किया जाता है तथा मलेरिया के रोगियों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाता है।

इस अभियान को काफी महत्त्व दिया गया है और इस का पता इस तथ्य से चलता है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ६७,०८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़ाकर लगभग ५५ करोड़ रुपये कर दी गयी है। विश्व के किसी भी भाग में कभी इतना बड़ा जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं अपनाया गया।

१९६१-६२ में सभी ३९० यूनिटों में छिड़काव कार्य जारी रहा। १९६१-६२ में पहली बार पाण्डिचेरी में मलेरिया उन्मूलन का कार्य शुरू किया गया। आलोच्य वर्ष में ३४४ इकाइयों में निरीक्षण कार्य शुरू किया गया और शेष इकाइयों में शीघ्र ही यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अपनी पूर्णता पर पहुंचने से पहले ही इस कार्यक्रम के उल्लेखनीय परिणाम सामने आने लगे। अब इस रोग से मरने वाले रोगियों की संख्या न के बराबर है और इस रोग में ग्रस्त होने वाले रोगियों की संख्या भी लगभग ८० प्रतिशत कम हो गयी है। मलेरिया का अनुपाती रोग दर भी काफी घट गया है और अस्पतालों और औषधालयों में इलाज किये गये सब रोगों के रोगियों में लाक्षणिक मलेरिया रोगियों का प्रतिशत १९६१-६२ में घटकर ०,६ प्रतिशत रहा जबकि १९५३-५४ और १९६०-६१ में यह प्रतिशत क्रमशः १०·८ और १·३ था।

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में वैक्टर और प्राग्राहीय परीक्षण जारी रहे। इस बात की पूरी संभावना है कि इस अभियान की वर्तमान गति को जारी रखा जाएगा और यह कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा ताकि तीसरी योजना के अन्त तक इस रोग का पूर्णत: उन्मूलन हो सके।

**तपेदिक :** तपेदिक नियन्त्रण के लिए जो सामान्य और विशेष उपाय शुरू किये गये थे वे आलोच्य वर्ष में जारी रहे। इन उपायों के अन्तर्गत बीसीजी के टीके लगाने, क्लीनिकों की स्थापना, रोगियों को घर पर सहायता उपलब्ध करना, अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक शैयाओं की व्यवस्था तथा प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना सम्मिलित है।

देश की लगभग आधी जनसंख्या का तपेदिक परीक्षण तथा एक चौथाई जनसंख्या को टीके लगाये जा चुके हैं। अब इस अभियान के अन्तर्गत कम आयु के व्यक्तियों पर, जिनको कि इस रोग केजल्दी पकड़ने की सम्भावना होती है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना बनाई गयी है कि हर जिले में कम से कम एक तपेदिक क्लीनिक हो और यह क्लीनिक ही तपेदिक विरोधी गतिविधियों का केन्द्र हो। अनेक केन्द्रों में जन-आधार पर रेडियोलोजी परीक्षण करने तथा अन्य सर्वेक्षण किये जाने तथा घर पर उपचार की अधिक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही उपचार के लिये उचित मूल्य पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध करने की भी व्यवस्था की जा रही है। देश में इस समय १७४ बी. सी. जी. दल कार्य कर रहे हैं। नागपुर, मद्रास, हैदराबाद पटियाला, बंगलौर, नई दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में आठ तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्रों ने आलोच्य वर्ष में भी अपना कार्य जारी रखा।

**फिलेरिया :** राष्ट्रीय फिलेरिया कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को जन-आधार पर औषधियाँ दी जाती हैं और कीटाणु नाशक उपाय अपनाये जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए २.३७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जिन राज्यों में यह रोग फैलता है, उनमें १९६० में ४७ फिलेरिया नियन्त्रण यूनिट स्थापित किये गये थे जिन्होने १९६१-६२ मे भी अपना कार्य जारी रखा। सामूहिक चिकित्सा आन्दोलन के अधीन ४.३७ लाख व्यक्तियों को डाइयिलकारवेमेजीन दवा दी गयी। २.४९ लाख घरों में अव-शेषयी कीटनाशी दवाई छिड़की गयी। लारवा निरोधी उपाय भी इन इलाकों में बरते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब तक २४८.३ लाख लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। पहले अनुमान लगाया गया था कि देश के फिलेरिया-ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग २ करोड़ ५० लाख व्यक्ति रहते थे। लेकिन नवीनतम अनुमानों के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग ६ करोड़ ४० लाख आदमी रहते हैं।

**कुष्ट रोग :** कुष्ट नियन्त्रण कार्यक्रम १९५४-५५ में शुरू हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को राज्य योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया। विभिन्न राज्यों में इस समय चार उपचार एवं अध्ययन केन्द्र तथा १३३ सहायक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। सहा-यक केन्द्रों का कार्य हर केन्द्र में इस रोग के आरम्भिक स्तर पर ही उसका पता लगाने के लिये

लगभग ६० हजार आबादी का सर्वेक्षण करने, जन-स्तर पर भी उपचार करने, तथा स्वास्थ्य की शिक्षा देने के कार्य का भार सौंपा गया है।

१९६०-६१ में राज्यों और केन्द्रों के लिए ४४.१५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। नागपुर के मेडीकल कालेज और अस्पताल में डाक्टरों को एक अल्पकालीन प्रशिक्षण देने की एक स्कीम मंजूर हो चुकी है। यहाँ हर वर्ष विभिन्न राज्यों के ६० चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक इस प्रकार के ७ प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम चलाये जा चुके हैं। हर राज्य के जन-स्वास्थ्य विभागों के चिकित्सा अधिकारियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम गांधी स्मारक कुष्ट फाउन्डेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है।

**चेचक :** केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों के अनुसार हर राज्य के एक जिले तथा दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी है। ये परियोजनाएँ तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने के लिए प्रारम्भिक उपाय के रूप में शुरू की गयी थी। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६६८.९८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम १९६२ में समूचे देश में शुरू कर दिया जाएगा। निश्चय किया गया है कि तीसरी योजना अवधि में समूची आबादी को चेचक विरोधी टीके लगा दिये जाएंगे। एक बार जब यह काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद केवल नवजात बालकों तथा स्कूली बालकों को टीके लगाने का कार्य ही करना शेष रहेगा।

**रति रोग :** रति रोग नियन्त्रण की स्कीम को तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम के रूप में सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकारों ने पहली और दूसरी योजनाओं के दौरान में खोले गये रति रोग क्लीनिकों के कार्य को जारी रखने की वित्तीय की व्यवस्था है।

पंजाब की कुलू घाटी तथा हिमालय प्रदेश में जहाँ सघन आन्दोलन चलाये गये थे, रति रोगों के प्रसार में कमी की सूचना मिली है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में याज निरोधी अभियान जारी रखा गया।

आशा है कि १९६२ के अन्त तक प्रारम्भिक सर्वेक्षण स्तर पर इन राज्यों में याज-विरोधी कार्य पूरा हो जाएगा। इसके उपरान्त इस कार्यक्रम को जन-स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के कुछ अधिक समय तक चलने की सम्भावना है।

**रोहे :** भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और बाद में यूनीसेफ की सहायता से अक्टूबर, १९५६ में रोहे नियन्त्रण प्रयोगिक परियोजना शुरू की थी और इस परियोजना का प्रशासन भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की देख-रेख में चलता था और इसके लिये ५.६० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्ययन किये जा चुके हैं :

(१) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्राथमिक महामारी विज्ञान सर्वेक्षण (१९५६-५८)।

(२) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और पंजाब राज्यों के विभिन्न भागों में विभिन्न उपचार परीक्षण (१९५६-५८)।

आलोच्य वर्ष में यह निम्निलिखित अध्ययन जारी रहे :—

(१) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में रोहे-नियन्त्रण के सामूहिक प्रचार के लिए क्षेत्र परीक्षण।

(२) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों में भारत में रोहे रोग कहाँ-कहाँ व्यापक है, उसका भौगोलिक आधार पर एक सांख्यकी मानचित्र तैयार करने के प्रबन्ध के लिए सर्वेक्षण।

मैसूर, और जम्मू-काश्मीर राज्यों में भी इन परीक्षणों को शुरू करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।

**पत्तन स्वास्थ्य :** ६ बड़े बन्दरगाहों—कलकत्ता, विशाखापट्टम, मद्रास, कोचीन, बम्बई और कांदला तथा बम्बई (शान्ताक्रूज) कलकत्ता (दमदम), मद्रास (मीनांबत्तम), त्रिचिरापल्लि और दिल्ली (पालम) के पांच अन्तर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों का संग्रारोधन प्रशासन इस वर्ष संतोषजनक रूप से कार्य करता रहा। छोटे-छोटे पत्तनों का संग्रारोधन प्रशासन राज्य सरकारें चलाती हैं। अमृतसर विमान-पत्तन (राजासांसी) में भी अल्पकालिक स्वास्थ्य-सफाई की व्यवस्था है। कारनिकोबार, पोर्टब्लेअर और अहमदाबाद, पूना, बेगमपेट, लखनऊ, इलाहाबाद, गया, और नागपुर के व्यपवर्त-नीय विमान पत्तनों पर भी स्वास्थ्य-सफाई की अल्पकालिक व्यवस्था मौजूद है। प्रमुख पोत-पत्तनों की पोत-पत्तन-स्वास्थ्य समितियों की तरह ही अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर भी सफाई, मच्छर निरोधी कार्य, कृन्तक रोधी कारी आदि के समन्वय तथा भली प्रकार देख-रेख के लिए विमान-पत्तन स्वास्थ्य समितियाँ स्थापित की गयीं। सामुद्रिकों के पूर्व प्रवेश तथा सामयिक परीक्षा की योजना ने संतोषजनक प्रगति की है। सामुद्रिकों से सम्बन्धित प्रयोगशाला तथा अन्य आवश्यक परीक्षणों का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है।

**राष्ट्रीय जल-प्रदाय एवं स्वच्छता और सफाई कार्यक्रम :** स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा अगस्त-सितम्बर, १९५४ में चलाया गया राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में चालू रखा गया है। इस कार्यक्रम के अधीन नगर जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजनाओं के लिए ८८.९५ करोड़ रुपये तथा ग्राम जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजना के लिए १६.३३ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्यों को दी जाने वाली सहायता के नमूने में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे नगर जल प्रदाय और सफाई योजनाओं के लिए कर्ज और ग्राम जल प्रदाय योजनाओं के लिए ५० प्रतिशत सहाय्यानुदान दिया जाता रहेगा। यह भी निश्चित किया गया है कि जिन ग्राम जल प्रदाय योजनाओं में इंजीनियरी कला तथा अनुभव की आवश्यकता है और जिससे व्यक्तिगत गांवों को ही लाभ हो उन्हें भी राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम) के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

स्वास्थ्य व्यवस्था के महानिदेशालय का केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रशासन में तथा राज्य सरकारों को उनके जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजनाओं के तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में प्राविधिक मंत्रणा तथा मार्गदर्शन देने में स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता करता है। इस संगठन के तत्वाधान में लोक स्वास्थ्य इंजी-नियरी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं। संगठन के इंजीनियरी स्थानिक निरी-क्षणों एवं प्राविधिक मंत्रणा के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। यह संगठन लोक स्वास्थ्य

इंजीनियरी के क्षेत्र में व्यावसायिक तथा प्रशासकीय मामलों पर एक त्रैमासिक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी बुलेटिन भी प्रकाशित करता है ।

प्रथम दो योजनाओं में स्वीकृत ८३.१७ करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की अधिकांश ३६९ जल प्रदाय योजनायें तथा १०० नाली योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और शेष तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो जाएंगी । १९६१-६२ में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए १२.२१ करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई और ५.७९ करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की ५४ नई योजनायें अनुमोदित की गई थीं ।

प्रथम दो योजना अवधियों में स्वीकृत १९ करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की ३४८ ग्राम जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजनायें अधिकांश पूर्ण हो गई हैं । द्वितीय योजना अवधि में जिन योजनाओं को चालू रखा गया था उनकी क्रियान्विति तथा इस कार्यक्रम के अधीन अन्य नई योजनाओं को चालू करने के लिए १९६१-६२ में ११६ करोड़ रुपए (६० लाख रुपये राज्यों तथा ५६ लाख संघ क्षेत्रों को) की बजट-व्यवस्था की गयी थी । इस वर्ष ३३ लाख रुपए के अनुमानित व्यय की पन्द्रह नई योजनाएँ स्वीकृत की गईं ।

इंजीनियरों तथा राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम की क्रियान्विति में लगे सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू रखा गया है जिसके लिये १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

## चिकित्सा शिक्षण और प्रशिक्षण

नये मेडिकल कालेजों की स्थापना तथा मौजूदा मेडिकल कालेजों के विस्तार की योजना, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी केन्द्र सहायित योजना के रूप में जारी रखी जा रही है । नये मेडिकल कालेजों तथा वर्तमान मेडिकल कालेजों के विस्तार के लिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके, इस योजना के अधीन एक स्वीकृत नमूने के अनुसार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १५ नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मेडिकल कालेजों की संख्या ६० थी और अब यह बढ़कर ६५ हो गई है, जिनमें १९६१-६२ में ७,००० छात्रों के प्रवेश की क्षमता है ।

राज्य सरकारों को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में नये दंत-चिकित्सा कालेज खोलने, मौजूदा कालेजों के विस्तार के लिए सहायता दिये जाने की एक स्कीम सम्मिलित की गयी । इस कार्य के लिए भारत सरकार ने ७५ लाख रुपए की व्यवस्था की है । इस स्कीम के अन्तर्गत तीन नए कालेजों की स्थापना तथा ५ दंत कालेजों के विस्तार के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी है ।

नये दंत-कालेज खोले जाने तथा वर्तमान कालेजों के विस्तार की स्कीम तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी सम्मिलित की गयी है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायता दिये जाने का स्वरूप मेडिकल कालेजों को सहायता दिये जाने जैसा ही है । इस समय भारत में १२ दंत चिकित्सा कालेज हैं जिनमें प्रति वर्ष लगभग ४०० छात्र भर्ती किये जा सकते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन यू० एन० पी० ए० ए० ए० जैसी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियाँ संयुक्त राज्य चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम और कोलम्बो योजना तथा कई

विदेशी सरकारें अपनी प्राविधिक सहायता स्कीमों के अन्तर्गत भारतीय क्षेत्रों को चिकित्सा और अन्य सम्बन्धित विषयों के प्रशिक्षण की विदेशों में सुविधायें प्रदान कर रही हैं। रॉकफेलर फाउन्डेशन, न्यू फील्ड फाउन्डेशन आदि जैसे निजी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी छात्रवृत्तियां और अन्य सुविधाएं देती हैं। भारत सरकार अन्य देशों के उम्मीदवारों को चिकित्सा की उच्चतर शिक्षा के लिए प्राविधिकि सहायता प्रदान करती है।

**प्रशिक्षण :** स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के मेडिकल कालेजों और अनुसंधान संस्थाओं के कुछ विभागों के स्तर को ऊंचा करने की एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम का उद्देश्य चुनींदा डाक्टरों को शिक्षा और अनुसंधान कार्य के लिए स्नातोकत्तर प्रशिक्षण देना है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उच्च-स्तरीय संस्थाओं में दाखिला किए गए छात्रों को वृत्तियों दी जाती हैं।

**अनुसंधान :** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने औषधि और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनेक तात्कालिक समस्याओं के अनुसंधान का एक कार्यक्रम तैयार किया है। परिषद् ने संक्रामक रोगों के विशेषत: क्षय, रोहे, हैजा, कुष्ट आदि तथा अन्य विभिन्न रोगों के अनुसंधान का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है।

अनुसंधान कार्यों के अन्तर्गत इस समय पौष्टिक भोजन, संक्रामक रोगों, प्रसूती और बाल-स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मानुसिक स्वास्थ्य, दंत स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य तथा सफाई-सुथराई विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान कार्यों के लिए ३१२ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से परिषद् ने २३८ लाख रुपयें व्यय किये।

इस स्कीम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३५० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी। इस व्यवस्था में से चिकित्सा अनुसंधान के लिए जिसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अनुदान देती है, भी राशि दी जाएगी।

## चिकित्सा सहायता

**अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना :** १९६१-६२ के दौरान अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत एक और उल्लेखनीय कार्य हुआ। इस वर्ष दो नये दवाखानों की स्थापना के साथ-साथ ४० औषधालय और ४ चलते-फिरते दवाखाने खोले गए। अब दिल्ली और नई दिल्ली में इस योजना के औषधालयों का जाल बिछ गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत संसद के सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा दी जाने लगी है। अब इस योजना की परिधि में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रति-रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारी भी आ गये हैं। १९६०-६१ के वर्षों में २० अर्द्ध-सरकारी और स्वतंत्र निकायों को भी इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा दी जाने लगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सुझाव दिया गया है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी स्वांस्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा-सुविधा प्रदान की जाए। यह सुझाव इस बात का प्रमाण है कि यह योजना राजधानी में बहुत सफल सिद्ध हुई है।

केन्द्रीय सचिवालय स्थित दवाखाने में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी साधारण शुल्क देकर अपना स्वास्थ्य-परीक्षण करा सकते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के इस दवाखाने ने आलोच्य वर्ष में काफी प्रगति की।

सरकार ने इस योजना की समीक्षा के लिये एक अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा समीक्षा समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस समिति की सिफारिशों के क्रियान्वित हो जाने पर इस स्कीम की कमी दूर हो जायेंगी और इस स्कीम का लाभ उठाने वालों की शिकायतों के कारण समाप्त हो जायेंगे।

## प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

आजादी से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी। किन्तु अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य कन्द्रों के द्वारा निरोधात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य-सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

दूसरी योजना में राज्यों के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में २००० प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां कायम किये जाने के लिए १९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी। यह केन्द्र सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दूसरी योजना अवधि में सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दूसरी योजना अवधि में सामुदायिक विकास खंडों में खोले जाने वाले १००० केन्द्रों के अलावा थे। लेकिन एक अप्रैल, १९५८ से सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया और प्रथम चरण के समस्त खण्डों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य कन्द्र खोलने का निर्णय किया गया। मार्च, १९६२ के अन्त तक ३,०५० केन्द्र खुल चुके थे और १९६२-६३ में ५९० ऐसे केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए १६.६८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी।

## प्रसूती और बाल-स्वास्थ्य

आजादी से पहले उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं और प्रसव के पहले और बाद में पर्याप्त पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण बालकों और माताओं की एक बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने प्रसूती और बाल-कल्याण का एक कार्यक्रम शुरू किया है।

इस समय देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग ५,४८७ प्रसूती और बाल-कल्याण केन्द्र खुले हुए हैं। ऐसे एक केन्द्र से १०,००० से लेकर २५,००० लोगों तक को लाभ प्राप्त होता है। इनमें से एक-तिहाई केन्द्र शहरी क्षेत्रों में तथा दो-तिहाई केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। मार्च, १९६२ के अन्त तक ३,०५० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल चुके हैं। प्रसूती और बाल-कल्याण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रसव-पूर्व क्लीनिकों तथा अन्य प्रसूती अस्पतालों का बड़े शहरों में रहने वाली जच्चाओं को लाभ मिल रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैल्थ विजिटरों, नर्सों, मिडवाइफों, और दाइयों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से सघन स्कीमें शुरू की थीं।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्था के एम० सी० एच० विभाग को एम० सी० एच० कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकारने विश्व-स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ की सहायता से एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित कर दिया है।

## स्वास्थ्य शिक्षा

**केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग :** केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति की है। विभाग ने नई दिल्ली में आयोजित १४वी विश्व स्वास्थ्य महासभा के अवसर पर फरवरी, १९६२ में एक स्वास्थ्य प्रगति प्रदर्शनी आयोजित की। विभाग ने १९६१ के भारतीय उद्योग मेले में एक स्वास्थ्य मंडप स्थापित किया था जिसमें भारतवासियों के स्वास्थ्य सुधार और रोगों को रोकने के क्षेत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यों और प्रगति का प्रदर्शन किया गया था।

विभाग ने चौदहवीं विश्व स्वास्थ्य महासभा के अवसर पर "चित्रों में भारत के स्वास्थ्य-कार्य" और "स्वस्थ हिन्द" का विशेषांक सहित कई विशेष प्रकाशत प्रकाशित किये। विभाग ने जनवरी १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक हिन्दी और अंग्रेजी में ५४ पैम्फलेट, फोल्डर और ब्राउचर प्रकाशित किये। विभाग में १२ पोस्टरों के डिजाइन तैयार करवाये और हिन्दी और अंग्रेजी में ६-६ पोस्टर प्रकाशित किये। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये चेचक, हैजा और एक भीषण समस्या विषयों पर तीन फिल्में तैयार की गयी और प्रदर्शन के लिए प्रसारित की गयीं। १९६१ में विभाग के फिल्म पुस्तकालय में सात फिल्में और आईं। और इस तरह फिल्मों की कुल संख्या ३९६ और फिल्म स्ट्रिपों की संख्या ३०९ हो गयी।

आलोच्य वर्ष में विभाग ने अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम का काफी विस्तार किया। अभी हाल में खुले अनुसंधान विभाग का भी कार्य काफी बढ़ गया है।

इस विभाग में स्थापित नयी प्रायोगिक परिवार नियोजन शिक्षा इकाई में शिक्षा पाने के लिए ६ प्रशिक्षित स्वास्थ्य शिक्षकों को चुना गया और उन्हें सम्बन्धित राज्य इकाइयों में इस परियोजना को पूरा करने के लिये नियुक्त किया गया।

स्कूल स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष श्रीमती रेनुका रे, संसद सदस्य ने २-१२-१९६१ को समिति की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश कर दी।

## राज्य स्वास्थ्य शिक्षा विभाग

आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र (बम्बई), मैसूर और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अपने अपने राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्थापित किये थे। कुछ राज्यों ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। जब कि कुछ राज्य प्राविधिक व्यक्ति भरती करने, उपयुक्त स्थान तलाश करने आदि की दिशा में कदम उठा रहे हैं, पंजाब, और पश्चिम बंगाल तथा गुजरात सरकारों ने १९६१ में ऐसे ब्यूरो स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक सभी राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्थापित हो जाएंगे।

## परिवार नियोजन

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को इस ढग से क्रियान्वित करने का निश्चय किया है कि जनम-दर में अधिक से अधिक कमी हो सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था की गयी है! तीसरी पंचवर्षीय योजना

में इस कार्य के लिये २७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र में एक केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड, एक डैमोग्राफिक एडवाइज़री कमेटी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की परिवार नियोजन वैज्ञानिक पहलू समिति और एक कम्युनिकेशन एक्शन रिसर्च कमेटी और एक परिवार नियोजन निदेशक कार्य कर रहे हैं। अब सभी राज्यों में परिवार नियोजन बोर्ड स्थापित हो चुके हैं। कई राज्यों में पूर्णकालिक परिवार नियोजन अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं। अन्य राज्यों में परिवार नियोजन के कार्य की देखभाल राज्यों के प्रसूती और बाल-स्वास्थ्य अधिकारी करते हैं।

अक्टूबर, १९६१ को ४,१३७ केन्द्रों से परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध थी। अक्टूबर, १९६१ तक २४,८०० बन्ध्यकरण आपरेशन (१८,१८४ पुरुषों का और ६,६१६ स्त्रियों का) किया गया। ४५१ परिवार नियोजन शिविरों की स्वीकृति दी गयी। १९५६ के बाद से अब तक ४,११३ व्यक्तियों को परिवार नियोजन की शिक्षा दी जा चुकी है।

जनवरी, १९६० से "परिवार नियोजन समाचार" नामक एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित हो रहा है। इस बुलेटिन का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में क्रियान्वित हो रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्य और प्रगति तथा योजना के बारे में कार्यक्षेत्र-कार्यकर्ताओं को जानकारी देना तथा परिवार नियोजन के बारे में जनता को शिक्षा देना है।

## स्वदेशी चिकित्सा पद्धति

पहली पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान के लिए ३७.५० लाख रुपया खर्च हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये केन्द्रीय योजना में १०० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक विभिन्न संस्थाओं को ९.०९ लाख रुपये दिये जा चुके हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय योजना में इस स्कीम के लिय ३०० रुपये की व्यवस्था की गयी। इस राशि में से ३१ मार्च, १९६१ के अंत तक १७.३५ लाख रुपये खर्च किये गये। इन राशियों में वह राशि शामिल नहीं है जो कि राज्यों की सरकारी संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता के तौर पर दी गयी थी।

## औषध नियंत्रण

औषध अधिनियम और औषध नियमों को लागू हुए १५ वर्ष हो चुके हैं। औषधि नियंत्रण के लिये अधिक प्रभावशाली उपाय किये जाने के विचार से तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो स्कीमें सम्मिलित की गई थीं जिनमें प्रयोगशालाओं के विस्तार और नियम लागू करने के तंत्र का विस्तार करने की व्यवस्था थी। आयात, निर्माण और प्रसाधन वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण रखने के विचार से संसद में एक विधेयक पेश किया गया था।

आयात की जाने वाली औषधियों के गुणों पर कठोर नियंत्रण रखे जाने के परिणामस्वरूप आयात की जाने वाली औषधियों के हलके स्तरों के मामलों में काफी कमी हो गई है।

देश में निर्मित की गई औषधियों के गुणों पर रखे जा रहे नियंत्रण को उत्तरोत्तर कठोर किया जा रहा है।

औषध नियंत्रण संगठन का एक कार्य औषधियों का मानक निर्धारित करना है। केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के लिये बजट में १९६१-६२ के लिये ९ लाख ६५ हजार रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें योजना स्कीमों की १ लाख ६६ हजार ३०० रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

## आयोजन और सर्वेक्षण

स्वास्थ्य के लिये पहली पंचवर्षीय योजना में १४० करोड़ और दूसरी पंचवर्षीय योजना में २७३.८२ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिये पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमश: ३९ और ९० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी ।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३४१.८० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । इसमें से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में ४५ करोड़ रुपये की—१९.५० करोड़ विशुद्ध केन्द्रीय योजनाओ तथा २५.५० करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा चलाई योजनाओं के लिये—व्यवस्था कर दी गई है । शेष २९६.८० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की गई ।

दूसरी योजना की भांति केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित स्कीमों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया ।

**१. विशुद्ध केन्द्रीय योजनाएं :** यह योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती हैं और इनके लिये सारी व्यवस्था केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में निहित है ।

**२. केन्द्र चालित योजनाए :** इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना तथा राज्य स्वास्थ्य योजना दोनों में ही अपने-अपने कुल व्यय के भाग के अनुसार व्यवस्था की गई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १७ ऐसी योजनायें थीं, किन्तु विषयों को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इस श्रेणी की योजनाओं की संख्या कम से कम रखी जाये जिसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, अधिस्नातक शिक्षा सहित अनुसन्धान और अधिस्नातक चिकित्सा शिक्षा नामक तीन योजनाये हैं जो इस श्रेणी में सम्मिलित की गई हैं ।

**३. केन्द्र सहायियत योजनाए :** इस श्रेणी में बहुत सी राज्य योजनायें आती हैं जैसे मैडिकल कालेज, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम । इन योजनाओं के लिये राज्य योजनाओं में ही सारी योजना-व्यवस्था की गई है और राज्य सरकारों को उनकी योजना व्यवस्था के रूप में स्वीकृत नमूनों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में विशुद्ध केन्द्रीय योजनाओं पर ८.९९ रुपये और केन्द्र चालित योजनाओं पर ६६.५१ करोड़ रुपये व्यय हुए ।

केन्द्र सहायियत योजनाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में २३.७२ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गई थी ।

बजट में १९६१-६२ के अन्तर्गत विशुद्ध केन्द्रीय योजनाओं के लिये ४.३८ करोड़ तथा केन्द्र चालित योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता के लिये १.५१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्र सहायियत योजनाओं के लिये सहायता देने के लिये बजट में १९६१-६२ के लिये ३४.०४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

**मुदालियर समिति की रिपोर्ट :** स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं आयोजना समिति नामक एक समिति जून, १९५९ में डा० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई । इस समिति ने अक्टूबर, १९६१ में अपने विवेचन पूर्ण कर लिये हैं और अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है । यह रिपोर्ट १८ जनवरी, १९६२ को सरकार को प्रस्तुत की गई ।

: ८ :

# आवास और लोककर्म

जनसंख्या वृद्धि, वस्तुओं और विशेषकर भवन-निर्माण वस्तुओं के मूल्यों में अति वृद्धि से भारत की आवास-समस्या अति भीषण और पेचीदा हो गई है। इस समस्या के समाधान को लिए सहकारी समितयों, स्थानीय निकायों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकारों तथा व्यक्तियों को निजी तौर पर ठोस प्रयत्न करने होंगे। .

१९५१ की जन-गणना के आकड़ों के अनुसार १९६१ के अन्त में अर्थात् तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के आरम्भ में शहरी क्षेत्रों में लगभग ५० लाख मकानों की कमी थी। इस संख्या मे वर्तमान मकानों की जीर्णावस्था तथा लगभग १० लाख गन्दी बस्तियों के मकान सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा, तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई ५६ लाख मकानों की जरूरत और बढ़ जाएगी। जव १९६१ की जन-गणना के विस्तृत आकड़ें सामने आयेगे तो इन आंकड़ों में और वृद्धि हो जाएगी। मकानों की पिछली कमी को पूरा करने तथा समस्या को भीषण तर न होने देने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है और इतनी बड़ी पूजी देश के वर्तमान साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस समस्या के लिये शनैः-शनैः एक सजग आयोजन बनाकर, जोकि कई दशाब्दियों का आयोजन होगा, कार्य करना होगा। इसलिए सरकार के पास जो सीमित वित्त उपलब्ध है, उसे समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लाभार्थ ही प्रयुक्त करना उपयोगी होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। देश के ५,५८,१००० गांवों के ५४ करोड़ मकानों में से ५० करोड़ मकानों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें या तो फिर से बनाया जाना चाहिए अथवा उनमें सुधार किया जाना चाहिये। स्पष्ट ही यह समस्या इतनी विशाल और भीषण है कि निकट भविश्य में कोई ऐसा ग्रमीण आवास कार्यक्रम बनाना कठिन है जिसके लिए सारा व्यय सरकारी साधनों से उपलब्ध किया जा सके। इसलिए विगत वर्षों की भांति गांवों में आवास अवस्थाओं के सुधार का कार्य ग्रामीण विकास कार्यक्रय के सहयोग से "स्व-सहायता के लिये सहायता" के आधार पर ही किया जा सका है।

## पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति

पहली पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय आवास कायक्रम की बुनियाद रखी गयी थी। इस योजना अवधि में दो शहरी आवास स्कीमें शुरू की गयी थी। यह स्कीमें थीं; सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम और कम-आय-समूह आवास स्कीम। योजना में १,२०,००० मकानों के निर्माण के लिये ३८.५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थीं। [illegible] ने इन दोनों स्कीमों के अन्तर्गत केवल २४.१४ करोड़ रुपए ही मकान-निर्माण के लिए प्राप्त किया। १,०३,६०० मकानों के निर्माण की मन्जूरी दी गई थी जिनमें से लगभग ४९,००० मकान ही पहली योजना अवधि में नब सके थे।

दूसरी योजना अवधि में ६ और स्कीमें शुरू की गयीं; कुल मिलाकर निम्नलिखित सार्वजनिक आवास स्कीमें क्रियान्वित हुई थीं :

**योजना स्कीमें :**

| | | |
|---|---|---|
| (१) | सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम | : |
| (२) | कम-आय-समूह आवास स्कीम | : इनके लिये |
| (३) | बागान श्रमिक आवास स्कीम | : सरकार के सामान्य |
| (४) | गन्दी बस्तियों की सफाई स्कीम | : साधनों से वित्त की |
| (५) | ग्राम आवास परियोजना स्कीम | : व्यवस्था की गयी |
| (६) | भूमि-अर्जन और विकास स्कीम | : थी। |

**गैर-योजना स्कीमें :**

| | | |
|---|---|---|
| (७) | मध्यम-आय-समूह आवास स्कीम | : इनके लिए जीवन- |
| (८) | राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान- | : बीमा निगम निधि |
| | किराया आवास स्कीम। | : से वित्त की व्यवस्था की गयी थी। |

योजना स्कीमों के लिए योजना अवधि में ८४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस राशि में से राज्यसरकारों ने लगभग ७०.४२ करोड़ रुपयों का ही उपयोग किया।

लोककर्म, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा संचालित उपर्युक्त इन स्कीमों के अलावा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों (जैसे रेलवे, परिवहन और संचार, रक्षा आदि), राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों आदि के भी अपने आवास कार्यक्रम थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक आवास के लिये अनुमानतः कुल २५० करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था थी।

आवास और पूर्ति मंत्रालय की विभिन्न आवास स्कीमों के अन्तर्गत कुल मिला कर लगभग २,२०,००० मकानों के निर्माण की मन्जूरी दी गयी थी जिनमें से दूसरी योजना अवधि में लगभग १,४३,००० मकानों का निर्माण हुआ था।

अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों आदि द्वारा किये गये कार्यों के अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक अधिसत्ताओं ने अनुमानतः लगभग ५,००,००० मकान बनाए थे।

आवास और नगर-विकास कार्यक्रमों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में १४२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिये परिशोधित परिव्यय ८४ करोड़ रुपये का था। तीसरी योजना अवधि की व्यवस्था में से १२२ करोड़ रुपये आवास और पूर्ति मंत्रालय की आवास स्कीमों के लिए निश्चित किये गये हैं। शेष २० करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों की कुछ स्कीमों और नगर-आयोजन तथा महत्वपूर्ण नगरों और क्षेत्रों की मास्टर योजनाओं में मकान निर्माण के लिये रखे गये हैं। इसके अलावा तीसरी योजना में विभिन्न आवास कार्यक्रमों के लिए जीवन-बीमा-निगम से ६० करोड़ रुपये की सहायता देने का भी निश्चय किया गया है।

**सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम** : सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम सितम्बर,

१९५२ में शुरू की गयी थी। इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है और राज्य सरकारें संविधिक आवास बोर्डों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक नियोजकों और पूंजीकृत औद्योगिक-कर्मचारी सहकारी समितियों जैसी मान्यता-प्राप्त एजेन्सियों को फैक्टरी कानून १९४८ की धारा (१) के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक कर्मचारियों तथा खनिज कर्मचारियों के लिए (कोयला और अभ्रक की खानों के कर्मचारियों को छोड़कर) जो कि खनिज कानून १९५२ की धारा २ (झ) के अन्तर्गत आते है, आवास की व्यवस्था करने के लिये देती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध होता है जिनकी आय ३५० रुपया प्रति माह से अधिक नहीं है। कोयला और अभ्रक उद्योगों के कर्मचारियों के आवास कार्यक्रम का क्रियान्वयन इन उद्योगों के लिए स्थापित किये गये श्रमिक कल्याण कोष में से रुपया लगाकर किया जा रहा है।

सितम्बर, १९५३ में इस स्कीम के शुरू होने से लेकर ३१ मार्च, १९६२ तक राज्य सरकारों, औद्योगिक कर्मचारी सहकारी समितियों और निजी उद्योगों के नियोजकों द्वारा १,४९,८६६ मकानों के निर्माण की परियोजनाओं को पूरा करने के लिये ४९.८६ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत दी जा चुकी है। इनमें से १,१८,३२४ मकान बन चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :

| एजेन्सी | मकानों की स्वीकृति | केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति | दी गयी केन्द्रीय सहायता | निर्मित मकानो की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | लाख (रुपयों में) | | |
| राज्य सरकारें | १ १८,१६५ | ४२८५.२७ | ३९२०.४१ | ९७,३७४ |
| सहकारी समितियां | ५,२६१ | १५९.७५ | २१.९४* | २,६१८ |
| निजी उद्योगों के नियोजक | २६,४४० | ५४०.८७ | १८६,७२ | १८,३३२ |
| योग : | १,४९,८६६ | ४९८५.८९ | ४१२९.०७ | १,१८,३२४ |

*सहकारी समितियों को यह राशि ३१-३-१९५८ तक वितरित की गई थी।

**कम-आय-समूह-आवास स्कीम** : यह स्कीम नवम्बर, १९५४ में शुरू की गयी थी। इस स्कीम के अन्तर्गत ६०००) रुपए वार्षिक की आय वाले व्यक्तियों को नए मकानों के निर्माण के लिये दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं। यह वित्तीय सहायता मकान की कुल लागत के जिसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है, ८० प्रतिशत तक दी जाती है, किन्तु ८००० रुपए से अधिक कर्ज नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सरकार इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भूमि के अर्जन और विकास के लिये अल्पकालीन ऋण देती है, जिस पर लगभग ३½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेती है। यह राशि पांच वर्ष के भीतर लौटानी होती है। राज्य सरकारें विकसित भूमि को उपयुक्त व्यक्तियों को न-हानि-न-लाभ के आधार पर बेचती हैं। नवम्बर, १९५४ में इस स्कीम के शुरू होने से लेकर ३१ दिसम्बर १९६१ तक इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग ९८,००० मकानों के निर्माण के लिये मकान निर्माण ऋणों की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें से लगभग ६८,००० मकान बन चुके थे और १८,००० या उससे अधिक मकान उस समय तक निर्माण के विभिन्नि स्तरों पर थे। मार्च, १९६१ के अन्त तक ४८.१२ करोड़ रुपये सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

**बाग़ान श्रमिक आवास स्कीम :** इस समय यह स्कीम आसाम, केरल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र त्रिपुरा में जहां कि अधिकांश बाग़ान हैं, क्रियान्वित की जा रही है।

यह स्कीम १९५६ में शुरू हुई थी और तब से मार्च, १९६२ के अन्त तक राज्य सरकारों ने १६.२४ लाख रुपया लिया है और ८७५ मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इनमें से पता चला है कि ६५० मकान बन चुके हैं।

**गन्दी बस्ती सुधार स्कीम :** मई, १९५६ में यह स्कीम शुरू हुई थी और तब से ३१ मार्च, १९६२ तक राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र त्रिपुरा में ६६,८३८ मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनके लिए १८·३६ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। इस अवधि में १९,०१८ मकान बन चुके थे। विभिन्न राज्यों में इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए मार्च, १९६२ के अन्त तक ९.१२ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दे दी गई थी। राज्यों ने इसके लिए ३.०४ करोड़ रुपए खर्च किये और इस तरह इस स्कीम के अन्तर्गत कुल १२.१६ करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

इसके अलावा, दिल्ली में ६,६७९ मकानों के निर्माण के लिये २.९५ करोड़ रुपए की गन्दी बस्तियों के सुधार की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से ५,०२३ मकान बन चुके हैं और १,०६४ मकान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। जनवरी, १९६० में सरकार ने 'झुग्गी और झोंपड़ी हटाओ स्कीम' नामक एक स्कीम स्वीकार की थी। इस स्कीम में ८० वर्गफुट के प्लाट बनाने की व्यवस्था की गयी है। ये प्लाट्स जून-जुलाई, १९६० में दिल्ली में सरकारी और सर्वजनिक भूमियों पर रहने वाले परिवारों को दिये जाते हैं। इसके लिए दिल्ली-प्रशासन ने ऐसे परिवारों की एक विशेष जन-गणना की है। इन प्लाटों में परिवारों को बुनियादी सुविधायें देने की भी व्यवस्था की गयी है। अभी तक इस स्कीम के अन्तर्गत १,७२० परिवारों को विकसित प्लाट दिए जा चुके हैं। दिल्ली की 'गन्दी बस्ती सुधार तथा झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ स्कीम' के अन्तर्गत २·८५ करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।

**ग्राम-आवास परियोजना स्कीम :** यह स्कीम अगस्त १९५७ में शुरू की गयी थी। इस स्कीम का उद्देश्य 'स्व-सहायता के लिये सहायता' के आधार पर देश भर में चुने गए ५००० गाँवों में योजना-बद्ध रूप से मकानों की अवस्थाओं को सुधारना था। इस स्कीम के आरम्भ से लेकर अब तक राज्य-सरकारें और केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र ४२८ लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता ले चुके हैं। प्रस्तावित ५००० गाँवों में से ४००० गाँवों का चयन किया जा चुका है, २,५२० से अधिक गाँवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, १९३२ गाँवों की योजनाओं का स्वरूप तैयार हो चुका है तथा २९,५०० मकानों के निर्माण की मन्जूरी दे दी गयी है। इन में से ८४३५ मकान बन चुके हैं। भारत सरकार ने ६ क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सहित-अनुसंधान केन्द्र (आवास और ग्राम आयोजन के क्षेत्र में अनुसन्धान प्रशिक्षण और विस्तार सम्बन्धी कार्य के लिए) स्थापित किये थे जो सन्तोषजनक रूप से काम कर रहे हैं।

**भूमि-अर्जन और विकास स्कीम :** यह स्कीम अक्टूबर, १९५६ में शुरू हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य आवास कार्यक्रम की सन्तोषजनक प्रगति में आने वाली प्रमुख कठिनाई अर्थात् उपयुक्त मूल्यों पर मकानों के लिए भूमि न मिलने पर नियन्त्रण पाने में राज्य-सरकारों की सहायता

करना था। इस काम के लिए राज्य सरकारों को ऋण दिए जाते है जो कि दस वर्ष के भीतर राज्य सरकारों को लौटाने होते हैं।

स्कीम के आरम्भ से लेकर मार्च, १९६२ के अन्त तक राज्य सरकारों को ५७०·७० लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गयी। राज्य सरकारें लगभग १५०० एकड़ भूमि अर्जित कर चुकी हैं और पता चला है कि ३६०० एकड़ भूमि के अर्जन की अधिसूचना प्रसारित की जा चुकी है। इस स्कीम को अभी तक सामान्य सरकारी साधनों से वित्तीय सहायता दी जा रही थी, किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरू से जीवन-बीमा निगम के कोष से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

**मध्यम-आय-समूह आवास स्कीम :** यह स्कीम फरवरी, १९५९ में आरम्भ हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य मध्यम-आय-समूहों के लोगों को मकान निर्माण में सहायता देना है। इस स्कीम के लिये जीवन-बीमा निगम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। केवल केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों को सामान्य सरकारी साधनों से वित्त उपलब्ध किया जाता है। इस स्कीम के अर्न्तत ६००१ रुपये से लेकर १५,००० रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को तथा उनकी सहकारी समितियों को अपने निजी मकान बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं। राज्य-सरकारें जीवन बीमा निगम से जो राशि लेती हैं उसकी अदायगी के लिए जो कि २५ वार्षिक समान किश्तों में लौटानी होगी, स्वयं जिम्मेदार हैं। इन ऋणों पर राज्य-सरकारें ५ प्रतिशत ब्याज देती है। राज्य-सरकारें व्यक्तियों से लगभग आधा प्रतिशत व्याज लेती हैं और यह राशि प्रशासनिक व्यय को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण मकान की कुल अनुमानित लगात (भूमि के विकास की लागत सहित) का ८० प्रतिशत और अधिक से अधिक २०,००० रुपए दिया जाता है। अभी हाल में किए गए एक संशोधन के बाद इस स्कीम के अन्तर्गत कुछ अवस्थाओं में विकसित भूमि को खरीदने के लिए भी ऋण दिया जाने लगा है।

स्कीम के आरम्भ से लेकर मार्च, १९६२ के अन्त तक राज्य सरकारें १,४७२ लाख रुपए ऋण ले चुकी हैं। राज्य सरकारें १०८८ लाख रुपये ६५०० से अधिक मकानों के निर्माण के लिए स्वीकार कर चुकी हैं। पता चला है कि १८००मकान मार्च, १९६२ के अन्त तक बन चुके थे।

**राज्य सरकारी कर्मचारी मकान-किराया आवास स्कीम :** यह स्कीम फरवरी, १९५९ में शुरू हुई थी। इस स्कीम के लिए भी जीवन-बीमा निगम से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तगत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए विशेषकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनवाती हैं और उन्हें अपने सामान्य नियमों अथवा कार्यविधियों के आधार पर किराये पर देती हैं। राज्य सरकारें लिए गये ऋण को २० समान ब्याज देंगी। वार्षिक किश्तों में जीवन बीमा निगम को लौटाएंगी और ऋणों पर २० प्रतिशत ब्याज देंगी स्कीम के आरंभ से लेकर मार्च, १९६२ के अंत तक राज्य सरकारों ने ८९६ लाख रुपए की ऋण-सहायता जीवन बीमा गिगम से ली है।

## मकान निर्माण सहायता स्कीम

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को नियमित करने वाले नियमों के अर्न्तगत भारत सरकार के कर्मचारियों को उनके ३६ माह वेतन के बराबर ऋण देती है। किन्तु किसी भी सूरत में ३५,००० रुपएसे अधिक ऋण नही देती।

इन ऋणों पर लगभग साढ़े चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। इस राशि से वे अपने लिए या तो जहाँ काम करते हैं अथवा पद-निवृत्ति के बाद जहाँ जाकर बसना चाहते हैं वहाँ मकान बना सकते हैं। कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ४,८०० रुपयों का ऋण दिया जाता है। यदि उनके ३६ माह का वेतन ४८०० रुपये नहीं होता है तो यह ऋण उनके वेतन में से मामूली किश्तों द्वारा तथा कुछ आंशिक राशि उनकी ग्रेचुटी में से काटी जाती है।

अप्रैल, १९५६ में इस स्कीम के शुरू होने के बाद से केन्द्रीय सरकार के २,४४१ कर्मचारियों ने आवेदन-पत्र दिए और उनको २८०, १७ लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए।

## राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना जुलाई, १९५४ में हुई थी। यह संगठन आवास की समस्या और भवन-निर्माण समग्री के अनुसन्धान, प्रविधियों और डिजायनों के विकास और अनुसन्धान के द्वारा भवन निर्माण लागत को कम करने की समस्या के प्रति एक बौद्धिक दृष्टि-कोण निश्चित करने का प्रयत्न कर रहा है और उपयोगी सूचनाओं का प्रसार कर भवन-निर्माण कार्यों के विकास में सहायता दे रहा है।

इस वर्ष भी यह संगठन उपयोगी कार्य करता रहा। इसने नई दिल्ली में दो विचार-गोष्ठियाँ आयोजित की जिनके विषय थे : (१) आवास सहकारी समितियाँ और (२) चिनाई के काम की कमियाँ। इन विचार-गोष्ठियों में देश-विदेश के अनेक विशेषज्ञों ने भाग लिया। डिज़ाइन इन्जीनियरों को भवन-निर्माण सामग्री के उपयोग और उसमें मितव्ययिता के बारे में आधुनिक प्राविधिक विकासों की जानकारी देने के विचार से संगठन ने जुलाई से सितम्बर, १९६१ तक रुड़की विश्वविद्यालय में बहु-मंजिले मकानों सहित मकानों के सही डिज़ाइन तथा सामग्री उपयोग में मितव्ययिता विषय पर एक तीन महीने का प्रशिक्षिण पाठ्य-क्रम आयोजित किया था। एक दूसरा पाठ्य-क्रम दिसम्बर, १९६१ से जनवरी, १९६२ तक वन-अनुसन्धान संस्था देहरादून में "टिम्बर इन्जीनियरिंग" विषय पर आयोजित किया गया। भारत सरकार ने १९५९ में देश के विभिन्न भागों में स्थापित ६ इन्जीनियरिंग संस्थाओं में स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्र सहित ६ ग्रामीण आवास अनुसन्धान केन्द्रों के कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करने तथा उनके कार्य का मार्ग दर्शन करने का कार्य जारी रखा। आलोच्य वर्ष में इन केन्द्रों में राज्य सरकारों के ५०० प्राविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

फोर्ड फाउन्डेशन ने इन प्रशिक्षण केन्द्रों की सहायता के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में २००,००० डालर का अनुदान भारत सरकार को देना स्वीकार किया है। अक्टूबर १९६० में इस संगठन ने एक सामाजिक-आर्थिक अनुभाग और खोला गया। यह अनुभाग भवन-निर्माण सामग्री के उत्पादन तथा इस समय हो रहे आयात-निर्यात के बारे में आंकड़े संग्रहित करता है।

: ६ :

# सूचना और प्रसारण

प्रसारण, फिल्म, प्रकाशन, प्रदर्शनी और नाटक तथा क्षेत्रीय प्रचार-सरीखे प्रचार साधनों के माध्यम से, वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त प्रत्येक आधुनिक माध्यम से जनता को जानकारी देना हमारी लोकतंत्रीय सरकार का एक मुख्य कार्य है। लोकतंत्रीय सरकार की दृढ़ता जनता की शिक्षा पर निर्भर करती है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस दिशा में अपने समस्त साधनों के साथ देश की सेवा कर रहा है। नए रेडियो स्टेशन खोले जा रहे हैं और मौजूदा स्टेशनों को मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रामवासियों के दिलचस्पी के प्रोग्राम अधिकाधिक सुनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा योजना के उद्देश्यों का प्रचार करने तथा योजना में जनता का सक्रिय सहयोग पाने के लिए प्रसारण, नाटक और संगीत प्रदर्शनी तथा प्रकाशन इत्यादि द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इस दिशा में किए गए काम का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

## विज्ञापन और दृश्य प्रचार

सन् १९६१ में विज्ञापन और दृश्यप्रचार-निदेशालय द्वारा किए जाने वाले कामों की मात्रा में और वृद्धि हुई। यह वृद्धि समाचारपत्र-विज्ञापन और दृश्य प्रचार, दोनों ही क्षेत्रों में हुई। योजना और राष्ट्रीय एकीकरण-सरीखे अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों के लिए प्रचार-कार्य को और सघन किया गया।

आलोच्य वर्ष में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में डिस्प्ले विज्ञापन देकर इन प्रमुख आन्दोलनों का प्रचार किया गया :

१—राष्ट्रीय बचत,
२—दशमिक प्रणाली,
३—डाक और तार-विभाग के शैक्षणिक आन्दोलन,
४—तीसरी पंचवर्षीय योजना,
५—अखिल भारतीय हस्तशिल्प मंडल,
६—अखिल भारतीय हथकरघा मंडल,
७—भारत में पर्यटन-सम्बन्धी आन्दोलन
८—सेना में भर्ती, और
९—परिवार-आयोजन।

सन् १९६१ में जनवरी से मार्च तक १५४ डिस्प्ले विज्ञापन जारी किए गए, जो ९९४ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्होंने कुल १,८३,८०८ स्तम्भ-इंच जगह घेरी, जिसपर ९,०९,४२८.९८ रु० का खर्च आया।

जहां तक वर्गीकृत विज्ञापनों का सम्बन्ध है, जनवरी-दिसम्बर १९६१ में ७,२८४ विज्ञापन जारी किए गए, जो ३७,२३४ बार प्रकाशित हुए। उन पर लगभग ३०,९४,०२२ रु० की लागत आई। इसकी तुलना में सन् १९६० के अंक ये हैं : ६,७८७ विज्ञापन ३४,२८० बार छपे और लागत २७,५४,७६२ रु० आई।

प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए बाह्य प्रचार के इन साधनों को व्यापक रूप से इस्तेमाल में लाया गया—इनैमल बोर्ड, होर्डिंग, धातु की टैबलेटें, सिनेमा-स्लाइडें, परिवहन बस के पैनेल, नियोन चिन्ह, पोस्टर-फ्रेम, बचत के डिब्बे, धातु के बिल्ले और तावे के तमगे।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से निदेशालय का प्रदर्शन-विभाग अपना कार्य-क्षेत्र बराबर बढ़ाता जा रहा है। मैसूर और बिहार राज्यों के लिए २ नई इकाइयां खोली गई हैं, जिनके मुख्यालय क्रमशः बंगलौर और पटना में हैं। जनवरी १९६२ में छोटी लाइन (मीटर गाज) पर चलनेवाले एक प्रदर्शनी एवं सिनेमा-रेल-डिब्बे का उद्घाटन हुआ।

निदेशालय की वितरण-शाखा सीधे गांवों तक प्रचार सामग्रियाँ वितरित करती है।

## आकाशवाणी

आकाशवाणी के लिए सन् १९६१ का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उक्त वर्ष जून में आकाशवाणी की रजत-जयन्ती मनाई गई; रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मशती के सिलसिले में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से लगभग पूरे साल विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और प्रयोगात्मक टेलीविजन-सेवा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। यह कदम था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए टेलीविजन के जरिए पाठ्यक्रम-प्रसारण।

### विकास

इस वर्ष आकाशवाणी ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति की। दूसरी योजना में जो काम पूरे नहीं हो सके थे, वे इस वर्ष पूरे किए गए और तीसरी योजना के अधीन कई नए काम भी शुरू किए गए। "मीडियम वेव-योजना" के अन्तर्गत आकाशवाणी के ट्रान्समीटरों की संख्या में ५६ की वृद्धि हो जाएगी। इनमें दो शार्ट वेव ट्रान्समीटर भी शामिल हैं, जो त्रिवेन्द्रम और कर्सियांग में लगेंगे। इन ५६ ट्रांसमीटरों में से ३० योजना के पहले चरण में लग जाएंगे और उनसे क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों और "विविध-भारती" के प्रसारण का काम लिया जाएगा। आकाशवाणी के दो नए केन्द्र भी खोले जा रहे हैं, जिनमें से एक कर्सियांग में और दूसरा पोर्ट ब्लेयर में होगा। आशा है कि कर्सियांग का आकाशवाणी-केन्द्र इस वर्ष गर्मियों में चालू हो जाएगा। "मीडियम वेव योजना" के पूरा हो जाने पर मीडियम वेव-ट्रांसमीटरों का श्रवण-क्षेत्र ३७ प्रतिशत से बढ़कर लगभग ६१ प्रतिशत हो जाएगा और ५५ प्रतिशत की जगह ७४ प्रतिशत जनसंख्या इन ट्रांसमीटरों से प्रसारित कार्यक्रम सुन सकेगी। निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है और आशा है कि सन् १९६२ के अन्त तक कई ट्रांसमीटर चालू हो जाएंगे। तीसरी योजना में दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं—वैदेशिक प्रसारण के लिए उच्च शक्ति के ५ शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की स्थापना और बंबई में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना। दिल्ली में ५ किलोवाट की टेलीविजन-परियोजना का कार्य हो रहा है। इस वर्ष तिरुचि में ५० किलोवाट का एक नया मीडियम वेव ट्रांसमीटर और जम्मू में एक किलोवाट का शार्ट वेव ट्रांसमीटर चालू हुआ। मद्रास में भी २.५ किलोवाट का मिडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया गया।

नई दिल्ली के प्रसारण-भवन से लगे हुए स्टूडियो-आडिटोरियम का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण घटना है। इस बहूद्देशीय कक्ष में ६५० लोगों के बैठने की जगह है और इसमें श्रोताओं की उपस्थिति में ही कार्यक्रमों के प्रसारण, ध्वनि-अंकन और टेलीविज़न-कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है। आकाशवाणी का पंजिम स्थित रेडियो गोआ केन्द्र ६ जनवरी १९६२ से चालू हो गया है।

## कार्यक्रम

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मशती संसार-भर में मनाई गई, जिसमें आकाशवाणी ने महत्व-पूर्ण योग दिया। आकाशवाणी ने भारतवासियों के लिए २५० विशेष कार्यक्रमों का आयोजन और प्रसारण किया।

८ जून, १९६१ को आकाशवाणी ने अपनी रजत-जयन्ती मनाई, इस अवसर पर आकाश-वाणी के सभी केन्द्रों ने इस संस्था के विकास के बारे में विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए।

गांधीजी की रेडियो-जीवनी तैयार करने के उद्देश्य से "गांधी कार्यक्रम टुकड़ी" स्थापित की गई है, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामग्री एकत्र करने के लिए उनके सम-कालीन लोगों के संस्मरणों को रिकार्ड करेगी। इस सिलसिले में एक समन्वय-समिति भी स्थापित की गई है, जिसमें गांधी-स्मारक निधि और सम्पूर्ण गांधी-साहित्य के प्रतिनिधि भी रखे गए हैं।

अखिल भारतीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विविध रोचक और विचारपूर्ण विषयों पर समान्य वार्ताओं, वाद-विवादों, रूपकों और नाटकों के अलावा बुद्धिजीवियों और सामान्य जनता, दोनों के लिए राष्ट्रीय एकता-विषयक अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

पंचवर्षीय योजना के बारे में वार्ताएं, संवाद, भेंट-वार्ताएं, आंखों-देखा हाल, कविताएं, समा-चार-दर्शन (न्यूज रील) नाटक, शब्दचित्र और रूपक प्रसारित किए गए, जिनकी संख्या ४,५०० से अधिक है।

सुगम संगीत और रूपकों का अखिल भारतीय पंचरंगी कार्यक्रम "विविध भारती" चार वर्ष पहले शुरु हुआ था। अब यह पहले के मुकाबले में लगभग दूने कार्यक्रम प्रसारित करता है।

रेडियो-पुन: प्रसारण की जो आदर्श योजना सन् १९५६ में आरंभ की गई थी, वह दिन-ब-दिन लोकप्रिय होती जा रही है। सन् १९६१ के अन्त में इससे लाभ उठाने वालों की संख्या १,८२१ थी।

महिलाओं और बच्चों, विश्वविद्यालयों के छात्रों, औद्योगिक श्रमिकों और आदिवासियों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम पूर्ववत् प्रसारित किए जाते रहे। इस वर्ष सामुदायिक श्रवण-योजना ने प्रगति की तथा इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को दिए गए रेडियो-सेटों की कुल संख्या ६९,९६० तक पहुंच गई। इनमें से ६,२१५ सेट सन् १९६१-६२ में दिए गए। आकाश-वाणी की ग्राम-चौपाल-योजना जो सन् १९५९ में शुरू हुई थी, इस वर्ष और आगे बढ़ी। सन् १९६१ के अन्त तक ग्राम-चौपालों की संख्या २,००० से ऊपर पहुंच गई। तीसरी योजना के अन्त तक इनकी संख्या २५,००० कर देने का कार्यक्रम है।

## मीडियम वेव योजना

तीसरी योजना में प्रसारण सेवाओं के विस्तार के लिए लगभग ११ करोड़ रुपए का व्यय होना तय किया गया है। इन सुझावों के क्रियान्वित होने के पश्चात् मीडियम वेव ट्रांसमीटरों

का कार्य क्षेत्र ३७ प्रतिशत से बढ़कर ६१ प्रतिशत हो जाएगा और इस प्रकार मीडियम वेव सुननेवालों की संख्या भी ५५ प्रतिशत से बढ़कर ७४ प्रतिशत हो जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य ५६ ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से दो शार्ट वेव ट्रांसमीटर होंगे जो कि प्रादेशिक प्रसारण सेवा में सहयोग देंगे और ३४ ट्रांसमीटर "विविध भारती" कार्यक्रम को दिन भर प्रसारित करने के लिए हर महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

## टेलीविज़न

१९६१ के अन्त में स्कूलों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे तथा दिल्ली के बहुत-से स्कूलों को सप्ताह में ६ दिन टेलीविज़न द्वारा शैक्षणिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। सप्ताह में एक दिन सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। १९६१ में फोर्ट फाउण्डेशन ने टेलीविज़न की शैक्षणिक सेवा कार्यक्रम के सहायतार्थ एक अनुदान दिया। इस स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष एक किलोवाट टेलीविज़न ट्रांसमीटर की स्थापना का काम आरंभ किया गया जा कि समाप्ति पर है। आशा है कि इस ट्राँसमीटर के उद्घाटन के बाद सारे दिल्ली शहर में टेलीविज़न सिगनल उपलब्ध हो सकेंगे।

तीसरी योजना में बम्बई नगर में नियमित रूप से टेलीविज़न सेवाएं आरंभ करने की एक स्कीम शामिल है और इस योजना पर काम शुरू हो गया है।

## गांवों में रेडियो प्रसारण

गांवों में रेडियो लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा रेडियो रिसीवर सप्लाई करने की एक स्कीम को सहायता दी है। इस सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो के सेट की ५० प्रतिशत कीमत (प्रति सेट अधिक से अधिक १२५ रु०) गांवों में रेडियो रिसीवर प्रचलित करने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को १९६०-६१ के अन्त तक ३९,९७० रेडियो सेट दिए जा चुके हैं। १९६०-६१ को विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए ६,३०० रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अन्य स्कीमों के अन्तर्गत लगभग २,४०० सेट उपलब्ध किए गए।

## फिल्म

फिल्म सेंसर बार्ड का मुख्यालय बंबई में है, और उसके तीन प्रादेशिक कार्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। बोर्ड का काम सिनेमेटोग्राफ-अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृति प्रदान करना है। इस समय इस बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा ६ गैर-सरकारी सदस्य है।

सिनेमेटोग्राफ-अधिनियम, १९५२ की धारा ५ बी (२) के अधीन बोर्ड को आवश्यक निदेश दिए गए हैं। इनमें उन सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनके आधार पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

## बाल फिल्म संस्था

इस संस्था ने इस वर्ष ५ फिल्मों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में संस्करण तैयार किए तथा दो नए कथा-चित्र, 'न्याय' और 'सावित्री' एवं दो छोटी फिल्में 'दो टिकटों की कहानी' और

महातीर्थ पूरी की। अभी छः नई फिल्में और फिल्म विभाग द्वारा निर्मित आठ वृत्तचित्रों के बाल संस्करण तैयार किए जा रहे है।

इस संस्था की फिल्में लगभग १५० सिनेमाघरो में सवेरे के प्रदर्शनों में दिखाई गई। गांवों में चलती-फिरती गाड़ियों ने इनका प्रदर्शन किया और उन शिक्षा संस्थाओं में भी, जिनमें १७ मिलीमीटर के प्राजेक्टर हैं, ये फिल्में दिल्ली की गन्दी बस्तियों और बाल-अपराधी-सुधार-गृहों में मुफ्त दिखाई गई।

इस संस्था द्वारा निर्मित दो फिल्मों—ईद मुबारक 'औरदिल्ली की कहानी'—को सन् १९६० के राजकीय पुरस्कारों में अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र मिले। 'ईद मुबारक' ने नकद पुरस्कार भी जीता—उसके निर्माता को १०,००० रु० और निर्देशक को २,५०० रु० मिले।

इस संस्था को अप्रैल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में केन्द्रीय सरकार से ९,८३,७२२ रु० अनुदान के रूप में मिले।

## फिल्मों पर राजकीय पुरस्कार

सन् १९६० के लिए वार्षिक राजकीय पुरस्कार ३२ मार्च, १९६२ को एक विशेष समारोह में उपराष्ट्रपति महोदय ने वितरित किए।

जिन फिल्मों को अखिल भारतीय पुरस्कार तथा रजत-पदक मिले, उन्हें विज्ञान-भवन, नई दिल्ली में आयोजित फिल्म समारोह में दिखाया गया।

## फिल्म निर्यात में वृद्धि के प्रयास

फिल्मों के निर्यात-संवर्द्धन कार्यक्रम के अधीन जकार्ता में ५ से १२ अगस्त, १९६१ तक भारतीय फिल्मों का समारोह किया गया। आपकी फिल्मों के लिए बाजार शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई और उसे भारत-स्थित व्यापारिक संस्थाओं में वितरित किया गया।

सन् १९६१ के पहले ९ महीनों में फिल्मों के निर्यात से १२८.४१ लाख रुपए की आमदनी हुई।

## फिल्म विभाग

जनवरी-मार्च १९६१ की अवधि में इस विभाग ने ३८ और अप्रैल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में ६१ फिल्में तैयार की।

गांधीजी पर पूरे विस्तार की फिल्म तैयार करने का काम गांधी-स्मारक निधि के सहयोग से प्रगति कर रहा है।

आम चुनाव से सम्बन्धित "मतदान कैसे किया जाए" शीर्षक का अधिक से अधिक प्रदर्शन हो, इस ख्याल से उसकी ६६९ अतिरिक्त प्रतियां सिनेमाघरों को दी गई। ये प्रतियां उन ६६ प्रतियों के अतिरिक्त थी, जो आम तौर से सिनेमाओं को हर सप्ताह दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त "भारतीय योजना प्रचार" सर्किटों पर भी यह फिल्म प्रदर्शित की गई, ताकि जनता सन् १९६२ में होने वाले आम चुनाव की मतदान-पद्धति से परिचित हो जाए।

परिवार-आयोजन, हथकरघा, हस्तशिल्प, पंचवर्षीय योजना, आग से बचाव, आदि का

विशेष प्रचार करने में भी इस विभाग ने योग दिया। इसके लिए विभाग ने देश के विभिन्न भागों के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के हेतु उक्त विषयों पर पुरानी फिल्में पुनः जारी की।

## भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट

जो लोग फिल्म-उद्योग में काम कर रहे हैं, उनके लिए चलचित्र-फोटोग्राफी, ध्वनि-अंकन और फिल्म-सम्पादन के प्रथम पुनरभ्यास-पाठ्यक्रम मार्च-जून १९६१ में चलाए गए और १६ सफल प्रशिक्षार्थियों को १७ जून १९६१ को प्रमाणपत्र दिए गए।

श्री रोमी टेसोनू, जो पेरिस के "आई० डी० एच० ई० सी०" अध्यक्ष हैं, फ्रांसीसी विशेषज्ञ के रूप में मार्च १९६१ में इंस्टीट्यूट में आए। एक अन्य फ्रासीसी विशेषज्ञ फरवरी १९६२ से कुछ महीने के लिए संस्थान में आ गए हैं।

इस इंस्टीट्यूट के लिए फिल्म और शिक्षा, आदि क्षेत्रों से सम्बद्ध १२ विशिष्ट व्यक्तियों की एक सलाहकार-समिति नियुक्त की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति इंस्टीट्यूट के नीति सम्बन्धी सब मामलों पर सरकार को सलाह देगी। इसकी पहली बैठक १० अक्टूबर १९६१ को हुई।

## भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

भारतीय फिल्म फेडरेशन की सहायता से सरकार द्वारा आयोजित दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह २७ अक्टूबर से २ नवम्बर १९६१ तक नई दिल्ली में हुआ। इसमें भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा ३६ देशों ने भाग लिया। इसमें कुल ३९ कथाचित्र और ५९ छोटी फिल्में प्रदर्शित की गई।

## क्षेत्रीय प्रचार

योजना के प्रचार कार्य की दृष्टि से सन् १९६१ विशेष महत्व का वर्ष रहा, क्योंकि इस साल दूसरी योजना पूरी हुई और तीसरी योजना का श्रीगणेश हुआ। पिछले वर्षों में योजना की प्रगति और उपलब्धियां, तीसरी योजना के उद्देश्य और लक्ष्य तथा आनेवाली कठिनाइयां, यही सब वे मुख्य विषय थे, जिनके प्रचार की पूरी कोशिश की गई।

इस वर्ष क्षेत्रीय प्रचार संगठन ने दो विशेष प्रचार-आन्दोलन चलाए। इनमें से पहला था, "भारत योजना सप्ताह" जो जनवरी १९६१ में आयोजित हुआ और दूसरा था "संयुक्त योजना-समारोह" जिसका आयोजन केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार-संगठन और राज्य-सरकारों के संयुक्त प्रयास से सन् १९६१ के शीतकाल में हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों ने प्रति लोगों के बहुत उत्साह दिखाया और अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया।

## मान्यता-प्राप्त संवाददाता और फोटोग्राफार

वर्ष के अंत में, पत्र-सूचना-कार्यालय राजधानी में २१७ भारतीय और विदेशी संवाददाताओं जो १८४ भारतीय और २६ विदेशी समाचार समितियों, समाचारपत्रों, प्रसारण और टेलीविज़न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा ३७ स्थिर, चलचित्र एवं टेलीविज़न फोटोग्राफरों को जो १९ भारतीय समाचारपत्रों और फोटो-समितियों तथा १८ बिदेशी समाचारपत्रों, फोटो-समितियों

तथा चलचित्र एवं टेलीविजन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रेस सम्बन्धी सुविधाएं दे रहा था। कार्यालय ने आलोच्य वर्ष में विदेशों से आए ३० विशेष गणमान्य अतिथियों के भारत भ्रमण के सिलसिले में आनेवाले लगभग २४० विदेशी पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी सुविधाएं प्रदान कीं।

वर्ष भर में १६८ पत्रकार सम्मेलन हुए और पत्र-प्रतिनिधियों को ७ यात्राएं कराई गई। १,२६४ सरकारी बैठकों और भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए पत्र-सम्पर्क-सेवाओं की व्यवस्था की गई।

## समाचार और विशेष लेख-सेवाएँ

इस कार्यालय के १७ प्रादेशिक शाखा कार्यालय हैं जो मुख्यालय से टेलीप्रिंटर द्वारा सम्बद्ध है। उनके माध्यम से यह कार्यालय १३ भाषाओं में, जिनमें अंग्रेजी और हिन्दी भी शामिल है, भारत सरकार की गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रदान करता है। इस वर्ष कार्यालय ने ३,८०६ भारतीय समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को सूचनाएं भेजीं

## चित्र वितरण

यह कार्यालय ३७४ प्राप्त कर्ताओं को, जिनमें से ३०७ पत्र-पत्रिकाएं हैं, नियमित रूप से समाचार और सम्बन्धी चित्र भेजता है।

## एबोनाइड ब्लाक

सन् १९६१ में एबोनाइड ब्लाक प्राप्त करने वाले दूसरी और तीसरी श्रेणी के पत्रों की संख्या सन् १९६० के ७२६ से बढ़ा कर ९०० से ऊपर कर दी गई। सन् १९६१ में कुल ४७,२१३ ब्लाकों का वितरण किया गया, जब कि सन् १९६० में यह संख्या ४४,२०० थी।

## हिन्दी सामग्री

हिन्दी समाचारपत्रों की अधिकाधिक सेवा के लिए मुख्यालय की हिन्दी टुकड़ी वाराणसी, लखनऊ, पटना तथा जयपुर के शाखा-कार्यालयों से हिन्दी टेलीप्रिंटरों द्वारा सम्बद्ध है।

## सूचना केन्द्र

दिसम्बर १९६१ में बंगलौर में एक नया सूचना केन्द्र खोला गया। नई दिल्ली, जालन्धर और श्रीनगर स्थित केन्द्रों का संचालन सीधे भारत सरकार करती है और भोपाल, भुवनेश्वर बम्बई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुरई, नागपुर, पटना, राजकोट, शिलांग तथा त्रिवेन्द्रम-स्थित केन्द्रों का संचालन समान अंशदान योजना के अनुसार सम्बद्ध राज्य सरकारों की सहायता से होता है।

## पत्र कतरने और सारांश सेवा

कार्यालय की पत्र-कतरनें और सारांश सेवा मन्त्रालयों को सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में जनता के विचारों की सूचना देती है।

## जन-सहयोग

योजना-प्रचार-कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेने के प्रयत्न पूर्ववत जारी रहे। योजना का प्रचार करने के लिए भारत-सेवक-समाज के जनजागरण-दल तथा अन्य गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान दिए गए। सन् १९६१ में राष्ट्रीय योजना-सप्ताह मानने के लिए १३ विश्वविद्यालयों और १९३ योजना गोष्ठियों को भी वित्तीय सहायता दी गई।

## प्रकाश विभाग

सन् १९६१-६२ में प्रकाशन-विभाग ने प्रगति के इस क्रम को जारी रखा, जो पिछले पांच वर्षों में (क) प्रकाशनों की कुल संख्या (ख) उनके क्षेत्र की व्यापकता और (ग) उनकी बिक्री से प्राप्त आमदनी के क्षेत्र में होती रही है।

सन् १९६१ में विभाग ने २३३ पुस्तक-पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। इनमें से ९७ पुस्तक-पुस्तिकाएं जनवरी-मार्च में और १३६ अप्रैल-दिसम्बर में प्रकाशित हुई। ३१ दिसम्बर, १९६१ को २१२ अन्य पुस्तक-पुस्तिकाएं छप रही थीं और १४७ तैयार हो रही थीं।

विभाग ने १८ पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रहा। इनमें से ४ पाक्षिक है, १२ मासिक और २ द्विमासिक। इनके अलावा, विभाग आकाशवाणी की ओर से भी ११ कार्यक्रम-पत्रिकाओं का प्रकाशन करता रहा।

## पत्रिकाएँ

सन् १९६१-६२ में विभाग ने रवीन्द्र-जन्मशती-समारोह के सिलसिले में आजकल (हिन्दी) आजकल (उर्दू) और "मार्च आफ इण्डिया" का रवीन्द्र-विशेषाक प्रकाशित किया। गणतन्त्र-दिवस १९६१ के अवसर पर और अक्टूबर १९६१ में एशियायी आर्थिक आयोजक-सम्मेलन के अवसर पर "योजना" के दो विशेषांक प्रकाशित किए गए। "कुरूक्षेत्र" के गणतन्त्र-दिवस-विशेषांक के अलावा अप्रैल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में (१) प्रशिक्षण (२) हैदराबाद में हुए वार्षिक सामुदायिक विकास-सम्मेलन, (३) पत्रिका की जयन्ती और (४) बाल-दिवस के सन्दर्भ में चार विशेषांक प्रकाशित किए गए।

## पुस्तक-पुस्तिकाएं

विभाग ने "भारतीय इतिहास और अर्थ-शास्त्र-विषयक गौरव ग्रन्थ" माला के अन्तर्गत कुछ स्थायी महत्व के ग्रंथों के पुनर्मुद्रण का काम हाथ में लिया है। अप्रैल-दिसम्बर १९६१ में जस्टिस महोदय गोविन्द रानडे-लिखित "राइज आफ दि मराठा पावर" और पण्डित सुन्दरलाल लिखित "भारत में अंग्रेजी राज" (खण्ड २) (हिन्दी) का प्रकाशन हुआ। दादाभाई नौरोजी लिखित "पावर्टी ऐंड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया" के पुनर्मुद्रण का काम ३१ दिसम्बर, १९६१ को चल रहा था।

नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से विभिन्न भाषाओं में दस पुस्तकें जनवरी-मार्च १९६१ में और ९ पुस्तकें अप्रैल-दिसम्बर १९६१ में प्रकाशित की गई।

अप्रैल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में सम्पूर्ण गांधी-साहित्य का पांचवां खण्ड (१९०५-०६)

अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित हुआ। छठे खण्ड (१९०६-७) के अंग्रेजी तथा हिन्दी-संस्करणों की ३१ दिसम्बर १९६१ को छपाई हो रही थी। अब तो इस खण्ड का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हो गया है।

एक अन्य क्षेत्र, जिसमें प्रकाशन-विभाग ने उपयोगी काम किया है, बाल-साहित्य का है। अब तक विभाग ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में ३७ बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

इस विभाग द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जानेवाली पुस्तक-पुस्तिकाओं की संख्या में लगातार-वृद्धि हो रही है। सन् १९५४-५५ में जहां २० हिन्दी पुस्तक पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई थीं, वहां सन् १९६०-६१ में ४८ हिन्दी पुस्तक-पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई। अप्रैल-दिसम्बर १९६१ में २७ पुस्तकें प्रकाशित हुई। ३१ दिसम्बर १९६१ को ३४ अन्य पुस्तकें छप रही थीं तथा १० की तैयारी चल रही थी। इस तरह, सन् १९६१-६२ में प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या में और भी वृद्धि सम्भव है।

## भारत के समाचार-पत्रों का रजिस्ट्रार

समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की सन् १९६१ की वार्षिक रिपोर्ट १६ अगस्त, १९६१ को संसद में पेश की गई। रजिस्ट्रार-द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों और आंकड़ों से पता चलता है कि सन् १९६० में देश में प्रकाशित होने वाले पत्रों की संख्या के अतिरिक्त उनकी प्रकाशित होने वाली प्रतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यह वृद्धि लगभग सभी भाषाओं के पत्रों में देखी गई।

## गवेषणा और सन्दर्भ विभाग

सन् १९६१ में यह विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा उसके विभिन्न विभागों को प्रचार कार्यों के लिए सन्दर्भ सामग्री देने का अपना प्रमुख कर्तव्य पूर्ववत् निभाता रहा।

इस समय "इण्डिया १९६२ ए रेफरेन्स ऐनवल" के संकलन का काम हो रहा है। सप्ताह में दो बार जारी की जानेवाली "बैकग्राउण्ड टु दी न्यूज" और समाचार-पत्रों तथा फिल्म सम्बन्धी मासिक बुलेटिनों का क्रम जनवरी १९६२ से पुनः आरम्भ किया गया। सन् १९६१ में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से ३,४८४ लेखों का चयन किया गया और विषयानुसार उनकी सूची तैयार की गई।

## गीत और नाटक-विभाग

सन् १९६१ में देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में नाटक, गीत, हरिकथा, बड़कथा, कठपुतली के खेल, कव्वाली, कविगान, कवि-सम्मेलन, कथा-संगम् आदि के कुल मिलाकर ३,२४० आयोजन हुए। इस विभाग ने छठे ग्रीष्म नाटक समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सुप्रसिद्ध शौकिया एवं व्यावसायिक नाटक-मण्डलियों ने अपनी प्रादेशिक भाषाओं में नाटक प्रस्तुत किए।

चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक "प्रवर्तिय नाटक मण्डलियों" और "लोक रंजक दलों का प्रशिक्षण" शीर्षक से दो नई योजनाएं शुरू की जाने की आशा है। इन योजनाओं का उद्देश्य नाटकों का स्तर सुधारना है।

SAP
HAND SAW
HAND SAW



more for your money they last longer!
EVEREADY
TRADE MARK
TORCHES & BATTERIES
EVEREADY
UNION CARBIDE INDIA LIMITED
UC 453

: १० :

# स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन मुख्यतः राज्य सरकारों का ही एक प्रशसन-तंत्र है । जन-जीवन सम्बन्धी स्वास्थ्य, खाद्य आदि की नीतियों के व्यापक निर्धारण का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । इन समस्याओं के अतिरिक्त नगर-आयोजन, जल-पूर्ति आदि समस्याओं पर भी केन्द्रीय सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना होता है । इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे कार्य का एक संक्षिप्त विवरण आगामी पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है ।

## केन्द्रीय परिषद् की बैठक

केन्द्रीय स्वायत्त-शासन की सातवीं बैठक १२ और १३ अक्टूबर, १९६१ को त्रिवेन्द्रम में हुई । परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशो को उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया था । परिषद् की मुख्य सिफारिशें ये थीं :—

(१) राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि नगरपालिका क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वियत करने के लिये नगर-पालिका निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि दो-तीन वर्षो के भीतर उनके क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को प्रारम्भिक और माध्यमिक प्रकार का चेचक का टीका लगा सके ।

(२) खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने सम्बन्धी कानून के क्रियान्वयन में सहायता देने हेतु परिषद् ने अधिक प्रयोगशालाओं की सुविधा देने और इस कानून में अपराधियों को न्यूनतम दंड देने का सुझाव दिया है । राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि इस कानून को लागू करने की देखभाल और दिशा-निर्देशन देने के लिए राज्य-स्तर पर एक विशेष अनुभाग स्थापित किया जाए और नगर-पालिका क्षेत्रों में एन्फोर्समेन्ट स्टाफ की व्यवस्था की जाए ।

(३) नगर-पालिकाओं के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिये राज्य-सरकारों को परिवहन-कर मनोरंजन-कर आदि से मिलने वाले राजकीय राजस्व का कुछ प्रतिशत, जैसा कि भूमि-राजस्व में से पंचायत राज निकायों को दिया जाता है, दिये जाने का सुझाव दिया गया है ।

(४) भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि वह स्थानीय निकायों के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देना जारी रखे, क्योंकि इस सहायता के बिना नगरपालिकाएं अपने इन कर्मचारियों को संशोधित वेतन नहीं दे सकेंगी ।

(५) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता पर विचार करने के बाद सिफारिश की गयी कि भारत सरकार और योजना आयोग अनिवार्य

स्कीमों के लिए जो कि नाली अदियों की स्कीमों की तरह बाहर की वित्तीय सहायताओं पर निर्भर करती हैं, दो-तिहाई अनुदान और एक-तिहाई ऋण के रूप में दी जाने वाली सहायता के स्वरूप को बदलें।

(६) परिषद् ने सिफारिश की कि भारत सरकार ५०,००० आबादी से कम की नगरपालिकाओं को शत-प्रतिशत व्यय सहायता के तौर पर, ५०,००० अथवा अधिक आबादी वाली किन्तु एक लाख से कम आबादी वाली नगरपालिकाओं को ७५ प्रतिशत और एक लाख और उससे अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं को ५० प्रतिशत सहायता दे सकती है। यह सहायता गंदगी हटाने के लिये साफ करने वालों को हाथ-गाड़ी और पहियेदार झाड़ुएं देने के लिए इस्तेमाल होगी। परिषद् की यह भी राय थी कि मल को सर पर लाद कर ले जाने का सिलसिला हर राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों में तीन साल के भीतर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए।

(७) मेहतरों को आवासीय सुविधा देने के प्रश्न पर विचार करने के बाद परिषद् ने निर्णय किया कि निम्नलिखित सदस्यों की अर्थात् गुजरात, पंजाब और मैसूर के सदस्यों की एक उपसमिति नियुक्त की जाए। यह समिति स्वदेश मंत्रालय तथा आवास, संभरण, लोककर्म मंत्रालय के प्रतिनिधियों की सहायता से इस प्रश्न पर विचार करें और अपनी रिपोर्ट दे कि भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों का किस प्रकार अधिक से अधिक फ़ायदा उठाया जा सकता है।

(८) राष्ट्र-व्यापी आधार पर भवन-निर्माण लागत को कम करने तथा कम लागत के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की, ताकि शहरी आबादी को उचित मूल्य पर पर्याप्त और अधिक से अधिक आवास सुविधा दी जा सके, तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिषद् ने सिफारिश की कि—

(क) इस बारे में दिए गए नोट की सिफारिश का, जिसमें कम लागत के छोटे मकानों के निर्माण के लिए निर्माण सम्बन्धी ब्योरों का सुझाव दिया गया है, राज्य सरकारें अपने स्थानीय निकायों और आवास विभागों। बोर्डों के परामर्श के साथ परीक्षण करें और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन कर, उनका उपयोग करें।

(ख) जब तक इस प्रकार परीक्षण किये जाने के बाद स्थानीय निकाय औपचारिक तौर से भवन-निर्माण नियमों में संशोधन न कर दें, तब तक वर्तमान नियमों में ही जहां कहीं सम्भव हो कुछ शिथिलता करके उनका उपयोग कर सकते हैं।

(ग) राज्य सरकारें अपने परीक्षण के परिणामों को यदि सम्भव हो तो ३१ जुलाई, १९६२ तक लोककर्म, आवास और पूर्ति मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दें।

(९) जल वितरण और गंदी नाली स्कीम के क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार करते हुए परिषद् ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय जल-वितरण तथा सफाई समिति

की रिपोर्ट की सराहना की और जन-स्वास्थ्य के लिए जल-वितरण और अच्छी नाली व्यवस्था स्कीम के तात्कालिक महत्व को स्वीकार किया और इस बारे में तीसरी योजना में की गयी व्यवस्थाओं पर विचार किया और सिफारिश की कि—

(क) जल वितरण और नाली स्कीमों के लिये निर्धारित की गयी राशि को और बढ़ाया जाए।

(ख) राज्य सरकारें जीवन-बीमा निगम, बैंक और इसी प्रकार के संगठनों से ऋण लेकर राज्य सरकारों की ज़मानत पर स्थानीय निकायों को देने की सम्भावनाओं पर विचार करें और कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को सीधे ऋण लेने के लिये बढ़ावा दें।

(घ) भारत सरकार इस बात का परीक्षण कर सकती है कि स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले ऋण की ब्याज-दर में आंशिक कमी की जा सकती है अथवा नहीं।

(च) राज्य सरकारें शहरी और ग्रामीण जल-वितरण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये ताकि शहरी और ग्रामीण जल-वितरण योजनाओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, समितियां नियुक्त करें।

परिषद् की राय है कि नाली स्कीमों को इस समय बाहरी सहायता मिलना जरूरी है और इसलिए उसने सिफारिश की कि भारत सरकार नगरपालिकाओं की नाली स्कीमों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करें।

परिषद् ने सिफारिश की है कि भारत सरकार स्थानीय निकायों द्वारा अपनी स्कीमों के लिए मिले ऋणों की ब्याज-दर में कमी करने के प्रश्न पर भी विचार करे।

## दिल्ली विकास प्राधिकार

जनता से उसके सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के विचार से दिल्ली विकास प्राधिकार ने ८ जुलाई, १९६० को दिल्ली की मास्टर योजना प्रकाशित की थी। जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विस्तृत विचार करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकार ने ३० नवम्बर, १९६१ को दिल्ली की मास्टर योजना का प्रारूप सरकार को (स्वास्थ्य मंत्रालय) भेज दिया। स्वदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आवास और पूर्ति मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य मंत्रियों, दिल्ली के महापौर और मुख्य आयुक्त का एक उच्च-स्तरीय बोर्ड नियुक्त किया गया है। यह बोर्ड दिल्ली की मास्टर योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार की सहायता प्राप्त करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकार ने कुछ विकास स्कीमें तैयार की हैं जिनमें दिल्ली में रिहायशी मकान बनाने के लिए ४००० एकड़ भूमि को सुधारने का निश्चय किया गया है। इन स्कीमों के लिए भारत सरकार ने १९६१-६२ में दिल्ली विकास प्राधिकार को २८० लाख रुपये का ऋण दिया है। विकास प्राधिकार को १९६२-६३ में इन कामों के लिए ऋण की जरूरत नहीं होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकार अब भी दिल्ली की नजूल ज़मीनों का प्रबन्ध और नियंत्रण करता है। १९३७ में भारत सरकार और भूतपूर्व दिल्ली विकास ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ

था जिसके परिणामस्वरूप नजूल भूमियों के इन्तज़ाम की ज़िम्मेदारी विकास प्राधिकार को सौंपी गयी थी। दिल्ली विकास प्राधिकार ने भारत सरकार की लगभग १२२·८१ एकड़ भूमि को विभिन्न कामों के लिए प्रयुक्त कर लिया है। ३१ मार्च, १९६१ को प्राधिकार के पास ८७२५.२९ एकड़ नजूल भूमि थी जिसकी वह देखभाल और नियंत्रण कर रही है। प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के निर्देशनों के अनुसार दिल्ली की मास्टर योजना को अन्तिम रूप देगा और उसके बाद ही उसे कानून के तौर पर लागू किया जाएगा। इस समय बन रहीं आंचलिक योजनाओं को दिल्ली विकास अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनने वाले नियमों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाएगा।

## नगर आयोजन संगठन

नगर आयोजन संगठन ने १९५७ के मध्य में बृहत्तर दिल्ली के लिये मास्टर योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार करने का काम हाथ में लिया था। उसने यह काम अंतरिम सामान्य योजना प्रस्तुत किये जाने के बाद फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों के एक दल की सहायता से शुरू किया। दिल्ली की मास्टर योजना के प्रारूप से सम्बन्धित मूलभूत अध्ययन और रिपोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकार को जिसे कि दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ के अन्तर्गत दिल्ली के लिये एक मास्टर योजना तैयार करने का काम सौपा गया था, पेश की गयी। प्राधिकार ने जुलाई, १९६० में रिपोर्ट का प्रारूप प्रकाशित हुआ। जनता और सरकार के विभागों से प्रारूप के सम्बन्ध में अनेक आपत्तियां (लगभग ६०००) प्राप्त हुई। दिल्ली विकास प्राधिकार ने यह आपत्तियां परीक्षण और मन्तव्य दिये जाने के लिये नगर आयोजन संगठन को भेज दीं।

दिल्ली विकास नियम १९५९ के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकार ने एक परीक्षण बोर्ड नियुक्त किया। इस बोर्ड का कार्य सरकार के विभिन्न विभागों और सुझाव अथवा आपत्तियां करने वाले लोगों से भेंट करना था। प्राविधिक दृष्टि से प्रारूप में परिवर्तन किये जाने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के विचार से नगर आयोजन सगठन का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलत किया गया था। सम्बन्धित योजनाओं और मास्टर प्लान के प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए अन्तिम योजना बनाने से पहले बोर्ड ने तीन माह तक जनता और सरकार के विभागों की आपत्तियों को सुना। साथ ही संगठन ने परीक्षण बोर्ड की बैठकों के निर्णयों के अनुसार योजना में परिवर्तन करने का कार्य भी किया। इस बीच दिल्ली विकास प्राधिकार ने योजना में सुधार किये जाने के लिये अपने निर्देशन और अपने परीक्षणों के परिणाम संगठन को भेज दिये। १९६१-६२ के समूचे वर्ष नगर आयोजन संगठन सम्बन्धी योजनाओं में परिवर्तन करने में व्यस्त रहा। सुझाए गए परिवर्तनों को सामने रखकर फिर नकशे बनाये गये। अब यह कार्य पूरा हो गया है और योजनाओं के प्रारूप और नकशे आगामी कार्रवाई के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार को भेज दिये गये। मास्टर प्लान के लिये नकशे आदि बनाने का काम पूरा हो चुका है।

कई क्षेत्रीय योजनाएँ बनाई गईं और विभिन्न सरकारी समितियों और संस्थाओं को भूमि देने सम्बन्धी सुझावों को अंतिम रूप दिये जाने के लिये ये योजनाएँ दिल्ली विकास प्राधिकार को भेज दी गयीं। योजना के प्रारूप का काम पूरा हो जाने के बाद क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण सम्बन्धी कार्य को शुरू किया गया। कई क्षेत्रों की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं और कई आवश्यक रिपोर्ट इस समय तैयार हो रही हैं। इन योजनाओं के लिए व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

जिन योजनाओं का व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है उन योजनाओं के कार्य में १९६१-६२ के दौरान काफी प्रगति हुई और दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया ।

योजना के प्रारूप सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त उन नये कार्यों पर भी ध्यान दिया गया जिनका दीर्घ-कालीन आयोजन की दृष्टि से किया जाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर नवीनतम जन-गणना के अनुसार जनसख्या के नये आंकड़े प्रकाशित होने वाले हैं और इन व्योरों का मास्टर प्लान और अन्य सम्बन्धित स्कीमों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा ।

दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की योजनायें तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य सरकारों से और परामर्श किया गया। साथ ही केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र के राजस्व साधनों तथा साधनों के विस्तार की सम्भावनाओं का भी अध्ययन किया गया । इस तरह मास्टर प्लान के वित्तीय मन्तव्यों सम्बन्धी विस्तृत विवरण भी तैयार किए गए ।

## १९६२-६३ का कार्यक्रम

मास्टर प्लान की पूर्ति के बाद शुरू की गयी १३६ क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी का काम इस वर्ष जारी रहा। पुरानी दिल्ली और उसके बाहर के इलाकों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी इस कार्य के लिये लिया गया। इस वर्ष का प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कार्य योजना की विभिन्न सिफारिशों को विभिन्न अधिकृत एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के साथ-साथ योजना का उसके सही रूप में विश्लेषण करना होगा। इस का मतलब यह हुआ कि दिल्ली नगर के विस्तार को सामने रखते हुए समय-समय पर मास्टर प्लान की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पजाब सरकारों के बीच देश की राजधानी के और विकास को दृष्टि में रखते हुये सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी सामन्जस्य कार्य भी किए जाएंगे ।

## केन्द्रीय, क्षेत्रीय और नगर आयोजन संगठन

केन्द्रीय, क्षेत्रीय और शहरी अयोजन संगठन क्षेत्रीय और नगर सम्बन्धी तमाम कामों के बारे में मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों और राज्य सरकारों को मंत्रणा और सहायता देता है। संगठन ने राज्य सरकारों और अन्य निकायों के सहयोग से अपने कठिन प्रयास द्वारा सामान्य विकास कार्यों में ग्रामीण और नगर आयोजन के महत्व के बारे में एक सामान्य जागरुकता पैदा की जिसके परिणामस्वरुप राज्य सरकारों और औद्योगिक निगम आदि मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नगर आयोजन विभाग स्थापित करने तथा योजनाओं को लागू करने के लिये उचित कानून बनाये जाने के लिये कदम उठा रहे हैं ।

१९६१-६२ में इस संगठन ने शहरी, क्षेत्रीय आयोजन और विकास तथा शहरी भूमि के उपयोग के बारे में अपना नीति निर्धारित की। तीसरी पंचवर्षीय योजना मे कुछ व्यापक नीति-निर्देशन सम्मिलित किये गये हैं और अब संगठन वे उपाय तय कर रहा है जिनके सहारे इन निर्देशनों को क्रियान्वित किया जा सके। आशा है कि इन उपायों के बाद शहरी भूमि, मध्यम-आय और कम-आय समूह के लिये भूमि और मकान की व्यवस्था के बारे में लगाये जा रहे गलत

अनुमानों तथा उद्योगों के विस्तार और शहरी केन्द्रों के समन्वित विकास से पैदा हो रही समस्याओं के हल की दिशा में मार्ग-दर्शन मिलेगा।

कुछ राज्य सरकारों ने अपने महत्वपूर्ण नगरों की मास्टर योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकारें तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं पर २.४ करोड़ रुपए व्यय करेंगी तथा केन्द्रीय सरकार योजना अवधि में इन कामों के लिये तीन करोड़ रुपये की सहायता देगी। यह संगठन समूची योजना अवधि में लिये हर वर्ष का कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

चूँकि भावी नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार उद्योगीकरण होगा इसलिए इस संगठन ने औद्योगिक आयोजन सम्बन्धी अध्ययन भी शुरू किये हैं। जिनमें से प्रमुख ये हैं :—

(क) घनी आबादी व नगरों और कस्बों के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण अथवा फैलाव सम्बन्धी अध्ययन;

(ख) मध्यम और छोटे नगरों जिनको कि हर राज्य में नये औद्योगिक केन्द्रों के रूप में उपयुक्त ढंग से विकसित किया जा सकता है, अध्ययन;

(ग) संतुलित औद्योगिक विकास और योजनाओं का स्थान तय किये जाने के प्रश्न को सामने रखते हुए क्षेत्रों के साधनों का अध्ययन।

राज्य सरकारों और कुछ केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टें उत्साहजनक हैं। वस्तुतः कुछ राज्यों ने ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और भागों का सुझाव दिया है जिनका कि सामान्य उद्योगीकरण कार्यक्रम के लिये अध्ययन किया जाए और उन क्षेत्रों के बारे में उद्योगीकरण का कार्यक्रम बनाया जा सके।

इस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है। लेकिन इन संगठन ने सामुदायिक कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने का एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का द्विमुखी उद्देश्य ये है कि तीव्रगामी नगरीकरण और उद्योगीकरण तथा सम-सामयिक मानव-सम्बन्धों के कारण शहरी क्षेत्रों में सामाजिकता के कारण पैदा होने वाले सामाजिक परिणाम एक ऐसे सामाजिक ढांचे के निर्माण में जिससे विकास आयोजन को सुविधा मिल सके तथा संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, सहायक हो। यह कार्यक्रम राज्य-सरकारों को सुझाया गया है और सुझाव दिया गया है कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी प्रायोगिक परियोजना जैसी दिल्ली में क्रियान्वित की जा रही है, शुरू की जाए।

अधिक मास्टर प्लानों की तैयारी से उस समय तक योजनाबद्ध विकास नहीं हो सकता जब तक कि उनके पीछे कोई कानून न हो। इसलिए केन्द्रीय, क्षेत्रीय और नगर आयोजन संगठन ने राज्य सरकारों के विचारार्थ और स्वीकार किये जाने के लिए एक आदर्श शहरी और ग्रामीण आयोजन कानून तैयार किया है। इस कानून के अलावा संगठन ने राज्य आंचलिक अधिनियम और आदर्श आंचलिक नियम तैयार किये हैं और आशा की गयी है कि इन से राज्यों के अपने प्रशासनिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त वर्तमान अधिकारों का उपयुक्त आधार पर आयोजन करने में लाभ उठा सकेंगे।

त्रिवेन्द्रम में १३ और १४ अक्टूबर, १९६१ को हुई नगर और ग्रामीण आयोजन मंत्रियों की बैठक में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने और आदर्श कानून के प्रश्न पर विचार किया गया। बैठक ने संगठन के अध्ययनों को सामान्य रूप से स्वीकार किया और नगर-भूमि-नीति

विकास कार्यक्रम के सामंजस्य आदि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया गया। बैठक बहुत सफल सिद्ध हुई और उसमें शहरी और क्षेत्रीय आयोजन और विकास सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की नीति की राज्य सरकारो को जानकारी दी गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कार्यक्रमों के लिये उनका पूरा सहयोग पाने का आश्वासन प्राप्त किया गया। इस संगठन ने अपने केन्द्रीय प्राविधिक सलाहकार सगठन के रूप में औद्योगिक कारणों, औद्योगिक सिद्धान्तों व जनसख्या के घनत्व के स्तरों, ग्रामीण आयोजन के मानदंडों आदि सम्बन्धी अनेक विषयों के अध्ययन किये। इसके अलावा संगठन ने कुछ प्राविधिक विषयो पर कुछ मेनुअल्स और मार्ग-दर्शन पुस्तिकाए जो कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रमों को सलाह देने के लिये बहुत आवश्यक हैं, तैयार किये हैं अथवा उनको तैयार करना आरम्भ किया है। अपनी वर्तमान सीमित सगठनात्मक शक्ति के होते हुए भी संगठन ने विकास की नीति और योजनाओं तथा भवनों के डिजाइन की विस्तृत विकास स्कीमों के बारे में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को सहायता देने की कोशिश की है। इस वर्ष जिन विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तैयार की गयी अथवा जिन्हें अन्तिम रूप दिया गया वे निम्नलिखित हैं।

(१) उत्तर प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास की योजना का निर्माण,
(२) ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना का निर्माण,
(३) मनीपुर का योजनाबद्ध औद्योगिक और शहरी विकास,
(४) राजस्थान नहरी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय विकास योजना;
(५) कैम्बे, बड़ौदा और अंकलेश्वर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के नगरों की विकास योजनाएं,
(६) कोचीन बन्दरगाह क्षेत्र की विकास योजना;
(७) राउरकेला क्षेत्र की योजना का प्रारूप और राउरकेला नगर की विकास योजना;
(८) गांधी-सागर बांध और भाकड़ा बांध में पर्यटक और मनोरंजन सुविधाओं का विकास;
(९) कोरटालम में पर्यटक सुविधाओं का विकास और उसके लिये एक विकास योजना;
(१०) राष्ट्रीय एटलस इकाई के सहयोग से क्षेत्रीय आयोजन के रेखाचित्रों का निर्माण,
(११) राज्य के उद्योगों के योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के बहराम-पुर और कटक नगरों और पांच औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सर्वेक्षण,
(१२) अमरकंटक क्षेत्र का, जिसमें शान्डोल और विलासपुर जिले भी शामिल हैं, आयोजन,
(१३) औद्योगिक विकास की तैयारी और योजनाओं के लिये स्थान तय करने के लिये मध्यप्रदेश के भोपाल, इन्दौर, देवास, उज्जैन, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर, और सतना नगरों का अध्ययन;
(१४) राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए नये औद्योगिक केन्द्रों का विकास करने के लिये केरल के मध्यम और छोटे नगरों का अध्ययन;

(१५) बिहार के ६ क्षेत्रों और राज्य में उद्योगों के नियंत्रित विकास और शहरीकरण के लिये कई मध्यम और छोटे नगरों का अध्ययन;

(१६) भिलाई क्षेत्र के लिये विकास योजना;

(१७) देहरादून के समीप तेल और प्रकृतिक गैस आयोग बस्ती की एक विकास योजना।

तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र कुछ चुनीदा नगरों, औद्योगिक केन्द्रों आदि के लिये मास्टर प्लान तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देगा। केन्द्रीय, क्षेत्रीय और नगर आयोजन संगठन आवश्यक प्राविधिक सहायता प्रदान करेगा। यह संगठन राज्य-स्तर पर उपयुक्त नगर आयोजन कानून बनाने में भी राज्यों की मदद करेगा। साथ ही स्कूलों, अस्पतालों, पार्कों, मनोरंजन केन्द्रों आदि जैसी सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था जैसे आयोजन के विकासात्मक कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी सहायता देगा। नीति और कार्य-क्रमों के बारे में सलाह देने वाले केन्द्रीय संगठन ने शहरी और क्षेत्रीय आयोजन के लिये कुछ मूलभूत अध्ययन भी किये हैं। इन अध्ययनों से केन्द्रीक्षेत्रीय, य और नगर आयोजन संगठन को निर्देशन तैयार करने में भी काफी सहायता मिलेगी। यह निर्देशन राज्य और स्थानीय नगर आयोजन विभागों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

## बृहत्तर दिल्ली के लिये जल-वितरण व्यवस्था

पंजाब सरकार पश्चिमी जमना नहर से गर्मियों के महीनों में दिल्ली को सीमित मात्रा में पीने-योग्य पानी देगी। इसके लिए गत वर्ष एक अन्तरिम समझौता हुआ था। यह समझौता पश्चिमी जमना नहर परियोजना के पूरा होने तक जारी रहेगा। इस परियोजना की पूर्ति के बाद पंजाब सरकार ने ३२५ क्यूजैक पानी देना स्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं और निम्नलिखित स्कीमें तैयार कर ली हैं :—

(१) शाहदरा को १५ क्यूजेक पानी देने के लिये लोनी नलकूप स्कीम,

(२) ओखला से हिन्डन नदी से १५ क्यूजेक पानी देने की हिन्डन स्कीम,

यह स्कीमें शीघ्र ही दिल्लीनगरपालिका निगम को भेज दी जाएंगी, ऐसी आशा है।

रामगंगा स्कीम से २०० क्यूजेक पानी देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक आवश्यक मात्रा में पानी देना स्वीकार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी मात्रा में पानी देने के लिये तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि बाढ़, नाली-व्यवस्था और दिल्ली में पानी भर जाने की स्थिति को रोकने की समस्या तथा जल-वितरण की समस्या पर एकीकृत रूप से विचार किया जाए और इन को शीघ्र से शीघ्र हल किया जाए और कि यह उचित होगा कि इन कामों के लिये एक एकीकृत आयोजन किये जाने का काम एक एजेन्सी को सौप दिया जाए।

: ११ :

# प्रशासन

लोक सेवाओं की कार्य क्षमता पर प्रशासन की सफलता निर्भर करता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अपनी प्रशासनिक सेवाओं को पुनर्गठित करना पड़ा ताकि वे हमारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल कार्य कर सकें। सरकार के कार्य-कलापों में वृद्धि के साथ-साथ लोक-सेवाओं में कार्य-कर्त्ताओं की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। एक नये राष्ट्रीय दृष्टिकोण के पनपने के साथ-साथ नयी जिम्मेदारियां आई हैं। भारत सरकार का गृह-मन्त्रालय इन सब बातों का ध्यान रखने और जनता में शान्ति की स्थापना, अनुसूचित जातियों व जन-जातियों तथा अन्य जातियों के कल्याण की योजनाओं तथा केन्द्र के जन-शक्ति कार्यों से सम्बन्धित है। इन सब बातों का सविस्तार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

## लोक सेवाएं

**नई अखिल भारतीय सेवाएं :** १९६१ में हुई राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की कांफ्रेंस में सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया कि तीन नई सेवाएं जैसे, इंजिनियरों की भारतीय सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा का निर्माण किया जाए। संविधान की धारा ३१२ (१) के अन्तर्गत राज्यसभा ने भी इस विषय में एक संकल्प पास किया।

**नई केन्द्रीय सेवाएं :** दो नई केन्द्रीय सेवाएं नामतः (१) भारतीय सांख्यिकीय सेवा और (२) भारतीय आर्थिक सेवा के निर्माण के लिए निश्चिय किया गया। इन सेवाओं के लिए नियम अधिसूचित कर दिये गये हैं और आगे कार्यवाही की जा रही है। इस समय चौदह मन्त्रालय या विभाग भारतीय सांख्यिकीय सेवा में और सात भारतीय आर्थिक सेवा में भाग ले रहे हैं।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं :** तीनों सचिवालय सेवाओं के अनुभाग के अधिकारियों तक के स्टाफ़ के वर्तमान सर्व-सचिवालय कैडरो को मन्त्रालय-कैडरों में बांटने तथा स्टाफ़ का नियन्त्रण सम्बन्धित मन्त्रालयों को हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया है। इस परिवर्तित स्थिति को १ अप्रैल, १९६२ से लागू किया गया।

## भरती

**अखिल भारतीय सेवाएं (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) तथा केन्द्रीय सेवाएं :** सन् १९६१ में नियुक्त किये गये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| | प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा | राज्य सेवाओं से पदोन्ननि-यनच-द्वारा | योग |
|---|---|---|---|
| आई० ए० एस० | ८७ | ३४ | १२१ |
| आई० पी० एस० | ६४ | २० | ९३ |

सन् १९६० की सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप १६७ उम्मीदवार केन्द्रीय सेवाओं क्लास १ और क्लास २ मे नियुक्ति किये गये ।

**औद्योगिक प्रबन्ध समुच्चय :** समुच्चय के विभिन्न ग्रेडों पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए २१२ उम्मीदवारों में से २०४ को नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे जा चुके है। इनमें से १३१ उम्मीदवारों ने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, ६९ ने अस्वीकार कर दिया, ३ उम्मीदवार नियुक्ति के अनुपयुक्त पाये गये और १ से अन्तिम उत्तर आना बाकी है। शेष ८ उम्मीदवारों में ३ उम्मीदवारो के वर्तमान विभाग उन्हें छोड़ने में असमर्थ हैं और इसलिए वे समुच्चय में नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं। शेष ५ उम्मीदवारों को लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

## प्रशिक्षण

**राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी :** प्रथम जून, १९६१ से २९ अक्तूबर, १९६१ तक अकादमी में दो अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं, क्लास १ में सीधी भरती के लिए तृतीय आधारभूत शिक्षण क्रम चला। अकादमी ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के दस-पन्द्रह वर्ष तक की सेवा के लिए अधिकारियों के लिए एक प्रत्यास्मरग पाठ्यक्रम का भी प्रबन्ध किया।

**केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, आबू :** आई० पी० एस० की सीधी भरती के अंश में बढ़ोतरी के कारण विद्यालय में प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा दी गयी हैं। विद्यालय में प्रविष्ठ होने के पूर्व परिवीक्षाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आधारभूत शिक्षण-क्रम प्राप्त करते हैं। अब तक कालिज के उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम में ४४ वरिष्ठ आई० पी० एस० अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के सीधी भरती किये गये पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्टों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। चौथा उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम १७ शिक्षार्थियों के साथ २६ दिसम्बर, १९६१ से आरम्भ हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस के ८ परिवीक्षाधीन डिप्टी सुपिरेन्टेन्डेन्टों ने इस वर्ष विद्यालय में प्रशिक्षण पूर्ण किया।

**सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल :** सचिवालय तथा भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में कार्य करने वाले असिस्टेन्टो और अपर डिवीज़न क्लर्कों को रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण देने के लिए इस वर्ष स्कूल में नया शिक्षणक्रम चलाया गया। अनुभाग के अधिकारियों की पाठ-चारिका में कार्य अध्ययन सम्मिलित किया गया। स्कूल की प्रशिक्षण-रीति को पुनः सुधारा गया है इसमें अब ग्रुप-चर्चा और गोष्ठी भी शामिल है।

**राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप सेवाओं का एकीकरण :** ३१ दिसम्बर, १९६१ के पूर्व केन्द्रीय सलाहकार समिति ने राज्य पुनर्गठन से पीड़ित राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के ३,२११ अभ्यावेदनों पर सिफारिश की थी और केन्द्रीय सरकार ने उनमें से २,९४९ पर आदेश जारी किये। राज्य सलाहकार समिति ने अराजपत्रित कर्मचारियों के ५,११२ अभ्यावेदनों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दी और केन्द्रीय सरकार में ४,८९८ पर आदेश जारी कर दिये।

**प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग :** रेल तथा पुनर्वास मन्त्रालय तथा दिल्ली प्रशासन के अतिरिक्त संघ राज्य व मामलों को छोड़कर सतर्कता सम्बन्धी निपटाए गए मामलों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

| | राजपत्रित | अराजपत्रित |
|---|---|---|
| पदच्युत किए गए | ७ | ३४४ |
| अपनयन | ६ | १८८ |
| अनिवार्य सेवा निवृत्ति | ४ | २५ |
| पद में न्यूनीकरण | ९ | ४३१ |
| वेतन में कटौती | ३ | ८९५ |
| वार्षिक वृद्धि या तरक्की योजना | २७ | १,९७९ |
| प्रतिनिन्दित | ३२ | २,७२९ |
| कम पेंशन पर सेवा-निवृत्त किये गये | — | ६ |
| विशेष पुलिस विभाग में भेजे गये | ३ | ३१ |
| अन्य कार्यवाही | १०५ | ३,७२३ |

२७८ मामलों में अभियोग चलाये गये और २४५ मामलों में न्यायालयों ने फैसला दिया। इनमें से २०४ (८३.३ प्रतिशत) मामलों में दण्ड दिये गये व्यक्तियों में ४ राजपत्रित अधिकारी, १२६ अन्य लोक कर्मचारी तथा ८९ प्राईवेट व्यक्ति हैं। न्यायालयों ने कुल २,२७,४७२ रु० के जुर्माने किये।

४०६ मामलों का विभागीय रूप में निर्णय हुआ, जिनमें ३५५ (८७.४ प्रतिशत) मामलों में ६२ राजपत्रित अधिकारी और ३८१ अन्य लोक कर्मचारियों को दण्ड दिया गया।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी-प्रशिक्षण :** इस वर्ष के दौरान २९ स्थानों पर नये हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोले गये। इस प्रकार इन केन्द्रों की संख्या १२५ हो गयी जिनमें हिन्दी टाइप लेखन और हिन्दी शीघ्र लेखन प्रशिक्षण के केन्द्र भी सम्मिलित हैं। प्रशिक्षार्थियों की संख्या ४०,००० से अधिक हो गई थी।

**अवकाश यात्रा रियायती योजना :** वर्तमान योजना में यह अधिक सुविधा दी गयी है कि किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य एक साथ या अलग-अलग विभिन्न ग्रुपों में भी यात्रा कर सकते हैं जबकि अब तक वे दो ग्रुपों में ही यात्रा कर सकते थे।

**टेरीटोरियल आर्मी की यूनिटों में सम्मिलित होना :** असैनिक सरकारी कर्मचारियों को टैरीटोरियल आर्मी के प्राविंशल यूनिटों में भी सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी गई और उनको वे सभी रियायतें जो अरबन यूनिटों को प्राप्त हैं, दे दी गई हैं।

## राजनैतिक

**राष्ट्रीय एकता :** अगस्त १९६१ में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की समाप्ति पर जारी हुआ वक्तव्य संसद के दोनों सदनों में रखा गया। २८ सितम्बर से १ अक्टूबर १९६१ तक दिल्ली में राष्ट्रीय स्थिति पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति संसद के सामने रखी गयी। राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गयी है।

**जोनल काउंसिलें :** उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी ज़ोनल काउंसिलों की बैठकें क्रमशः जुलाई, सितम्बर, और अक्तूबर, १९६१ में केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुईं। इन बैठकों में अन्तर-

राज्यों से सम्बन्धी जरूरी मामलों पर निर्णय किया गया। पश्चिमी ज़ोनल काउंसिल ने पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस रिज़र्व फोर्स के निर्माण की संभावनाओं पर जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई।

अपराधी की खोज में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल तथा केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान प्रयोगशाला इस वर्ष भी उपयोगी कार्य करते रहे।

अब तक केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल में २६६ राज्य पुलिस अधिकारी तथा तीन विदेशी प्रशिक्षण पा चुके हैं। मार्च, १९६२ में विभिन्न राज्यों से पुलिस अधिकारियों के ग्यारहवें दस्ते ने स्कूल में प्रवेश किया।

अब तक १५,२९,१३,९८८ रु० का राशि के ऋण विभिन्न राज्यों को पुलिस आवास योजनाओं के लिए दिए गए।

## विदेशी

१९३९ के विदेशियों के पंजीयन के नियमों से दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को जो छूट दे रखी थी वह मूलरूपेण भारतीय नागरिकों के सिवा अन्यों के लिये समाप्त कर दी गयी।

## पिछड़े वर्गों का कल्याण

**अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग :** ३० अक्तूबर, १९६१ को अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शीतकालीन अधिवेशन के बीच संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट की प्रतियां रखी गयीं। सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

**अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को सेवाओं में प्रतिनिधित्व :** विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में लगातार सुधार हो रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का आई० ए० एस० आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये इलाहबाद केन्द्र में विशेष शिक्षा दी जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों में से जो, १९५९ और १९६० की आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं में बैठे थें, १४ आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त किये गए। शीघ्र ही इसी प्रकार का केन्द्र दक्षिण भारत में खोलने का विचार है।

**तीसरी योजना का परिव्यय :** द्वितीय योजना के ९१ करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत तीसरी योजना के लिए लगभग ११४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से लगभग ७९ करोड़ रुपये राज्य सरकारों की योजना के लिये और ३५ करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिये हैं। तीसरी योजना की विशेष रूपरेखा यह है कि केन्द्रीय क्षेत्र इन कुछ अग्रहहत्व की योजनाओं तक समिति है जो विशेष अयोग्यताओं से सम्बन्धित है अथवा इस प्रकार की हैं कि उनके लिये अधिक समय तक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के कार्यक्रम में सारे देश में ३३० आदिम जाति विकास खण्ड आरम्भ करने का कार्य भी सम्मिलित है।

**गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता :** पिछड़ी जातियों के कल्याण के कार्यक्रम की सफलता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संस्थाओं के क्रियाशील सहयोग को प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य और केन्द्र दोनों में संस्थाओं को उदारतापूर्वक सहायता देने की व्यवस्था तीसरी योजना में की गयी है।

**मल सफाई दशायें जांच समिति :** समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को तथा रेल मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय को भेजी गयी है जिसमें सर पर मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की गयी है।

## विधान और न्यायिक मामले

**विधान :** १९६१ में राज्य विधान द्वारा पास हुए २०५ विधेयकों ने राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की। इस वर्ष गृह-मंत्रालय द्वारा स्पोंसर किये गए ७ विधेयक बनाये गये।

**सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय :** उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्त) अधिनियम १९५४ को संशोधित किया गया जिसमें यह स्पष्टीकरण किया गया कि न्यायाधीशों को अपनी मूल सेवाओं से साधारण नियमों के अधीन मिलने वाले सारे सेवा-निवृति के लाभ (मृत्यु सेवा-निवृति उपदान तथा कुटुम्ब की पेंशन सहित) मिलेंगे।

## जन-शक्ति

जन-शक्ति निदेशालय, योजना आयोग तथा दूसरी सम्बन्धित संस्थाओं के पूरे सहयोग के साथ जन-शक्ति कार्यक्रम का समन्वय और कार्यान्वित की देखभाल का काम करता रहा।

**भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकियों का समुच्चय :** इस वर्ष समुच्चय की स्वीकृति संख्या २०० से बढ़कर ३०० कर दी गयी और समुच्चय के अधिकारियों के वेतन आदि को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निश्चित किये गये वेतन-क्रमों के समान बनाया गया। नवम्बर, १९६१ के आखिर तक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जो समुच्चय का प्रबन्ध करती है, ३९३ व्यक्तियों को नियुक्ति-प्रस्ताव भेजें और १५९ व्यक्ति वास्तव में समुच्चय में शामिल हो गये थे तथा वे विभिन्न संगठनों में लगाये गये हैं जहां उनके प्रशिक्षण का उचित प्रयोग हो सके।

## जम्मू व काश्मीर

काश्मीर से सम्बन्धित संघ सूची मद ५२ (ऐसे उद्योग जिनका नियन्त्रण केन्द्र के अधीन होगा संसद द्वारा जनता के लिए [illegible] किया गया है) के अनुसार संविधान के अनुसार संविधान की धारा ३७० के अधीन २ मई, १९६१ को राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया।

राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में लद्दाख जिले के विकास के लिए ३२२ लाख रुपए का परिव्यय स्वीकार कर लिया गया है। भारत सरकार जम्मू व काश्मार का सरकार को कुल व्यय के ९० प्रतिशत तक अनुदान के रूप आर्थिक सहायता देगी।

लद्दाख में कृषि विकास की सम्भावनाएं खोजने के लिये लेह में एक हाई अल्टीट्यूड रिसर्च फार्म स्थापित किया गया है। वहां पर किए गए प्रयोगों से बहुत सफल परिणाम निकले हैं।

## सीमान्त क्षेत्रों का विकास

सीमान्त क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत परिव्यय जो कि हिमालय प्रदेश संबंधित राज्यों की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का ही भाग हैं, निम्न प्रकार हैं—

| | कुल परिव्यय | १९६१-६२ के लिए स्वीकृति परिव्यय |
|---|---|---|
| | करोड़ रु० | लाख रु० |
| उत्तर प्रदेश | २८.०० | ७६.०२९ |
| पंजाब | १.३४ | २२.८६४ |
| जम्मू व काश्मीर | ३.२२ | १०.१४४ |
| हिमाचल प्रदेश | २.१४ | ८.९३४ |

## राजभाषा

केन्द्रीय प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने तथा केन्द्र के विभिन्न कार्यों के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग अधिक करने के हेतु प्रारम्भिक कार्यवाहियों के कार्यान्वय के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है।

अगस्त, १९६१ में हुई मन्त्रियों की कांफ्रेंस ने सरकार की ओर से इस घोषणा का स्वागत किया कि हिन्दी के अखिल भारतीय राजभाषा के होने के पश्चात भी अखिल भारतीय राज कार्यों के लिये अंग्रेजी एक सहायक भाषा के रूप में चलती रहेगी।

यह निश्चय किया गया है, कि यथासमय एक विधेयक पेश किया जाए, जिससे, जब तक आवश्यक हो, सन १९६५ के बाद भी अंग्रेजी एक सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहे।

सन १९६१ से अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं के हेतु ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी भाषा का एक ऐच्छिक पत्र भी रखा गया है।

: १२ :

# कानूनी मामले

सरकार के अनेक कार्यों में से सबसे बड़ा काम कानून बनाने का है। केन्द्रीय सरकार विधि मंत्रालय के विधेयकों का मसविदा बनाती है, जिन्हें बाद में संसद की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है। विधि मंत्रालय के इन कठिन कार्यों के अतिरिक्त एक विधि आयोग भी है, जो कि मौजूदा कानूनों और कानूनों में सुधार करने की जरूरत पर काम करता है और अपनी रिपोर्ट देता है।

गत वर्ष विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अनेक विधेयकों में से ६३ अधिनियम स्वीकृत हुए।

इनके अलावा तीन अध्यादेश और और आठ नियम जारी किए गए। इसी वर्ष उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में ५ राष्ट्रपति अधिनियम जारी किए गए।

वर्ष के दौरान में संसद द्वारा पारित अधिक महत्वपूर्ण अधिनियमों में से कुछ ये है :—

(१) द्वि-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (उत्पादन) अधिनियम, १९६१, (२) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१, (३) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१, (४) दहेज निषेध अधिनियम, १९६१, (५) दादरा और नगर हवेली अधिनियम, १९६१, (६) आयकर अधिनियम, १९६१, (७) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, १९६१, (८) शिशिक्षु अधिनियम, १९६१, (९) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१, (१०) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, १९६१, (११) संविधान (दशम संशोधन) अधिनियम, १९६१, और (१२) संविधान (एकादश संशोधन) अधिनियम, १९६१।

इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के दो पदाधिकारियों को प्रारूपण कार्य में प्रशिक्षित किया गया।

## मुकदमा सम्बन्धी उपविभाग

यह उपविभाग पंजाब उच्च न्यायालय की दिल्ली स्थित सरकिट न्यायसभा के सहित दिल्ली के न्यायालयों में सरकारी मुकदमों सम्बन्धी कार्य का कारगर और अविलम्ब प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह दिल्ली में सरकारी सलाहकार और दिल्ली प्रशासन के सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य सम्पर्क कार्यालय के रूप में कार्य करता है और सुसंगत सामग्री के संग्रहण और जांच के पश्चात् सलाहकार को निश्चय करता है। मुकदमों के उचित संचालन में अन्य सहायता देना है।

अनावश्यक मुकदमेबाजी और तत्सम्बन्धी अपव्यय को बचाने की दृष्टि से यह समय-समय पर मुकदमों के विषय में स्वयं विचार करता है और जहां कहीं आवश्यक प्रतीत होता है वहां प्रतिवाद वापस लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाहियों की सिफारिश करता है। इसके साथ-साथ यह सलाहकार की फीस के बिलों की जांच करता है और संविद् निबन्धनों के अनुसार उसे की जाने वाली देनगियों को प्रमाणित करता है।

उपरोक्त प्रबन्ध केवल ऐसे सरकारी मुकदमों सम्बन्धी कार्य से सम्बद्ध हैं जिनका

मामूली तौर से दिल्ली में सरकारी सलाहकार करता है और इससे उस प्रबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर सम्बन्धी मुकदमों, रेलवे के मुकदमों, उच्चतम न्यायलय में के मुकदमों और मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में के मुकदमों आदि जैसे सरकारी मुकदमों के लिए पृथक रूप से किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के बम्बई स्थित कार्यालयों की विधि सम्बन्धी परामर्श देने के लिए एक पृथक् इकाई है। यह इकाई एक संयुक्त सचिव और वैध परामर्शदाता के अधीन है। बंबई स्थित आयकर विभाग सहित सब केन्द्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों को विधि सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देना इसी इकाई की जिम्मेदारी है। बंबई में उच्च न्यायालय में ऐसे मुकदमों का, जिनमें केन्द्रीय सरकार का बंबई स्थित कोई कार्यालय एक पक्ष हो, कार्य भी यही इकाई संभालती है। आयकर सम्बन्धी मुकदमें और भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन निर्देश भी जो उच्च न्यायालय में फाइल किए जाएं, इसी इकाई द्वारा संभाले जाते हैं।

## केन्द्रीय अभिकरण उपविभाग

केन्द्रीय अभिकरण उपविभाग, उच्चतम न्यायालय के सामने उन दीवानी और फौजदारी मामलों में पैरवी की व्यवस्था करता है जिनमें केन्द्रीय सरकार अथवा सम्मिलित राज्य सरकारों के हित निहित हैं। इस अभिकरण की स्थापना से सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश होने वाले विभिन्न मामलों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिक सहयोग हो गया है और मितव्ययता तथा दक्षता में भी वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय अभिकरण उपविभाग के अधीन एक सरकारी अधिवक्ता, एक सरकारी उप-अधिवक्ता और एक सरकारी सहायक अधिवक्ता कार्य करते हैं जिनकी सहायता के लिए कुछ कर्मचारी भी हैं। ये अधिवक्ता बिना किसी अतिरिक्त व्यय के महान्यायवादी, महासालीसिटर, अपर महासालीसिटर तथा सम्पृक्त राज्य सरकारों द्वारा निश्चय किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में पैरवी करते हैं और छोटे मामलों की यह स्वयं ही पैरवी कर लेते हैं।

इस उपविभाग के व्यय भारत सरकार और सम्मिलित होने वाली राज्य सरकारों के बीच विभक्त होते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश के सिवा सभी राज्य सरकारें इस योजना में सम्मिलित हैं।

ऐसे मामलों में भी परामर्श दिया जाता है जिनमें सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वैध कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या संस्थित की जाने वाली हैं या सरकारी सेवकों के विरुद्ध अभियोजन किया जाने वाला है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रक्षित विधेयकों की जांच भी इस उपविभाग में की जाती है।

इसके अतिरिक्त जिन वादों और अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सरकार एक पक्ष होती है, उनके सम्बन्ध में भारत के न्यायालयों से प्राप्त सम्मनों और सूचनाओं की बाबत यह आवश्यक कार्यवाही करता है, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर या भारत के अपर महासोलिसिटर की राय प्राप्त करने के लिए मामले का खुलासा तैयार करता है और मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने वाले, जो टिप्पणियों के प्रारूप और संक्षिप्तियों के प्रारूप अन्य मंत्रालयों से प्राप्त होते हैं, उनकी जांच करता है।

## राजभाषा आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४४ के खंड (६) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निकाले गय निदेशों के अनुसार ऐसी प्रामाणिक विधि शब्दावली की तैयारी के लिए जो यावत्साध्य सब भारतीय भाषाओं में काम में लाई जा सके और हिन्दी मे अधिकृत मूलपाठ तैयार करने से सम्बद्ध सब कार्यों की उचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए राजभाषा (विधायी) आयोग के नाम से ज्ञात विधि विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग बनाया गया है जिसके अध्यक्ष आसाम उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री सी० पी० सिन्हा है ।

## विधि आयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान में विधि आयोग ने निम्नलिखित प्रतिवेदन सरकार को दिए हैं:

१—महाप्रशासक अधिनियम की बावत प्रतिवेदन (उन्नीसवां-प्रतिवेदन)

२—अवक्रीत-क्रय विधि की बावत प्रतिवेदन (बीसवां प्रतिवेदन)

३—समुद्री बीमा विधि की बावत प्रतिवेदन (इक्कीसवां प्रतिवेदन)

४—ईसाई विवाह और विवाह सम्बन्धी खंड की बावत प्रतिवेदन (बाइसवां प्रतिवेदन)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ की बावत और [illegible] अधिनियमों की बाबत आयोग के प्रतिवेदनों के प्रारूप राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों में परिचालित किए गए थे तथा उनकी लिखित आलोचनाएं मांगी गई थी । वैदेशिक विवाह सम्बन्धी विधि पर आयोग के प्रतिवेदन का प्ररूप भी इसी प्रकार परिचालित किया जा रहा है ।

आयोग अनेक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों के पुनरीक्षण में भी लगा हुआ था, जिसमें मुख्य ये हैं :—

१—साधारण परिभाषा अधिनियम, २—दंड प्रक्रिया संहिता, ३—भारतीय साक्ष्य अधिनियम ४—भारतीय दंड संहिता ।

: १३ :

# सिंचाई और बिजली

हमारी औद्योगिक प्रगति अन्ततः बिजली के हमारे साधनों पर निर्भर करती है और बिजली के साधनों को प्राप्त करने के लिए ही हमने बड़ी-बड़ी नदी-घाटी योजनाएं आरंभ कर रक्खी है। परियोजनाओं से बिजली प्राप्त होने के साथ-साथ बड़े जलकुण्डों में जल को सुरक्षित रखा जाता है और उसका सिंचाई के काम में उपयोग किया जाता है। सिंचाई से कृषि की पैदावार बढ़ती है और कृषि की पैदावार बढ़ने से औद्योगिक प्रगति में मदद मिलती है। अतः नदी-घाटी परियोजनाओं में बिजली और सिंचाई के साधनों को उन्नत बनाने में पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कई परियोजनाएं आरम्भ कीं और इनसे प्राप्त बिजली से हमारी औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा मिला है। नदियों के जल को रोककर बड़े-बड़े बांध और सिंचाई की नहरें बनाई गई हैं जिनसे हमारा खाद्य का उत्पादन बढ़ा है। यहां हम उन परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनसे हमारी बिजली की क्षमता और अनाज़ की पैदावार बढ़ने में मदद मिली है।

## सिंधु जल-सन्धि

सिंधु जल-संधि १९६० के अनुसमर्थन की लिखतों का विधिवत् आदान-प्रदान १२ जनवरी १९६१ को नई देहली में हुआ। संधि के अनुसमर्थन के बाद सिंधु जल के लिए श्री एच० सी० कालरा को भारतीय कमिश्नर बनाया गया।

स्थायी सिंधु कमीशन ने ३१ मार्च, १९६१ को खत्म होने वाले साल की अपनी पहली सालाना रिपोर्ट भारत और पाकिस्तान की सरकारों को पेश की।

पाकिस्तान ने प्रतिस्थापन-कार्यों के खर्च में निश्चित भारतीय योगदान की दूसरी सालाना किस्त, जो कि ६२,०६,००० स्टर्लिंग के बराबर थी, विश्व बैंक को सिंधु बेसिन विकास निधि के जमा-खाते में डालने के लिए पहली नवम्बर १९६१ को दे दी गई।

निकट भविष्य में, पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज, जंगीपुर बैराज और तीस्ता नहर, वगैरह के कार्य-स्थलों को देखने के लिए पाकिस्तानी विशेषज्ञों के आने की संभावना है।

## सिंचाई

**सिंचाई-संभाव्य का पता लगाना**—प्राप्त "भारत का सर्वे" नक्शों, बारिश और बहाव आंकड़ों, सोची जा चुकी परियोजनाओं की रिपोर्टों, प्रशासकीय रिपोर्टों और गजेटियरों इत्यादि के सहारे देश के सिंचाई-संभाव्य का अध्ययन चलता रहा।

अप्रैल, १९६१ से फरवरी १९६२ तक, २४ नई और ४ पिछलगू (फालो-अप) परियोजनाओं के सिंचाई-पहलू की जांच-पड़ताल की गई।

## पन रास्ते और नौ-परिवहन

केन्द्रीय पानी और बिजली कमीशन ने, गंगा, यमुना, राप्ती, मतई और महानदा नदियों के चुने पाटों के, यह जानने के लिए कि वे नदियां अंतर्देशीय पानी आवाजाही के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, प्राथमिक जलवाणिक सर्वे किए। यह परिवहन और संचार मंत्रालय की तरफ से किया गया। कमीशन ने इस बारे में रिपोर्टें तैयार कीं।

## सिंचाई, बाढ़-रोकथाम और बिजली विकास

अपनी-अपनी सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं के आयोजन और कार्यान्वियन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के कार्य-कलापों में तालमेल बिठाती रही और सिंचाई और बिजली के संभाव्य का सही विकास सुनिश्चित करती रही। तीसरी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम पर अनुमानतः ५९९,३४ करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाढ़-रोकथाम, पानी-विकास, जल-एकत्रण विरोधी और समुन्दर-कटाव-बचाव के उपायों पर ६१.३२ करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बिजली के कार्यक्रम पर अन्दाजन १,०३९ करोड़ रुपए खर्च होंगे। निजी क्षेत्र में इस तरफ ५० करोड़ रु० लगाए जाने का अंदाजा है।

## सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के काम में किफायत

सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के निर्माण में किफायत हो सके, और बन चुकी या पूरी होने वाली परियोजनाओं में पड़ी अतिरिक्त मशीनरी और साज-सामान का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके इसकी पूरी-पूरी कोशिश की गई।

केन्द्रीय पानी और बिजली कमीशन के नीचे, देहली और बंगलौर में, संपर्क-यूनिटों के बन जाने से, राज्यों में केन्द्रीय मशीनी यूनिट तेजी से कायम होने लगे हैं।

## दुर्लभ सामान का जुटाव

इस साल, सीमेंट. इस्पात, कोयला और विस्फोट पदार्थों की प्राप्ति में कई परियोजनाओं को मुश्किलें पेश आईं। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की सीमेंट की मांग और इस्पात की नियंत्रित किस्मों की मांग को केन्द्रीय पानी और बिजली कमीशन समन्वित करता है। कमीशन ने परियोजना अधिकारियों को ठीक मात्रा में सीमेंट दिलवाया।

## अंतर्राज्यीय समस्याएं

कृष्णा और गोदावरी भारत की बड़ी-बड़ी नदियों में से हैं। उनके पानी को सिंचाई और बिजली पैदा करने के काम में लगाने का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। सन् १९५१ में, उस वक्त चल रहे कामों के लिए जितना पानी जरूरी था और उस वक्त तक घोषित नई परियोजनाओं में जितने पानी की जरूरत हो सकती थी, उन सब जरूरतों को पूरा करने के बाद, इन नदियों के बाकी पानी की मात्रा कूती गई। तब से लेकर, इन नदियों पर कई परियोजनाएं बन रही हैं, और कुछ और परियोजनाएं योजनाओं में शामिल कर ली गई हैं। साथ ही, इन बीते दस सालों

में, इन नदियों के बारे में और आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

१९५३ में आंध्र प्रदेश बना और नवम्बर १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन हुआ । इन दो बातों के फलस्वरूप अनेक परियोजनाओं की जमीन और कार्यस्थल एक राज्य से निकल कर दूसरे राज्य की सुपुर्दगी में आ गए । सन् १९५१ में पानी की बांट की गई थी। अब मांग की जाने लगी है कि कामों और परियोजनाओं की सूची को देखते हुए इस बांट में जरूरी घटबढ़ की जावे और कि छोटी और दूसरी परियोजनाओं में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए मिलने वाली चुकती बांटों में भी जरूरी हेरफेर किया जाए ।

सितम्बर १९६० में राज्य मंत्रियों का एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन करके, किसी सर्ववादि-सम्मत फैसले पर पहुंचने की कोशिश की गई लेकिन तब कोई फैसला नहीं हो सका ।

कृष्णा और गोदावरी नदियों से कितना पानी मिलता है, विभिन्न परियोजनाओं को कितना पानी चाहिए और कि क्या गोदावरी नदी के पानी को मोड़कर कृष्णा बेसिन में मिलाया जा सकता है या नहीं, ये सब देखने के लिए पहली मई १९६१ को भारत सरकार ने एक तीन-सदस्यीय तकनीकी कमीशन गठित किया । इसी बीच पहले की मंजूरशुदा परियोजनाओं का काम इकसार गति से चलता रहा । कमीशन को नम्वबर १९६१ तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी लेकिन चूंकि तब तक राज्यों से बहुत-सी जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करने बाकी रहते थे इस-लिए कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा समय और लगेगा । अब, कमीशन जुलाई १९६२ के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा ।

## नदी-बोर्ड स्थापन

अंतर्राज्यीय नदियों के पानी-दाय को नियंत्रित और नियमित करने के विचार से जिससे कि उपयोग भरभूर हो, और सिंचाई, पनबिजली-उत्पादन, बाढ़-रोकथाम, भू-परत-रखाव, पानी-निकास पानी आवाजाही, इत्यादि समस्याओं को कारगर तौरपर हल करने के लिए (१) महानदी, (२) नर्मदा, (३) तापी, (४) मही (५) कृष्णा-गोदावरी (६) सतलुज, व्यास और रावी, (७) यमुना (८) कावेरी और (९) अजय के बेसिनों के लिए, सम्बद्ध राज्य सरकारों को नदी बोर्ड कायम करने के लिए कहा गया था । अब तक, पहली चार नदियों से सम्बन्ध राज्य सरकारों ने रजामन्दी ज़ाहिर की है और इन नदी-घाटियों के लिए नदी-बोर्ड स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

पूरी नर्मदा घाटी का, संयुक्त राज्य अमरीका के टेन्नेस्सी घाटी-प्राधिकार के ढंग पर विकास करने के लिए, और सारे काम को संभालने के लिए, एक केन्द्रीय प्राधिकार गठित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ।

## सिंचाई-संभाव्य का फायदा उठाना

पहली पांचसाला योजना के शुरू में (१९५०—५१) में सभी साधनों से ५.१५ करोड़ एकड़ भूमि सिंचती थी जिसमें से बड़ी और बिचली सिंचाई परियोजनाओं से सिंचने वाली भूमि कोई २.२ करोड़ एकड़ थी । पहली पांचसाला योजना के दौरान बड़ी बिजली परियोजनाओं से, लगभग और ३० लाख एकड़ जमीन सिंची ।

दूसरी योजना में, बड़ी और बिजली सिंचाई परियोजनाओं से और १.२ करोड़ एकड़ भूमि

को सींचने का विचार था, सन् १९५८ में जब योजना के काम का जांच की गई तब इस रकबे को घटा कर १.०४ करोड़ एकड़ कर दिया गया। राज्यों के इस वक्त के अनुमान के मुताबिक लग-भग और ६९ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है।

दूसरी योजना के आखिर में उपयोग्य संभाव्य करीबन ३० लाख एकड़ है। तीसरी योजना में, चली जा रही स्कीमों से नया सिंचाई-संभाव्य करीबन १.३८ करोड़ एकड़ बनेगा और नई स्कीमों से २४ लाख एकड़। तीसरी योजना के अरसे में, कोई १.२८ करोड़ एकड़ (ग्रोस) का अतिरिक्त फायदा उठाया जाएगा। इसके मुकाबिले कुल अतिरिक्त संभव्य १.६२ करोड़ एकड़ बनेगा।

## बाढ़-रोकथाम

१९६१ के दौरान मानसून-ऋतु के शुरू में ही, भारी और जमकर बारिशों के कारण केरल, मद्रास और मैसूर राज्यों के कुछ हिस्सों में खतरनाक बाढ़ें आईं। उड़ीसा में महानदी से भारी बाढ़ें आईं तो पूना में पंशेत और खड़कवासला बाधों में दरारें पड़ जाने से हालात नाजुक हो गए। बाद में, अगस्त और सितम्बर के महीनों में आसाम, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े इलाकों में भारी बाढ़ें आईं जबकि बाकी के राज्यों में भी छोटी-छोटी बाढ़ें आती रहीं। अक्टूबर के शुरू में भारी बारिशें पड़ने से, दक्खिनी बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ें आईं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दक्खिनी बिहार में अक्टूबर के महीने में आम तौर पर सूखा पड़ता है। केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य-प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी आम तौर पर कोई खास बाढ़ें नहीं आतीं लेकिन इस साल, भारी और जमकर पड़ी बारिशों के कारण, इन राज्यों में भी भारी बाढ़ें आईं। इस साल, एक और खास बात यह हुई कि गंगा और उसकी छोटी नदियों में, दक्खिनी बिहार में, एक साथ ही बाढ़ें आईं। इस साल, मध्य प्रदेश की नर्मदा में, आसाम की ब्रह्मपुत्र में, पंजाब की व्यास और उत्तर प्रदेश की बड़ी गंडक में पानी की ऊंचाई पहले के सब सालों को मात कर गई। उड़ीसा की महानदी का बहाव हीराकुंड बांध पर अभूतपूर्व था। नालियों के भीड़-भड़क्के से, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, देहली और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल को नुकसान उठाना पड़ा। कुल मिला कर, अब तक के किए गए बाढ़-रोक-थाम कामों ने, इस साल बाढ़ से काफी बचाव किया। यदि हीराकुण्ड बांध न होता तो उड़ीसा महानदी तिकोन में भारी तबाही मचती।

बाढ़ की लपेट में आए इलाकों को राहत देने के विचार से, राज्य सरकारों पर, अन्तरिम उपाय करने के लिए, जोर डाला गया है। इस बारे में, राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई हैं कि—

(१) वे बाढ़-चेतावनियां पेशगी से पेशगी देने का पक्का प्रबन्ध करें; और

(२) वे बाढ़-ग्रस्त गांवों के नजदीक, बाढ़ के स्तर से काफी ऊंचे चौतरे बनवाएं जहां पर कि जनता और उसके माल-सामान को, फिलहाल, टिकाया जा सके।

इस वक्त १३ राज्य बाढ़-रोकथाम बोर्ड हैं, जिनकी सहायता राज्य-स्तर पर, उनकी अपनी तकनीकी सलाहकार समितियां करती हैं, और अन्तर्राज्यीय स्तर पर ४ नदी-कमीशन है। केन्द्र में एक केन्द्रीय बाढ़-रोकथाम बोर्ड है जो कि विभिन्न राज्य बाढ़-रोकथाम बोर्डों और नदी-कमीशोंन के काम में तालमेल बिठाता है।

बाढ़ रोकथाम के कामों की राज्यवार प्रगति नीचे दी जाती है :

**आन्ध्र प्रदेश** : २.४८ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ३१ स्कीमें, कर्ज की मदद के लिए मंजूर की जा चुकी हैं।

**आसाम** : डिब्रूगढ़ नगर के बचाव के लिए एक बड़ी स्कीम का काम पूरा हो चुका है जिस पर अन्दाजन २.४४ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

**बिहार** : अब तक २ बड़ी और ३६ छोटी स्कीमों का काम पूरा हो चुका हैं। अंदाजन इनकी लागत ९.७४ करोड़ रुपए है।

**गुजरात** : केन्द्रीय ऋण-सहायता देने के लिए ७६.५५ लाख रुपए की अनुमानित लागत की १२० स्कीमें मंजूर की जा चुकी हैं। १२.९३ लाख रुपए की अनुमानित लागत की २८ स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

**जम्मू और काश्मीर** : काश्मीर घाटी बाढ़ बचाव स्कीम भाग–१, दौर–१ पूरी होने को है।

**केरल** : अब तक, अंदाजन ३२.४९ लाख रुपए की लागत की १४ स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। इनमें से १०.७२ लाख रुपए की लागत की ५ स्कीमें बन चुकी है।

**मध्य प्रदेश** : नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद नगर को बचाने के बाढ़-बचाव कामों की स्कीम पर अंदाजन ३.३१ लाख रुपए खर्चा आएगा और इसे मंजूरी दी जा चुकी है। इसका काम हो रहा है।

**महाराष्ट्र** : २.५९ लाख रुपए के खर्च की एक स्कीम येवतमाल जिले के पुसदनगर बचाव स्कीम मंजूर की गई थी और यह बन चुकी है।

**मैसूर** : ८०,००० रुपए की लागत पर सर्वे और अनुसंधान करने की एक स्कीम मंजूर की गई है।

**उड़ीसा** : ३२.३८ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर दलाई घाट पर भुजारोध (स्पर्स) बनाने की स्कीम पूरी की गई।

**पंजाब** : ८१.५४ लाख रुपए की लागत की ३६ छोटी स्कीमें बन चुकी हैं।

**राजस्थान** : अब तक ४.८६ लाख रुपए की लागत की ७ छोटी स्कीमें बन चुकी हैं।

**उत्तर प्रदेश** : अब तक ३.७१ करोड़ रुपए की लागत की १०६ छोटी स्कीमें बन चुकी हैं।

**पश्चिम बंगाल** : अब तक ५.२२ करोड़ रुपएकी लागत की ८९ स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं ४.०२ करोड़ रुपए की लागत की ६१ स्कीमें बन चुकी हैं।

## बिजली विकास

दूसरी पांचसाला योजना के अरसे से देश की योजना के शुरू की प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता ३४ लाख किलोवाट, बढ़कर ५७ लाख किलोवाट हो गई। इसमें जलीय संयंत्रों का हिस्सा १०.३ किलोवाट है और तापीय संयंत्रों का हिस्सा ३७.७ लाख किलोवाट। दूसरी योजना के शुरू-शुरू के सालों में संयंत्र और साज-सामान आयात करने के लिए पूरी विदेशी मुद्रा नहीं मिली। साथ ही, कुछ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं, जैसे, भाखड़ा-नांगल, कोयना, रिंहद और हीराकुण्ड का काम शुरू करने में देरी हुई। मुख्यतः इन दो बातों के कारण उपलब्धि लक्ष्य से १२ लाख किलोवाट कम रही। लेकिन दूसरी तरफ ट्रांस्मिशन और वितरण के कामों में और गांव-बिजली लगाव कामों में, योजना में निर्धारित लक्ष्यों से भी ज्यादा तरक्की हुई। ११ के० वी० और ज्यादा की ट्रांस्मिशन लाइनें, कोई

४७,५०० अतिरिक्त मीलों में लगाई गई जबकि लक्ष्य ३५ ००० सर्किट मीलों का था। इसी तरह, और १५,००० गांवों में बिजली लगी जबकि लक्ष्य १०,००० गांवों का था। बिजली देने वाले सार्वजनिक कामों में, दूसरी योजना के दौरान कुल ५.२५ अरब रुपए लगाए गए (सरकारी क्षेत्र में लगने वाली रकम ४.६० अरब रुपए थी) जबकि पहली बार योजना के दौरान ३०२ करोड़ रुपए लगाए गए (सरकारी क्षेत्र में लगने वाली रकम २६० करोड़ रुपए थी) पहली योजना के शुरू में, यह रकम १५० करोड़ रुपए थी।

१९६१-६२ के दौरान, अंदाजा है कि ६,७८,००० किलोवाट की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का काम चालू हो जाएगा। इसमें, डीजल कारखानों से बनने वाली बिजली १६,००० किलोवाट होगी, पानी-संयंत्रों से बनने वाली ५,८२,००० किलोवाट और भाप-संयंत्रों से बनने वाली ८०,००० किलोवाट।

विदेशी-मुद्रा की मुश्किलों को मिटाने के लिए, तीसरी योजना की बहुत-सी परियोजनाओं को मित्र-विदेशों में मिलने वाली सहायता और पावने से नत्थी किया गया है। तीसरी पांचसाला योजना की बिजली-स्कीमों के लिए, अनुमानतः कुल ३.३ अरब रुपए की विदेशी मुद्रा की जरूरत है। ख्याल है कि चालू वित्तीय साल के दौरान इन बिजली-परियोजनाओं को १.१ अरब रुपए की विदेशी मुद्रा दिलवा दी जाएगी और उम्मीद है कि अगले साल के दौरान, १.७ अरब रुपए के स्तर के आर्डर दिए जाएंगे। इस तरह १९६५-६६ तक खत्म होने वाले अरसे के बाकी तीन सालों में सिर्फ ५० करोड़ रुपए की ही वचनबद्धता रह जाएगी।

## गांवों में बिजली

छोटे-छोटे शहरों और गांवों में बिजली लगाने के काम में संतोषजनक प्रगति हुई है। दूसरी पांचसाला योजना में १०,००० गांवों में बिजली लगाई जानी थी, जबकि इस लक्ष्य से भी अधिक स्थानों पर बिजली लगाई गई। दूसरी पांचसाला योजना के अंत तक २३,००० स्थानों में बिजली लगी। देहाती इलाकों में बिजली लगाने पर आने वाली लागत को कम करने के लिए, सस्ते देसी सामान के इस्तेमाल के लिए और लाइन उपकेन्द्र बनाने के लिए कम ख़र्च वाले डिजाइन और पद्धतियों निकालने के मामले में राज्य-सरकारों को सुझाव दिए गए। खेती सम्बन्धी कामों के लिए बिजली की दर को घटाकर समुचित स्तर तक लाने के सवाल पर, और बिजली को बांटने में गांव पंचायतें और समितियां क्या-क्या काम भुगता सकती हैं, इस बात पर राज्य सरकारों के सलाह-मश्विरे से गौर किया जा रहा है।

## तीसरी पांचसाला योजना की बिजली-स्कीमों के लिए अध्ययन-दल

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि तीसरी पांचसाला योजना की बिजली-विकास स्कीमों का काम निर्धारित समय के अनुसार हो, एक दल ने १९६१ के अन्त में राज्यों का दौरा किया। इस दल ने प्रत्येक स्कीम के लिए तब तक की हुई प्रगति, सामग्री, साजसमान, कलपुर्जों, आदि की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों पर तथा विभिन्न अवस्थाओं में पेश आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया।

## परियोजनाएं

कृषि सम्बन्धी उपज में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए तथा बिजली का शीघ्र विकास करने के लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर आज तक कई मुख्य परियोजनाएं कार्यान्वि-नार्थ हाथ में ली हुई हैं। गत दशाब्दी में इन परियोजनाओं पर बहुत रुपया व्यय किया गया है। सिंचाई तथा बिजली का परियोजनाओं को बनाने तथा उनका कार्यान्वियन करने के लिए चाहे मुख्यतः राज्य सरकारें ही उत्तरदायी हैं, बहुत सी मुख्य बहु धन्धी परियोजनाओं पर व्यय होने के लिए धन केन्द्रीय सरकार द्वारा ही ऋण के रूप में दिया जा रहा है।

इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित है :

(१) प्रथम चैनल-राजस्थान नगर परियोजना की नौरंगदेसर उपनहर का अक्तूबर, १९६१ में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्‌घाटन। (२) गंडक परियोजना, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल के, इससे सम्बद्ध सभी कार्य सम्मिलित हैं, कार्यान्वियन के लिए गंडक नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना (३) पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज परियोजना के कार्यान्वियनार्थ फरक्का बैराज नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। (४) मध्य प्रदेश में तवा बहु-धन्धी परियोजना के कार्यान्वियनार्थ तवा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना।

### भाखड़ा-नंगल परियोजना

भाखड़ा बांध पूर्ण होने को है। बहुत से खम्भे ७८० फुट की अपनी अन्तिम ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। आशा है कि बांध का कंक्रीट कार्य शीघ्र हा पूरा हो जाएगा। शेष कार्य के अक्टू-बर १९६२ में पूरा होने की सम्भावना है।

### व्यास परियोजना

व्यास परियोजना पंजाब तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें दो यूनिट हैं—यूनिट नं० १ व्यास-सतलुज लिंक और यूनिट नं० २ व्यास बांध।

### राजस्थान नहर परियोजना

आज से दस वर्ष पूर्व का एक स्वप्न राजस्थान नहर परियोजना अब साकार हो गया है। प्रथम चैनल—नौरंगदेसर उपनहर—औपचारिक रूप से ११ अक्टूबर, १९६१ को भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा खोली गई। राजस्थान फीडर की किन्हीं निम्न "रीचिज" को प्राथमिकता पर पूर्ण करने तथा सरहिन्द फीडर द्वारा पानी को अन्दर आने देकर ही परियोजना के पूरा कर उसके इतिहास को महत्वपूर्ण बनाया गया।

राजस्थान नगर परियोजना में १०,००० से अधिक वर्गमील की रेगिस्तानी भूमि को लगभग २० से २५ वर्षो की अवधि में कृषि सम्पन्न विकसित क्षेत्र में बदल देने का आयो-जन है।

### हीराकुण्ड बांध परियोजना

मुख्य बांध पर स्थित बिजलीघर जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता १,२३,००० किलोवाट

है, उड़ीसा राज्य में कारखानों की आवश्यकताओं को बड़ी क्षमता से पूरा कर रहा है। कटक, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बारगढ़ तथा बहुत से अन्य स्थानों को भी हीराकुण्ड की बिजली दी जा रही है।

परियोजना की अनुमानित लागत ७०.७८ करोड़ रुपए है। दिसम्बर १९६१ के अन्त तक इस पर ६४.५८ करोड़ रुपए व्यय हुए।

## जलाशयों से उभरी हुई भूमि में खेती

तटाग्र फार्मों (फोरशोअर फार्म) को और ४० प्रतिशत बढ़ा दिया है और कृषि उत्पाद (एग्रीकल्चरल आउटपुट) भी बढ़नी आरंभ हो गई है। वाणिज्य फसलों के बोने और उनसे प्राप्त लाभ से यह पता चला है कि वाणिज्य फसलों के लिए तटाग्र भूमि के बड़े पैमाने पर उपयोग का काफी अधिक अवसर है। आलोच्य वर्ष में, गहरे जल और अर्ध-गहरे जल में बोई जाने वाली धान जैसी खरीफ की फसलें और कुछ उच्च भूमि पर बोई जाने वाली मूंगफली और मरूआ जैसी फसलें ३२० एकड़ भूमि में बोई गईं। अभी तक कृषि के उपयोग के लिए २,७२५ एकत्र उपान्तीय भूमि में पट्टे के प्रबन्ध किए गए है। पट्टे पर दी गई भूमि पर प्रदर्शन भी किए गए हैं।

## विस्तार कार्य

आलोच्य वर्ष में १४६ भूमि संरक्षण प्रदर्शन, दोनों यान्त्रिकी और जैवकीय पूर्ण किए गए। ये प्रदर्शन १७७ ग्रामों में, जो कि १,७०२ एकड़ भूमि में हैं और जहां ३,१०० कृपक रहते हैं, में किए गए। ये सभी प्रदर्शन कृषकों के सक्रिय सहयोग से किए गए।

## भूमि संरक्षण इन्जीनियरी

आलोच्य अवधि में मिट्टी के तीन बांध पूर्ण किए गए। मिट्टी के और बांध बनाने के लिए और २,००० एकड़ों का सर्वेक्षण तथा जांच का गई। विविध "वाटर-शैड कवर" परिस्थितियों के अन्तर्गत विविध सरिताओं और उपनदियों से गाद और जल के बहाव से सम्बद्ध जलविद्या सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किए गए।

## शुष्क खेती

कृषकों को शुष्क खेती की विविध तकनीकों तथा भूमि संरक्षण उपायों के, जिसमें अन्न में वृद्धि लाने के उपायों की सहायता के रूप में आर्द्रता संरक्षण उपाय और फालतू पानी का निपटान सम्मिलित हैं, लाभ बढ़ाने लिए हजारीबाग जिले में दो "बाटरशैड" चुन लिए गए हैं।

## सिचाई प्रयोग केन्द्र, पानागढ़

आस और असन धानों की, गेहूं और सरसों की जल आवश्यकताओं पर अध्ययन पूर्वभावी अमन धान की कृषि के बाद दूसरी फसल के रूप में उगाने के लिए गेहूं के साथ प्रमेदीय तथा खाद अन्वीक्षाएं, और गेहूं तथा सरसों पर उनके बोने की तारीख के प्रभाव पर अध्ययन किए गए। कृषकों के खेतों में धान बोने के तथा धान की फसल के बाद गेहूं की दूसरी फसल उगाने के जापानी तरीके को क्रमशः ११.५ और १० एकड़ भूमि में प्रदर्शित किया गया।

## दामोदर घाटी निगम

दामोदर घाटी निगम की तृतीय योजना के लिए ८,३४३.०८ लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इसका प्रयोजन क्रम के आधार से ब्योरा निम्नलिखित हैं :

| प्रयोजन | प्रबन्ध | | |
|---|---|---|---|
| | सतत स्कीमें | नई स्कीमें | कुल |
| विद्युत् | ३२७८.६० | २४९९.४७ | ५७७८.०७ |
| बाढ़ नियंत्रण | — | १४०.०० | १४०.०० |
| सिंचाई | २५६.१८ | ५७५.०० | ८३१.१८ |
| गौण प्रयोजन | १२५.८७ | १३००.९६ | १४२६.८३ |
| प्रकीर्ण | — | १६७.०० | १६८.०० |
| | ३६६०.६५ | ४६८३.४३ | ८३४३.०८ |

## विदेशी सहायता

विश्व बैंक ने अभी तक दामोदर घाटी निगम को तीन ऋण देने स्वीकार किये हैं। वे क्रमशः १६७.२ लाख, १०५ लाख तथा २२० लाख डालर के होंगे।

## तुंगभद्रा परियोजना

१९४५ में मद्रास तथा हैदराबाद राज्यों के संयुक्त उद्यम के रूप में आरम्भ की गई तुंगभद्रा परियोजना राज्यों के पुनर्गठन के कारण अब आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य का संयुक्त उपक्रम हो गई है।

परियोजना के निम्नलिखित अंग पूर्ण हो चुके हैं :

(क) मुख्य बांध।

(ख) दाईं ओर के दोनों बिजलीघर, जिनमें नौ-नौ हजार के० डब्ल्यू० की दो यूनिटें होंगी।

(ग) चौदह मील लम्बी विद्युत चैनल तथा इसकी बड़ी उप-नहरों समेत निम्नस्तरीय नहर।

(घ) आंध्र प्रदेश में निम्नस्तरीय नहर पर वितरण प्रणाली।

(ङ) ६५ मील तक बाएं तट की नहर।

इस परियोजना से अभी तक आन्ध्र प्रदेश में १,२०,००० एकड़ भूमि और मैसूर में २,३०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की गई।

उत्पन्न की गई सारी की सारी विद्युत का पूर्णरूप से प्रयोग किया गया है।

## कोसी परियोजना

परियोजना पर मुख्य कार्यों की प्रगति नीचे दी गई है :

हैडवर्क्स और बैराज पर आधार की खुदाई से कार्य का ९४.२ प्रतिशत भाग और कंक्रीट के कार्य का ८७.८ प्रतिशत भाग पूर्ण कर दिया गया है। आशा है कि कोसी बैराज पर सिविल

कार्यों का निर्माण जून, १९६२ तक पूर्ण हो जाएगा। नदी के विपथगमन का कार्य १९६३ में आरंभ किया जाएगा।

आशा है कि यह परियोजना १९६३-६४ में पूर्ण हो जाएगी। फरवरी, १९६२ के अन्त तक इस परियोजना पर २४.११ करोड़ रुपये व्यय हुए।

## कोयना जल-विद्युत् परियोजना

कोयना जल-विद्युत् परियोजना के प्रथम चरण में कोयना नदी पर मलवा कंक्रीट बांध और ६० प्रतिशत भार अनुपात के आधार पर २४० मैगावाट विद्युत् तथा १२६.२ करोड़ के डब्ल्यू एच विद्युत् प्रतिवर्ष उत्पन्न करने के लिए कोयना जलाशय से निकलने वाली जल नियंत्रक प्रणाली द्वारा प्रेषित एक भूमिगत बिजलीघर होगा। इससे (बम्बई के निकट) ट्रांबे तक २२० के० वी० द्विगुण परिपथ प्रेषणा लाइन सम्मिलित है जो कि तत्स्थानीय टाटा विद्युत् प्रणाली से अन्वित की जाएगी।

फरवरी, १९६२ के अन्त तक बिजली को ले जाने वाली तार तथा भूमिगत केवल क्रमशः १३८ मील और १३० मील तक लगा दी गई है।

## रिहन्द जल-विद्युत् परियोजना

रिहन्द परियोजना पर ४६.०५ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इस परियोजना में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के पिपरी गांव के निकट रिहन्द नदी के आर-पार कंक्रीट के भार-श्रित बांध के निर्माण की परिकल्पना है।

पांचों ही यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता ५०,००० किलोवाट है, पूर्णरूप से लगा दिए गये हैं और उनमें से तीन पर पूर्वचालन परीक्षण कर लिए गए हैं। पहला यूनिट १ फरवरी, १९६२ को चालू किया गया था।

दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक ३५.०० करोड़ रुपये व्यय हुए।

## चम्बल परियोजना

मुख्य कार्यों की प्रगति निम्नलिखित है :

(क) गांधी सागर बांध (मध्य प्रदेश)—बांध पूर्ण हो गया है।

(ख) गांधी सागर बिजलीघर (मध्य प्रदेश) चौथे उत्पादन यूनिट के प्रतिष्ठापन कार्य को छोड़ कर बिजलीघर पूर्ण हो गया है। चौथे उत्पादन यूनिट पर कार्य किया जा रहा है।

(ग) प्रेषणपट—मध्य प्रदेश में विद्युत् वितरणार्थ सभी प्रेषणा पथ, सवाई माधोपुर से ग्वालियर तक की लाइन को छोड़ कर, पूर्ण हो गए हैं।

(घ) कोटा बैराज (राजस्थान)—बैराज पूर्ण हो गया है।

(थ) नहरें (मध्य प्रदेश और राजस्थान में)मध्य प्रदेश में दक्षिण मुख्य नहर पर कार्य हो रहा है। पहले चालीस मील तक नहर बन गई है, तथा इसे मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। आशा है कि अपनी वितरण प्रणाली के साथ समूची नहर मार्च, १९६४ तक बन जाएगी।

## नागार्जुनसागर परियोजना

दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक कार्य प्रगति नीचे दी गई है :

### बांध

कुल ३४७.३ लाख घन फुट अन्तिम लक्ष्य में से मुख्य बांध के लिए नींव की खुदाई का कार्य ३३६.८ लाख घन फुट तक हो चुका है। १६९६ लाख घन फुट की कुल मात्रा में से ६९७ लाख घन फुट चिनाई तथा कंक्रीट बिछाई गई। बांध 'प्लेंक्स' पर १०० फुट और उमड़मार्ग भाग पर ५० फुट ऊंचा हो गया है।

### दायें तट की नहर

१८० करोड़ घन फुट के कुल कार्य भार में से चट्टान की खुदाई समेत ४९.२४ करोड़ घन फुट मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है।

### बायें तट की नहर

१३३.२ करोड़ घन फुट के कुल कार्य भार में से चट्टान की खुदाई समेत ३३.०५ घन फुट मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है।

### परियोजना की लागत तथा व्यय

परियोजना का वर्तमान स्वीकृत अनुमान ९१.१२ करोड़ रुपए का है। इसको आन्ध्र प्रदेश सरकार दुहरा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल ३९.१६ करोड़ रुपए व्यय हुए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए ५० करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया है। परियोजना के ९१.१२ करोड़ रुपए के स्वीकृत अनुमान में से दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक कुल ४४.९७ करोड़ रुपए व्यय हुए।

## गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् परियोजना

नेपाल सरकार के साथ ४ दिसम्बर, १९५९ को गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् परियोजना पर एक समझौता हुआ था।

गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् परियोजना एक अन्तर्राज्य परियोजना है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य भाग ले रहे हैं। इस परियोजना से नेपाल को भी सिंचाई तथा विद्युत् लाभ मिलेगा।

परियोजना की कुल लागत ५२ करोड़ रुपए है।

## टीस्टा बहु-धन्धी परियोजना

इस परियोजना में पश्चिम बंगाल में टीस्टा नदी पर एक बैराज का निर्माण परिकल्पित है और इससे लगभग ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने का विचार है। इस योजना से बाढ़ संरक्षण के लाभों के अतिरिक्त ५० प्रतिशत भार अनुपात पर ३००,००० किलोवाट वास्तविक जल विद्युत् उत्पन्न होगी।

## फरक्का बैराज परियोजना

भागीरथ-हुगली नदी की नाव्यता और कलकत्ता के बन्दरगाह के संरक्षण और रख-रखाव के लिए बनाई गई फरक्का बैराज परियोजना में फरक्का पर गंगा के ऊपर एक बैराज का निर्माण, इसके ऊपर एक रेल-मय-सड़क पुल का निर्माण, भागीरथी के ऊपर एक बैराज का निर्माण और एक फीडर नहर सम्मिलित है।

जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही प्राथमिक कामों को आरम्भ कर दिया गया था, परियोजना का शीघ्र, सुदक्ष एवं मितव्ययी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए फरक्का बैराज नियन्त्रण बोर्ड अप्रेल, १९६१ में स्थापित किया गया था।

यथार्थ आधार पर, श्रम के चालू रेटों को, सामग्री की कीमत आदि को तथा परिकल्पत स्कीम को ध्यान में रखते हुए लागत का वर्तमान अनुमान ६९.५९ करोड़ रुपए का है।

## कुण्डाह जल-विद्युत् परियोजना

मद्रास राज्य में अभी तक हाथ में ली गई स्कीमों में से कुण्डाह जल विद्युत् परियोजना सबसे बड़ी स्कीम है। परियोजना के प्रथम दो चरणों के अधीन ६ उत्पादन यन्त्र, जिनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता १८० मैगावाट है, प्रतिष्ठापित कर दिए हैं। परियोजना के तीसरे चरण पर कार्य सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है। इसमें बिजलीघर नं० १ और २ में अतिरिक्त उत्पादन यूनिटों के प्रतिष्ठापन के अलावा, तीन और बिजलीघरों का निर्माण सम्मलित है। इस चरण के अन्तर्गत २४० मैगावाट अतिरिक्त विद्युत् जिसकी अनुमानित लागत २३.०६ करोड़ रुपए होगी, उत्पन्न की जाएगी।

## तवा परियोजना

मध्य प्रदेश में तवा एक बहु-धन्धी परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत २७.१० करोड़ रुपए है।

पूर्ण होने पर इस परियोजना से ७,८७,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी, जोकि होशंगाबाद जिले की सुहागपुर, होशंगाबाद, सूनी मालवा, और हारडा तहसीलों में तथा पूर्वी निमार जिले की हर्सुद तहसील में होगी। इससे ६० प्रतिशत भार अनुपात पर २०,००० किलोवाट विद्युत् भी उत्पन्न होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना पर लगभग ५४ लाख रुपए व्यय हुए।

## त्रिसूली जल-विद्युत् परियोजना

त्रिसूली जल विद्युत् परियोजना नेपाल में त्रिसूली नदी पर स्थित है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार ने इस परियोजना को नेपाल में सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया हुआ है।

: १४ :

# संचार

पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन से अनेक विकास कार्य जो देश में हो रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए डाक-तार और टेलीफोन और अन्य संचार साधनों पर अधिकाधिक जोर पड़ा है। भारत सरकार ने इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन सेवाओं का विस्तार किया है और सुविधाओं में भी वृद्धि की है। नए-नए डाक-तार घर खोले गए हैं और हवाई-डाक सेवा में भी विस्तार किया गया है। डाकतार विभाग की गतिविधियों के ब्यौरों को पढ़कर ज्ञात होगा कि किन लाभकर दिशाओं में हमारी ये सेवाएं बढ़ रही हैं।

१९६०-६१ से विभाग सामान्य राजस्व को ब्याज के बजाय मूल लागत पूंजी में से ३१ मार्च १९६० तक की संचित बची शेष राशि को निकालने के पश्चात् बची राशि पर उसी दर से लाभांश देता है जो कि समय-समय पर रेल विभाग में लागू रहती है। कर्मचारी-व्यय तथा सामान्य राजस्व को लाभांश की रकम देने के पश्चात् विभाग की शेष धनराशि का आरक्षित नवीयन निधि, डाकतार विकास निधि तथा राजस्व आरक्षित निधि में अनुदान देकर उपयोग किया जाता है।

१ अप्रेल, १९६१ को विभाग की कुल मूल पंजी, जिस पर ब्याज लगाना था, १४१.०४ करोड़ रुपए तथा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पूंजी, जिस पर टेलीफोन विकास निधि से रकम लगाई जाती थी ७.००करोड़ रुपए थी।

## कर्मचारी वर्ग

३१ मार्च १९६१ को डाकतार संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या (लेखा तथा लेखा परीक्षक दफ्तरों के कर्मचारियों सहित) ३,८२,०३२ (१३३,३९३ अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों सहित) थी तथा १,७८३ राजपत्रित अधिकारी थे।

## परियात के आंकड़े

| | १९४८-४९ | १९६०-६१ वास्तविक | १९६१-६२ अनुमानित |
|---|---|---|---|
| १—डाक वस्तुएं (दस लाख में) | २,२.६४ | ४,०२९ | ४,२५२ |
| २—रजिस्ट्री वस्तुएं (दस लाख में) | ७५.८ | ११६.६ | १२३.४ |
| ३—मनीआर्डर (दस लाख में) | ४४.० | ७६.५ | ७७.१ |
| ४—बचत बैंक सम्बन्धी लेन-देन (दस लाख में) | ०.०६ | ७.७ | २८.३ |
| ५—तार (दस लाख में) | २७.१ | ३८.१ | ३९.२ |
| ६—ट्रंक काल (दस लाख में) | ४.४ | ३१.१ | ३२.५ |
| ७—जारी किए गए मनीआर्डरों की कुल रकम (करोड़ में) | १५० | ३३४.३ | ३५३.७ |
| ८—टेलीफोन (हज़ारों मे) | १२० | ४६३ | ५०३ |

**प्रादेशिक डाक-तार सलाहकार समितियां :** विभिन्न डाक-तार परिमंडलों में १९४९ से प्रादेशिक डाक-तार सलाहकार समितियां कार्य कर रहीं हैं। इस समय इस प्रकार की १७ समितियां हैं।

## रेडियो लाइसेंस

रेडियो लाइसेंस लेने के लिए जनता को अधिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। लाइसेंस जारी करने का कार्य विकेन्द्रित कर दिया गया है।

वार्षिक १० रुपए की घटी दर से गांवों में प्रयोग किए जाने वाले सेटों के रेडियो लाइसेन्सों का पुनर्नवन कराने के लिए दी गई रियायत, जो अस्थायी रूप से १९६१ तक गई दी थी, एक वर्ष के लिए अर्थात् वर्ष १९६२ के लिए और बढ़ा दी गई है।

## कल्याण संस्थाएं

१९६१-६२ के दौरान कल्याण-कोष, जिसकी स्थापना पिछले साल की गई थी, पूरी तरह से काम में लाया जाने लगा। कोष की सहायता के लिए तीन वर्ष तक के लिए प्रतिवर्ष सात लाख रुपये का जो १९६३-६४ में समाप्त हो जायगा, एक समाप्त न होने वाला अनुदान (नान-रिलैप्सेबल ग्राण्ट) दिया गया है। तीन वर्ष के पश्चात् स्थिति का पर्यालोचन किया जाएगा।

कल्याण कोष के अन्तर्गत चार वर्ष में बंबई, मद्रास, उड़ीसा के बाढ़-पीड़ितों की अनुग्रहार्थ ३६,००० रुपए की धन राशि दी गई।

## संघ तथा यूनियनें

आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में केवल बारह मान्यता-प्राप्त संघ तथा यूनियनें थी, क्योंकि जुलाई, १९६० की अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण ग्यारह संघों तथा यूनियनों की मान्यता १९६० में वापस ले ली गई थी। फिर भी, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार उक्त ११ संघों, यूनियनों को सितम्बर, १९६१ में फिर से मान्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार इस समय डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संघों तथा यूनियनों की संख्या फिर से २३ हो गई है।

## डाक-तार परिवाद संगठन

परिवाद संगठन ने डाक-सेवाओं की कुशलता के विरुद्ध की गई सभी प्रकार की शिकायतों की जांच-पड़ताल करके अपने कर्तव्य को भली-भांति निभाया।

**डाकघरों तथा रेल डाक सेवाघरों की इमारतें :** डाकघरों तथा रेल डाक सेवाघरों की विभागीय इमारतों का निर्माण बहुत कुछ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नव-निर्मित डाक-तार शाखा पर निर्भर करता है। विभागीय इमारतों के निर्माण की दिशा में सुधार करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि नए संगठन को अपने पांवों पर खड़े होने में समय लग गया।

## परिमण्डल अध्यक्षों का सम्मेलन

सितम्बर, १९६१ में परमंडल अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण समस्याओं पर उदाहरण के लिए डाक-तार विभाग की तीसरी पचवर्षीय योजना, फरवरी १९६२ में होने वाले आम चुनावों के लिए डाक तथा दूर-संचार सुविधाओं को देने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, डाक-तार कारखानों के लिए सामान प्राप्त करने की समस्याओं आदि पर विचार किया गया।

**विदेश पार्सल सेवा** : भारत के निम्नलिखित देशों को जल-थल मार्ग से उनके सामने दी गई तारीखों से पार्सल सेवा प्रारम्भ की गई।

यमन .. १-४-१९६१

डच न्यूगिनी ...१-१०-१९६१

गोआ के लिए मनीआर्डर सेवा, जो १७ अगस्त से स्थगित कर दी गई थी, १५ अक्टूबर १९६१ से फिर से चालू कर दी गई।

गोआ, दमन तथा दीव से आने-जाने वाले मनीआर्डरों पर देशीय मनीआर्डरों पर लागू होने वाले नियम २२ दिसम्बर, १९६१ से लागू कर दिए गए।

बर्मा के लिए मनीआर्डर सेवा, जिसे २२ जून, १९५७ से स्थगित कर दिया गया था, १५ अक्टूबर १९६१ से फिर से चालू कर दी गई।

## डाक जीवन बीमा

१ अप्रैल, १९६१ से भारत सरकार ने डाकघर बीमा निधि की शेष रकम पर ब्याज-अर्जित करने की दर ३½ प्रतिशत निर्धारित की है जिसके लिए समय की कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

१ अप्रैल, १९६१ से आजीवन पालिसियों की किश्तों की दर में कमी कर दी गई है। उसी तारीख से ३,००० रुपए से अधिक की सम्प्रदान बीमा तथा आजीवन पालिसियों की किश्तों पर भी छूट दी जाने लगी है।

## डाकघर बचत बैंक लेखों तथा बचत-पत्रों का पाकिस्तान से स्थानान्तरण

कराची में नवम्बर, १९६० से मई, १९६१ के दौरान किए गए इकट्ठे विनिमय में पाकिस्तान से ३६,५१,५२३ रुपए के मूल्य के १०,८६३ सत्यापित हुए दावे प्राप्त किए गए।

**बचत बैंक** : कुछ चुने हुए डाकघरों में प्रारम्भ की गई विशेष लेखा पद्धति : बचत बैंक लेखों को रखने के कार्य में कार्य-कुशलता बढाने के उद्देश्य से विशेष लेखा पद्धति के अंतर्गत कुछ चुने हुए प्रधान डाकघरों में डाकघर बचत बैंक के लेखों के सम्बन्ध में शाखा लेखा परीक्षक दफ्तरों में खाता पर्चियों (लेजर कार्ड) की दो प्रतियां रखना समाप्त कर दिया गया। १९६२-६३ के अंत तक नई पद्धति को सभी प्रधान डाकघरों में लागू कर दिया जाएगा। नई पद्धति के अन्तर्गत शाखा लेखा परीक्षक दफ्तरों को, जिन्हें कि खाता पर्चियों (लेजर कार्ड्स) की दो प्रतियों में रखना पड़ता था, आगे ऐसा नहीं करेंगे। वार्षिक ब्याज की गणना भी प्रधान डाकघरों में ही हो जाएगी जो कि वाउचरों की जांच भी करेंगे।

**टेलर पद्धति :** बचत बैंक जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए परीक्षण के तौर पर नई दिल्ली के डाकघर में टेलर पद्धति प्रारम्भ की गई है।

१ जनवरी, १९६२ से बचत बैंक में जमा की गई रकम पर किसी भी महीने के चौथे दिन की बजाय छठे दिन के समाप्त होने पर बची शेष रकम पर ब्याज दिया जाएगा।

## नई सेवाओं का प्रचलन

इस वर्ष के दौरान टोकियों से बंबई आने-जाने के लिए इंडिया इन्टरनेशनल के सुपर कोंस्टलेशन विमानों के स्थान पर जेट विमानों से काम लिया। अतः बंबई से टोकियो डाक के पहुंचने का समय २५.१५ घंटों से १५.३० घंटे रह गया। इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा नैरोबी के लिए एक अतिरिक्त सेवा चालू कर देने के कारण नैरोबी के लिए उपलब्ध सेवाओं की संख्या बढ़कर चार (दो एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा और दो अफ्रीकी एयरवेज द्वारा) हो गई जो, कि पिछले वर्ष तीन थी।

**हरकारों के स्थानों पर डाक-परिवहन के लिए विभिन्न द्रुतगामी साधनों की व्यवस्था :** ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक द्रुतगामी सेवा उपलब्ध कराने की विभागीय नीति के अनुसार ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान २,९५९ किलोमीटर (१,८३८ मील) लम्बी हरकारों की १३६ लाइनों पर परिवहन के अन्य द्रुतगामी साधनों द्वारा डाक लाने ले जाने की व्यवस्था की गई।

**डाक सम्बन्धी सुविधाएं :** सरकार की उदार नीति के अनुसार ही, जिसे १ मार्च १९५९ को लागू किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का काम जारी रखा गया। दूसरी योजना के दौरान २०,००० डाकघर खोलने के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर वास्तव में २२,२३१ डाकघर खोले गए।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ३१ दिसम्बर, १९६१ तक २,५३० डाकघर खोले गए हैं और ३१ मार्च, १९६२ तक लगभग ३,७०० डाकघर खोलने का प्रस्ताव हैं।

तीसरी पचवर्षीय योजना के दौरान अर्ध-विकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में डाक-सम्बन्धी विकास करने का विचार है और इस उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक डाकघर पर प्रतिवर्ष स्वीकृत हानि की सीमा को बढ़ाकर विशेष रूप से २,५०० रुपए की स्वीकृत हानि सहकर योजना काल में "अत्यन्त पिछड़े" क्षेत्रों में २०० डाकघर खोले जाएं और उन्हें खोलते समय निकटतम डाकघर तथा उससे लाभ उठाने वाली जनसंख्या की शर्तों का भी ध्यान रखा जाए।

## वितरण सुविधाएँ

गांवों में डाक का कई बार वितरण करने की नीति के अनुसार, इस दिशा में प्रयास किए जाते रहे कि अधिक गांवों में दैनिक और सप्ताह में तीन बार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं जिसके परिणामस्वरूप उन गांवों की संख्या कम हो गई है जिनमें सप्ताह में दो बार या साप्ताहिक सेवाएं उपलब्ध थीं या जिनमें सप्ताह में एक बार भी वितरण नहीं होता था। इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

**चलते-फिरते शहरी डाकघर :** इस वर्ष के दौरान रविवार तथा डाकघर की छुट्टियों को

शामिल करके सप्ताह के सभी दिनो में दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई तथा नागपुर में शहरी चलते-फिरते डाकघर कार्य करते हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि अधिक क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध करने के लिए प्रातःकाल के समय उनकी अतिरिक्त पाली शुरू की जाएं जिससे कि उनका पूरा-पूरा उपयोग हो सके।

## तार

जिला, उप-मण्डल, तहसील, नगर आदि में तथा उन स्थानों पर जिनकी जनसंख्या ५००० से अधिक है, तार-संचार की सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में की गई प्रगति सन्तोषजनक रही।

जनवरी से दिसम्बर १९६१ के दौरान २५५ अतिरिक्त तारघर खोले गए, इस प्रकार भारत में कुल तारघरों की संख्या ६,३०४ से बढ़कर ६,५५९ हो गई।

**मुद्रण तार व्यवस्था :** मुद्रण तार व्यवस्था का जिसे पहले दिल्ली और बंबई से प्रारम्भ किया गया था, कलकत्ता में अगस्त, १९६१ से और मद्रास में १ जनवरी से विस्तार कर दिया गया है।

**"टैलेक्स" तथा अन्तर्राष्ट्रीय टैलेक्स व्यवस्था :** "टैलेक्स" तथा अंतर्राष्ट्रीय टैलेक्स सेवा की, जिसे जून, १९६० में बंबई और लन्दन के बीच चालू किया गया था, अब ३१ और देशों में विस्तार किया जा चुका है।

**देवनागरी लिपि के तार :** इस वर्ष के दौरान यह सुविधा १२० तारघरों में प्रारम्भ की गई जिससे उन तारघरों की संख्या जहां यह सुविधा उपलब्ध है, बढ़कर १९०० हो गई।

## टेलीफोन

जिला, उपमण्डल तथा तहसील मुख्यालयों एवं नगरों में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अपनाई गई उदार नीति के अंतर्गत उक्त स्थानों पर इस वर्ष के दौरान ९५ सुदूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए। इसी अवधि में दूसरे स्थानों पर खोले गए सुदूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या २१४ रही।

३१ दिसम्बर १९६१ को देश भर में लगे कुल टेलीफोन संयोजनों की संख्या ४,९४,००० थी। इस प्रकार अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६१ के दौरान ३३,००० टेलीफोन संयोजन बढ़ गए। इसी अवधि में सीधे संयोजनों की संख्या ३३४,४५३ से बढ़ कर ३६०,४३२ हो गई।

इस वर्ष १२० नए टेलीफोन केन्द्र खोले गए और १८७ केन्द्रों का विस्तार किया गया, जिससे केन्द्रों की साधन-क्षमता ४१२,६२० से बढ़कर ४४४,७०७ हो गई।

१ अप्रैल, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ के दौरान में एक १२-मार्गीय, दस ८-मार्गीय तथा उन्नीस ३-मार्गीय वाहक टेलीफोन प्रणालियां प्रस्थापित की गईं।

## अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा

९ मई, १९६१ को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा चालू की गई। भारत-ईराक मार्ग पर आपत्-काल (इमर्जन्सी काल) सुविधा प्रारम्भ की गई। यह सुविधा अब २२ देशों के लिए उपलब्ध है।

## बेतार-तार

१—मई १९६१ से अक्टूबर १९६१ के समय के लिए उत्तरकाशी तथा केदारनाथ में मौसमी बेतार तारघर खोले गए।

२—२० सितम्बर १९६१ को स्पिती घाटी में काजा में एक बेतार केन्द्र खोला गया।

३—बंबई तथा मद्रास के तटवर्ती बेतार केन्द्रों को समुद्री यात्रा करने वाले जहाजों के तार परियात का निपटान करने के लिए नए शक्तिशाली संचारण यंत्र दिए गए। आशा की जाती है कि जनवरी, १९६२ के मध्य तक उन्हें प्रस्थापित कर दिया जाएगा।

## दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र

आलोच्य वर्ष में भारतीय टेलीफोन द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं का बड़ी संख्या में उत्पादन करने का कार्य उठाया गया, जिसके नमूने अनुसंधान केन्द्र ने तैयार किए थे।

(क) ८-मार्गीय वाहक टेलीफोन प्रणाली।

(ख) २४-मार्गीय स्वर-आवृत्ति तार उपस्कर।

(ग) विभिन्न प्रकार के परीक्षण एवं प्रमापक यंत्र।

(घ) ट्रांजिस्ट्रीकृत गुप्त वार्ता उपस्कर।

(ङ) लघु निजी स्वचल शाखा टेलीफोन केन्द्र।

## सतर्कता संगठन

आलोच्य वर्ष में सतर्कता संगठन विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और घूसखोरी आदि की समस्याओं की शिकायतों के साथ-साथ धोखेबाजी के बड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि काम करने के तरीकों में सुधार किया जा सके।

## तीसरी योजना में डाक-तार सम्बन्धी सुविधाएं

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में २८ फरवरी-१९६२ तक देश में ५,७४० डाकघर खोले गए जिसमें २७४ डाकघर शहर में और ५,४६६ डाकघर गांवों में खोले गए हैं।

## प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं

पश्चिम क्षेत्रों के डाकघरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ौदा में एक नया प्रशिक्षण केन्द्र खोलना निश्चय किया गया है।

## डाक जीवन बीमा

१९६१-६२ में ९,०७७ आजीवन पौलिसियां स्वीकृत हुई जिसकी कुल राशि २,१३,२९,९०० रुपए थी जिससे ज्ञात होता है कि १९६०-६१ के वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जीवन बीमा व्यापार में ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

# बिहार

की

# योजना के लक्ष्य

बिहार की तीसरी पंचवर्षीय योजना ३३७.०४ करोड़ रुपये की लागत पर तैयार की गयी है। इसके पीछे बिहार की जनता की सुख एवं सुविधा की कामना का लक्ष्य है।

तीसरी योजना के लक्ष्य हैं कि—

१—राज्य में २०.२७ लाख टन अधिक अन्न पैदा किया जाय। द्वितीय योजना के अंत तक ६० लाख टन पैदा किया जा चुका है।

२—४८.४८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो।

३—१३३८ मेगावाट बिजली का उत्पादन हो।

४—एक हजार से अधिक अतिरिक्त गांवों में बिजली दी जाय।

५—प्राइमरी स्कूलों में ४८ लाख बच्चे दाखिल किये जायें।

६—रोगियों के लिये ३६०० शैयाओं की व्यवस्था हो।

७—६३१६ मील लम्बी सड़क का निर्माण किया जाय।

८—सोलह छोटी बड़ी औद्योगिक बस्तियाँ तथा ५० वर्कशाप स्थापित किये जायं। द्वितीय योजना में ४ औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की जा चुकी थीं।

केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत तीसरी योजना काल में बिहार में अनेक औद्योगिक संस्थान स्थापित किये जाने वाले हैं जैसे—हटिया में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट तथा फाउण्डरी फोर्ज प्लांट, बरौनी में तेल शोध कारखाना तथा बोकारो में चौथे लोहे का कारखाना खोलने की योजना है।

: १५ :

# परिवहन

आलोच्य वर्ष में परिवहन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। जहाजरानी के क्षेत्र में जहाजों की संख्या पहले से अधिक बढ़ी है। नए जहाज बनाए जा रहे हैं। और तटवर्तीय जहाजों के आवागमन में वृद्धि हुई है। नागर विमानन के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है और भारत में बहुत से स्थानों के लिए हवाई सफर शुरू हो गया है तथा अन्य देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश का अन्तर्राष्ट्रीय स्थानों से सम्बन्ध स्थापित हो सके। जहाँ तक सड़कों का सवाल है बहुत-सी नई सड़कें बनाई गई हैं और राजपथों का सुधार किया गया है। देश में बढ़ते हुए परिवहन के साधनों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है।

**जहाजरानी :** आलोच्य अवधि में भारतीय जहाजरानी ने अपनी प्रगति जारी रखी। इस समय १७७ जहाज जिनका कुल वज़न ९,१७,०० जी० आर० टी० है, कार्य कर रहे हैं। अगस्त, १९६१ में भारतीय बेड़े में "आदि जयन्ती" नामक सुपर टैंकर शामिल किया गया (२०,४१८ जी० आर० टी०)। यह प्रथम भारतीय टैन्कर होगा जो कि विदेशों से भारत में कच्चा तेल लाएगा।

इस वर्ष कई नए जहाजों की उपलब्धि की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है और यदि यह सब जहाज भारत को उपलब्ध हो सके तो देश को अतिरिक्त ३,७५,००० जी० आर० टन के वज़न के जहाज प्राप्त हो सकेंगे। तीसरी योजना के अन्तर्गत जहाजरानी के उपर्युक्त लक्ष्यों में लगभग ५१ करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है।

आलौच्य अवधि में जहाजरानी विकास-कोष समिति ने विभिन्न भारतीय कम्पनियों को नए जहाज प्राप्त करने के लिए लगभग २२ करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

समुद्र के रास्ते से कोयले के परिवहन की सरकार से स्वीकृति पाने के बाद तटवर्त्ती जहाजों के आवागमन को प्रोत्साहन मिला है। अप्रैल, १९६२ के बारह महीनों में लगभग १५.३६ लाख टन कोयला कलकत्ते से भेजा गया जो कि वार्षिक लक्ष्य का लगभग ६७.६ प्रतिशत था। अतिरिक्त कोयले के परिवहन के उपायों पर विचार किया जा रहा है ताकि शत-प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य पूरे हो सकें। सार्वजनिक क्षेत्र में जहाजरानी निगम की स्थापना २-१०-६१ को हुई। यह निगम पूर्वी और पश्चिमी जहाजरानी निगमों के विलीनीकरण से बना है। अब यह नया निगम ६ नये विशेष तौर से बनाये गये तटवर्त्ती जहाजों के साथ तटवर्त्ती व्यापार में भाग लेगा।

गोआ और पंजिम को जाने वाले मुसाफिरों के जाहज जो कि बहुत वर्षों से बन्द थे, फिर चालू कर दिए गए हैं।

आलोच्य अवधि में राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की दो बैठकें हुई।

एक व्यक्तीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने १-६-६२ से तटवर्त्ती सामान ढोने की दर बढ़ा देना तय किया है। कोयले के अलावा अन्य सब सामानों पर मौजूदा दर से १५ प्रतिशत वृद्धि की गई है। कोयले के लिए १० प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

किराया जांच ब्यूरो ने जो कि जुलाई, १९६१ के एक पूरे समय के निदेशक डाइरेक्टर के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, १२० सामानों पर किरायों की दरें कम करवाई हैं। यह कमी जनवरी, १९६१ से अगस्त, १९६२ तक के लिए हैं और इसमें इन्जीनियरिंग का सामान, खनिज पदार्थ, धातुएं और कच्चा चमड़ा आदि शामिल हैं।

**जहाजरानी समन्वय समिति :** जहाजरानी समन्वय समिति को सौंपे गये कुल माल का लगभग ६४ प्रतिशत भाग जुलाई से दिसम्बर, १९६१ में भारतीय जहाजों में भेजा गया जबकि १९६० में केवल १३ प्रतिशत माल ही भेजा जा सका था। सरकार के पूर्वी और पश्चिमी जहाजरानी निगमों ने १९६०-६१ में ४७.५ लाख रुपये का मुनाफा किया। एकीकृत जहाजरानी निगमों की वर्तमान हिस्सा पूंजी २४.४५ करोड़ रुपये है जिनके नियन्त्रण में १,५४,००० जी० आर० टन के कुल वजन के जहाज काम कर रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में अन्य १,७०,००० जी० आर० टन वज़न के जहाज इस बेड़े में शामिल हो सकेंगे।

भारत सरकार ने मुगल लाइन लिमिटेड का कार्य-भार अपने हाथ में ले लिया है। ३१-१२-६० को समाप्त होने वाले वर्ष में इस कम्पनी ने २८ लाख रुपये का मुनाफा किया और ७½ प्रतिशत लाभ घोषित किया।

इस वर्ष टी० एस० "डफ़रिन" बम्बई से ९३ केडिट पास हुए और ४६ "मेराइन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय", कलकत्ता से पास हुए। डफरिन में इस समय ८० लड़के और कलकत्ते के मेराइन इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय में १०० लड़कों को भर्ती करने की व्यवस्था है।

बम्बई और कलकत्ते के बन्दरगाहों में स्थापित मल्लाह रोजगार दफ्तर का काम सन्तोषजनक ढंग से चलता रहा है। मार्च, १९६२ के अन्त में ३२,२५५ और कलकत्ते में १९,३४६ नये मल्लाह भरती हुए। बम्बई और कलकत्ता में फरवरी, १९६२ में क्रमशः २०,७६८ और १०,५०७ मल्लाहों की जगहें खाली थीं।

**हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टम :** हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अब पूरी तरह सरकार की कम्पनी है और उसकी ३१ मार्च, १९६२ को जारी व चुकता पूंजी ५७८.५० लाख रुपये थे। १९६०-६१ में लाभ-हानि के हिसाब को देखने से पता चलता है कि कम्पनी ने इस वर्ष कुल ६३,७८३ रुपये का लाभ किया। जबकि पिछले वर्ष ६८,८७३ रुपये का कुल लाभ हुआ था।

१९६१-६२ में हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने तीन नये जहाज तैयार किये : (१) 'स्टेट आफ राजस्थान', (२) 'विश्वनिधि' और (३) 'स्टेट आफ पंजाब'। इस प्रकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाये गये जहाजों की संख्या ३२ हो गई जिनका कुल वज़न १,५९,००० है। इस वर्ष तीन नये जहाजों का निर्माण आरम्भ किया—"विश्वमंगल" (जर्मन डिज़ाइन) और "वी० सी० १५३" तथा वी० सी० १५४। इन जहाजों का कुल वजन ३६,९०० टन है। इसके अलावा अन्य तीन जहाज विश्व शान्ति, विश्व प्रेम और विश्व माया भी पानी में उतारे गये जिनका कुल वज़न ३६.९०० टन है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विस्तार करने के लिए २४४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और इस योजना के प्रथम चरण के कार्यक्रम पर ७८.०१ लाख रुपये व्यय होगा। तीसरी योजना में ड्राई डाक परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन पर २६९ लाख रुपये व्यय होगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड को १९६०-६१ में अपने सन्तोषजनक कार्य के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हुआ।

**दूसरा शिपयार्ड :** तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोचीन में जहाजों के निर्माण का दूसरा शिपयार्ड बनाया जाएगा जिसके लिए विदेशी-ऋण की व्यवस्था की जा रही है।

इस शिपयार्ड के लिए ६६ एकड़ निजी भूमि हस्तगत की जाएगी जिसमें से ६६३ एकड़ भूमि मार्च, १९६२ तक केरल सरकार द्वारा प्राप्त की जा चुकी थी। शेष निजी भूमि को प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही जारी है और आशा है कि १९६२ के मध्य तक सभी भूमि प्राप्त कर ली जाएगी।

**जहाजरानी सहायक उद्योग समिति :** यह समिति नवम्बर, १९५७ में रिअर एडमिरल, टी० बी० बोस भारत सरकार के चीफ सुपरवाइज़र की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी और उसका काम जहाजों को बनाना, उसकी मरम्मत के लिए जरूरी साज़-सामान के निर्माण से सम्बन्धी उद्योगों की समस्या का अध्ययन कर, उसके बारे में जरूरी कदम सुझाना था। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सितम्बर, १९५९ में सरकार को पेश की।

इस वर्ष इस समिति ने कई निर्माताओं और उद्योगपतियों से विचार-विमर्श किया और पोलीटेकनिक्स, लगर, तार के रस्से, बिजली के पंखे, जहाज के डीजल इंजिन आदि इन सभी चीजों को देश में ही बनाये जाने की आशा की जाती है।

**लाइट हाउस और लाइट शिप :** १९६१-६२ में सात स्थानों पर—गोआ, तारापुर, क्विलन, ताप्ती, जाफराबाद, जागरी और पामयानी में नये लाइट हाउस बनाये गये हैं। माण्डवी में कोहरे में दिए जाने वाले सिगनल का साज़-सामान लगाया गया है। इसी प्रकार के सिगनल का साज़-सामान द्वारिका, चाची और नविनाल में लगाया जा रहा है।

डयू हैड, डोल्फिन्स नोज और खण्डेरी द्वीपों पर रेडियो सिगनलों का प्रबन्ध किया गया है। खण्डेरी द्वीप में एक डेका हार्वर रेज़र ने काम शुरू कर दिया है और शीघ्र ही सागर द्वीप में एक अन्य रेजर यन्त्र लगाया जाएगा। सौराष्ट्र-कच्छ लाइट हाउस के इलाके में एक नई ७५ फुट की मोटर लांच चालू की गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीपों में नौपरिवहन के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है। लैण्ड फाल द्वीप, फार निकोबार और सरहयू ब्रोज़ आइलैण्ड के लिए दृश्य विषयक साज-सामान का आर्डर दिया गया है।

कलकत्ते में स्थापित एक नये प्रशिक्षण केन्द्र में लाइट हाउसों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

कलकत्ता में दृश्य विषयक साज़-सामान की एक अनुसन्धानशाला तैयार हो गई है। प्रशिक्षण और अनुसन्धान कार्य आरम्भ हो गया है।

लाइट हाउसों में सुधार और नौपरिवहन में अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाने के लिए ५९ नये काम शुरू किये गये हैं।

**बड़े बन्दरगाह :** १९६१ में बड़े बन्दरगाहों ने ३३६.९ लाख टन भार वहन किया जब कि १९५९-६० में ३१६.२ लाख टन भार वाहन किया था। यह भार इन बन्दरगाहों ने बिना किसी कठिनाई के वहन किया क्योंकि यह उनकी मौजूदा ३७० लाख टन की क्षमता के भीतर ही

था। बड़े बन्दरगाहों की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में जहाजों के ठहरने की क्षमता बढ़ाना और आधुनिक संयंत्र तथा प्रसाधन काम में लाने के उद्देश्य को सामने रखा गया।

पहली पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता, बम्बई में नई नरायण आइल टर्मिनल का निर्माण थी। कांदला देश का छठा बड़ा बन्दरगाह हो गया है और इस बन्दरगाह के विकास के प्रथम चरण के कार्य में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़े बन्दरगाहों के सुधार के लिए ६४.२९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि परिव्यय २६.२७ करोड़ रुपये था।

बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य जहाजों के ठहरने की क्षमता बढ़ाने का था। विशेषतः विशाखापट्टम, मद्रास और कोचीन में बन्दरगाहों में जहाजों के ठहरने की जगह बढ़ाने की जरूरत सबसे पहले १९५७ में महसूस हुई जबकि भारत के सभी बन्दरगाहों में लगभग ३१० लाख टन परिवहन हुआ। बन्दरगाह के विकास में धीमी प्रगति का कारण विदेशी-विनियम में कठिनाई भी है हलांकि, इस कठिनाई का योजना में ध्यान रखा गया है। लेकिन १९५८ में कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों को विश्व बैंक द्वारा क्रमशः २९० लाख डालर और १४० डालर का अनुदान मिलने से स्थिति में सुधार हुआ। दूसरी योजना में बड़े बन्दरगाहों के विकास पर ४५.५० करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि ९८.०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। बड़े बन्दरगाहों ने विकास के लिए दूसरी योजना से चली आ रही स्कीमों सहित तीसरी योजना में कुल ७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कुछ अति महत्त्वपूर्ण कार्य निम्निलिखित हैं :—

### कलकत्ता

किंग जार्ज डाग में दो अतिरिक्त बर्थो को सामान्य कार्गो बर्थ के रूप में सुसज्जित किया गया और तीसरी अतिरिक्त वर्थ को आइल वर्थ के रूप में बदल दिया गया। कीचड़ साफ़ करने वाले यन्त्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। खिदरपुर डाक्स का आधुनिकीकरण किया गया है और रेलवे यार्ड सुधारे जा रहे हैं।

### बम्बई

बम्बई बन्दरगाह में क्रेनों के स्थान पर बिजली की क्रेनों का काम शुरू हो रहा है। बम्बई बन्दरगाह को गहरा बनाया जा रहा है। बम्बई बन्दरगाह के विस्तार की एक स्कीम तैयार की जा चुकी है।

### मद्रास

एक बहुत अच्छी पैसेन्जर टर्मिनल तैयार हो चुकी है। नई यन्त्रीकृत लोहा और कोयला वर्थ बनाई गई हैं। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक एक नयी वैट डाक्स तैयार हो जायगी जिसमें एक साथ ६ जहाज ठहर सकेंगे।

### कोचीन

## विशाखापट्टम

आज़ादी के बाद इस बन्दरगाह का काफी विकास हुआ है । इस समय चार अतिरिक्त बर्थ तैयार की गई हैं । कुछ वर्ष बाद विशाखापट्टम कच्चे लोहे का सबसे बड़ा निर्यातक बन्दरगाह हो जाएगा जिसके निर्यात का लक्ष्य ६० लाख टन है ।

## कांदला

पहली बर्थ का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो कि मुख्यतः राजस्थान के यातायात में आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है । कांदला को स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाने की एक स्कीम पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

## विशेष समस्याएं

**हुगली नदी में नौपरिवहन योग्य गहराई के काम :** बलारी बार में एक नई चैनल बनाई गई है जो कि नौपरिवहन के लिए फरवरी, १९६२ में खुल गई है । कलकत्ता बन्दरगाह में कीचड़ सफाई यन्त्रों में और अधिक वृद्धि की गई है और नये यन्त्र मंगाये जा रहे हैं तथा पुराने यन्त्रों को सुधारा जा रहा है ।

गंगा नदी पर फ़रक्का नामक स्थान पर एक बराज बनाकर हुगली नदी के लिए बहुत जल सुरक्षित रखा जा रहा है ।

**कलकत्ता बन्दरगाह के लिए विश्व बैंक का दूसरा ऋण :** कलकत्ता बन्दरगाह की तीसरी योजना में कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए आवश्यक विदेशी विनियम जुटाने में सहायता देने के लिए विश्व बैंक ने दस करोड़ रुपये का दूसरा ऋण देना स्वीकार किया है ।

**बड़े बन्दरगाहों के रूप में मंगलौर और तूतीकोरन का विकास :** तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मंगलौर और तूतीकोरन को प्रमुख बन्दरगाह के रूप में विकसित करने के निमित्त ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

## छोटे बन्दरगाह

छोटे बन्दरगाहों का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है लेकिन इनकी उन्नति में भारत सरकार पूरी दिलचस्पी लेती रही है । छोटे बन्दरगाहों की अपनी खास समस्याओं पर राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है । इस संस्था ने महत्त्वपूर्ण छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए एक समन्वय स्कीम पास की है । ये छोटे बन्दरगाह निम्नलिखित हैं :—पैरा-डिप, काकीनाडा, मसलीपट्टम, कुडालोर, नागपट्टम, तूतीकोरन, अलैप्पी, कोझीकोढ़े, मंगलौर, कारवार, वरकाल नबलारवी, पोरबन्दर, ओखा, भावनगर, बेदी, मन्डोई, बढौंच, सिक्का, सूरत, रत्नागिरि और रेडी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे बन्दरगाहों के साज-सामान एकत्र करने के निमित्त १५.६९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से १०.७९ करोड़ रुपए केन्द्रीय सर-कार की ओर से दिया जाएगा ।

## नहरी यातायात

१९वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में नहरी यातायात का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। रेलों और सड़कों के बनाने तथा नदियों के जल को अधिकाधिक सिंचाई के लिए काम में लाने से नदियों और नहरों के यातायात का महत्व अधिकाधिक कम होता गया। फिर भी देश के कई भागों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम और केरल में नदियों या नहरी यातायात में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

## प्रायोगिक परियोजनाएं

गंगा-ब्रह्मपुत्र के यातायात बोर्ड ने माल ढोने की एक नयी स्कीम चालू की है जिसके अन्तर्गत पटना से बकसर के बीच ७१८३.३ मैट्रिक टन माल ले जाया गया और ४२३२.७ मैट्रिक टन माल लाया गया। इस प्रायोगिक नाव द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६१ तक ६१४ मैट्रिक टन माल ढोया गया है।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना की स्कीमें

देशीय जल यातायात की स्कीमों पर ६ करोड़ रुपये व्यय किए जाने की व्यवस्था है जब कि ४ करोड़ रुपए इस कार्य के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इन स्कीमों के अन्तर्गत हुगली नहर, गंगा नहर, बकिंघम नहर, उड़ीसा नहर, बडगारा-माही नहर, कोचीन-क्विलन नहर, राजस्थान नहर और दामोदर घाटी निगम नहर के जल यातायात में सुधार लाया जाएगा। साथ ही यह सुधार ब्रह्मपुत्र, गंगा, रूपनारायण, महानदी, ताप्ती और नर्मदा नदियों के यातायात में भी लाया जाएगा।

## सड़क परिवहन

तीसरी योजना के अन्तर्गत सड़क परिवहन सेवा के विस्तार के निमित्ति २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा रेलवे की योजना में सड़क परिवहन निगमों को १० करोड़ रुपए योगदान देने की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि लगभग ७५०० गाड़ियां खरीदने और कारखाने बनाने के काम में लायी जाएगी। तीसरी योजना में भी प्रथम और द्वितीय योजनाओं की भांति यातायात के कार्यक्रम अधिकांशतः निजी क्षेत्र में चालू रहेंगे। लेकिन योजना आयोग ने कहा है कि यदि निजी क्षेत्र में माल परिवहन सेवाएं प्राप्त न होंगी तो तीसरी योजना की अवधि में उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में भी आरम्भ किया जाएगा।

भारत के राज्यों में नियमित परमिट प्राप्त मोटर गाड़ियों के आने-जाने पर केवल एक ही जगह चुंगी लगाई जाने का सिद्धान्त सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। इस उसूल को शीघ्र ही अमल में लाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

योजना आयोग द्वारा स्थापित यातायात नीति और समन्वय समिति (नियोगी समिति) द्वारा देशीय यातायात के विभिन्न रूपों के बीच समन्वय और कम दरों पर जनताको अधिकतम सहायता पहुंचाने से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

## सड़कें और राष्ट्रीय राजपथ

संविधान के अनुसार भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजपथों के लिए ही जिम्मेदार है। राज्य की अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के विकास पर ३५.३ करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें से लगभग ७७ करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय किये जायेंगे और शेष राज्यों की सड़कों पर।

### राष्ट्रीय राजपथ

वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में कुल लगभग १४८०० मील लम्बी सड़कें शामिल हैं। अब इन सड़कों से मिलने वाली दूसरी सड़कें और नदियों के ऊपर पुल इत्यादि बनाये जा रहे हैं। नीचे की तालिका देखने से पता चलेगा कि १-४-४७ के बाद जब से राष्ट्रीय राजपथ योजना चालू हुई है हमने कितनी प्रगति की है और तीसरी योजना में हमारे क्या लक्ष्य हैं :—

**राजपथों के विकास की प्रगति**

| | बड़ी सड़कों से छोटी सड़कें मिलाने वाली बीच की सड़क | नदियों के ऊपर पुल | निम्न दर्जे की सड़कों में सुधार | मोटर गाड़ियों के लिए दोहरी सड़कों का चौड़ा किया जाना |
|---|---|---|---|---|
| | मी० | संख्या | मी० | मी० |
| राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली को [illegible] कार्य (१ अप्रैल, १९४७) | १,७८० | १५० | १०,००० | —— |
| १ अप्रैल, १९४७ से ३१ मार्च, १९६१ तक की प्रगति: | १ ३८६ | ७३ | ८,४०० | २,३०० |
| तीसरी योजना के लक्ष्य : | ३०० | ६० | १,२०० | ९०० |

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दूसरी योजना की समाप्ति तक राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर लगभग ७७ करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

१९६१-६२ में राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर ११.२३ करोड़ रुपए अनुमानतः व्यय हुए जिसके फलस्वरूप ४५ मील लम्बी बीच की सड़कें और तीन बड़े पुल बनाये गये तथा ४२५ मील की कच्ची सड़कों में सुधार किया गया। इस वर्ष गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर ७८ लाख रुपए की लागत से एक पुल बनाया गया। यह पुल उत्तर प्रदेश में दिल्ली-लखनऊ राजपथ पर है। इस पुल के बन जाने से दिल्ली-लखनऊ के बीच हर मौसम में सड़क खुली रहेगी और साथ ही लखनऊ का अपने पश्चिमी जिलों से अधिक सुगम सम्बन्ध बना रह सकेगा।

## राज्यों की सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की चुनींदा राजकीय सड़कों के विकास के लिए सहायतार्थ अनुदान देती है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन कामों के लिए लगभग २३ करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में दिए गए थे जिसके फलस्वरूप १००० मील नयी सड़कें बनीं और २००० मील मौजूदा सड़कों की मरम्मत की गयी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस काम पर ३० करोड़ रुपए व्यय किए जाने की व्यवस्था है जिसके फलस्वरूप तीसरी योजना की अवधि में १५०० मील अतिरिक्त सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी। १९६१-६२ में १५० मील लम्बी सड़कों को बनाया गया है, जिन पर कुल व्यय ३.५० करोड़ रुपए हुआ।

## राज्य क्षेत्रों की सड़कें

दूसरी योजना में राज्य क्षेत्र की सड़कों के सुधार और निर्माण पर १६५.४५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी जब कि वर्तमान तीसरी योजना में कुल २४६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जब कि दूसरी योजना में २२ हजार मील लम्बी सड़कें बनाई गई थीं, तीसरी योजना में आशा है कि अन्य २५ हजार मील लम्बी सड़कें तैयार हो सकेंगी। १९६१-६२ में इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सुधार आदि पर ५०.५२ करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं जिसके फलस्वरूप ४००० मील लम्बी सड़कें बन कर तैयार हो गई हैं।

## सीमान्त सड़क विकास बोर्ड

इस बोर्ड की स्थापना मार्च, १९६० में हुई और इसका ध्येय भारत के उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सरहदों के आर्थिक-विकास और रास्ता स्कीम बनाया था। इन कार्यक्रमों में कई मौजूदा सड़कों और कच्चे रास्तों को सुधारना और मरम्मत करना तथा कई नई सड़कें बनाना शामिल है।

बोर्ड ने पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर-ऊंटी रोड (राजपथ १ए) की मरम्मत की सारी जिम्मेदारी ले ली है और एक एजेन्सी कायम की गई है ताकि इस सड़क पर परिवहन में कम से कम बाधा उत्पन्न हो।

पहाड़ी दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाने के काम से पूर्व सर्वेक्षण आवश्यक होता है। यह अति महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य ६० प्रतिशत पूरा हो चुका है।

सीमान्त सड़क विकास बोर्ड ने कई इलाकों की सड़कों के सुधार का काम एक साथ ही उठा रखा है। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसके लिए प्रायोगिक स्कीम बनाई जाने वाली है।

३१ मार्च, १९६२ तक बोर्ड के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में लगभग ४१.२९ करोड़ रुपए व्यय किए गए।

## पर्यटन

इस समय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा, औरंगाबाद, बंगलौर, भोपाल, कोचीन, जयपुर और वाराणसी में पर्यटन कार्यालय कार्य कर रहे हैं। पहली मई, १९६२ को

दार्जिलिंग स्थिति पर्यटन कार्यालय पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया गया जो कि अब इस राज्य में एक प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय के रूप में चलेगा। भारत सरकार के निम्नलिखित पर्यटन कार्यालय विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं : न्यूयार्क, सैनफ्रांसिसको, टोरेन्टो, लंदन, पैरिस, फ्रैंक-फुर्ट, मैलबोर्न और कोलम्बो।

अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और सभी भारतीय भाषाओं में पर्यटन साहित्य की लगभग ४० लाख प्रतियां पर्यटन कार्यालय द्वारा वितरित की गई हैं।

पर्यटन विभाग के निमंत्रण पर कई प्रमुख विदेशी पर्यटक, एजेन्ट और पत्रकार भारत आये और उन्होंने इस देश में पर्यटन सुधारों और पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं का अध्ययन किया है।

पर्यटकों के लिए होटलों के स्थापनाभाव के कारण नये होटलों के निर्माण को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। होटल उद्योग के लिए कर्मचारी उपलब्ध करने के निमित्त नई दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले इस्टीट्यूट आफ केटरिंग टैकनोलोजी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

प्रशिक्षित पर्यटक मार्ग-प्रदर्शकों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, औरंगाबाद, कोचीन और कलकत्ता में भारत सरकार के पर्यटन कार्या-लयों के अधीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यात्रा और पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने की दृष्टि से मार्च, ६० में पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक कर्म-चारी प्रशिक्षण स्कूल खोला गया। फरवरी, १९६२ तक स्कूल में सूचना अधिकारियों और मार्ग-प्रदर्शकों के लिए पांच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गए। ई० सी० ए० एफ० ई० का एक सैमिनार नयी दिल्ली में मार्च १९६१ में आयोजित हुआ जिसकी सिफारिशों के अनुसार उक्त स्कूल में ३० अप्रैल, १९६२ से प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस पाठ्य-क्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थी ई० सी० एफ० ई० के सदस्य-देशों की सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन्हें कोलम्बो प्लान के अंतर्गत छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

पर्यटकों को भारत की वृत्ताकार यात्रा के लिये रियायती टिकिट दिए जा रहे हैं और पहाड़ों पर जाने वाले विद्यार्थियों और यात्रियों तथा साथ ही पर्यटकों को भी विशेष रियायतें दी जा रही हैं।

दिल्ली, आगरा, जयपुर और दिल्ली तथा अहमदाबाद जैसे रास्तों पर आमतौर पर विदेशी पर्यटक जाते हैं, अत: वहा वातानुकूलित बसें चलाई जा रही हैं।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता तथा मद्रास की उन दुकानों की एक सूची छापी गई है जिनमें पर्यटकों की विशेष जरूरत की चीजें मिलती हैं। इन दुकानों को पर्यटन विभाग के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने पर्यटन के विकास पर ८·०० करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की है।

भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या १९५६ से लेकर अब तक दुगुनी हो गई है। १९६१ में १,३९,८०४ विदेशी पर्यटक भारत में आए जिनमें पाकिस्तानी लोग शामिल नहीं हैं। यह संख्या १९६० के आंकड़ों से १३.६ प्रतिशत अधिक है। पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या संयुक्त राज्य अमरीका से आई। १९६० में २७,१७४ पर्यटक आए जब कि इस वर्ष १३,३४५

पर्यटकों ने भारत की यात्रा की। १९६० में पर्यटन से पूर्व विदेशी-विनिमय २०.५६ करोड़ रुपए था जब कि १९५९ में यह रकम १९.१४ करोड़ रुपए थी।

देशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आजकल विद्यार्थी और किसान अधिक यात्रा कर रहे हैं और बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं, बड़े-बड़े कारखानों और खेतों व नए नगरों का दिग्दर्शन कर रहे हैं।

## नागर विमानन

१९६१-६२ में भारत में नागर विमानन में संतोषजनक प्रगति हुई।

**एअर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन :** ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एअर इन्डिया इन्टर-नेशनल कारपोरेशन के चालनों के परिणामस्वरूप ६७.९७ लाख रुपये की कुल बचत हुई।

गत वर्ष १९५९-६० का चालन लाभ १८·२६ लाख रुपए था।

१९६१-६२ के पुनर्रीक्षित प्राक्कलन के आधार पर कहा जा सकता है कि चालन लाभ ५० लाख रुपये होगा जब कि पहले अनुमान में १०० लाख का लक्ष्य किया गया था। कारपोरेशन ने हिसाब लगाया है कि १९६२-६३ में उनको चालनों से ५४ लाख रुपये का लाभ होने की सम्भावना है। मार्च, १९६२ में कारपोरेशन के हवाई बेड़े में ५ बोइंग और ९ सुपर कास्टीलेशन थे। कारपोरेशन ने छठे बोइंग का क्रय आदेश दे रखा है और अप्रैल, १९६२ में यह बोइंग प्राप्त हो गया है।

कारपोरेशन ने सुपर कास्टीलेशन वायुयानों में अपने समस्त बेड़े को उनके सहायक अतिरिक्त पुरजों सहित बेचने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक करार किया है। रक्षा मंत्रालय को चार वायुयान पहले ही दिये जा चुके हैं और शेष पांच वायुयान मई, १९६२ के अन्त तक दिये गए।

मई, १९६१ में कारपोरेशन ने अतलांतिक पार की अपनी सेवा को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर ५ कर दिया।

कारपोरेशन ने मई, १९६१ में भारत-पूर्वी अफ्रीका मार्ग पर बोइंग ७०७ वायुयान के सप्ताह में एक बार की सेवा भी आरम्भ की है। कारपोरेशन ने इस मार्ग पर १ अक्तूबर, १९६१ से अपनी सेवायें दोहरी कर ली हैं।

मई, १९६१ से भारत-जापान मार्ग पर बोइंग वायुयान की एक दूसरी सेवा आरम्भ की गई है। इस प्रकार कारपोरेशन सप्ताह में दो बार जेट सेवा उपलब्ध कर रही है।

पांचवे और छठे बोइंग वायुयान के मिल जाने पर कारपोरेशन की परीक्षात्मक चालन योजनाओं में न्यूयार्क के लिए लन्दन से होकर जाने वाली दैनिक सेवा भी (मई से दिसम्बर तक और वर्ष के शेष समय में तीन या चार सेवाएं प्रति सप्ताह), टोकियो के लिए सप्ताह में दो सेवाएं, नैरोबी के लिए सप्ताह में दो सेवायें, सिडनी के लिए सप्ताह में एक सेवा, मास्को के लिए सप्ताह में एक सेवा चालू होगी। कारपोरेशन का सिंगापुर, जाकार्ता के लिए मद्रास से होकर जाने वाली मौजूदा सेवा और गल्फ के लिए सेवा को चालू रखने का भी विचार है।

१९६१-६२ का पुनरीक्षित अनुमान ६० लाख रुपए की हानि प्रकट करता है। कारपोरेशन को आशा है कि १९६२-६३ के वर्ष में इससे ८१.०७ लाख रुपए का लाभ होगा।

आलोच्य अवधि में पांच फोकर फ्रैंडशिप वायुयान खरीदे गए। ये वायुयान अप्रैल-मई, १९६१ में मिले और शीघ्र ही नियमित सेवाओं पर चलाए जाने लगे। नए पांच फोकर फ्रैंडशिप वायुयानों का आर्डर दे दिया गया है। इनके नवम्बर, १९६२ और मार्च, १९६३ के बीच मिल जाने की आशा है। इन वायुयानों को परीक्षण के तौर पर पश्चिमी समुद्री किनारों और उत्तरी भारत में उपयोग किए जाने का विचार है।

कारपोरेशन ने यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चार पुराने वाई-कान्उट वायुयान भी खरीदे हैं। विशेषतः मुख्य मार्गों पर बढ़ते हुए यातायात से जाहिर है कि इन मार्गों पर वाईकाऊन्ट से भी बड़े और अधिक आधुनिक वायुयानों की आवश्यकता है। अधिकांश विभिन्न प्रकार के विमानों की उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

१८ दिसम्बर, १९६१ से बड़ौदा के लिए एक सेवा आरम्भ हुई और २० जनवरी, १९६२ से गोआ भी हवाई रास्ते से सम्बन्धित हो गया।

कारपोरेशन ने इस वर्ष दिल्ली-फूलबाग-लखनऊ और बंगलौर-मंगलौर के बीच उत्तर प्रदेश और मैसूर सरकार के अनुरोध पर विमान सेवाएं आरम्भ कीं।

१९६१ के आरम्भ में नागर विमानन विभाग द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों की संख्या ८४ थी। १९६१ में चण्डीगढ़ में और मनीपुर रोड के हवाई अड्डे भारत वायुसेना को हस्तांतरित कर दिए गए। कुल्लू (भुन्टर) का हवाई अड्डा पंजाब सरकार से ले लिया गया और पोर्टब्लेयर का हवाई अड्डा अंडमान के प्रशासन से ले लिया गया। फूलबाग और तुलीहाल में नए हवाई अड्डे बनकर तैयार हो गए और खोल दिए गए। इस प्रकार नागर विमानन विभाग द्वारा नियंत्रित और संचालित हवाई अड्डों की संख्या इस समय ८६ है।

रकसौल (बिहार) का हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है और पश्चिम बंगाल में बेहाला हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। बम्बई (सान्ताक्रुज) हवाई अड्डे का पूर्वी-पश्चिमी धावनपथ ३,२०० मीटर तक बढ़ाया गया है। दिल्ली (पालम) हवाई अड्डे पर एक नया धावनपथ बनकर तैयार हो चुका है। कलकत्ता (दमदम) हवाई अड्डे की इन्स्ट्रयूमेन्ट रनवे को लम्बा और मज़बूत बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। मद्रास हवाई अड्डे का दूसरा धावन-पथ जो कि १,८२८ मीटर तक बढ़ाया जा रहा है, बन कर लगभग तैयार हो चुका है। गोहाटी में धावनपथ को १,८२८ मीटर तक बढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। वाराणसी और मदुरई हवाई अड्डों की टर्मिनल इमारतें बनकर तैयार हो गई और इस्तेमाल की जाने लगी हैं।

अगले वर्ष के कार्यक्रम में बोइंग वायुयान के चालन योग्य मद्रास हवाई अड्डे को बनाने, हैदराबाद में एक गिल्डर ड्राम का निर्माण, मदुरई में एक धावनपथ की मरमम्मत, अहमदाबाद, अमृतसर, बनारस, लखनऊ और जबलपुर के धावनपथों का विस्तार तथा कार्यकताओं के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण आदि शामिल है।

१९६१-६२ में, जो कि तीसरी योजना का पहला वर्ष है, नागर विमानन सेवा के आधुनिकीकरण और सुधार व पुर्नगठन पर अधिक ज़ोर दिया गया।

पूना, इलाहबाद और बंगलौर में तीन सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र तथा दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब और पिरला माला क्लब पिलानी में ग्लाइडिंग की प्रशिक्षण सुविधाएं यथापूर्व उपलब्ध होती रहीं। ३ दिसम्बर, १९६१ को राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ में एक ग्लाइडिंग क्लब स्थापित किया गया। १ मार्च, १९६२ को तीनों सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र तथा दोनों सहायता प्राप्त ग्लाइडिंग क्लबों में कुल मिलाकर १,४४५ चालक सदस्य थे।

१९६१-६२ में ऐरो क्लब आफ् इन्डिया लिमिटेड को ७,००० रुपए और आल इन्डिया एअर मोडलैर्स एसोसिएशन को २,००० रुपए का अनुदान दिया गया। पहले प्रोटो टाइप रोहणी ग्लाइडर ने १० मई, १९६१ को अपनी पहली उड़ान की। यह भारत में बनाया गया पहला द्विआसनी ग्लाइडर है जिसमें बैठने की सीटें एक दूसरे की बगल में हैं। पहले प्रोटो टाइप ग्लाइडर के उड़न परीक्षण के फलस्वरूप आवश्यक समझी गई तब्दीलियां करके दूसरे प्रोटो टाइप भी तैयार कर लिया गया है। अश्विनी ग्लाइडर के पांचवे प्रोटो टाइप के उड़ान का सफल परीक्षण हो चुका है।

१ मार्च, १९६२ को भारत में १३ सहायता-प्राप्त फलाइंग क्लबें थीं। १५५ ए वर्ग और ११ बी वर्ग के विमान चालकों को १९६१ में प्रशिक्षण दिया गया। १९६१-६२ में फलाइंग क्लबों को २२ लाख रुपए की सरकारी सहायता प्राप्त हुई।

नई दिल्ली में १७ अक्तूबर, १९६१ को भारत सरकार और फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विमान सेवाओं के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह करार दोनों देशों से औपचारिक स्वीकृति पाने के बाद अमल में लाए जावेंगे। इस करार के अनुसार एअर इन्डिया इन्टरनेशनल और लुफ्थहांसा दोनों विमान सेवाओं को जर्मनी और भारत में उड़ने की सहायता दी जाएगी।

भारत सरकार और चैकोस्लोवाक समाजवादी जनतंत्र की सरकार के बीच हुए विमान सेवा-सम्बन्धी एक करार प्राग में १९ सितम्बर, १९६० को हुआ था जो कि ७ जून, १९६१ से क्रियान्वित हुआ।

## भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी यह विभाग बहुत से उपभोक्ताओं को जैसे कि नागर और सैनिक विमानन, वाणिज्य और सैनिक नौचालन, बन्दरगाह, कृषि और नागुदानिक परियोजना केन्द्रों आदि तथा सामान्य जनता को मौसम सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करता रहा है। मौसम विज्ञान के अतिरिक्त विभागों की वैज्ञानिक क्रियाशीलता में दूसरे भू-भौतिकी और तत्सम्बन्धी क्षेत्र जैसे भूकम्प विज्ञान, भू-चुम्कत्व, खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान, वायुमण्डल विद्युत और आयतन मण्डली भौतिकी आदि शामिल हैं।

वर्ष के अन्त में परेक्षण संगठन निम्न प्रकार था : धरातलीय वेधशाला ४४४, जालौल का विज्ञान वेधशालाएं २६१, वातसूचक गुब्बारा वेधशालाएं ५२, रेडियो सौंदे बेधशालाएं १३, राबिन वेधशालाएं १२, विकरण वेधशालाएं ८ आदि। इनके अलावा अन्य विशेष कार्य की वेधशालाएं हैं।

# शिक्षा

इस वर्ष, जोकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, शिक्षा के क्षत्र में कई महत्व-पूर्ण नयी योजनाएं आरंभ की गयी हैं। ६ से ११ वर्ष के आयु की बालकों को सार्वजनीन शिक्षा देने की दिशा में सुदृढ़ प्रयत्न किए जा रहे हैं। माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा में समुचित सुधार लाने की कई स्कीमें शुरू की जा चुकी हैं। भावी कार्यक्रम के लिए तैयारी की जा रही है और शिक्षा की समस्या पर बड़े पैमाने पर अनुसन्धान कार्य हो रहा है। साथ ही, सम्मेलनों और सेमिनारों, वर्कशापों और मीटिंगों द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

## स्कूली शिक्षा

**प्राथमिक** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पहली से पांचवी कक्षा में लगभग १५३ लाख के अतिरिक्त बालकों को भर्ती करना है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षार्थियों की सख्या ३४२ लाख से बढ़कर ४९६.४ लाख हो जाएगी अर्थात् ६ से ११ वर्ष की आयु के कुल बालकों में से ७६.४ प्रतिशत बालकों को शिक्षा मिलने लगेगी।

आलोच्य अवधि में सब राज्यों में शिक्षा के विकास के लिए कोशिशें जारी रहीं और पहले से ज्यादा लड़के-लड़कियों को स्कूलों में भर्ती किया गया, साथ ही महिला अध्यापकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इस कार्यवाही से और साथ ही आम लोगों द्वारा शिक्षा के महत्व को समझने से इस गतिविधि को बहुत प्रोत्साहन मिला है। पहली से पांचवीं जमात में २२·५ लाख अतिरिक्त बच्चों को भर्ती करने के निर्दिष्ट लक्ष्य के मुकाबले १९६१-६२ में लगभग २६ लाख बच्चों को भर्ती किया गया, और १९६२-६३ में अनुमानित भर्ती भी शायद इतनी ही होगी। यदि तरक्की की यही रफ्तार बनी रही तो योजना में निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक बालकों को भर्ती किया जा सकेगा।

दिल्ली के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के नमूने पर अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी नए कानून आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास और पंजाब में चालू किए गए हैं। अन्य राज्य भी इस बारे में विचार कर रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई स्कीमें चालू की गयी हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है। कुछ राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाए गए हैं और कई राज्यों में तदर्थ रूप से वेतन वृद्धि की गयी है। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अपने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की वृद्धावस्था में जीवन-यापन की कोई व्यवस्था नहीं की है, उन राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के तीनमुखी लाभ पहुंचाने वाली स्कीम सुझाई गयी है। आन्ध्र प्रदेश ने इस स्कीम को स्वीकार कर

लिया है और महाराष्ट्र तथा गुजरात ने अपने प्राथमिक अध्यापकों के लिए निवृत्ति-वेतन का प्रबन्ध कर दिया है। अन्य राज्यों में भी इस पर विचार किया जा रहा है। प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रथम राष्ट्रीय सैमिनार की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। [illegible] विकास योजना के क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक कार्यक्रम इस वर्ष आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ८०० अध्यापक और ५०० मुख्य अध्यापकों को नवीन प्रशिक्षण दिया गया। निरीक्षक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में सामुदायिक विकास से सम्बन्धित व्यवहारिक कार्य आरम्भ करने तथा पुस्तकालयों में पुस्तकों का प्रबन्ध करने आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आरंभ की गयीं स्कीमों के अन्तर्गत १९६२-६३ में ३० विस्तार सेवा केन्द्र खोले जाएंगे जिनमें प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। विज्ञान परामर्शदाताओं के प्रथम राष्ट्रीय सैमिनार ने प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई सिफारिशें की है जिन पर विचार किया जा रहा है।

स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिमी जर्मनी सरकार ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस भेंट किया है और इस प्रेस की स्थापना आदि के कार्य में सहायता देने के लिए दो जर्मन विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। इस समय इन विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। आस्ट्रेलिया तथा स्वीडन की सरकारों ने भी बहुत बड़ी तादाद में कागज भेजा है जिससे राज्य सरकारें गरीब व जरूरतमन्द वच्चों को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें देने में समर्थ हो सकेंगी।

मद्रास, केरल और पंजाब में स्कूलों के बच्चों को भोजन देने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चालू किया गया हैं। इस समय समूचे भारत में लगभग ४० लाख बच्चों को भोजन या दूध मिल रहा है। अन्य राज्यों में भी इसके प्रोग्राम पर विचार किया जा रहा। स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य सम्वन्धी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है जिस पर विचार हो रहा है।

## बुनियादी शिक्षा

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ तक लगभग ५७,७६० प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी किस्म का बनाना तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की सभी प्राशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी ढंग में बदलना हमारा लक्ष्य रहा है। ये स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा पर २,८०० लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था है। इस क्षेत्र में प्रगति को आंकने तथा बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देने के लिए बुनियादी शिक्षा का एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है।

## मिडिल

इस वर्ष ११ से १४ वर्ष के बालकों की शिक्षा में भी काफी प्रगति हुई, यद्यपि यह प्रगति इतनी नहीं है जितनी कि ६ से ११ वर्ष के बालकों के क्षेत्र में हुई है। आशा है १९६१-६२ में छठी

से लेकर आठवीं कक्षा तक ६,६५,००० अतिरिक्त बालकों को भर्ती किया जाएगा और १९६२-६३ में ८,८४,००० बालकों को। अतः योजना के प्रथम दो वर्ष में छठी से आठवीं कक्षाओं में कुल अतिरिक्त भर्ती किये गये बालकों की संख्या १५,४९,००० है जब कि अनुमानित भर्ती की संख्या ३,४६,००० है। अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में मूल लक्ष्य से अधिक प्रगति की गयी है।

**माध्यमिक :** तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए चालू किये जाने वाली स्कीमों के अतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कई कार्यक्रम स्वयं आरम्भ किये हैं और कई कार्यक्रमों को शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा कराया है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आरम्भ की गयीं स्कीमों में सबसे अधिक उल्लेखनीय राज्यों में शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग-प्रदर्शन की स्कीमें हैं। इस स्कीम द्वारा राज्य में शिक्षा और व्यावसायिक मार्ग-प्रदर्शन देने वाले कन्द्रों की संख्या (जो कि १२ है,) बढ़ जायगी और शेष तीन राज्यों में नये केन्द्र खोले जाएंगे। यह स्कीम १९६२-६३ में आरम्भ होगी।

माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड, अजमेर के पुनर्गठन द्वारा एक अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया है। इस बोर्ड का मुख्य कार्य भारत सरकार के कर्मचारियों के तबादले होने पर उनके बालकों को शिक्षा की सुविधाएं देने तथा एक समान-पाठ्यक्रम निश्चित करना आदि है।

कुछ चुने हुए बहु-प्रयोजनीय स्कूलों को अति-कार्यक्षम बनाने की एक स्कीम है ताकि ये स्कूल भावी योजनाओं के लिये नमूने सिद्ध हो सकें। इसी स्कीम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए स्कूलों में विशेष कार्यक्रम योजना चलाई जायगी। टैक्नोलौजी, दस्तकारी, खेतीबाड़ी आदि विषयों की पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि और पुस्तकालयों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों की मदद करेगा।

१९६२-६३ में प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली २२ स्वैच्छिक संस्थाओं को १,२७,० ०० रुपये और माध्यमिक शिक्षा सबम्न्धी १८ संस्थाओं को २,७९,५५५ रुपये अनुदान दिये गये हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शिक्षा योजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।

**उच्च शिक्षा :** शिक्षा के इस क्षेत्र में मुख्य प्रयास शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दायित्व है।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और उसे बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के ९ विश्वविद्यालयों में टैगोर पाठ्यक्रम और ५ विश्वविद्यालयों में टैगोर लैक्चरशिप की स्थापना की। इसके अलावा ५ विश्वविद्यालयों में गांधी भवन खोले गये और अन्य ६ खोलने की व्यवस्था की जा रही है। विश्वविद्यालय केन्द्रों में सेवा-निवृत्त वैज्ञानिकों और अध्यापकों की सेवाएं उपलब्ध करने की एक स्कीम बनायी गयी है जिसके अनुसार प्रतिष्ठा-प्राप्त वैज्ञानिक और अध्यापक ६५ वर्ष की आयु तक साधारणतः काम कर पायेंगे।

एक सलाहकार समिति की सिफारिश पर शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में अनुदान दिया गया। आलोच्य अवधि में सलाहकार समिति ने सहायता देने के लिए इस प्रकार की दस संस्थाओं के नाम सुझाये। जब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नई दिल्ली के इन्डियन स्कूल आफ नैशनल स्टडीज को एक विश्वविद्यालय मान लिया गया है,

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय और जामिया मिलीया स्लामिया, नई दिल्ली को समान प्रतिष्ठा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इसी कार्य के लिए काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद पर दो कमेटियों द्वारा पेश की गयी रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली, अलीगढ़, बनारस और विश्वभारती के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के नये विषय आरम्भ किये जा रहे हैं जिनमें बनारस विश्वविद्यालय के इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लर साइसेज़ विशेषत: उल्लेखनीय हैं।

डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में सात व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गयी है। जिसका कार्य भारत में विश्वविद्यालयों के संगठन के ढांचे पर विचार करके एक आदर्श संगठन सुझाना है।

पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा और संध्याकालीन कालेजों के सविस्तार विवरण पर एक विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय एक्ट, १९२२ को संशोधित किया गया है ताकि इस वर्ष से विश्वविद्यालयों में पत्र-व्यवहार से पाठ्यक्रम आरम्भ किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थों और सर्वमान्य शिक्षा पुस्तकों के कम दाम पर पुनर्प्रकाशन की स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तीन कृतियों और एक कानून सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित की गयी है। इन पुस्तकों की कीमत मूल पुस्तकों से आधी है। इस स्कीम के अन्तर्गत नयी किताबों को छापने पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी स्कीम के अन्तर्गत ब्रिटेन की सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिये प्रथम तीस पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं। इन पुस्तकों का मूल्य मूल पुस्तकों से एक-तिहाई कम है।

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों की सेवा में लेखकों की विज्ञान टैक्नोलोजी और [illegible] कृतियों को प्रकाशित किये जाने पर विचार हो रहा है।

१९६२ में उच्च शिक्षा की दो ग्राम संस्थाएं—एक वर्धा में और दूसरी हनुमानमाटी में स्थापित की गयीं। इस प्रकार अब कुल १३ संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पिछली ११ संस्थाएं दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आरम्भ की गयी थीं। ग्राम उच्च शिक्षा राष्ट्रीय परिषद् ने मार्च, १९६१ की अपनी आठवीं बैठक और नवम्बर, १९६१ की अपनी नवीं बैठक में सुझाव रखा कि विश्वविद्यालय का अनुसंधान विभाग खोला जाना चाहिये। इस वर्ष एक संस्था में सहकारिता-विजयक स्नातकोत्तर की कक्षाएं खोली गयी है जब कि अगले वर्ष इस प्रकार की अन्य तीन कक्षाएं खोली जाएंगी।

## लड़कियों और औरतों की शिक्षा

विशेषत: प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रम पर बहुत जोर दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप तीसरी योजना के अन्त तक भर्ती की गई कुल लड़कियों का ६१.६ प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा, १६.५ प्रतिशत भाग मिडिल शिक्षा और ६.९ प्रतिशत भाग माध्यमिक शिक्षा पा रहा होगा। यह भी अनुमान है कि सामान्य शिक्षा के लिये योजना के अन्तर्गत व्यय किये जाने वाले कुल ४०८ करोड़ रुपये में से १७५ करोड़ रुपये लडकियों और औरतों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। १९६१-६२ की स्कीम में लड़कियों की भर्ती के

आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि यह भर्ती सामान्य वृद्धि के बराबर नहीं हुई है। इसलिये लड़कियों की शिक्षा में विस्तार लाने के लिये जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के सुझाव पर इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में लड़कियों को अधिकाधिक संख्या में स्कूलों में भेजने के लिये महिला समाज कार्यकर्ताओं ने १३ सम्मेलन आयोजित किये हैं।

## सामाजिक शिक्षा

सीमित साधनों को देखते हुए सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को कुछ चुनी हुई कार्यवाहियों तक ही सीमित रखा गया है। इन कार्यों में इन्दौर की कार्यकर्ता संस्था और मैसूर के विद्यापीठ कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं और पुस्तकालयों की सहायतार्थ अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही नवसाक्षरों के लिये साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था भी है। इस वर्ष नेशनल बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी और हिन्दी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में २० पुस्तकें प्रकाशित कीं। इस प्रकार अभी तक ५२ पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है।

## शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण और अनुसंधान

शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण और अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना इस वर्ष १ सितम्बर, १९६१ को हुई। यह परिषद् विभिन्न वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और विचार-विनिमय के आदान-प्रदान के लिये समुचित व्यवस्था के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना करेगी।

निम्नलिखित संस्थायें जो कि अभी तक मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रही थीं राष्ट्रीय परिषद् के अधीन आ गयी हैं और उनको मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा संस्था का बीजारोपण हुआ है:—

१. बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय संस्था, नई दिल्ली
२. केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली
३. माध्यमिक शिक्षा के लिये विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली
४. राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र, नयी दिल्ली और
५. राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था, नयी दिल्ली।

परिषद् के भावी कार्य में नयी संस्थायें खोलने और इन सब का समन्वय करने का कार्य भी है।

तीसरी योजना में बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोलने की स्कीम के अन्तर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये भोपाल, मैसूर, अजमेर और भुवनेश्वर में चार प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी।

परिषद् की अन्य स्कीमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:—१९६२-६३ में माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों के १३ विस्तार सेवा विभागों की स्थापना, परीक्षाओं में सुधार लाने का कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिये आदर्श पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और विज्ञान की शिक्षा में आमूल सुधार।

परिषद् ने शिक्षा की प्रथम वर्ष पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम "रिव्यू आफ एजुकेशन इन इण्डिया (१९४७-६१) है।

## शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति

सरकार को शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का कार्यक्रम बनाने तथा उन्हें अमल में लाने के लिये मदद देने की दृष्टि से चार निम्नलिखित स्थायी समितियां संगठित करने का निश्चय किया गया है जिनमें ९ से ११ सदस्य होंगे :—

१. श्री उ० न० ढ़ेबर की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समिति।
२. प्रो० जी० सी० चटर्जी की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति।
३. डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता से विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति।
४. डा० मोहनसिंह मेहता की अध्यक्षता में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति।

## छात्रवृतियाँ

आलोच्च अवधि में आरम्भ की गई स्कीमों में मैट्रिक के बाद के अध्ययन में विशेष उत्कृष्टता रखने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बालकों के लिए योग्यता-छात्रवृत्ति विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहली योजना के अन्तर्गत तीसरी योजना में १२,००० छात्रवृत्तियां दी जाएंगी—२४०० प्रति वर्ष सर्वोच्च विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्तियां प्राप्त होंगी। दूसरी स्कीम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २५०० छात्रवृत्तियां दी जाएंगी—५०० वार्षिक छात्रवृत्तियां प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बालकों के लिए। इस वर्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कला-विषयक तथा विज्ञान विषय की स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों के देने का कार्य-भार स्वयं ले लिया। इन छात्रवृत्तियों की संख्या क्रमशः ८० और १५० प्रतिवर्ष है।

इस वर्ष की एक अन्य उल्लेखनीय घटना १९६२ की जनवरी मास में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दूसरा कोमनवेल्थ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन था। कोमनवेल्थ के १३ देशों ने इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजा जिनमें से अधिकांश का नेतृत्व उन देशों के शिक्षा मंत्रियों ने किया था। इस सम्मेलन ने कोमनवेल्थ छात्रवृत्तियों की ओक्सफोर्ड योजना तथा सम्बन्धित मामलों पर विचार किया और अध्यापकों के प्रशिक्षण, अध्यापकों की उपलब्धि, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था तथा टैकनीकल शिक्षा के बारे में कई सिफारिशें कीं।

## विकलांगों की शिक्षा तथा उनका पनुर्वास

विकलांगों की शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटना दिसम्बर, १९६१ में बंगलौर में विकलांगों के प्रशिक्षण और रोजगार के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन था। जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, मालिकों के संगठनों, मजदूरों के संगठनों और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सेमिनार के आयोजन से परस्पर विचारों के आदान-प्रदान के अवसर प्राप्त हुए है।

बम्बई और दिल्ली में विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार दफ्तर काम करते रहे और मद्रास में व्यस्क नेत्रहीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण केन्द्र के रोज़गार दफ्तर को पूरी तरह से अप्रैल, १९६२ से विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार दफ्तर के रूप में बदल दिया गया है। १९६२-६३ में इस प्रकार के अन्य तीन या चार विशेष दफ्तर खोलने का विचार है।

देहरादून में राष्ट्रीय ब्रेली पुस्तकालय इस वर्ष स्थापित किया गया। यह नेत्रहीनों के राष्ट्रीय केन्द्र का ही एक भाग हैं। इस पुस्तकालय की स्थापना से नेत्रहीनों की शिक्षा के साधनों के अभाव की पूर्ति हुई है।

बहरों के मौजूदा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र के पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया है। हैदराबाद में व्यस्क बहरों के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना बनाई जा रही है।

१९६१-६२ में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली २२ स्वैच्छिक संस्थाओं को ३.१८ लाख रुपए की सहायता दी गई। आलोच्य अवधि में ऐसी सहायता सम्बन्धी नियमों में काफी उदारता लाई गई है।

## समाज कल्याण

तीसरी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण के कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया गया है, विशेषत: बाल कल्याण पर जोर दिया गया है। इस काम के लिए योजना में कुल ३१०० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जिनमें से ३०० लाख रुपए बाल-हित के लिए रखे गए हैं। बाल-हित कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में बाल-हित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली २० प्रदर्शन परियोजनायें आरम्भ की जाएंगी। प्रत्येक परियोजना पर अनुमानत: ५ लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा मौजूदा बालबाड़ियों, बालगृहों, बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के तत्वावधान में बालकों के विकास सम्बन्धी एक अनुसन्धान परियोजना भी आरम्भ की जाएगी। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की बाल कल्याण समिति ने ६ वर्ष तक के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रश्नों पर विचार करने के बाद इन बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत योजना बनाई हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अपनी एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक सहायतार्थ अनुदान संहिता समिति स्थापित की गई है। इस समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि तीसरी के पहले किए गए कामों के सम्बन्ध तथा स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकताओं के सुधारों पर काफी जोर दिया जाना चाहिए।

## शारीरिक शिक्षा खेलकूद और युवक कल्याण

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर में, जिसकी स्थापना १९५७ में हुई थी, पहली बार लड़कियों को भरती किया गया है। प्रतिवर्ष १०० प्रवेशार्थियों के लिए स्थान हैं। जब कालेज में १९६१ में ६१ विद्यार्थी भरती किए गए जिनमें से १० लड़कियां थीं।

राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन जो कि १९६० में आरम्भ किया गया था, इस वर्ष जुलाई, १९६१ में अखिल भारतीय सेमिनार के आयोजन के बाद पुन: आरम्भ किया गया। १०३५ केन्द्रों में नए ढंग से प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षार्थियों की संख्या लगभग १,५०,००० थी। निश्चय किया गया है कि राजधानी में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए जाएगे। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक राज्य अपने ६ खिलाड़ी भेजेगा।

पटियाला में राष्ट्रीय खेलकूद संस्था की स्थापना २० मार्च, १९६१ को हुई। यह देश में खेल-कूद के स्तर को सुधारने में एक बड़ा प्रयास है जिसकी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा नामजद गवर्नरों के बोर्ड द्वारा होती है। इस संस्था में अक्तूबर, १९६१ से राजकुमारी स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम भी शामिल हो गई है। खेल-कूद के क्षेत्र में एक अन्य उल्लेखनीय घटना मार्च, १९६२ में नई दिल्ली में अखिल भारतीय खेलकूद कांग्रेस का आयोजन तथा चुने हुए खिलाड़ियों के लिये अर्जुन पुरस्कारों के वितरण की व्यवस्था की गई थी।

१९६१-६२ में विभिन्न संस्थाओं को १२५४ प्रमुख और सामाजिक सेवा शिविर आयोजित करने के लिये १३,८२,६९४ रुपए स्वीकृत किये गये। कैम्पस कार्य परियोजना की स्कीमों के अन्तर्गत इस वर्ष २३४ परियोजनाओं के लिये १९.४९ लाख रुपये की रकम मन्जूर की गई।

इस वर्ष की एक अन्य उल्लेखनीय घटना अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह को पुन: आरम्भ किया जाना है और विद्यार्थियों की आपसी फूट को दूर करने तथा बौद्धिक वादविवाद पर ज्यादा ज़ोर देना है। यह अपनी किस्म का सातवां युवक मेला था जो कि नई दिल्ली में अक्तूबर, १९६१ में आयोजित किया गया और जिसमें ३६ विश्वविद्यालयों से ७९६ विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इस वर्ष राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम ने विशेष प्रगति की। इस समय १३ राज्य और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में २१०० संस्थाओं में १२ लाख बालक इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं।

## राष्ट्रीय पुरस्कार

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा १९५८-५९ में आरम्भ किये गये अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत ८५ पुरस्कार वितरित किये गये जिनमें से ४४ प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों और ४१ माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को दिये गये जिसमें सारे देश से चुने हुए अध्यापकों ने भाग लिया और उन्हें भारत के उप-राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किये।

## अध्यापकों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई-अगस्त, १९६१ में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन में विभिन्न देशों से ७० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

## तिब्बती शिक्षा

तिब्बती बालकों की शिक्षा के लिये शिमला, मन्सूरी और दार्जिलिंग में स्कूल खोले गये हैं। इन स्कूलों के लिये एक स्थानीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई है जिसमें स्कूलों के मुख्याध्यापक

जिले के डिप्टी कमिश्नर, केन्द्रीय समिति के दो नामजद व्यक्ति तथा महापुनीत दलाईलामा का एक प्रतिनिधि होगा।

## गांधीवादी विचारधारा का प्रसार

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों के बीच गांधीजी के जीवन और विचारों की समुचित सराहना और जानकारी पैदा करने वाली स्कीम आरम्भ की थी, जो कितीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत तीसरी योजना में राज्यों के कुछ चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में गांधीवादी विचारधारा पर कुमारी मनीबेन गांधी के भाषण होंगे और शिक्षा संस्थाओं को गांधी साहित्य उपलब्ध किया जाएगा तथा विभिन्न भारतीय विश्व-विद्यालयों में गांधीजी के जीवन और विचारों पर प्रमुख व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी में गांधी विचारधारा का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का भी विचार है।

## भावात्मक एकता समिति

आज देश में जो आपसी फूट की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिससे राष्ट्रीय जीवन का विघटन हो रहा है, इसे दूर करने के लिये मई, १९६१ में डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता मे एक भावात्मक एकीकरण समिति नियुक्त की गई। इस समिति का कार्य राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक एकता लाने में शिक्षा के योगदान पर विचार कर इस समिति द्वारा एक उपयुक्त कार्यक्रम सुझाना था। इस समिति ने नवम्बर, १९६१ में केन्द्रीय मंत्रियों को अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की जो कि प्रकाशित हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही पेश की जाने वाली है।

## हिन्दी का प्रचार और विकास

टैक्नीकल शब्दों का सम्मिलित शब्द कोष दो भागों में प्रकाशित किया गया है।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा महाविद्यालय आगरा का कार्य-भार भारत सरकार ने जनवरी, १९६१ से स्वयं अपने ऊपर ले लिया है और जिसका संचालन सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल द्वारा होता है। इस वर्ष दो हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र मैसूर और केरल राज्यों में खोले गये हैं।

पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ ग्रन्थों और विश्वविद्यालय स्तर में सर्वमान्य कृतियों का हिन्दी तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के अनुवाद तथा प्रकाशन की एक स्कीम बनाई गई है जिसके अन्तर्गत ३०० पुस्तकों का इस समय अनुवाद हो रहा है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने हिन्दी में मैनुअल फोर्म और दफ्तर के अन्य कागजों के अनुवाद का कार्य-भार भी ले लिया है।

निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रशासनीय नियंत्रण में मद्रास और कलकत्ता में दो प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए जाएं ताकि देश के पूर्वी और दक्षिणी अहिन्दी भाषी इलाकों में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के कार्य का अधिक अच्छे ढंग से समन्वय और निर्देशन हो सके। इसके अतिरिक्त १९६१-६२ में हिन्दी के प्रचार और प्रसार का कार्य करने वाली स्वैच्छिक

संस्थाओं को २,९१,९४९ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। हिन्दी में वैज्ञानिक और टैक्नीकल साहित्य को समृद्ध बनाने की दृष्टि से इस विषय की श्रेष्ठ हिन्दी पुस्तकों के लेखकों को वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया गया है।

## संस्कृत का विकास

संस्कृत के प्रचार और विकास के निमित्त कई योजनाएं है, जैसे कि गुरुकुलों का विकास, दुर्लभ कृतियों का प्रकाशन, अनुसंधान कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां तथा संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता और ऐतिहासिक सिद्धान्तों पर आधारित संस्कृत शब्दकोष का निर्माण इत्यादि। सरकार के तत्वावधान में शब्द कल्पद्रुम नामक संस्कृत शब्दकोष का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है।

आलोच्य अवधि में तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस विद्यापीठ का संचालन स्वायत्त संगठन द्वारा होगा और इसका उद्देश्य उच्च संस्कृत भाषा का ज्ञान देने तथा संस्कृत साहित्य के विशेष भागों में अनुसन्धान करना है।

## यूनेस्को के साथ सम्बन्ध

आलोच्य अवधि में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में १५ उप-समितिया होंगी जो कि यूनेस्को के पांचों कार्यक्रमों से सम्बन्धित होंगी—शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक गति-विधि और कला तथा जन-संचार आदि। विभिन्न क्षेत्रों में यूनेस्को के कार्य को आगे बढ़ाने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

## प्रकाशन

आलौच्य अवधि में मंत्रालय के सभी प्रकाशन पूर्ववत् चलते रहे जिनकी कुल संख्या ६८ हैं।

---

# सांस्कृतिक गतिविधियां

इस वर्ष देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में विस्तार हुआ है। इस वर्ष की उल्लेखनीय घटना देश-व्यापी टैगोर शतवार्षिकी समारोह था। इसके अलावा ग्रीस के साथ हमारा सांस्कृतिक समझौता भी एक महत्व रखता है। इस वर्ष नार्वे के साथ पहले से हुए सास्कृतिक समझौतों का अनुसमर्थन किया गया। थ्येटरों, कलाकारों और विपन्न हालत वाले लेखकों को इस वर्ष भी आर्थिक सहायता दी गई।

**आक्योंलोजिकल सर्वे आफ इंडिया :** इस साल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना दिसम्बर, १९६१ मे सर्वेक्षण का शतवार्षिकी समारोह है। समारोह और अन्तर्राष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने १४ दिसम्बर१९६१ को विज्ञान भवन में किया। उसी शाम सर्वेक्षण के पिछले नौ साल के कार्य-कलाप की एक शतवार्षिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने किया।

**खुदाई :** बुर्जाहोम (जम्मू और काश्मीर) नागार्जुनकोंडा, आलमपुर (होशंगाबाद जिला) और कालीबंगन (गंगानगर जिला) में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय खुदाई की गयी।

**अभिलेख :** बहुत-से अभिलेखों की जांच की गई। कुछ मुख्य अभिलेख ये थे : आलमपुर (महबूबनगर जिला) का उत्कीर्ण लेख, जिसमें १०६० और १२९९ ईसवी के बीच उस स्थान के धार्मिक संगठनों का प्रमाण मिलता है; सूर्यवंश के मलयकेतु वंश के राजा सौरादित्य का विक्रम सं० १०८३ (१०२६ ईसवी) का वगहा ताम्रपात्र।

**मंदिरों का सर्वेक्षण** : उत्तरी और दक्षिणी भारत के मंदिर सर्वेक्षण में काफी प्रगति हुई।

**स्मारकों का संरक्षण :** राष्ट्रीय महत्व के देश भर के स्मारकों की ओर ध्यान दिया गया, खासकर दिल्ली के स्मारकों की ओर। एलोरा के कैलाश मंदिर, औरंगाबाद में चट्टान को काटकर बनाए गए बीबी के मकबरे की विशेष मरम्मत का काम चालू रखा गया। अन्य स्मारकों की भी मरम्मत की गई।

**रासायनिक परिरक्षण :** रासायनिक परिरक्षण के काम में बाघ गुफायें, चीनी का रोजा, आगरा, लालकिला दिल्ली, रोहतास किला, जिला शाहाबाद, सीताभिंजी उड़ीसा और नालन्दा के चित्रों की सफाई और परिरक्षण भी शामिल है।

**पुरातत्व विद्यालय :** पुरातत्व विद्यालय संतोषजनक रूप से काम करता रहा। उसका पहला दीक्षान्त भाषण वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक कार्य मंत्री ने दिया। इसमें अब १८ विद्यार्थी हैं, दूसरे बैच के १० और तीसरे बैच के ८।

**प्रकाशन** : नीचे लिखे प्रकाशन निकाले गए :

१. एन्श्येंट इण्डिया संख्या १७

२. इंडियन आक्योंलोजी, एक रिव्यू १९६०-६१

३. दी स्टोरी आफ इंडियन आर्क्योलोजी,

४, सैनेटरी एग्जिविशन

५. अन्तरांष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन में पढ़े गए लेखों का सारांश।

**एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया :** 'एन्थ्रोपोलोजी इन इंडिया ड्यूरिंग १९५७-५८' नामक शव्द-कोश (इयर बुक) का काम पूरा किया गया। नीचे लिखे विषयों पर रिपोर्ट की तैयारा का काम शुरू किया गया :

(क) अखिल भारतीय सांस्कृतिक महाखण्ड सर्वेक्षण;

(ख) नागार्जुनकोण्डा के नवपाषाणकालीन और दीर्घपापाणकालीन ढांचे;

(ग) येल्लेश्वरम् के दीर्घपाषणकालीन ढांचे।

**संग्रहालयों का पुनर्गठन और विकास :** संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास की योजना दूसरे आयोजन से चली आ रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। दूसरे आयोजन के काल में इस योजना पर लगभग ३९.३५ लाख रुपए खर्च किए गए। इसमें से अधिकांश देश के संग्राहलयों में पुनर्गठन और विकास के लिए अनुदान के रूप में खर्च किया गया। तीसरे आयोजन काल में इसी काम के लिए योजना के अधीन ५५ लाख रुपयों की रकम रखी गई है।

**राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली :** संग्रहालय में एक नई गैलरी खोली गयी है जिसमें भारत की पोशाकें प्रदर्शित की गई हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा भेंट में दी गई आदिम जाति की और प्रादेशिक पोशाकों में से चुनी गई है।

राष्ट्रीय संग्रहालय ने ५, ६४, ४२५ रु० की कीमत [illegible] कीं। इसके अलावा बहुत-सी कला वस्तुएं भेंट के रूप में प्राप्त हुई।

संग्रहालय के पुस्तकालय में १००० नई किताबें बढ़ायी गयी हैं और इनकी कुल संख्या अब ५,७५० हो गई है।

**भारतीय संग्रहालय कलकत्ता :** संग्रहालय की जल्दी जलने वाली चीजों को रखने के लिए बनने वाली फायर प्रूफ इमारत की पायल-नींव का काम जुलाई, १९६१ में पूरा हो गया और इस पर ३.९८ लाख रुपए खर्च हुए। ऊपर के ढांचे के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इमारत के १९६३ के मध्य तक पूरे हो जाने की उम्मीद है और इस पर अनुमानतः २८ लाख रुपए खर्च होंगे।

**राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता :** पुस्तकालय के उप-भवन की आधार-शिला प्रधान मन्त्री ने ८ मई १९६१ को रखी। पुस्तकालय के अहाते में कर्मचारियों के लिए ३६ क्वार्टर बनाए गए।

पुस्तकालय के हिन्दी के प्रकाशनों के लिए एक नया डिवीजन खोला गया।

पुस्तकालय ने दो प्रकाशन निकाले : 'इण्डियाज नेशनल लायब्रेरी' और सप्रू कारेस्पौडेन्स : एक चैकलिस्ट, सीरीज़ एक'।

टैगोर की जन्म शतवार्षिकी के अवसर पर प्रधान मंत्री ने कवि के जीवन और कृतियों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

**आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास :** तीसरे आयोजन में आयोजन काल के लिए ९९ लाख रुपयों की एक योजना शामिल की गई है। चालू साल के लिए १४,९९,००० रुपए की बजट

व्यवस्था की गई है । इस योजना के अधीन विभिन्न भारतीय राज्य सरकारों और पूरे देश की गैर-सरकारी साहित्य संस्थाओं और संगठनों की अनुमोदित प्रकाशन योजनाओं के अनुमानित खर्च की पचास प्रतिशत तक केन्द्रीय मदद दी गई ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर शतवार्षिकी समारोह १९६१ के वर्ष में सारी दुनिया में टैगोर शतवार्षिकी समारोह मनाया गया। न केवल कवि और उनके कार्य-कलाप में बल्कि भारतीय जीवन और चिन्तन के सभी पहलुओं में हर जगह ऐसी अभिरुचि दिखायी गई जैसी पहले कभी नहीं दिखाई गई थी । समारोह के ब्योरे रवीन्द्रनाथ टैगोर शतवार्षिकी समिति द्वारा निकाले गए बुलेटिन में दिए गए हैं । लेकिन नीचे लिखी बातों का खास उल्लेख किया जा सकता है । रवीन्द्र भवन (तीनों राष्ट्रीय अकादेमियों का मुख्यालय) का भारत के राष्ट्रपति द्वारा मई, १९६१ में उद्घाटन और नवम्बर १९६१ में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन ।

**राष्ट्रीय अकादेमियां :** तीनों राष्ट्रीय अकादेमियों के रखरखाव और सामान्य कार्यकलाप के लिए अनुदान देने के हेतु लगभग २७.५ लाख रुपये की बजट की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा मंत्रालय के मई १९५२ के प्रस्ताव द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी के काम को अपने हाथ में लेने के लिए सितम्बर १९६१ से एक नई संस्था "संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली" बनायी गयी है।

**सांस्कृतिक मंडलियों का राज्यों के बीच विनिमय :** पंजाब, आसाम, जम्मू और काश्मीर, मद्रास और मणीपुर की संगीत और नृत्य मंडलियां दस दूसरे राज्यों को गयीं । राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की मंडलियां फरवरी-मार्च १९६२ में पांच दूसरे राज्यों को जाएंगी।

**चोटी के कलाकारों और मंडलियों का सांस्कृतिक विनिमय :** इस योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए । मद्रास सरकार ने जनवरी १९६२ में एक कार्यक्रम आयोजित किया । राजस्थान और आसाम सरकारों से आए हुए प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है ।

इस साल "व्यवसायी थियेटरों को रखरखाव अनुदान" नाम की एक योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य देश के थियेटर संगठनों को दृढ़ वित्तीय आधार पर लाने में मदद देना है। राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्टर्ड थियेटर ग्रुपों को वित्तीय मदद देने पर विचार किया जाता है, जिनके पास पूरे समय के स्थायी कर्मचारी होते हैं।

**देहाती इलाकों में खुले थियेटर :** १९६१-६२ में अब तक देश के विभिन्न हिस्सों के देहाती इलाकों में अस्सी खुले थयेटर बनाने के लिए ९७,२५० रुपयों के अनुदान विभिन्न राज्यों को मंजूर किए गए हैं।

**राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय रंगशालाएं :** १९५९-६० में टैगोर शतवार्षिकी समारोह के अंगस्वरूप टैगोर स्मारक रंगशालाएं बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके अधीन आन्ध्र प्रदेश, उड़ासा जम्मू और काश्मीर और पंजाब में रंगशालाएं बन चुकी हैं और बाकी राज्यों में रंगशालाएं करीब-करीब पूरी हो रही हैं ।

इस कार्यक्रम के अंगस्वरूप दिल्ली में एक बड़ा खुला थियेटर बन रहा । इसमें नाटकों का प्रदर्शन देखने के लिए लगभग १३०० व्यक्ति बैठ सकेंगे और बड़े पैमाने के प्रदर्शनों के लिए लगभग ८०० व्यक्ति ।

**नाटक प्रतियोगिता :** संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में 'एकता के लिए भारती की साधना, विषय पर लिखी गई सर्वोत्तम नाटक की स्क्रिप्ट पर एक प्रतियोगिता मंत्रालय ने आयोजित की है। हर भाषा की सर्वोत्तम स्क्रिप्ट पर ४००० रुपयों का पुरस्कार दिया जाएगा।

**विपिन्न हाल वाले प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों को वित्तीय मदद :** साहित्य, कला या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के सुप्रसिद्ध लोगों को, जिनकी हालत तंग हो, उपयुक्त मासिक भत्ता या एकमुश्त रकम के रूप में मदद देने के लिए, वर्ष १९६१-६२ में २.५ लाख रुपयों की बजट-व्यवस्था की गई थी। इस योजना के अधीन अब तक ३१३ व्यक्तियों को मदद दी जा चुकी है।

अप्रैल १९६१ से इस योजना में संशोधन किया गया, जिससे यह मदद देने में होने वाले खर्च का एक-तिहाई राज्य सरकार दे और बाकी दो-तिहाई केन्द्रीय सरकार। संशोधित योजना के अधीन ३१ दिसम्बर १९६१ तक २४ नए अनुदान लिए गए।

**भारत के सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान :** भारत के विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं को देश में उनके कार्यक्रम के विस्तार के लिए १,०९,८८५ रुपयों के अनुदान दिए गए।

**सांस्कृतिक सोसाइटियों को इमारतों के लिए अनुदान :** १९६१-६२ में सांस्कृतिक संस्थाओं को अब तक इमारतों और दूसरे कामों के लिए कुल मिलाकर ५,६४,४२५ रुपयों के अनुदान दिए गए हैं। इनमें शंकर की अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता समिति, नई दिल्ली को बाल कला विशेषांक निकालने और बच्चों की अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए दिए गए अनुदान भी शामिल हैं।

**स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास :** १९६१-६२ के वर्ष में स्वाधीनता का आन्दोलन के इतिहास की दूसरी जिल्द (१७००-१९०६) का काम शुरू किया गया। इसमें भारतीय समाज में पश्चिम के सम्पर्क और पुनर्जागरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों की मीमांसा और सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रस्तावित जिल्द के लगभग आधे हिस्से का मसौदा तैयार किया जा चुका है।

**स्वाधीनता संग्राम मे हिस्सा लेने वाले लोगों का "हू इज हू" तैयार करना :** स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों का 'हू इज हू" तैयार करने के सिलसिले में हर राज्य की योजना को अमल में लाने वाले अनुमोदित खर्च के ३३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत की वित्तीय मदद राज्य सरकारों को देने का फैसला किया गया है।

## विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध

**सांस्कृतिक समझौते :** इस वर्ष ग्रीस के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और नार्वे के साथ पहले से हुए सांस्कृतिक समझौतों का समर्थन किया गया। अब भारत का चौदह देशों के साथ सांस्कृतिक समझौता हो चुका है।

**विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधि मंडल :** २९ प्रसिद्ध भारतीय नृत्यकारों, गायकों और संगीत-शास्त्रियों ने जापान में "ईस्ट-वेस्ट म्यूजिक एनकाउण्टर" और अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भाग लिया। एक रामलीला नाट्य मंडली ने, जिसमें ४१ व्यक्ति थे, नवम्बर १९६१ में काठमाण्डू में छः प्रदर्शन आयोजित किए।

३१ जनवरी १९६२ तक की अवधि में भेजे गए दूसरे सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों में ये

शामिल है : अफगानिस्तान के जशन समारोह में भाग लेने के लिए एक २८ सदस्य की नृत्यकारों और गायकों की मंडली और एक हाकी टीम, पाकिस्तान को २६ जनवरी, १९६१ के अवसर पर एक नृत्य संगीत मंडली, यू० एस० एस० आर० को लेखकों और कलाकारों के दो प्रतिनिधिमंडल, बर्मा को एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल, सिक्किम को एक नृत्य संगीत मंडली, लंका को एक नृत्यकारों और गायकों का प्रतिनिधि मंडल और नेपाल को भारतीय स्वाधीनता दिवस में भाग लेने के हेतु एक नृत्य मंडली ।

भारतीय कला केन्द्र को यू० एस० एस० आर० में "कुमार संभव बैले" भेजने के लिए और श्रीमती शरन रानी को आस्ट्रेलिया, सं० रा० अमेरिका और यूरोप में सरोदवादन का प्रदर्शन करने के लिए वित्तीय मदद दी गई । श्री डी० सी० सरकार को एक भाषण दौरे पर यू० एस० एस० आर० भेजा गया । श्री अमलेकर को मलाया में और श्री गुजराल को यूरोप और अमेरिका में अकेले अपनी-अपनी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए मदद दी गई ।

**विदेशों से सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल :** इसी बीच बुलाये गये विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों में ये शामिल हैं: बलगेरिया से २५ सदस्यों की नृत्य-संगीत मंडली तथा विख्यात चित्रकार श्री एन० एस० पेटकोव, एम्स्टर्डम के डा० गैसिना एच० जे० वान देर मोलन, ब्राजील स्थित बहिया के प्रो० एच० जे० कोइलरुट्टर, मंगोलिया के प्रो० शाड्व्यान लब्सन-बन्दम और जर्मन एक्सचेंज सर्विस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा० एफ० एच० स्चीव तथा डा० आर० मोइनिंग डाइरेक्टर आफ इंटरनेशनल बौन ।

**प्रदर्शनियां :** लेटिन अमेरिका देशों को भारतीय कला की एक प्रदर्शनी जिसमें समकालीन चित्र और लघु चित्रों के नमूने थे, भेजी गई ।

(१) "रूमानियां का पुरातत्व" प्रदर्शनी और (२) पोलैण्ड के कलाकार कुलोसीविक के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए और (३) साओ पोलो में कला की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ललित कला अकादेमी को मदद दी गई ।

**टैगोर शतवार्षिकी समारोह :** विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में टैगोर शतवार्षिक की समारोह मनाये गये ।

**भारत तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र भवन :** भारत और लंका की कौंसिल आफ द वाई० एम० सी० ए० को ४,००,००० रुपयों का ऋण मंजूर किया गया, जिससे "इण्डियन स्टुडेण्ट्स यूनियन एण्ड होस्टल, लन्दन" के लिए एक एक्सटेंशन ब्लाक का निर्माण किया जा सके और भारतीय छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था हो ।

**सहायता अनुदान :** भारत और अन्य देशों के बीच निकटतम सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास करने में लगे हुए २० से अधिक भारत विदेशी और दूसरे सांस्कृतिक संगठनों को सहायता अनुदान दिए गए ।

**फैलोशिपें और छात्रवृत्तियां :** भारतीय विश्वविद्यालय तथा दूसरे संस्थानों को तिब्बती लामाओं को नियुक्त करने में समर्थ बनाने के लिए ३०० रुपए प्रति मास की दस फैलोशिपें तथा शरणार्थी तिब्बती विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में अण्डर ग्रेजुएट अध्ययन करने में समर्थ बनाने के लिए ५० रुपए प्रतिमास वाली पांच छात्रवृत्तियां इस वर्ष भी दी जाती रही ।

दी इण्डियन कौंसिल फौर कल्चरल रिलेशन्स कौंसिल ने टैगोर शतवार्षिकी समारोह के अवसर पर साहित्य अकादमी के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य गोष्ठी को और 'दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस" और दि इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर के सहयोग से पहली एशियाई इतिहास कांग्रेस आयोजित किया ।

**कौंसिल ने तीन पुस्तकें प्रकाशित कीं :** "द फ्यूचर आफ डेमोक्रेसी" लेखक राइट आनरेबुल अर्ल सी० आर० एटली, "मोनोग्राफ आन संस्कृत लेंग्वेज" लेखक डा० सी० कुन्हन राजा और "इण्डियन स्कल्प्चर" लेखक श्री सी० शिवराम मूर्ति । दो त्रैमासिक जनरल, "इण्डोएशियन कल्चर" अंग्रेजी तथा "मकाफल-उल-हिन्दो" अरबी में निकाले जाते रहे ।

## विदेशों में तकनीकी और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृतियां

इस वर्ष में विदेशी सरकारों और संगठनों द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विषयों में छात्रवृत्तियां देने के कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हुई । लगभग बीस देशों और विदेशी संगठनों ने अपने-अपने शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय छात्रों के उच्च अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों के प्राय: तीस योजनाओं का प्रस्ताव किया । इन योजनाओं के अधीन विज्ञान, इंजीनियरी, टैक्नोलौजी और सांस्कृतिक विषयों में उच्च अध्ययन के लिए १९६१ में कुल मिलाकर ३०० से अधिक भारतीय छात्र विदेश गए।

परस्पर के आधार पर बदले में मंत्रालय ने विभिन्न दूसरे देशों के छात्रों को उनकी रुचि के विषयों में बहुत-सी छात्रवृत्तियां दी । इस समय नौ देशों के २५० से अधिक छात्र भारत में अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवक कार्यकर्ताओं की छात्रवृत्ति योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। देश में इस समय ५६ छात्र इस योजना के अधीन संगीत, नृत्य और नाट्य के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

### प्रकाशन

इस साल में प्रकाशन यूनिट ने २७ प्रकाशन निकाले, जिनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हैं : (१) रिपोर्ट आफ दि स्पेशल कमेटी फार कामर्स एजुकेशन, (२) रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन इंजीनियरिंग एजुकेशन एण्ड रिसर्च, (३) स्कालरशिप्स आफ स्टडी एब्रोड एण्ड ऐट होम (तृतीय संस्करण) (४) प्रोसीडिंग्स आफ दि कान्फ्रेन्स आफ स्टेट चीफ मिनिस्टिर्स (५) कल्चरल फोरम और (६) संस्कृति ।

"कल्चरल फोरम" और "संस्कृति" ने रवीन्द्रनाथ टैगोर और आर्क्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के शतवार्षिकी समारोहों के सिलसिले में टैगोर और पुरातत्व विषयक दो विशेषांक निकाले।

# वैज्ञानिक अनुसंधान

देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में काफी विस्तार हुआ है। विज्ञान मंदिरों की संख्या बढ़ गई है। लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य के सस्ते संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान शालाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। टेकनिकल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और देश के सभी भागों में भी नए-नए इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं।

मांउन्टेनियरिंग स्पौंसरिंग कमेटी, इंडियन मांउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन को उसके अन्नपूर्णा-३, नीलकण्ठ, नन्दादेवी के अभियानों और दूसरे मांउन्ट एवरेस्ट अभियान १९६२ का खर्च पूरा करने के लिए ५,२०,००० रुपये की पेशगी रकम दी गयी। नीलकण्ठ और अन्नपूर्णा ३ के अभियान सफल रहे।

**समर स्कूल :** शिमला, कोडाइकैनाल, शिलांग और डलहौजी में क्रमशः जूलौजी, एन्थ्रोपोलाजी, आरगैनिक कैमिस्ट्री और थ्योरेटिकल फिजिक्स में समर स्कूल आयोजित किए गए। इनमें पूरे देश के सभी हिस्सों से चुने हुए वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

अंतरिक्ष अनुसंधान-कमेटी आन स्पेस रिसर्च (कोसपार) के प्रसीडेंट ने भारत को इस अन्तराष्ट्रीय समिति का सदस्य बनाना मंजूर कर लिया है।

**नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन :** राष्ट्रीय लेबोरेटरियों और दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं में की गई २६ नई खोजों की रिपोर्ट विकास के लिए कारपोरेशन के पास आयीं। अब तक की गई वैज्ञानिक खोजों की कुल संख्या इन्हें मिला कर अब ६१० हो गई हैं। कारपोरेशन ने छः विदेशी पेटेंट हासिल किए और ८० लाइसेंस-करारों के लिए बातचीत की। नौ प्रक्रियाओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया।

**वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव :** यह फैसला किया गया कि ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की जिन्हें पेशगी इन्क्रीमेंट दिए जाते हैं, संख्या दो प्रतिशत से बढ़ा कर पांच प्रतिशत कर दी जाए।

**विज्ञान मंदिर :** अब तक ४१ विज्ञान मंदिर खोले जा चुके हैं। विज्ञान मंदिरों सम्बन्धी निर्धारण समिति की सिफारिश पर यह फैसला किया गया है कि विज्ञान मंदिरों के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारें ले लें और वे केन्द्र की ओर से निश्चित कार्यक्रम और वित्तीय मदद के अनुसार उनका काम चलाएं। विज्ञान मंदिरों को राज्य सरकारों को सौंपने की शर्त और दूसरे सम्बन्धित मामलों के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

**लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन :** विधान को लोकप्रिय बनाने की योजना के एक हिस्से के रूप में लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य के भारतीय भाषाओं में सस्ते संस्करण निकालने में प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त मामलों में वित्तीय मदद दी जा रही है।

**राष्ट्रीय वैज्ञानिक संग्रहालय :** सिद्धान्त रूप में यह तय किया गया है कि दिल्ली में तीसरे

पंचवर्षीय आयोजन के समय में एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया जाय ।

**सर्वे आफ इंडिया :** इस साल सर्वे आफ इंडिया की ८० प्रतिशत क्षेत्रीय टुकड़ियां रक्षा और विदेश मंत्रालयों की जरूरतें पूरी करने के लिए सामान्य विभागीय सर्वेक्षण का काम करती रहीं और बाकी २० प्रतिशत भारत के विभिन्न राज्यों में विभागातिरिक्त काम करती रही ।

सामान्य अभिरुचि के नीचे लिखे नक्शे प्रकाशित किए गए :

भारत की सड़कों का नक्शा, पैमाना १:२५,००,००० ।

स्कूल एटलस १९६१ जिसमें ७७ नक्शे और १९ चित्र हैं।

७० मील के पैमाने का भारत का राजनीतिक नक्शा ।

नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन इस साल आबादी के नक्शों की दस प्लेटें छापी गयीं । इसके अलावा ४० और प्लेटों के प्रूफ भी लगभग तैयार हैं । भारत के संसदीय मतदान-क्षेत्रों के एक नक्शे के जल्द ही प्रकाशित होने की उम्मीद है ।

**विश्वविद्यालय छात्रों को काम में लगाना :** विश्वविद्यालयल छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों में काम में लगाए जाने की योजना चालू रही और लगभग ७००० मानव-घन्टे तक काम लिया गया ।

**बौटेनिकल सर्वे आफ इंडिया :** विभिन्न भागों की क्षेत्रीय टुकड़ियाँ खोज का काम करती रहीं और उन्होंने राष्ट्रीय और प्रादेशिक जड़ीघरों के लिए बहुत-से पौदे इकट्टे किए। पेड़-पौदे के मुद्रण में भी काफी प्रगति हुई ।

भारत सरकार के निमंत्रण पर छ: रूसी वनस्पति-शास्त्री भारत आए । परस्पर अदान-प्रदान के आधार पर सोवियत सरकार ने छ: भारतीय वनस्पति-शास्त्रियों को रूस आने का निमंत्रण दिया ।

बौटेनिकल सर्वे आफ इंडिया के काम का पुनरावलोकन करने के लिए एक पुनरावलोकन समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है ।

**जूलौजिकल सर्वे आफ इण्डिया :** जूलौजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने अपना छठा प्रादेशिक स्टेशन मद्रास में स्थापित किया । आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिवेन्द्रम, मद्रास, मण्डपम, और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में क्षेत्रीय सर्वेक्षण का काम किया गया । विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान का काम चलता रहा और कई लेख प्रकाशित किए गए । ६९९ उप-जातियों (स्पीशीज) से सम्बन्धित १५,४७७ नमूने राष्ट्रीय जूलौजिकल संग्रहों में बढ़ाए गए ।

कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना के अधीन बर्मा सरकार द्वारा नामजद किया गया एक व्यक्ति जूलौजिकल सर्वे आफ इण्डिया के छ: महीने के टैक्सीडर्मी ट्रेनिंग कोर्स में ट्रेनिंग पा रहा है और थाईलैंड सरकार द्वारा नामजद किया गया एक व्यक्ति एनीमल टैक्सोनोमी में ।

## औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्

**बजट व्यवस्था :** तीसरे आयोजन के समय में परिषद के काम के लिए ५३.०४ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । १९६१-६२ के संशोधित प्राक्कलन में आवर्ती खर्चा के लिए ५.३० करोड़ रुपयों की और पूंजी व्यय के लिए ३.२५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

**राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं :** कौसिल के अधीन काम करने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और

संस्थाओं की संख्या बढ़ कर अब २७ हो गई है। इसमें प्रस्तावित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अ सांइसिज भी शामिल है।

**अनुसंधान संघ :** भारतीय प्लाई-वुड निर्माण संघ को रजिस्टर किया गया। चाय विषयक अनुसंधान के लिए एक सहकारी अनुसंधान संघ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी प्रकार मोटर उद्योग के लिए भी एक अनुसंधान संघ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**प्रायोगिक संयंत्र :** इस साल दस **प्रायोगिक संयंत्र** स्थापित किए गए और १२ अनुसंधान समितियों ने काम किया। एसेन्शियल आयल रिसर्च कमेटी को सेन्ट्रल इंडियन मैडीसिनल प्लान्ट अर्गनाइजेशन में शामिल कर दिया गया।

**फैलोशिप :** ४८६ अनुसंधान परियोजनाएं चालू की गई। १९६१ में ७०० से अधिक फैलों को वजीफे दिए गए।

**पैटेंट और प्रक्रियाएं :** इस साल छः ऐसे उत्पादनों का निर्माण शुरू किया गया जिनकी प्रक्रियाएं राष्ट्रीय लैबोरेटरियों द्वारा विकसित की गई थीं और उद्योगों को ठेके पर दी गई थी, ५३ प्रक्रियाएं उद्योगों को उपलब्ध की गई थी। इनमें से २५ उनको मुफ्त दी गई। वाणिज्यिक उपयोग के लिए १३ और प्रक्रियाएं तैयार हैं। उद्योगों को दी गई प्रक्रियाओं से जो रायलटी या प्रीमियम मिलता है, उसमें कौंसिल का हिस्सा १,०९,३७६ रुपए था।

**वैज्ञानिक व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन :** इस साल ७००० से ऊपर वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों को सामान्य रजिस्टर में दर्ज किया गया और १३०० व्यक्तियों को विदेशस्थ भारतीय रजिस्टर में दर्ज किया गया। रजिस्टर में दर्ज किए कुल व्यक्तियों की संख्या १,१०,००० से ऊपर है। वैज्ञानिकों के दल की संख्या बढ़ा कर ३०० कर दी गई है।

युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन यह फैसला किया गया है कि सामान्यतः कोई भी वैज्ञानिक एक साथ दस से ज्यादा समितियों का सदस्य न होगा और बाहर जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में आधे वैज्ञानिक ४० वर्ष से कम उम्र के होंगे।

**दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलौजी :** देश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए किए गए फैसले के अनुसार अगस्त १९६१ में "दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलौजी" को शुरू किया गया जब १४० विद्यार्थियों के पहले वैच को सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल और कैमिकल इंजीनियरी के और टैक्सटाइल टैक्नोलौजी के डिग्री कोर्स में प्रवेश दिया गया। इस कालेज के, जिसे "फैडरेशन आफ ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज" और ब्रिटिश सरकार मदद दे रही है, पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद उसमें इंजीनियरी के प्रथम डिग्री कोर्स के लिए प्रतिवर्ष लगभग २५० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उसमें पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सो और अनुसंधान की सुविधाएं भी उपयुक्त समय में उपलब्ध हो जाएंगी।

**प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज :** दूसरे पंच वर्षीय आयोजन में मंजूर किए गए आठ प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों में से आयोजन की अवधि के खत्म होने तक एक के अलावा बाकी सभी कालेज शुरू हो गए। आठवां कालेज अगस्त १९६१ में इलाहाबाद में शुरू हुआ। तीसरे पंचवर्षीय आयोजन के अधीन केन्द्रीय सरकार ने भी बाकी राज्यों के लिए सात और प्रादेशिक कालेजों के लिए सिद्धान्त रूप में अपनी मंजूरी दी। इनमें से दो नए कालेज चालू साल में सूरत

(गुजरात) और कोझिकोडे (केरल) में शुरू हो गए।

**तकनीकी अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम** : तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन १०५ उम्मीदवार इस बार ज्यादा चुने गए। तकनीकी संस्थाओं में नए प्रवेशार्थियों के लिए योग्यता व संपन्नता के आधार पर छात्रवृत्ति की योजना के अधीन १,७०० अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की मंजूरी दी गई। कुल ३,७६० छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

**प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय संस्थान** : संबंधित राज्य सरकारों और फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से उच्च प्रशिक्षण और प्रबन्ध के लिए दो अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्थापन स्थापित किए जा रहे हैं। संस्थापनों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आयोजन समितियां बनायी जा चुकी हैं। तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यक्रम के अधीन दी गई सहायता से बंबई में औद्योगिक इंजीनीयरी में प्रशिक्षण देने के लिए एक नैशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है।

**अनुदान और ऋण** : चालू साल की समाप्ति तक राज्य सरकारों, प्राइवेटए एजेंसियों आदि को तकनीकी शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में ७.८९ करोड़ रुपये के अनुदान तथा २.०७५ करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये जाने की सम्भावना है।

---

Uttar Pradesh
THE HOME OF
HANDICRAFTS,
FAMOUS FOR TRADITIONAL
SKILL AND ARTISTIC
Craftsmanship
(2) Cane Goods
(3) Moonj Goods
OFFERS WIDE SELECTION
AVAILABLE AT :
(1) Hast Kala Peetal Udyog Sahkari Samiti Ltd , Varanasi.
(2) Bent Kala Udyog Sahkari Samiti Ltd , Allahabad.
(3) Mahewa Moonj Udyog Sahkari Samiti Ltd., Mahewa, Allahabad.
(4) Grih Udyog Parth Kala Sahkari Samiti Ltd , Agra.
(5) Ramjiyut Khilauna Udyog Sahkari Samiti Ltd , Varanasi.
(6) Seengh Grih Udyog Sahkari Samiti Ltd., Sambhal, Moradabad.
(7) Galicha Shawl Grih Udyog Sahkari Ltd.,Almora.
GOVT. U. P. HANDICRAFTS
SHOW ROOMS
LUCKNOW, ALLAHABAD,
AGRA, NEW DELHI, BHOPAL,
NAGPUR, HYDERABAD
AND CALCUTTA
ISSUED BY: Directorate of Industries,
(Handicrafts Section), U. P., Kanpur.

: १६ :

# प्रतिरक्षा

स्वतंत्र भारत की सशस्त्र सेनाओं ने देश-विदेश में सदा ही अपने अनुशासन और देश-प्रेम का अच्छा परिचय दिया है। बहुत से अवसरों पर देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा दैवी विपत्तियों के कुपरिणामों को दूर करने के लिए सेना ने सिविल अधिकारियों की सहायता की। विदेशों में भारतीय सैनिकों ने कांगो और गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कार्य किया। इण्डोचाइना पर हुए जिनेवा सम्मेलन में किये गए समझौतों के अनुसार भारतीय सैनिक इस समय अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की तरफ से देखभाल और नियंत्रण कार्यो को करने के लिए इण्डोचाइना में हैं।

हाल ही में गोआ, दमन और दीव में सशस्त्र सेनाओं को सैनिक कार्यवाही के लिए जाना पड़ा। उन्होंने अपने कार्य को बहुत शीघ्र किया।

## उत्पादन-संगठन

सैनिक साज-सामान में यथासंभव आत्म-निर्भरता देश की सुरक्षा के लिए परमावश्यक है और रक्षा-मंत्रालय के उत्पादन संगठन ने इस दिशा में अपनी प्रगति जारी रखी। रक्षा सम्बन्धी सामग्री और उपस्करों को लाइसेंस पर बनाने के लिए विदेशी फर्मों के साथ १२ ठेके किये गए जिनमें आवडी में एक-भारी मोटर गाड़ी फैक्ट्री और कपड़ा फैक्ट्री तथा चंडीगढ़ में एक इलैक्ट्रिक फैक्ट्री की स्थापना शामिल है। बहुत-सी अन्य नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं जिनमें नए कारखानों को स्थापित करने की योजना भी सम्मिलित है। इन परियोजनाओं में से मिश्र धातु तथा विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना की योजना विशेष महत्वपूर्ण है। गत वर्षों में स्वीकृत महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति हुई है। इन योजनाओं की पूर्ति से हमारी प्रतिरक्षा की संभाव्य शक्ति बढ़ जाएगी और विदेशी विनिमय में भी बचत होगी।

## आर्डिनेन्स कारखाने

वर्तमान जन-शक्ति, कल-कारखानों और लड़ाई के साज-सामान की नई वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग से आर्डिनेन्स कारखानों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। ये कारखाने आधुनिक तकनीकी काम में लाए जा रहे हैं जिसके कारण उत्पादन व्यय कम हुआ है।

१९६०-६१ में आर्डिनेन्स कारखानों में सैनिक तथा असैनिक उपभोक्ताओं के लिए ३०.३६ करोड़ रुपए मूल्य को वस्तुओं का उत्पादन हुआ जब कि लक्ष्य २९ करोड़ रुपए का रखा गया था। आशा है कि १९६१-६२ से ४० करोड़ रुपए की लागत का उत्पादन कार्य हो सकेगा।

इस वर्ष १,००० शक्तिमान ट्रक (३ टन) बनाए गए। इस समय शक्तिमान ट्रक में ४८.८ प्रतिशत स्वदेशी वस्तुएं लगी हैं जबकि वर्ष के आरंभ में ३६.३ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादित वस्तुओं का

प्रयोग किया जाता था। निशान ट्रक के निर्माण के लिए लाइसेन्स समझौता दिसम्बर १९६१ में हुआ। ट्रैक्टर बनाने का काम संतोषजनक रूप से चल रहा हैं। १३१ ट्रैक्टर बनाए जा चुके हैं।

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अनेक अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं, प्रयोगशालाओं सहित प्रतिरक्षा सेवा के साज-सामान और वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यरत हैं। वर्तमान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं में सुविधाएं और अधिकाधिक बढ़ाई गई हैं। नई अनुसंधान शालाओं की वृद्धि की गई है जिससे क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य हो सके। नई प्रयोगशालाओं में रक्षा खाद्य अनुसंधान शाला, आणविक औषध और तत्सम्बन्धी विज्ञान संस्था, टर्मिनल बालस्टिक अनुसधान प्रयोगशाला, ठोस पदार्थ भौतिक प्रयोगशाला, रक्षा इलेक्ट्रानिक अनुसंधान प्रयोगशाला और कार्य संस्था तथा विकास संशोधन सम्मिलित है।

हवाई जहाजों और तत्सम्बन्धी साज-सामान के उत्पादन और विकास के निमित्त प्राविधिक विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय तथा उसकी शाखाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।

नागर विमान संगठन द्वारा बनाये गये दो सीट वाले रोहिणी ग्लाइडर की जांच करने के लिए उड़ानें हो चुकी हैं और इस ग्लाइडर को वायुसेना के मुख्य कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया है। हवाई इलैक्ट्रोनिक साज-सामान के विकास में विशेष उन्नति की गई है और उसके हवाई चालकों के लिए विशेष प्रकार के कपडे आदि भी तैयार किये गए हैं।

## हिन्दुस्तान वायुयान लिमिटेड

विदेशों से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर नये वायुयानों का निर्माण आरम्भ किया गया। गत मार्च के अन्त तक हिन्दुस्तान वायुयान लिमिटेड ३८ पुष्पक वायुयान तैयार कर चुका था। पुष्पक वायुयान के नमूने पर बनाए गए दूसरे हवाई जहाज की परीक्षण उड़ान हो चुकी है और इस किस्म का एक तीसरा हवाई जहाज तैयार किया जा रहा है जो कि कृषि कार्यों के काम में लाया जाएगा।

आलोच्य अवधि में २५ सम्पूर्ण रेलडिब्बों का निर्माण होने लगा है। यह प्रगति निर्धारित समय से लगभग ६ माह पूर्व ही की गई है।

इंगलैण्ड में वायुयान निर्माण डिपो के होकर सिडले कम्पनी के सहयोग से निर्मित एवरो–७४८ की प्रारम्भिक उड़ान २९ नवम्बर, १९६१ को हुई। यह वायुयान १८ महीने में बनकर तैयार हुए हैं जो कि एक रिकार्ड कायम करता है। एवरो वायुयान में राल्सरोइस डार्ल्ट, प्रोपैलर, टरबाइन इन्जन होते हैं। यह बड़ा ही शक्तिशाली इन्जन है और वायुयान को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

## भारत विद्युत लिमिटेड

भारत विद्युत लिमिटेड के लिए १९६१-६२ मे २.२९ करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया जो कि आशा की जाती थी कि मार्च तक पूरा हो चुका होगा। कम्पनी ने १९६० के अन्तिम भाग में वाल्व उत्पादन कार्य हाथ में लिया। साथ ही टेलीविजन रिसीवर और

एम्प्लीफायर बनाने का काम भी शुरू किया गया। एक विदेशी कम्पनी के सहयोग से ट्रांसस्टिर सेट बनाने का काम भी शुरू किया गया है। फायर कन्ट्रोल रेडार के निर्माण के लिए एक विदेशी कम्पनी से करार किया गया है। जापानी इलैक्ट्रिक कं० के साथ टेप रिकार्डिंग मशीनों के निर्माण के लिए एक करार किया जा रहा है।

## जलयान निर्माण कार्यक्रम

मई, १९६१ में आई. एन. एस. "बेतवा" के आगमन से आठों नए जहाज इस समय भारत में हैं। आई. एन. एस. विक्रांत, नवम्बर, १९६१ में स्वदेश आ पहुंचा। समुद्र तटीय प्रतिरक्षा जलयान आई एन एस अभय और अक्षय ने क्रमशः नवम्बर, १९६१ और जनवरी, १९६२ से कार्य आरम्भ कर दिया। मेज़ांगा डाक, बम्बई को पांच माइन्स स्वीपर, ९५० आदमियों को ले जाने वाली दो नावें, और कई प्रकार के अन्य साज-सामानों का आर्डर किया गया। कलकत्ते की गार्डन रिच वर्कशाप को तीन अतिरिक्त प्रतिरक्षा जलयानों, एक तटीय जलयान और एक ३६ फुट की तेज़ चलने वाली मोटर बोट आदि बनाने का आर्डर दिया गया है।

बम्बई की एलकाक और एशडांग एण्ड कम्पनी लि० ने भीम और बाली नामक दो डीज़ल नावें तैयार की हैं और इस वक्त वे नौसेना की डैक में कार्य कर रही हैं। मैज़ांगा डैक में एक ५०० टन की वाटर बोट और दो सामान्य नावें तैयार की जा रही हैं। गारडन रिच वर्कशाप ने कोचीन के लिए दो २५ टन साज-सामान ले जाने वाले बजरे तैयार किए। एक अन्य ३५ फुट की तेज़ रफ्तार की मोटर बोट और दो २५ फुट की तेज़ रफ्तार वाली मोटर बोटों का काम हो रहा है।

## सहायक सेनाएं

हमारे देश की सहायक सेनाओं ने प्रादेशिक सेना, लोक सहायक सेना, सहायक वायु सेना, नेशनल केडिट कोर और सहायक केडिट कोर ने इस वर्ष अपनी सर्वतोमुखी प्रगति चालू रखी।

प्रादेशिक सेना की यूनिटों में हाजिर और ट्रिनी में तरक्की होती रही और इस वर्ष ५५ व्यक्तियों को आफिसर्स कमीशन और ६९ व्यक्तियों को जे. सी. सी. कमीशन प्राप्त हुआ है। १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रादेशिक सेना में सैनिकों की कुल संख्या स्वीकृत संख्या का लगभग ८७ प्रतिशत भाग थी। प्रादेशिक सेना को अधिक लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से इस सेना के कार्यकर्त्ताओं को अतिरिक्त रियायतें दी गई।

लोक सहायक सेना की पुनर्गठित योजना के अन्तर्गत १५४ शिविर आयोजित किये गये और ७१,६४४ लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से ७१,४९८ लोगों ने देश की सेवा में प्रस्तुत रहने की प्रतिज्ञा की। लोक सहायक योजना के आरम्भ से अब तक ४,७३७ प्रशिक्षार्थी राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो चुके हैं। अभी तक ६,१६,१४४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

१९६१-६२ में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल में ७,५९७ अफसर और ५,७८,३६७ केडिट थे।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के स्तर में सुधार लाने के लिये भारत सरकार ने पूना के निकट पुरन्दर के ऐतिहासिक किले में एन. सी. सी. अकादमी की स्थापना की है। इस संस्था में इस समय

५२ अफसर केडिटों को नौ महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त १४१ एन. सी. सी. के अफसरों के लिए भी ६ महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

लगभग २ लाख से अधिक एन. सी. सी. अफसरों और केडिटों ने इस वर्ष २२१ प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया। केडिटों को पड़ोसी राज्यों के केडिटों से मिलने और साथ रहने का अवसर देने के लिये आठ अखिल भारतीय ग्रीष्म शिविर, खड्गवासला, वैलिंग्टन, सुबाथू, पहलगांव और कुन्नूर में आरम्भ किए गये। इसके अतिरिक्त महाबलेश्वर, कुडैंकनाल, दार्जिलिंग, चकरौता, डलहौजी, शिलांग, माउन्ट आबू और पहलगांव में ८ उन्नत नेतृत्व शिविर आयोजित किये गए जिनमें १६ अफसरों और ५८२ केडिटों ने भाग लिया। प्रत्येक शिविर का कार्यकाल १७ दिन था। इन शिविरों के कार्यक्रमों में लम्बी यात्रा पर जाना और खुली हवा में घूमना और रहना विशेषत: सम्मिलित था। मौलिक सैनिक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया गया।

४८७ अफसरों और १७,६३० केडिटों ने २३ सामाजिक सेवा शिविरों में भाग लिया। इनके अलावा ३० महिला अधिकारियों और ८७८ लड़की केडिटों ने सात सामाजिक सेवा शिविरों में भाग लिया।

## नागरिक अधिकारियों को सहायता

पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी सशस्त्र सेनाओं ने प्राकृतिक प्रकोप के समय, विकास परियोजनाओं को चलाने में तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने में नागरिक अधिकारियों की सहायता की। इस वर्ष देश के कई भागों में बाढ़ आई और बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए स्थल भाग या वायु सेवा की सेवाएं उपलब्ध की गईं। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर पूना में पहाड़ों के बीच भरे हुए जल को साफ करने के लिए एक नौसैनिक टुकड़ी भेजी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आई. एन. एस. कोंकण को जून, १९६१ में मिनीकाय और एन्ड्रोथ द्वीप भेजा गया ताकि वहां पर फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों तथा डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बचाकर मुख्य भूमि पर लाया जा सके और एन्ड्रोथ में पेट की बीमारी ने जो महामारी का रूप धारण कर लिया था उसे रोकने के लिए दवाइयां पहुंचाई जा सकें। भाखरा नांगल, हीराकुण्ड, रिहन्द बांध और पाइकारा बांध परियोजनाओं में जल के नीचे काम करने का साज़-सामान और सैनिक भी सेना द्वारा उपलब्ध किये गए।

स्थल सेना ने पुलिस तथा आसाम राइफल्स की मदद से नागालैण्ड में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में अपना प्रयत्न जारी रखा। फरवरी, १९६२ में मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारतीय सेना ने जबलपुर के दंगों में शांति और व्यवस्था कायम रखने में सहायता की। इसी प्रकार मई के महीने में आसाम और कछार जिले में अन्दरूनी सुरक्षा बनाए रखने में मदद की जब कि वहां पर भाषा के विवाद को लेकर दंगे हो रहे थे। इसी प्रकार सेना ने उत्तर प्रदेश में अक्तूबर, ६१ में अलीगढ़ और मेरठ के दंगों के समय शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता दी।

भारतीय वायुसेना ने केरल, मद्रास और उड़ीसा राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों के ऊपर जुलाई, १९६१ में उड़ान कर उनकी पूरी जांच की।

: २० :

# प्राकृतिक साधन

भारी उद्योग की प्रगति विशेषत: कच्चे लोहे के साधनों और उनके अधिकतम विकास पर निर्भर करती है। भारत विश्व के औद्योगिक देशों के साथ कदम मिलाकर तब तक नहीं चल सकता जब तक कि उसकी औद्योगिक प्रगति की व्यवस्था ठीक ढंग से न हो। पिछले १० वर्ष से हम अपनी प्राय: सभी जरूरतें अपने कारखाने के उत्पादन से पूरी कर रहे हैं और विदेशों से इस्पात का आयात बहुत कम हो गया है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखाने पूरी तरह काम कर रहे हैं और बोकारों में एक नया कारखाना बन कर तैयार हो रहा है। इस्पात के मामले में विदेशों से आयात पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो गई है।

भारत में १९५१ में १५ लाख टन बिक्री योग्य कच्चा लोहा और ९७ हजार टन तैयार इस्पात का उत्पादन किया गया। उस समय हम विदेशों से १ लाख ७७ हजार टन लोहा मंगवाते थे। १९५१ में इस्पात का हमारा उत्पादन टाटा आयरन स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, इडियन आयरन स्टील कम्पनी, बर्नपुर और मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स भद्रावती में होता था और ये तीनों कारखाने निजी क्षेत्र में थे।

इन तीनों कारखानों में टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स कम्पनी जमशेदपुर का कारखाना सबसे पुराना है। इसने सबसे पहले १९११ में कच्चा लोहा और १९१२ में इस्पात तैयार किया था। १९३९ तक यह कारखाना १० लाख टन लोह पिण्ड तैयार कर चुका था।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के दो कारखाने हैं। एक कुल्टी में और दूसरा बर्नपुर में। कुल्टी के कारखाने की दो धमन भट्टिया है जिनमे से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता लगभग ३०० टन प्रतिदिन है। बर्नपुर के कारखाने में दो धमन भट्टियां है और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन ६०० टन है।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस भद्रावती का कारखाना १९२३ में खोला गया था। तब इस कारखाने में स्थानीय कच्चे लोहे से तैयार लोहा बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी भट्टी थी। १९३६ तक इस कारखाने का काम इतना बढ़ गया था कि लगभग २५ हजार टन इस्पात की वस्तुएं और ८०० लाख टन लोहा पाइप तैयार होने लगे। १९३८ में कारखाने में सीमेंट बनाने का काम भी शुरू किया गया। फिर १९४२ में एक फैरों सिलीकन सयंत्र लगाया गया। १९६४ के बाद से कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है।

## पहली पंचवर्षीय योजना में उन्नति

पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोहा और इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया गया था :—

| | कच्चा लोहा | बिक्री योग्य तैयार इस्पात |
|---|---|---|
| | (लाख टनों में) | |
| क्षमता | २७.०० | १५.५० |
| १९५५-५६ में वास्तविक उत्पादन | १९.५० | १२.० |

अतिरिक्त उत्पादन की मांग की पूर्ति आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर के मौजूदा कारखानों के विस्तार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नए कारखानों के प्राथमिक उत्पादन से की जाने वाली थी।

किन्तु प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात का नया कारखाना नहीं खोला जा सकता। जमशेदपुर और बर्नपुर के कारखानों ने अपने विस्तार के कार्यक्रम को जारी रखा। विस्तार की इस योजनामें निम्नलिखित बातें शामिल थीं :

१. टाटा कारखाने में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन की क्षमता ७ लाख ५०० हजार टन से बढ़ा कर ९३१,००० टन बनानी है और

२. इण्डियन आयरन कम्पनी में बिक्रीय योग्य इस्पात के उत्पादन को ४ लाख टन से बढ़ा कर ६ लाख टन कर देना और कच्चे लोहे का उत्पादन ४ लाख टन से बढ़ा कर ५ लाख टन कर देना।

इन विस्तार कार्यों के लिए भारत सरकार ने दोनों कारखानों को प्रत्येक को १० करोड़ रुपया बगैर ब्याज का ऋण दिया है। इण्डियन आयरन कम्पनी को भी विश्व बैंक ने ३१५ लाख रुपया ऋण दिया है।

## दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ विकास

पहली योजना के अंतिम वर्ष में यह अनुभव किया जाने लगा था कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ इस्पात का उत्पादन बहुत कम होता है। १९५१ में लगभग ९० हजार टन इस्पात का आयात किया गया। उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो रहा था। आयोजनकर्त्ताओं के सामने यह स्पष्ट था कि सशक्त अर्थ-व्यवस्था के लिए इस्पात एक अनिवार्य वस्तु है और इस्पात की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए इस्पात उद्योग का बृहद् स्तर पर विस्तार करना जरूरी है। इसलिए आयोजनकर्त्ताओं ने पंचवर्षीय कार्यक्रम में इस्पात को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। योजना में इस्पात उद्योग की उत्पादन-क्षमता को ६० लाख पिन्ड टन उत्पादन तक बढ़ाने तथा लगभग ७ लाख टन कच्चा लोहा बिक्री के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य इस प्रकार प्राप्त किया जाना था।

(१) जमशेदपुर और बर्नपुर की उत्पादन क्षमता को ३० लाख पिन्ड टन बढ़ाकर इन दोनों स्थानों पर पहले से ही विस्तार कार्य हो रहा था। पहली विस्तार योजना को अब इन नए कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। टाटा कारखाने ने अपनी उत्पादन क्षमता को २० लाख पिन्ड टन तक बढ़ाने की व्यवस्था की है (१५ लाख टन इस्पात बिक्रीय योग्य होगा) तथा इण्डियन आयरन कम्पनी ने अपनी उत्पादन-क्षमता १० लाख टन तक बढ़ाने की व्यवस्था की है।

(२) राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में सार्वजनिक क्षेत्र में १० लाख टन इस्पात के तीन नए कारखाने खोले गए।

**राउरकेला :** राउरकेला इस्पात संयन्त्र के लिए एक जर्मन कम्पनी क्रुप डिमाग ने ५० लाख टन के एक सन्यत्र के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी जबकि इस रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा था उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ६० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप इस परियोजना के आकार को बढ़ाकर दुगना करना पड़ा। १० लाख टन सन्यत्र की एक परिशोधित परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, १९५५ में प्राप्त हुई। यह रिपोर्ट स्वीकृत हुई और धमन-भट्टी, कोक ओवन और बिजली सन्यत्र के लिए अप्रैल, १९५६ में खरीदने के आर्डर भेज दिया गया। एल० डी० पलान्ट को छोकड़र जो कि आस्ट्रेलिया से आना था शेष साज-सामान के लिए अक्तूबर, १९५६ में जर्मनी से आए स्टील डेलीगेशन को खरीदने के लिए आर्डर दिया गया।

राउरकेला इस्पात सन्यत्र की इकाइयां निम्नलिखित हैं :—

**(१) लोहा निर्माण :** हजार टन क्षमता वाली तीन धमन भट्टियां और ७० ओवन प्रति टन की क्षमता वाली तीन बैटरियां।

**(२) इस्पात निर्माण :** ८० टन वाली ४ खुली तीन भट्टियां और तीन ३४० टन एल० डी० कनवर्टर जिनसे क्रमश: २,५०,००० और ७,५०,००० टन के उत्पादन की व्यवस्था है।

**(३) रोलिंग मिल :** १ ब्लूमिंग मिल्स और स्लेबिंग मिल, १ सेमि कनटी न्यूस होट स्ट्रिप मिल, २ कोल्ड रोलिंग मिल और ६ होट डिप टिनिंग लाइन्स हैं।

यहां के सन्यत्र का समूचा आधार कच्चा लोहा है अत: राउरकेला से ५० मील दूर बरसुआ नामक स्थान में एक यन्त्रीकृत कच्चा लोहा खान का विकास हो रहा है। बरसुआ और राउरकेला को एक नई रोलिंग लाइन से जोड़ दिया गया है। इस कारखाने के लिए चूना, सतना और पूर्ण पानी की खानों से उपलब्ध किया जाता है और डेलोमाइट भिलाई के निकट हिरी की खान से प्राप्त होता है। और जल की आवश्यकता निकटवर्ती ब्राह्मणी नामक नदी से पूरी होती है। इस कारखाने को झरिया और कारगली से कोयला प्राप्त होता है। इस कारखाने में लोहे और इस्पात की चादरें और पत्तियां आदि तैयार की जाएंगी। १० लाख टन इस्पात पिण्डों को ७ लाख २० हजार टन बिक्री योग्य इस्पात के रूप में परिणित किया जाएगा। जिससे ये वस्तुएं तैयार की जायेंगी : २ लाख टन प्लेट, ३ लाख टन हाट स्ट्रिप, १ लाख ७० हजार टन कोल्ड स्ट्रिप और ५० हजार टन हाट डिप टिन प्लेट टन हाट डिप्ट टिन प्लेट।

इस सन्यत्र की तमाम इकाइयों का काम केवल डिप टिनिंग सन्यत्र की तीन लाइनों को छोड़कर (जिनके खरीद के लिए आर्डर बहुत देर से भेजा गया था) काम शुरू हो गया है। इसके अलावा एक पाइप सन्य जो कि प्रति वर्ष ८६०० से लेकर ३१००० टन पाइप प्रति माह तैयार करेगा, भी राउरकेला में स्थापित हो चुका है। बिजली के पाइप बनाने का यह कारखाना अगस्त, १९६० में स्थापित किया गया और दिसम्बर, १९६० में उसमें नियमित रूप से उत्पादन अधिक रखा था। इस कारखाने के लिए कच्चा माल अर्थात लोहे की चादरें, रासायनिक खाद कारखाने से प्राप्त होगा। राउरकेला में एक रासायनिक खाद का कारखाना भी खोला गया है जिसकी उत्पादन क्षमता ५ लाख ८० हजार टन कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट प्रति वर्ष है। और आशा है कि यह उत्पादन क्षमता इस वर्ष बढ़ जाएगी। इस कारखाने के लिए कोक ओवन गैसों से हाइड्रोजन, आक्सीजन प्लांट से नाइड्रोजन और चूने के पत्थर का चूरा प्राप्त होगा।

## भिलाई

राउरकेला की भांति भिलाई का कारखाना भी कच्चे लोहे और अन्य धातुओं की उपलब्धि पर आधारित है। भिलाई परियोजना की सविस्तार रिपोर्ट रूस ने पेश की थी और फरवरी, १९५५ में कारखाने के लिए साज-सामान की उपलब्धि पर एक समझौता भी हुआ था। भिलाई कारखाने के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं :—

१. **लोहा निर्माण :** १,२३५ टन प्रति दिन उत्पादन की क्षमता रखने वाली ३ धमन भट्टियां तथा ६५ ओवन बैट्री की क्षमता रखने वाली ३ बैटरियां।

२. **इस्पात निर्माण :** २५० टन वाली ६ खुली भट्टियां।

३. **रोलिंग मिल :** एक १,१५० एम० एम० ब्लूमिंग मिल, एक रेल और सम्बन्धित सामान की मिल्स, एक बिलट मिल और एक मर्चेन्ट मिल।

भिलाई को कच्चा लोहा राजहारा खान से प्राप्त होता है जो कि भिलाई से ६० मील दूर एक यंत्रीकृत खान है। भिलाई की चूने और डोलोमाइट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नन्दिनी और हिर्री की खानों का यंत्रीकरण किया जा रहा है। कोयले की प्राप्ति झरिया, कोरबा और कारगली की खानों से हो रही है।

भिलाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाले १० लाख टन इस्पात पिण्डों का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :—

| | टन |
|---|---|
| (क) रेल, स्टेन्डर्ड गेज | १,००,००० |
| (ख) रेल नैरो गेज | १०,००० |
| (ग) रेलवे स्लीपर बार्स | ९०,००० |
| (घ) स्टेन्डर्ड और चौड़ी बीम्स, चैनल्स, एंगिल्स, और अन्य हलका व भारी सामान | २,८४,००० |
| (च) ७।८ इंच से ३ इंच चौड़ाई वाले चक्कर और ७।८ से ३ इंच मोटाई तक के वर्गाकार टुकड़े | १,२१,००० |
| (छ) २ इंच से ५ इंच चौड़े समतल टुकड़े | १५,००० |
| (ज) रोलिंग मिल्स के बाहर २ इंच २ इंच से ३ इंच ३ इंच बिलिट— | |
| रिरोलिंग-कार्य | १,५०,००० |
| योग : | ७,७०,००० |

इसके अलावा भिलाई में बिक्री के लिये ३ लाख टन कच्चा लोहा प्राप्त होगा। राउरकेला की तरह भिलाई में पहली धमन भट्टी फरवरी, १९५९ में शुरू हुई। इसके बाद इस कारखाने की समस्त इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं।

## दुर्गापुर

यूनाइटेड किंगडम से बुलाए गए टैकनिकल मिशन ने इस्पात का कारखाना खोलने से सम्बन्धित आर्थिक और टैकनिकल संस्थाओं के अध्ययन के बाद दुर्गापुर को अपना कारखाना बनाने के लिए चुना। इस कारखाने के उत्पादन का लक्ष्य भी १० लाख टन रखा गया। इंडियन स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के नाम से १३ ब्रिटिश मैनुफैक्चरिंग और इन्जीनियरिंग कम्पनियों ने मिलकर भारत सरकार के साथ एक अनुबन्ध किया जिसके अनुसार दुर्गापुर में इस्पात का कारखाना खड़ा करने की सारी जिम्मेदारी उक्त कम्पनी को सौंपी गई और १९५६ के अक्टूबर में कारखाने के साज-सामान के लिए आर्डर पेश किया गया।

दुर्गापुर का कारखाना कोयले की उपलब्धि पर आधारित है। इस कारखाने में झरिया और बराबर खानों से कोयला प्राप्त होगा जिसकी ढुलाई दुर्गापुर में ही की जाएगी। कच्चा लोहा, बोलानी नामक स्थान से और चूना बिरमित्रपुर से प्राप्त होगा। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, इस कारखाने को दामोदर घाटी के थर्मल स्टेशन से बिजली और निकटवर्ती दामोदर नदी से जल प्राप्त होगा।

यह कारखाना आरम्भ मे १० लाख टन इस्पात का उत्पादन करेगा जिसे बढ़ाकर २५ लाख टन किया जा सकता है। दुर्गापुर कारखाने के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं :—

**१. लोहा निर्माण :** १,२५० टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता वाली ३ धमन भट्टियां तथा ७८ ओवन प्रति बैटरी की क्षमता वाली ३ बैटरियां।

**२. इस्पात निर्माण :** सात २०० टन और १०० टन वाली भट्टियां।

**३. रोलिंग मिल्स :** एक ४४ इंच लूमिंग मिल, एक इंटरमीडिएट मिल, एक बिलट मिल, एक मीडियम स्ट्रक्चर मिल और एक मर्चेन्ट मिल।

दुर्गापुर द्वारा उत्पादित किए जाने वाले १० लाख टन इस्पात पिण्डों का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :—

| | टन |
|---|---|
| (क) हैवी फोरजिंग ब्लूम्स | १०,००० |
| (ख) फोरजिंग ब्लूम्स | ३०,००० |
| (ग) फोरजिंग बिलट्स | ६०,००० |
| (घ) री-रोलिंग उद्योग के लिए बिलट्स | १,५०,००० |
| (च) मर्चेन्ट बार सैक्शंस | २,४०,००० |
| (छ) लाइट और मीडियम सैक्शन | २,००,००० |
| (ज) स्लीपर्स | ६०,००० |
| (झ) पहिए और एक्सिल | ५०,००० |
| **योग :** | ८,००,००० |

इसके अलावा यहां ३,६०,००० टन कच्चा लोहा बिक्री के लिये तैयार किया जाएगा। इस कारखाने की सभी इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं।

## पहिए और एक्सिल का कारखाना

दुर्गापुर में पहिए और एक्सिल बनाने का एक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है जो कि आरम्भ में ९० हजार पहिए और ४५ हजार एक्सिल तैयार करेगा। इस प्रकार रेल की छोटी और बड़ी लाइनों के लिए पहियों के ४५ हजार सैट तैयार होंगे। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता ७५ हजार पहियों के सैट और ८ हजार अतिरिक्त एक्सिल तैयार करने की है।

इस कारखाने की योजना बनाते समय १९५५ में जिस इस्पात की आवश्यकता हुई थी वह अधिकांशतः पूरी हो चुकी है। चूंकि लोहे और इस्पात के वितरण पर गत युद्ध से नियंत्रण चला आ रहा है, इसकी मांग का अन्दाजा पूरी तरह किया जा सकता है। इस्पात की मांग के निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार प्रगति हो रही है :

| वर्ष | लाख टनों में |
|---|---|
| १९५६-५७ | ३९.४० |
| १९५७-५८ | ४१.४५ |
| १९५८-५९ | ४१.७५ |
| १९५९-६० | ४०.६३ |
| १९६०-६१ | ४७.४० |
| १९६१-६२ | ६२.०० |

मांग को देखते हुए इस्पात की प्राप्ति (उत्पादन और आयात) नीचे लिखे अनुसार है :—

| | देशी उत्पादन | आयात | योग |
|---|---|---|---|
| | | (लाख टनों में) | |
| १९९५ | १२.६० | ०९.०० | २१.६० |
| १९५६ | १३.५५ | १८.५४ | ३२.०९ |
| १९५७ | १४.०९ | १७.२० | ३१.२९ |
| १९५८ | १३.६८ | ११.७३ | २५.७१ |
| १९५९ | १६.६८ | ०८.१८ | २५.८६ |
| १९६० | ६१.७६ | ११.३० | ३३.०६ |

पिछले ६ वर्षों में लोहा और इस्पात के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है यद्यपि यह वृद्धि सब मांगों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

| | लोहा | इस्पात इस्पात पिण्ड | तैयार इस्पात |
|---|---|---|---|
| | | (लाख टनों में) | |
| १९५५ | २४.४२ | १६.७१ | १२.६० |
| १९५६ | ०४.४० | १६.९६ | १३.५५ |
| १९५७ | ०२.९५ | १६.६६ | १४.०९ |
| १९५८ | ०४.२३ | १७.६७ | १३.९२ |
| १९५९ | ०७.६८ | २३.८२ | १७.६२ |
| १९६० | ११.७६ | ३२.०७ | २१.७६ |
| १९६१ | ११.४० | २८.७० | २९.८० |

मोटे तौर पर आज स्थिति यह है कि १९५५ में निर्धारित लक्ष्य अर्थात् ६० लाख टन इस्पात पैदा करने की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। टाटा और इण्डियन आयरन कम्पनियों का विस्तार हो चुका है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखाने सभी पूरी तरह काम कर रहे हैं। केवल दुर्गापुर के पहिए और एक्सिल का कारखाना और राउरकेला का कोल्ड रोलिंग मिल ने अभी काम शुरू नहीं किया है।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात की अधिकाधिक बढ़ती हुई मांग का पूरा ध्यान रखा गया है। योजना आयोग द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि १९६५-६६ में १५ लाख से २० लाख टन ढुलाई के लोहे और ७३ लाख टन बिक्री के योग्य इस्पात की आवश्यकता होगी। आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त एक समिति भी इस्पात की मांग के सम्बन्ध में इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। इस समिति का अनुमान है कि १९६५-६६ में ७२ लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी। इस समिति का ख्याल है कि तैयार इस्पात की यह मांग १९७०-७१ में लगभग १ करोड़ २८ लाख टन होगी।

७२ लाख टन इस्पात की मांग पूरी करने के लिए १ करोड़ टन इस्पात पिण्ड उत्पादित करने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों की पूरी सामर्थ्य का लाभ उठाया जाएगा। फलस्वरूप भिलाई को अपना उत्पादन १० लाख टन से बढ़ाकर २५ लाख टन, राउरकेला को १० लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन और दुर्गापुर को १० लाख टन से बढ़ा कर १६ लाख टन इस्पात उत्पादन करना होगा। इस विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है और नए साज-सामान के लिए आर्डर पेश किए जा रहे हैं। इसी प्रकार मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती में भी १ लाख टन की क्षमता से हमें ९० लाख टन इस्पात मिलने लगेगा। शेष १० लाख टन इस्पात की उपलब्धि के लिये बोकारो में १० लाख टन की क्षमता वाला एक नया इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है। बिजली की भट्टियों के लिये उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भिलाई और राउरकेला में जितना विस्तार किया जा रहा है वह इन कारखानों की सामर्थ्य देखते हुए अधिकतम है। दुर्गापुर में अभी १० लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की गुंजाइश है। दुर्गापुर के कारखाने द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग निश्चित ही बढ़ती जाएंगी। बोकारो के नए कारखाने से सम्बन्धित एक विस्तृत रिपोर्ट भारतीय इंजीनियरों ने तैयार की है और कारखानों के स्थल से सम्बन्धित जांच-पड़ताल चल रही है।

## कच्चा लोहा

ढलाई के कारखानों में कच्चे लोहों की मांग अधिकाधिक बढ़ती जा रही है और इस काम के लिये १९६० में १० लाख टन से ज्यादा कच्चा लोहा बेचा गया। कलिंग की धमन भट्ठियों द्वारा उत्पादित कुछ हजार टन के अतिरिक्त सारा कच्चा लोहा एकीकृत इस्पात कारखानों में तैयार किया गया है। परन्तु इन एकीकृत कारखानों में उत्पादन की एक सीमा है। अतः निश्चय किया गया है कि ढलाई के ऐसे कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए जोकि स्थानीय

उपलब्ध कच्चे लोहे का उपयोग कर सके। तदनुरूप उड़ीसा स्थित कलिंग कारखाने को कच्चा लोहा ढालने की अपनी क्षमता को १ लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ाने की अनुमति दी गयी है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के चांदा जिले में एक नया कारखाना खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसकी उत्पादन क्षमता भी लगभग १ लाख टन होगी।

## मिश्रित इस्पात

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमान है कि मिश्रित इस्पात की मांग २ लाख टन के लगभग होगी जिसमें बिजली का इस्पात, स्प्रिंग का इस्पात आदि सामान शामिल नहीं है। कृषि औजारों और दूसरे मशीनी साज-सामान बनाने का काम आरडिनेन्स फैक्टरियां कर रही है। बहरहाल, हमारे घरेलू उत्पादन से बढ़ती हुई मांग का कुछ अंश पूरा किया जा सकेगा। इस कारखाने की आरम्भिक क्षमता ८० हजार टन इस्पात पिण्ड अथवा ४८ हजार टन तैयार इस्पात प्रतिवर्ष होगा। यह कारखाना इस प्रकार बनाया जा रहा है कि उसमें क्रमशः विस्तार की गुंजाइश हो। इस परियोजना से संबंधित सविस्तार रिपोर्ट इंजीनियरों की एक भारतीय कम्पनी ने पेश की है जिन्हें इस कारखाने के डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग का काम सौंपा गया है। तीसरी योजना में दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने के अलावा आरडिनेन्स फैक्टरियों द्वारा गैर-सुरक्षा कार्यों के लिये लगभग ३५ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। शेष कमी पूरी करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में कई स्कीमें शुरू की गयी हैं।

## मिश्रित लौह

फैरो मैंगनीज, फैरो क्रोम और फैरो सिलिकन जैसी मिश्रित धातुओं की आवश्यकता इस्पात के उत्पादन में होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फैरो मैंगनीज़ के उत्पादन का लक्ष्य प्रतिवर्ष १ लाख ६० हजार टन था जिसमें से १ लाख टन निर्यात के लिये था। मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती के अतिरिक्त फैरो मैंगनीज़ के उत्पादन के सभी कारखाने निजी क्षेत्र में हैं। फैरो का प्रयोग क्रोम इस्पात, क्रोम निकिल इस्पात क्रोम मोलिब्डेनम इस्पात जैसे मिश्रित इस्पातों के निर्माण के लिए होता है। चूंकि इस समय मिश्रित इस्पात का उत्पादन कम है, फैरो क्रोम का उत्पादन भी कम हो रहा है और ख्याल है कि जब तक कि मिश्रित इस्पात का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर न होगा, फैरो क्रोम का उत्पादन भी २००से २५० टन प्रति वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगा। बहरहाल, प्रस्तावित मिश्रित इस्पात और विशेष इस्पात कारखाने के तैयार हो जाने पर फैरो क्रोम की मांग १५००से २० ० टन प्रति वर्ष तक बढ़ने का अनुमान है। अतः उड़ीसा में २ और बम्बई में १ कारखाना खोला गया है और इन कारखानों के उत्पादन से तीसरी योजना में फैरो क्रोम की आवश्यकता पूरी की जाएगी। फैरो सिलिकन आम तौर पर इस्पात के उत्पादन में काम में लाया जाता है और इस समय इसका उत्पादन मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती में हो रहा है। तीसरी योजना के अन्तर्गत फैरो सिलिकन के उत्पादन का लक्ष्य ४० हजार टन रखा गया है। मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स अपने उत्पादन को प्रतिवर्ष २० हजार टन तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। शेष कमी पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र में कुछ अन्य कारखाने खोले जाने का विचार है।

## तेल

१९६१-६२ के वर्ष में हमारी खनिज और तेल शोधन के विकास में काफी प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में पहला तेल शोधन कारखाना आसाम के नूनमाटी स्थान में १ जनवरी, १९६२ को आरम्भ हुआ। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता ७५०००० टन तेल-शोधन करने की है। जून, १९६२ से इस कारखाने का उत्पादन पूरी क्षमता से आरम्भ हो गया था। बरौनी में दूसरे तेल-शोधन कारखाने के निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। इस कारखाने में १० लाख टन तेल शोधन का कार्य १९६३ के पूर्वार्द्ध में पूरा हो जाएगा तथा १ लाख टन की दूसरी इकाइयां १९६३ के अन्त तक कार्य आरम्भ कर देंगी।

इस वर्ष तेल के नये स्थानों और आरक्षणों की खोज होती रही और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात राज्य में तेल शोधन की पर्याप्त खोज की। गुजरात के अंकलेश्वर स्थान से १५-२-६२ से व्यावसायिक कार्य के लिये उत्पादन शुरू हो गया।

## पैट्रोलियम

**तेल और प्राकृतिक गैस आयोग :** तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल अन्वेषण सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों को काफी सघन स्तर पर आरम्भ किया है। मार्च, १९६२ तक खोदे गए ६६ गहरे कुओं में से कैम्बे क्षेत्र से ६ कुवें, अंकलेश्वर में २७, अहमदाबाद में ८, आसाम में १ कुएं से तेल निकलना शुरू हो गया। कैम्बे में १० कुओं से गैस उपलब्ध हो रही है। अहमदाबाद में ३ और अंकलेश्वर में २ कुएं खुश्क हैं। १५ कुओं का परीक्षण हो रहा है। १५-२-६२ से अंकलेश्वर में प्रतिदिन ६०० टन के दर से कच्चे तेल के परीक्षण का कार्य शुरू हो गया।

**तेल अनुसन्धान सम्बन्धी सुझाव :** विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल अनुसन्धान के लिये की गयी वार्ताओं के परिणामस्वरूप जुलाई, १९६१ में बर्मा आइल कम्पनी के साथ आसाम में तेल के अन्वेषण के लिये एक समझौता हुआ। तथा एक अन्य समझौता सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम परियोजना स्थापित करने के लिये ई. एन. आई. के साथ हुआ।

**आइल इण्डिया लिमिटेड :** आइल इण्डिया लिमिटेड ने ३१-३-६२ तक नाहरकटिया, नाहर-कटिया विस्तार हुगरीजान और मौरन क्षेत्रों में १२४ कुएं खोदे। जिसमें से ८६ कुवें तेल के, ८ गैसों के, १५ शुष्क हैं और १५ कुओं का और परीक्षण हो रहा है। नाहरकटिया और नूनमाटी के बीच बिठाई जा रही पाइप लाइन में पहले स्तर का कार्य पूरा हो चुका है और उनका परीक्षण किया जा चुका है। नूनमाटी और बरौनी के बीच की पाइप लाइनों में दूसरे स्तर का कार्य दिसम्बर ६० तक पूरा हो जाएगा।

**नई शोधन शालाएं :** नूनमाटी में सार्वजनिक क्षेत्र में पहली तेल शोधनशाला का उद्‌घाटन १ जनवरी, १९५२ को हुआ।

बरौनी तेल शोधन कारखाने के लिए सोवियत रूस से परियोजना रिपोर्ट और अन्य नक्शे प्राप्त हो चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा चुका है। तेल शोधन कारखाने, रेलवे पाइपिंग सड़कों आदि के लिए भूमि तैयार कर ली गई है। रेलवे साइडिंग, गोदाम, रूसी प्राविधिक कर्मचारियों के लिये छात्रावास तथा अन्य कार्य तेजी से हो रहे हैं। यह कारखाना अप्रैल, १९६४ से कार्यारम्भ कर देगा।

गुजरात के बोआली स्थान में ३० लाख टन का एक तेल-शोधन कारखाना स्थापित करने के लिए मास्को के एक निर्यात संगठन और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

## वर्तमान तेल-शोधन कारखाने

निजी क्षेत्र में स्थित चारों तेल शोधन कारखानों ने १९६१ में ६४,०३,१४९ मैट्रिक टन तेल का परिशोधन किया जबकि १९६० में ६१,१९,३१३ मैट्रिक टन तेल का शोधन हुआ था। १९६० के मुकाबले इस वर्ष मिट्टी के तेल और डीज़ल आइल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

**इण्डियन आइल कम्पनी :** इण्डियन आइल कम्पनी ने १९६० में रूसी निर्यात संगठन के साथ जो समझौता किया था उसकी शर्तों के अनुसार कम्पनी ने रुपये की अदायगी पैट्रोलियम की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है। इन आयात वस्तुओं तथा आसाम के नूनमाटी और बिहार के बरौनी कारखानों से प्राप्त वस्तुओं का वितरण करने के लिये कम्पनी ने बम्बई, कोचीन, कान्दला, कलकत्ता और विशाखापट्टम में तेल संग्रह करने की व्यवस्था की है तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी संग्रह की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ किया है।

**पैट्रोलियम का वितरण :** आलोच्य अवधि में पैट्रोलियम उत्पादन के वितरण की व्यवस्था संतोषजनक रही।

**तेल के मूल्य :** सरकार ने तेल मूल्य जांच समिति की सिफारिशों को १-१०-६१ को स्वीकार कर लिया था। आइल कम्पनियों को पर्याप्त फायदा देने के बाद समिति ने एक मूल्य आधार निर्धारित किया था जिससे कि सरकार को १५ करोड़ रुपये वार्षिक मूल्य तथा राशि सरकार को अतिरिक्त करों और ड्यूटियों से मिली। पैट्रोलियम के उत्पादन के उपभोक्ता मूल्य ज्यों के त्यों रहे।

**पैट्रोलियम की गवेषणा एवं परीक्षण सुविधाएं :** तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष कोष की सहायता से एक परीक्षण और अनुसन्धान विभाग खोला जिनके सुझावों पर विचार हो रहा है।

अगस्त, १९६१ में चला था। यहां के जल-विद्युत बिजलीघर की इकाइयों का कार्य बहुत शीघ्र ही पूरे हो जाने की आशा है।

देश के खनिज उत्पादन का मूल्य १९५९ में १४३ करोड़ रुपये था जो कि १९६० में बढ़ कर १६३ करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इस क्षेत्र में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के भौतिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खनिज विभाग ने देश के खनिज साधनों के सर्वेक्षण की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। बिहार के उत्तरी करनपुर कोयला क्षेत्र के समीप कोयले के एक बड़े भण्डार का पता चला है। कच्चे माल की दिन-ब-दिन बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि खनिजों की खोज और गवेषणा बहुत तेजी से की जाए। भारतीय भौतिक सर्वेक्षण ने अपनी गतिविधियों को सक्षम और विस्तृत बनाने के लिये अपने संगठन का पुनर्गठन किया है।

: २१ :

# श्रम

इस वर्ष श्रम-स्थिति सामान्यतः संतोषजनक थी और गत वर्ष की अपेक्षा उसमें काफी सुधार हुआ। १९६१ में हड़ताल और तालाबन्दी के कारण ४८.५० लाख मानव-दिनों की क्षति हुई जबकि १९६० और १९५९ में क्रमशः ६५.१५ और ५६.३३ लाख मानव-दिनों की क्षति हुई थी।

जुलाई, १९६० की केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़तालों में भाग लेने वाली यूनियनों और संघों को जो मान्यता दी गई थी वह वापिस ले ली गई थी। अब यह मान्यता अधिकांश यूनियनों को पुनः दी गई है। इस वर्ष कपड़ा मिलों में उत्पादन पर हड़तालों का प्रभाव पड़ा।

जहां तक रोज़गार की सुविधाओं का सवाल है इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। रोज़गार की समस्या के दो पहलू हैं—रोज़गार को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना और रोजगार माँगने वालों को रोज़गार दिलाना। देश भर में रोजगार दफ्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है। और बड़े संस्थानों में इन दफ्तरों के जरिए कर्मचारी अधिकाधिक संख्या में भेजे जा रहे हैं।

## उद्योग सम्बन्ध

**आचरण संहिता :** भारतीय श्रम सम्मेलन ने अक्तूबर, १९६१ में आचरण-संहिता के कार्यकरण की समीक्षा की। जिससे प्रकट हुआ है कि मालिकों और यूनियनों द्वारा अपने झगड़ों को निपटाने के लिए इस आचरण संहिता का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। वैधानिक ढंग से अपने झगड़ों को सुलझाने की प्रवृत्ति मालिकों और मज़दूरों दोनों में बढ़ रही है और सीधी कार्यवाही की बात कम की जाती है।

केन्द्रीय कार्यकरण और मूल्यांकन विभाग को आचरण-संहिता को अमल में लाने तथा राज्यों के कार्यकरण संगठनों के साथ संपर्क कायम रखने का काम सौंपा गया है। आजकल राज्य कार्यकरण समितियां सभी राज्यों में और केन्द्रीय प्रशासन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सिवाय जम्मू औस कश्मीर के इन कमेटियों की मीटिंगें होती रहती हैं और आचारण-संहिता में कार्यकरण सम्बन्धी प्रश्नों की समीक्षा की जाती है।

१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक केन्द्रीय कार्यकरण और मूल्यांकन विभाग ने केन्द्रीय क्षेत्र में आचरण संहिता के भंग किए जाने की ६५४ शिकायतें कीं। इन में से ५१ प्रतिशत मामलों में आचरण-संहिता के भंग किए जाने की बात मालिक अथवा सम्बन्धित यूनियनों को बताई गई और स्थिति में सुधार लाया गया अथवा भविष्य में ऐसा न करने की उन्हें चेतावनी दी गई। १६ प्रतिशत मामले ऐसे थे जो जांच के बाद किसी कार्यवाही के लिए उचित नहीं समझे गए और शेष ३३ प्रतिशत मामलों पर इस समय जांच पड़ताल हो रही है। कई यूनियनों को इस बात पर राजी कर लिया गया है कि हड़ताल करने के बजाय अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वे मौजूदा व्यवस्था का लाभ उठाएंगे।

१९६१ में (केवल यही सूचना अभी तक प्राप्त है) केन्द्रीय संगठनों द्वारा स्थापित समितियों ने अपने सदस्यों के ४३ मामलों की जांच की और उनमें से १९ सदस्यों को ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर न करने के लिए तैयार किया। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का आर्डर दिया गया। इस विभाग ने कचहरी के बाहर अभी तक २२ मामले सुलझाए हैं।

कलकत्ता ट्रामवेज् कम्पनी लि० की हड़ताल के बारे में जांच करने के लिये केन्द्रीय कार्य-करण और मूल्यांकन विभाग के अध्यक्ष की अधीनता में नियुक्त जांच-समिति की रिपोर्ट स्वीकृत और प्रकाशित की गई।

## कार्य-संचालन में कर्मचारियों का सहयोग

केन्द्र के कार्य संचालन में कर्मचारियों के सहयोग के निमित्त एक अलग दफ्तर खोला गया है जो कि निजी क्षेत्र के संस्थानों को सलाह देता है। मजदूरों की शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड को सलाह दी गई है कि ऐसे कार्यकरणों में, जिन्हें कि संयुक्त कार्य-संचालन काउंसिलें स्थापित किया जाना है, मजदूरों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम आरम्भ किए जाएं।

मालिक-मजदूर सहयोग सम्बन्धी उपसमिति की पहली बैठक १ मई, १९६१ को हुई और उसमें भाग लेने वाले संस्थानों के कार्य का पुनरावलोकन किया गया।

मजदूर शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विशेष सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसका ध्येय विभिन्न कार्यकरणों के मालिकों और यूनियनों को अपनी समस्याओं को अच्छी तरह समझाने का मौका देना और साथ ही जरूरी जानकारी उपलब्ध करना है। इस प्रकार का पहला सेमिनार कलकत्ता में २६ और २७ मार्च को आयोजित हुआ।

इस समय तीस संस्थानों में सम्मिलित कार्य-संचालन-काउंसिलें कार्य कर रही हैं। इनमें से १२ संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र में और १८ निजी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र में चार ऐसे संस्थानों में जहां एक सम्मिलित कार्य-संचालन परिषदें कार्य कर रही हैं, अपनी कार्यविधि में समुचित सुधार लाना स्वीकार किया है ताकि वे केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय द्वारा जारी की गई सम्मिलित कार्यसंचालन परिषदों की स्कीमों के अनुरूप हो सकें।

## मजदूरी

**मजदूरी बोर्ड :** पटसन, चाय, काफी और रबर के बागानों में तथा लोहे और इस्पात उद्योग में मजदूरी के ढांचे में सुधार लाने के लिए त्रिदलीय मजदूरी बोर्ड कार्य कर रहा है। कोयले की खानों के लिए भी इसी प्रकार का एक मजदूरी बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

पटसन और रबर उद्योग के मजदूरी बोर्ड ने मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की सिफारिश की है। चाय उद्योग के मजदूरी बोर्ड ने भी दक्षिण भारत में अन्तरिम मजदूरी में वृद्धि की सर्व-सम्मत सिफारिश की है।

**बोनस कमीशन :** कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बोनस देने के सवाल पर गौर करने के लिए एक बौनस आयोग स्थापित किया गया। यह आयोग मजदूरी बोर्ड के ढंग पर ही बनाया गया है और उसके दो प्रतिनिधि हैं—एक मालिकों की तरफ़ से और एक मजदूरों की

तरफ से। साथ ही दो स्वतंत्र सदस्य और एक स्वतंत्र अध्यक्ष है। कमीशन ने एक प्रश्नावली जारी की है, जिस के उत्तर ३० जनवरी ६२ तक मांगे गए हैं।

## सामाजिक सुरक्षा

**कर्मचारी राज्य बीमा योजना :** कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम १९४८ के अंतर्गत ऐसे कारखानों के मजदूरों को, जिनमें लगातार बिजली इस्तेमाल होती है और बीस से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, डाक्टरी चिकित्सा, बीमारी का नक़द भत्ता और काम पर चोट लगने का मुग्रावज़ा तथा मृत्यु होने पर मजदूर के आश्रितों को पेंशन आदि लाभ प्राप्त होते हैं।

**१९६०-६१ के बाद की स्थिति :** मार्च, १९६१ के अन्त तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना देश के सभी राज्यों में १२१ केन्द्रों में जारी हुई, जिससे लगभग १६.७४ लाख औद्योगिक मजदूरों को लाभ पहुंचा है। गुजरात, केरल और मद्रास और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में लगभग ५.७३ लाख बीमाशुदा मजदूरों के परिवारों को भी लाभ पहुंचाया गया है। इस वर्ष अस्पतालों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। १९६०-६१ के अन्त तक ३.४० करोड़ रुपये अस्पतालों में नई सुविधाएं पैदा करने पर खर्च किया गया। सरकारी और दूसरे अस्पतालों के बीमाशुदा कर्मचारियों के लिये ३,४८८ शैयाएं सुरक्षित रखी गईं।

अभी तक कर्मचारियों के ११.८७ लाख परिवारों को इस स्कीम से लाभ पहुंचा है जिनके अलावा अन्य ४०.४ लाख लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी है।'इस वर्ष नए अस्पतालों तथा पुराने अस्पतालों में नये विभाग व दवाखाने खोलने के लिए अतिरिक्त ४.७४ करोड़ रुपये व्यय हुए। इससे २,२१४ अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था हुई है। अभी तक इस काम के लिए लगभग ८.१३ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं और ४,१४६ शैयाओं की व्यवस्था करनी है।

तपेदिक, कोढ़, पुराना बुखार और दिमागी बीमारी से परेशान बीमाशुदा लोगों के लिए एक वर्ष के लिए अब नकद रुपये की सहायता और चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया है। इसी प्रकार आजकल की कई नई दवाओं के कारण जिन लोगों के शरीरों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसके लिए भी सहायता का प्रबन्ध किया गया है। रोज़गार के वक्त दुर्घटना होने पर कृत्रिम अंग मुफ्त दिये जाते हैं और एम्बुलैंस व अन्य प्रकार के परिवहन का व्यय दिया जाता है। इसके अलावा काम करते हुए आंखों को नुकसान पहुंचने पर बीमाशुदा लोगों को मुफ्त ऐनकें देना भी शुरू किया गया हैं। निश्चय किया गया है कि परिवार नियोजन को डाक्टरी चिकित्सा का एक अंग माना जाए। जिन राज्यों ने अपने मजदूरों के परिवारों की चिकित्सा-शुश्रूषा का प्रबन्ध किया गया है उन्होंने इस सुझाव को भी अमल में लाना स्वीकार कर लिया है।

मुदालियर आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर गौर किया गया है और सरकार तथा निगम द्वारा उचित निर्णय लिए जा रहे हैं।

तीसरी योजना की अवधि में यह स्कीम सभी केन्द्रों में चालू होगी और बीमाशुदा कर्मचारियों के परिवारों को लाभ पहुँचाया जाएगा। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक लगभग ३० लाख कर्मचारियों और इससे तिगुनी संख्या में उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुँचाया जाएगा, जबकि इस समय १७ लाख कर्मचारियों और उनके ४०.१४ लाख परिवारजनों को लाभ पहुंचाया गया है।

मार्च और अप्रल, १९६२ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को नए इलाकों में पहुंचाया गया तथा अधिक संख्या में कर्मचारियों के परिवारों को डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध की गई। १ मई ६२ को निम्नलिखित स्थिति थी :—

| | |
|---|---|
| लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या | १७,३४,३९६ |
| परिवार जनों की संख्या | १२,१२,३४५ |

मार्च ६२ में बीमाशुदा लोगों के लिए अन्य ५९३ शैयाएं सुरक्षित की गई।

दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं के प्रश्न का कार्य-भार दिल्ली प्रशासन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने १ अप्रैल ६२ से ले लिया है।

## प्रोवीडेन्ट फण्ड की सुविधाएं

कर्मचारी प्रावीडेन्ट फण्ड ऐक्ट, १९५२ और उसके अन्तर्गत बनाए गए कर्मचारी प्रावीडन्ट फण्ड स्कीम १९५२ के अनुसार कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रावीडेन्ट फन्ड की व्यवस्था अनिवार्य है।

यह कानून उन तमाम कल-कारखानों पर लागू होता है जो कि अपने पांच साल के अस्तित्व के बाद से २० से ४९ मजदूरों से काम लेते हैं और जो अपने अस्तित्व में तीन साल बाद ५० या अधिक मजदूरों से काम लेते हैं।

फरवरी, १९६२ के अन्त तक ३३५.०१ करोड़ रुपए प्रावीडेन्ट फन्ड के रूप में एकत्र किए गए। इसमें से २४३.०७ करोड़ रुपए सदस्यों के खाते में थे जबकि शेष रुपए नौकरी छोड़कर जाने वाले लोगों को अथवा ऋणों के रूप में अन्य लोगों को दिए गए।

(१) गत वर्ष इस स्कीम में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं : ३१ मार्च, १९६२ तक यह स्कीम नीचे लिखी किस्म के कारखानों पर लागू नहीं होती थी :

दियासलाई बनाने वाले उन कारखानों पर जिनका वार्षिक उत्पादन ५ लाख बक्स तक या उससे कम था।

(२) ऐसी कांच की चीजें बनाने वाले कारखाने, जिनकी क्षमता प्रति माह ६०० टन या कम थी।

कर्मचारी प्रावीडेन्ट फन्ड स्कीम, १९५२ को लागू करने के लिए उपरिलिखित कारखानों में उत्पादन की सीमा हटा दी गई।

## प्रोवीडेन्ड फन्ड और बोनस स्कीम

अभी तक केवल कुछ ही कारखानों में मजदूरों के रिटायर हो जाने के बाद उन्हें लाभ पहुंचाने की कुछ स्कीम चली थी और अधिकांश कारखाने इस आवश्यक सुविधा से अवंचित थे। भारत सरकार इस बात को देखकर बहुत चिंतित थी कि वर्षों तक रोजगार में लगे रहने के बाद वृद्धावस्था में उन मजदूरों को मोहताज होकर रहना पड़ता था। मजदूरों में से किसी की अकाल मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को घोर दरिद्रावस्था का सामना करना पड़ता था। इन सब बातों पर पूरी तरह गौर करने के बाद भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि सरकार की ओर से आरम्भ किये गए अनिवार्य प्रावीडेन्ड फण्ड की स्कीम से इन मजदूरों को काफी राहत मिल सकती

है। इस दिशा में शुरुआत १९४८ में हुई जबकि कोयले की खानो में काम करने वाले मजदूरो के लिए प्रावीडेन्ड फन्ड और बोनस स्कीम ऐक्ट आरम्भ किया गया जिनके अनुसार कोयले के कारखानो में काम करने वाले सभी मजदूरो को लाभ पहुंचा।

### कोयला खान प्रोवीडेन्ड फन्ड स्कीम

कोयला खान प्रावीडेन्ट फन्ड और बोनस ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत बनाई गई यह स्कीम १२ मई, १९४७ से पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयले की खानें में लागू की गई। यह स्कीम अन्य राज्यों मे भी नीचे लिखे अनुसार लागू की जा चुकी है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | मध्य प्रान्त | अब मध्य प्रदेश में शामिल | तारीख १० अक्टूबर, १९४७ से |
| (ख) | बरार | अब महाराष्ट्र में शामिल | ,, ,, ,, |
| (ग) | उड़ीसा | ... ... ... | ,, ,, ,, |
| (घ) | आसाम | ... ... ... | १ जुलाई, १९४९ |
| (ङ) | तल्चर | अब उड़ीसा मे शामिल | १ जुलाई, १९४९ |
| (च) | रीवा | अब मध्य प्रदेश में शामिल | १ जनवरी, १९६० से |
| (छ) | कोरिया | उड़ीसा में शामिल | ,, ,, ,, |
| (ज) | बम्बई | महाराष्ट्र मे शामिल | १ जनवरी, १९५७ |

आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए अलग स्कीमे बनाई गई और १ अक्टूबर, १९५५ मे दोनो राज्यों की कोयले की खानों में लागू की गई।

मार्च, १९६२ के अन्त में कोयला खान प्रावीडेन्ट फन्ड स्कीम के अन्तर्गत १,२१५ खाने थी जिनमें कुल सदस्य संख्या ४०८,३०६ थी।

प्रोवीडेन्ट फन्ड का धन केन्द्रीय सरकार की सिक्युरिटियों में विन्युक्त किया गया है। मार्च १९६२ के अन्त तक २१,७५४००,०० रुपये विनियुक्त किए गए।

१ जनवरी, १९६२ से पूर्व कोयला खान बोनस स्कीम के अन्तर्गत कोयला खान प्रोवीडेन्ट फन्ड की सदस्यता के लिए बोनस प्राप्ति की एक शर्त थी। १ जनवरी, १९६२ से कोयला खान प्रोवीडेन्ट फन्ड की सदस्यता को कोयला खान बोनस स्कीम की सदस्यता से अलग कर दिया गया है और दोनों स्कीमों के सदस्यों के लिए भिन्न प्रकार की योग्यताएं आवश्यक हैं।

कोयला खान प्रोवीडेन्ट फन्ड और बोनस स्कीम ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत बोनस स्कीम और प्रोवीडेन्ट फण्ड की स्कीम जम्मू और काश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू हैं। इस समय नीचे लिखी चार प्रकार की बोनस स्कीमें हैं :—

१. कोयला खान बोनस स्कीम १९४८ जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की कोयला खानों पर लागू होती है।

२. आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम, १९५२ जो कि आन्ध्र प्रदेश की कोयले की खानों पर लागू होती है।

३. राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम, १९५४ जो कि राजस्थान की एकमात्र कोयले की खानों पर लागू होती है, जिसका स्वामित्व राजस्थान सरकार के हाथ में है।

४. आसाम कोयला खान बोनस स्कीम, १९५५ जो कि आसाम के कोयलों की खानों पर लागू होती है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रत्येक कोयले की खान आती है, चाहे उसके मजदूरों की संख्या कितनी ही कम क्यों न हो। इस ऐक्ट और इसके अन्तर्गत स्कीमों की परिधि में १९६१ के अन्त में ८१० कोयले की खानें थीं।

इन स्कीमों से कर्मचारी अपनी बुनियादी आय का एक-तिहाई भाग तिमाही बोनस के रूप में पाने के हकदार हैं। आसाम कोयला खान बोनस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को साप्ताहिक और तिमाही दोनों प्रकार के बोनस मिलते हैं, जबकि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या और धनराशि की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

१९६०-६१

| | |
|---|---|
| १. बोनस पाने की योग्यता रखने वालों की संख्या | ३,४४,०४० |
| २. बोनस प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या | २,९७,३३५ |
| ३. बोनस में दी गई कुल राशि | ३,७८,६०,५५७ रुपये |

कोयले की खानों से सम्बन्धित औद्योगिक समिति ने अप्रैल, १९६१ में आयोजित अपने आठवें अधिवेशन में कोयला खान बोनस स्कीम, १९४८ में निम्नलिखित संशोधन सुझाए हैं :—

(क) अगर किसी कोयले की खान में तालाबन्दी होती है तो कोई भी कर्मचारी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को आवेदन देकर यह फैसला जानने का हकदार है कि तालाबन्दी वैध अथवा अवैध है।

(ख) बोनस के लिए प्रति वर्ष २१ दिन की छुट्टी हाजिरी के रूप में मानी जाएगी।

(ग) प्रत्येक कारखाने का मालिक १ जुलाई, १९६२ से अपने हर कर्मचारी को एक बोनस-कार्ड जारी करेगा, जिसमें कर्मचारी द्वारा किये गए काम और छुट्टी का वेतन आदि का आवश्यक ब्योरा होगा।

## बेरोजगार सहायता कोष

तीसरी पंचवर्षीय योजना में से निकाले गए मजदूरों की सहायता के लिए २ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह धन बेरोजगारी का सामना करने में मजदूरों को मदद देने के लिए है।

योजना के अन्तर्गत मजदूरों को अपनी तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के ऋण देने तथा अन्य धन्धों में काम दिलाने की व्यवस्था भी है।

बेरोजगार सहायता कोष के निर्माण की स्कीम तैयार की जा चुकी है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

## मजदूरों के रहन-सहन में सुधार

**खानों में मजदूरों का कल्याण :** अनुमान है कि १९६१-६२ में कोष में लगभग २३५ लाख रुपए होंगे। इस वर्ष सामान्य कल्याण और आवास पर अनुमान है कि १७५ लाख रुपए खर्च होंगे। शेष राशि भावी वर्षों के कार्यकलापों के विस्तार पर व्यय की जाएगी।

**चिकित्सा सुधार :** कोयला खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न सुविधाएं नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(क) **अस्पताल :** नए साज-सामान से सुसज्जित धनबाद और आसनसोल में दो अस्पताल चलाए जा रहे है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय अस्पतालो का संचालन भी किया जा रहा है। इस वर्ष इन अस्पतालों में १६,५४१ इन्डोर मरीज, ६७,८६२ आउटडोर मरीजों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ।

(ख) **प्रसूती और बाल-कल्याण सुविधाएं :** उपरोक्त सातो प्रादेशिक अस्पतालों में एक प्रसूती और बाल-कल्याण केन्द्र खोला गया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार के नए केन्द्र खोले जा रहे हैं। कोयले की खानों के मजदूरों के लाभार्थ मध्य प्रदेश और चांदा जिलों के सरकारी अस्पतालों में प्रसूती सहायता का प्रबन्ध किया गया है।

## क्षय रोग निवारण

कोष के अन्तर्गत दो क्षय रोग चिकित्सालय काम कर रहे हैं। एक कतरास में दूसरा सीरसोल में। कतरास के क्षय रोग चिकित्सालय में अन्य २५ शैयाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देश के विभिन्न सैनीटोरियमों में कोयला खान सगठन द्वारा क्षय रोगी मजदूरों के लिए ६१ शैयाओं की व्यवस्था की गई है।

इस वर्ष भी क्षय रोगियों के आश्रितो को ५० रुपये प्रति मास देने की सहायता स्कीम जारी रही।

क्षय रोग निवारण की एक प्रयोगिक स्कीम १ अगस्त, १९५८ को बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयले की खानों में जारी की गई थी और अब वह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानों के मजदूरों के लिए भी लागू की गई है। मार्च, १९६२ के अन्त तक देश के विभिन्न कोयले की खानों से ३,८४९ क्षय रोगियों का इलाज किया गया।

(ग) **दवाखाने :** कोष द्वारा मूली और दुमुआ में चलाए जा रहे दो दवाखानों से इस वर्ष १३,३६५ रोगियों को लाभ प्राप्त हुआ। दुमुआ और दरनपुर-रामगढ़ कोयले की खानों के लिए दो चलते-फिरते चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किये गए है।

कोयले की खानों के मालिकों को जो कि निर्धारित स्तर पर दवाखाने अपने कर्मचारियों के लिए चलाते हैं, ४.९४ लाख रुपये का सहायतार्थ अनुदान स्वीकार किया गया है।

(घ) **कुष्ठ रोगियों को सहायता :** कोयले की खानों के कुष्ठ रोगी मजदूरों के इलाज के लिए तीन अस्पताल खोले गए हैं, जिनमें ५० शैयाओं की व्यवस्था है।

(ड) **मलेरिया निवारण कार्यक्रम :** मलेरिया निवारण कार्यक्रम पहले की भांति ही जारी रहा।

(च) **आयुर्वेदिक औषधालय :** विभिन्न कोयले की खानों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्कीम के अन्तर्गत अभी तक १३ औषधालय स्थापित किए जा चुके हैं।

**परिवार नियोजन :** सभी अस्पतालों में परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श देने वाले केन्द्र खोले गए है।

## ३—अन्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

(क) **रक्त कोष :** आसनसोल में कोयले की खानों के मजदूर रोगियों के लाभार्थ आधुनिक

साज-सामान से सुसज्जित एक रक्त कोष खोला गया है। इसी प्रकार धनबाद के सैन्ट्रल अस्पताल में रक्त संचय का कार्यारम्भ किया गया है।

(ख) पटना के मेडिकल कालेज में कैंसर रोग से पीड़ित कोयलों की खानों के मजदूरों के इलाज की व्यवस्था की गई है।

(ग) बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की कोयला खानों में ६ स्वास्थ्य-वर्द्धक केन्द्रों की स्थापना के लिए ३७,५०० रुपए की रकम मन्जूर की गई है। यह रकम प्रायोगिक आधार पर केवल एक वर्ष के लिए ही फिलहाल दी जा रही है।

**पुनर्वास और विश्राम की सुविधाएं** : क्षय रोग से मुक्त व्यक्ति के विश्राम के लिए भूली में एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

## शिक्षा तथा आमोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं

(क) **खान मजदूरों की सुविधाएं** : इस प्रकार की ५६ संस्थाएं खोली गई हैं जिनमें एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग तथा एक महिला एवं बाल-हित और शिक्षा केन्द्र शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा शिक्षा और आमोद-प्रमोद के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(ख) **प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र** : विभिन्न कोयले की खानों में इस समय ६१ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र काम कर रहे हैं। ३१ मार्च, १९६२ तक ११,६२१ वयस्कों ने इस स्कीम के अन्तर्गत लिखना-पढ़ना सीखा। इस वर्ष नवाक्षरों की संख्या २,३६३ है।

(ग) **महिला कल्याण केन्द्र** : देश के विभिन्न कोयले की खानों में इस समय ५९ महिला कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(घ) **छात्रवृत्तियां** : कोयले की खानों के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम जारी रही।

(ङ) **कोयला मजदूरों के लिए विकास-गृह** : बिहार में राजगिर नामक स्थान पर प्रायोगिक आधार पर खोले गए विकास-गृह कोयले की खानों के मजदूरों द्वारा लोकप्रिय बनते जा रहे हैं।

(च) **भ्रमण एवं अध्ययन यात्राएं** : कोयला खानों के श्रम कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य अपने मजदूरों को देश के दर्शनीय स्थानों को दिखलाकर शिक्षा प्रदान करना है।

(छ) **बालकों के लिए निवास-गृह** : कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए भूली टाउनशिप में निवास-गृह खोला गया है, ताकि वे बच्चे छुआछूत की बीमारी से पीड़ित अपने माता-पिताओं से दूर रखे जा सकें। इन बच्चों को खाने, कपड़ा और बिस्तर आदि की सुविधाएं भी दी जाती हैं।

(ज) **खेल-कूद** : इस वर्ष कोयले की खानों में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अतिरिक्त द्वितीय अखिल भारतीय फुटबाल टूर्नामिन्ट और केन्द्रीय अखिल भारतीय कोयला खान खेलकूद का आयोजन किया गया।

**५—आवास** : नए नगर बसाने की योजना के अन्तर्गत अभी तक २,१५३ मकान बनाए जा चुके हैं। इनके अलावा कोयला मजदूरों को उनकी आवास-व्यवस्था के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं :—

(अ) आर्थिक सहायता स्कीम : १९५० में शुरू की गई स्कीम के मुताबिक मंजूरशुदा नक्शों के अनुसार मकान बनाने वाली खानों के मालिकों को मकान की लागत का २० प्रतिशत भाग आर्थिक-सहायता के रूप में मिलता था बशर्ते कि प्रत्येक मकान पर ६००) व्यय हो। यह सहायता बाद में बढ़ाकर २५ प्रतिशत कर दी गई और मकान की अधिकतम कीमत ७५० रुपए कर दी गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत अभी तक १,६३८ मकान बन चुके हैं।

(ब) पुनर्शोधित आर्थिक-सहायता आवास स्कीम (मार्च, १९५४) : इस स्कीम के अन्तर्गत अभी तक २,०६० मकान बन चुके हैं और १०३ शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाले हैं।

(स) नई आवास स्कीम : इस स्कीम के अन्तर्गत ३०,००० नए मकान बनाने का प्रस्ताव है।

(द) कम खर्च के मकानों की स्कीम : कोयला मजदूरों के लिए मकान बनाने की स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए कम खर्च के मकानों की इस नई स्कीम को मन्जूरी दी गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत तीसरी योजना में लगभग १ लाख मकान बनाए जाएंगे। तीस खानों द्वारा १८१० मकानों और ४३ बैरकों के बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। विभिन्न आवास स्कीमों के अन्तर्गत बनाए गए सभी मकानों में लोग रहने लगे हैं।

६ - जल-व्यवस्था : कोयले की खानों के क्षेत्र में जल उपलब्ध करने की स्वीकृत स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए खानों के मालिकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मध्य प्रदेश के पैन्चवेली कोल फील्ड में जल की व्यवस्था सुधारने के लिए मैसर्स शा वैलस एण्ड कम्पनी को १.४९ लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसी प्रकार मैसर्स शिंगारेवी कोलियरी कम्पनी को भी ३ लाख रुपये की सहायता दी गई है। नए कुएं खुदवाने के खर्च का ५० प्रतिशत भाग भी सहायता के रूप में देना स्वीकार कर लिया गया है और इस स्कीम के अन्तर्गत अभी तक १७१ नए कुएं तैयार हो गए हैं।

## ७. अन्य सुविधाएं

(अ) मृत्यु लाभ योजना : कोयला खान कल्याण आयुक्त को अधिकार प्रदान किया है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले मजदूरों की विधवाओं और स्कूल जाने वाले बालकों को निर्धारित स्तर पर आर्थिक सहायता दी जाए। इस वर्ष १०१ विधवाओं और ३ स्कूली बालकों के लिए २९,२८० रुपए की रकम स्वीकार की गई।

(ब) कोयला खानों में सहकारिता : कोयले की खानों में सहकारी समितियों के लि आन्दोलन जारी है। मार्च, १९६२ के अन्त तक विभिन्न कोयले की खानों में २३८ सहकारी समितियां स्थापित की गई। इनमें से ८५ समितियों को प्रति समिति ६७ रुपए के हिसाब अनुदान दिया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की कोयले की खानों में मजदूरों को सहकारी समितियों द्वारा कम ब्याज पर रुपया कर्ज़ दिलाने के लिए ४५० लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

## अबरक की खानों का श्रम-कल्याण कोष

१९४६ के एक ऐक्ट के अनुसार संगठित इस कोष द्वारा अबरक खदान उद्योग में काम करने वाले लगभग ३३,००० व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धी उपयोगी कार्य किए

इस कोष की वार्षिक आय लगभग २५ लाख रुपये है जो कि अबरक के निर्यात पर २।। प्रतिशत कर लगाने से प्राप्त होती है।

इस कोष द्वारा अबरक की विभिन्न खानों में मजदूरों और उनके परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए तीन अस्पताल, १४ दवाखाने, १५ आयुर्वेदिक चिकित्सालय और १५ प्रसूती तथा बाल कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश के अबरक खानों के इलाकों में ६ प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे है। इसी प्रकार राजस्थान के अबरक खान के इलाके में एक मिडिल स्कूल और २५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। बिहार में ६ प्रारम्भिक स्कूल तथा ६ बहु-प्रयोजनीय संस्थाओं में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। इन सहायता संस्थाओं में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा एक महिला कल्याण केन्द्र संलग्न होते हैं। अबरक मज़दूरों के बच्चों को टैक्नीकल तथा गैर-टैक्नीकल क्षिक्षा पाने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। बहु-प्रयोजनीय केन्द्रों में बच्चों को मध्य दिवसीय आहार निशुल्क दिया जाता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और सलेट भी मुफ्त दी जाती हैं। स्कूलों में और कालेजों में पढ़ने वाले मजदूरों के लड़कों के लिए ५ छात्रावास स्थापित किये गए हैं।

अबरक मजदूरों को आमोद-प्रमोद की सुविधाएं सामुदायिक केन्द्रों, क्लबों, रेडियो-केन्द्रों आदि द्वारा उपलब्ध होती हैं। वाचनालयों और पुस्तकालयों का भी प्रबन्ध किया गया है।

## शिक्षा और प्रशिक्षा

**टैक्नीकल सहायता :** आलोच्य अवधि में दो विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध की गई— एक श्री० सी० जे० नार्ड बोटेने जो कि नार्वे से आए हैं और "विकास की व्यवस्था" सम्बन्धी विषय के विशेषज्ञ हैं और दूसरी कुमारी टोबी इवान्स हैं, जो इंगलैण्ड से आई हैं और "कर्मचारी व्यवस्था" विषय की विशेषज्ञा हैं।

टैक्नीकल सहायता के अन्य कई कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत से ४० प्रशिक्षार्थियों को श्रम प्रशासन, मजदूर संघ, मजदूरों की शिक्षा, औद्योगिक सफाई-सुथराई, कारखानों का निर्धारण आदि विषयों की शिक्षा पाने भेजा है।

आई० एल० सी० और ४ प्रोग्रामों के अन्तर्गत भारत में फिलिपाइन, बर्मा, लंका, पाकिस्तान मलाया और अफगानिस्तान से आये हुए ११ प्रशिक्षार्थियों को खानों में सुरक्षा, सहकारी बैंक प्रशासन, बुनकर सहकारी समितियों, अल्पतम वेतन निर्माण श्रम समिति सम्बन्धी आंकड़ों और बैंक प्रशासन की अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध की गई।

**मजदूरों की शिक्षा :** अलवई, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, धनबाद, हैदराबाद इन्दौर, मद्रास, नागपुर, यमुनानगर और तिनसुकिया (आसाम) में अभी तक १३ क्षेत्रीय श्रमिक शिक्षा केन्द्र कायम किये गए हैं। इन केन्द्रों में मार्च, १,९५९ तक १,८५८ श्रमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया और अन्य १५७ व्यक्तियों का प्रशिक्षण हो रहा है। अप्रैल, १९६२ के आरम्भ में १,८५८ श्रमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका था।

## अनुसन्धान और अध्ययन

**केन्द्रीय श्रम अनुसन्धान संस्था :** यह संस्था १९६० के ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापित की जा

रही है और जिसका ध्येय श्रम के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य को सहायता देना था। विशेषतः निम्न-लिखित समस्याओं पर ध्यान देना था :—

१. मालिकों और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्धों का विकास।

२. उत्पादन में सुधार लाने के लिए उचित वातावरण पैदा किया जाना।

३. मजदूरों के लिए रहने और काम करने में बेहतर हालत।

४. उचित वेतन और लाभ नीतियों का निर्माण।

**सम्मेलन** : राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर १ मई, १९५१ से ३० अप्रैल, १९६२ के बीच निम्नलिखित सभा-सम्मेलन आयोजित किये गए :

१. भारतीय श्रम सम्मेलन (१९ वां अधिवेशन, बंगलौर, ९-१० अक्तूबर १९६१)

२. बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति (१० वां अधिवेशन, नई दिल्ली, २१ सितम्बर, १९६१)

३. केन्द्रीय श्रम अनुसन्धान समिति (पहली बैठक, नई दिल्ली, १३ जुलाई, १९६१)

४. आचार-संहिता समिति (६ठा अधिवेशन, बंगलौर, ८ अक्टूबर, १९६१)। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जून, १९६१ में जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें श्री आबिदअली, उपमंत्री, के नेतृत्व में भारत से एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया। भारत ने निम्न-लिखित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया :—

१. अन्तर्देशीय परिवहन समिति (सातवां अधिवेशन, जेनेवा, मई, १९६१)

२. बागान सम्बन्धी कार्य समिति (चौथा अधिवेशन, जेनेवा, दिसम्बर, १९६१)

३. एशियाई सलाहकार समिति (११ वां अधिवेशन, जेनेवा, नवम्बर, १९६१)

४. नाविक कल्याण सम्बन्धी समिति नौपरिवहन आयोग की त्रिदलीय उपसमिति (दूसरा अधिवेशन, जेनेवा, सितम्बर, १९६१)

## नए कानून

**अल्पतम वेतन संशोधन अधिनियम, १९६१** : अल्पतम वेतन अधिनियम १९४८ का संशोधन १९६१ में किया गया। इस अल्पतम वेतन (संशोधित अधिनियम, १९६१ द्वारा) आरम्भिक वेतन निर्धारण के लिये समय की अवधि की शर्त हटा दी गई है। इस संशोधित अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

**मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१** : यह ऐक्ट संसद् द्वारा ४ मई, १९६१ को पास हुआ और २० मई, १९६१ को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस ऐक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऐक्ट को अमल में लाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। यह ऐक्ट देश के सभी राज्यों और केन्द्रीय प्रशासन क्षेत्रों में ३१-३-६२ से लागू है।

: २२ :

# रोज़गार

रोज़गार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय के दो मुख्य कार्य हैं : रोज़गार दिलाना और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

रोज़गार दफ्तर मालिकों को नौकरी की तलाश में लोगों को भेजने के अपने नियमित काम के अलावा और भी बहुत से कामों में दिलचस्पी लेनी पड़ती है जैसे व्यवहारिक अनुसंधान और रोज़गार के बाजार का अध्ययन इत्यादि।

## रोज़गार दफ्तर

काम देने वाले और काम पाने वालों को अपनी अधिकाधिक सुविधाए उपलब्ध करने के लिए कई नए रोज़गार दफ्तर खोले गये हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, श्रमिकों, असमर्थता रखने वाले व्यक्तियों तथा कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों आदि के कर्मचारियों को काम दिलाने के लिए विशेष रोजगार दफ्तर खोले गये हैं। रोज़गार दफ्तरों की संख्या मई, १९६१ में ३०७ थी जब कि इस वर्ष मई, १९६२ में ३४९ हो गयी। इनके अलावा कई ग्राम केन्द्रों में रोज़गार सम्बन्धी सूचना और सहायता देने वाले दफ्तर खोले गये हैं।

इस वर्ष नौकरी तलाश करने वालों की संख्या पहले से बढ़ गई थी और रोजगार दफ्तरों में पहले से ज्यादा नौकरियाँ उपलब्ध थीं। रोज़गार दफ्तरों की सेवाओं का अधिकाधिक लाभ मालिकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। आलोच्य अवधि में इस सम्बन्ध में किये गये कार्य का व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

| | | १-५-६१ से १-५-६२ तक |
|---|---|---|
| पंजीकरण | — | ३३,८७,८७९ |
| रिक्त स्थानों की सूचना | — | ७,१८,३६० |
| मालिकों को भेजी गयी अर्जियां | — | २६,८५,४०७ |
| महावारी औसत संख्या | — | ४,१८००९ |
| रोजगार दफ्तरों की सेवा का लाभ उठाने वाले मालिकों की संख्या | — | १०,७४७ |

गोरखपुर श्रम-संगठन का कार्य-भार रोज़गार और प्रशिक्षण के महा निदेशक को सौंप दिया गया है। यह संगठन कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों की भर्ती करता है। इस संगठन द्वारा भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

## रोज़गार दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य विज्ञप्ति) अधिनियम, १९५९

इस ऐक्ट के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों को जो कि २५ अथवा अधिक कर्मचारियों को अपने यहां रखते हों, अपने संस्थानों में रिक्त स्थानों की सूचना रोजगार दफ्त को देने के लिए बाध्य हैं। इस ऐक्ट के अन्तर्गत रिक्त स्थानों की सूचना मिलती रही।

## अतिरिक्त कर्मचारियों को दुबारा काम में लगाना

रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशक द्वारा स्थापित केन्द्रीय समन्वय समिति उन अतिरिक्त कर्मचारियों को दुबारा काम पर लगाने का प्रबन्ध करती है जो कि इस समय उन परियोजनाओं में काम कर रहे हैं जिनकी पूर्ति शीघ्र ही होने वाली है। ऐसे लोगों को दूसरी नई परियोजनाओं में भेजे जाने के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति परियोजनाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में मंत्रालयों तथा राज्य समन्वय समितियों के बीच संपर्क रखती है ताकि अतिरिक्त कर्मचारियों को व्यवस्थित ढंग से दुबारा काम में लगाया जा सके। मई, ६१-६२ में ३,१६६ अतिरिक्त कर्मचारियों को दुबारा काम में लगाया गया।

रोज़गार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये बनाये गये विशेष विभाग ने इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के ५६० अतिरिक्त कर्मचारियों को दुबारा काम दिलाने में मदद की।

## रोज़गार बाजार सूचना संग्रह

समूचे देश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों में जो कि २५ से ज्यादा व्यक्ति काम में लगे हैं, रोजगार के रिक्त स्थानों आदि की सूचना संग्रह का काम चल रहा है। इस अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में रोज़गार का स्तर ऊंचा उठा है।

## व्यवसायिक अनुसन्धान और विश्लेषण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवसायों का विश्लेषण तथा व्यवसायों की विभिन्न किस्मों से सम्बन्धित अध्ययन चलता रहा और एक संकलित सूचना से रोजगार दफ्तर को लाभ प्राप्त हुआ। आलोच्य अवधि में ६ व्यवसायिक समूहों के अन्तर्गत व्यवसायों का अध्ययन किया गया और अन्य चार उद्योगों के रोजगार के ढांचे का भी ध्यान किया गया।

आलोच्य अवधि में रोज़गार दफ्तर के व्यवसायिकों मार्गदर्शन विभागों द्वारा किए गए काम के आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है :—

| | |
|---|---|
| (१) आवेदनकर्त्ताओं को सामूहिक मार्ग-दर्शन : | २,७८,०७२ |
| (२) रोज़गार दफ्तरों और अन्य संस्थानों में संचालित सामूहिक मार्ग-दर्शन कार्यक्रमों की संख्या | १८२३७ |
| (३) व्यक्तिगत रूप से व्यवसायिक सूचना पाने वाले आवेदनकर्त्ताओं की संख्या | १,०५,४६१ |

(४) रोजगार दफ्तरों में निजी तौर पर मार्गदर्शन पाने वाले आवेदनकर्त्ताओं की संख्या १५,४४८ है।

## जन-शक्ति अध्ययन और सर्वेक्षण

इस वर्ष रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय द्वारा रोजगारी और बेरोज़गारी की समस्या से सम्बन्धित कई अध्ययन और सर्वेक्षण किए जिनमें से कुछ मुख्य अध्ययनों का लेखा निम्नलिखित है —

**(क) भारत में (१९५८-५९) सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों का व्यावसायिक ढांचा :** इस अध्ययन के बाद जारी की गई रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के अखिल भारतीय आंकड़े दिए गए हैं और उद्योग व्यवसायों के अनुरूप उनका वर्गीकरण किया गया है। उद्योगों में किन-किन प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है अथवा कितने विभिन्न प्रकार के काम होते हैं उनका लेखा भी इस रिपोर्ट में मिलता है।

**(ख) औद्योगिक बस्ती ओखला में रोजगार :** चुनींदा औद्योगिक बस्तियों से रोज़गार किस तरह बढ़ रहा है यह आंकने के लिए कई अध्ययन शुरू किए जा रहे हैं।

**(ग) दस्तकारों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं :** यह अध्ययन रोज़गार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय द्वारा आरम्भ किया गया था। इस अध्ययन के अन्तर्गत ८३ उद्योग थे जिनके अधीन ३०० औद्योगिक इकाइयां थीं। १२ उद्योगों के बारे में पूरे ब्यौरे तैयार किए गए और अन्य उद्योगें में बारे में रिपोर्ट तैयार हो रही है।

**(घ) ग्रेजुएटों के रोज़गार के ढांचे का अखिल भारतीय सर्वेक्षण :** यह सर्वेक्षण १९५० से १९५४ के बीच देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण ग्रेजुएटों के रोजगार के ढांचे की जांच करने के लिए आरम्भ किया गया।

## ट्रेनिंग स्कीम

रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय की ट्रेनिंग योजनाओं का उद्देश्य देश में बढ़ती हुई औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित कार्य-कर्त्ता उपलब्ध करना है।

## दस्तकारी की ट्रेनिंग स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग और ग़ैर-इन्जीनियरिंग व्यवसायों में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत १५२ नए उद्योगों को लिया जाएगा और ५८०० व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा। इस प्रकार ट्रेनिंग संस्थाओं की संख्या ३२३ होगी जिसमें एक लाख से ऊपर व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे होंगे। १ मई १९६२ तक कुल २७४ ट्रेनिंग संस्थाएं काम कर रही थीं जिनमें ६०,४३६ व्यक्ति प्रशि-क्षण पा रहे थे।

## दस्तकारी का काम सिखाने वालों की ट्रेनिंग

दस्तकारी प्रशिक्षण स्कीम की सफलता के लिये सुयोग्य अध्यापकों की आवश्यकता है और इस स्कीम का उद्देश्य देश की विभिन्न संस्थाओं के अध्यापकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना है। इस समय चार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिनमें से एक महिलाओं के लिए है। इन संस्थाओं में ८२० अध्यापकों को प्रशिक्षण मिल रहा है जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ५१२ व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था।

## विभिन्न प्रशिक्षण स्कीम

रोज़गार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय की अन्य स्कीमों में औद्योगिक कर्मचारियों के ··याकालीन अध्ययन की व्ययस्था है। यह संध्याकालीन पाठ्यक्रम उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिये है।

## विदेशी साज-सामान की सहायता व टैक्नीकल सहायता

रोज़गार प्रशिक्षण के महा निदेशालय ने इस वर्ष विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त भी की। साथ ही देश की ट्रेनिंग संस्थाओं के लिये साज़-समान के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त की गई।

दो विदेशी विशेषज्ञों की जिनमें से एक पश्चिम जर्मनी से आए हुए थे और दूसरे केन्या से, रोज़गार सेवा कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष कोष ने कलकत्ता की केन्द्रीय टैक्नीकल संस्था को १४ विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करना स्वीकार किया है।

टी सी एम, आई एल ओ और संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष कोष ने टैक्नीकल संस्थाओं के लिये साज़-सामान के रूप में सहायता दी है।

रोज़गार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय ने थाईलैण्ड सरकार के एक नामजद व्यक्ति और नेपाल सरकार के दो नामज़द व्यक्ति तथा लंका सरकार के ५ नामज़द व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

Right man on
the Right lines...
That is the linesman in the public utility serving you. Be it a transient fault or a major line failure, the utility is always on the alert to restore service with least possible delay.
With the unfolding of the National Plans there will be more power but this to be of use must be delivered to Industries and homes. Towards this task, and in augmenting power resources, the Electric Supply Undertakings affiliated to the Federation of Electricity Undertakings in India are dedicated. The successful performance of this task calls for investor confidence which is best fostered by the return being made really reasonable.
With investor confidence comes more finance, which means enlarged power facilities for the Nation.
THE FEDERATION OF ELECTRICITY UNDERTAKINGS OF INDIA

: २३ :

# रेलवे

देश के तीव्रगामी उद्योगीकरण में रेलें एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। तीव्रगामी औद्योगिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात तेज़ी के साथ हो, साथ ही कृषि पैदावार का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचना उद्योगीकरण के लिए अनिवार्य है। उद्योग और कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए अधिक रेलवे लाइनों का खोला जाना तथा सक्षम रेलवे यातायात प्रणाली का शुरू किया जाना जरूरी था। साथ ही सवारियों को भी रेलों में अधिक और बेहतर सुविधाएं देना जरूरी था। हमारी रेलवे प्रणाली ने इन तमाम आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से अपने सामने रखा और काफी प्रगति की। इस दिशा में इस वर्ष जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त ब्योरा आगामी पंक्तियों में प्रस्तुत है।

## बढ़ा हुआ यातायात

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारतीय रेलों ने जिस परिमाण में सवारी और वस्तुओं का यातायात किया उसने माल व्यवस्था के क्षेत्र में एक नया रिकार्ड कायम किया है। यात्रा किलोमीटर के रूप में यात्री-यातायात १९५५-५६ के स्तर के अनुपात में १९६०-६१ में २५ प्रतिशत बढ़ा जबकि योजना में केवल १५ प्रतिशत की व्यवस्था की गई थी। उपनगर यात्री यातायात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जबकि सामान्य यात्री यातायात में २१.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपनगर यात्री यातायात में ४४.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक माल ढोने का सम्बन्ध है दूसरी पंचवर्षीय योजना में १६४३ लाख मीट्रिक टन ढोने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति में ८६ लाख मीट्रिक टन की कमी रही। फिर भी, माल ढोने की दिशा में ३.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लगभग तीस लाख मीट्रिक टन कम माल ढोया गया फिर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अपेक्षा अधिक बृद्धि हुई है। माल ढोने के मूल लक्ष्य के मुकाबले माल की वास्तविक ढुलाई में हुई कुल कमी का कारण माल की ढुलाई के स्वरूप की विभिन्नता तथा योजनाबद्ध प्रणाली से माल न ढोया जाना रहा है। निम्नलिखित तालिका में मूल लक्ष्य और वास्तविक ढुलाई के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अन्य क्षेत्रों के लिए कोयला : | ३८६ | ४२२ | ६९२ | ७६३ |
| सीमेन्ट | ८१ | ६५ | ३७१ | ३८५ |
| विविध वस्तुएं : | ८३३ | ८४८ | ५४७ | ५४९ |
| कुल | १६४६ | १५६० | ५१५ | ५६३ |
| टन किलोमीटर | ८४,७४३ | ८७,७५४ | —— | —— |

उद्योग और कृषि में हो रहे उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ रेलों में भी माल के ढोये जाने में वृद्धि हो रही है। गत दशाब्दि में औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में ७० प्रतिशत और कृषि-उत्पादन में लगभग ४६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेलों द्वारा ढोए गए कुल माल में कृषि वस्तुओं का ३५ प्रतिशत स्थान रहा है। रेलों द्वारा ढोए जाने वाले माल के टनों में लगभग ६८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और टन किलोमीटर में ९९ प्रतिशत की। इस तरह स्पष्ट है कि गत दशाब्दि में उद्योग और कृषि क्षेत्र में हुई वृद्धि के अनुसार ही रेलों के माल के लदान के टनों में भी वृद्धि हुई है। टन किलोमीटर में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि रेल टन अर्थात औद्योगिक और कृषि-उत्पादन की मिली हुई वृद्धि से भी अधिक है। निम्नलिखित तालिका से यह स्थिति स्पष्ट है :—

| | १९५०-५१ | १९५५-५६ | १९६०-६१ |
|---|---|---|---|
| औद्योगिक उत्पादन का सूचक-अंक (आधार) १९५१=१०० | १०० | १२२.४ | १७०.३ |
| कृषि उत्पादन का सूचक-अंक (आधार) जून, १९५० में खत्म होने वाला फसल वर्ष=१०० | ९५.६ | ११६.८ | १३९.१ |
| मूल टनों का सूचक-अंक | १०० | १२४.६ | १६७.७ |
| टन किलोमीटर का सूचक-अंक | १०० | १३५ | १९८.९ |
| प्रति टन माल की ढुलाई की औसत दूरी (किलोमीटर में) | ४७० | ५१० | ५६३ |

गत दशाब्दि में राष्ट्रीय आय में यात्रा आय का अनुपात लगभग १.१ प्रतिशत रहा है।

रेलवे की सम्पत्ति का अथवा इंजिन, माल के डिब्बे और लाइनों का अधिक सघन सक्षम इस्तेमाल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कितने रेल इंजिन और माल के डिब्बे उपयोग में लाए गए उनके तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

| वर्ष | माल गाड़ी के इंजनों की संख्या (कुल आकर्षण) | | माल-डिब्बों की संख्या चौपहिया डब्बे | |
|---|---|---|---|---|
| | बड़ी लाइन | मीटर लाइन | बड़ी लाइन | मीटर लाइन |
| १९३८-३९ | ४० | ८७ | १,७७२ | ४,१६० |
| १९५०-५१ | ३४ | ९२ | १,४०८ | ३,२८९ |
| १९५५-५६ | २८ | ६७ | १,१३० | ३,०१२ |
| १९६०-६१ | २३* | ५९ | १,००२ | २,४६९ |

* यदि केवल भाप के इंजिन गिने जायं तो २५।

चालू रेल-पथ के अत्यधिक इस्तेमाल का पता इस बात से चल सकता है कि प्रति १००० चालू रेल-पथ किलोमीटर में कितना यातायात बढ़ाया गया, ये आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

प्रति वर्ष प्रति १,००० चालू रेल-पथ किलोमीटर में ढोये गये दस लाख मीटरिक टन किलोमीटर के आंकड़े—

| | बड़ी लाइन | मीटर लाइन |
|---|---|---|
| १९३८-३९ | ७६१ | ७४४ |
| १९५०-५१ | १,२३० | ७४३ |
| १९५५-५६ | १,५३७ | ३५६ |
| १९६०-६१ | २,१८९ | ५३८ |

## व्यय और सक्षमता

मरम्मत और रख-रखाव तथा रेलवे कार्य के अन्तर्गत नियंत्रित व्यय शुद्ध कार्यकारी व्यय का लगभग ८० प्रतिशत है। यह व्यय सामान्य मदों में हुए व्यय का सम्बद्धित इकाइयों के अनुसार हुआ है जिनका सूचक-अंक निम्नलिखित वक्तव्य में स्पष्ट हो जाएगा :—

### तुलनात्मक व्यय और कार्य के सूचक अंक

(आधार १९५०-५१=१००)

| मांग नं० ५—मरम्मत और रख-रखाव | | १९५५-५६ | १९५९-६० | १९६०-६१ | १९६१-६२ के पहले ६ महीने |
|---|---|---|---|---|---|
| इंजिन मरम्मत कारखाने | तुलनात्मक व्यय कार्य | १३६.७ | १६१.२ | १६२.७ | १७३.७ |
| | इकाइयां मरम्मत हुई (वजन) | १३२.८ | १६२.३ | १६५.३ | १८१.२ |
| चार्ज मरम्मत कारखाने | तुलनात्मक व्यय कार्य | १७९.६ | १५५.१ | १५६.७ | १५७.४ |
| | इकाइयां मरम्मत हुइ (वजन) | १४८.९ | १८५.८ | १९०.७ | १९७.६ |
| वैगन मरम्मत कारखाने | तुलनात्मक व्यय कार्य | १३३.६ | १७६.१ | १५९.० | १५१.९ |
| | इकाइयां मरम्मत हुई (वजन) | १७४.७ | २११.६ | १८९.५ | १७२.४ |
| शेष मरम्मत और रख-रखाव व्यय : | | | | | |
| | तुलनात्मक व्यय कार्य | १२७.४ | १५८.८ | १५८.६ | १६७.४ |
| | (कुल टन मीलों में) | १३५.९ | १६२.६ | १७१.२ | १८२.६ |
| मांग नं० ६—कर्मशील कर्मचारी : | | | | | |
| | तुलनात्मक व्यय | ११०.२ | १३०.० | १३२.३ | १३५.६ |
| | कार्य (ट्रेन मील) | ११६.४ | १३२.० | १३४,६ | १३९.५ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मांग नं० ७–कार्य (ईंधन) | | | | |
| तुलनात्मक व्यय | ११६.७ | १५४.५ | १६२.१ | १७०.० |
| कार्य (कुल टन मील) | १२५.९ | १६२.६ | १७१.१ | १८३.० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मांग नं० ५—मरम्मत और रख-रखाव | | | | १९६१-६२ के पहले ६ महीने |
| | १९५५-५६ | १९५९-६० | १९६०-६१ | |
| मांग नं० ८—और ईंधन | | | | |
| कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्य | | | | |
| तुलनात्मक व्यय | १००.६ | १२४.३ | १२४.६ | १३०.० |
| कार्य (ट्रेन मील) | ११६.४ | १३२.० | १३४.६ | १३९.५ |

आय और व्यय दोनों में से विभिन्न तथ्यों को निकालने के बाद १९६० और १९६१ के लिए तुलनात्मक आय-व्यय का अनुपात ६३.७२ प्रतिशत था जबकि १९५५-५६ और १९५१-५२ में यह अनुपात क्रमशः ६५.९४ और ६७.६८ प्रतिशत था। इससे यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन द्वारा लागू किए गए विभिन्न कठोर वित्तीय नियंत्रणों के फलस्वरूप प्राप्त मितव्ययता के परिणाम १९६०-६१ में बहुत अच्छे रहे हैं।[1]

### योजना परिव्यय

गत दशाब्दि में दोनों योजनाओं के दौरान रेलवे ने जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है, अपने साधनों से कुल व्यय का ५० प्रतिशत भाग पूरा किया है।

**रेलवे के अपने साधनों पर किए गए व्यय**

(करोड़ रुपए में)

| | कुल परिव्यय | विकास निधि | खुली लाइनों में किए गए काम का राजस्व व्यय | मूल्य ह्रास आरक्षण निधि | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम योजना | ४२३.५ | ५०,५ | २३.३ | २०६.५ | २८०.३ |
| दूसरी योजना | १०४३.७ | ९२.० | ५२.६ | ३२०.४ | ४६५.० |
| | १४६७.२ | १४२.५ | ७५.९ | ५२६.९ | ७४५.३ |

शेष व्यय की राशि सामान्य राजस्व से जिसमें कि उपरोक्त तालिका में नीचे दिए गए फुट नोट में दिए गए २९.४ करोड़ रुपए का ऋण भी सम्मिलित है, पूरा किया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि यह व्यय खासतौर पर मूल्य ह्रास निधि से किया गया व्यय, वर्तमान एकत्र राशियों और पहले एकत्र की गयी राशियों में से पूरा किया गया।

[1] सामान्य राजस्व से रेलवे विकास निधि के हेतु लिए गए २९.४ करोड़ रुपयों में से ऋण से पूरे किए गए व्यय और उस ऋण पर दिया गया ब्याज १ अप्रैल ६२ तक यह सारा ऋण लौटा दिया गया था।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में शेष राशियों को उसी अवधि में यात्री किरायों और माल भाड़ों में हुई वृद्धि तथा रेल के कार्यों में हुई वृद्धि की दर को सामने रखते हुए देखना होगा। पहली राशियों में हुई कमी मुख्यतः मूल्य-ह्रास आरक्षण निधि में हुई और यह कमी पुनर्वास और विस्तार की अवधि में होनी अनिवार्य ही थी। वस्तुतः दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन राज्यों में होने वाली कमी की व्यवस्था की गयी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था में २२५ करोड़ की इस राशि के विरुद्ध २९३ करोड़ रुपए की निकासी दिखाई गयी थी जबकि वार्षिक निकासी ३२०.४१ करोड़ रुपए की हुई थी। इस राशि में पैसा जमा करने की कार्य-विधि १ अप्रैल, १९५० से बनाई गयी थी और आगामी पांच वर्षों के लिए आवश्यक राशि का भी अनुमान लगाया गया था। इन अनुमानों को देखते हुए मूल्य ह्रास आरक्षण निधि में हुई कमी कोई विशेष चिन्ता का विषय नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में चालू राजस्व रेलवे से औसतन लगभग ७० करोड़ रुपए वार्षिक दर से जमा किया जाएगा। यह कदम रेलवे कनवेंशन कमेटी १९६० की सिफारिशों के अनुसार उठाया गया है। मूल्यह्रास आरक्षण निधि में जमा की जानेवाली राशि की यह औसत वार्षिक दर तीसरी पंचवर्षीय योजना की परिसम्पत्ति के औसत मूल्य का लगभग २.५ प्रतिशत होगी। इस तरह रेलवे परिसम्पत्तियां लगभग चालीस साल तक चलेंगी और जैसा कि कहा गया है कि रेलवे परिसम्पत्ति का जीवन चालीस वर्ष या उससे कुछ अधिक होता है इस बात को सामने रखते हुए मूल्य ह्रास आरक्षण निधि के चालीस वर्ष के औसत जीवन के हिसाब से योग दिया जाना उचित ही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण को पूरा लौटा देने के बाद विकास निधि में ६.५४ करोड़ रुपए और मूल्य-ह्रास निधि में १९.८० करोड़ रुपए थे। जबकि रेलवे राजस्व आरक्षण निधि में ५३.४४ करोड़ रुपये और इस राशि में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोयला, कच्चा लोहा, संगमरमर पत्थर (डालोमाइट और लाइमस्टोन सहित) पर किए गए लदान का प्रतिशत कुल यातायात की आय में टन के अनुसार इस प्रकार वृद्धि हुई है :—

| | |
|---|---|
| १९५०-५१ | ३७.१ |
| १९५५-५६ | ३७.४ |
| १९६०-६१ | ४५.३ |

आशा है कि यह प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। अन्य तरह के परिवहन में वस्तुओं के लदान की ऊंची दर के कारण इस अनुपात में कुछ कमी होने की सम्भावना है जिससे यह ज़रूरी है कि माल यातायात की मात्रा में वृद्धि होने की अपेक्षा आय की दर में वृद्धि कम हो जाएगी।

जहां तक यात्रा परिवहन का सम्बन्ध है सवारी रेलगाड़ियों की आवश्यकताओं की लागत में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप १९५७-५८ के बाद आय की अपेक्षा व्यय बढ़ा है। १९५५-५६ और १९६०-६१ के बीच रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप २६.४ प्रतिशत सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी और २३ प्रतिशत सीटों की वृद्धि की गई। इन तमाम प्रबन्धों के बावजूद आय में केवल २२.२ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। १९५५-५६ में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर १.७३ न० पै० औसत भाड़ा लिया जाता था जो कि १९६०-६१ में १.७१ न० पै० रह गया। इस अवधि में प्रति यात्री प्रति किलो-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मांग नं० ७—कार्य (ईंधन) | | | | |
| तुलनात्मक व्यय | ११६.७ | १५४.५ | १६२.१ | १७०.० |
| कार्य (कुल टन मील) | १२५.९ | १६२.६ | १७१.१ | १८३.० |
| | | | | १९६१-६२ के पहले ६ महीने |
| मांग नं० ५—मरम्मत और रख-रखाव | | | | |
| | १९५५-५६ | १९५९-६० | १९६०-६१ | |
| मांग नं० ८—और ईंधन | | | | |
| कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्य | | | | |
| तुलनात्मक व्यय | १००.६ | १२४.३ | १२४.६ | १३०.० |
| कार्य (ट्रेन मील) | ११६.४ | १३२.० | १३४.६ | १३९.५ |

आय और व्यय दोनों में से विभिन्न तथ्यों को निकालने के बाद १९६० और १९६१ के लिए तुलनात्मक आय-व्यय का अनुपात ६३.७२ प्रतिशत था जबकि १९५५-५६ और १९५१-५२ में यह अनुपात क्रमशः ६५.९४ और ६७.६८ प्रतिशत था। इससे यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन द्वारा लागू किए गए विभिन्न कठोर वित्तीय नियंत्रणों के फलस्वरूप प्राप्त मितव्ययता के परिणाम १९६०-६१ में बहुत अच्छे रहे हैं।[1]

## योजना परिव्यय

गत दशाब्दि में दोनों योजनाओं के दौरान रेलवे ने जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है, अपने साधनों से कुल व्यय का ५० प्रतिशत भाग पूरा किया है।

### रेलवे के अपने साधनों पर किए गए व्यय

(करोड़ रुपए में)

| | कुल परिव्यय | विकास निधि | खुली लाइनों में किए गए काम का राजस्व व्यय | मूल्य ह्रास आरक्षण निधि | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम योजना | ४२३.५ | ५०,५ | २३.३ | २०६.५ | २८०.३ |
| दूसरी योजना | १०४३.७ | ९२.० | ५२.६ | ३२०.४ | ४६५.० |
| | १४६७.२ | १४२.५ | ७५.९ | ५२६.९ | ७४५.३ |

शेष व्यय की राशि सामान्य राजस्व से जिसमें कि उपरोक्त तालिका में नीचे दिए गए फुट नोट में दिए गए २९.४ करोड़ रुपए का ऋण भी सम्मिलित है, पूरा किया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि यह व्यय खासतौर पर मूल्य ह्रास निधि से किया गया व्यय, वर्तमान एकत्र राशियों और पहले एकत्र की गयी राशियों में से पूरा किया गया।

[1] सामान्य राजस्व से रेलवे विकास निधि के हेतु लिए गए २९.४ करोड़ रुपयों में से ऋण से पूरे किए गए व्यय और उस ऋण पर दिया गया ब्याज १ अप्रैल ६२ तक यह सारा ऋण लौटा दिया गया था।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में शेष राशियों को उसी अवधि में यात्री किरायों और माल भाड़ों में हुई वृद्धि तथा रेल के कार्यों में हुई वृद्धि की दर को सामने रखते हुए देखना होगा। पहली राशियों में हुई कमी मुख्यतः मूल्य-ह्रास आरक्षण निधि में हुई और यह कमी पुनर्वास और विस्तार की अवधि में होनी अनिवार्य ही थी। वस्तुतः दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन राज्यों में होने वाली कमी की व्यवस्था की गयी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था में २२५ करोड़ की इस राशि के विरुद्ध २९३ करोड़ रुपए की निकासी दिखाई गयी थी जबकि वार्षिक निकासी ३२०.४१ करोड़ रुपए की हुई थी। इस राशि में पैसा जमा करने की कार्य-विधि १ अप्रैल, १९५० से बनाई गयी थी और आगामी पाच वर्षों के लिए आवश्यक राशि का भी अनुमान लगाया गया था। इन अनुमानों को देखते हुए मूल्य ह्रास आरक्षण निधि में हुई कमी कोई विशेष चिन्ता का विषय नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में चालू राजस्व रेलवे से औसतन लगभग ७० करोड़ रुपए वार्षिक दर से जमा किया जाएगा। यह कदम रेलवे कनवेंशन कमेटी १९६० की सिफारिशों के अनुसार उठाया गया है। मूल्यह्रास आरक्षण निधि में जमा की जानेवाली राशि की यह औसत वार्षिक दर तीसरी पचवर्षीय योजना की परिसम्पत्ति के औसत मूल्य का लगभग २.५ प्रतिशत होगी। इस तरह रेलवे परिसम्पत्तियां लगभग चालीस साल तक चलेंगी और जैसा कि कहा गया है कि रेलवे परिसम्पत्ति का जीवन चालीस वर्ष या उससे कुछ अधिक होता है इस बात को सामने रखते हुए मूल्य ह्रास आरक्षण निधि के चालीस वर्ष के औसत जीवन के हिसाब से योग दिया जाना उचित ही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण को पूरा लौटा देने के बाद विकास निधि में ६.५४ करोड़ रुपए और मूल्य-ह्रास निधि में १९.८० करोड़ रुपए थे। जबकि रेलवे राजस्व आरक्षण निधि में ५३.४४ करोड़ रुपये और इस राशि में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोयला, कच्चा लोहा, संगमरमर पत्थर (डालो-माइट और लाइमस्टोन सहित) पर किए गए लदान का प्रतिशत कुल यातायात की आय में टन के अनुसार इस प्रकार वृद्धि हुई है :—

| | |
|---|---|
| १९५०-५१ | ३७.१ |
| १९५५-५६ | ३७.४ |
| १९६०-६१ | ४५.३ |

आशा है कि यह प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। अन्य तरह के परिवहन में वस्तुओं के लदान की ऊंची दर के कारण इस अनुपात में कुछ कमी होने की सम्भावना है जिससे यह ज़रूरी है कि माल यातायात की मात्रा में वृद्धि होने की अपेक्षा आय की दर में वृद्धि कम हो जाएगी।

जहां तक यात्रा परिवहन का सम्बन्ध है सवारी रेलगाड़ियों की आवश्यकताओं की लागत में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप १९५७-५८ के बाद आय की अपेक्षा व्यय बढ़ा है। १९५५-५६ और १९६०-६१ के बीच रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप २६.४ प्रतिशत सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी और २३ प्रतिशत सीटों की वृद्धि की गई। इन तमाम प्रबन्धों के बावजूद आय में केवल २२.२ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। १९५५-५६ में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर १.७३ न० पै० औसत भाड़ा लिया जाता था जो कि १९६०-६१ में १.७१ न० पै० रह गया। इस अवधि में प्रति यात्री प्रति किलो-

मीटर ले जाने की लागत में बड़ी और छोटी दोनों लाइनों में बहुत वृद्धि हुई है। १९६१-६२ में यात्री किराया कर को किराए में शामिल कर दिया गया था। उससे रेलवे को जो आमदनी हुई उसके बाद भी रेलवे को सामान्य राजस्व में राज्यों को दिए जाने के लिए किराया कर की मद में १२.५ करोड़ वार्षिक रुपए की राशि देनी होगी। इस तरह जहां तक रेलवे राजस्व का सम्बन्ध है प्रत्यक्षता कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

यात्रियों की यात्रा की बढ़ी हुई मांगों और गाड़ियों में होने वाली भीड़ को अधिक से अधिक कम करने के लिए तथा माल के यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों में अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना होगा और समस्त व्यवस्था रेलवे की वर्तमान क्षमता की सीमाओं को सामने रखते हुए करनी होगी।

वेतन और मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत में हुई वृद्धि से भारतीय रेलों के किरायों और माल भाड़ों की दरों में भी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

| | १९३८-३९ | १९५०-५१ | १९५५-५६ | १९६०-६१ |
|---|---|---|---|---|
| प्रति टन किलोमीटर दर (न० पै०) | १.८६ | ३.१६ | ३.५० | ३.८७ |
| प्रति यात्री कि० मी० दर (न० पै०) | १.०१ | १.४८ | १.७३ | १.७१ |
| प्रति कर्मचारी लागत (सूचक-अंक) | १०० | २२९ | २६३ | ३२५ |
| कोयले की लागत (सूचक-अंक) | १०० | ३५७ | ३६२ | ४९७ |
| थोक मूल्यों का सूचक-अंक | १०० | ४०९.७ | ३६०.३ | ४७५ |

## लागत का विश्लेषण

इस दिशा में भारतीय रेलवे के आंकड़ों के संग्रह संगठन को सशक्त करने का निर्णय किया गया है ताकि माल ढोने की कुछ महत्वपूर्ण मदों पर आने वाली लागत का व्यापक विश्लेषण किया जा सके। साथ ही चुनींदा वस्तुओं की परिवहन दूरी पर आने वाली लागत का सही अध्ययन किए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे समय-समय पर माल ढोने की लागत के स्तर की समीक्षा हो सकेगी और रेल और सड़क द्वारा माल के यातायात के स्वरूप का निर्णय हो सकेगा।

## पूंजी-उत्पादन अनुपात

रेलों में लगी हुई पूंजी में हुई वृद्धि से अधिक साज-सामान रेलवे के पास है। यदि इस पूंजी को सामान के मूल्यों और वेतनों में हुई वृद्धि से मिलाया जाए तो यह तुलना रेलों के अनुकूल रहेगी जैसा कि निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है। इन सूचक-अंकों का आधार १९३८-३९ =१०० है।

| | कार्यरत पूंजी (वास्तविक) | कार्यरत पूंजी (सम्भावित) | टन किलोमीटर | यात्री किलोमीटर | शुद्ध आय |
|---|---|---|---|---|---|
| १९३८-३९ | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
| १९५०-५१ | ११९.८ | १०७.९ | १३८.९ | २६३.९ | २९१.० |
| १९५५-५६ | १३९.५ | ११५.८ | १८७.६ | २४७.६ | ३४९.४ |
| १९६०-६१ | २१८.९ | १४२.२ | २७६.३ | ३०८.७ | ५०६.२ |

शुद्ध टन किलोमीटर कार्यरत पूंजी में हुई वृद्धि के अनुपात की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। कार्यरत पूंजी की तीन मुख्य मदें ये हैं :—इंजिन, डिब्बे और पटरियां। निम्नलिखित तालिका से यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी :—

| | १९५०-५१ | १९५५-५६ | १९६०-६१ |
|---|---|---|---|
| शुद्ध टन किलोमीटर कार्यरत पूंजी (किताबों के अनुसार) | १०० | १३५ | १९८.९ |
| समान्तरित पूंजी | १०० | ११६.५ | १८२.९ |
| समस्त इंजिनों का चालन | १०० | १०७.४ | १३१.८ |
| कुल डिब्बे | १०० | ११५.० | १४१.२ |
| कुट पटरियों की लम्बाई | १०० | १०२.१ | १०९.३ |

इन आंकड़ों से भारतीय रेलों की कार्यक्षमता में हुई ठोस वृद्धि और परिसम्पत्तियों के गहन उपयोग का पता चलता है।

## रेलवे बजट : एक दृष्टि में

(करोड़ रुपयों में)

| | वार्षिक १९६०-६१ | बजट १९६१-६२ | परिशोधित अनुमान | बजट १९६२-६३ |
|---|---|---|---|---|
| यातायात से कुल आय[1] | ४५६.८० | ४९९.०२ | ५०१.२४ | ५२४.१० |
| कुल कार्यकारी व्यय (ऋण लेने अथवा वसूली के बाद | ३१३.२४ | ३३२.६७ | ३३०.५५ | ३४५.७४ |
| कुल विविध व्यय (राजस्व के काम पर होने वाले व्यय सहित) | २०.६६ | १४.९७ | १३.५१ | १६.३५ |
| मूल्य ह्रास आरक्षण निधि के लिये राजस्व में ली गयी राशि : | ४५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६७.०० |
| कुल | ३६८.९३ | ४१२.५४ | ४०९.०६ | ४२९.०९ |
| कुल रेलवे राजस्व | ८७.८७ | ८६.४८ | ९२.१८ | ६५.०१ |
| सामान्य राजस्व की अदायगी : | | | | |
| (अ) रेलवे में लगी हुई पूंजी का १९६०-६१ के लिए ४ प्रतिशत की दर पर तथा १९६१-६२ के लिए ४.२५ प्रतिशत की दर पर लाभांश | ५५.८६ | ६५.३४ | ६३.२० | ६९.३५ |
| (ब) यात्रा में किराया कर की एवज | — | १२.५० | १२.५० | १२.५० |
| कुल अतिरिक्त : | ३२.०१ | ८.६४ | १६.४८ | १३.१६ |

[1] १९६१-६२ से और उसके बाद में कुल बढ़ी हुई यातायात आमदनी में १ अप्रैल, १९६१ से रेलवे किराए में यात्री किराया कर भी सम्मिलित है। जिसके विरुद्ध रेलवे को १९६१-६६ के अवधि में सामान्य कोष को १२.५० करोड़ रुपया वार्षिक देना होगा।

: २४ :

# पुनर्वास

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास का विशाल कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है। परिणामस्वरूप पुनर्वास मंत्रालय का शेष कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वाणिज्य और उद्योग आदि अन्य मंत्रालयों को सौंपा गया है। १९६१-६२ के अन्त में पुनर्वास पर ३७९.२९ करोड़ रुपये व्यय हुए।

पश्चिमी क्षेत्र के विस्थापितों के मुआवजे सम्बन्धी ५ लाख मामलों में से १९६१ के अन्त तक सिर्फ ७००० मामले निपटाने को रह गए थे। अब यह कार्य अपनी परिणति के अन्तिम चरण पर पहुंच चुका है।

## पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

**शिविर :** १९६१ में पश्चिमी बंगाल में शिविरों की जनसंख्या घटकर ७७,१७७ रह गई और परिणामस्वरूप ६७ शिविर बन्द कर दिये गये। १ जनवरी, १९६२ को पश्चिम बंगाल के ५ शिविरों में ३,१०९ परिवार थे, जिनमें कुल मिलाकर १२,३०६ व्यक्ति है। इनमें से ३,१०९ परिवार, लगभग १,०८० खेती-बाड़ी न करने वाले लोग, अन्य पुनर्वास केन्द्रों में फरवरी, १९६२ के अन्त तक भेज दिये गये और शेष २०,२९ ऐसे परिवार जिनको दीर्घकालीन मदद की जरूरत है, सेवा-शिविरों में भेज दिये गये हैं। अन्य तीन कैम्प बन्द किये जा चुके है और एक कैम्प को एक सेवागृह के रूप में बदला गया है। फरवरी, १९६२ के अन्त में केवल एक शिविर चल रहा था जो कि कुछ दिनों बाद बन्द हो गया।

**सेवा-गृह :** २८ फरवरी, १९९२ को पश्चिम बंगाल के चार स्थायी और एक अस्थाई सेवागृहों में लगभग ३० हजार व्यक्ति थे।

**पुनर्वास :** १९६१ में पूर्वी पाकिस्तान में ६,४४५ विस्थापित परिवारों को ९.४६ लाख रुपये की सहायता दी गई। अभी तक भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार के विभिन्न राज्यों में १९४.३४ करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

## गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

१९६०-६१ के अन्त में पूर्वी क्षेत्र में लगभग ६३० गैर-सरकारी शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक संस्थाओं को विस्थापितों की सहायतार्थ ३४३ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। १९६१-६२ में पूर्वी पाकिस्तान के ३६० विस्थापितों को रोजगार दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल परिवहन निगम को १७.२५ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

## विस्थापित राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति

पश्चिम बंगाल में बसे हुए पूर्वी पाकिस्तान के कुछ राजनैतिक पीड़ितों ने सरकार से अनु-

रोध किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त कुछ अन्य सहायता भी मिलनी चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद निश्चय किया गया कि राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने के सामान्य प्रश्न पर गृह-मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा और यदि वे राजनैतिक पीड़ित हैं तो उन्हें अतिरिक्त सहायता देने के प्रश्न पर पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा। इस सिलसिले में २,८२८ राजनैतिक पीड़ितों से सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से २,६२६ आवेदनों पर जांच-पड़ताल की जा रही है। १,३९८ व्यक्तियों के लिए २४.२२ लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की गई है, और शेष मामले रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि उन्हें इस स्कीम के अन्तर्गत पुनर्वास सहायता पाने के योग्य नहीं समझा गया।

## आसाम के भाषा-विवाद दंगों में पीड़ित व्यक्ति

**पुनर्वास** : जुलाई, १९६० में आसाम में भाषा-विवाद को लेकर हुए झगड़ों के कारण ३६,००० व्यक्ति आसाम छोड़कर पश्चिम बंगाल में चले आए और उन्हें राज्य सरकार द्वारा खोले गये सहायता शिविरों में इन लोगों को खाना, कपड़ा और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी गई।

आसाम सरकार का अनुमान है कि भाषा-विवाद को लेकर जो दंगे हुए उनसे विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर कुल दो करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से ५० लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और १५० लाख पुनर्वास ऋण के रूप में।

पश्चिम बंगाल के सहायता-शिविरों में आसाम से आए हुए उन लोगों को जिन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी, किन्तु जो भय के कारण अपने घर छोड़कर चले आए थे, अपने घर वापस पहुंचने पर, आसाम सरकार की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं दी गई। इन लोगों को अपने घरों में फिर से बसाने के लिए भारत सरकार ने प्रति परिवार २००) की रकम स्वीकार की है। इस काम के लिए पुनर्वास मंत्रालय ने लगभग १० हजार रुपये की एक स्कीम स्वीकार की है।

इस प्रकार भारत सरकार को आसाम के भाषा-विवाद में पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास पर लगभग १३० लाख रुपये व्यय करने पड़े हैं।

## अल्पसंख्यक सम्बन्धी मामले

पाकिस्तान द्वारा १ अप्रैल, १९६२ से ढाका में अल्पसंख्यक मामलों के कार्यालय को बन्द करने के एकतरफा फैसले को देखते हुए भारत सरकार ने भी गृह मंत्रालय से अल्पसंख्यक विभाग को बन्द करने का निश्चय कर लिया है और भविष्य में अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों पर विदेश मंत्रालय अपनी सामान्य कूटनीतिक विधि के अनुसार ध्यान देगा।

## अन्य मंत्रालयों को सौंपे गये कार्य

पुनर्वास मंत्रालय के शेष कार्य को क्रमशः अन्य मंत्रालयों को सौंपने के निर्णय के फलस्वरूप कई कार्य १९६०-६१ में हस्तांतरित किए गए।

### दण्डकारण्य

पश्चिम बंगाल के शिविरों के विस्थापितों को दण्डकारण्य भेजने की लगातार कोशिशों के

बावजूद इस काम में आशाजनक प्रगति नहीं हुई। अप्रैल, १९६१ में निश्चय किया गया कि चूंकि विस्थापित स्वयं अपनी इच्छा से दण्डकारण्य नहीं जा रहे थे, इन परिवारों को सूचित किया जाए कि यदि वे दण्डकारण्य में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें शिविर छोड़कर जाना होगा। २०० परिवारों को प्रति मास शिविरों से हटाने का निर्णय सभी परिवारों को सूचित किया गया और वर्ष के अन्त तक शिविर बन्द कर दिये गये। अभी तक दण्डकारण्य में ३,६७३ परिवार जाकर बसे हैं जिनमें कुल १८,००६ आदमी है।

मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त १,५५,००० एकड़ भूमि में से लगभग ५७,००० एकड़ भूमि के जंगल साफ किये जा चुके हैं और लगभग ३९,००० एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया है।

## पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

**मुआवजा :** ३१ दिसम्बर, १९६१ तक ५.०४ लाख विस्थापित व्यक्तियों ने मुआवजे और पुनर्वास सहायता के लिए अर्जियां दी थीं, जिनमें से ४.९७ लाख लोगों को कुल १६४.८० करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। इनमें से ५९.३७ करोड़ रुपये नकद दिये गये और शेष जायदादों के स्थानान्तरण के रूप में।

## आदिमजाति इलाकों के विस्थापित लोगों को सहायता

आदिमजाति इलाकों के २३० परिवारों को प्रति परिवार २५००) सहायतार्थ अनुदान दिया गया। इनमें से २१५ परिवारों के लिए बिल तैयार हो गये है और १९८ लोगों को रुपये भी मिल चुके हैं।

## गांवों में पुनर्वास

पंजाब में ४.७७ लाख परिवारों के निष्क्रांत आदमियों को अर्द्ध स्थाई आधार पर दिसम्बर, १९६१ तक बसाया गया था जिनमें से २,७३,३१७ व्यक्तियों को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किये गए। यह भूमि १९,७९,७३० एकड़ है और इसका मूल्य लगभग ९० करोड़ रुपये है। इसके अलावा ९१,३७९ मकानों के स्वामित्व अधिकार भी प्रदान किए गए। ३१ दिसम्बर, १९६१ तक १६,०६१ गैर-पंजाबी लोगों को ६३,०५४ एकड़ भूमि दी गई। इसके अलावा १,५६,१७३ एकड़ भूमि और बाग-बगीचे, जिनकी कीमत लगभग ३७ लाख रुपये हैं, विभिन्न राज्यों में दिये गये।

## आवास

निश्चय किया गया है कि कालकाजी के निकट २१८.३ एकड़ भूमि में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये एक कालोनी बनाई जाएगी। इस कालोनी में विभिन्न आकारों के १००० प्लाट होंगे और इसे बनाने में ३५.४८ लाख रुपये खर्च होंगे।

फरीदाबाद टाउनशिप का काम केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को सौंपा गया और फरीदाबाद विकास बोर्ड समाप्त कर दिया गया है।

## पाकिस्तान के साथ वार्ता

कार्यकरण समिति की सातवी बैठक कलकत्ता और नई दिल्ली में जुलाई, १९६१ को और आठवीं बैठक कराची में ११ से १३ सितम्बर, १९६१ को हुई। इन बैठकों में हुई बातचीत के फलस्वरूप कुछ मुख्य समस्याएं जैसे कि निष्क्रांत व्यक्तियों के बैंकों के हिसाब का तबादला और विस्थापित भारतीय बैंकों और पाकिस्तान में गैर-निष्क्रान्त संस्था के रूप में घोषणा प्राय: सुलझाई जा चुकी है।

३१ दिसम्बर, १९६१ तक लगभग तीन करोड़ रुपये की निष्क्रांत सम्पत्ति वापिस दी गई। इस तरह के ४,६०१ मामले निपटाए गए।

### व्यय

१९६१-६२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों पर ३७९.२९ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जिनका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :—

| | पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति | कुल जोड़ |
|---|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपयों में) | |
| १. अनुदान | ६२.२२ | ८४.७४ | १७७.९६ |
| २. दण्डकारण्य स्कीम | —— | १३.५२ | १३.५२ |
| ३. ऋण | २६.३४ | ४२.६३ | ६८.९७ |
| ४. आवास | ६२.८६ | ४०.७१ | १०३.५७ |
| ५. संस्थापन | २.८५ | ०.८४ | ३.६९ |
| ६. पुनर्वास उद्योग निगम | —— | ०.३५ | ०.३५ |
| ७. विविध | ०.०१ | —— | ०.०१ |
| कुल जोड़ | १८५.२८ | १८२.७९ | ३६८.०७ |
| ३१-१२-६० तक का पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण : | ७.२८ | ३.९४ | ११.२२ |
| कुल जोड़ :— | १९१.५६ | १८६.७३ | ३७९.२९ |

| १९६२-६३ की व्यवस्था नीचे लिखे अनुसार है :— | | |
|---|---|---|
| १. पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति | —— | २.५७ |
| २. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति | —— | ५.९९ |
| ३. दण्डकारण्य परियोजना | —— | ५.६५ |
| कुल जोड़ | | १४.२१ |

R.K
PRODUCTS
PRECISION PRODUCTION MACHINES
All Geared Heavy Duty UNIVERSAL MILLING MACHINE No 3.
All Geared Heavy Duty LATHES in 6', 8', 10' and 12' beds.
All Geared Heavy Duty 24 STROKE SHAPER
Surface & Cup GRINDERS Robust Designed.
SPECIAL FEATURES
• All Alignments maintained to Grade I accuracy.
• MATERIAL USED Alloy casting, heat treated and pre-heat treated constructional steel.
• Imported clutches are used.
• Machines equipped with Automatic Dimensional Indicator
• Guaranteed free service for one year after sale.
R.K
PRATAP
R.K. MACHINE TOOLS
Industrial Area A, LUDHIANA

## पाकिस्तान के साथ वार्ता

कार्यकरण समिति की सातवी बैठक कलकत्ता और नई दिल्ली में जुलाई, १९६१ को और आठवीं बैठक कराची में ११ से १३ सितम्बर, १९६१ को हुई। इन बैठकों में हुई बातचीत के फलस्वरूप कुछ मुख्य समस्याएं जैसे कि निष्क्रांत व्यक्तियों के बैंकों के हिसाब का तबादला और विस्थापित भारतीय बैंकों और पाकिस्तान में गैर-निष्क्रान्त संस्था के रूप में घोषणा प्राय: सुलझाई जा चुकी है।

३१ दिसम्बर, १९६१ तक लगभग तीन करोड़ रुपये की निष्क्रांत सम्पत्ति वापिस दी गई। इस तरह के ४,६०१ मामले निपटाए गए।

### व्यय

१९६१-६२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों पर ३७९.२९ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जिनका व्योरा नीचे लिखे अनुसार है :—

| | पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति | कुल जोड़ |
|---|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपयों में) | |
| १. अनुदान | ६२.२२ | ८४.७४ | १७७.९६ |
| २. दण्डकारण्य स्कीम | ——— | १३.५२ | १३.५२ |
| ३. ऋण | २६.३४ | ४२.६३ | ६८.९७ |
| ४. आवास | ६२.८६ | ४०.७१ | १०३.५७ |
| ५. संस्थापन | २.८५ | ०.८४ | ३.६९ |
| ६. पुनर्वास उद्योग निगम | ——— | ०.३५ | ०.३५ |
| ७. विविध | ०.०१ | ——— | ०.०१ |
| कुल जोड़ | १८५.२८ | १८२.७९ | ३६८.०७ |
| ३१-१२-६० तक का पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण : | ७.२८ | ३.९४ | ११.२२ |
| कुल जोड़ :— | १९१.५६ | १८६.७३ | ३७९.२९ |

१९६२-६३ की व्यवस्था नीचे लिखे अनुसार है :—

| | | |
|---|---|---|
| १. पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति | ——— | २.५७ |
| २. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति | ——— | ५.९९ |
| ३. दण्डकारण्य परियोजना | ——— | ५.६५ |
| कुल जोड़ | | १४.२१ |

: २५ :

# आम चुनाव

२६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान के लागू हो जाने के बाद व्यस्क मताधिकार पर आधारित तीसरा आम चुनाव फरवरी १९६२ में सम्पन्न हुआ। पहला आम चुनाव १९५२ में और दूसरा १९५७ में हुआ था।

मतदाताओं की विशाल संख्या को देखते हुए यह एक बहुत बड़ा भारी काम था। यहां तक कि चुनावों की पंजी तैयार करना एक बहुत बड़ा काम था। चुनाव आयोग एक संविहित निकाय है और उसकी निगरानी में जिस स्वाधीनता और न्याय के साथ चुनाव सम्पन्न हुए वे इन चुनावों की लोकतंत्रवादी रूप को स्पष्ट करता है। इन चुनावों में कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया और उनके उम्मीदवारों ने पक्षपात और बिना भय के चुनाव लड़ा। चुनाव के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई और सभी राजनीतिक दलों ने स्वाकार किया कि चुनाव न्यायोचित ढंग से किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस, कम्युनिस्ट जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट और स्वतंत्र पार्टी थीं। इनमें से स्वतंत्र पार्टी तीसरे आम चुनाव में पहली बार भाग ले रही थी क्योंकि उसका निर्माण दूसरे और तीसरे आम चुनाव के बीच हुआ था। कुछ पार्टियां प्रान्तीय स्तर पर काम कर रही हैं और उन्होंने कुछ प्रादेशिक समस्याओं के आधार पर चुनावों में भाग लिया जिनमें उल्लेखनीय मद्रास की द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम, पंजाब में अकाली दल और रामराज्य परिषद आदि। कुछ व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। इस चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या भी पहले की अपेक्षा बढ़ी।

४२०० लाख मतपत्रों को छापा गया और छपाई का यह काम विभिन्न राज्य में किया गया क्योंकि केन्द्रीय सरकार का मुद्रणालय अन्य कामो में व्यस्त था। मतदाताओं की कुल संख्या २१०० लाख थी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो मतपत्रों की आवश्यकता थी। एक स्थानीय विधानसभा के लिए और दूसरा लोकसभा के लिए। मतपत्रों की छपाई में लगभग ७०० टन कागज़ खर्च हुआ। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लगभग १० लाख कर्मचारी चुनाव सम्बन्धी कार्यों में लगे रहे। सारे देश में २ लाख ४० हज़ार मतदान-केन्द्र स्थापित किए गए। प्रत्येक मतदान केन्द्र में औसतन एक पुलिस मैन और एक होम-गार्ड सैनिक को तैनात किया गया। इसके अलावा अनहोनी का मुकाबला करने के लिए पुलिस के दस्ते तैयार रखे गए थे।

तीसरा चुनाव १६ फरवरी से २५ फरवरी तक एक सप्ताह चलता रहा और चुनाव के नतीजे २५ फरवरी से प्रकाशित होने लगे और ३ मार्च तक समस्त परिणामों की घोषणा की गई। इस आम चुनाव की विशेषता यह थी कि इस बार द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नही थे क्योंकि ये संसद के एक एक्ट द्वारा समाप्त किए जा चुके थे।

गत चुनावों की भांति कांग्रेस को सभी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में बहुमत

प्राप्त हुए और कांग्रेस की सरकारें बनाई गईं। इस चुनाव में केरल और उड़ीसा राज्य ने भाग नहीं लिया था क्योंकि इन राज्यों में मध्यावधि चुनाव हो गए थे। इन राज्यों ने केवल लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवार चुने।

१९६२ में लोकसभा के लिए ५३.५३ प्रतिशत मतदान हुआ था। १९५७ के चुनाव में यह ४६.६० प्रतिशत था और १९६२ में कांग्रेस को ४५.६० प्रतिशत, १९५७ में ४७.७८ प्रतिशत था। इस बार प्राप्त मतों में कुछ कमी थी।

लोकसभा में अन्य दलों और विगत दो चुनाओं में प्राप्त मतों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है।

| | १९५७ | १९६२ |
|---|---|---|
| कम्युनिस्ट पार्टी | ८.९२ | ९.९६ |
| पी० एस० पी० | १०.४१ | ६.८२ |
| जनसंघ | ५.९३ | ६.४२ |
| स्वतंत्र पार्टी | — | ७.६६ |

इस प्रकार प्रजा शोसलिस्ट पार्टी को १९६२ की अपेक्षा कम मत प्राप्त हुए जबकि स्वतंत्र पार्टी को जनसंघ और पी० एस० पा० दोनों से अधिक मत प्राप्त हुए।

राज्य विधानसभाओं में १९६२ में ५३.५८ प्रतिशत और १९५७ में ४७.२८ प्रतिशत मतदान हुआ। कांग्रेस को १९६२ में ४४.३३ और १९५७ में ४६.३३ प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस बार विधानसभाओं में भी कांग्रेस की शक्ति कुछ कम हुई है।

१९५७ और १९६२ के चुनावों में अन्य राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त मतों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

| | १९५७ | १९६२ |
|---|---|---|
| कम्युनिस्ट पार्टी | ८.०४ | ८.५८ |
| पी० एस० पी० | ९.६६ | ७.०० |
| जनसंघ | ३.९२ | ६.१३ |
| स्वतंत्र पार्टी | — | ७.४२ |

यहां भी स्वतंत्र पार्टी ने प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ से अधिक मत प्राप्त किए।

१९५७ के चुनाव में २५,८६,१६,५३३ मतों की कुल संख्या थी जिनमें से १२,३४,६१,८८० मत डाले गए, जबकि १९६२ के चुनाव में कुल मतों की संख्या २१,४५,२०,१६८ थी और ११,९५,३०,७७५ मत डाले गए थे।

नीचे की तालिका में लोकसभा में प्रमुख दलों और राज्यों से प्राप्त मतों का विवरण दिया हुआ है :

| राज्य | कुल | कांग्रेस | पी० एस० पी० | सी पी आई | जनसंघ | स्वतंत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र | ४३ | ३४ | — | ७ | — | — |
| आसाम | १२ | ९ | २ | — | — | — |
| बिहार | ५३ | ३९ | २ | १ | — | ७ |
| गुजरात | २२ | १६ | १ | — | — | ४ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केरल | १८ | ६ | — | ६ | — | — |
| मध्य प्रदेश | ३६ | २४ | ३ | — | — | — |
| महाराष्ट्र | ४४ | ४१ | १ | — | — | — |
| मद्रास | ४१ | ३१ | — | २ | — | — |
| मैसूर | २६ | २५ | — | — | — | — |
| उड़ीसा | २० | १४ | १ | — | — | — |
| पंजाब | २२ | १४ | — | — | ३ | — |
| राजस्थान | २२ | १४ | — | — | १ | ३ |
| उत्तर प्रदेश | ८६ | ६२ | २ | २ | ७ | ३ |
| प० बंगाल | ३६ | २२ | — | ६ | — | — |
| दिल्ली | ५ | ५ | — | — | — | — |
| हि० प्रदेश | ४ | ४ | — | — | — | — |
| मनीपुर | २ | १ | — | — | — | — |
| त्रिपुरा | २ | — | — | २ | — | — |
| | ४९४ | ३६१ | १२ | २९ | १४ | १८ |

जहां तक राजनीतिक दलों की शक्ति और लोकप्रियता तथा राजकीय विचारधारा में अन्य प्रवाहों का प्रश्न है, इस चुनाव से कुछ बातों का पता चलता है। कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता कायम रखी है, यद्यपि यत्रतत्र कांग्रेस की शक्ति में कमी आई है। इसका कारण कांग्रेस की नीतियों में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाना नही बल्कि कांग्रेसजनों की आपसी फूट है। तीसरे आम चुनाव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है जिसका कारण सम्भवतः एक ऐसी स्पष्ट नीति का अभाव था जो कि जनता को उस पार्टी की ओर आकृष्ट न कर सकी। कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के कुछ भागों में खास तौर पर आन्ध्र में कुछ अधिक शक्ति प्राप्त की है। किन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात स्वतंत्र पार्टी का उदय है जिसने पहली ही बार में कांग्रेस के सिवा बाकी सभी दलों को परास्त कर दिया है। राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र पार्टी की शक्ति अन्य सभी दलों से अधिक है और लोकसभा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी सब से उनकी संख्या ज्यादा है।

इस चुनाव से सिद्ध हो गया है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। मतदाताओं ने सुव्यवस्थित ढंग से पेश आकर अपने लोकतंत्रवादी परिपाटी की इच्छा का परिचय दिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने पिछले १५ वर्षों में तीन आम चुनाव सम्पन्न किए और साथ-साथ कई मध्यावधि चुनाव भी किए और कहना न होगा कि यह चुनाव पूरी सचाई और ईमानदारी से किए गए। जिसकी आलोचना कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक दलों तक ने नहीं की। आज भारत का लोकतंत्र एक स्वप्न नही बल्कि एक हकीकत है, एक ठोस हकीकत जो कि तथ्यों से सिद्ध हो गया है।

# सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता

इस वर्ष गांधीजी के जन्म-दिवस पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आरम्भ हुए दस वर्ष हो चुके होंगे। इस अल्पावधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने बहुत प्रगति की है और ग्रामीण भारत का रूप-रंग बदलने का भरकस यत्न किया है।

अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में देश के ८३ प्रतिशत गांव आ चुके हैं और अक्टूबर, १९६३ तक समूचा देश इस कार्य की परिधि में आ जाएगा। इस वर्ष फरवरी मास तक यह कार्यक्रम ४,१६,४०० ग्रामों में पहुंच चुका था जिनकी आबादी २३.१७ करोड़ थी।

पंचायती राज के सूत्रपात से अब यह कार्यक्रम पंचायतों के हाथ में आ गया है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसे अमल में लाया जा रहा है। सभी प्रमुख आयोजन और विकास कार्यों के लिए विकास खण्ड क्रमशः प्राथमिक इकाई के रूप में बनते जा रहे हैं।

## पंचायती राज

पंचायती राज ने भारत के ग्रामवासियों के जीवन को एक नई राह दिखाई है जो कि सदियों से आर्थिक शोषण और उत्पीड़िन के शिकार होते आए थे। लोकतंत्र की आधारशिला, विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की यह नीति आज भारत के आठ राज्यों में अपनाई गयी है जिनकी आबादी कुल देश की आबादी का ६५ प्रतिशत भाग है। अन्य ६ राज्यों में भी पंचायती राज आरम्भ करने के लिए ज़रूरी कानून जारी किये जा चुके है और इस वर्ष के अन्त तक सभी राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा होगा। पश्चिम बंगाल और केरल में इस कार्यक्रम के निमित्त आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पंचायती राज की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में यह पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इन जन-संस्थाओं को क्रमशः सभी बड़े अधिकार सौंपे जाएं।

पंचायतों की प्रगति में आर्थिक अभाव बड़ी बाधा थी। इस अभाव को दूर करने क लिये अब कानून में उचित व्यवस्था की गयी है कि पंचायती राज की संस्थाओं को राजस्व एकत्र करने का भी अधिकार हो। भविष्य में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार होगा। पंचायतों द्वारा नए उद्योग आरम्भ किये जाने की बात पर भी विचार किया जा रहा है ताकि उन्हें आमदनी का एक जरिया मिल सके।

पंचायती राज की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दो अध्ययन दल स्थापित किये गए हैं। एक अध्ययन दल श्री के-सन्थानम् संसद्-सदस्य की अध्यक्ष में पंचायतों के साधनों से सम्बन्धित सभी समस्याओं का अध्ययन कर, जरूरी सिफारिशें पेश करेगा। दूसरा अध्ययन दल जिसके अध्यक्ष श्री आर० आर० दिवाकर हैं, ग्राम-सभाओं में सक्षम कार्य-संचालन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करेगा।

## सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और गांवों में उद्योगीकरण लाना है। इस क्षेत्र में काफी प्रगति की गयी है और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों को आवश्यक सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज-कल्याण के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय प्रगति की है।

कृषि सुधार के लिए सुधरे हुए बीज, आधुनिक औजार और रासायनिक खाद आदि विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा काश्तकारों को दिये जाते हैं। विभिन्न इलाकों में काश्त के बेहत्तर तरीकों को काम में लाने के लिये प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं। पशुधन में सुधार लाने की दृष्टि से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की गयी है। इसके अलावा मुर्गीपालन और मधु-मक्खी पालन को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि गांव की जनता अपनी आय में वृद्धि कर सके। ग्राम पंचायतों को गांवों की जलाशयों की मछलियों का अधिकार प्राप्त हो गया है और इससे मछलीपालन उद्योग को बढ़ावा मिला है। इन वर्षों में सिंचाई की छोटी योजनाओं में भी विस्तार किया गया है। दस राज्यों में इस तरह के कामों और उनके रख-रखाव का इन्तजाम ग्राम-पंचायतों को सौंपा जा रहा है।

ग्रामोद्योग के विकास के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के विकास के लिए जिस धन की व्यवस्था की गयी है उसका ७५ प्रतिशत भाग गांवों में लगाया जाएगा। तीसरी योजना की अवधि में इन इलाकों में ३०० छोटी औद्योगिक बस्तियां स्थापित किए जाने का विचार है।

महिला और बाल-हित कार्यक्रम अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और महिला समितियों तथा बालवाड़ियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त एक त्रिसूत्री जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें (१) स्कूल के बालकों के स्वास्थ्य और आहार का प्रबन्ध, (२) प्रसूती और बाल-हित और (३) सफाई-सुथराई शामिल है। गांवों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल बड़ी तादाद में खोले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा और जनजाति कल्याण तथा आवास और संचार सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन से ज्ञात हुआ है कि समाज में जो कमजोर लोग हैं वे इस कार्यक्रम से पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल स्थापित किया गया जिसने गत वर्ष अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समय इस रिपोर्ट पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। सामुदायिक विकास पंचायती राजा और सहकारिता मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और जानना चाहा है कि सामुदायिक विकास आय-व्ययक में किस प्रकार इन कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य सरकारों ने आश्वासन दिलाया है कि समाज के इस दुर्बल वर्ग को ऋण प्राप्ति आदि में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि कृषि, पशुपालन, शिक्षा, दस्तकारी, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में उन्नति हो सके।

**प्रशिक्षण :** चूंकि, इन विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए पढ़े-लिखे और काम सीखे लोगों की जरूरत है। प्रशिक्षण कार्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कई संस्थाएं प्रशिक्षण कार्य कर रही हैं।

पंच, सरपंच और पंचायतों के अन्य कार्यकर्ताओं के लिये सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशियों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है। कोलम्बो प्लान और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कई विदेशी अधिकारी और गैर-अधिकारी लोग इस देश में प्रशिक्षण पा रहे है।

इस कार्य क्रम को सफल बनाने के लिए गावों में नेतृत्व पैदा करना सर्वाधिक आवश्यक है। अतः सरपंचों, पंचों तथा अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये १०० पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जा चुका है।

हाल में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन का अनुसंधान करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जाए जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर निरीक्षण रखेगी। अन्ततः पंचायती राज के कार्यकर्त्ताओं के शिक्षण-प्रशिक्षण का भार जनता की इन सस्थाओं के हाथ में ही आने वाला है। इस स्कीम के अन्तर्गत ३० लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनमें दो लाख पंचायतों के सदस्य होंगे। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तथा युवकों और महिला कार्यकर्ताओं को भी सघन प्रशिक्षण देने का विचार है।

## सहकारिता

सहकारिता के क्षेत्र में सभी दिशाओं में प्रगति की गयी है, विशेषतः कृषि सम्बन्धी ऋण के मामले में। १९६०-६१ के अन्त में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की सख्या २.१२ लाख थी जबकि गत वर्ष केवल २.०५ लाख थी। १९५९-६० में इन समितियों की परिधि में ६८ प्रतिशत ग्रामीण इलाकों पर २० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती थी जब कि इस वर्ष क्रमशः ७५ प्रतिशत ग्रामीण इलाके और २६ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या सहकारिता की परिधि में आ गयी है। १९६०-६१ में इन समितियों के सदस्यों की संख्या १६९ लाख थी जो गत वर्ष से १७ प्रतिशत अधिक थी।

१९६०-६१ में सहकारी समितियों की शेयर पूंजी ५७.५ करोड़ रुपये थी जो कि गत वर्ष से १० करोड़ रूपये अधिक थी। इन समितियों ने गत वर्ष ११.८ करोड़ रुपये एकत्र किए थे जब कि इस वर्ष १४.८ करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। आलोच्य अवधि में इन सरकारी समितियों की कुल कार्यकारी पूंजी २७३ करोड़ रुपये थी जबकि गत वर्ष २२३ करोड़ थी।

सरकारी समितियों के साधन बढ़ने से वे १९६०-६१ में पहले से ३२ करोड़ रुपये अधिक ऋण अपने सदस्यों को दे पाईं। ऋण की कुल २०३ करोड़ रुपये की राशि में से २० करोड़ रुपये मध्यावधि ऋणों के रूप में दिये गये।

**कृषि-ऋण :** प्रारम्भिक कृषि ऋण सरकारी समितियों में से एक-चौथाई समितियां ऐसी हैं जिन्होंने ऋण के अतिरिक्त सहायता देने का कार्य किया और उन्होने इस वर्ष ३५ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएं वितरित कीं। इसमें से १०.२८ करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुएं हैं। कृषि-

सम्बन्धी सामग्रियों और रासायनिक खाद को विशेष महत्व दिया गया। १५.३ करोड़ रुपये की रासायनिक खाद और ६१ करोड़ रुपये के बीज बांटे गये।

अभी तक सहकारिता में ऋण-सम्बन्धी पहलू को प्रमुखता प्राप्त हुई थी लेकिन अब सेवा सहकारी समितियों और प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग सहकारी समितियों को समृद्ध बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। नई समितियों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा कमजोर सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की पूरी ओशिश की जा रही है।

सहकारी ऋण-सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार करने के बाद अपना निर्णय राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है। इन सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने भी कुछ जरूरी कदम उठाये हैं जिससे आशा है कि सरकारी ऋण को बहुत बल मिलेगा।

नई मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समितियों के संगठन के अतिरिक्त उनके कार्यों की परिधि को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब ऋण को बिक्री के साथ सम्बन्धित किया जा रहा है ताकि काश्तकार महाजनों और बिचौलियों के चंगुल से बच सकें। मार्केटिंग सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और विस्तार के लिए अन्ततः जिम्मेदार बनाया जाना है।

**सहकारी कृषि** : छोटी आराजियों, बेकार जन-शक्ति और कम उत्पादन और कम पैदावार की समस्याओं का हल सहकारी खेती में ही मिलता है। यह कार्यक्रम अभी आरम्भ ही हुआ है लेकिन इसे लेकर एक ओर लोगों में बहुत दिलचस्पी है तो दूसरी ओर काफ़ी विरोध भी हुआ है।

१९६१-६२ में ६४ चुने हुए जिलों में २२४ सहकारी कृषि समितियों में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की गयीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की ३२०० प्रायोगिक समितियों की स्थापना की व्यवस्था है जिसके लिए ५.३८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। फरवरी, १९६२ तक गैर-प्रायोगिक परियोजना के इलाके में ३८० सहकारी कृषि समितियां संगठित की गयीं। ३० जून १९६१ के अन्त तक २,४७५ सम्मिलित और सामूहिक कृषि समितियां स्थापित की गयीं। किन्तु वे निर्दिष्ट अवधि अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हैं।

सहकारी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सुयोग्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। पूना में सहकारिता संबंधी उच्चाधिकारियों का पाठ्यक्रम चालू है। इसके अलावा विभिन्न प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारी विक्रय आदि विषयों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इन के अलावा विशेष प्रशिक्षण के लिये कुछ तदर्थ कार्यक्रम भी तैयार किये जा रहे हैं। गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अल्पावधि पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं।

सहकारी आन्दोलन के पुनरावलोकन से प्रतीत होता है कि प्रगति सदा ही एक समान नहीं हुई है। मुख्यतः ऋण-सम्बन्धी पहलू पर जोर दिया गया है। इस असंतुलन को दूर करना जरूरी है। आरम्भ में सहकारिता आन्दोलन से बड़े किसानों को ही लाभ होता था। यह प्रवृत्ति अब दूर की जा चुकी है।

सहकारी समितियों को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है ताकि वे छोटे काश्तकारों को उचित ऋण दे सकें। सहकारी कृषि समितियों का लाभ पूरी तरह उठाया जा रहा है। जहां-जहां ये कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

टेक्नीकल, प्रशासकीय और वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और तीसरी योजना में उपभोक्ता, श्रम और निर्माण सहकारी समितियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

देश के सहकारी आन्दोलन को स्वचालित बनाने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के सुदृढ़ संगठनों का निर्माण-कार्य होगा।

---

: २७ :

# संसदीय मामले

देश का सर्वोच्च बैधानिक निकाय संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदन हैं। दोनों निर्वाचित निकाय हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन दोनों सदनों में हमारे प्रतिनिधियों ने जो वैधानिक कार्य किए हैं उसे देखकर पता चलता हैं कि देश में लोकतंत्र अधिकाधिक प्रगति करता जा रहा है। संसद को जो कार्य करना होता है और देश के प्रशासन के निमित जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका उल्लेख नीचे दिया गया है।

## संसद के अधिवेशन

१९६१ में लोकसभा के तीन अधिवेशन और राज्यसभा के पांच अधिवेशन हुए।

संविधान की धारा ८७ के अनुसार राष्ट्रपति ने १४ फरवरी, १९६१ को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को अधिवेशन के आरम्भ में सम्बोधित किया।

## वैधानिक कार्य

आलोच्य अवधि में वैधानिक कार्य बहुत अधिक किया गया। गत वर्ष के १६ अधिकृत विधेयकों के अतिरिक्त ६२ नए विधेयक पेश किए गए : ५४ लोकसभा में और ८ राज्यसभा में। इस वर्ष के अन्त में १५ सरकारी विधेयकों को स्वीकृत किया गया—१२ लोकसभा में और ३ राज्य सभा में। इन विधेयकों में से धार्मिक ट्रस्ट विधेयक, १९६० दोनों सदनों की एक सम्मिलित समिति के विचारार्थ हैं।

आलोच्य वर्ष में संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक ९ मई, १९६१ को हुई जिसमें दहेज निषेध विधेयक पर मत प्राप्त किए गए क्योंकि दोनों सदनों ने विधेयक में कुछ संशोधनों पर मतभेद प्रकट किया था।

९ मई, १९६१ को सम्मिलित बैठक में स्वीकृत विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति २० मई १९६१ को प्राप्त हुई।

इस वर्ष राष्ट्रपति ने तीन अध्यादेश जारी किए जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए संसद ने उपयुक्त कार्यवाही की।

## निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक

इस वर्ष लोकसभा में १८ और राज्यसभा में १० कुल २८ नए विधेयक निजी सदस्यों ने पेश किए। सरकार ने जनमत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी विधेयकों के वितरण का प्रस्ताव स्वीकार किया :

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—श्री ए० एस० सरहदी

(२) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक—श्री पी० सुबैया अम्बलम

(३) संविधान (संशोधन) विधेयक से अनुच्छेद २२६—श्री सी० आर० पट्टाभिराम

(४) संविधान (संशोधन) विधेयक-अनुच्छेद २२६—श्री सी० आर० नरसिंहम्

यद्यपि इस वर्ष संसद का अधिकाँश समय वैधानिक और वित्तीय कार्यों को पूरा करने में बीता फिर भी सँसद ने अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी अपना ध्यान दिया। इस वर्ष संसद के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार किया गया। संसद के दोनों सदनों ने भारत सरकार की विदेशी नीति का समर्थन किया। पंचायती राज के कार्य-संचालन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चौथी रिपोर्ट, देश में कोयला और चीनी का उत्पादन और उपलब्धि, यूरोपियन साझा बाजार में ब्रिटिश सरकार के शामिल होने का निर्णय और मास्टर तारासिंह व स्वामी रामेश्वरानंद के उपवासों से पैदा हुई स्थिति आदि कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया।

## ब्लिट्ज का मामला

भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार एक समाचारपत्र के सम्पादक को लोकसभा में सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन और सदन की मानहानि के लिए बुलाकर भर्त्सना दी गयी। ब्लिट्ज साप्ताहिक पत्र के सम्पादक ने संसद में आने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में अपील की किन्तु उसकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी गयी। संसद ने इस सम्मापक को एक नियत समय में संसद के सम्मुख पेश होने के लिए बाध्य किया।

विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रीय रेलों के लिए बनाई गई २७ अनौपचारिक सलाहकार समितियां १९६१ में अच्छा काम करती रहीं।

## औपचारिक सलाहकार समितियां

१९४७ में आज़ादी पाने के बाद ये समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करती रहीं। सामान्यत: निम्नलिखित मामले इन समितियों के पास भेजे जाते हैं :

(१) संसद में पेश किए जाने के लिए सभी प्रस्तावित निजी विधेयक और कानूनी सुझाव जिन्हें कि सम्बन्धित मंत्रालय हाथ में लेना चाहते हैं।

(२) समितियों और आयोगों की रिपोर्टें (विभागीय समितियों की अप्रकाशित रिपोर्टें इसमें सम्मिलित नहीं हैं) जिनमें कि वेतन मंडल के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता।

(३) सामान्य नीति और वित्तीय सुझावों से सम्बन्धित बड़ी स्कीमें।

(४) वार्षिक रिपोर्टें।

(५) सम्बन्धित मंत्री की स्वीकृति पर समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न समिति का एक सदस्य विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत कर सकता हैं।

इन समितियों के सदस्यों की बढ़ती हुई रुचि तथा सदस्यों और मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किए गए उपयोगी कार्य तथा सरकरी नीतियां तथा सार्वजनिक प्रशासन के सिद्धान्तो-समस्याओं और कार्य के सम्बन्ध में औपचारिक विचार-विमर्श के जरिए सदस्यों को अधिक से अधिक जानकारी देना—इन सब बातों को सामने रखते हुए समितियों की सदस्यता को बढ़ाया गया है और सभी संसद के सदस्यों के लिए समितियों के द्वारा खुले रखे गए। इन समितियों की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ रही है। १९६१ में संसदीय मामलों के

मन्त्री द्वारा निर्धारित विभिन्न समितियों आदि में नियुक्ति के लिए से लोक सभा के २०७ और राज्य सभा के १६२ सदस्यों को स्वीकृति दी गई ।

## आश्वासन

आलोच्य वर्ष में मंत्रियों द्वारा दोनों में सदनों दिए गए १२४४ आश्वासनों में से ७६९ आश्वासनों को इस वर्ष पूरा किया गया ।

इस वर्ष दिए गए आश्वासनों से सम्बन्धित रिपोर्टों को कार्यान्वित किए जाने के अलावा पहले वर्ष में दिए गए ४६४ आश्वासन क्रियान्वित किए गए और इनसे सम्बन्धित रिपोर्टें दोनों सदनों में पेश की गई ।

इस विभाग ने दूसरी लोकसभा के समूचे काल में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की । दूसरी लोकसभा के १५वें अधिवेशन में मंत्रियों द्वारा दिए गए ४३२३ आश्वासनों में से ४१९० आश्वासन मार्च, १९६२ को सदन की समाप्ति से पहले क्रियान्वित कर दिए गए । इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से लोकसभा को दिए गए आश्वासनों और बचनों में से लगभग ९७ प्रतिशत पूरे किए गए ।

## संसद सदस्यों की यात्राएं

आलोच्य वर्ष में इस विभाग ने संसद सदस्यों के कई दलों ने, विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं और सार्वजनिक महत्व के स्थानों की यात्राएं कीं ।

वित्त मंत्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समिति से सम्बन्धित संसद के सदस्य नई दिल्ली स्थिति भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था को देखने गए और वहां उन्होंने विशेष पुर्नगठन इकाई पर ध्यान किया । परिवहन और संचार तथा रक्षा मंत्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों के सदस्यों को भारतीय उद्योग मेले में १९६१ में स्थापित पी एन टी और रक्षा मण्डपों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया ।

## प्रशासन

यह विभाग मंत्रिमण्डल पद के स्तर के मंत्री जो कि संसदीद मामलों के मंत्री हैं, की देखरेख में कार्य करता है । यह मंत्री सरकारी चीफ़ व्हिप भी हैं और उनकी सहायता के लिए दो डिप्टी चीफ व्हिप और कार्य करते हैं ।

## संसद का अन्तिम अधिवेशन

भारतीय संसद का मार्च, १९६२ का अधिवेशन १२ मार्च, १९६२ से ३० मार्च, १९६२ तक चला । १९५७ में आम चुनावों के बाद पुनः दूसरी लोकसभा का यह अन्तिम अधिवेशन था । दूसरी लोकसभा ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हो गयी । १२ मार्च को राज्यसभा का ३७ वां अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन राष्ट्रपति ने ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त किया ।

यह अधिवेशन वर्ष का पहला अधिवेशन था जो कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ हुआ । पिछली संसद के सदस्यों की राष्ट्रपति ने सराहना की और आशा प्रकट की कि वे जहां कहीं भी रहेंगे राष्ट्रीय निर्माण के विशाल कार्य में पूरी तरह से सहयोग देते रहेंगे । उनकी योग्यता और अनुभव का प्रयोग देश और देशवासियों की सेवा में होता रहेगा । राष्ट्रपति ने

तीसरी पंचवर्षीय योजना की चर्चा की और कहा कि इसका आरम्भ बहुत अच्छे ढंग से हुआ है।

मार्च, १९६२ का संसद का अधिवेशन मुख्यतः समाप्त हो रही लोकसभा से आगामी तीन माह के आवश्यक खर्चों के लिए, जब तक कि नई लोकसभा का आरम्भ न हो, और उस द्वारा बजट स्वीकृत न हो जाए, सदन की स्वीकृति पाने के लिए बुलाया गया। यद्यपि अधिवेशन का अधिकांश समय रेल बजट और सामान्य बजट तथा इन दोनों बजटों के लिए तीन माह की स्वीकृति पाने के विचार-विमर्श पर लगा फिर भी, इस अधिवेशन में कुछ आवश्यक वैधानिक उपाय भी स्वीकार किए गए।

संसद ने गोवा-दमण और द्विव के लिए जो कि पुर्तगाल के शासन से मुक्त हुए थे, संविधान (१२ वां संशोधन) विधेयक भी स्वीकार किया। प्रधान मंत्री ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुर्तगाली भारत में अंग्रेजों की मदद से रहते चले आए थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम समूचे भारत के लिए था, जिनमें फ्रांस और पुर्तगाल के शासन के अन्तर्गत भारतीय प्रदेश भी सम्मिलित थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त फ्रांस सरकार ने अपनी बस्तियों को भारत सरकार को सौंपना स्वीकार कर लिया किन्तु पुर्तगाल इस सम्बन्ध में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोवा में हुई हाल की घटनाओं ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह जरूरी कदम उठाए। गोवावासियों ने भारत की सेना का स्वागत किया। अब गोवावासी अपनी मातृभूमि के अंग बन गए हैं। गोवा को संविधान की अनुसूचि (१) में स्थान दिया गया है। सदन के सभी वर्गों ने विधेयक का सर्व-सम्मति से समर्थन किया। सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ देर से की गई कार्यवाही की कुछ लोगों ने आलोचना भी की।

संसदीय मामलों के मंत्री ने ४०१ वक्तव्य (३५८ लोक सभा में और ४३ राज्यसभा में) प्रस्तुत किए जिनमें यह बताया गया था कि सरकार की ओर से संसद के विभिन्न अधिवेशनों में दोनों सदनों में दिए गए विभिन्न मंत्रियों द्वारा आश्वासनों और वचनों को पूरा करने के लिए कई कार्य किए गए हैं। ३०-३-६२ को मंत्री ने लोक सभा के समक्ष एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा के १५ अधिवेशनों में दिए गए आश्वासनों में से ६७ प्रतिशत को सरकार ने पूरा कर दिया है।

only the LOOK
is expensive
the PRINTS
are not
TATA Textiles

## भारत सरकार

**राष्ट्रपति** : डा० एस० राधाकृष्णन्

**उप-राष्ट्रपति** : डा० ज़ाकिर हुसैन

| मंत्री | पद |
|---|---|
| श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री | विदेश मंत्रालय, और आणविक शक्ति |
| श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई | वित्त |
| श्री जगजीवन राम | परिवहन और संचार |
| श्री गुलजारीलाल नंदा | योजना, श्रम और रोज़गार |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी | बिना विभाग के मंत्री |
| श्री लालबहादुर शास्त्री | गृह |
| श्री स्वर्णसिंह | रेल |
| श्री के० सी० रेड्डी | वाणिज्य और उद्योग |
| श्री वी० के० कृष्णना मेनन | प्रतिरक्षा |
| श्री एस० के० पाटील | खाद्य और कृषि |
| हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम | सिंचाई और विद्युत |
| श्री अशोककुमार सेन | कानून |
| श्री केशवदेव मालवीय | खान एवं ईंधन |
| श्री बी० गोपालारेड्डी | सूचना और प्रसारण |
| श्री सी० सुब्रमण्यम् | इस्पात और भारी उद्योग |
| डा० कालूलाल श्रीमाली | शिक्षा |
| श्री हुमायूं कबीर | वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य |
| श्री सत्यनारायण सिन्हा | संसदीय कार्य |
| **राज्य मंत्री** | |
| श्री मेहरचन्द खन्ना | निर्माण, आवास और संभरण |
| श्री मनुभाई शाह | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार |
| श्री नित्यानंद कानूनगो | उद्योग |
| श्री राजबहादुर | जहाजरानी |
| श्री एस० के० डे | सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार |
| डा० सुशीला नैयर | स्वास्थ्य |
| श्री बी० एन० दातार | गृह |
| श्री जयसुखलाल हथी | श्रम |

| | |
|---|---|
| श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन | विदेश विभाग |
| श्री के० रघुरमैय्या | प्रतिरक्षा |
| श्री ओ० वी० अलगेसन | सिंचाई एवं विद्युत |
| श्री रामसुभग सिंह | खाद्य और कृषि |

**उप-मंत्री**

| | |
|---|---|
| श्री बलीराम भगत | वित्त |
| डा० मनमोहन दास | वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य |
| श्री शाहनवाज खां | रेल |
| श्री ए० एम० थोमस | खाद्य और कृषि |
| श्री आर० एम० हाजिरनवीस | खान और ईंधन |
| श्री एस० वी० रामास्वामी | रेल |
| श्री अहमद मोहिउद्दीन | परिवहन और संचार |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | वित्त |
| श्री पी० एस० नस्कर | निर्माण, आवास और पूर्ति |
| श्री बी० एस० मूर्ती | सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार |
| श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् | शिक्षा |
| श्री डी० आर० चाव्हण | प्रतिरक्षा |
| श्री सी० आर० पट्टभि रमन | श्रम और रोजगार और योजना |
| श्रीमती मार्गथम चन्द्रशेखर | गृह |
| श्री जगन्नाथ राव | निर्माण, आवास और पूर्ति |
| श्री शामनाथ | सूचना और प्रसारण |
| डा० डी० एस० राजु | स्वास्थ्य |
| श्री दिनेशसिंह | विदेश विभाग |
| श्री बिबुधेन्द्र मिश्रा | कानून |
| श्री बी० भगवती | परिवहन और संचार |
| श्री श्यामधर मिश्रा | सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता |
| श्री प्रकाशचन्द्र सेठी | इस्पात और भारी उद्योग |

राज्य

महिला पंचायत, मतमपल्ली, आंध्र प्रदेश

तांत्या टोपे नगर, भोपाल

औद्योगिक बस्ती सनतनगर, हैदराबाद

: २८ :

# आंध्र प्रदेश

| | |
|---|---|
| राजधानी | : हैदराबाद |
| क्षेत्रफल | : १,०५,८५८ वर्गमील |
| जनसंख्या | : ३५९.७८ लाख |
| मुख्य भाषाएं | : तेलगू और उर्दू |

यह वर्ष आंध्र प्रदेश के जन-जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष कई सुदूर प्रभ रखने वाले प्रशासकीय कार्य किए गए। अगस्त, १९६१ में ५ व्यक्तियों का एक राज्य विधि आयोग नियुक्त किया गया ताकि आंध्र प्रदेश में कानूनों की जांच-कार्य में सिफारिश की जा सके। उन कानूनों के सुधार अथवा उनकी पुनरोक्ति आदि के बारे में परामर्श दिए जाने के लिए यह आयोग भारत में अपनी किस्म का पहला निकाय है। सरकारी विभागों में तालुका के स्तर पर विभिन्न विभागों में पत्र-व्यवहार के लिए तेलगू भाषा को अपनाए जाने के कार्यक्रम में विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ये स्कीमें अब समूचे राज्य में जारी हैं। सरकारी अफसरों की वेतन-दरों में सुधार किया गया है और मंहगाई भत्ते का बड़ा भाग मूल वेतन में मिला लिया गया है जिससे कि राष्ट्रीय कोष में प्रति वर्ष २२५ लाख रुपए का व्यय बढ़ा है। सरकार के निम्न कर्मचारियो से बेहतर सह-योग प्राप्त करने के लिए एक सम्मिलित कर्मचारी परिषद् बनाई गई है। सरकार ने ७० वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन की स्कीम भी चालू की है। १९६१-६२ में इस स्कीम में १००० से ऊपर लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। शासन-तंत्र में समुचित सुधार लाने के लिए प्रशासकीय सुधार समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और उन्हें क्रिया-न्वित किया जा रहा है।

## वित्तीय स्थिति

अप्रेल से जुलाई, १९६२ में अनुमानित व्यय पूर्ति के लिए मार्च ६२ में स्वीकृति प्राप्त की गयी है। विधानसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट में राजस्व प्राप्ति १११.२२ करोड़ रुपए और व्यय ११३.३५ करोड़ रुपए दिखाई गयी है। इस प्रकार बजट में २.१३ करोड़ घाटा है। योजना तथा गैर-योजना स्कीमों पर २८.८३ करोड़ रुपए के पूंजी का परिव्यय है जबकि ऋण और पेशगी रुपए आदि देने में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत १५.४८ करोड़ रुपए व्यय होगा। इस व्यय का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है:—

| पूंजी-व्यय | (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| १. नागार्जुन सागर परियोजना | ९.०० |
| २. अन्य सिंचाई परियोजनाएं | ५.९८ |
| ३. लोक निर्माण (इमारतें और सड़कें) | ४.५४ |
| ४. औद्योगिक विकास | ४.१२ |
| ५. बिजली की परियोजनाएं | ३.९७ |
| ६. जमीदारों को मुआवजा | १.०४ |
| ७. विविध | १.१८ |
| कुल जोड़ : | २९.८३ |

तीसरे वित्तीय आयोग की सिफारिशों से आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। दूसरे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में आंध्र प्रदेश को विभिन्न केन्द्रीय करों से १६.३६ करोड़ रुपए प्राप्त होते थे। इसके अलावा संविधान की धारा २७४ (१) के अन्तर्गत ४ करोड़ रुपए प्रति वर्ष सहायतार्थ अनुदान मिलता था। अब तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, आंध्र प्रदेश को प्रति वर्ष ६.४ करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।

## राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना

राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना पर कुल ४९.९७ करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें से १६ करोड़ रुपए राजस्व खाते और शेष ३३.९७ करोड़ रुपए पूंजी खाते खर्च किए जाएंगे जिनमें सरकार के वेतन विभाग को दिए जाने वाले ऋण और पेशगी रुपए शामिल हैं। नीचे दी गयी तालिका से ज्ञात होगा कि विकास कार्य पर किस प्रकार व्यय किया जा रहा है :—

| | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| १. कृषि कार्यक्रम | १२.३७ |
| २. सिंचाई और बिजली | २९.४५ |
| ३. उद्योग और खनिज पदार्थ | ४.७६ |
| ४. सड़कें और सड़क परिवहन | २.७६ |
| ५. सामाजिक सेवाएं | ८.०९ |
| ६. विविध | ०.५९ |
| कुल जोड़ : | ४९.९७ |

उपरोक्त ४९.९७ करोड़ रुपए की कुल राशि में से १९.३३ करोड़ रुपए तेलंगाना में खर्च किए जाएंगे जबकि ३०·६४ करोड़ रुपए की शेष रकम आन्ध्र इलाकों में व्यय की जाएगी। योजना आयोग ने १९६२-६३ में ३३ करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।

## पंचायती राज

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश ने भारत के अन्य राज्यों को देखते हुए बहुत उत्साहवर्धक कार्य किए हैं। दिसम्बर, १९६१ में १४,००० पंचायती राज, ३१० पंचायत समितियां और २० जिला परिषदें कार्य कर रही थीं। अक्टूबर, १९६३ तक प्रत्येक खण्ड में पंचायत समितियां कार्य कर रही होंगी। सत्ता के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विधान को क्रियान्वित करने के लिए केवल अनुसूचित इलाकों को छोड़कर समूचे राज्य में पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि जनजातियों के लोगों को जनता की इन लोकप्रिय संस्थाओं के लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए और उन्हें पंचायती राज के कार्यों से सम्बन्धित करना चाहिए। तद्नुसार, अनुसूचित जन-जातियों के इलाकों में पंचायतें स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

## परिवहन और संचार

आन्ध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम के काम की जांच करने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने के निमित्त चार व्यक्तियों की एक समिति बनाई गयी जिसे अनंतराम कृष्णा समिति कहते थे।

इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। परिवहन निगम १२ जिलों में अपनी बसें चलाता है। इनमें से ९ जिले तेलंगाना और ३ आन्ध्र के इलाके में हैं। समूचे राज्य में बसों के राष्ट्रीयकरण का काम एक क्रमिक ढंग से किया जा रहा है। तीसरी योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश परिवहन निगम के पास आशा है कि ३,००० बसें होंगी जिनके संचालन के लिए २०,००० कर्मचारी होंगे और प्रति दिन ३,६४,००० मील लम्बा रास्ता तय किया जाएगा।

सरकारी सड़कों की कुल लम्बाई मार्च, १९६१ में १२,५५५ मील थी। जिनमें से ८,२९७ मील आन्ध्र में और ४,२५८ मील तेलंगाना में सड़कें हैं। इनके अलावा सरकार ने स्थानीय निकायों से अन्य ४९८ मील सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है।

इस समय गोमती नदी पर आलामरस के निकट, वशिष्ठ नदी पर सिद्धांतन के निकट, कृष्णा पर रंगपुर के निकट और काकेनाड़ा में नमक की झील के निकट तथा गोदावरी में भद्राचलन के निकट पुल बनाए जा रहे हैं। इन पर लगभग ४ करोड़ रुपए व्यय होगा। ये पुल १९६४ के अन्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे।

## उद्योग

हैदराबाद में भारी बिजली संयंत्र स्थापित करने का भारत सरकार का निर्णय आंध्र प्रदेश के उद्योगीकरण के लिए विशेष महत्व रखता है। दवाइयों के कारखानों के लिए प्रत्येक भूमि को समतल बनाया जा रहा है और भारी बिजली संयंत्र बैठाने के लिए भूमि को समतल बनाने का काम नागार्जुन सागर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। दवाइयों का कारखाना सोवियत संघ की मदद से बनाया जा रहा है और आशा है कि इस कारखाने में १९६४ के मध्य से उत्पादन कार्य आरम्भ हो जाएगा। इस्पात के कारखाने की स्थापना के बारे में आन्ध्र प्रदेश की इन धातुओं के नमूने जमशेदपुर की अनुसंधानशालाओं में जांच के लिए भेजे गए हैं।

चर्म उद्योग की उन्नति के लिए एक तदर्थ लेदर बोर्ड कायम किया गया है और इस संबंध में विधानसभा के समक्ष शीघ्र ही एक कानून पास किया जाना है।

शिंगरेनी कोयला कम्पनी लिमिटेड ने अपने उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है जिसके अनुसार २६.५ लाख टन प्रति वर्ष की उसकी उत्पादन क्षमता तीसरी योजना के अन्त तक बढ़कर ५६.५ लाख टन हो जाएगी। निज़ाम शुगर फैक्टरी लिमिटेड का विस्तार किया गया है और दिसम्बर, १९६१ से फैक्टरी ने काम शुरू कर दिया है। मार्च, १९६१ तक ५ औद्योगिक बस्तियां कायम करने के प्रोग्राम के अन्तर्गत ८ औद्योगिक बस्तियां कायम की गई जिन पर कुल १३८ लाख रुपये व्यय हुए हैं। इन औद्योगिक बस्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य लगभग १ करोड़ रुपया था।

निजी क्षेत्र में भारत सरकार ने बसों, लारियों और स्टेट वेगनों की बाडी काकीनाड़ा में बनाने की अनुमति दे दी है। विशाखापट्टम में लोहे का कुछ सामान बनाने की भी एक फैक्टरी के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं। गुन्टूर जिले में पाये जाने वाले मैगनेटी टाइट धातु के उपयोग तथा कोयले पर आधारित उद्योग के विकास के लिए सलाह देने के निमित्त दो समितियां बनाई गई हैं।

राज्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का कुल व्यय १९.४३ करोड़ रुपये होगा। जिनमें खनिजों के विकास का व्यय भी शामिल है। साथ ही, उसमें बड़े और माध्यमिक उद्योगों के विकास पर ६.७६ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। योजना के कुल परिव्यय को देखते हुए जो कि ३०५ करोड़ रुपये हैं। उद्योग के विकास पर कुल व्यय का ६.४ प्रतिशत भाग व्यय किया जाएगा।

**सिंचाई और बिजली** : सिंचाई की मुख्य परियोजनाओं में तुंगभद्रा परि-योजना निम्नस्तरीय नहर, प्रकाशम बराज रल्लापाडु परियोजना, भयरवनितप्पा परियोजना और ऊपरी मैनार परियोजना पूरी हो चुकी हैं और उनसे लाभ उठाया जा रहा है। राजौली बन्द डायवर्शन स्कीम और तुंगभद्रा परियोजना उच्च स्तरीय नहर तथा मध्य पैनार रेगुलेटर के काम में अच्छी प्रगति हो रही है। पौचमण्ड परियोजना का प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है और भारत सरकार की स्वीकृति पाते ही इस परियोजना पर यथाविधि कार्यारम्भ कर दिया जाएगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई अधिकांश मुख्य सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बंशधारा, नागकटी और शारदा आदि सम्बन्धी बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। गोदावरी के तट को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए मजबूत बनाया गया है।

नागार्जुन सागर परियोजना के कार्य ने बहुत अधिक प्रगति की है और यह प्रगति परि-योजना की पूर्ति तक जारी रखी जाएगी। बांध पर चिनाई का काम लगभग एक तिहाई पूरा हो चुका है और अन्य सम्बन्धित कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। इस परियोजना पर जून, १९६१ के अन्त तक ४०.७८ करोड़ रुपए व्यय हो चुका था।

कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय करने के लिए भारत सरकार ने गुलाटी आयोग की स्थापना की थी। आयोग ने आरम्भिक विचार-विनिमय के लिये मई, १९६१ में हैदराबाद का दौरा किया और राज्य सरकार तथा आयोग के सदस्यों के बीच बातचीत हुई। आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

तेलंगाना इलाके में पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार ने तेलंगाना जल-विद्युत परियोजना के निमित्त १८.५७ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है साथ ही कोठा गुंडंम जल-विद्युत परियोजना और रामगन्दम विस्तार योजना की भी स्वीकृति दी गयी है। दिसम्बर, १९६१ में विजयवाड़ा बिजलीघर का काम सरकारी नियंत्रण में आ जाने के बाद से आंध्र प्रदेश में बिजलीघरों का राष्ट्रीयकरण सम्पूर्ण हो चुका है।

## खाद्य-उत्पादन

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २६.७ लाख टन खाद्यान्न, १.१८ लाख टन गुड़, ३.५८ लाख टन तिलहन और ६०००० गांठें कपास—अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है। १९६१-६२ में

अनुमान है कि ४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन सम्भव हो सकेगा जो कि सिंचाई और भूमि विकास की कई स्कीमों के कारण सम्भव है। भारत सरकार ने १९६१-६२ में २,२६,३८० टन रासायनिक खाद्य वितरण के लिये उपलब्ध किया।

फसल में कीड़े लगने को रोकने के लिए हवाई जहाजों से दवाओं का छिड़काव लोकप्रिय बनाया जा रहा है। १९६१-६२ में लगभग ७ हजार एकड़ फसलों को इस हवाई छिड़काव का लाभ प्राप्त हुआ। भूमि-संरक्षण के कार्यक्रम ने विशेषतः नागार्जुन सागर परियोजना और मचकुन्ड नदी घाटी परियोजना के इलाकों में प्रगति की है। २७,००० एकड़ से अधिक भूमि को-कृषि योग्य बनाया गया है।

पश्चिमी गोदावरी जिलों में सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति एकड़ उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है। अतः आशा की जाती है कि आगामी पांच वर्षों के बाद हमारा उत्पादन मल लक्ष्य से अधिक बढ़ जाएगा। इस वर्ष राज्य में तीसरा कृषि कालेज तिरुपति में खोला गया। हैदराबाद के निकट एक ग्राम-विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है जिसके निमित्त एक विधेयक विधानसभा में विचारार्थ पेश है।

## पशुपालन

राज्य भर में पशुओं को बीमारियों से मुक्त करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है। राज्य के बीच परस्पर मवेशियों के आने-जाने पर निगाह रखने के लिये कई चौकियां स्थापित की गयीं। दूसरी योजना के अन्तर्गत हैदराबाद और विजयवाडा में एक दुग्ध-वितरण योजना आरम्भ की गयी। इन दोनों इलाकों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और यूनीसेफ की मदद से एक प्रायोगिक दुग्ध-वितरण केन्द्र हैदराबाद में आरम्भ किया जा रहा है। ये दोनों स्कीमें १९६२-६३ तक तूरी तरह काम करने लगेंगी।

## सहकारिता

भारत में सहकारिता सम्बन्धी मानचित्र में आंध्र प्रदेश का एक अपूर्व स्थान है। १९६० में राज्य की कुल सहकारी समितियों का ८ प्रतिशत भाग और सदस्यता का १० प्रतिशत भाग तथा कार्यकारी पूंजी में सरकार का साझा था। भूमि परियोजना में एक पूर्ण वित्तीय स्कीम जुलाई, १९६१ में शुरू की गयी। इस स्कीम के अन्तर्गत भूमि परियोजना में सभी काश्तकारों को लघु, मध्यम और दीर्घकालीन ऋण, ग्राम-सहकारी समितियों तथा भूमि रहन बैंक द्वारा उपलब्ध की जाएंगी इस स्कीम के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में ७५ लाख रुपये का दीर्घकालीन ऋण दिया जाएगा। ताकि ३०,००० एकड़ भूमि पर काश्त की जा सके। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में क्रमशः ५ लाख, १६ लाख और २४ लाख रुपये अल्पकालीन ऋण के रूप में दिये जाएंगे।

सहकारी कृषि समितियां नियुक्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं और १९६०-६१ के अन्त तक १७ सामूहिक सहकारी समितियां संगठित की गयीं। सहकारी चीनी मिलों को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और १९६०-६१ के अन्त में इस प्रकार की ९ सरकारी समितियां स्थापित हो चुकी थीं जिनकी कुल सदस्य संख्या २२,३४५ थी। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सहकारी चीनी मिलों की प्रगति की समीक्षा और उनके विकास के लिए उचित कदम सुझाने के निमित्त उच्चा-

धिकारियों की एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं।

आंध्र प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४,००० ग्राम-सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह काम उन ६०० समितियों के अतिरिक्त है जिनकी स्थापना दूसरी योजना में हुई थी। दूसरी योजना के अन्त में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी समितियों की सदस्य संख्या २० लाख थी जो कि तीसरी योजना के अंत तक बढ़कर लगभग ४० लाख हो जाएगी और इस प्रकार समूचे राज्य के कुल ग्राम-परिवारों का ६६½ प्रतिशत भाग सहकारिता की परिधि में आ जाएगा।

## स्वास्थ्य

आंध्र प्रदेश ने जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। राज्य-व्यापी चेचक उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व पश्चिमी गोदावरी जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गयी है जिसके परिणाम को आंकने के बाद इस दिशा में एक बड़ा कदन उठाया जाएगा जिसके लिए ६३.५ लाख रुपये की व्यवस्था तीसरी योजना के अन्तर्गत है। इस समय राज्य में ३३ से अधिक मलेरिया उन्मूलन इकाइयां कार्य कर रही हैं जहां तक फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का सम्बन्ध है नालियों की सफाई-सुथराई पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इस काम के लिए २८.७५ लाख रुपये की व्यवस्था है।

चेचक के टीके लगाने के कार्यक्रम के पहले दौर में १५६ लाख लोगों की जाँच की गई और करीब ५६ लाख लोगों के टीके लगाए गए। अब टीके लगाने का दूसरा दौर शुरू होगा जिसके लिए तीसरी योजना में ६ लाख रुपये की व्यवस्था है। इस समय १८ बी० सी० जी० टीके लगाने के दल काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में इस प्रकार के अन्य दो दल और तैयार किए जाएंगे। सरकार ने २०० गांवों में जिनकी जनसंख्या १ लाख के करीब है, पौष्टिक पदार्थ कार्यक्रम का विस्तार किया है। यह तीन वर्ष की कृषि योजना है। जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं से सहायता प्राप्त होगी। यह पंचायत समितियों द्वारा शिक्षण और प्रदर्शन का कार्यक्रम है।

## परिवार-नियमन

तीसरी योजना में ग्राम-परिवार-नियमन केन्द्रों के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। तदनुसार ३६० नए केन्द्र खोले जाने हैं। इसके अलावा २,४०० दाइयों को सघन प्रशिक्षण दिया जाना है ताकि वे अधिक कार्यक्षमता प्राप्त कर सकें और इस काम में ४.३ लाख रुपये खर्च होंगे। पिछड़े इलाकों में ६ प्रसूती और बाल-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं और तीसरी योजना में इस निमित्त १.५ लाख रुपये की व्यवस्था है।

## शिक्षा

सार्वजनीन निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के प्रचलन की स्कीम ६ से ७ वर्ष के बालकों के लिए चालू की जा चुकी है। यह तीसरी योजना में निर्दिष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसार ६ से ११ वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम का ही एक अंग है।

४० पूर्व प्राथमिक स्कूल और २,४०० नए प्राथमिक स्कूल तथा २६७ मिडिल स्कूल कायम

किए गए हैं। इन स्कूलों में कुल ३,९८३ नए अध्यापकों की नियुक्ति की गई है।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा मिडिल स्कूलों को उच्च-स्तरीय बनाकर १२१ हाई स्कूल स्थापित किए गए। इसी प्रकार ६८ हाई स्कूलों में बदला गया। इन संस्थाओं में लगभग ११,६०० बालक भर्ती किए गए।

आलोच्य अवधि चितूर में एक नया आर्टस और साइंस कालेज खोला गया। राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों को अपने विकास कार्यक्रम के लिए एक-मुश्त अनुदान दिया गया। इसके अलावा, इस वर्ष सार्वजनिक वाचनालयों में सुधार, दृश्य-श्रव्य शिक्षा में विस्तार, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में सुधार, शारीरिक शिक्षा में सुधार और हिन्दी की शिक्षा को व्यापक बनाए रखने के लिए कई काम किए गए।

## समाज कल्याण

तीसरी योजना में समाज के पीड़ित वर्ग की भलाई के लिए कई कार्य आरम्भ किए गए। तीसरी योजना में ३०४.६१ लाख अनुसूचित जन-जातियों, १९४.३० लाख अनुसूचित जातियों और ३८ लाख रुपये की पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था की गई है।

सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य शास्त्र और बाद की देखभाल के कार्यक्रम के अन्तर्गत चार बाद की देख-भाल के केन्द्र और चार जिला शरणालय काम कर रहे हैं। हैदराबाद और कुर्नूल में ऐसी स्त्रियों के लिए गृह खोले गए हैं जो स्वयं को नैतिक संकट में पाती हैं। ७ से १२ वर्ष के लड़कों और ७ से १८ वर्ष की लड़कियों के लिए बाल-गृह खोले गए हैं। गरीब बच्चो को इन गृहों में रखा जाता है और स्थानीय शिक्षा संस्थाओं में उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। तीसरी योजना में इस प्रकार के १६ गृह खोले जाने है। इनमें से ६ विशेषत: हरिजन क्षेत्रों के बालकों के लिए होंगे।

## श्रम और रोजगार

वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाने की कोशिश के फलस्वरूप १२ में से ९ कपड़ा मिलों ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों को मानना स्वीकार कर लिया है। ५ सीमेन्ट फैक्ट्रियों ने सीमेन्ट वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाना शुरू कर दिया है और शेष सभी चीनी की मिलें इन सिफारिशों को लागू करने जा रही हैं।

१९६१ में ३६ मजदूर मारे गये और ५४ जख्मी हुए। मजदूरों को मुआवजा देने के लिए २,२०,१४०.८५ रुपये जमा किए गए और ४,४२,८५१.८८ रुपये बांटे गये। मजदूरों को मुआवज़ा देने के कानून के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही करने के लिए मजदूरों को १,००० रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति द्वारा दी गई।

आन्ध्र राज्य द्वारा श्रम और श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत १९६१-६२ में १२ कल्याण केन्द्रों की स्वीकृति दी गई जिन पर २०.४० लाख रुपये व्यय होंगे। औद्योगिक-आवास स्कीम के अन्तर्गत तीसरी योजना में मकान बनाने के लिए ८१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हैदराबाद शहर और विशाखापट्टम में मकान बनाने का काम जारी है। अभी तक आन्ध्र प्रदेश में इस स्कीम के अन्तर्गत ४,१३६ मकान बन चुके हैं।

वाल्टेयर, हैदराबाद और तिरुपति में तीन विश्वविद्यालय रोज़गार दफ्तर खोलने की स्कीम तीसरी योजना में है जिसके अनुसार अक्टूबर, १९६१ में वाल्टेयर में विश्वविद्यालय रोज़गार दफ्तर खोला गया। इस वर्ष अनन्तपुर, चित्तूर, एलूरु, नैलौर और निजामाबाद में व्यावसायिक मार्ग-प्रदर्शन देने वाले कई केन्द्र खोले गए। १९६१-६२ में देहाती इलाकों में भी सात रोज़गार सम्बन्धी सूचना देने वाले दफ्तर खोले गए।

## पुरातत्व विभाग

पुरातत्व विभाग संरक्षण का अपना कार्य करता रहा। इस वर्ष कुडाप्पा की नवाब मीनारें, नैलोर शहर में एरुगलमा मन्दिर और कुरनूल में गोपाल राजा के महल की अवशेष राष्ट्रीय महत्व के स्मारक समझे गये और राज्य सरकारों को संरक्षण के लिए सौंपा गया। राज्य सरकार इन स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी मरम्मत करवाई। इसके अलावा ढोनगिरि किला और पाना गंल मन्दिरों में भी विशेष संरक्षण का कार्य किया गया।

---

**राज्यपाल** : श्री भीमसेन सच्चर

| | |
|---|---|
| श्री एन० संजीव रेड्डी **मुख्य मन्त्री** | गृह, सामान्य प्रशासन, राजनैतिक, वैधानिक, चुनाव, सेवाएं, समाज कल्याण और प्रमुख उद्योग। |
| श्री एन० रामचन्द्र रेड्डी | राजस्व, भूमि सुधार, सहायता और पुनर्वास। |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | वित्त, निगम और व्यापारिक कर। |
| श्री एम० पालम राजु | वन, पशुपालन और मत्स्य उद्योग। |
| श्री एम० चन्ना रेड्डी | योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्था, पंचायत और पंचायती राज। |
| श्री ए० सी० सुब्बा रेड्डी | सिंचाई और बिजली। |
| श्री मीर अहमद अली खां | भवन-निर्माण और संचार। |
| श्री वाई-सिवाराम प्रसाद | स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं। |
| डा० एम० एन० लक्ष्मी नरशैय्या | माध्यमिक और लघु उद्योग। |
| श्री एम० आर० अप्पाराव | आय-कर और मद्यनिषेध। |
| श्री पी० वी० नरेशिमहाराव | कानून और सूचना। |
| श्री ए० वेंकटारमैय्या | नागरिक प्रशासन और आवास। |
| श्रीमती टी० एन० सदालक्ष्मी | हिन्दू धर्म और धर्मार्थ दान संस्थाएं। |
| श्री एन० बाल रामा रेड्डी | कृषि। |
| श्री बी० वी० गुरुमूर्ति | श्रम और परिवहन। |

: २६ :

# आसाम

| | |
|---|---|
| राजधानी | : शिलांग |
| क्षेत्रफल | : ८४,८९९ वर्गमील |
| जनसंख्या | : ९०,४३,७०७ |
| मुख्य भाषाएं | : असमी और बंगला |

कई घरेलू झगड़ों के बावजूद जैसे कि भाषावादी झगड़े और सीमान्त संबंधी समस्याएं, आसाम राज्य ने सरकारी कार्य-कलापों के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है । विशेषतः शिक्षा, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास, औद्योगिक उन्नति और बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यक्रमों की पूर्ति की ओर विशेष प्रयास किया है । साल भर की प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

## शिक्षा

आजकल आसाम राज्य में टेक्नीकल शिक्षा के महत्व को अधिकाधिक समझा जा रहा है । गोहाटी और जोरहट में दो इन्जीनियरिंग कालेज और तीन पोलिटेक्निकों में विद्यार्थियों को दाखिल करने के अलावा १९६१ में नौगांव में एक नयी पोलिटेक्निक संस्था खोली गई जिसमें ६० सिविल इन्जीनियरिंग विद्यार्थियों को भर्ती किया गया । इस प्रकार की अन्य संस्थाएं खोलने के लिए भूमि प्राप्त करने, भवन-निर्माण करने और साज़-सामान खरीदने आदि सम्बन्धी तैयारियां की जा रही हैं ।

१९६१ में १७ में २३ सितम्बर तक राष्ट्रीय टेक्नीकल प्रशिक्षण सप्ताह मनाया गया । टेक्नीकल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निश्चय किया गया कि १९६२ से आसाम के दो इन्जीनियरिंग कालेज में पांच वर्ष का पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, कई पोलिटेक्निक संस्थाएं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी ।

## बुनियादी शिक्षा

१९६२ में ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों के कम से कम ८३ प्रतिशत भाग को प्रारम्भिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य आसाम राज्य के सम्मुख है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समूचे राज्य में सार्वजनीन और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की जाएगी । इस समय प्रारम्भिक स्कूलों में ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों की लगभग ६६ प्रतिशत संख्या शिक्षा पा रही है ।

अध्यापकों के प्रशिक्षण की संस्था में शिक्षार्थियों की संख्या १,५०० से बढ़कर ४,००० कर दी गयी है । जुलाई, १९६२ में सात नए अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए जबकि इस प्रकार के २० केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं ।

दस्तकारी प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षण केन्द्रों में दस्तकारी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी है ।

प्राइमरी स्कूलों में अच्छी तरह से निरीक्षण रखने के लिये १५० सब-इन्सपेक्टर नियुक्त

: २६ :

# आसाम

| | |
|---|---|
| राजधानी | : शिलांग |
| क्षेत्रफल | : ८४,८९९ वर्गमील |
| जनसंख्या | : ९०,४३,७०७ |
| मुख्य भाषाएं | : असमी और बंगला |

कई घरेलू झगड़ों के बावजूद जैसे कि भाषावादी झगड़े और सीमान्त संबंधी समस्याएं, आसाम राज्य ने सरकारी कार्य-कलापों के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। विशेषतः शिक्षा, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास, औद्योगिक उन्नति और बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यक्रमों की पूर्ति की ओर विशेष प्रयास किया है। साल भर की प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

## शिक्षा

आजकल आसाम राज्य में टेक्नीकल शिक्षा के महत्व को अधिकाधिक समझा जा रहा है। गोहाटी और जोरहट में दो इन्जीनियरिंग कालेज और तीन पोलिटेक्निकों में विद्यार्थियों को दाखिल करने के अलावा १९६१ में नौगांव में एक नयी पोलिटेक्निक संस्था खोली गई जिसमें ६० सिविल इन्जीनियरिंग विद्यार्थियों को भर्ती किया गया। इस प्रकार की अन्य संस्थाएं खोलने के लिए भूमि प्राप्त करने, भवन-निर्माण करने और साज़-सामान खरीदने आदि सम्बन्धी तैयारियां की जा रही हैं।

१९६१ में १७ में २३ सितम्बर तक राष्ट्रीय टेक्नीकल प्रशिक्षण सप्ताह मनाया गया। टेक्नीकल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निश्चय किया गया कि १९६२ से आसाम के दो इन्जीनियरिंग कालेज में पांच वर्ष का पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, कई पोलिटेक्निक संस्थाएं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी।

## बुनियादी शिक्षा

१९६२ में ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों के कम से कम ८३ प्रतिशत भाग को प्रारम्भिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य आसाम राज्य के सम्मुख है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समूचे राज्य में सार्वजनीन और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की जाएगी। इस समय प्रारम्भिक स्कूलों में ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों की लगभग ६६ प्रतिशत संख्या शिक्षा पा रही है।

अध्यापकों के प्रशिक्षण की संस्था में शिक्षार्थियों की संख्या १,५०० से बढ़कर ४,००० कर दी गयी है। जुलाई, १९६२ में सात नए अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए जबकि इस प्रकार के २० केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

दस्तकारी प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षण केन्द्रों में दस्तकारी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी है।

प्राइमरी स्कूलों में अच्छी तरह से निरीक्षण रखने के लिये १५० सब-इन्सपेक्टर नियुक्

करने का निश्चय किया गया है। इस समय १५० सब-इन्सपेक्टर और ८० असिसटेंट सब-इन्सपेक्टर काम कर रहे हैं।

## उद्योग

प्रमुख उद्योगों के निदेशालय ने आसाम में उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग के लिए उद्योगों को अधिकाधिक संख्या में लाइसेन्स देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों को लाइसेन्स जारी किए जा चुके हैं और इन फैक्ट्रियों में बचे-कुचे माल का सदुपयोग भी किया जा रहा है। गोहाटी में गत्ता बनाने का एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जा रहा है जो कि अपनी किस्म का भारत में सबमें बड़ा कारखाना होगा । इस कारखाने पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आएगी और ५० टन प्रतिदिन उत्पादन होगा।

कागज़ उद्योग के विकास की भी बड़ी योजनाएं हैं। प्रतिदिन ५०० टन कागज बनाने वाली चार बड़ी मिलों को उत्पादन आरम्भ करने का लाइसेन्स दिया जा चुका है । इसी प्रकार १० से २० टन प्रतिदिन उत्पादन करने वाली छोटे पैमाने की ६ कागज फैक्ट्रियों को लाइसेन्स दिए गए हैं।

आसाम राज्य खनिज, तेल और गैस पर आधारित पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल उद्योग आरम्भ करने की स्थिति में हैं। नाहरकटिया में कच्चे तेल की सफाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में नूनमाटी, गोहाटी में एक कारखाना खोला गया है जिसने जनवरी, १९६२ से उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

आसाम में गैस के लिए पाइप लाइन बनाने की स्कीमें शुरू की जा रही हैं जिस पर १६५ लाख रुपये की लागत आएगी।

आसाम प्रदेश में अन्य कई खनिज धातुएं भी उपलब्ध हैं और सरकार के उद्योग विभाग ने उनके समुचित उपयोग की योजना बनाई है। रुई की कताई के कारखाने, बिजली के करघे, जूट मिलें, चीनी मिल और अन्य कृषि उद्योगों को भी आरम्भ करने के लिए कदम उठाए गये हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों को आरम्भ किया गया है। इन स्कीमों को योजना आयोग की स्वीकृति है और इन पर कुल व्यय ५३५ लाख रुपये होगा :

| स्कीम | योजना के अन्तर्गत व्यवस्था (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| १—सीमेंट फैक्टरी | ३०.०० |
| २—गैस वितरण परियोजना | १६५.०० |
| ३—गैस वितरण परियोजना—२ | १५०.०० |
| ४—सैरामिक प्लांट | १५.०० |
| ५—निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में राज्य का योगदान | १०१.०० |
| ६—तेल सफाई के कारखाने | ५.०० |
| ७—औद्योगिक इलाकों का विकास | १५.०० |
| ८—आसाम सिल्क मिल | १६.०० |
| ९—कॉटन स्पिनिंग मिल | १५.०० |
| १०—मोटर मैनूफैक्चरिंग यूनिट | २०.०० |
| ११—निदेशालय को सुदृढ़ बनाना | २३.०० |

## सामुदायिक विकास

भारत सरकार ने १६० विकास खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस समय ८४ खण्डों ने काम शुरू कर दिया है और अन्य २८ विकास खण्ड इस समय पूर्व-विस्तार व्यवस्था में है। इन विकास खण्डों में से ८३ भाग मैदानी इलाकों में है और २९ स्वायत्त जिलों में। १९६२-६३ में अन्य ४८ खण्डों में कार्य आरम्भ किया जाएगा ताकि समूचे राज्य में सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ हो सके। इस समय जिन १११ विकास खण्डों पर काम हो रहा है उनके अन्तर्गत ३४,४५४ वर्गमील भूमि और १८,७९४ गांव आते हैं जिनमें ५६.५१ लाख आबादी है अथवा राज्य में ७५ प्रतिशत गांव और ६७ प्रतिशत आबादी इस विकास कार्य की परिधि में आ चुकी है।

चूंकि खाद्योत्पादन के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है, सरकार के सभी विभागों और पंचायतों से बार-बार कहा जा रहा है कि वे अपनी तमाम कोशिशें खाद्य-उत्पादन को बढ़ाने में लगाएं।

भारत सरकार के आदेशानुसार कई प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करने का निश्चय किया गया है जिनमें से प्रत्येक परियोजना पर २ लाख रुपये व्यय होंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जन-शक्ति और साधनों का अधिकतम उपयोग करना और साथ ही अधिक से अधिक भूमि को कृषि-योग्य बनाना है। इस समय इस प्रकार की १३ परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५५१.०० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जब कि ५१२.०० लाख रुपये का उपयोग किया गया। १९६१-६२ के प्रथम भाग में ५४.१४ लाख रुपये व्यय किए गए और इससे आशा की जाती है कि शेष राशि को वर्ष के अन्त तक पूरा उपयोग होगा।

कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लगभग ३६.४ लाख पत्तों के वृक्ष १९६०-६१ में बोए गए। इस वर्ष १,९२६ कृषि प्रदर्शन आयोजित हुए, लगभग २.६ लाख पशुओं की चिकित्सा हुई और ३८ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और उनके २० उप-केन्द्र खोले गए।

आदिम क्षेत्रों के इलाकों की विशेष आवश्यकताओं और उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने के बारे में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रत्येक सब-डिवीजन में एक प्लानिंग आफिसर नियुक्त किया गया है।

## पंचायत

आसाम पंचायत ऐक्ट, १९५९ का ध्येय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बहु-प्रतीक्षित ध्येय की पूर्ति था। इस ऐक्ट के अन्तर्गत नियम विभिन्न प्रकार के विषयों पर हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस ऐक्ट के अनुसार १६ महकुमा परिषद्, १२० आँचलिक पंचायत और २५०० से अधिक गांव पंचायतों का निर्माण किया गया तथा तदर्थ समितियों के स्थान पर निर्वाचित समितियों की स्थापना की गयी। अब इन निर्वाचित समितियों को आवश्यक अधिकार और दायित्व सौंपे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से सम्बन्धित सरकारी और गैर-सरकारी लोगों को अपना

काम समझाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और इन लोगों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

१९६२-६३ में सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि वे पंचायत सम्बन्धी अपने अनुभवों के आदान-प्रदान से परस्पर लाभ प्राप्त कर सकें और अपने सम्मुख उपस्थित समस्याओं का मुकाबला करने की बेहतर स्थिति में हों। गत वर्ष भी इस प्रकार के कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए थे जिन पर कुल ३६,००० रुपये खर्च हुए थे। अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में जरूरी सलाह देने वाली पुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं ताकि वे निर्वाचित पंचायतों और उनके कर्मचारियों का उचित मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और १९६२-६३ के बजट में इस प्रकाशन के लिए ५६,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है।

खाद्य-उत्पादन के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गयी है और ग्राम-उत्पादन योजनाओं के कार्यक्रम को अधिकतम महत्व दिया जा रहा है। इन सब संस्थाओं का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखने के लिए हिदायतें दी गयी हैं। कुछ चुने हुए गांवों में रबी की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक योजनाएं आरम्भ की गयी हैं। इस प्रकार की योजनाएं अगले वर्ष अधिकांश गांवों में आरम्भ करने का विचार है।

## आवास

राज्य में आवास व्यवस्था के अभाव को शीघ्र दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नीचे लिखी परियोजनाओं को शुरू किया है :—

१—निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने रिहायशी मकान बनाने के लिए ऋण अनुदान।

२—स्थानीय निकायों को अपने मेहतरों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण अनुदान।

३—औद्योगिक मजदूरों के लिए सहयता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम।

४—चाय बागानों के मजदूरों के लिए बागान श्रम आवास स्कीम।

५—गन्दी बस्तियों की सफाई स्कीम।

६—ग्राम आवास परियोजना।

७—मध्यवित्त लोगों के लिए रिहायशी मकानों की स्कीम।

## समाज कल्याण

आसाम राज्य में लोगों के विकास और कल्याण के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने कई स्कीमें जारी कर रखी हैं। दूसरी योजना में तीन शरणालयों और ८ जिला शरणालयों की स्थापना की गयी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपनी इन स्कीमों पर ७.३६४लाख रुपये व्यय किए।

तीसरी योजना में इस प्रकार के अतिरिक्त शरणालयों और गृहों को स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मौजूदा शरणालयों और गृहों का प्रबन्ध सुचारू रूप से किया जाए।

भिक्षावृत्ति को दूर करने और उन समाज विरोधी तत्वों से समाज को बचाने के लिए सरकार ने जरूरी कानून जारी किए हैं जिनके अनुसार राज्य में भिक्षावृत्ति निषेध है। गोहाटी में एक भिखारी घर भी खोला गया है।

एक वार्सटल संस्था भी बनाई जा रही है जिसके लिए इमारत बनकर तैयार हो चुकी है।

देहाती इलाकों की स्त्रियों और बालकों के सुधार के लिए सरकार ने सुदूर-स्थित गांवों में कई कल्याण विस्तार परियोजनाएं आरम्भ करने का निश्चय किया गया है। दूसरी योजना के अन्तर्गत इन परियोजनाओं पर ९.५० लाख रुपये व्यय हुए थे। तीसरी योजना के अन्तर्गत १० समन्वित कल्याण परियोजनाओं के लिए १,५०,८०० रुपये १९६१-६२ में खर्च किए गए हैं।

समाज कल्याण के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार इन संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान देती है। दूसरी योजना में सरकार ने ४२० संस्थाओं में ८,०४५ लाख रुपये वितरित किए। १९६१-६२ में १.४९७ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

आसाम में समाज कल्याण सम्बन्धी प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं के अभाव को देखते हुए सरकार ने विभिन्न समाज कल्याण प्रशिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्तियों देकर कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की स्कीम शुरू की है।

सरकार के निर्णयानुसार सहायता और पुनर्वास विभाग से प्रत्येक चार इमारतों को अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय के काम में लाए जाने का विचार है। इस काम के लिए योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ में ३५,००० रुपये व्यय किए जाएंगे। यह केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त स्कीम है और इसका आधा व्यय केन्द्रीय सरकार उठा रही है।

**विकलांग व्यक्तियों के लिए कारखाना :** यह स्कीम १९६२-६३ में शुरू की जाएगी जिसके लिए १९६२-६३ में ४१,००० रुपये व्यय करने की व्यवस्था की जा चुकी है। यह संस्था शिक्षा विभाग के सहयोग से स्थापित की जाएगी।

**रिहा कैदियों का पुनर्वास :** यह केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम है जिसके लिए केन्द्र योजना में निर्दिष्ट रकम के बराबर सहायता देगा।

**अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रायोगिक परियोजनाएं :** यह केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी स्कीम हैं और इसमें ६० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी।

**लोककर्म :** यह भी केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी स्कीम है जिसमें योजना की निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त केन्द्र से ६० प्रतिशत सहायता प्राप्त होगी।

**नशाबन्दी के लिए प्रचार :** यह भी केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी स्कीम है। इसके लिए योजना में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त ६० प्रतिशत सहायता केन्द्रद्वारा दी जाएगी।

**कैदियों का हित :** यह भी केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी एक अन्य स्कीम है। इसमें केन्द्र योजना में निर्दिष्ट राशि के बराबर सहायता देगा। इसका ध्येय भारत सरकार की जेल-सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार कैदियों की भलाई का ख्याल रखना है।

**बाढ़-नियंत्रण :** आसाम राज्य में वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ें आती रहती हैं जिनसे देश को बचाने के लिए कई उपाय काम में लाए जा रहे हैं। सोचा गया है कि नदियों के किनारे बांध बना देना लाभकर सिद्ध होगा और तदननुसार १८२७ मील का काम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ।

शिवसागर जिले के देसांग, विक्खू, मीतांग, झांझी, मोगदई और धनसिरी नदियों में जुलाई १९६१ में बाढ़ आई जिसके फलस्वरूप जीनगांव से लेकर देहिंगमुख तक देयिग बन्ध तक पूरा असर पड़ा और कई जगह पानी अन्दर घुस आया। उस पानी को रात-दिन लगातार काम करके रोक

जिसमें सार्वजनिक सहयोग भी प्राप्त हुआ।

इस वर्ष कई जिलों में बाढ़ से अधिक हानि हुई और प्रशासन द्वारा उन नदियों के किनारों पर बाढ़ की रोकथाम सम्बन्धी कई कार्यवाहियां की गयीं। बजट में इस काम के लिए १८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से १२,६६,४२९ रुपये ३१ मार्च, १९६२ तक खर्च हो चुके हैं।

गोलाघाट सब डिवीजन के आहतबुरी मोजा में ३१० बाढ़-पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए १,२७,२०० रुपए की रकम मंजूर की गयी है।

## ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी अध्ययन

आसाम का ऐतिहासिक व पुरातत्व विभाग एक पूरे सरकारी विभाग के रूप में १९२८ से काम कर रहा है। इस विभाग का काम आसाम में ऐतिहासिक अध्ययन को प्रोत्साहन देना है जिस की बहुत सी पाण्डुलिपियां और प्राचीन अभिलेख मौजूद हैं जोकि आसाम के प्राचीन इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं और बतलाते हैं कि आसाम के लोग किस प्रकार भारत के अन्य भागों के लोगों के साथ सीधे संपर्क बनाकर रहते आए हैं।

इस विभाग ने अभी तक असमी, संस्कृत और अहोम भाषाओं में लिखित लगभग १७०० मूल पाण्डुलिपियां एकत्र की हैं। विभाग में इस समय लगभग ३००० दुर्लभ मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त हैं। भारत सरकार के शिक्षा विभाग की स्कीम के अन्तर्गत यह विभाग ऐतिहासिक महत्व रखने वाली पाण्डुलिपियों के संचालन में लगा है।

ज्योतिषसार संग्रह और वैद्य शिरोधार नामक दो दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशन व्यय की पूर्ति के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

विभाग में संस्थापित इन पाण्डुलिपियों से विद्वानों द्वारा अधिकाधिक लाभ उठाया जा रहा है।

## अर्थशास्त्र और सांख्यकी

अर्थशास्त्र और सांख्यकी विभाग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन-साधारण में सामाजिक-आर्थिक जीवन के अध्ययन सरकारी आंकड़ों की कमी की पूर्ति के लिए खोला गया था। पंचवर्षीय योजना के सूत्रपात से कृषि-उद्योग आदि विषयों पर आंकड़ों की मांग अधिकाधिक बढ़ने लगी और इस सूचना की उपलब्धि पर यह विभाग अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है।

आलोच्य अवधि में इस विभाग ने कई सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सम्पन्न किए।

विभाग ने इस वर्ष कई पुस्तिकाएं भी प्रकाशित कीं।

---

**राज्यपाल : श्री एस० एम० श्रीनागेश**

| मंत्री | पद |
|---|---|
| श्री बी० पी० चालिहा<br>मुख्य मंत्री | राजनैतिक, गृह, नियुक्ति, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सूचना और प्रसार। |
| श्री फखरुद्दीनअली अहमद | वित्त, कानून, पंचायत, सामुदायिक विकास। |
| श्री के० पी० त्रिपाठी | उद्योग, योजना, विकास और श्रम,। |

| | |
|---|---|
| श्री सिद्धीनाथ शर्मा | राजस्व, वन, परिवहन, राजनैतिक पीड़ित। |
| श्री देवकान्त बरुआ | शिक्षा, एकता और पर्यटन। |
| श्री वैद्यनाथ मुखर्जी | चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, चुंगी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। |
| श्री मोईनुल हक चौधरी | बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई, कृषि, पशु-चिकित्सा, पशुपालन और संसदीय मामले। |
| श्री रूपनाथ ब्रह्म | संभरण, व्यापार और वाणिज्य सहायता और पुनर्वास, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प। |
| श्री महेन्द्रनाथ हजारिका | खादी और ग्रामउद्योग, रेशम-उद्योग, बुनाई और जेल। |
| श्री चत्रासिंह टेरोन | आदिम क्षेत्र और पिछड़े वर्गों का कल्याण, समाज-कल्याण। |
| | **राज्य-मंत्री** |
| श्री गिरीन्द्रनाथ जागोई | लोक कर्म विभाग। |
| श्री राधिकाराम दास | राजस्व। |
| | **उपमंत्री** |
| श्री ललित कुमार डोले | आदिम-जाति मामले। |
| श्रीमती कमल कुमारी बरुआ | शिक्षा और समाज कल्याण। |
| श्री देवेन्द्रनाथ हजारिका | पंचायत सामुदायिक विकास। |

: ३० :

# उड़ीसा

राजधानी : भुवनेश्वर
क्षेत्रफल : ६०,१३६ वर्गमील
जनसंख्या : १,४६,४५,९४६
मुख्य भाषा : उड़िया

उड़ीसा विगत ११ वर्षों से अपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपने प्राकृतिक साधनों को राष्ट्रीय विकास के निमित्त जुटाने में प्रयत्नशील है। आज उड़ीसा अन्य राज्यों की भाँति तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त कर चुका है। १९६१ में समूचे राज्य में पंचायती राज का सूत्रपात किया गया। २६ जनवरी, १९६१ को समस्त राज्य में ३०७ पंचायत समितियाँ स्थापित की गयीं। इसके बाद अन्य १३ जिला परिषदों की स्थापना भी की गयी। जनता की इन संस्थाओं को स्वयं पनपने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस समय राज्य में कुल ३०७ समितियां हैं जिनमें से २१० समितियों में सक्रिय विकास खण्ड कार्य कर रहे हैं। पंचायती राज की संस्थाओं को क्रमशः विभिन्न विकास कार्यों का भार दिया जा रहा है। इन समितियों के क्षेत्राधिकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भार अब इन समितियों को सौंपा गया है। समस्त प्राइमरी स्कूलों और सेवा आश्रमों का कार्य-संचालन भी समितियों को दे दिया गया है। इसके अलावा अनाज के गोदाम, स्थानीय विकास कार्य, गांवों की सड़कों और जल के प्रबन्ध आदि का काम भी समितियों को सौंपा गया है।

## सामुदायिक विकास

जैसा कि बताया जा चुका है कि राज्य को ३०७ खण्डों में बांटा गया है। इस समय २४६ खण्ड पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। इन खण्डों के मातहत कुल आबादी का ८४ प्रतिशत भाग राज्य के क्षेत्रफल का ७४ प्रतिशत भाग और कुल ग्राम पंचायतों का ७६ प्रतिशत भाग आता है।

**कृषि :** सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि की उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। १९६१-६२ में एक विशेष खरीफ प्रोग्राम बनाया गया और अमल में लाया गया। अच्छे बीज और खाद आदि के वितरण का भार भी सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है।

**पशुपालन :** इस दिशा में सक्रिय कार्य किया जा रहा है जिससे करीब १५०० मवेशियों को काम में लाया जा सकेगा। मुर्गीपालन पर भी खास तौर पर जोर दिया जा रहा है।

**मछलीपालन :** इस स्कीम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ऋण दिया जा रहा है। इस वर्ष करीब ५६ लाख छोटी मछलियां उपलब्ध की गयीं।

## स्वास्थ्य और गांवों की सफाई-सुथराई

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १०४ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और २५७ उप-केन्द्र स्थापित किये गये।

**पीने योग्य जल का प्रबन्ध :** एक मास्टर प्लान के अनुसार ३१ मार्च, १९६१ तक ७,१८५ कुएं और ११५८ जलाशय तैयार किए गए जिन पर लगभग ८५.३८ लाख रुपये व्यय हुए। १९६१-६२ में ७४८ कुएं खोदे गए और सितम्बर, १९६१ तक के अन्त तक ४२४ कुओं की मरम्मत की गयी।

**सफाई-सुथराई :** स्वच्छ शौचालयों और धुआंरहित चूल्हों का प्रचलन लोकप्रिय बनता जा रहा है। ३० सितम्बर, १९६१ तक ४,६२६ धुआँरहित चूल्हे, ८९,१२० गड्ढे और ४३,९७४ ग्राम शौचालय बनाए गए।

**पौष्टिक तत्व :** संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनीसेफ और एफ ए ओ संस्थाओं की सहायता से राज्य में पौष्टिक तत्व प्रदान करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि उन्हें किस तरह पौष्टिक खाद्य पैदा करना चाहिए और खाने-पीने की अपनी आदतें बदलनी चाहिएं। २४० गांवों में औरतों और बच्चों को पौष्टिक तत्व और खाद्य दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल ४,८०० माताएं, १,२०० शिशु और बच्चे शामिल हैं।

**शिक्षा :** निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को मध्य दिवसीय आहार सप्ताह में दो या तीन बार दिया जा रहा है।

**सामाजिक शिक्षा :** ३० सितम्बर, १९६१ के अन्त तक २०,३०७ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए और ४,५८,२२३ व्यस्कों को साक्षर बनाया गया। इनमें से २०,६३९ स्त्रियाँ थीं।

**संचार :** मास्टर प्लान के अनुसार ११२२० लम्बी सड़कें बनाई जानी हैं जिन पर १०,००० पुलियां होंगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३० सितम्बर, १९६१ तक लगभग ८,३३८ मील लम्बी सड़क पर ४८६ छोटे पुल तैयार किए गए हैं।

**नदी घाटी योजना : हीराकुड :** हीराकुड बांध परियोजना के अन्तर्गत १,८८,४७९.३३ एकड़ भूमि हस्तगत की गयी है। ११,५९८.०२ एकड़ भूमि को विस्थापित व्यक्तियों के लिए पूर्णत अथवा अंशतः योग्य बनाया गया है। दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक ८,४४८.२७ एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया और उसमें विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया। कुल मिलाकर २,१८५ परिवार, ४७ सरकारी बस्तियों में बसाए गए हैं। इन बस्तियों में सुविधाएं उपलब्ध करने पर ६० लाख रुपये खर्च किये गए हैं।

**राउरकेला इस्पात कारखाना :** इस्पात कारखानों की स्थापना और उसके निकट इस्पात नगर के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० क० को १,९५५.०७ एकड़ भूमि दी जा चुकी है।

इस्पात के कारखानों और इस्पात नगर के निर्माण के फलस्वरूप ३२ गांव खाली किए जा रहे हैं जिनमें २,४४४ परिवार रहते थे। करीब २,४०१ परिवार वह जगह छोड़कर चले आए हैं और सरकारी बस्तियों में रहने लगे हैं।

**मचकुण्ड :** मचकुण्ड परियोजना के लिए कुल २०,७०४.६२ एकड़ भूमि हस्तगत की गयी है। इस भूमि के हस्तगत करने के लिए ४८,१५,४६८.०४ रुपए मुआवजे के रूप में दिये गए हैं। इस परियोजना के निर्माण से २,०१५ परिवारों पर प्रभाव पड़ा है जिनमें से ६०० परिवारों को पुनः बसाया जा चुका है।

## कानून और व्यवस्था

उड़ीसा पुलिस राज्य में कानून और अमन बनाये रखने के अपने कठिन कार्य को सफलता-पूर्वक निभाती रही जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिली।

**जेल :** सरकार का उद्देश्य समाज-विरोधी लोगों और पुराने मुलजिमों को सुधारना है ताकि वे समाज के विकास में वापिस आकर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गत वर्षों में कई उपाए किए गए हैं, जैसे कि समाज कल्याण सेवाएं, जेलों में पंचायत, कुछ समय की छुट्टी, कैदियों के आमोद-प्रमोद और शिक्षा की व्यवस्था।

**प्रचार :** राज्य और सार्वजनिक संपर्क विभाग सरकार की गतिविधियों के बारे में सामान्यतः जनता को सूचित करने और विशेषतया राष्ट्रीय निर्माणकारी परियोजनाओं के विकास की दिन-प्रतिदिन की उन्नति के बारे में सूचना देने का अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७,७७० रेडियो सेट विभिन्न संस्थाओं को दिये गए। राज्य में पांच संलग्न जिलों में २२० रेडियो ग्राम फ़ोरम संगठित किए गए।

**पर्यटन :** राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पुरी, भुवनेश्वर, हीराकुन्ड और राउरकेला में चार पर्यटन सूचनालय खोले गए हैं। पर्यटकों के आवास की व्यवस्था के लिए दो आरामगाह भुवनेश्वर और पुरी में बनाए गए है जिनमें से प्रत्येक में २४ व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है।

**कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना :** यह स्कीम इस वर्ष ६ अन्य जिलों में चालू की गयी। इससे भी तीन जिले इस स्कीम के अन्तर्गत आ चुके हैं।

**बन्दरगाहों का विकास :** पैराडिप १९५८ से एक छोटे बन्दरगाह के रूप में काम कर रहा है और नवम्बर, १९५८ से ५० हजार टन कच्चा लोहा ढोने की प्रायोगिक स्कीम चल रही है। अभी तक १६ जहाजों में जापान को १ लाख टन कच्चा लोहा भेजा गया है।

कच्चे लोहे को अधिकाधिक मात्रा में बाहर भेजने के लिए जहाज बनाने का कारखाना पैराडिप में तैयार किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत पैराडिप के विकास के लिए १.५४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा तीसरी योजना के अन्तर्गत परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने और नावें तैयार करने के लिए लगभग १.५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हाल में एक नई स्कीम तैयार की गई है जिसमें तोमका-देतारी की खानों से कच्चा लोहा निकाला जाना, देतारी से पैरादिप के लिए एक बड़ी खुली सड़क बनाने का और प्रति वर्ष २० लाख टन कच्चे लोहे को बाहर भेजने के लिए सब मौसम के लिए खुला रहने वाला बन्दरगाह तैयार करना शामिल है।

## शिक्षा

**प्रारम्भिक शिक्षा :** भारत सरकार का निर्णय है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समूचे देश में ६ से ११ वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ की जाए। उड़ीसा राज्य में अपेक्षाकृत पिछड़ेपन को देखते हुए योजना की अवधि में ७५ प्रतिशत बालकों को शिक्षा देना तय किया है। १९६१-६२ में ३,००० प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति

की गई। लड़कियों को स्कूल जाने का प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की विशेष योजनाएं आरम्भ की गई हैं। जैसे छात्रवृत्तियां, अध्यापकों के लिए आवास की व्यस्था इत्यादि। १९६१-६२ में की गई भर्ती में काफी सफलता प्राप्त हुई।

**बुनियादी तालीम :** निश्चय किया गया है कि क्रमशः सभी एम० ई० और हाई स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा शुरू की जाएगी। लड़कों और लड़कियों के तीस एम० ई० स्कूलों में और ४६ हाई स्कूलों में इस वर्ष दस्तकारी शिक्षा शुरू की गई है।

**सामाजिक शिक्षा :** दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्राम वाचनालयों और पुस्तकालायों को पुस्तक और विविध व्यय के लिए प्रति वर्ष अनुदान मिलता रहा है। ग्राम पुस्तकालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं।

**माध्यमिक स्कूल :** तीसरी योजना के अन्तर्गत लड़कियों के लिए १८४ एम० ई० स्कूल खोले जायेंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत १९६१-६२ में २५ एम० ई० स्कूल खोले जा चुके हैं। कई एम० ई० स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान भी दिया गया है।

तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप १९६१-६२ में लड़कियों के ४ हाई स्कूल खोले गए।

दूसरी योजाना की अवधि में ८ हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बदला गया। १९६१-६२ में ४ हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों का रूप दिया गया।

**भूमि सुधार :** उड़ीसा भूमि सुधार विधेयक १९६० पास हो चुका है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। १९६१ में योजना आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप राज्य मंत्रिमण्डल ने भूमि सुधार एक्ट में संशोधन करना निर्णय किया। इस ऐक्ट पर एक विशेष समिति द्वारा विचार किया गया। उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन विधेयक, १९६१) पर समिति की रिपोर्ट और समिति द्वारा संशोधित विधेयक जनता की आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया और विधानसभा में पेश किया गया। परन्तु इस विधेयक पर विचार-विनिमय स्थगित करना पड़ा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल कृषि सुधार ऐक्ट की कुछ उपबन्धों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया है और उनके इस निर्णय के परिणाम को जानने के बाद ही [illegible] पर विचार किया जाएगा। जैसे ही विधानसभा से यह संशोधित विधेयक पारित हो जाएगा, भूमि सुधार स्कीम को अमल में लाने पर तुरन्त जोर दिया जाएगा।

**मद्यनिषेध :** सरकार ने मद्यनिषेध जांच समिति की स्थापना की है और इस समिति ने राज्य में मद्यनिषेध आरम्भ करने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की है जो कि इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

**कृषि और पशुपालन :** १९६१ में दो बार बाढ़ के प्रकोप से कृषि पैदावार को काफी क्षति हुई है, खासतौर पर पुरी, गंजम और कटक के इलाकों में। १९६१-६२ में ५.४१ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया किन्तु मौसम की खराबी और बाढ़ की वजह से आशा है कि २.७७ लाख टन अनाज की पैदावार हो सकेगी। कृषि के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य जारी है। ४,००० किस्म की मिट्टियों के नमूनों की जांच की गई और खाद्य सम्बधी अनेक उपाय किसानों को बताए गए।

उत्कल कृषि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या १२८ से बढ़कर २५६ कर दी गई है।

कृषि और टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय इस वर्ष जुलाई मास से कार्यारम्भ करेंगे। धान, चावल, चाय आदि के सुधरे हुए बीज काश्तकारों को बांटे गए।

उड़ीसा राज्य हरी खाद्य के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है और १९६१ में इससे २,५०० मन धनीचा बीज बिहार को सप्लाई किए।

## पशुपालन

जिलों में पशु-जनन केन्द्र और कटक में स्थित पशु-जनन केन्द्र दो प्रकार के मवेशी तैयार कर रहे हैं दूध देने वाले पशु और दूसरे सुधरे हुए नस्ल के पशु। गौशालाओं के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है।

इस समय राज्य में ९६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र काम कर रहे हैं। ११ गांव केन्द्र और ८४ ग्राम इकाइयां खोली गई है। सूअरों और मुर्गियों के फार्म भी कायम किए जा रहे है। पशु-चिकित्सा की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए २४७ पशु-चिकित्सालय और ९०७ उप-केन्द्र खोले गए हैं।

पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज ने ८१ पशु-चिकित्सक स्नातकों को उत्तीर्ण किया।

## सहकारिता

कृषि और लघु उद्योग के क्षेत्र में सहकारी प्रयासों द्वारा जनता की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। इस दिशा में काश्तकारों को सहज शर्तो पर ऋण देना बुनियादी तौर पर जरूरी है। यह कार्यक्रम सहकारी बैंकों के ज़रिए चलाया जा रहा है। इस वर्ष राज्य सहकारी बैंक ने एक करोड़ रुपया ऋण में दिया है और आशा है कि इसी वर्ष अन्य ५० लाख रुपये ऋण में दिये जायेंगे। रिजर्व बैंक ने भी मध्यावधि ऋण के लिए ३५ लाख रुपए की व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने इन सब ऋणों की गारन्टी दी है। वर्तमान केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे इस भार को वहन करने के योग्य स्वयं को बना सकें।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में २,००० सहकारी समितियों को सक्रिय काम करने के लिए चुना गया है। वे सेवा सहकारी समितियों के रूप में काम करेंगी। तीसरी योजना के अन्तर्गत ३० क्षेत्रीय विक्रय सहकारी समितियां खोली जायेंगी। इस समय इस प्रकार की ३० समितियाँ मौजूद हैं। आलू को सुरक्षित रखने के लिए दो कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट कायम किए गए हैं। तीन चीनी की मिलें भी खोली जा रही है।

सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए हर जिले में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है।

मजदूरों को मजदूरी के ठेके लेने वाली सहकारी समितियों के रूप में स्वयं को संगठित करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार की ५० सहकारी कृषि समितियां कटक जिले के बाढ़-

ग्रस्त इलाकों में स्थापित की गयी हैं ताकि वे विशेष सहायता का कार्य कर सकें। आदिवासियों की उन्नति के लिए जंगलों में काम करने वाले मजदूरों की सहकारी समितियां भी बनायी गई हैं।

## औद्योगिक क्षेत्र

सहकारी संगठनों के विकास से हथकरघा उद्योग को विशेष प्रश्रय मिला है। अभी तक ५०,००० बुनकर सहकारिता के क्षेत्र में आ चुके हैं जिनकी ५१३ बुनकर सहकारी समितियां काम कर रही हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५.७५ लाख रुपये की लागत से ८ बिजली करघे कायम किए गए जिनमें से दो ने इस वर्ष उत्पादन काम आरम्भ कर दिया है और तीसरे करघे पर शीघ्र ही उत्पादन कार्य आरम्भ होने वाला है।

दूसरी पचवर्षीय योजना के आरम्भ में उड़ीसा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। वह अब तक १२,७८९ लोगों को पूरे समय और ४८,६०२ लोगों को आंशिक समय का रोज़गार दिलाने में समर्थ हुआ है।

## वन

वनों से राज्य को राजस्व का एक बड़ा भाग प्राप्त होता है। केन्डु की पत्तियों का राज-ीय व्यापार आरम्भ होने से इस वर्ष राजस्व में विशेष वृद्धि होने की आशा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २,८९३ मील के जंगलों का सीमाकरण किया गया। सके अलावा १०,८११ एकड़ भूमि पर टीक और १,१८६ एकड़ भूमि पर सेमल के पेड़ लगाए गए। नके अलावा तटवर्ती रेतीले टीलों के ५४,००४ एकड़ इलाके में भी पेड़ लगाए गए हैं।

## मत्स्य उद्योग

तीसरी योजना में चिल्का झील में मछलियों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। ९६१-६२ में बिजली से चलने वाली नावों और यन्त्रों द्वारा पैराडिप के निकट समुद्र में मछली ़ड़ने की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत ५ नावों का निर्माण हो ा है।

## आदिवासियों और ग्रामवासियों का कल्याण

राज्य में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम के खासतौर पर तीन पहलू हैं : (क) शिक्षा और ंस्कृतिक उन्नति, (ख) आर्थिक उन्नति और (ग) स्वास्थ्य, आवास और अन्य स्कीमें।

पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस समय राज्य में लड़कों के ए ६३ आश्रम स्कूल और लड़कियों के लिए १६ कन्या आश्रम कार्य कर रहे हैं। वर्तमान १,१८५ ाश्रमों में संतोषजनक कार्य हो रहा है। मैट्रिक के बाद के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की ास्था भी की गई है।

अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए सघन उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय ाना में इस दिशा में चार विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड स्थापित किये गए हैं। आदिवासियों को

पोडू बोने की आदतों से हटाकर उन्हें मदानों में बसाए जाने की कोशिश की जा रही है।

दण्डकारण्य में आदिवासियों के पुनर्वास के कार्यक्रम में प्रगति हो रही है। आशा है कि इस वर्ष १००० आदिवासी परिवारों को बसाने के लिए ७,००० एकड़ सुधरी हुई भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

## उद्योग

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों के क्षेत्र में कुल परिव्यय ४७.५० लाख रुपये रखा गया था, जिसमें से १४५.९१ लाख रुपये खर्च किये गये। दूसरी योजना की अवधि में १७.५३ लाख रुपये १६५ उद्योगों को ऋणों और शेयरों के रूप में दिये गये। सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि गांव की दस्तकारी को विभिन्न व्यवसायों के बारे में शीघ्र जानकारी हासिल हो सके। लघु उद्योग सेवा संस्था लघु उद्योगों को टैक्नीकल शिक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है। उड़ीसा राज्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत ५० प्राइवेट लि० कंपनियों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और उनमें लगभग ४०० लोग काम करते हैं।

दूसरी योजना की अवधि में ८६ नये उद्योग खोलने के इच्छुक लोगों को जिनमें से ३८ स्नातकोत्तर विद्यार्थी भी शामिल थे, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया। चीनी के बर्तन और टाइल आदि बनाने की अन्य स्कीमों को भी शुरू किया गया है।

**औद्योगिक बस्तियाँ** : कारखानों को बिजली और पानी आदि उपलब्ध करने के लिये लघु उद्योगों की ५ औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं। इस प्रकार की अन्य दो बस्तियाँ भी शीघ्र ही बनाई जाने वाली हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बड़े पैमाने के उद्योग का विकास सम्पूर्णतः निजी उद्योग पर छोड़ दिया गया, केवल सरकार ने बड़े उद्योगों की सहायतार्थ एक वित्तीय निगम की स्थापना की जो कि ऋण देने, आयात की व्यवस्था करने आदि में मदद देता है। लघु उद्योग के क्षेत्र में अभी तक निजी उद्योगों को अपने बल पर काम करना पड़ रहा है किन्तु अब इस दिशा में भी राज्य के द्वारा लघु उद्योगपतियों को सहायता देने की स्कीमें बनाई गई हैं। इस नये स्कीम के अन्तर्गत कई नए उद्योगपतियों को सहायता दी गई है। औद्योगिक बस्तियों का उद्देश्य भी यही है कि उद्योगपतियों को अपनी पूंजी का बड़ा भाग कारखाने की जगह बनाने आदि पर न खर्च करना पड़े।

## बड़े और मध्यम उद्योग

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो नए बड़े पैमाने के उद्योग आरम्भ हुए उनमें विशेष उल्लेखनीय राउरकेला इस्पात कारखाना है। जिसकी उत्पादन-क्षमता ८७,००० टन है। इसके अलावा जोड़ा और रामगढ़ा में फैरो मैंगनीज़ फैक्टरी की उत्पादन क्षमता ५४,००० टन है। चौद्वारा की कागज़ मिल की उत्पादन क्षमता १२,००० टन है। बेलफार और राजगंगापुर की फैक्टरियों की उत्पादन-क्षमता १,९४,००० टन है। चौद्वार की ट्यूब मिल की उत्पादन-क्षमता ३०,००० टन है। इन प्रमुख उद्योगों की सूची में बारबिल में स्थापित कलिंग उद्योग का लोहे का

कारखाना भी है जिसकी उत्पादन क्षमता एक लाख टन है। ब्रजराजनगर की कागज़ मिल, रामगाड़ा की चीनी मिल और चौद्वार की ट्यूब मिल की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार कासटिक सोडा और क्लोरीन तथा प्रतिदिन १,००० टन गन्ना काम में लाने वाली चाय मिल और एक बुनाई के कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेन्स जारी किए गए। बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योगों में केवल सहकारी उद्योगों को ही राज्य की सहायता दी गई।

## खनिज धातुएं और भू-गर्भ धन

राज्य के खनिज साधनों के समुचित उपयोग के लिये इस वर्ष सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जिनमें उड़ीसा मायनिंग कारपोरेशन लि० के सभी शेयरों का सरकार द्वारा ले लेना विशेष उल्लेखनीय है। अब इस निगम की शेयर पूंजी ५ लाख से बढ़कर १० करोड़ की जा रही है और डायरेक्टरों का एक नया बोर्ड कायम किया जा रहा है।

खनिज धातुओं से राज्य की आय १९५०-५१ में ७.२२ लाख रुपये थी, जो कि १९६०-६१ में बढ़कर ६६.६१ लाख रुपये हो गई।

## श्रम

**रोज़गार दफ्तर :** इस समय राज्य में प्रत्येक जिले में एक रोज़गार दफ्तर है। इसके अलावा पुरी और रायगाढ़ा में रोज़गार के उप-कार्यालय और दो रोज़गार सम्बन्धी सूचना देने वाले दफ्तर अंगुल और झाड़सुगुडा के [illegible] विकास खण्डों में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष सुँदरगढ़, बरियाड़ा और जोदा में तीन उप-कार्यालय खोले गये। इनके अलावा ११ सामुदायिक विकास खण्डों में रोजगार सम्बन्धी सूचना और सहायता देने वाले ११ केन्द्र स्थापित किये गये। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लाभार्थ भी एक रोज़गार दफ्तर खोला गया है। रोजगार दफ्तरों ने ६१ में १,२८,८३७ नामों का पंजीकरण किया और ४१,२४८ रिक्त स्थानों की सूचना दी, तथा १८,१०४ व्यक्तियों को काम दिलाया।

## श्रम-कल्याण

इस समय ६ बहु-प्रयोजनीय श्रम-कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अन्य दो केन्द्र बनाये जा रहे हैं जिनमें से एक बनकर तैयार हो चुका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत ७ दवाखानों में औद्योगिक बीमाशुदा मजदूरों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाई जा रही है।

## आवास

ग्राम आवास परियोजना २४४ गांवों में चालू की गई है। लगभग २,८५० मकानों के बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें से ८१५ मकान सितम्बर, १९६१ तक बनकर तैयार हो चुके थे।

## सड़कें और पुल

अभी तक राज्य में सड़कों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। अतः नई सड़कों और पुलों

के बनाने के लिये आवश्यक कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में ७८१ मील लम्बी मौजूदा सड़कों और ३० मील नई सड़कों तथा १६ पुलो को बनाने पर १८७.२१ लाख रुपये खर्च किये गये।

## बिजली परियोजनाएं

दूसरी योजना के अन्त तक मचकुण्ड जल-विद्युत परियोजना तथा हीराकुण्ड परियोजना का प्रथम क्रम पूरा हो चुका था और इन दोनों परियोजनाओं से ११६ मिलियन वाल्ट शक्ति प्राप्त हो रही थी। इन दो परियोजनाओं से उपलब्ध बिजली के अतिरिक्त डीज़ल पावर स्टेशनों से भी बिजली प्राप्त हुई। इस समय हीराकुण्ड में दूसरे चरण का काम तेजी के साथ हो रहा है और आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक ३७.५ मिलियन वाल्ट तथा दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक १०९.५ मिलियन वाल्ट बिजली प्राप्त होने लगेगी।

गांवों में बिजलीकरण का काम शुरू कर रखा है और इस वर्ष एक दर्जन से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाई गयी। मार्च, १९६२ के अन्त तक अन्य १३ गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी होगी।

## सिंचाई

दूसरी पंचवर्षीय योजना से ७ मध्यम सिंचाई योजनाओं पर काम चल रहा है। डेल्टा सिंचाई परियोजना का काम संतोषजनक प्रगति कर रहा है।

## परिवहन

देशी रियासतों के विलीनीकरण में एक सड़क परिवहन सेवा की स्थापना की गयी थी, जिसमें उस समय केवल ४३ गाड़ियां थीं, अब इस संगठन ने बहुत प्रगति कर ली है और १९६०-६१ में उसके पास ३८६ बसें थीं और इसकी परिधि में ८,०८८,९६८ मील का क्षेत्र आता था।

**उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी** : यह कंपनी इस समय गंजम, मुलबर्नी, पुरी और कटक जिलों के एक भाग में काम कर रही है।

## स्वास्थ्य

दूसरी योजना की अवधि में एस सी बी मैडिकल कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती की संख्या दुगनी कर दी गयी और बुर्ला में एक नया मैडिकल कालेज खोला गया जिसमें ५० विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी। दूसरी योजना की अवधि में एस सी बी मैडिकल कालेज में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की गयी और बिभिन्न विषयों में २१ सीटें स्थापित की गयीं।

---

राज्यपाल : श्री जे. एन. सुखतांकर

| मंत्री | विभाग |
| --- | --- |
| श्री विजयानन्द पटनायक | वित्त, उद्योग, खनिज, सिंचाई और बिजली, आयोजन, सहकारिता और मछली पालन । |
| श्री बीरेन मित्रा | राजनीतिक और सेवाएं, सामुदायिक विकास, स्वायत्त शासन, ग्राम पंचायत और कानून । |
| श्री निलोमनि राउत्रे | संभरण, गृह, वाणिज्य और श्रम । |
| श्री सदाशिव त्रिपाठी | राजस्व, उत्पादनकर और वन |
| श्री पवित्रमोहन प्रधान | कृषि, शिक्षा आदिवासी और ग्रामीण कल्याण । |
| डा० पी० बी० जगन्नाथ राव | स्वास्थ्य और पशुपालन । |
| श्री रामचन्द्रा आर्धराज देव | सड़क, भवन और परिवहन । |

उपमंत्री

| | |
| --- | --- |
| श्री डी० संगन्नर | श्रीमती सरस्वती प्रधान |
| श्री बी० बी० सिंह बारिदर | श्री बृन्दाबन नायक |
| श्री चनुमोहन सिंह | श्री सन्तोष कुमार साहू |
| श्री प्रह्लाद मलिक | |

: ३१ :

# उत्तर प्रदेश

| | | |
|---|---|---|
| राजधानी | : | लखनऊ |
| क्षेत्रफल | : | १,१३,४५४ वर्गमील |
| जनसंख्या | : | ७,३७,५२९१४ |
| मुख्य भाषाएं | : | हिन्दी |

इस वर्ष भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने सभी कार्यक्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। बड़े और मध्यम पैमाने के नये उद्योग खड़े हो रहे हैं और नए उद्योगों के लिये ९० लाइसेन्स जारी किये गये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रगति हुई है। स्कूलों की संख्या पहले से बढ़ गई है और छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ने प्रति व्यक्ति व्यय पहले से अधिक बढ़ा दिया है। जहां तक राज्य की खाद्य स्थिति का प्रश्न है, वह समूचे वर्ष संतोषजनक रही। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने विशेष प्रगति की है और अक्टूबर मास के अन्त तक समूचा राज्य इस कार्य की परिधि में आ जाएगा। पंचायती राज की स्थापना की जा चुकी है। सहकारी समितियों की संख्या भी पहले से अधिक बढ़ रही है। श्रम-कल्याण स्कीमों द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और साथ ही औद्योगिक शान्ति कायम रखी जा रही है। सामान्यत: यह वर्ष सभी क्षेत्रों में प्रगति का वर्ष रहा है।

## वित्तीय स्थिति

राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। १९६१-६२ के पुनर्शोधित बजट में १५२.१८ करोड़ रुपये राजस्व के रूप में और १५६.६७ करोड़ रुपये व्यय के रूप में दिखाये गये हैं जिसके अनुसार ४.४९ करोड़ रुपये का घाटा है। १९६२-६३ में राजस्व प्राप्ति का अनुमान १७८.६ करोड़ और राज्य व्यय का अनुमान १९१.४१ करोड़ रुपये है जिसके अनुसार १३.३५ करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होता है। यह घाटा विशेषत: योजना के अन्तर्गत बड़ी स्कीमों के क्रियान्वयन के कारण है और उसकी पूर्ति अतिरिक्त करों द्वारा की जाएगी। १९६२-६३ के पूंजीगत व्यय और ऋण तथा वितरण के लिये राज्य सरकार द्वारा ५७.६२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे ४७.०८ करोड़ रुपये योजना की स्कीमों पर व्यय किये जाने हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों पर १९६२-६३ में ८५ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

## हिन्दी भाषा की उन्नति

उत्तर प्रदेश ने १९४७ से हिन्दी भाषा को सरकारी भाषा घोषित किया है और आशा की जाती है कि १९६५ के अन्त तक सम्पूर्ण राजकार्य हिन्दी भाषा में ही होने लगेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से हिन्दी भाषा में पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया है। गुजरात के साथ भी हिन्दी में पत्र-व्यवहार आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौजदारी मुकदमों की अदालती कार्यवाही हिन्दी में करने की

अनुमति दी है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि पंचायती राज ऐक्ट के मातहत सभी फैसले हिन्दी भाषा में किये जाने हैं।

राज्य के सचिवालय में हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है और हिन्दी भाषा के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने आचार्य जे० बी० कृपलानी की अध्यक्षता में एक भाषा समिति भी नियुक्त की है जो कि उर्दू भाषा की हिफाजत और तरक्की के बारे में सुझाव पेश करेगी।

## उद्योग

४५ करोड़ रुपये की लागत से ९० बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों की स्थापना के लिये लायसेन्स जारी किये गये हैं। इनके अलावा ४१७ नई फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है। तीन केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के लिये ८४.५० करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इस वर्ष राज्य ने २३६३ पंजीकृत कारखानों द्वारा ३२५.८४ करोड़ रुपये का माल तैयार किया। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या जो कि १९५९ में २.१६ लाख थी, और १९६० में २.४० लाख थी, १९६१ में २.४७ हो गई। इस वर्ष चीनी और कपड़ा उद्योग में गत वर्ष की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र में गवर्नमेन्ट सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क ने २,१८,२९० मीट्रिक टन सीमेन्ट का उत्पादन किया। इसी प्रकार गवर्नमेन्ट प्रसाइशन इन्स्ट्रयूमेन्ट फैक्टरी ने ४,३६,२२९ पानी के मोटर और ५३० माइक्रोस्कोप तैयार किये।

इस वर्ष निम्नलिखित केन्द्रीय परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है :—

४५ करोड़ रुपये की लागत का भारी बिजली सन्यत्र रानीपुर, सहारनपुर जिला; २७ करोड़ रुपये की लागत का रासायनिक खाद्य सन्यंत्र, गोरखपुर और १२.५० करोड़ रुपये की लागत का डीजल इन्जिन कारखाना, वाराणसी। इसके अलावा ऋषिकेष में २० करोड़ रुपये की लागत से औषधालय का जो कारखाना बनाया गया है वह संतोषजनक प्रगति कर रहा है।

निजी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस समय चल रही हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

१. बरेली में एक पिथेटिक कैन्सर कारखाना खोला गया है जो कि भारत में अपनी किस्म का पहला कारखाना है। इस कारखाने पर १.३ करोड़ रुपये की लागत आई है और इसका उत्पादन ९०० टन प्रति वर्ष होगा। २. इलाहाबाद में ८ करोड़ रुयये की लागत से प्रति वर्ष ३ लाख मोटरों के टायर और ट्यूब बनाने वाला कारखाना है, ३. हाथरस (जिला अलीगढ़) २० करोड़ रुपये की लागत से प्रति वर्ष ९ लाख बाइसिकल टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना, ४. गाजियाबाद में ३० लाख रुपये की लागत से प्रति वर्ष ३००० मोटर साइकिल बनाने का कारखाना, ५. मुरादाबाद में ८ करोड़ रुपये की लागत से न्यूज़ प्रिंट कागज़ का कारखाना जो कि प्रतिदिन १०० टन कागज़ का उत्पादन कर सकेगा। इसके अलावा बरेली का रबर का कारखाना और पीपरी की एल्युमीनियम का कारखाना शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ कर देगा।

इस वर्ष १.९८ करोड़ रुपये की कुल लागत से ७२ ग्रामोद्योग और लघु उद्योग आरम्भ किये गये हैं।

दो सहकारी सूत के कारखाने आरम्भ किये गये है, एक खलीलाबाद (बस्ती) और दूसरा टान्डा (फैज़ाबाद) में। इसी प्रकार के अन्य दो कारखाने शन्डीला (हरदोई) और मऊ में खोले जा रहे हैं। लगभग २६८ नए बिजली के करघे भी राज्य में स्थापित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने सहायता देने के लिये ५०४ औद्योगिक इकाइयों का नाम चुना है। आगरा और कानपुर में निगम के दो बिक्री केन्द्रों से क्रमश. ४२.६६ लाख और ३९.४३ लाख रुपये की बिक्री हुई।

दस्तकारी के कार्यक्रम के अन्तर्गत .११ सहकारी समितिया सगठित की गयीं और १३ प्रशिक्षित दस्तकारों को प्रशिक्षण कार्य के लिये नियुक्त किया गया।

रेशम उत्पादन की स्कीम अलमोड़ा और टेहरी गढ़वाल के दो नये जिलों में जारी की गई है।

## शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा में विस्तार और सुधार के लिये राज्य-व्यापी कार्य किया गया। ६ से ११ वर्ष की आयु के सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये ६,४७० प्राथमिक स्कूल खोले गये। इनमें से ५,००० लड़के और लड़कियों दोनों के स्कूल थे और १००० केवल लड़कियों के स्कूल गांवों में खोले गये। ४७० बड़े स्कूल शहरों में खोले गए। इस प्रकार कुल प्राइमरी स्कूलों की संख्या ४६,००० से ऊपर हो गई है।

अक्टूबर, १९६१ से जनवरी, १९६२ तक स्कूल जाने वाले बच्चे खासतौर पर लड़कियों को स्कूल भिजवाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया' जिसके परिणामस्वरूप प्राइमरी स्कूलों में ५ लाख बच्चे भर्ती किये गये। इस समय ६ से ११ वर्ष की आयु के लगभग ३५ लाख लड़के और १० लाख लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पा रही है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कार्य किये गये। गांवों और छोटे कस्बों में जिनकी जनसंख्या १५,००० से कम है, आठवीं क्लास तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। ५००० सुयोग्य लड़कियों को किताबें और कापियां आदि खरीदने के लिये वित्तीय सहायता दी गयी। इसके अलावा लड़के-लड़कियों के मिले-जुले प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिये विशेष व्यवस्था की गई और सीनियर बेसिक स्कूलों में १० छात्रावास बनाये गये।

१४ नवम्बर बाल-दिवस को प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मध्य दिवस आहार उपलब्ध करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों की सहायता से स्वेच्छिक आधार पर आरम्भ किया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के लिये एक उचित इमारत बनाना शामिल है और यह काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जा चुका है।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन ५० रुपये प्रतिमास कर दिया गया, जिससे राज्य के १ लाख से ऊपर अध्यापकों को लाभ पहुंचा।

अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इटावा और बरेली में दो गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल लड़कियों के लिये खोले गये है। इसी प्रकार देहरादून, सैयान (आगरा) और बुरहानपुर (मुरादाबाद) में लड़कियों के लिये गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल खोले गये है। इन प्रशिक्षण संस्थाओ की कुल संख्या १२२ हो गई है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा सुझाये गये त्रिभाषी फार्मूला राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। निश्चय किया गया है कि ९००० प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी का अध्यापन आरम्भ किया जाए जिसके लिये ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

बुनियादी तालीम में उचित सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने २५० जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों का एकीकरण करने का निश्चय किया गया है। इन स्कूलों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ताकि वे अन्य बुनियादी स्कूलों के लिय नमूने के रूप में साबित हो सकें।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में १९ सरकारी और ३३ ग़ैर-सरकारी लड़कियों के स्कूल इस वर्ष खोले गये जिन्हें विशेष सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुआ है। १७१ गैर सरकारी सीनियर बेसिक स्कूलों को नियमित सहायतार्थ अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची में रखा गया। १२० ग़ैर-सरकारी सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान का अध्ययन किया गया है और ७७ स्कूलों को फर्नीचर के लिये, ५९ स्कूलों को इमारत के लिये और ३०० स्कूलों को पुस्तकालयों के लिये अनुदान दिया गया है।

इस वर्ष राज्य में डिग्री कालेजों की संख्या बढ़कर १६० हो गई। गढ़वाल के श्रीनगर नत्मक स्थान में एक नया सरकारी डिग्री कालिज खोला गया है ताकि चमेली, उत्तर काशी, पौढ़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सके। सहायतार्थ अनुदान पाने वाली संस्थाओं की सूची में ८ गैर-सरकारी डिग्री कालेजों का नाम सम्मिलित कर लिया गया है। इस वर्ष ४४ गैर-सरकारी डिग्री कालेजों को इमारत, विज्ञान साज-सामान, फर्नीचर और पुस्तकालय इत्यादि के लिये अनुदान दिया गया।

१९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में शिक्षा का बजट २१,१२,०५,२०० था जबकि १९६०-६१ में कुल १७,७५,०८,६४१ रुपये था।

## चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य

इस वर्ष चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट ११,३३,६५,५०० रुपय का था। जिसके अनुसार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय १.५५ रुपये था। चिकित्सा सम्बन्धी साज़-सामान और औषधालयों के लिये ४३.९४ लाख और ७०.०३३ रुपये क्रमशः निर्धारित किये गये जबकि गत वर्ष २१.६७९ रुपये साज़-सामान और ६८.६१ लाख रुपये औषधियों पर व्यय किये गये थे।

इस वर्ष ७ नय एलोपैथिक और १८ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने ग्रामीण इलाकों में खोले गये। विभिन्न अस्पतालों में अन्य २९० शैयाओं को प्रबन्ध किया गया और कई स्थानों पर चिकित्सा कर्मचारियों के आवास की भी व्यवस्था की गई।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष प्रगति की गई। १२ जिले पूर्णतः और ६ जिले अंशतः मलेरिया से सुरक्षित हो गये। राज्य-व्यापी चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी की गईं।

क्षयरोग नियंत्रण स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष रामपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद और मिर्जापुर में चार तपेदिक के अस्पताल खोले गये, पांच स्थानों में क्षय रोग को रोके रखने का प्रबन्ध किया गया।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये इलाहाबाद में एक नया

मैडिकल कालेज खोला गया जिसमें ५० मैडिकल छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षण कार्य के लिये एक २०० शैया का स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल खोला गया और इलाहाबाद मैडिकल कालेज से संलग्न किया गया। कानपुर मैडिकल कालेज में १०० शैयाओं का एक प्रसूती चिकित्सालय की स्थापना की गई। इसके अलावा रेडियोलोजी और कैंसर रिसर्च की संस्था में नया साज़-सामान मंगाया गया। आगरा और लखनऊ के मैडिकल कालेजों में भी साज़-सामान, औषधियों और शैयाओं का प्रबन्ध किया गया है।

## खाद्य स्थिति

इस वर्ष राज्य की खाद्य स्थिति संतोषजनक रही। चूंकि, अनाज का मूल्य कम रहेगा, सरकारी दुकानों से गल्ला कम उठाया गया लेकिन गत दिसम्बर से रबी फसल में अनाज की कीमतें बढ़ गईं और उत्तर प्रदेश में मूल्य स्थिरीकरण के उपाय काम में लाये गये।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ४,९७७ टन अतिरिक्त चावल महाराष्ट्र और गुजरात को भेजा।

राज्य सरकार की खाद्य स्थिति अप्रैल, २८ को इस प्रकार थी : १,०९,३५५ टन अनाज, जिसमें २१,४९५ टन गेहूं और ८७,८६० टन चावल था।

## पंचायतें

इस वर्ष की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज का सूत्रपात था जो कि दिसम्बर, १९६१ में प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। पंचायती राज की स्थापना बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सम्बन्धी और जिला परिषद् ऐक्ट को गत वर्ष राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस ऐक्ट के अनुसार गांवों में लोकतंत्र के तीन आधार होंगे—गांव सभा, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र विकास समिति, सामुदायिक विकास खण्ड के स्तर पर और जिला परिषद्–जिला स्तर पर।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायतों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और वे अधिकाधिक रचनात्मक कार्यक्रम में अपने आपको लगा रही हैं।

तीसरी योजना में १२,००० पंचायत मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक २,००० पंचायत के मंत्रियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अन्य ८५० व्यक्ति राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

गांव सभाओं के लिए आय का नियमित साधन उपलब्ध करने की दृष्टि से गांव सभाओं को ऋण दिया गया है। तीसरी योजना के पहले वर्ष में २.८६ लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गए हैं जबकि चालू वर्ष के लिए १.७३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश की पंचायतों ने १९६१-६२ में कर एकत्र करने के अपने काम में वृद्धि की। १९६१-६२ में करों के रूप में कुल १,०२,३८,५६९ रुपये इकट्ठे किये गये जबकि गत वर्ष केवल ८८,१०,२०० रुपये एकत्र किए गए थे।

न्याय पंचायतों ने १९६१-६२ में ८९,५४० मामले निबटाये। न्याय पंचायतों के समक्ष १,२१,३९१ मामले निबटाने के लिये आये जिनमें से ४०,१८७ मामले समझौते द्वारा सुलझाए गए।

## सामुदायिक विकास

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरम्भ हुआ। निम्नतम स्तरों पर योजना बनाने और उनके कार्यान्वियन के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। जनता का आयोजन कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

अक्टूबर मास तक राज्य के सभी इलाकों में विकास खण्ड स्थापित हो चुके होंगे जिनकी संख्या ८७५ होगी। फिलहाल राज्य की कुल आबादी का ७६ प्रतिशत भाग और ग्रामवासियों का ८६ प्रतिशत भाग सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आ चुका है।

कृषि विकास में सहकारी समितियों ने विशेष योग दिया है। इस समय राज्य में ५४,००० सहकारी समितियां हैं। जिनमें से ७४९६ सेवा सहकारी समितियां इस वर्ष १०,००० ग्राम सभाओं के अधीन स्थापित की गईं।

ग्राम वासियों की अतिरिक्त आय के लिये लघु और कुटीर उद्योग आरम्भ किये जा रहे हैं और दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के सामुदायिक विकास खण्डों में ग्राम युवकों के प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

समाज सेवा के क्षेत्र में गांवों में स्कूल खोलकर विशेष कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष ५,४२३ लड़के और लड़कियों के मिले-जुले स्कूल खोले गये। इसके अलावा लड़कियों के १००० अन्य स्कूलों की स्थापना भी की गई। पंचायत समितियों के ज़रिए स्कूलों के बच्चों को मध्य दिवस आहार दिलाने की कोशिश की जा रही है।

इस वर्ष २,९७,१७४ पो० आ० सेविंग्स बैंक एकाउन्ट खोला गया है जिनमें ६६,४६,१७३ रुपये जमा किए गए।

## श्रम और रोज़गार

इस समय ६७ श्रम कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें से ६० केन्द्रों में श्रमिकों के आमोद-प्रमोद, चिकित्सा, बाल और प्रसूति हित आदि की व्यवस्था है। इसके अलावा शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था श्रमिकों की स्त्रियों के लिए की जा रही है तथा कानपुर के शास्त्रीनगर केन्द्र में बच्चों के आमोद-प्रमोद की विशेष व्यवस्था की गयी है।

ट्रेड यूनियनों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर कई ट्रेड यूनियन सेमिनार संगठित किये जा रहे हैं। इस प्रकार का पहला सेमिनार हरिद्वार में हुआ था और दूसरा वाराणसी में।

इस समय राज्य में पंजीकृत मजदूर संघों की संख्या १०२४ है।

औद्योगिक श्रमिकों को सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम तथा चीनी मिलों के मजदूरों और बागानों में काम करने वाले मजदूरों की आवास स्कीमों के अन्तर्गत विशेष प्रगति की गयी। अभी तक राज्य के विभिन्न भागों में सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम के अन्तर्गत १९,६४१ मकान बन चुके हैं तीसरी योजना के मातहत अन्य ४,२७२ मकानों के निर्माण के लिये १,७२,६४,००० रुपये व्यय किये जायेंगे।

चीनी मिलों के मजदूरों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई

गई थी, उसने सर्वसम्मति से बोनस के वितरण के बारे में एक फार्मूला तैयार किया है जिसके अनुसार १९६०-६१ में ३७,५७,९१७ रुपये बोनस के रूप में वितरित किये गये। केन्द्रीय वेतन बोर्ड (चीनी) की सिफारिशों के अनुसार ७० चीनी कारखानों में वेतन वृद्धि की गयी है।

अल्पतम वेतन अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत धान, आटा, दाल की मिलों, देहरादून में चाय के बागानों, तेल की मिलों, चमड़े की मिलों, तम्बाकू के कारखानों आदि के वेतनों में वृद्धि की गयी है।

बेरोज़गारी की समस्या को वैज्ञानिक ढंग से सुलझाने के लिये कई कदम उठाए गए हैं। १७ ग्राम रोज़गार और सूचना दफ्तर तथा ६ विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना दफ्तर खोले गये और उन्होंने नियमित कार्य आरम्भ कर दिया है।

## सिंचाई और बिजली

१९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के आरम्भ से सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है वह पहली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं से कहीं बड़ा और महत्वाकांक्षी है।

योजना के अनुसार बड़ी और मध्यम आकार की स्कीमों पर कुल ५१.७१ करोड़ खर्च किए जाने चाहिए थे जिसमें से इस वर्ष ४.९३ करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। छोटे कार्यों पर ३.३२ करोड़ रुपए व्यय किए गए जबकि योजना में इस निमित्त कुल २० करोड़ रुपए की व्यवस्था है। १२ मध्यम आकार और २१ छोटी स्कीमों का काम जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से चला आ रहा था, पूरा हो चुका है। केवल मेजा बांध को छोड़कर, जहां कि इस काम को पूरा होने में अभी समय लगेगा, इस वर्ष दो प्रमुख सिंचाई के कार्य आरम्भ किए गए हैं। इनके अलावा २५ मध्यम और २४ छोटी स्कीमों पर भी कार्यारम्भ किया गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में २,५०,००० किलोवाट बिजली की मांग अपूर्ण रह गई थी, इसलिए तीसरी योजना १०७.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई ताकि ये धन पुरानी ८ और नई ७ स्कीमों पर व्यय किया जा सके और ७,९६,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध की जा सके।

१९६१-६२ में जो कि तीसरी योजना का प्रथम वर्ष है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली-घर रिहन्द में बनकर तैयार हो गया और गोरखपुर, तथा मऊ व इलाहाबाद और कानपुर को बिजली पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष रिहन्द में ओबरा जल-विद्युत केन्द्र खोला गया है।

इस वर्ष २०० गांवों में बिजलीकरण की स्वीकृति भी दी गई है और पहाड़ी इलाकों पर बिजली पहुंचाने की सम्भावना पर विचार किया गया है।

## संचार

सड़कें संचार का सबसे बड़ा साधन हैं और आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। १९४७ में उत्तर प्रदेश में कुल ९,३८६ मील लम्बी सड़कें थीं और इनमें से ज्यादा सड़कें ऐसी थीं, जिनकी मरम्मत करना तुरन्त आवश्यक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश में १४,४९७ मील लम्बी सड़कें बन-

कर तैयार हो गईं। इसके अलावा पुरानी सड़कों के लगभग ६० प्रतिशत भाग की मरम्मत की गई। सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश अभी भी पिछड़ा हुआ है और उसे अधिकाधिक सड़कें खोलनी हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों और पुलों के लिये १८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इस १८ करोड़ रुपए में से ११ करोड़ रुपए दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही स्कीमों पर खर्च किये जायेंगे। शेष ७ करोड़ रुपए तीसरी योजना की नई स्कीमों पर व्यय किये जायेंगे।

१९६१-६२ में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २८५ मील पक्की सड़कें और १० मील कच्ची सड़कें बनाई गयीं। इनके अलावा १११ मील पक्की सड़कें और ३६ मील कच्ची सड़कों की मरम्मत की गई।

सड़कों के निर्माण में श्रमदान से काफी सहयोग प्राप्त हुआ है।

इस वर्ष १६ पुल बनकर तैयार हो गये। इनमें दो महत्वपूर्ण पुल ये हैं: लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ पर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पुल और मथुरा—राया सड़क पर यमुना पुल।

## वैज्ञानिक अनुसंधान

मैनारा पीक में ८.२५ लाख रुपए की लागत से बनी इमारत के तैयार हो जाने के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य वेदशाला नैनीताल ने अपने कार्य में विशेष प्रगति की है। अब वेधशाला इस नए स्थान में स्थापित की जा चुकी है। वेधशाला के विभिन्न विभागों को आधुनिक साज़-सामान उपलब्ध किया गया है और एक विशेषज्ञ श्री एम. सी. पाण्डे को सऊर भौतिकी में दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिये सोवियत रूस भेजा गया।

१९४७ में संगठित वैज्ञानिक अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया। यह संस्था विश्व-विद्यालयों में वैज्ञाननिक अनुसंधान के लिये वित्तीय सहायता देती है। इस वर्ष ४५ परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी।

## सांस्कृतिक गतिविधियां

बनारसी बाग़, लखनऊ में राज्य के नए संग्राहलय का भवन तैयार हो गया है। आधुनिक ढंग से संग्रहालय के संगठन के बारे में विशेषज्ञों से सहायता ली जा रही है। इसमें प्रिंस आफ वेल्स म्यूज़ियम बम्बई का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। संग्रहालय-सम्बन्धी नियमों की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

## भूमि सुधार

अलोच्य अवधि में अन्य ४१ शहरी इलाकों में उन्मूलन अधिनियम, १९५७ लागू किया गया। इसके अलावा चकबन्दी की दिशा में भी विशेष सराहनीय कार्य किया गया।

चकबन्दी का काम १३८० नए गांवों में शुरू किया गया और अभी तक राज्य के ३८ जिलों की ७८ तहसीलों में २९.४६७ गांवों को इस कार्य के अन्तर्गत लाया गया है और डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि पर चकबन्दी की गयी है।

## हरिजन कल्याण

इस वर्ष लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना को कार्यान्वित करते समय पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए विभिन्न कार्यक्रम चालू किए गए है। इस काम के लिए ग्राम स्तर पर कल्याण उप-समितियां संगठित की गयीं।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क छात्रवृत्ति और पुस्तकें आदि के लिये आर्थिक सहायता मिलती रही। छटी कक्षा तक शिक्षा को निःशुल्क बना दिया गया है। ८ वीं से १० वीं कक्षा तक के हरिजन विद्यार्थियों के लिये कई संस्थाओं में सरकार द्वारा फीस जमा कराई जा रही है। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं और समितियों को अपने अधीन शिक्षा संस्थाओं के सुसंचालन के लिये अनुदान दिया जा रहा है। इन सब स्कीमों पर इस वर्ष ८९.३९ लाख रुपए व्यय किए गए। मैट्रिक के बाद की शिक्षा पाने वाले हरिजन विद्यार्थियों की सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार से ८० लाख रुपए प्राप्त हुए।

अनुसूचित जातियों के लिये मकानों की व्यवस्था के साथ-साथ नई बस्तियों के निर्माण और उनकी सफाई-सुथराई, की पूरी व्यवस्था की जा रही है। शहरी इलाकों में मेहतरों के क्वार्टर बनाने के लिये १८ स्थानीय निकायों को १५.१२ लाख रुपए दिए गए।

बहराइच में १०० परिवार, मथुरा में १४०, इटावा में ५४ और मैनपुरी में १८० परिवारों के पुनर्वास की सफलतापूर्वक व्यवस्था की गई।

इस वर्ष अस्पृश्यता निवारण के लिये सविस्तर प्रचार किया गया।

## समाज कल्याण

बिरादरी के सँगठन, निरक्षरता निवारण, बाल-हित तथा स्वास्थ्य व आमोद-प्रमोद के क्षेत्र में ५१ नगर और २००० मुहल्ला समाज कल्याण समितियां उपयोगी कार्य करती रहीं।

हरिद्वार और वाराणसी में भिखारियों की अवस्था में सुधार लाने के लिये कार्य चलता रहा। इसी प्रकार देहरादून, लखनऊ और मेरठ में पथभ्रष्ट लड़कियों के बचाव के लिये समुचित कार्य किया गया।

महिला कल्याण स्कीम अन्य ६ जिलों में जारी की गई है। इस प्रकार अभी तक ३९ जिले इस स्कीम के अन्तर्गत आ चुके हैं।

## स्थानीय स्वशासन

लखनऊ में अगस्त, १९६१ में नगर प्रमुखों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों और सुझावों का सरकार ध्यान कर रही है।

## शहरों में जल और गन्दी नालियों की व्यवस्था

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में शहरों में जल की उपलब्धि और नालियों की मरम्मत व नई नालियों को बनाने का काम जोकि गत पंचवर्षीय योजना से चला आ रहा है, जारी रहा। बाराबंकी, गोण्डा, राय बरेली, बहोरी चुनार, शिकोहाबाद. लखीमपुरा, खेरी, काल्पी, अमरोहा और शामली में जल की उपलब्धि का समुचित प्रबन्ध किया गया।

जल उपलब्धि के १७ नए कार्यों और नालियों की दो स्कीमों के अतिरिक्त जल उपलब्धि के १७ केन्द्रों का पुर्नगठन किया गया है। इसी प्रकार नालियों के लिए स्कीमों का पुर्नगठन भी किया गया है।

## गांवों में जल की उपलब्धि और सफ़ाई-सुथराई

योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के गांवों में जल की उपलब्धि की स्कीमों पर २८.३० लाख रुपए व्यय करने का निश्चय किया है। ये स्कीमें गत पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की अन्य तीन स्कीमों पर १९६१-६२ के दौरान २५७३० रुपए व्यय किए गए हैं।

उत्तराखण्ड डिवीजन के सीमान्त जिलों में जल की उपलब्धि और नालियों के बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय इन जिलों में ८.६८ लाख रुपए की लागत से जल उपलब्धि के साधन जुटाए जा रहे हैं। बदरीनाथ के रास्ते में १७ गांवों में २.५९ लाख रुपए की लागत से जल उपलब्धि के साधन जुटाए जा रहे हैं।

## आवास

राज्य की आवास समस्या का समाधान करने की दृष्टि से भारत सरकार की वित्तीय सहायता से निम्नलिखित स्कीमों पर कार्य चालू है :—

### सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत तीसरी योजना की अवधि में ३०० लाख रुपए की लागत से ७८३० मकान बनाए जाने हैं।

### निम्न आय वर्ग आवास स्कीम

यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ६०००, रुपए से अधिक नहीं है। इन लोगों को दीर्घकालीन उधार पर और ब्याज की सस्ती दरों पर रुपया उधार दिया जाता है।

### गंदी बस्तियों की सफाई की स्कीम

शहरी इलाकों से गंदी बस्तियों को दूर करने के लिए यह स्कीम चालू की गई है। गंदी बस्तियों की सफाई और उनमें नए मकान बनाने के लिए सरकार स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३०० लाख रुपए की लागत से ९७०० मकान बनाए जाने हैं।

### ग्राम आवास स्कीम

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस स्कीम के अन्तर्गत २२० लाख रुपए की लागत से २५०० मकान बनाए जाने हैं। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में १०७३ मकान बनकर

तैयार हो गए, और अन्य २,७२८ मकानों का निर्माण-कार्य चल रहा है। १९६२-६३ में अन्य ९१३ मकान बनाने के लिए ९.१२६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

## सहायता और पुनर्वास

राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के ३,६७३ विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। इन विस्थापित परिवारो के अतिरिक्त तराई के इलाकों के अन्य १००० परिवार पहले ही बसाये जा चुके हैं।

पुनर्वास के क्रम में गति लाने की दृष्टि से बिजनौर, पीलीभीत रामपुर, बरेली, नैनीताल और बहराइच में २७ स्कीमें शुरू की गयी हैं।

## प्रचार

राज्य सरकार के सूचना विभाग ने आलोच्य वर्ष में विज्ञान और टैक्नोलोजी जैसे विभिन्न विषयों पर हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया है। हिन्दी समिति का कार्य-संचालन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा होता था जो कि अब सूचना निदेशालय को सौंपा गया है। निश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी। इस वर्ष इस प्रकार की १६ पुस्तकें प्रकाशित की गयीं और चालू वर्ष में अन्य तीस पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

गांवों में से अभी तक १२,७९२ रेडियो सैट पहुंच चुके हैं। इस वर्ष तीन नई फिल्म बनाई गयीं : "अमर उजाला", "प्रगति के पथ पर" और "वन विकास"। अन्य पांच फिल्मों पर काम चल रहा है।

सूचना निदेशालय ने सरकारी और विकास कार्यों सम्बन्धी २,१३३ प्रैस नोट, १४४ साप्ताहिक समाचार-पत्र और ३४ लेख इंगलिश, हिन्दी और उर्दू भाषा में प्रकाशित किए।

## खानें

चैमाली जिले में १२ मील लम्बी एस्बैस्टोस की एक खान का पता चला है। इसी प्रकार मुंगर घाटी में १.२५ करोड़ टन मैगनासाइट की खान का पता चला है। मिर्जापुर जिले के बंसी और मकरी खोज नामक स्थानों में ३५ लाख टन की मीडियम हीट ड्यूटी फायर क्ले की खान का भी पता चला है।

भूगर्भ विज्ञान निदेशालय चैमाली व अन्य इलाकों में खोज का काम सक्रिय तौर पर कर रहा है।

## कृषि

जून, ३०, १९६२ को अन्त होने वाले वर्ष में गेहूं और धान की पैदावार बहुत अच रही। अन्य फसलों में भी प्रति एकड़ वृद्धि हुई है। इस वर्ष लगभग ३ लाख एकड़ अछूती भू पर काश्त की गई और ४८ हजार एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया।

१९६१ में गेंहूं की पैदावार ४०.६४ लाख टन हुई। जबकि १९५०-५१ में २६.७८

टन और १९६०-६१ में ३८.८२ लाख टन हुई थी। इसी प्रकार धान की पैदावार इस वर्ष ३३.२४ लाख टन हुई है जबकि १९५०-५१ में १९.७६ लाख टन और गत वर्ष १९६०-६१ में ३१.० लाख टन थी।

खराब मौसम के बावजूद मूंगफली की पैदावार २.२६ लाख टन हुई जबकि गत वर्ष १.७३ लाख टन थी। तिलहन की पैदावार १२.३ लाख टन और कपास की पैदावार ४५,००० गांठें हुई। पटसन की पैदावार १९६०-६१ में १.३९ लाख गांठें थीं जबकि १९६०-६१ में १.७० लाख गांठें हो गयीं। लेकिन गन्ने की पैदावार में कमी आई। गत वर्ष ५३६.५ लाख टन गन्ना पैदा हुआ था जबकि इस वर्ष केवल ४८८.८ लाख टन गन्ना पैदा हुआ।

कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष प्रगति की गई है। विभिन्न फसलों से ज्यादा पैदावार पाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जोकि खेतों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

गत दो योजनाओं की तुलना में तीसरी योजना काफी बड़ी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल ५०२.२५ करोड़ रुपए परिव्यय रखे गए हैं। जबकि पहली योजना में १५३.३३ करोड़ और दूसरी में २५३.०९ करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गयी थी। गत दो योजनाओं की भांति इस योजना में भी कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गयी है किन्तु साथ ही औद्योगिकरण को भी विशेष बढ़ावा दिया गया है। तीसरी योजना के ब्योरे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

| | |
|---|---|
| १. कृषि कार्यक्रम | ८८.०७ करोड़ रुपए |
| २. सहकारिता और सामुदायिक विकास | ६०.६२ ,, , |
| ३. सिंचाई और बिजली | १६५.८२ ,, ,, |
| ४. उद्योग और खानें | २९.४९ ,, ,, |
| ५. परिवहन और संचार | ३०.८६ ,, ,, |
| ६. समाज सेवा | १२४.८५ ,, ,, |
| ७. विविध | ४.५४ ,, ,, |
| | कुल जोड़ : ५०२.२५ करोड़ रुपए |

तीसरी योजना की एक विशेषता यह है कि गांव सभाओं ने अपने गांवों के लिए योजनाएं बनाई हैं जिनका खण्ड और जिले के स्तर पर एकीकरण किया गया है। यदि गांवों सभाओं द्वारा बनाई गयी इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय तो आशा है कि खाद्योत्पादन में लगभग ५२ लाख टन की वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

नई स्कीमों पर जो २४.६७ करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं उसमें से पूर्वी जिलों को १७.०८ करोड़, बुन्देलखण्ड को १.८२ करोड़ रुपए और पहाड़ी इलाकों को १.४५ करोड़ दिए जाएंगे माताटीला, रामगंगा, शारदा सागर और नानक सागर की पिछली स्कीमें तीसरी योजना में चलती रहेंगी।

## बाढ़-नियंत्रण

गत वर्षों में बाढ़ से जो नुकसान हुए हैं उसके अध्ययन से पता चलता है कि लगभग ७००० गांव जल मग्न हो जाते हैं और बहुत से गांवों की धरती जल के प्रवाह से कट जाती है

मशीनी गेहूं परिष्कार, सम्पूर्णानन्द औद्योगिक एवं कृषि कैम्प जेल, सितारगंज, जिला नैनीताल

यमुना जल-बिजली प्रयोजना क्रम—१ के अन्तर्गत धालीपुर बिजलीघर निर्माण-क्रम में

लखनऊ में बाढ़ से सुरक्षा का काम

सहकारी कताई मिल (इटावा) का नमूना जिसका शिलान्यास केन्द्रीय मंत्री
श्री मनुभाई शाह ने ३० जून १९६२ को किया

इन गावों और कस्बों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग ने ५८ करोड़ रुपए की लागत का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में कम से कम ५० लाख एकड़ भूमि बाढ़ों के प्रकोप से मुक्त हो सकेगी।

## सहकारिता

१९६१-६२ में सहकारिता के क्षेत्र में जो लक्ष्य सामने रखे गए थे वे प्रायः सभी पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का समूचा ग्रामीण इलाका सहकारी समितियों की परिधि में आ गया। इस समय १९,०६६ सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियों के अन्य ७ लाख सदस्य बनाए गए हैं और इस समय सदस्यों की कुल संख्या ३७ लाख से ऊपर है।

इस समय प्रारम्भिक स्तर की सहकारी समितियों की कुल संख्या ५१,८०० है। इनमें ३२,००४ कृषि ऋण सहकारी समितियाँ हैं, ७३० बड़ी सहकारी समितियाँ और १९,०६६ सेवा सहकारी समितियां हैं। इस वर्ष सहकारी समितियों के सदस्यों को ३,६९६ लाख रुपए का ऋण दिया गया।

इस वर्ष राज्य के कुछ चुने हुए जिलों में सहकारी कृषि की ३० प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की गयी हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत १२५ सहकारी कृषि समितियां ब- चुकी हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या २,२८६ है और कृषि भूमि १३,९२६ एकड़ है।

इस समय राज्य में सहकारी दुग्ध वितरण समितियों की संख्या १३ है। देहरादून औ बरेली में दुग्ध वितरण केन्द्र संगठित किए गए है। इसी प्रकार मेरठ में चार नई दुग्ध वितर समितियों ने इस वर्ष लगभग २ लाख ७५ हजार मन दूध बांटा।

### राज्यपाल : श्री बिश्वनाथ दास

| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| श्री चन्द्रभानु गुप्त | सामान्य प्रशासन, योजना, गृह, उद्योग और चिकित्सा। |
| मुख्य मंत्री | |
| श्री हुकुमसिंह विसेन | राजस्व। |
| श्री गिरधारीलाल | लोककर्म। |
| श्रीमती सुचेता कृपलानी | श्रम और सामुदायिक विकास। |
| श्री चरनसिंह | कृषि। |
| श्री सैयद अली जहीर | न्याय। |
| श्री कमलापति त्रिपाठी | वित्त। |
| श्री हरगोविन्द सिंह | योजना। |
| आचार्य जुगलकिशोर | शिक्षा। |
| श्री विचित्रनारायण शर्मा | स्वायत्त शासन। |
| श्री मुजफ्फर हसन | परिवहन। |

| | |
|---|---|
| श्री राममूर्ति | सिंचाई। |
| श्री अलगूराय शास्त्री | वन। |
| श्री चतुर्भुज शर्मा | सहकारिता। |
| श्री जगमोहनसिंह नेगी | नागरिक संभरण। |
| श्री फूलसिंह | ग्राम और छोटे उद्योग। |
| श्री महावीरसिंह | स्वास्थ्य और समाज कल्याण |

**राज्य मंत्री**

| | |
|---|---|
| डा० सीताराम | उत्पादन-कर। |
| श्री गोविन्द सहाय | जेल, सहायता और पुनर्वास। |
| श्री दाउदयाल खन्ना | गन्ना विकास। |
| श्री बनारसीदास | सूचना। |

**उपमंत्री**

| | |
|---|---|
| श्रीमती प्रकाशवती सूद | समाज कल्याण और हरिजन कल्याण। |
| श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा | बिजली और योजना। |
| श्री बलदेवसिंह आर्य | खाद्य। |
| श्री धर्मसिंह | चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। |
| श्री एच. एन. बहुगुणा | श्रम। |
| श्री नवलकिशोर | गृह (पुलिस)। |
| श्री जयराम वर्मा | वित्त। |
| डा० रामनारायण पांडे | सिंचाई। |
| श्री शिवप्रसाद गुप्ता | गांव और छोटे उद्योग। |
| श्री शिवराजसिंह | कृषि। |
| श्री केशभान | शिक्षा। |

: ३२ :

# केरल

| | |
|---|---|
| राजधानी | : त्रिवेन्द्रम |
| क्षेत्रफल | : १५,००३ वर्गमील |
| जनसंख्या | : १३,५४९,११८ |
| मुख्य भाषा | : मलयालम |

केरल राज्य में आलोच्य अवधि में सभी क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति होती रही है, विशेषतः शिक्षा, सिंचाई, खाद्योत्पादन, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति प्राप्त की गयी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में संतोषजनक प्रगति हुई है। तीसरी योजना के अन्तर्गत दूसरी योजना से दुगना व्यय रखा गया है और समाज कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया जा रहा है। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में संतोषजनक प्रगति हुई है। इस वर्ष के कार्यों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :

### शिक्षा

इस वर्ष अति विवादास्पद शिक्षा ऐक्ट का संशोधन किया गया ताकि विभिन्न मतों के लोगों को किसी प्रकार की शिकायत न रहे और ऐक्ट के मातहत ऐसे कानून बनाए जा सकें जो कि यथासम्भव उनकी इच्छानुसार हों। केरल सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन दरों में अंतर कम करने की यथासम्भव कोशिश की है और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए पेंशन, प्रोवीडेण्ट फण्ड और बीमा का प्रबन्ध किया गया है।

राज्य की शिक्षा उन्नति तथा शिक्षा विभाग के प्रशासन के लिये मार्च, १९६१ में एक राज्य सलाहकार शिक्षा बोर्ड कायम किया गया।

### शिक्षा विभाग का संगठन और कर्मचारी

१ सितम्बर, १९६१ से शिक्षा विभाग के प्रशासकीय ढांचे का पुनर्गठन किया गया है और अधिकांश कार्य विकेन्द्रित कर दिया गया है ताकि अधिक कार्यक्षमता के साथ शिक्षा कार्य का सपादन हो सके। नए ट्रेनिंग स्कूल खोले गये हैं और १० नमूने के नर्सरी स्कूलों की स्थापना भी की गयी है। प्राथमिक से पूर्व की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और नर्सरी स्कूल खोले जा रहे हैं।

**नये स्कूल :** ९ हाई स्कूलों का विभाजन किया गया है और लड़कियों के अलग स्कूल खोले गये हैं। हाई स्कूलों के निम्न प्राथमिक विभागों को १९६१-६२ से स्वतंत्र स्कूलों का रूप दिया गया है।

त्रिचूर में एक हिन्दी प्रशिक्षण कालेज खोला गया है जिसका उद्देश्य हिन्दी के अध्यापकों को तैयार करना है।

**अध्यापकों को लाभ :** प्राइवेट स्कूलों के हैड मास्टरों और ग्रेजुएट अध्यापकों के वेतन और पेंशन की दरों में समानता लाने के साथ-साथ सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए १-७-६२ से प्रोवीडेन्ट फण्ड और बीमा की स्कीम भी जारी की गयी है।

**पाठ्य क्रम और पाठ्य पुस्तकें :** आलोच्य वर्ष में पाठ्यक्रमों में सुधार लाने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की गयी जिसके द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम १९६२-६३ से चालू किए जायेंगे।

**मध्य दिवसीय आहार :** १९६१-६२ के दौरान समूचे राज्य में मध्य दिवसीय आहार स्कीम चालू की गयी है। इस स्कीम पर दो-तिहाई खर्च सरकार देती है और शेष एक-तिहाई स्थानीय अंशदान से प्राप्त किया जा रहा है। चर्बी रहित दूध का चूर्ण और वनस्पति तेल पहली से चौथी क्लास तक के बच्चों को उक्त स्कीम के अन्तर्गत बांटे जा रहे हैं।

**टैक्नीकल शिक्षा :** केन्द्र द्वारा स्थापित क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज कालीकट ने सितम्बर, १९६१ से कार्य आरम्भ कर दिया है। निजी क्षेत्र में एक अन्य इंजीनियरिंग कालेज कोठामगलम मे सितम्बर, १९६१ में खोला गया है।

इस वर्ष राज्य के सभी इन्जीनियरिग कालेजों में एकीकृत पंचवर्षीय पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

पालाघाट जिले के पैरिनथलमन्ना में एक पोलिटैक्निक संस्था खोली गयी हैं जहां सिविल मैकेनीकल और इलैक्ट्रिकल डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इस प्रकार महिलाओं के लिए एक पौलिटैक्निक संस्था त्रिवेन्द्रम में खोली गयी है जहां कि सिविल ड्राफ्टसमैनशिप का पाठ्यक्रम तथा व्यापारिक पत्र-व्यवहार और कपड़ा सिलाई आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा त्रिवेन्द्रम मे टैक्सटाइल टैक्नोलोजी की एक संस्था खोली गयी है जो इस विषय में डिप्लोमा प्रदान करती है।

इस वर्ष अन्य चार जूनियर टैक्नीकल स्कूल खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त ९ स्कूल पहले से काम कर रहे हैं। अभी तक ५४० शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी और अब ७८० शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

टैक्नीकल संस्थाओं में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लियें जरूरी कदम उठाए गए हैं और इस वर्ष से छात्रवृत्तियां देना आरम्भ किया गया है।

## सार्वजनिक स्वास्थ्य

शहर में जल की पर्याप्त उपलब्धि और गन्दी नालियां बनाने का काम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया था जो कि अब भी जारी है।

इस वर्ष निम्नलिखित बड़ी स्कीमों पर काम किया गया :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयी स्कीमें जो कि अभी जारी हैं :

१– क्विलन वाटर सप्लाई स्कीम
२– कोटायम " " "
३– एर्नाकुलम-मटांचरी " "
४– पालघाट " " "
५– त्रिचूर " " "

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली स्कीमें :

| | | | |
|---|---|---|---|
| १– त्रिवेन्द्रम | वाटर | सप्लाई | स्कीम |
| २– कोझीकोढ़ | ” | ” | ” |
| ३– कैन्नौर | ” | ” | ” |
| ४– तेलीचेरी | ” | ” | ” |
| ५– वेकम् | ” | ” | ” |
| ६– कायमकुल्लम् | | ” | ” |
| ७– शैरथलई | | ” | ” |
| ८– बडगारा | | ” | ” |
| ९– पैरमपावूर | | ” | ” |

दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयीं प्रथम पांच स्कीमों से १० लाख जनसंख्या को लाभ पहुंचा है और शेष दो स्कीमों से अन्य ४ लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। नई ९ स्कीमों से ७.५ लाख लोगों को लाभ होगा। नई ८ वाटर सप्लाई स्कीमों पर १०३५.१३ लाख रुपये की लागत आयेगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही ७ स्कीमों पर ६५९.४३ लाख रुपये व्यय होगा। नई स्कीमों पर काम शुरू हो गया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों में जल की समुचित उपलब्धि के लिये ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १६० नलकूप खोदे गये।

आलोच्य अवधि में २५ ग्राम जल उपलब्धि योजनाएं जारी की गयी हैं और अन्य २१ योजनाओं पर काम हो रहा है।

गांवों में जल की उपलब्धि के लिए एक वाटर सप्लाई बोर्ड स्थापित किया गया है जो कि इस मामले में सरकार को सलाह देगा।

## पशुपालन

स्थानीय मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए राज्य में १६ ग्राम केन्द्र कार्य कर रहे हैं जहां कि कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों में १९६१-६२ के दौरान लगातार काम होता रहा और काम में विकास भी किया गया।

१० नए पशु औषधालय और चार पशु चिकित्सालय और २ चलते-फिरते औषधालय आरम्भ किए गए हैं ताकि गांवों में पशुओं की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके।

## बिजली

१९६१-६२ के आरम्भ में निम्नलिखित ३ जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्य हो रहा था : परियार परियोजना : जिसके ३० हजार किलोवाट बिजली प्राप्त होगी; शीलापुर परियोजना (५४ हजार किलोवाट) और सावरीगिरि (पम्बा परियोजना) जिसके द्वारा ३ लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

बिजली के विकास के निमित १९६१-६२ में ६३८.०६ लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था

की गयी थी जिसमें से ६१५ लाख रुपये खर्च किये जा चुके है। १९६२-६३ में बिजली कार्यक्रम पर ७७० लाख रुपये व्यय करना निश्चित किया गया है।

इस वर्ष १२ अप्रेल, १९६१ को भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा नेरियामनंगलम् बिजलीघर का उद्घाटन किया गया। इस बिजलीघर की क्षमता ४५ हजार किलोवाट है। पनियार, शोलमर और साबरगिरि परियोजनाओं का कार्य प्रगति कर रहा है।

दो नई जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्यारम्भ किया गया—इडिक्कि और कुट्टियाढ़ि परियोजना।

गांवों में बिजलीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत १०२ केन्द्रों का बिजलीकरण किया गया तथा २१,२८६ उपभोक्ताओं को बिजली का लाभ उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष इन केन्द्रों में बिजलीकरण के अतिरिक्त अन्य १३ केन्द्रों का कार्य पूरा हो चुका है और उनमें बिजली पहुंचाने के लिये उचित तैयारी की जा चुकी है। १९६१-६२ के अन्त तक समूचे राज्य में ४० प्रतिशत गांवों को बिजली प्राप्त हो चुकी थी। चालू वर्ष में अन्य १४० बिजली वितरण केन्द्रों की स्थापना और १७,४२० उपभोक्ताओं को बिजली पहुँचाने का आयोजन है।

## स्वास्थ्य सेवाएं

वर्काला, अयूर, कोटाम् और पालघाट के ४ अस्पतालों में रोगियों की सेवाएं बढाई गई हैं।

नए अस्पताल और दवाखाने खोलने की स्कीम के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में एक अस्पताल और १० दवाखाने खोले गये। त्रिचूर जिले के पन्नाचेरी में स्थित विषवैद्य औषधालय को अस्पताल का रूप दिया गया और अन्य चार शैयाओं की वृद्धि की गयी।

मलाबार जिला बोर्ड के अधीन अभी तक जो ३९ सरकारी सहायता-प्राप्त ग्राम औषधालय थे, वे अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन आ गये हैं और स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों को सीधी सहायता प्रदान करता है।

५० कम्पाउंडर प्रशिक्षार्थी और २५ नर्स प्रशिक्षार्थियों को भर्ती किया गया है और वे राज्य के विभिन्न तीन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

कुरुचि के सरकारी अस्पताल में सर्जरी और गायनाकोलोजी के विभाग खोले गये हैं और अस्पताल में रोगी शैयाओं की संख्या ३० से बढ़ाकर ५० कर दी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार नए होमियोपैथिक औषधालय भी खोले गये है।

## पंचायत

१९६१-६२ की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना केरल पंचायत एक्ट १९६० का लागू किया जाना है।

इस नए ऐक्ट के अनुसार समूचे राज्य का ९२३ पंचायतों में सीमाकरण किया गया है। प्रत्येक पंचायत १५,००० जनसंख्या की एक इकाई है और उसके अधीन १० वर्गमील का एक

एफ. ए. सी. टी आलवइ, केरल

रबर उद्योग (केरल)

कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं (केरल)

स्कूल के बच्चों में दिन का भोजन (केरल)

दिया गया है। इसी प्रकार पंचायतें परिवहन कर, भूमि के हस्तान्तरण का कर और ग्रामोद-प्रमोद कर इत्यादि लगा सकते है। इनके अलावा सरकार को अधिकार है कि वह पंचायतों के सुसंचालन के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करे।

पंचायत कार्यपालकों के लिये त्रिवेन्द्रम और कोझीकोडे मे दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। प्रत्येक केन्द्र में तीन मास की अवधि के लिए ५० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे पंचायतों और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासकीय कार्य से परिचित हो सकें।

## औद्योगिक समितियां और समाज कल्याण

आलोच्य अवधि में श्रम विभाग ने ३,८०४ औद्योगिक झगड़ों में बिच-बिचाव किया। और ३,४२७ झगड़ों को तय किया।

५७ मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी जिन्होंने बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कानून का उल्लंघन किया था।

चमड़ा उद्योग, सार्वजनिक मोटर परिवहन, कृषि और आटे दाल की पिसाई के उद्योग के लिए अल्पतम वेतन समितियां स्थापित की गयी।

मजदूरों को मुआवजा देने के १९२३ के एक कानून के अन्तर्गत मजदूर मुआवजा आयुक्त ने ३८७ आवेदन प्राप्त किए और आलोच्य अवधि में २,४१,५३५.४३ नए पैसे मुआवजे के रूप में बांटे गये।

भारतीय ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये १६५ ट्रेड यूनियनों की दरख्वास्तें प्राप्त की गयीं जिनमें से १३१ यूनियनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए।

## रबर बागान स्कीम

केरल राज्य में रबर की खेती एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है जिसे सघन रूप देने के लिए सरकार ने एक स्कीम चालू की है। इस स्कीम को बनाने और बेरोजगारी की समस्या का आंशिक हल और भावी औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रक्खा गया है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक वन प्रान्त को रबर की खेती के मातहत लाया जा सके और साथ ही वनों की सुरक्षा को भी क्षति न पहुंचे। तीसरी योजना की अवधि मे १,०७,००० एकड़ इलाके में रबर की खेती करने का इरादा है। निजी क्षेत्र में रबर की खेती में सहायता देने के लिए सरकार की ओर से ऋण आदि की व्यवस्था है।

उक्त स्कीम के अनुसार १०,००० एकड़ किवलन जिले के कोडूमन सरकारी जंगलों में और १०,००० एकड़ इनार्कुलम जिले के कलाढ़ि के जंगलों में रबर की खेती आरम्भ की जाएगी। यह स्कीम केन्द्रीय सरकार की ओर से आरम्भ की गयी है और तीसरी योजना की अवधि में इस स्कीम पर २५० लाख रुपये व्यय किए जाने का विचार है। १९६१-६२ में ४,००० एकड़ वन प्रान्त में रबर की खेती आरम्भ की जाएगी और उस पर ५०.१७५ लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

## भूमिहीन लोगों को ऋण सहायता

इस स्कीम के अन्तर्गत बेरोजगारी और भूमिहीन गरीब लोगों को साढ़े तीन एकड़ भूमि

में प्लाट सरकार की ओर से दिए जायेंगे। इसके अलावा ७५० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण दिया जायगा। इस स्कीम का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :

| (क) वर्ष | भूमि | धन |
|---|---|---|
| १९६१ से १९६६ | १०,००० एकड़ | ६० लाख रुपये |
| (ख) १९६१-६२ | ३५०० एकड़ | १०.७० लाख रुपये |

## उद्योग

तीसरी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उन्नति के लिए जो स्कीम इस वर्ष चालू की गयी है उनके सरकारी स्वामित्त्व और सरकारी नियंत्रण में चलने वाले औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने तथा कोयर, हाथकरघा दस्तकारी आदि छोटे और बड़े उद्योगों को सहकारिता के आधार पर स्थापित करने में सहायता देना है।

## बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योग

इस मद के अन्तर्गत १९६१-६२ में १,२१,८१,३०० रुपये व्यय करने का वित्तीय लक्ष्य रक्खा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार और आधुनीकरण पर जोर दिया गया है। आलोच्य अवधि में केरल सोप इन्सटीट्यूट, कालीकट; गवर्नमेन्ट आइल फैक्ट्री, कालीकट; गवर्नमेंट पैरामिक कन्सर्न, कुन्डारा; ट्रावनकोर रबर वर्क्स, त्रिवेन्द्रम; साइकिल रिम फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम; गवर्नमेंट स्पिनिंग मिल, त्रिवेन्द्रम तथा बिजली व तत्सम्बन्धी साज-सामान के कुन्डारा स्थित एक कारखाने का पुनर्गठन और विस्तार किया गया है।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी निर्माण के कार्य में सहायता दे रहा है।

## ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

गांवों तथा राज्य के अर्द्धोन्नित इलाकों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता देने की एक विशेष स्कीम बनाई गयी है। एक केरल राज्य लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना भी की गयी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना और संचालन, कच्चे माल की उपलब्धि के संगठन और किश्तों पर जरूरी साज-सामान देने आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

**औद्योगिक बस्तियाँ :** इस वर्ष इस मद के अन्तर्गत १३,६४,८०० रुपए रक्खे गए। लघु उद्योगपतियों को अपने उद्योगों के लिए उचित स्थान दिलाने जहाँ कि बिजली, पानी, परिवहन और संचार तथा बैंक और भोजनालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से आठ औद्योगिक बस्तियां दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयीं। अन्य दो बस्तियां—इर्नाकुलम और क्विलन जिलों में स्थापित की जाएंगी जिनके लिए आरम्भिक तैयारियां की जा चुकी हैं।

**दस्तकारी :** इस मद के अन्तर्गत इस वर्ष ४,६२,९०० रुपये व्यय किये जाने थे। केरल में ताम्बे और पीतल के काम के साथ हाथीदांत का काम अत्यन्त कलात्मक ढंग से किया जाता है। इनके अलावा हाथ-करघा का कपड़ा, पमीरा की पत्ती व बांस की बुनाई राज्य की विशेष

दस्तकारियों में से हैं । इन सब कार्यों में लगभग १५०० व्यक्ति लगे हैं । इस समय राज्य में १५० दस्तकारी की सरकारी समितियां काम कर रही हैं ।

**कोयर उद्योग :** इस मद के अन्तर्गत इस वर्ष १६,५०,००० रुपये व्यय किए जाने थे । कोयर उद्योग को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए एक स्कीम बनाई गयी है । कोशिश की जा रही है कि कोयर के उत्पादन के तरीकों में सुधार लाकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इस वर्ष प्रारम्भिक कोयर सहकारी समितिया तथा कोयर विक्रय सहकारी समितियां और चटाई रस्से आदि बनाने वाली सहकारी समितिया संगठित की गयी ।

**खादी और ग्रामोद्योग :** इस मद के अन्तर्गत इस वर्ष ५,८८,५०० रुपये खर्च किए जाने थे । खादी और ग्रामोद्योग जैसे कि तेल, धान, हाथ कुटाई, मिट्टी के बर्तन, हाथ का कागज, खण्डसारी गूड़े, मधुमक्खी पालन तथा चमड़े आदि के उद्योगों को बढ़ावा देने का यत्न किया जा रहा है।

लगभग ८२० सहकारी समितियां खाद और ग्रामोद्योग के लिए रजिस्टर्ड की गयी है । इन गतिविधियों का समुचित प्रचार करने के लिए केरल राज्य के उद्योग विभाग ने "केरल वाणिज्य और उद्योग" निगम ने एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया है ।

## सहकारिता

१९६१-६२ में तीसरी पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सहकारिता के विकास के लिए जो स्कीम रखी गयी थी उनको कामयाबी के साथ अमल में लाया गया है । सहकारिता के लिए निर्धारित ४४.०१ लाख रुपये की राशि में से ३४.३९ लाख रुपये विभिन्न स्कीमों पर व्यय किए गए । इन विभिन्न स्कीमों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :

### ग्राम सहकारी समितियां

छोटी ग्राम सहकारी समितियों को सक्रिय बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है । इस वर्ष इस प्रकार की २६७ सहकारी समितियों को चुना गया है जिन्हें ८,५७८ रुपये सहायता के रूप में दिए जा चुके हैं ।

### सहकारी बैंक

इर्नाकुलम जिला सहकारी बैंक की स्थापना के साथ केरल राज्य में चालू बैंकों की संख्या ७ हो गयी है । इन नए बैंकों की वित्तीय अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है । राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय भूमि-रहन बैंकों को भी आर्थिक सहायता दी गयी है ।

**मजदूरी-ठेका सहकारी समितियाँ :** इस वर्ष मजदूरी का ठेका लेने वाली पांच सहकारी समितियां संगठित की गयीं जिन्हें शेयर पूंजी के रूप में ६००० तथा कार्यकारी पूजी व साज-सामान की खरीद के लिए ऋण दिया गया । इस प्रकार इन सहकारी समितियों पर कुल ४५,००० रुपये व्यय किए गए ।

इस वर्ष रिक्शा चलाने वालों की एक सहकारी समिति संगठित की गयी जिसे २५,००० रुपया दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया गया ।

योजना के अनुसार कोट्टायम् जिले में एक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस खोला गया जिसे दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में २५,००० रुपया दिया गया।

**बिक्री सहकारी समितियां :** इस वर्ष चार प्राथमिक सहकारी समितियां कायम की गयीं और प्रत्येक समिति को २५,००० रुपए शेयर पूजी के रूप में दिया गया। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के लिए ३०,६५७ रुपए सहायतार्थ दिए गए।

इस वर्ष ३६ सेवा सहकारी समितियों को २,८६,९८१ रुपए दिए गए जो कि ३६ गोदामों के निर्माण के लिए थे।

राज्य की दो सहकारी चीनी मिलों को शेयर पूंजी के रूप मे इस वर्ष २० लाख रुपए दिए गए।

## सहकारी खेती

कोझीकोड़े, कैन्नौर जिलों में सहकारी खेती की दो प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, जिन पर अभी तक ६६,२८० रुपये व्यय किये गये है।

## सहकारी प्रशिक्षण

१९६१-६२ में निम्न अधिकारियों के प्रशिक्षण के तीनों मौजूदा स्कूलों में प्रशिक्षण कार्य चलता रहा। उच्च और मध्यस्थ स्तर के अधिकारियों को राज्य के बाहर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षा प्राप्त करने भेजा गया। १९६१-६२ में प्रशिक्षण पर कुल १,२७,७९० रुपये व्यय हुए।

गैर-सरकारी शिक्षा स्कीम राज्य के सभी जिलों में चालू की गई है और लगभग १८,००० गैर-सरकारी लोगों को प्रशिक्षण देने पर कुल ६३,२५५ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

## उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स

१९६१-६२ में १९ उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स खोले गये। इन दुकानों को खोलने वाली सहकारी समितियों को शेयर पूंजी के रूप में ३९,३१० और १९६१-६२ की सहायता के रूप में ४,०६० रुपये दिए गए।

## सहकारी दुग्ध वितरण स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत १९६१-६२ में ६.९० लाख रुपये खर्च किए जाने थे जिसमें से २.३२ लाख रुपए त्रिवेन्द्रम दुग्ध वितरण केन्द्र के विस्तार तथा कालीकट-इर्नाकुलम दुग्ध वितरण स्कीम से सम्बन्धित आरम्भिक कार्य पर व्यय किए गए।

एक सलाहाकार दुग्ध बोर्ड कायम किया गया है जो कि दुग्ध उद्योग और उसके विकास से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देगा।

## सहकारी आवास स्कीम

१९६१-६२ में सहकारी आवास स्कीम पर ३,४९,२१५ रुपये व्यय किये गये जबकि बजट में इसके निमित्त ३,५०,००० रुपए की व्यवस्था थी।

### भूमिहीन लोगों को सहकारी सहायता

इस स्कीम के अन्तर्गत उन काश्तकारों को जमीन दी जाएगी जिनकी अपनी जमीन नही है। यह काम सहकारी खेती के आधार पर किया जाएगा। इस काम के लिये जंगलों में उचित इलाके साफ किए जा रहे है। अभी तक ७५ से ६०० एकड तक के लिये कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

### कृषि और खाद्य-उत्पादन

आलोच्य अवधि में कृषि का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया जिसके फलस्वरूप इस दिशा में काफी प्रगति की गई। इस अवधि में धान बोने के जापानी ढंग को खासतौर पर बड़े पैमाने पर काम में लाया गया और इसके अलावा आधुनिक काश्त के तरीकों और रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया गया।

### पौधों का संरक्षण

इस काम में विशेष प्रगति की गई है और पेड़-पौधों में लग जाने वाले कीड़ों और बीमारियों को रोकने के लिये उचित कदम उठाए गए हैं। कीडे मारने की दवाइयां काश्तकारो को वास्तविक मूल्य से ५० प्रतिशत कम कीमत पर दी गई है।

### नारियल उद्योग

नारियल उद्योग के विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल के अच्छे पौधे बांटे गये और प्रदर्शन करके दिखाए गए हैं कि उन्हें किस प्रकार से बोया जाना चाहिए। नारियल के पेड़ों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिये भी उचित उपाय काम मे लाए जा रहे हैं।

### कृषि पदार्थों की बिक्री

कृषि विभाग के विक्रय खण्ड में इस वर्ष विशेष विस्तार हुआ है। यह विक्रय सेवा १३ वड़ी मण्डियों के बाजारों में दर संकलित करती है और उन्हे आल इण्डिया रेडियो, त्रिवेन्द्रम को भेजती हैं ताकि सूचना का प्रसार किया जा सके।

### भूमि परीक्षण अनुसन्धानशाला

कृषि कालेज, वेलायनी में कृषि भूमि के परीक्षण के निमित्त एक अनुसन्धानशाला खोली गई है।

### सिंचाई

आलोच्य अवधि में सिंचाई के क्षेत्र में सभी जगह संतोषजनक प्रगति हुई है। इस वर्ष राज्य के पिछड़े हुए इलाकों में सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध करने पर विशेष जोर दिया गया।

### मुख्य सिंचाई स्कीम

आलोच्य अवधि में मालमपुन्ना, मंगलम्, नायर स्टेज—१, चेराकून्जी, पोथूडी, गायत्री, चालकुढ़ी—२, पैरियार, घाटी, नैयार—२, और कट्मपूभा योजनाओं पर निर्माणि-कार्य चल रहा है। इनमें से मालमपूभा और मंगलम परियोजनाओं मे पूरी तरह काम चल रहा है। अन्य

योजनाओं में आंशिक रूप में कार्य आरम्भ हो गया है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई सभी परियोजनाओं से सम्बन्धित आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है और पूरी आशा है कि तीसरी योजना के सभी लक्ष्यों को सम्पूर्णतः प्राप्त किया जा सकेगा ।

## बाढ़ नियन्त्रण

भारी वर्षा के कारण केरल राज्य में तटवर्त्ती इलाकों में बाढ़ से पानी भर जाता है जिस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इस दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर काम शुरू किया गया। अभी तक निम्नलिखित बाढ़-नियंत्रण कार्य पूरा किया जा चुका है :—

१. चालकुड़ी नदी बांध
२. कडालुन्डी नदी बांध
३. एचिनकोयल नदी को गहरा और चौड़ा किया जाना ।
४. एचिनकोयल नदी बांध
५. चैरीनाद बांध
६. करूवन्नूर उत्तरी बांध में सुधार
७. वियाम बान्ध को एक रेगुलेटर के रूप में परिणत किया जाना ।
८. भारतपुझार में सुरक्षा कार्य
९. किलीयार में किल्ली पालन और इरानीमुत्तम के बीच एक दीवार की चिनाई ।
१०. कोट्टकल नहर को गहरा और चौड़ा किया जाना ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस निमित्त ६१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

## वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन योजना

राज्य सरकार ने १ नवम्बर, १९६० से वृद्धावस्था निवृत्ति की स्कीम शुरू की है जिसके अनुसार ७० वर्ष से ऊपर की आयु के दरिद्र लोगों को जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है, १५ रुपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी ।

## आयोजन

केरल राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना पर, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा चुका है, कुल १७० करोड़ रुपए व्यय किए जाने की व्यवस्था है जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की राशि से दुगना है। १७० करोड रुपये की इस राशि में केन्द्र का हिस्सा शामिल नहीं है। तीसरी पंच-वर्षीय योजना का उद्देश्य राज्य की कुछ विशेष समस्याओं को हल करना है जैसे कि खाद्यान्न का अभाव, जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव और शिक्षित लोगों में बड़े पैमाने की बेरोज़गारी ।

## सामुदायिक विकास

आलोच्य अवधि के अन्त तक ६८ क्रम—१ खण्ड, २६ क्रम—२ खण्ड और १५ पूर्व विस्तार खण्ड कार्य कर रहे थे। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में ८६६३.५ वर्गमील भूमि पर ९६.९ लाख जनसंख्या है ।

**मत्स्य उद्योग :** विझिनजोम में एक बर्फ का कारखाना बनाया गया है जिसने काम शुरू कर दिया है। कैयम्मकुलम् में भी एक बर्फ का कारखाना बनकर तैयार हो गया है और एक २५ टन का बर्फ का सन्यत्र जो कि अभी तक पश्चिमी तट मत्स्य उद्योग कम्पनी के पास था, सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।

## हरिजन कल्याण

चूंकि, हरिजन कल्याण के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण आवश्यक है। आलोच्य अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। इन संस्थाओं से उत्तीर्ण हरिजन तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को उचित नौकरियां मिल रही हैं।

## आवास व्यवस्था

हरिजनों के लिए आवास सम्बन्धी अनुदान की राशि ८०० रुपये से बढ़ाकर १,००० रुपये कर दी गई है।

आदिमजाति के कल्याण की दिशा में भी विशेष प्रगति की गई है। कैन्नौर, पालघाट और कोट्टायम् जिलों में तीन आदिमजाति बस्तियां कायम की गई है। कन्नावम बस्ती में जहां कि अभी तक घना जंगल था, और हाथियों के झुन्ड रहा करते थे, आदिमजाति की एक नई बस्ती बनाई गई है। इन बस्तियों में स्कूल, दस्तकारी केन्द्र और औषधालय आदि स्थापित किए जा रहे हैं।

## शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

हरिजन विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां १५ से २५ रु० (पांचवी जमात) और २५ से ४० रु० (ऊंची जमात) में कर दी गई है। कुछ विशेष योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विशेष सुविधाएं दी गई हैं। प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले हरिजन विद्यार्थियों के लिये भी सुविधाएं उपलब्ध की गई है। ओरियन्टल टाइटिल परीक्षाओं में बैठने वाले हरिजन विद्यार्थियों के लिये परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। ला कालेज और पोलिटैक्निक के हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा-शुल्क में रियायत और एक मुश्त अनुदान के अलावा छात्रावास और जेब खर्च के लिये रुपये भी दिये जा रहे हैं।

**राज्यपाल :** श्री वी० वी० गिरि

| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| श्री पट्टम ए० थानु पिल्लई<br>मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन, योजना, सामुदायिक विकास, शिक्षा। |
| श्री आर० शंकर | वित्त, समाज कल्याण और सहकारिता। |
| श्री पी० टी० चाको | गृह, पुलिस और जेल। |

| | |
|---|---|
| श्री के० ए० दामोदर मैनन | उद्योग, वाणिज्य, सूचना और प्रसार । |
| श्री टी० टी० उमर कोया | नगरपालिका, पंचायत और खेलकूद । |
| श्री के० टी० अच्युतन | परिवहन और श्रम । |
| श्री ई० पी० पौलोसे | खाद्य और कृषि । |
| श्री वी० के० बलाप्पन | सार्वजनिक स्वास्थ्य, विद्युत, देवस्वम और धर्मार्थ उद्योग । |
| श्री दामोदरन् पोट्टी | लोककर्म और पर्यटन । |
| श्री के० चन्द्रशेखरन | कानून, राजस्व, न्याय, उत्पादन-कर और मध्यनिषेध । |
| श्री के० कुन्हम्बु | हरिजन उत्थान और रजिस्ट्रेशन । |

# *Planning* TOWARDS A BETTER PORT

As the life-line of Eastern India's trade and commerce, the Calcutta Port faces recurring problems every year. The emphasis on industrial progress in the Second Five-Year Plan period has considerably changed the type of cargo to be handled. Steel and mechanical equipment, heavy machinery and huge plant form a considerable bulk of the import. On the export front it is coal or ore.

To-day's well-equipped Port needs be made into a better Port to-morrow. But this is possible not by more equipments alone. The Calcutta Port needs most the whole-hearted co-operaton from all fronts,—from those who use and also from those who serve it.

*MEN & MACHINES MAKE A BETTER PORT*

**CALCUTTA PORT COMMISSIONERS**

*Issued by the Commissioners for the Port of Calcutta*

कोयना जल-बिजली प्रयोजना, बम्बई

कैम्बे में आयल टेकनोलौजिकल स्कूल, गुजरात

: ३३ :

# गुजरात

| | |
|---|---|
| **राजधानी** | : अहमदाबाद |
| **क्षेत्रफल** | : ७२,१३७ वर्ग मील |
| **आबादी** | : २०,६१२,२८५ |
| **मुख्य भाषा** | : गुजराती |

अपने अस्तित्व के विगत दो वर्षों में ही गुजराज राज्य ने अपनी अधिकांश प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया है। राज्य अब विकास, प्रशासनात्मक कार्यक्षमता तथा आर्थिक घाट के अन्तर को कम करने जैसी गम्भीर समस्याओं पर विचार कर रहा है।

## वित्तीय स्थिति

१९६२-६३ के बजट अनुमानों के अनुसार ०.९५ करोड़ रुपया का घाटा है। वर्ष के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों की मात्रा क्रमश: ६७.६२ करोड़ और ६९.५७ करोड़ रुपये आँकी गई है।

१९६१-६२ के अनुमानों में ३.८७ करोड़ रुपयों का घाटा आँका गया था। वर्ष के दौरान ५५.०५ करोड़ रुपयों की राजस्व प्राप्तियाँ और ५८.१२ करोड़ रुपये के राजस्व व्यय हुए। अधिक कराधान से ८० लाख रुपये की अपेक्षा के साथ घाटा ३.०७ करोड़ रुपये आँका गया था। लेकिन १९६१-६२ वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार १.२६ करोड़ रुपयों का घाटा आता है।

## योजना की सफलताएँ

राज्य की दूसरी योजना के लक्षांकों में ४ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्यान्नों, कपास, तम्बाकू और मूँगफली की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है, खास तौर से इस अवधि में तम्बाकू की पैदावार में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। मूँगफली की पैदावार सात गुनी बढ़ गई है।

## तीसरी योजना

राज्य की दूसरी योजना के लिए कुल १४५.५७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी लेकिन योजनावधि में कुल १५२.५२ करोड़ रुपए का व्यय हुए। तीसरी योजना के लिए २३५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

चालू वर्ष अर्थात् तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के योजना-कार्यो के लिए ३३.१९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन चालू वर्ष के अन्त तक वास्तविक व्यय ३८.४२ करोड़ रुपये अर्थात् ५.२३० करोड़ रुपये अधिक होना आँका गया है।

## खाद्य उत्पादन

गुजरात राज्य में खाद्यान्नों की कमी है। यह कमी सालाना करीब १८ लाख टनों की होती है। इसलिए राज्य में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए विगत १० वर्षों में विविध कृषि कार्यक्रमों को लागू किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक खाद्यान्न पैदा करने का लक्षांक ८ लाख

टन रखा गया है। इसके अलावा तीसरी योजनावधि के अन्त तक राज्य को अधिक तीन लाख कपास की गाँठें और तीन लाख टन तिलहन पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है।

## कृषि विकास

अभी राज्य में दो कृषि कॉलेज हैं—एक आणन्द में और दूसरा जूना गढ़ में। तीसरा कॉलेज तीसरी योजनावधि में सूरत जिले में खोला जायगा। प्रत्येक वर्ष शुरु किये जाने वाले व्यापक और गहन कृषि अभियानों के जरिये शिक्षा और शोध के नतीजों को व्यावहारिक खेती में लागू किया जाता है। इस उद्देश्य से कृषि विकास के सभी पहलुओं से सम्बन्धित एक पेकेज कार्यक्रम के रूप में एक सामूहिक योजना आरम्भ की गई है। १९६२-६३ में सारे सूरत जिले को इस योजना के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित किया गया है।

खाद्य समस्या के स्थायी समाधान के लिए सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न योजनाएँ शुरु की गई हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८½ लाख एकड़ से भी अधिक विस्तार में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना प्रस्तावित किया गया है। तीसरी योजना में उकाई, नर्मदा तथा कैडाना की तीन वृहद् बहुद्देश्यीय योजनाएं शामिल की गई है। काकडापार, माही, और शेत्रुजी जैसी अन्य वृहद् सिंचाई योजनाओं पर कार्य अन्तिम अवस्थाओं पर है। इसके अलावा उन विस्तारों में जो वृहद् सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं हैं अनेक छोटी सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं।

## भूमि सुधार

समाजवादी ढंग के समाज की रचना की दृष्टि से राज्य सरकार ने धन की असमानता को कम करने तथा आर्थिक शक्ति को विकेन्द्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इनमें से एक कदम है। कृषि भूमियों की सीमा निर्धारित करना। कृषि भूमि सीमा कानून का, जो राज्य में सितम्बर १९६१ से लागू किया गया है, मुख्य उद्देश्य योजना आयोग द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्तों पर कृषि भूमियों की कब्जेदारी की एक समान पद्धति लागू करना है।

## उद्योग और बिजली

राज्य की स्थापना होने के बाद से मार्च १९६२ तक गुजरात सरकार के पास उद्योगों की स्थापना के लिए ७७० आवेदन-पत्र आए हैं। इनमें से नए उद्योगों की स्थापना के लिए १२० लायसेंसों और विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए १२४ लायसेंस जारी किये जा चुके हैं। इन सभी इकाइयों की लागत ३०, करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने और ७५ हजार तकलियों (स्पिण्डिलों) के लायसेंस जारी किये हैं जिनसे ७५ लाख किलोग्राम सालाना अधिक सूत पैदा होने का अन्दाजा है।

राज्य में खाद उत्पादन तथा वितरण के लिए एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी कायम की गई है। कोयली में प्रस्तावित तेल शोधन कारखाने के उप-पदार्थों को खाद के प्लान्ट के लिए उपयोग में लाया जायगा।

देश में संस्थापित दो प्रबन्ध संस्थाओं में से एक संस्थान अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। दूसरा संस्थान कलकत्ते में है। इसमें व्यवस्था यह की गई है कि अल्पकालीन पाठ्यक्रम अगले वर्ष और डिग्री पाठ्यक्रम १९६४ के मध्य में, जबकि उसका भवन बन कर तैयार हो जायगा, आरम्भ

किया जा सके। एक औद्योगिक डिजायन संस्थान की स्थापना भी अहमदाबाद में की जा रही है।

औद्योगिक विकास क्रम के साथ राज्य में बिजली की माँग बढ़ती जा रही है और विद्यमान क्षमता में बिस्तार करना तथा नये बिजली घर स्थापित करने के सवाल काफी महत्वपूर्ण बन चुके हैं। तीसरी योजना के अन्त में बिजली का भार (लोड) का करीब ५२० मेगावट होना सम्भव है जबकि आज उसकी स्थायी क्षमता (फर्म केपेसिटी) २५३ मेगावट है।

इस २७० मेगावट बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धुवारान में (२५४ मेगावट), कण्डला में (अतिरिक्त १० मेगावट) और शाहपुर में (अतिरिक्त १० मेगावट) बिजली योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रस्तावित किया है।

राज्य को तारापोर में प्रस्तावित १५० मेगावट क्षमता के अणुबिजली केन्द्र से करीब ७५ मेगावट बिजली मिलने की आशा है।

इसके अलावा सरकार ने अहमदाबाद बिजली कम्पनी को प्रत्येक ३० मेगावट के दो सेट लगाने की अनुमति दी है जिनमें से ३० मेगावट के एक सेट से बिजली मिलना शुरू हो चुका है और ३० मेगावट के दूसरे सेट से मार्च १९६३ से बिजली मिलना शुरू होगी।

धुवरान ताप बिजलीघर में ही और २५० मेगावट क्षमता की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

नये उद्योगियों को बिजली की वर्तमान स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक उनकी फैक्टरियों की इमारतें तैयार होंगी, मशीनों आदि को लगाया जायगा तब तक उत्पादन के समय उनको बिजली उपलब्ध होने लगेगी। निर्माण आदि कार्य के लिए जितनी थोड़ी बिजली की जरूरत पड़ती है वह अब भी उपलब्ध की जा सकती है।

मार्च १९६१ तक ७७३ गाँवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी और ३३० गांवों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ शर्तों के आधार पर ६४० गांवों में बिजली पहुँचाना प्रस्तावित किया गया है। गुजरात बिजली मण्डल द्वारा तीसरी योजना में बिजली पहुँचाने के लिए १३० गांवों को चुना जायगा।

## सड़कें

नागपुर योजना के लक्ष्यांकों की तुलना में पहिली योजना के अन्त में गुजरात में ५५ फीसदी सड़क-मीलों की कमी थी। दूसरी योजना के अन्त में यह सड़क मीलों की मात्रा बढ़ कर १३,२०० हो गई और तीसरी योजना के अन्त में यह मात्रा बढ़ कर १५,९०० मील होने की सम्भावना है जो नागपुर योजना प्रतिमान से लगभग ३५ फीसदी कम रहेगी।

## समाज सेवाएँ

दूसरी योजनावधि में भूतपूर्व १९५६ बम्बई राज्य के सभी जिलों में ७-११ आयुवर्ग के छात्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी और अब उसे राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ विस्तारों में ७-८ आयु वर्ग के छात्रों पर लागू किया गया है।

सरकार, कालेज स्तर तक उन छात्रों को मुफ्त शिक्षा दे रही है जिनके मातापिता या बालकों को सभी स्रोतों की वार्षिक आय ९०० रुपये से कम है और माध्यमिक शिक्षा पाने वाले छात्रों के

लिए आमदनी की यह सीमा १२०० रुपये तक बढ़ा दी गई है।

इसके अलावा उन छात्रों को जिनके माता-पिता या अभिभावकों की सभी स्रोत से होने वाली वार्षिक आय १२०० रुपये से ज्यादा लेकिन १८०० रुपये से अधिक नहीं है और जिनके चार या अधिक बच्चे माध्यमिक शालओं में ८वें से ९वीं कक्षा में या माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र स्तर तक या उच्च संस्थाओं और कॉलेजों में पढ़ते हैं उनमें से एस० एस० सी० तक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की, चाहे वह शास्त्रीय पाठ्यक्रम या तान्त्रिक पाठ्यक्रम का विद्यार्थी हो, आधी फीस माफ की जाती है।

१९६०-६१ वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से सम्बन्धित कम आय वर्ग वाले छात्रों की सरकार ने फीस माफ पर ७० लाख रुपये खर्च किये हैं। इसी उद्देश्य से १९६१-६२ वर्ष के दौरान ७५ लाख रुपये की यथार्थ रकम खर्च होना की आशा है। इससे १९६०-६१ वर्ष के दौरान १,२२,५४७ छात्र लाभान्वित हुए और १९६१-६२ में १,४६,८२६ छात्रों का लाभान्वित होने की सम्भावना है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में डिग्री डिप्लोमा संस्थाओं की भर्ती की तादाद, दूसरी योजना के आरंभ में उपलब्ध संख्या की तुलना में, दुगुनी की जा चुकी है। डिग्री पाठ्यक्रम की भर्ती की संख्या को ४७५ से बढ़ाकर ९५० और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की संख्या को ७६० से बढाकर १,४७५ कर दी गई है। इसी अवधि में टेकनिकल हाई स्कूलों की भर्ती की तादाद को भी १,५२० से बढ़ाकर ६,०९५ कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में ९ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरू किये जा चुके हैं। चालू वर्ष में सूरत में सरदार बल्लभभाई पटेल इंजिनियरिंग कॉलेज और भरूच में श्री कृष्णलाल झवेरी पोलीटेकनिकल भी शुरू किया जा चुका है।

## स्वास्थ्य

राज्य में श्रेष्ठतर चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करने के साथ-साथ रोगों के उन्मूलन और रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाये गये। जामनगर में १५० बिस्तरोंवाले एक तपेदिक के अस्पताल तथा अहमदाबाद में तपेदिक प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना तथा घरेलू इलाज के लिए श्रेष्ठ-तर व्यवस्थाओं के साथ राज्य में तपेदिक के उपचार को व्यवस्थित किया गया।

भारत सरकार के सहयोग से इस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया। राज्यभर में ग्रामीण और शहरी परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना के अलावा अभी परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्ताओं, फील्ड कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा मैडिकल अफसरों के प्रशिक्षण के लिए दो क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र अहमदाबाद और राजकोट में विद्यमान हैं। इसके अलावा बावला और पादरा में और राज्य के तीन मेडिकल कॉलिजों में अर्थात् अहमदा-वाद, बड़ौदा और जामनगर के कॉलिजों से सम्बद्ध और तीन प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

राज्य के कार्यान्वित अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मलेरिया उन्मूलन उल्लेखनीय है। जिसके फलस्वरूप राज्य में सालाना २० लाख से २० लाख ५० हजार व्यक्तियों को मलेरिया से बचाया जा रहा है।

गुजरात पहिला राज्य है जिसने 'यूनिसेफ' की सहायता प्राप्त करने के लिए ७३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों को पूरा कर लिया है।

## पंचायती राज्य

डांग जिले को छोड़कर, जहां ग्राम पंचायतें अगले वर्ष में स्थापित की जाएंगी, राज्य के सभी गांव ग्राम पंचायतों के अधीन आ चुके हैं। गुजरात ग्राम पंचायत विधेयक जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक साहसपूर्ण कदम है, विधानसभा द्वारा पास कर दिया गया गया है और अब उसे लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। पंचायत राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से नई संस्थाओं की कार्रवाई से सम्बन्धित सभी लोगों को प्रशिक्षण देना प्रस्तावित किया गया है।

इस कानून के अन्तर्गत प्रशासनात्मक अधिकारों को जिले से ग्राम सतह तक विकेन्द्रित करना तथा उनको स्वयं जनता द्वारा चुने गये जनता के प्रतिनिधियों को सौंपना प्रस्तावित किया गया है। लोकतांत्रिक संगठनों को त्रि-स्तम्भीय प्रणाली में निर्मित करना भी प्रस्तावित किया गया है अर्थात् ग्राम पंचायतों, तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों की रचना।

सारा राज्य, राज्य खाते के पूर्व-विस्तरण सेवा खण्डों सहित, विकास खण्डों के अन्तर्गत आ चुका है।

## सहकारी आन्दोलन

राज्य में सहकारी आन्दोलन की लगातार प्रगति जारी रही। दूसरी योजना के अन्त में सभी प्रकार की संस्थाओं की संख्या १३,९५७ थी जिनकी सदस्य संख्या २०.६ लाख थी।

तीसरी योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लिए ४.५७ करोड़ रुपयों तथा कुटीरोद्योगों के लिए ६५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

तीसरी योजनावधि के दौरान सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत धान की मिलें, भूसी फटकने की मशीनें, जिनिंग प्रेस, तेल घानियां, मूँगफली के मिल, रस निकालने की मशीनें, शीत कक्ष लगाना प्रस्तावित किया गया है। इनके अलावा तीसरी योजना में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत डेअरियाँ, चीनी फैक्टरियाँ तथा सूती मिल स्थापित करना भी प्रस्तावित किया गया है।

राज्य गोदाम निगम ने गुजरात में पांच गोदाम खोले हैं। राज्य में सहकारी बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी प्रवृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में ग्रामीण कर्ज संस्थाओं और बिक्री संस्थाओं को गोदाम निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। १९६१-६२ में १५० गोदामों से निर्माण के लिए १५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

राज्य में १४४ सहकारी सिंचाई संस्थाएं हैं जिनकी सदस्य संख्या ३० जून १९६१ को ४,७६२ थी। सहकारी क्षेत्र की अन्य प्रवृतियों में राज्य सहकारी मार्केटिंग सोसायटी, स्टेट हाउसिंग फायनान्स सोसायटी, दूध संस्थाएं, हाथकरघा संस्थाएं आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

## अल्प बचत

राज्य की विकास योजना के लिए अधिक वित्तीय स्रोतों को उपलब्ध करने में अल्प बचत

आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गजरात राज्य के लिए १९५९-६० वर्ष का अल्प बचत का लक्ष्य ७.५५ करोड़ रुपये निश्चित किया गया था जिसमें ८.६३ करोड़ रुपये एकत्रित हुए १९६०-६१ में इस लक्ष्य को बढ़ाकर ९.३५ करोड़ किया गया जिससे १३.३० कयोड़ रुपये एकत्रित करने अर्थात् लक्ष्यों से १४३ प्रतिशत सफलता मिली। चालू वर्ष, अर्थात् १९६१-६२ का लक्ष्य ६६ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसमें ८.८९ करोड़ रुपए एत्रक हो चुकी है।

## डेअरी उद्योग और दूध वितरण

गुजरात में दूध उत्पादन की काफी गुंजाइश है। राजकोट, सुरेन्द्रनगर तथा जामनगर में नई डेअरियाँ शुरू कर और अहमदाबाद नगरपालिका निगम को ३०.८० लाख रुपये की तथा तीन शीत केन्द्र और एक मवेशियों के चारे आदि की फैक्टरी की स्थापना के लिए खेड़ा दूध उत्पादन संघ को २५.२० लाख रुपये की मदद देकर डेअरी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अहमदाबाद की डेअरी में उत्पादन काम शुरू किया जा चुका है। १ नवम्बर, १९६१ से आणन्द में एक डेरी सायन्स कॉलेज भी खोला जा चुका है।

## कामगार और समाज कल्याण

१९५५ के आरंभ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पहिले अहमदाबाद में लागू करना प्रस्तावित किया गया था। लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका क्योंकि अहमदाबाद के वस्त्रोद्योग कामगार संघ की इच्छा थी कि योजना के लाभों को कर्मचारियों के परिवारों को भी पहुँचाया जाय। लेकिन अब राज्य में योजना के प्रशासन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है और एक तपेदिक अस्पताल का शिलान्यास भी २६ जनवरी १९६२ को किया जा चुका है।

## सांस्कृतिक प्रवृतियाँ

राज्य में सांस्कृतिक प्रवृतियों के विकास के लिए गुजरात सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक गुजरात संगीत नृत्य नाटक अकादमी की स्थापना की है। ललित कलाओं के विकास के लिए गुजरात ललित कला अकादमी की भी स्थापना की गई है।

## पर्यटन

पर्यटन स्थलों पर दर्शकों को आकर्षित करने की दृष्टि से उन स्थानों को विकसित करने की दिशा में विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य में अनेक नियोजित पर्यटनों को शुरू किया जा रहा है। इनसे विशेषतया हवाई जहाज से बम्बई, उदयपुर और उदयपुर-बम्बई जानेवाले पर्यटकों के लिए अहमदाबाद शहर की सैर विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

अहमदाबाद से ६० मील दूर नीलसरोवर का विश्रान्तिगृह' पर्यटकों के लिए दर्शनीय समान है। इसके अलावा कुछ चुने हुए राज्य के सरकारी गेस्ट हाउसों में पर्यटकों के लिए कुछ कमरे

आरक्षित किये गये हैं और सरकारी परिवहन सेवा की कारें भी किराये पर दी जाती हैं।

गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए एक राज्य पर्यटन सलाहकार समिति की स्थापना की गई है।

---

**राज्यपाल** : श्री मेंहदी नवाब जंग

| मंत्री | विभाग |
| --- | --- |
| डॉ० जीवराज मेहता **मुख्य मंत्री** | सामान्य प्रशासन, आयोजना और वित्त |
| श्री रसिकलाल पारीख | गृह, सूचना, उद्योग, बिजली, मत्स्योद्योग। |
| श्री रतुभाई अदाणी | सहकार, सामुदायिक योजना, पंचायत, मार्ग और भवन, सर्वोदय। |
| श्रीमती इन्दुमती चिमनलाल | शिक्षा, समाज कल्याण, नशाबंदी और आबकारी, पुनर्वास। |
| श्री हितेन्द्र देसाई | राजस्व, आवास नियंत्रण, विधि, [illegible]। |
| श्री विजयकुमार त्रिवेदी | सिंचाई, नागरिक पूर्ति मार्ग-परिवहन, नगरपालिकाएं। |
| श्री उत्सवभाई पारीख | कृषि, वन। |
| श्री मोहनलाल व्यास | स्वास्थ्य, कामगार, जेल, गृह-निर्माण। |

**उपमंत्री**

| | |
| --- | --- |
| श्री बहादुरभाई पटेल | मार्ग और भवन, सिंचाई। |
| श्री मालवदेवजी औडेदरा | वित्त और नियोजन। |
| श्रीमती उर्मिलाबहन भट्ट | स्वास्थ्य और जेल। |
| श्री देवेन्द्र देसाई | सहकार, सामुदायिक योजना, पंचायतें। |
| श्री रमणिकलाल मणियार | गृह और उद्योग। |
| श्री मनुभाई पटेल | शिक्षा, समाज कल्याण, नशाबंदी, पुनर्वास, परिवहन। |
| श्री माध | राजस्व, आवास नियंत्रण। |
| श्री भानु | कृषि और वन |

: ३४ :

# जम्मू और कश्मीर

| | |
|---|---|
| राजधानी | : श्रीनगर |
| क्षेत्रफल | : ८४,४७१ वर्गमील |
| जनसंख्या | : ३५,८३,५८५ |
| मुख्य भाषाएं | : उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी |

जब से जम्मू व कश्मीर राज्य की विधानसभा ने भारत के साथ मिलकर रहने की अपनी नीति बनाई, कश्मीर के जन-जीवन में एक नया दृष्टिकोण पनपा है। आज भारत और कश्मीर के लोगों के बीच भावात्मक एकता का सुदृढ़ नाता बनता जा रहा है। भावात्मक एकता की प्रक्रिया अधिकाधिक सुदृढ़ होती जा रही है क्योंकि कश्मीर और भारत के लोग समझने लगे हैं कि एक-समान कानून के मातहत रहने का एक समान लाभ प्राप्त करना उनके लिए हितकर होगा। जम्मू व कश्मीर राज्य की विधानसभा का यह प्रस्ताव जिसमें जम्मू व कश्मीर राज्य का भारत के साथ एकीकरण का निश्चय किया गया एक विशेष राजनैतिक महत्व रखता है। और जम्मू व कश्मीर के राजनैतिक इतिहास में एक नया अध्याय है।

## बड़ी जमींदारियों का उन्मूलन

वर्तमान कानून के अनुसार भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा २२।। एकड़ रखी गयी है। २२।। एकड़ से बड़ी सभी आराजियां काश्तकारों के बीच बांट दी गयी हैं। इस कानून के फलस्वरूप ८ लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया है। २४७ लाख एकड़ भूमि लगभग २ लाख काश्तकारों में बांटी गयी।

## पुरानी राजशाही का उन्मूलन

विधानसभा के एक निर्णय द्वारा पुरानी परम्परागत राज्यशाही समाप्त की गयी है। अब राज्य अपने सदरे-रियासत का चुनाव करता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से होती है।

## ऋणों से मुक्ति

ग्रामवासियों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से ग्रामीण जनता के ऋणों को ५१.४ प्रतिशत कम कर दिया गया है।

## पुनर्वास

केन्द्रीय सरकार की सहायता से पाकिस्तान के कब्ज़े में जो इलाके हैं, उनसे आए हुए ३०,००० से अधिक विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है जिस पर १० करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए हैं।

## नया संविधान

विधानसभा ने जम्मू व कश्मीर के लिए एक नया संविधान स्वीकार किया है जिसके अनुसार "जम्मू व कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और सदा रहेगा।" संविधान में इस बात की भी शर्त है कि उक्त धारा को किसी भी तरह परिवर्तित अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता। इससे जम्मू व कश्मीर राज्य में स्थिरता की भावना पनपी है और आर्थिक प्रगति की सम्भावनाएं पैदा हुई हैं।

## बेगार प्रणाली का उन्मूलन

बेगार अथवा बलात् श्रम से देश की ग्रामीण जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बेगारी की यह प्रथा अब समूचे राज्य से हटा दी गयी है।

## व्यापार पर प्रतिबन्ध हटा दिया गया

व्यापार और वाणिज्य में अवरोध पैदा करने वाले नियंत्रण और चुंगी प्रतिबन्ध हटा दिए गए है।

## भावात्मक एकता

जम्मू व कश्मीर राज्य तथा देश के शेष भागों के बीच अधिक भावात्मक एकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय है :—

(१) परमिट प्रथा का उन्मूलन।
(२) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जम्मू व कश्मीर राज्य का लाया जाना।
(३) लोक सेवाओं का निर्माण।
(४) भारत के चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में जम्मू व कश्मीर राज्य का लाया जाना।
(५) भारत के आडिटर जनरल को राज्य के आडिट और हिसाब-किताब का हस्तांतरण।

## प्रति व्यक्ति आय

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर १९४७ में ४७ न० पै०, १९५०-५१ में ६६ न० पै० और १९५५-५६ में १.४५ रुपए प्रति व्यक्ति व्यय किए गए जब कि १९६०-६१ में यह व्यय बढ़कर ३.८० रुपए प्रति व्यक्ति हो गया।

## निशुल्क शिक्षा

जम्मू व कश्मीर राज्य की एक विशेषता यह है कि प्रारम्भिक कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा निशुल्क है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। शिक्षा पर व्यय १९४७-४८ में ३३.४९ लाख रुपये था जो कि अब १९६०-६१ में बढ़कर २५० लाख रुपय हो गया है।

## औद्योगिक उन्नति

रेशम और ऊन के बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गये हैं। ऊनी कपड़े की मिलों ने १९५८-५९ में १५,४०,००० रुपये और १४,७३,००० रुपये का क्रमश: उत्पादन किया। १९५९-६० में यह

उत्पादन बढ़कर १९,०८,००० और १८,७२,००० रुपये हो गया। निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रयास को उत्साहित करने के लिए कई औद्योगिक बस्तियां कायम की गयी हैं। कई नए उद्योग जैसे कि ज्वोनरी मिल, चमड़े का कारखाना, ईंटों के भट्टे, चीनी के बर्तनों के कारखाने स्थापित किये गये हैं। एक राज्य वित्तीय नियम की स्थापना की गयी है जिसकी चुकता पूंजी ५० लाख रुपये हैं। इस वित्त निगम का उद्देश्य निजी क्षेत्र में उद्योग की नीति को बढ़ावा देना है।

औद्योगीकरण की योजनाओं को बनाने और उन्हें कारगर तौर पर अमल में लाने के लिए राज्य के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक औद्योगिक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गयी है। इस बोर्ड में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलत हैं।

साहू जैन लिमिटेड के साथ एक करार हुआ है जिसके अनुसार पम्पोर में एक निवीयर और प्लाई वुड फैक्टरी खोली जाएगी। इस योजना में एक करोड़ रुपए की आरम्भिक अधिकृत पूंजी लगाई जाएगी जिसमें से राज्य सरकार ३० लाख रुपए अंशदान देगी। साहू जैन लिमिटेड के साथ एक कागज का बड़ा कारखाना खोलने का भी करार हुआ है जिस पर अनुमानतः सात करोड़ रुपए व्यय होंगे। निकट भविष्य में दो कपड़े की मिलें खोली जा रही हैं जिनमें से प्रत्येक १२००० स्पिंडिल होंगे।

## दस्तकारी डिजाइनों में सुधार

कश्मीर में दस्तकारी द्वारा बनाई जाने वाली अनेक वस्तुओं के डिजाइनों में सुधार लाने और उनमें नए विचार पैदा करने के लिए एक डिजाइन स्कूल खोला गया है।

## कृषि उत्पादन

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सघन कृषि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त १० लाख मन खाद्यान्न की पैदावार हुई।

## सहकारिता

कश्मीर में ५० प्रतिशत से अधिक परिवार और जम्मू प्रान्त में १५ प्रतिशत से अधिक परिवार सहकारिता की परिधि में लाए जा चुके हैं। सहकारी समितियों की संख्या १९५३ में १,११,६२३ थी जो १९६०-६१ में २,१३,३१० हो गयी।

## सड़कों का विकास

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सब प्रकार की सड़कें जो कि कुल मिलाकर २४६६.५० मील लम्बी थी, मरम्मत और सुधार का काम किया गया तथा नए १९ बड़े पुल बनाए गए।

बनिहाल में जवाहर सुरंग के निर्माण से जिसमें तीन करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, कश्मीर के लिए सब मौसम में खुली रहने वाली सड़क तैयार हो गयी है। सुदूर इलाके जैसे कि लद्दाख और किश्तवर अब सड़कों से सम्बद्ध हो गए हैं जिन पर आसानी से मोटर जा सकती हैं।

## सिंचाई

१,३२,२०१ एकड़ नई भूमि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के फलस्वरूप कृषि-योग्य बनाई गई।

## वन

निम्नलिखित इलाकों में सविस्तार वनारोपण के कार्यक्रम की स्कीमें चालू की गयी हैं :

(क) राष्ट्रीय राजपथ

(ख) शिवालिक भूमि

(ग) कश्मीर घाटी की नंगी चट्टानें।

## बिजली

जम्मू व कश्मीर राज्य ने पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर ४०० प्रतिशत अधिक बिजली हासिल की है।

## पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

सरकार ने पर्यटकों के लिये विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है जिनके परिणामस्वरूप गत वर्षों में पर्यटकों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती गई है जो कि नीचे लिखी तालिका से जानी जा सकती है :—

| वर्ष | पर्यटकों की संख्या |
|---|---|
| १९५६-५७ | ६४,३५३ |
| १९५७-५८ | ४३,४१८ |
| १९५८-५९ | ६०,५५० |
| १९५९-६० | ७०,४०१ |
| १९६०-६१ | ७१,५३० |
| १९६१-६२ | ७४,६५८ |

पर्यटकों की उक्त संख्या में वेष्णुदेवी जाने वाले यात्रियों की संख्या शामिल नहीं है। एक लाख से अधिक यह तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष वेष्णुदेवी के दर्शनार्थ जाते हैं। सरकार ने ६४ आरामगाह और सराय कायम किये हैं। इन के अलावा जम्मू और श्रीनगर में कई स्वीकृत केन्द्र पर्यटकों की सुविधा के लिये कायम किये गये हैं और इन पर लगभग ३० लाख रुपये व्यय हुए हैं।

## जल की व्यवस्था

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३१ नलकूप कांडी इलाके में खोले गये और चार पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये गये। यह काम नगर और ग्राम की जल-व्यवस्था की स्कीमों के अतिरिक्त है।

## परिवहन सेवाएं

राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन सेवाओं का संगठन किया है जिससे चालू वित्तीय वर्ष में १.८० करोड़ रुपये के कुल लाभ की आशा है। औसतन यह परिवहन सेवा प्रतिवर्ष ४० लाख मन सामान और ५० लाख यात्रियों का भार वहन करती हैं।

## टैक्नीकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण

दूसरी योजना में टैक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं खोली गई हैं :

(१) मैडीकल कालेज, श्रीनगर
(२) इन्जीनियरिंग कालेज, श्रीनगर,
(३) कृषि कालेज, सोपोर और रनबीरसिंह पुरा
(४) आयुर्वेदिक कालेज, जम्मू
(५) पौलिटैक्निक, जम्मू
(६) उद्योग प्रशिक्षण संस्था, जम्मू व श्रीनगर
(७) तिबिया कालेज, श्रीनगर

इस समय जम्मू व कश्मीर राज्य में २४० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं जिनमें सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगभग ३० लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

## निम्न वेतन कर्मचारियों के लिये सहायता

निम्न वेतन कर्मचारियों को सहायता देने की दृष्टि से सरकार ने वेतनों में वृद्धि की है जिससे प्रति वर्ष १.९० करोड़ रुपये का व्यय बढ़ा है। पेंशनयाफ्ता लोगों को मदद देने की सुविधाएं दी गई हैं।

## आवास

निम्न वेतन कर्मचारियों के लाभार्थ आवास योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य में १००० से ऊपर मकान बनाये जा चुके हैं।

नई धातुओं की खोज के लिये ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से एक खाद्यान्न निगम स्थापित किया गया है। निगम ने वूयान में प्रतिदिन ६० टन सीमेन्ट उत्पादन करने वाला एक कारखाना खोला है। निकाहोमा में लिगनाइट और बुनियार में जिप्सम तथा कालाकोट में कोयले की खानों की खुदाई की जाएगी। इसके अलावा बोकसाइड, लोहा और अन्य धातुओं की खोज के लिये भी कार्य किये जा रहे हैं।

## लोक सेवा आयोग

राज्य में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी है जिसके अध्यक्ष को हाईकोर्ट के जज की प्रतिष्ठा प्राप्त है और इस आयोग के दो सदस्य हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सदरे-रियासत द्वारा की जाती है।

## बाढ़-नियंत्रण

जम्मू व कश्मीर में बाढ़-नियंत्रण के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया है। जम्मू प्रान्त में कई बांध खड़े किये गये हैं जिन पर १७.७० लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। कश्मीर घाटी बाढ़-नियंत्रण निगम के अन्तर्गत इस समय काम चल रहा है। इस स्कीम पर ५४ लाख रुपये व्यय होंगे।

सोपोर में खुदाई की दो बड़ी मशीनें लगाई गयी हैं। प्रत्येक मशीन से जल की सतह के नीचे २५ फुट गहरी खुदाई होती है और कीचड़ आदि बाहर निकाला जाता है। कीचड़ और मिट्टी को ३००० फुट लम्बी पाइप लाइन से आगे भेजा जाता है। प्रत्येक मशीन की कीमत लगभग ६ लाख रुपया है।

## राज्य मंत्रिमण्डल

**सदर-ए-रियासत** : श्री करणसिंह

| मंत्री | विभाग |
| --- | --- |
| बख्शी गुलाम मोहम्मद **प्रधान मंत्री** | सामान्य प्रशासन, कानून और आदेश सेवाएं, मंत्रीमण्डल सम्बन्धी कार्य, सचिवालय, सामुदायिक विकास, एन० ई० एस०, गृह कार्य, सूचना और प्रसार, परिवहन, पर्यटन, केन्द्रीय क्रय, व्यापारिक एजेन्सीज, और योजना। |
| श्री गुलाम मुहम्मद सादिक़ | शिक्षा, वाचनालय, अनुसंधान और प्रचार, एन० सी० सी०, कला और संस्कृति अकादमी। |
| श्री गिरधारीलाल डोगरा | वित्त और बजट, औद्योगिक वित्त निगम, चुंगी और कर, इत्यादि। |
| श्री मीर कासिम | भू-राजस्व और पुनर्वास। |
| श्री दीनानाथ महाजन | न्याय, वन और मछली उद्योग इत्यादि। |
| श्री शमसुद्दीन | सड़क और बिल्डिंग, सिंचाई, विद्युत, आवास, जल-वितरण, इत्यादि। |
| श्री चुन्नीलाल कोतवाल | सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, टाउनएरिया कमेटी, म्युनिसिपिल्टीज, चिकित्सा कालेज, श्रम संगठन। |
| श्री मीर असदुल्ला | खाद्य और कृषि, [illegible]। |
| श्री डी० पी० दर | उद्योग, भू-शास्त्र और खानें, नए उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कुटीर उद्योग। |
| **राज्य मंत्री :** | |
| श्री भगत छज्जुराम | राजकीय सेवाएं, सामुदायिक विकास। |
| श्री गुलाम नब्बी सोगामी | वन-उद्योग। |

जनस्वास्थ्य की
वास्तविक रक्षा के लिये
आयुर्वेद को राष्ट्रीय
चिकित्सा घोषित किया जाय
बैद्यनाथ ओषधियां ताजी जड़ी-बूटियो द्वारा पूर्ण
शास्त्रोक्त विधि से ५ वृहत् निर्माणशालाओ में तैयार होती हैं
और ३५० विशिष्ट एजेंसियो तथा २५००० एजेंसियो द्वारा
देश भर में एक ही कीमत पर मिलती है।
देशी दवाओं का सब से बड़ा और विश्वासी कारखाना
श्री बैद्यनाथ
आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि०

UNITED BANK OF INDIA LTD

सचिवालय, चण्डीगढ़ (पंजाब)

भाखड़ा बांध, (पंजाब)

सहकारी चीनी मिल, पानीपत. (पंजाब)

गन्ना-पिराई, ग्राम पोपाल (पंजाब)

: ३६ :

# पंजाब

राजधानी : चंडीगढ़
क्षेत्रफल : ४६,३७६ मील
आबादी : २,०२,९८ १५१
भाषाएं : हिन्दी और पंजाबी

वर्ष १९६१-६२ में सभी क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हुई हैं। इस अवधि में मास्टर तारासिंह द्वारा आमरण व्रत एवं इसके प्रत्युत्तर में श्री सूर्यदेव द्वारा ऐसा व्रत शुरू करने से जो साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था वह न केवल सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया अपितु राज्य विधान-मंडल और लोक सभा के सामान्य चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गए और जनसाधारण के कल्याण के लिए कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित करने सम्बन्धी कार्य सम्पूर्ण कर लिए गए।

राज्य की २३१.४० करोड़ रुपयों की तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ बहुत ही उत्साह-वर्धक रहा। आलोच्य वर्ष में खर्च करने के लिए जो ३९.८५ करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी उसमें से संशोधित अनुमानों के अनुसार ३४.९६ करोड़ रुपए खर्च हुए। इस प्रकार औसत रूप से ९० प्रतिशत कार्य हुआ।

कृषि क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन के, जो वास्तविक अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे प्रगट होता है कि दूसरी योजना के लिए निश्चित लक्ष्य न केवल प्राप्त कर लिए गए अपितु कुछ स्थितियों में बढ़ गए। चकबन्दी और मुज़ारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में भी यह राज्य अग्रणी है। भूमिधारण कानून के अधीन अतिरिक्त अंकन का कार्य भी लगभग समाप्त हो चुका है।

इस वर्ष की प्रमुख घटना पंचायती राज की स्थापना है जिसका औपचारिक रूप से उद्-घाटन प्रधान मंत्री ने गांधीजी के जन्म-दिवस पर किया था। परिणामस्वरूप राज्य में १३,४३९ पंचायतों, २२६ खंड समितियों और १८ जिला परिषदों ने कार्य आरंभ कर दिया है।

१ अप्रैल, १९६१ से निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जारी करने के सम्बन्ध में जनता की ओर से योगदान आशाओं से अधिक रहा। विशेष रूप से लड़कियों की संस्था में वृद्धि १३८ प्रतिशत तक हुई। ८१ खंडों की प्रारंभिक कक्षाओं के ५ लाख बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था सम्बन्धी एक भारी कार्यक्रम प्रारंभ करना, कृषि एवं पंजाबी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निःशुल्क शिक्षा की रियायत को बढ़ाना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेख करना आवश्यक है।

इस वर्ष के मध्य भाखड़ा बांध का कार्य लगभग सम्पन्न हो चुका है, केवल थोड़ा-सा सहायक कार्य शेष है जो कि दिसम्बर १९६२ तक समाप्त हो जाएगा। ९०,००० किलोवाट सामर्थ्य की बिजली उत्पन्न करने वाला बाएं किनारे के बिजलीघर का पांचवां अर्थात् अन्तिम यूनिट दिसम्बर १९६१ में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन करने की क्षमता दुगनी हो गई है। भाखड़ा बांध के दाएं किनारे के बिजलीघर और ब्यास बांध की परियोजनाओं पर भी काम जारी हो गया है।

इस वर्ष के कुछ और प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने की नीति के अनुसार तहसीलों को सब-डिविज़नों में परिवर्तित करना, लाहौल और स्पीति के पर्वतीय

क्षेत्रों का विकास, ग्राम क्षेत्रों में सड़कों और सड़क यातायात, सेवा सहकारिता और उद्योगों का प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि आदि ।

## वित्तीय स्थिति

१९६१-६२ के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व और व्यय के आंकड़े क्रमश: ८७.०१ करोड़ और ८७.१५ करोड़ रुपए थे । इस प्रकार १४ लाख रुपयों का घाटा रहा जब कि गत वर्ष के अनुमानों में ९६ लाख रुपयों की कमी थी ।

वर्ष १९६२-६३ के राज्य बजट में पूंजी खर्च की व्यवस्था २३.४० करोड़ रुपए की है जब कि वर्ष १९६१-६२ में १९.९४ करोड़ रुपए की थी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की २३१.४० करोड़ रुपयों की प्रस्तावित राशि में से १९६२-६३ के लिए ४३.३९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई जब कि पिछले वर्ष के लिए ३८.९१ करोड़ (संशोधित अनुमान) प्रदान किए गए थे । राज्य की तीसरी पांच साला योजना के लिए केन्द्र द्वारा १३४ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ।

वर्ष १९६२-६३ के बजट की मुख्य बात यह है कि राज्य की योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा गया फिर भी हरिजनों के कल्याण के लिए ४ करोड़ रुपए तक निधि एकत्रित करने का साहसिक पग उठाया गया है ।

## खाद्य और कृषि

राज्य ने भारत का अन्न भंडार होने की परम्परा बनाए रखी और विभिन्न कृषि पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति की । इन आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष १९५०-५१ के ३४.८३ लाख टन खाद्यान्नों की तुलना में ६३.७८ लाख टन तक वृद्धि, ३.१५ लाख कपास की गांठों से बढ़ कर ८.०२ लाख गांठें, गन्ने की ४.४२ लाख टन से बढ़ कर ९.९८ लाख टन और तिलहनों की १.१४ लाख टन से २.०६ लाख टन । इतना सब कुछ संभव इसलिए हुआ क्यों कि राज्य में बेहतर शिक्षा, खोज और विस्तार सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी ।

इस वर्ष की कृषि विकास संबन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस प्रकार है : कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, फसल बीमा योजना लागू करना, लुधियाना में पैकेज प्रोग्राम शुरू करना, ३५०० एकड़ बंजर भूमि का सुधार आदि । हिसार में कृषि कालेज शुरू करने और कृषि औज़ार तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से नीलीखेड़ी का वर्कशाप खरीदने के लिए पग उठाए गए ।

विकास की ओर इस प्रकार की व्यवस्था की गई : छोटे सिंचाई कार्यों के लिए ८० लाख रुपए, रासायनिक खादों के लिए १६० लाख रुपए के ऋण, बागबानी के लिए ११.८० लाख रुपए, और ट्रेक्टर खरीदने के लिए १४ लाख रुपए । दूसरी योजना में जो २२२ बीज फार्म स्थापित किए गए थे उन्होंने इस वर्ष कार्यारंभ कर दिया । इसी वर्ष के मध्य २७.६८ लाख एकड़ क्षेत्र की चकबन्दी की गई । इस प्रकार सारे राज्य में जहां २१९.५० लाख रुपयों की चकबन्दी होनी है उनमें से १७५.१५ लाख एकड़ की चकबन्दी हो चुकी है । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारा कार्य जून १९६५ तक सम्पन्न हो जाएगा । राज्य की ७२ तहसीलों में से २६ तहसीलों में काम

पूरा हो चुका है। २० तहसीलों में ९० प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है।

## पंचायतें और सामुदायिक विकास

प्रधान मंत्री द्वारा पंजाब में पंचायती राज का उद्घाटन इस वर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणामस्वरूप १३,४३९ पंचायतों, २२६ खंड समितियों और १८ जिला परिषदों की स्थापना हुई।

इस प्रयोग को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए इस वर्ष क्षेत्रीय कर्मचारियों और पंचों को व्यापक प्रशिक्षण देने का काम जारी किया गया। इस उद्देश्य के लिए जिला रोहतक के राय नामक ग्राम में २० लाख रुपयों की लागत से कमला नेहरू नामक एक प्रमुख संस्था की स्थापना की गई। इसी प्रकार की संस्थाएं जालन्धर और पटियाला डिवीज़नों में भी स्थापित की जा रही हैं। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में पंचायतघर सहित पुस्तकालय भवन का निर्माण हो रहा है जिस पर ४.८५ लाख रुपए खर्च होने की संभावना है।

ग्राम-क्षेत्रों के ८९ प्रतिशत क्षेत्र में कार्य कर रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष पर्याप्त प्रगति हुई।

इस वर्ष के अन्त तक २२८ खंडों में से २०८ खंड स्थापित हुए। इस कार्यक्रम का उत्साहवर्धक पहलू लोगों का ऐच्छिक योगदान है। इस दिशा में यह राज्य देश में सबसे आगे है।- दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक लोगों के योगदान की राशि १३.७८ करोड़ रुपये है। दूसरी योजना में लोगों के योगदान की प्रति खंड औसत राशि ६.२७ लाख रुपए बैठती है जब कि अखिल भारतीय औसत ३.४६ लाख रुपए है।

## सहकारिताएं

चूंकि एक विस्तृत और व्यापक कार्यक्रम जारी किया गया हैं इसलिए सहकारिता आन्दोलन ने और अधिक प्रगति की। इस अभियान के अधीन ९६ प्रतिशत गांव आ गए हैं और पिछले वर्ष की सदस्य संख्या १८ लाख से बढ़ कर २१ लाख तक हो गई और कार्यकारी पूंजी ६४ करोड़ से ७५ करोड़ रुपए हो गई। प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे इस वर्ष समितियों की संख्या भी १५७ से बढ़कर १७० हो गई।

ग्राम बचत में भी पंजाब और अन्य राज्यों से आगे है और कुल कार्यकारी पूंजी का २०.५ प्रतिशत राशि जमा हो गई है। सभी प्रकार की ३३,७२८ समितियों में से २१,१६८ प्राथमिक ग्राम सुधार समितियां हैं जिनके अधीन राज्य के २०.२९० ग्राम आते हैं। तीसरी योजना के अन्त तक प्रत्येक ग्राम में एक सेवा सहकारिता स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में १३,१०७ ऐसी सहकारिताएं पहले ही स्थापित हो चुकी हैं।

उत्पादकों को अच्छा लाभ दिलाने के उद्देश्य से १८१ हाट समितियां इस समय कार्यरत हैं। इन समितियों ने १९६०-६१ में ४.१२ करोड़ के मूल्य के माल का कारोबार किया।

इस वर्ष के अन्त तक जो अन्य सहकारिताएं कार्यरत थीं वे इस प्रकार हैं: १,१२६ सहकारी कृषि समितियां, ४,२७६ औद्योगिक सहकारिताएं, १,०१५ श्रम एवं निर्माण समितियां तथा ८३२ महिला सहकारिताएं।

क्षेत्रों का विकास, ग्राम क्षेत्रों में सड़कों और सड़क यातायात, सेवा सहकारिता और उद्योगों का प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि आदि।

## वित्तीय स्थिति

१९६१-६२ के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व और व्यय के आंकड़े क्रमश: ८७.०१ करोड़ और ८७.१५ करोड़ रुपए थे। इस प्रकार १४ लाख रुपयों का घाटा रहा जब कि गत वर्ष के अनुमानों में ९६ लाख रुपयों की कमी थी।

वर्ष १९६२-६३ के राज्य बजट में पूंजी खर्च की व्यवस्था २३.४० करोड़ रुपए की है जब कि वर्ष १९६१-६२ में १९.९४ करोड़ रुपए की थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की २३१.४० करोड़ रुपयों की प्रस्तावित राशि में से १९६२-६३ के लिए ४३.३९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई जब कि पिछले वर्ष के लिए ३८.९१ करोड़ (संशोधित अनुमान) प्रदान किए गए थे। राज्य की तीसरी पांच साला योजना के लिए केन्द्र द्वारा १३४ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।

वर्ष १९६२-६३ के बजट की मुख्य बात यह है कि राज्य की योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा गया फिर भी हरिजनों के कल्याण के लिए ४ करोड़ रुपए तक निधि एकत्रित करने का साहसिक पग उठाया गया है।

## खाद्य और कृषि

राज्य ने भारत का अन्न भंडार होने की परम्परा बनाए रखी और विभिन्न कृषि पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति की। इन आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष १९५०-५१ के ३४.८३ लाख टन खाद्यान्नों की तुलना में ६३.७८ लाख टन तक वृद्धि, ३.१५ लाख कपास की गांठों से बढ़ कर ८.०२ लाख गांठें, गन्ने की ४.४२ लाख टन से बढ़ कर ९.९८ लाख टन और तिलहनों की १.१४ लाख टन से २.०६ लाख टन। इतना सब कुछ संभव इसलिए हुआ क्यों कि राज्य में बेहतर शिक्षा, खोज और विस्तार सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी।

इस वर्ष की कृषि विकास संबन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस प्रकार है : कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, फसल बीमा योजना लागू करना, लुधियाना में पैकेज प्रोग्राम शुरू करना, ३५०० एकड़ बंजर भूमि का सुधार आदि। हिसार में कृषि कालेज शुरू करने और कृषि औज़ार तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से नीलीखेड़ी का वर्कशाप खरीदने के लिए पग उठाए गए।

विकास की ओर इस प्रकार की व्यवस्था की गई : छोटे सिंचाई कार्यों के लिए ८० लाख रुपए, रासायनिक खादों के लिए १६० लाख रुपए के ऋण, बागबानी के लिए ११.८० लाख रुपए, और ट्रेक्टर खरीदने के लिए १४ लाख रुपए। दूसरी योजना में जो २२२ बीज फार्म स्थापित किए गए थे उन्होंने इस वर्ष कार्यारंभ कर दिया। इसी वर्ष के मध्य २७.६८ लाख एकड़ क्षेत्र की चकबन्दी की गई। इस प्रकार सारे राज्य में जहां २१९.५० लाख रुपयों की चकबन्दी होनी है उनमें से १७५.१५ लाख एकड़ की चकबन्दी हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारा कार्य जून १९६५ तक सम्पन्न हो जाएगा। राज्य की ७२ तहसीलों में से २६ तहसीलों में काम

पूरा हो चुका है। २० तहसीलों में ९० प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है।

## पंचायतें और सामुदायिक विकास

प्रधान मंत्री द्वारा पंजाब में पंचायती राज का उद्घाटन इस वर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणामस्वरूप १३,४३९ पंचायतों, २२६ खंड समितियों और १८ जिला परिषदों की स्थापना हुई।

इस प्रयोग को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए इस वर्ष क्षेत्रीय कर्मचारियों और पंचों को व्यापक प्रशिक्षण देने का काम जारी किया गया। इस उद्देश्य के लिए जिला रोहतक के राय नामक ग्राम में २० लाख रुपयों की लागत से कमला नेहरू नामक एक प्रमुख संस्था की स्थापना की गई। इसी प्रकार की संस्थाएं जालन्धर और पटियाला डिवीजनों में भी स्थापित की जा रही हैं। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में पंचायतघर सहित पुस्तकालय भवन का निर्माण हो रहा है जिस पर ४.८५ लाख रुपए खर्च होने की संभावना है।

ग्राम-क्षेत्रों के ८६ प्रतिशत क्षेत्र में कार्य कर रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष पर्याप्त प्रगति हुई।

इस वर्ष के अन्त तक २२८ खंडों में से २०८ खंड स्थापित हुए। इस कार्यक्रम का उत्साहवर्धक पहलू लोगों का ऐच्छिक योगदान है। इस दिशा में यह राज्य देश में सबसे आगे है।-दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक लोगों के योगदान की राशि १३.७८ करोड़ रुपये है। दूसरी योजना में लोगों के योगदान की प्रति खंड औसत राशि ६.२७ लाख रुपए बैठती है जब कि अखिल भारतीय औसत ३.४६ लाख रुपए है।

## सहकारिताएं

चूंकि एक विस्तृत और व्यापक कार्यक्रम जारी किया गया हैं इसलिए सहकारिता आन्दोलन ने और अधिक प्रगति की। इस अभियान के अधीन ९६ प्रतिशत गांव आ गए हैं और पिछले वर्ष की सदस्य संख्या १८ लाख से बढ़ कर २१ लाख तक हो गई और कार्यकारी पूंजी ६४ करोड़ से ७५ करोड़ रुपए हो गई। प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे इस वर्ष समितियों की संख्या भी १५७ से बढ़कर १७० हो गई।

ग्राम बचत में भी पंजाब और अन्य राज्यों से आगे है और कुल कार्यकारी पूंजी का २०.५ प्रतिशत राशि जमा हो गई है। सभी प्रकार की ३३,७२८ समितियों में से २१,१६८ प्राथमिक ग्राम सुधार समितियां हैं जिनके अधीन राज्य के २०.२९० ग्राम आते हैं। तीसरी योजना के अन्त तक प्रत्येक ग्राम में एक सेवा सहकारिता स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में १३,१०७ ऐसी सहकारिताएं पहले ही स्थापित हो चुकी हैं।

उत्पादकों को अच्छा लाभ दिलाने के उद्देश्य से १८१ हाट समितियां इस समय कार्यरत हैं। इन समितियों ने १९६०-६१ में ४.१२ करोड़ के मूल्य के माल का कारोबार किया।

इस वर्ष के अन्त तक जो अन्य सहकारिताएं कार्यरत थीं वे इस प्रकार हैं : १,१२६ सहकारी कृषि समितियां, ४,२७६ औद्योगिक सहकारिताएं, १,०१५ श्रम एवं निर्माण समितियां तथा ८३२ महिला सहकारिताएं।

भोगपुर, पानीपत और रोहतक की ३०,००० सदस्यों पर, जिनमें अधिकांश संख्या गन्ना उत्पादकों की है, आधारित खंड सहकारी मिलें कार्य कर रही हैं और आगामी वर्ष तक मोरिंडा, बटाला और नवांशहर की तीन और खांड मीलें कार्य आरंभ कर देगी।

## भूमि सुधार कार्य

पूर्ववर्ती पंजाब और पेप्सू के क्षेत्रों में क्रमशः लागू पंजाब भूधारणावधि सुरक्षा अधिनियम १९५३ और पेप्सू मुज़ारा कृषि भूमि अधिनियम १९५५ द्वारा मुज़ारों को और सुरक्षण प्राप्त होते रहे। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र का अंकन करने का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और लगभग साढ़े तीन लाख स्टेंडर्ड एकड़ भूमि बेदखल मुज़ारों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को देने के लिए उपलब्ध हो गई है। हरिजनों की सहायता के लिए सरकार ने इन्हें बेची गई भूमि के बारे में हकशफा के अधिकार हटा दिए गए हैं और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे अधिकार उद्योग स्थापित करने या बर्तमान उद्योग का विस्तार करने के सम्बन्धी खरीदारों के लिए लागू कर दिए हैं। पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम १९४९ के उपबन्धों के अधीन हरिजनों को जो प्राथमिकता दी गई है उस के अनुसार मुज़ारों को भूमि पट्टे पर दी जाती रही।

## सिंचाई और बिजली

इस वर्ष भाखड़ा बांध का निर्माण-कार्य लगभग समाप्त हो गया। केवल कुछ सहायक कार्य शेष थे जो कि दिसम्बर १९६२ तक सम्पन्न हो जाएंगे। बाएं किनारे के पांचवें और अन्तिम बिजलीघर का प्रधान मंत्री ने दिसम्बर १९६१ में उद्घाटन किया था। इससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता दुगनी अर्थात् ३.२४ लाख किलोवाट से बढ़कर ६.५३ लाख किलोवाट हो गई। भाखड़ा के दाएं किनारे के ४८० मैगावाट की सामर्थ्यवाले बिजलीघर पर कार्य आरंभ हो गया है और आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह कार्य समाप्त हो जाएगा।

इस वर्ष इन कामों की भी प्रगति हुई: भाखड़ा नहर, माधोपुर व्यास लिंक, सरहिन्द फीडर प्राजैक्ट, पश्चिमी जमना नहर फीडर प्राजैक्ट का सुधार, सरहिन्द फीडर के निर्माण से प्राप्त सतलुज नदी के पानी का उपयोग, नलकूल और अन्य छोटी सिंचाई योजनाएं। १०८ मील लम्बी भाखड़ा नहरों, ३,१०० मील डिस्ट्रिब्यूटरियों, माधोपुर व्यास प्राजैक्ट और सरहिन्द फीडर प्राजेक्ट के कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं। परिणामस्वरूप इस वर्ष ५०,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हुई और कुल सिंचित क्षेत्र ७३.७० लाख एकड़ हो गया जब कि १९४७-४८ में ३९.७० लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र था।

नहर सिंचाई योजनाओं के अलावा लगभग १,२३० नलकूप कार्यरत हैं। इस वर्ष ४०,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र नलकूप सिंचाई के अन्तर्गत आ गया है। इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र ४,६६,००० एकड़ हो गया जब कि १९५६ में २६,१९४ था।

इस वर्ष बाढ़ तथा सेम की रोकथाम के लिए २.९० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ की रोकथाम के लिए १८ मील लम्बे बांध और ४५० मील लम्बी नालियां बनाई गई जिनसे उनकी कुल लम्बाई क्रमशः २८३ एवं २,२२५ मील हो गई। राज्य की

तृतीय योजना में इस काम पर खर्च करने के लिए १५.०१ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

भाखड़ा की भांति व्यास परियोजना के आरंभिक कार्यों पर काम हो रहा है। इस पर खर्च होने वाली २०० करोड़ रुपए की धनराशि में से तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ४७.५० करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

## बिजली

इस वर्ष राज्य में ६०० और गांवों में बिजली लाई गई तथा इस प्रकार ३,६०० मीलों में बिजली लगी जबकि १९४७ में कुल ५० मीलों में बिजली की व्यवस्था थी और तृतीय योजना का लक्ष्य ७,७०० गांवों में बिजली लगाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले वर्ष में ८०० गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है जिनमें से ११० गांव पर्वतीय इलाकों में होंगे। लाहौल स्पीति के सुदूर इलाकों में ५० किलोवाट बिजली पैदा करने वाला वैकरी-हायडल पावर यूनिट स्थापित किया जा रहा है।

## सड़कें तथा यातायात

इस वर्ष राज्य में २५० लाख रुपए की लागत से ३५० मील लम्बी नई सड़कें बनाई गई और इस प्रकार कुल ६६५० मील लम्बी सड़कें बन चुकी हैं। दो प्रसिद्ध पुल एक व्यास नदी पर डेरा गोपीपुर के स्थान पर जो होशियारपुर और कांगड़ा ज़िलों को मिलता है तथा दूसरा ऊना के समीप स्वान नदी पर बनाए गए और यातायात के लिए खोल दिए गए।

आलोच्य वर्ष के दौरान यातायात की सुविधाएं देने के लिए २९ नए रूट सार्वजनिक क्षेत्र में चालू किए गए। अब ७१६ सरकारी बसें प्रतिदिन ५,००० मीलों में चल रही हैं। प्रति मील के खर्च एवं लाभ की दृष्टि से हमारा राज्य सबसे आगे है।

एक्सप्रेस एवं मार्ग में न रुकने वाली बसों की बढ़ती हुई सर्वप्रियता के कारण इस वर्ष में इनकी संख्या ६ से १३ कर दी गई है। प्रसिद्ध नगरों के बीच चलने वाली ८ डी-लक्स बस सेवाओं के अतिरिक्त एक एयर कंडीशन्ड बस सेवा मार्च, १९६२ से दिल्ली-चंडीगढ़ तथा नंगल मार्ग पर चालू कर दी गई है।

मुसाफिरों को सुविधा देने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है तथा विभिन्न स्थानों पर बस स्टैंड निर्मित किए गए हैं। १०,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में बस स्टैंड निर्मित करने की योजनाएं भी विचाराधीन हैं।

## उद्योग

इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में विशेषतया बड़े तथा मध्यम उद्योगों में पर्याप्त उन्नति हुई।

आलोच्य वर्ष के दौरान राज्य में औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने १०० लायसेंस दिए। ये इस प्रकार हैं :—अखबारी कागज, सूती वस्त्र तथा कागज की मिलें, लोहा ढालने के कारखाने, मोटर साइकिलों के ढांचे, स्कूटर, वातानुकूलित उपकरण, बिजली का घरेलू सामान, पानी के मीटर, बिजली के ट्रांसमीशन टावर, हौज़री की सुइयां, रबड़ के टायर

और ट्यूबें, तथा औद्योगिक अलकोहल और वनस्पति तेल। बल्लभगढ़ स्थित गुड ईयर रबड़ टायर फैक्टरी तथा चंडीगढ़ स्थित कृमि नाशक औषधियां, बिजली के मीटर और हौज़री की सुइयां बनाने वाले कारखानों ने काम करना आरंभ कर दिया है तथा भारत सरकार द्वारा १० करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर में स्थापित की जाने वाली मशीन टूल फैक्टरी बनाने का काम प्रगति पर है। प्राइवेट क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी पर अगले वर्ष एक वर्षीय योजना के अधीन एक करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

लघु उद्योगों में और भी प्रगति हुई है। गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कागज़ तथा हौज़री की चीज़ों में ५० प्रतिशत, मशीनों के पुर्जो में ४० प्रतिशत, खेलों के सामान में २५ प्रतिशत, साईकिलों में २० प्रतिशत और पीतल की चीज़ों के उत्पादन में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सूती वस्त्र, वैज्ञानिक उपकरण, खांड बिजली का सामान और लकड़ी के पेच, बोल्ट तथा नटों आदि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इस वर्ष स्थापित की गई नई प्रकार की फैक्टरियों में घड़ियां, क्लाक और टाईमपीस बनाने के कारखाने भी शामिल हैं।

लुधियाना, नीलोखेड़ी, सोनीपत, मालेरकोटला और बटाला में पांच औद्योगिक बस्तियां बसाने का काम इस वर्ष लगभग पूरा हो गया।

तृतीय योजना में ८२ औद्योगिक बस्तियां (७२ ग्राम तथा १० नगरों में) बसाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त १० ग्राम बस्तियां एवं १० ग्राम विकास केन्द्र और नगरों में ४ नई बस्तियां बसाने के लिए पग उठाए गए।

इस वर्ष राज्य में अमृतसर में बिजली का सामान बनाने का केन्द्र, मोगा में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग सहित ताप देने का केन्द्र, स्तर निर्धारण केन्द्र स्थापित करने, फैक्टरी आपरेटरों एवं कारीगरों को प्रशिक्षण देने एवं लघु उद्योगों के लिए सहकारी स्कीम चलाने और हथखड्डी चलाने की अन्य योजनाएं चलाई गईं। इस वर्ष छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में ७३.५१ लाख रुपए दिए गए और औद्योगिक प्रशिक्षण की स्कीमों को चालू करने पर ६.५९ लाख रुपए व्यय किए गए।

## श्रम

इस वर्ष औद्योगिक विवाद की कोई बड़ी घटना नहीं घटी। औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे रखने के उद्देश्य से समझौते का काम प्रबन्धक काम से अलग कर दिया गया और ६ समझौता कराने वाले अधिकारी तथा उच्च कार्यालयों में एक-एक समझौता कराने वाला मुख्य अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष औद्योगिक झगड़ों की संख्या २,०३६ से घटकर १,३२१ हो गई। इनमें से ८८६ झगड़े समझौते द्वारा निपटाए गए। फैसले करने के लिए भेजे गए झगड़ों की संख्या ४५७ से कम होकर १४४ रह गई।

इस वर्ष किए गए अन्य कार्यों में कम से कम मज़दूरी निर्धारित करने के कानून के अधीन दो और उद्योग शामिल किए गए। इनके नाम हैं—धातु और रोलिंग कारखाने तथा पीतल, ताम्बा और एलमोनियम के बर्तन तैयार करने के कारखाने। इस प्रकार इनकी कुल संख्या १९ हो गई है। २१ श्रम कल्याण केन्द्रों में सन्तोषजनक रूप से कार्य करना, मातायात कर्मचारी

कानून लागू करना तथा हिसार, सोनीपत, अबोहर, फरीदाबाद, फगवाड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम चालू करना। यह बीमा योजना १५ नगरों में चालू की गई है। राज्य में आजकल ५५,००० श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन आ गए हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अमृतसर, यमुनानगर, फरीदाबाद, लुधियाना, जालन्धर और धर्मपुर में फैक्टरी मजदूरों के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे।

## स्वास्थ्य

१९५१ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जहां ११७ लाख रुपए की व्यवस्था थी वहां यह राशि १९६२-६३ में ५६५ लाख रुपए तक हो गई। इन स्कीमों के परिणामस्वरूप वर्ष १९५६ में जहां प्रति हजार व्यक्ति मृत्यु १५·९३ हजार थी वहां अब घटकर ११.४३ बच्चों की ११९.१ से घटकर ९१.८६ तथा प्रसूति केसों में १.५६ से कम होकर ०·७० हो गई।

इस वर्ष ४२ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए तथा लाहौल-स्पिति के अनुसूचित इलाकों में ताबो, किब्बर और सगनम के स्थान पर ३ डिस्पेंसरियां कायम की गईं। इसके अतिरिक्त पटियाला में पागलों के लिए एक और अस्पताल बनाने का काम जोरों पर है तथा ग्रामीण इलाकों में २५ परिवार नियोजन सेमिनार आयोजित किए गए। अब राज्य में काम कर रहे अस्पतालों और डिस्पैंसरियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या ८४२, प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की गणना १२८ और पारिवार नियोजन क्लिनिकों की गिनती ११५। इन अस्पतालों में १३, २, ७० शैयाओं का प्रबन्ध है जबकि १९५२ में केवल ९,१८३ शैयाओं की व्यवस्था थी।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निरूपण अवस्था में प्रविष्ट हो गया है। कथित वर्ष के दौरान मलेरिया के २९४ केस देखे गए जबकि इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से पहिले इस बीमारी के ७ से ८ लाख केस होते थे। पिछले चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन गुड़गांव जिले में मार्ग-दर्शक परियोजना के रूप में लागू किया गया। इस कार्यक्रम को हिसार और महेन्द्रगढ़ जिलों में भी लागू किया गया है और ३ वर्ष के समय में सारे राज्य में इस कार्यक्रम के चालू हो जाने की संभावना है।

तपेदिक के खतरे को दूर करने के लिए कई पग उठाए गए। हिसार, रोहतक, गुरदासपुर, अम्बाला में तपेदिक क्लिनिक स्थापित करना, प्राईवेट तपेदिक क्लिनिकों को १.४५ लाख रुपए के सहायतानुदान देना तथा १·८० लाख रुपए की कीमत की दवाइयां देना और गरीब बीमारों को ०·५० लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देना आदि भी इसमें शामिल हैं। इस वर्ष में बी० सी० जी० कार्यक्रम के अधीन १७ लाख से भी अधिक लोगों का निरीक्षण किया गया तथा लगभग ६ लाख आदमियों को टीके लगाए गए। नए पैदा हुए बच्चों को टीके लगाने की स्कीम भी लागू की गई है।

कांगड़ा जिले में कुष्ठ उन्मूलन स्कीम के अधीन कंडभाढ़ी तथा भूंतर सर्वेक्षण केन्द्रों सहित तीन क्षेत्रीय यूनिटों में कार्य होता रहा। राज्य में विदेशी प्रचारक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले चार कुष्ठ गृहों के लिए १.७९ लाख रुपये की धन राशि भी सहायतानुदान के रूप में दी गई। इस समय राज्य में ४ अस्पताल, ३० क्लिनिक और ७ कुष्ठ रोगियों की

हैं। होशियारपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा और अमृतसर जिलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से हुकवर्म का नियन्त्रण किया जाता रहा। गुप्त रोगों के उपचार के लिए कुल्लू, कंडाघाट और धर्मपुर में तीन क्लिनिक काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्कीम के अन्तर्गत राज्य में ८ स्वास्थ्य क्लिनिक स्कूल खोले गए जिनमें ४६,००० बच्चों का निरीक्षण किया गया। ३८८ डिस्पेंसरियां और पटियाला स्थित अस्पताल आयुर्वेदिक तरीके से बीमार लोगों की सेवाएं करते रहे।

स्वच्छ जल-वितरण कार्यक्रम के अधीन ६ शहरों और १७ गांवों में पानी की सुविधाएं तथा ४ नगरों में गंदे पानी के निकास की व्यवस्था की गई। इस काम के लिए राष्ट्रीय योजना में ५०·४७ लाख रुपए की व्यवस्था की गई।

## शिक्षा

राज्य में शिक्षा ने भी लगातार प्रगति की एवं इस कार्य के लिए वर्ष के बजट के अनुमान के अनुसार १२·०१ करोड़ रुपए की धन राशि निर्धारित की गई जबकि वर्ष १९५६-५७ में ५·३८ करोड़ खर्च किए गए थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ११ वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १ अप्रैल, १९६१ से इस राज्य में ६ से ७ वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया गया। हमारे लिए यह एक गर्व का विषय है कि प्रथम श्रेणी के बच्चों की संख्या दुगुनी से भी अधिक अर्थात ७.८५ लाख हो गई जबकि लड़कियों की संख्या में १३८ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई।

इस वर्ष ११ से १४ और से १७ वर्ष की आयु के बच्चों को जिनकी संख्या तृतीय योजना में क्रमशः ३५ तथा १७ प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है, शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई पग उठाए गए। इनमें १९७ प्राईमरी स्कूलों का स्तर ऊंचा करना, तीन नर्सरियां एवं किंडरगार्टन पाठशालाएं खोलना, १६०० पाठशालाओं को बेसिक पाठशालाओं में बदलने के लिए अनुदान देना एवं ३८ गवर्नमेंट हाई स्कूलों तथा ५० मिडल स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों में बदलना आदि शामिल है।

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी प्राईवेट कालेजों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स चालू कर दिया गया है। इस वर्ष एक पूरा गृह विज्ञान कालेज, दो गवर्नमेंट कालेज एक जींद तथा दूसरा कुरुक्षेत्र में, एक कालेज तथा एक छात्रावास सहित खेलों का स्कूल स्थापित किया गया और गवर्नमेंट शरीरिक शिक्षा कालेज को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में परिवर्तित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में आजकल १३४ कालेज हैं जबकि १९४७ में इनकी संख्या केवल २९ थी।

इस वर्ष की एक अन्य प्रसिद्ध घटना भारत सरकार द्वारा कुंजपुरा तथा कपूरथला में दो सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है जिनके लिए भूमि एवं भवन राज्य सरकार ने दिये हैं। यहां यह वर्णन करने योग्य है कि गत वर्ष इसी तरह का एक स्कूल नाभा में चालू किया गया जब कि कंडाघाट में इस तरह का एक फौजी स्कूल कार्य कर रहा है।

सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले लड़कों के लिए आठवीं कक्षा तक तथा लड़कियों

के लिए नवीं क्लास तक निशुल्कशिक्षा करने में इस राज्य को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राज्य में डिप्लोमा स्तर तक निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। अप्रैल, १९६२ से दसवीं कक्षा की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा एवं १०० रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले लोगों के लड़कों को दसवीं क्लास तक आधी फीस की रियायतें दे दी गई हैं। इससे लगभग २७.७५ लाख रुपए की हानि होने की संभवना है।

पंजाबी भाषा के विकास पर विशेष जोर देने के लिए नया विश्वविद्यालय एवं लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालयकायम किया गया तथा एक और वृहत दुग्ध सप्लाई योजना जिससे लगभग ५ लाख बच्चों को पाऊडर से तैयारशुदा दूध देने की व्यवस्था है, चालू की गई है। इस परियोजना के अधीन ८१ खंडों के बालक दूध प्राप्त कर रहे हैं।

## प्राविधिक शिक्षा

इस वर्ष प्राविधिक शिक्षा में भी बहुत प्रगति हुई एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित की गई ७.२९ करोड़ रुपए की धन राशि में से १.११ करोड़ रुपए इस साल खर्च करने के लिए रखे गए। होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और ब्याज से कर्जे दिए जाते हैं और इस वर्ष झज्जर में एक पालिटैकनिक और चंडीगढ़ में एक स्थापत्यकला सम्बन्धी कालेज चालू किया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की जाने वाली विभिन्न स्कीमों के परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में डिग्री एवं डिप्लोमा क्लासों के विद्यार्थियों को दाखिल करने की संख्या क्रमशः ४८० से ८५० एवं १९,६२० से २,५८० तक हो जाने की संभावना है। प्राविधिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए सारे राज्य में डिप्लोमा स्तर तक यह शिक्षा निःशुल्क की जा रही है।

## राजधानी परियोजना

भारत के आधुनिकतम नगर चंडीगढ़ में सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में इमारतें बनाने सम्बन्धी कार्य में प्रगति हुई है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे को वायु सेना के एक बड़े स्टेशन में परिवर्तन करने का फैसला किया है तथा इस दिशा में काम पहले ही आरंभ हो चुका है। छावनी विकसित करने का काम भी शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्र में कृमिनाशक औषधियां बनाने एवं सुइयां बनाने के कारखाने में भी काम शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ में उपकरण बनाने की फैक्टरी एवं कसौली अनुसंधान संस्थान तथा पंजौर में हिन्दुस्तान टूल फैक्टरी की स्थापना से नगर की प्रसिद्धि में और भी वृद्धि हो गई।

## भ्रष्टाचार का उन्मूलन

सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत को खत्म करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया चौकसी विभाग ठोस कार्य करता रहा। इस वर्ष प्राप्त हुई १,५०० शिकायतों के आधार पर १,३२८ केसों में पूछताछ की गई जिनमें से १,९४९ केस लगातार पूछताछ में परिवर्तित कर दिए गए। २९७ अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दंड दिए गए जिनमें से ६५ को नौकरी से भी हटा

हैं। होशियारपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा और अमृतसर जिलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से हुकवर्म का नियन्त्रण किया जाता रहा। गुप्त रोगों के उपचार के लिए कुल्लू, कंडाघाट और धर्मपुर में तीन क्लिनिक काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्कीम के अन्तर्गत राज्य में ८ स्वास्थ्य क्लिनिक स्कूल खोले गए जिनमें ४६,००० बच्चों का निरीक्षण किया गया। ३८८ डिस्पेंसरियां और पटियाला स्थित अस्पताल आयुर्वेदिक तरीके से बीमार लोगों की सेवाएं करते रहे।

स्वच्छ जल-वितरण कार्यक्रम के अधीन ६ शहरों और १७ गांवों में पानी की सुविधाएं तथा ४ नगरों में गंदे पानी के निकास की व्यवस्था की गई। इस काम के लिए राष्ट्रीय योजना में ५०·४७ लाख रुपए की व्यवस्था की गई।

## शिक्षा

राज्य में शिक्षा ने भी लगातार प्रगति की एवं इस कार्य के लिए वर्ष के बजट के अनुमान के अनुसार १२·०१ करोड़ रुपए की धन राशि निर्धारित की गई जबकि वर्ष १९५६-५७ में ५·३८ करोड़ खर्च किए गए थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ११ वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १ अप्रैल, १९६१ से इस राज्य में ६ से ७ वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया गया। हमारे लिए यह एक गर्व का विषय है कि प्रथम श्रेणी के बच्चों की संख्या दुगुनी से भी अधिक अर्थात ७.८५ लाख हो गई जबकि लड़कियों की संख्या में १३८ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई।

इस वर्ष ११ से १४ और से १७ वर्ष की आयु के बच्चों को जिनकी संख्या तृतीय योजना में क्रमशः ३५ तथा १७ प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है, शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई पग उठाए गए। इनमें १६७ प्राईमरी स्कूलों का स्तर ऊंचा करना, तीन नर्सरियां एवं किंडरगारटन पाठशालाएं खोलना, १६०० पाठशालाओं को बेसिक पाठशालाओं में बदलने के लिए अनुदान देना एवं ३८ गवर्नमेंट हाई स्कूलों तथा ५० मिडल स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों में बदलना आदि शामिल है।

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी प्राईवेट कालेजों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स चालू कर दिया गया है। इस वर्ष एक पूरा गृह विज्ञान कालेज, दो गवर्नमेंट कालेज एक जींद तथा दूसरा कुरुक्षेत्र में, एक कालेज तथा एक छात्रावास सहित खेलों का स्कूल स्थापित किया गया और गवर्नमेंट शरीरिक शिक्षा कालेज को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में परिवर्तित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में आजकल १३४ कालेज हैं जबकि १९४७ में इनकी संख्या केवल २९ थी।

इस वर्ष की एक अन्य प्रसिद्ध घटना भारत सरकार द्वारा कुंजपुरा तथा कपूरथला में दो सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है जिनके लिए भूमि एवं भवन राज्य सरकार ने दिये हैं। यहां यह वर्णन करने योग्य है कि गत वर्ष इसी तरह का एक स्कूल नाभा में चालू किया गया जब कि कंडाघाट में इस तरह का एक फौजी स्कूल कार्य कर रहा है।

सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले लड़कों के लिए आठवीं कक्षा तक तथा लड़कियों

के लिए नवां क्लास तक निःशुल्कशिक्षा करने में इस राज्य को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राज्य में डिप्लोमा स्तर तक निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। अप्रैल, १९६२ से दसवीं कक्षा की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा एवं १०० रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले लोगों के लड़कों को दसवीं क्लास तक आधी फीस की रियायतें दे दी गई हैं। इससे लगभग २७.७५ लाख रुपए की हानि होने की संभवना है।

पंजाबी भाषा के विकास पर विशेष जोर देने के लिए नया विश्वविद्यालय एवं लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालयकायम किया गया तथा एक और वृहत दुग्ध सप्लाई योजना जिससे लगभग ५ लाख बच्चों को पाऊडर से तैयारशुदा दूध देने की व्यवस्था है, चालू की गई है। इस परियोजना के अधीन ८१ खंडों के बालक दूध प्राप्त कर रहे हैं।

## प्राविधिक शिक्षा

इस वर्ष प्राविधिक शिक्षा में भी बहुत प्रगति हुई एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित की गई ७.२९ करोड़ रुपए की धन राशि में से १.११ करोड़ रुपए इस साल खर्च करने के लिए रखे गए। होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और ब्याज से कर्जे दिए जाते है और इस वर्ष झज्जर में एक पालिटैकनिक और चंडीगढ़ में एक स्थापत्यकला सम्बन्धी कालेज चालू किया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की जाने वाली विभिन्न स्कीमों के परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में डिग्री एवं डिप्लोमा क्लासों के विद्यार्थियों को दाखिल करने की संख्या क्रमशः ४८० से ८५० एवं १९,६२० से २,५८० तक हो जाने की संभावना है। प्राविधिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए सारे राज्य में डिप्लोमा स्तर तक यह शिक्षा नि.शुल्क की जा रही है।

## राजधानी परियोजना

भारत के [illegible] नगर चंडीगढ़ मे सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में इमारतें बनाने सम्बन्धी कार्य में प्रगति हुई है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे को वायु सेना के एक बड़े स्टेशन में परिवर्तन करने का फैसला किया है तथा इस दिशा में काम पहले ही आरंभ हो चुका है। छावनी विकसित करने का काम भी शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्र में कृमिनाशक औषधियां बनाने एवं सुइयां बनाने के कारखाने में भी काम शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ में उपकरण बनाने की फैक्टरी एवं कसौली अनुसंधान संस्थान तथा पंजौर में हिन्दुस्तान टूल फैक्टरी की स्थापना से नगर की प्रसिद्धि में और भी वृद्धि हो गई।

## भ्रष्टाचार का उन्मूलन

सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत को खत्म करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया चौकसी विभाग ठोस कार्य करता रहा। इस वर्ष प्राप्त हुई १,५०० शिकायतों के आधार पर १,३२८ केसों में पूछताछ की गई जिनमें से १,९४९ केस लगातार पूछताछ में परिवर्तित कर दिए गए। २९७ अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दंड दिए गए जिनमें से ९५ को नौकरी से भी हटा

दिया गया।

## समाज कल्याण

१९५५ में स्थापित किया गया समाज कल्याण निर्देशालय राज्य में विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों के तालमेल का ध्यान रखता रहा।

इस वर्ष तारादेवी और चायल के सुन्दर वातावरण में स्थित इन्दरा अवकाश सदन बाल भवन, करनाल, पानीपत में अन्धे बच्चों के लिए सरकारी संस्था, जालन्धर स्थित गूंगे एवं बहरे बच्चों का स्कूल, करनाल के समीप मधुवन में सरकारी अनाथालय एवं अमृतसर, करनाल तथा फरीदकोट में स्थित तीन बाद की देखभाल के संस्थान और सोनीपत तथा जालन्धर में स्थापित किए। दो आश्रयस्थल सन्तोषजनक काम करते रहे। इस वर्ष चंडीगढ़ में ४.७४ लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त अवकाश सदन तथा प्रसिद्ध औद्योगिक नगरों में बच्चों के क्लब स्थापित करने के प्रारंभिक पग उठाए गए। इस वर्ष अनाथ बच्चों को फिर से बसाने की स्कीम के अधीन भी काम आरंभ हो गया है तथा लगभग ८० अनाथ बच्चे कुटुम्बों में बसाए गए हैं।

स्त्रियों की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था को सुधारने तथा अनैतिक दुराचरण से बचाई गई स्त्रियों की रक्षा करने एवं उन्हें पुनर्वास की सुविधाएं देने के लिए कल्याण विस्तार परियोजना संनोषजनक काम कर रही है। सामुदायिक विकास के नमूने पर काम करने वाली सम्बद्ध परियोजना पर सरकार द्वारा खर्च किए गए १.३८ लाख रुपए की धनराशि के अतिरिक्त इस वर्ष ९.७५ लाख रुपए सहायता अनुदाव के रूप में दिए गए।

## अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ी श्रेणियां

अनुसूचित जातियों और पिछड़े तथा विमुक्त वर्गों की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था में अधिक से अधिक सुधार करने की नीति पर जोरों से काम किया जाता रहा। इस वर्ष इस कार्य पर खर्च करने के लिए ४२.७३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई। तृतीय योजना में इस काम पर २२२ लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

थोड़े से थोड़े समय में विमुक्त जातियों की भलाई के काम को अधिक तेज़ी से चलाने के विचार से राज्य सरकार ने अस्थाई करों द्वारा धन एकत्रित करने का साहसपूर्ण पग उठाया है। इस स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिए मकान बनवाने एवं उनकी भलाई की स्कीमों पर खर्च करने के लिए ४ करोड़ रुपए एकत्रित किए जाने की आशा है।

लाहौल तथा स्पीति के अनुसूचित इलाके जिन्हें अप्रेल १९६० में एक पृथक जिले में परिवर्तित कर दिया गया, विकास के लिए इस वर्ष में २६ लाख रुपए व्यय किए गए।

| मंत्री | विभाग |
| --- | --- |
| सरदार प्रतापसिंह कैरो मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन, (राजनैतिक पीड़ित और प्रचार को मिला कर) उद्योग (कुटीर उद्योग को छोड़कर), शिक्षा (टेक्नीकल, मैडीकल और औद्योगिक शिक्षा सहित) । |
| डा० गोपीचन्द भार्गव | वित्त, सांख्यकी, कुटीर उद्योग । |
| श्री मोहनलाल | गृह (सतर्कता और एकता विभाग सहित). खाद्य और पूर्ति, स्थानीय सरकार (पंचायतों को छोड़ कर), न्याय । |
| सरदार दरबारासिंह | सामुदायिक विकास, पंचायत और पंचायती राज, पैकेज प्रोग्राम, सहकारिता । |
| ज्ञानी करतार सिंह | योजना, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, भाषाएं, खेल-कूद, हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां (अनुसूचित जातियां और अनु-सूचित जन-जातियों सहित) । |
| श्री बृषभान | पूंजीगत योजना, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आवास और गंदी बस्तियों का सुधार, शहर और नगर आयोजस और वास्तु कला । |
| श्री गुरबंतासिंह | कृषि वन, खेलकूद, भ्रमण, पहाड़ी क्षेत्र का विकास । |
| श्री रामसरन चन्द मित्तल | श्रम, चुंगी और कर, चुनाव । |
| श्री रनबीर सिंह | सिंचाई, बिजली, भाकरा बांध, मधुमक्खी परियोजना । |
| सरदार अजमेर सिंह | राजस्व, जमीन की चकबन्दी सहायता और पुनर्वास । |
|  | **राज्य मंत्री** |
| श्री यश | शिक्षा (टैक्नीकल, मैडिकल और औद्योगिक शिक्षा को छोड़ कर), सरदार प्रतापसिंह कैरो, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । |
| बीबी (डा०) प्रकाश कौर | स्थानीय विकास (पंचायतों को छोड़कर), पं० मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित, समाज कल्याण । |
| श्री हरबंसलाल | टैक्नीकल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा, सरदार प्रतापसिंह कैरो, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्री निरंजनसिंह तालिब | सार्वजनिक निर्माण विभाग, इमारतें और सड़कें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन्जीनियरिंग और परिवहन । |
| ज्ञानी जैलसिंह | जेल, पशु-चिकित्सा, दुग्ध विकास और मत्स्य उद्योग । |
| श्री प्रेमसिंह प्रेम | प्रिंटिंग और स्टेशनरी, ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्री रामकिशन | आवास और श्री बृषभान, पूंजीगत परियोजना मंत्री से सम्बन्धित । |

| | |
|---|---|
| श्री चांदराम | हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां, ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्री भगवतदयाल | श्रम, श्री रामसरन चन्द, श्रम और कर मंत्री से संबंधित, सहकारिता, सरदार दरबारासिंह सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बन्धित । |

**उप-मंत्री**

| | |
|---|---|
| श्री यशवन्तराय | सामान्य प्रशासन, सरदार प्रतापसिंह कैरो, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । |
| बख्शी प्रतापसिंह | सामुदायिक विकास, सरदार दरबारासिंह, सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बन्धित। |
| महाशय बनारसीदास | खाद्य और पूर्त्ति, श्री मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित। |
| चौ० सुन्दरसिंह | चुंगी और कर, श्री रामसरन चन्द मित्तल, श्रम और कर मंत्री से सम्बन्धित । |
| सरदार हरचरणसिंह बरार | सिंचाई, विद्युत, चौधरी रणबीरसिंह, सिंचाई, बिजली मंत्री से सम्बन्धित, खेलकूद, ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्रीमती ओमप्रभा जैन | शिक्षा (टैक्नीकल, मेडिकल और औद्योगिक शिक्षा को छोड़कर), श्री यश, राज्य मंत्री और सरदार प्रतापसिंह कैरों, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्री हरीराम | भ्रमण और पहाड़ी इलाकों का विकास, श्री गुरबंतासिंह, कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित । |
| कैप्टन रतनसिंह | कृषि श्री गुरबंतासिंह, कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्री हरचन्दसिंह | हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां (अनुसूचित जाति और आदिम जाति सहित), श्री चांदराम, राज्य मंत्री और ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित । पं० मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित । परिवहन, श्री निरंजनसिंह तालिब, राज्य मंत्री से सम्बन्धित । |
| श्री तैय्यब हुसैन खां | चिकित्सा और स्वास्थ्य, श्री बृषभान, पूंजीगत परियोजना और स्वास्थ्य-मंत्री से सम्बन्धित । सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री निरंजनसिंह तालिब, राज्य मंत्री से सम्बन्धित । |

| | |
|---|---|
| श्री चांदराम | हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां, ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित। |
| श्री भगवतदयाल | श्रम, श्री रामसरन चन्द, श्रम और कर मंत्री से संबंधित, सहकारिता, सरदार दरबारासिंह सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बन्धित। |

**उप-मंत्री**

| | |
|---|---|
| श्री यशवन्तराय | सामान्य प्रशासन, सरदार प्रतापसिंह कैरो, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित। |
| बख्शी प्रतापसिंह | सामुदायिक विकास, सरदार दरबारासिंह, सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बन्धित। |
| महाशय बनारसीदास | खाद्य और पूर्त्ति, श्री मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित। |
| चौ० सुन्दरसिंह | चुंगी और कर, श्री रामसरन चन्द मित्तल, श्रम और कर मंत्री से सम्बन्धित। |
| सरदार हरचरणसिंह बरार | सिंचाई, विद्युत, चौधरी रणबीरसिंह, सिंचाई, बिजली मंत्री से सम्बन्धित, खेलकूद, ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित। |
| श्रीमती ओमप्रभा जैन | शिक्षा (टैक्नीकल, मेडिकल और औद्योगिक शिक्षा को छोड़कर), श्री यश, राज्य मंत्री और सरदार प्रतापसिंह कैरों, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित। |
| श्री हरीराम | भ्रमण और पहाड़ी इलाकों का विकास, श्री गुरबंतासिंह, कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित। |
| कैप्टन रतनसिंह | कृषि श्री गुरबंतासिंह, कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित। |
| श्री हरचन्दसिंह | हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां (अनुसूचित जाति और आदिम जाति सहित), श्री चांदराम, राज्य मंत्री और ज्ञानी करतारसिंह, योजना मंत्री से सम्बन्धित। पं० मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित। परिवहन, श्री [illegible] तालिब, राज्य मंत्री से सम्बन्धित। |
| श्री तैय्यब हुसैन खां | चिकित्सा और स्वास्थ्य, श्री बृषभान, पूंजीगत परियोजना और स्वास्थ्य-मंत्री से सम्बन्धित। सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री निरंजनसिंह तालिब, राज्य मंत्री से सम्बन्धित। |

: ३७ :

# पश्चिम बंगाल

**राजधानी** : कलकत्ता
**क्षेत्रफल** : ३३९२८ वर्गमील
**जनसंख्या** : ३,४९,६७,६३४
**मुख्य मंत्री** : बंगला

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन पर विशेष ज़ोर दिया गया है ताकि खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके। साथ ही साथ बिजली के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि यह उद्योगों के विकास के लिए परमावश्यक है। अन्त में, समाज सेवाओं के विस्तार पर और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं उत्पन्न करने की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है।

तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल के लिये आरम्भ में कुल ३४१.१० करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था किन्तु उपलब्ध साधनों को देखते हुए योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल की कार्यकारी योजना के निमित्त २९३.१५ करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया है। पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत कुल २१५ करोड़ रुपए व्यय हुए।

## कृषि

मौसम की खराबी और हिस्पा नामक कीटाणुओं के प्रकोप से जिसके फलस्वरूप धान की खेती को काफी नुकसान पहुंचा था, पश्चिम बंगाल ने ९५.६० लाख एकड़ भूमि में ४३.०० लाख टन अमन धान की पैदावार की जबकि गत वर्ष ९७.२६ लाख एकड़ भूमि पर केवल ४८.२२ लाख टन की पैदावार की गई थी। औस धान की फसल को मालदा और मुर्शिदाबाद में बाढ़ के प्रकोप के कारण क्षति पहुंची जबकि १९६०-६१ में १५.७१ लाख एकड़ भूमि पर औस धान की फसल बोई गयी थी, १९६१-६२ में बाढ़ के प्रकोप के कारण केवल १२.९२ लाख एकड़ भूमि पर पैदावार की जा सकी।

पटसन की पैदावार अनुकूल दिशा में प्रगति करती रही। गत वर्ष पटसन के काश्तकारों को अपने माल की अच्छी कीमतें मिली थीं जिसकी वजह से इस साल उन्होंने ज्यादा पटसन बोया। अनुमान है कि ११.४४ लाख एकड़ भूमि पर पटसन की खेती से ३३.५१ लाख गांठें प्राप्त हो सकेंगी।

१९६०-६१ में ७.२० लाख एकड़ पर पटसन की खेती की गयी थी जिससे कुल १९.८७ लाख गांठों की पैदावार हुई।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कई उपाय किये गये हैं, उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

उन्नत बीज वितरण स्कीम के अन्तर्गत ४०,००० मन धान के बेहतर बीज बांटे गये हैं जिनमें से ६००० मन बीज बाढ़-पीड़ित इलाकों के काश्तकारों को मुफ्त बांटे गये हैं।

**रासायनिक खाद**—६३,००० टन एमोनियम सल्फेट और ३३,३४७ टन सुपर फासफेट इस वर्ष काश्तकारों को बांटा गया। इसके अलावा स्थानीय संस्थानों से उन्हें हरी खाद पैदा करने के लिये प्रोत्साहित किया गया जिसका उत्पादन लक्ष्य १.४१ लाख टन रखा गया है। इसके अतिरिक्त

स्थानीय नगर पालिकाओं ने ३६,४२३ टन सहकारी खाद और कलकत्ता कारपोरेशन ने ४००० टन खाद बांटा।

किसानों को हरी खाद के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ९०० मन धैनचा बीज बांटे गये।

करीब १० लाख एकड़ भूमि को जापानी ढंग की धान की खेती के अन्तर्गत लाने की कोशिश की गई है। काश्त का यह जापानी ढंग अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। काश्त के बेहतर तरीकों के प्रदर्शन के लिये समूचे राज्य में ९७० प्रदर्शन खेत खोले गए हैं। मऊराक्षी और दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र में एक-एक एकड़ के १,४१० प्रदर्शन खेत स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार के अन्य २०० खेत बनाये जा रहे हैं जिनमें नलकूप का प्रबन्ध भी है।

इस वर्ष जलपाइगुड़ि, कूचबिहार, नदिया, मुर्शिदाबाद, मीदनापुर, बिरजूम, चौबीस परगना और हावड़ा के इलाकों में धान की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। हवाई जहाज से कीटाणुनाशक औषधियां छिड़क कर ३ लाख एकड़ भूमि में पटसन की खेती को इन कीटाणुओं से मुक्त किया गया है।

हरिनघाट स्थित बिड़ला कृषि कालेज का कार्य संचालन भार अब कल्याणी विश्वविद्यालय को दे दिया गया है, जहां कि डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। चिन्सुरा और कूच बिहार में कृषि स्कूलों में मैट्रिक अथवा समान स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों को कृषि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा ५० प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष तैयार करने के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्रों में काम चल रहा है। यह प्रशिक्षणार्थी बुनियादी विस्तार कार्यक्रम की प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

## सिंचाई

इस वर्ष जल के विभिन्न साधनों से पर्याप्त उपलब्धि के लिये प्रयास जारी रखे गये। पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग ने इस वर्ष सिंचाई की ३३४ छोटी परियोजनाओं को चालू किया है। २२९ गहरे नलकूप खोदे गये हैं। जिनमें से ६६ पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। एक नलकूप २५० एकड़ के इलाके के लिये है। इसके अलावा काश्तकारों को ४०० पम्पिग सैट बेचे गये हैं।

तीसरी योजना के अन्तर्गत मऊराक्षी परियोजना के अधीन लगभग अतिरिक्त १३,००० एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया जाएगा। इसी प्रकार दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत अन्य २५,००० एकड़ भूमि कृषि-योग्य बनाई जाएगी। इससे पहले १९६०-६१ में मऊराक्षी परियोजना के अन्तर्गत ४,६२,००० और दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत ५५,३०,०० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की गयी थीं।

१९५५-५६ के अन्त में सिंचाई की मध्यम और छोटी स्कीमों से लगभग ४,८५,००० एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त होता था जो कि १९६०-६१ में ८,७६,००० एकड़ भूमि को होने लगा।

तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

### मऊराक्षी परियोजना

यह परियोजना जिस पर आरम्भ में १५८५ लाख के व्यय का अनुमान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी हुई। इस योजना में २,१५,००,००० रुपए व्यय हुए हैं। जिसमें बिहार

को अतिरिक्त भूमि का मूल्य दिया गया है और सुधार कार्यों के लिये व्यवस्था की गई है। इन अतिरिक्त कार्यों से सिंचाई की सम्भाव्य शक्ति में वृद्धि होगी। इन अतिरिक्त कार्यों को १९६०-६१ में आरम्भ किया गया है और वे अभी तक जारी है। इस समय लगभग ४.७ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएं हैं।

## दामोदर घाटी निगम

दामोदर घाटी निगम की सिंचाई परियोजना की मौजूदा नहरों से ७ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो रहा है जबकि दूसरी योजना के लक्ष्यों के अनुसार ९.७५ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। शेष कार्य १९६१-६२ में जारी रखा गया। दामोदर घाटी निगम के सिंचाई कार्य के विस्तार और सुधार को तीसरी योजना में भी जारी रखा जाएगा।

## कन्सवटी परियोजना

यह दूसरी योजना के प्रथम वर्ष से चली आ रही परियोजना है जिस पर २५.२६ करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। इस राशि में अभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५.०२ करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है। शीलवटी में एक वराज बनकर तैयार हो गया है और दो नहरें तैयार हो गई हैं। कन्सवटी नदी पर बान्ध के निर्माण का कार्य चल रहा है। १९६१-६२ में नहरों के निर्माण कार्य में भी प्रगति हुई है। १९६१-६२ में इस परियोजना पर २०९ लाख रुपए व्यय किये जायेंगे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल एक ही मध्यम आकार की सिचाई परियोजना आरम्भ की गयी—जलपाइगुड़ि में काराटोवातलमा सिचाई स्कीम जिस पर ४६.३८ लाख रुपए व्यय किए जाने हैं। दूसरी योजना में इस परियोजना पर २०.१० लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं। इस परियोजना में अभी तक कार्य जारी है, जिसकी पूर्त्ति पर १३,८०० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। अभी हाल में पुर्लिया जिले में सेहरा और सिचाई स्कीम नामक एक अन्य परियोजना की स्वीकृति दी गई है जिस पर अनुमानतः २०.६४ लाख रुपए व्यय होंगे। इस परियोजना का कार्य आरम्भ हो गया है। इससे १०,००० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपर्युक्त दोनों मध्यम आकार की स्कीमों पर इस वर्ष ९.८१ लाख रुपए खर्च किये जायेगे।

## बाढ़-नियंत्रण और नालियां

चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़-नियंत्रण और नालियों के काम पर ७६ लाख रुपये खर्च किये जाने हैं। जलपाइगुढ़ि जिले में २५.२० लाख रुपए की लागत से एक बाढ़-नियंत्रण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा नदी के जल से भूमि संरक्षण आदि के लिये भी अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं।

## कृषि क्षेत्र में भूमि-संरक्षण स्कीम

१९६०-६१ के अन्त में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी इलाके में ५.६६ लाख रुपए की लागत

से भूमि संरक्षण की तीन स्कीमें शुरू की गई हैं। इन स्कीमों से जो कि इस वर्ष पूरी हो जायेंगी, ५९ एकड़ पहाड़ी इलाके को ऐसा बनाया जा सकेगा कि जिससे जलपाइगुड़ि जिले में बाढ़ न आए। इस वर्ष इस स्कीम पर तीन लाख रुपए खर्च किये जायेंगे।

राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में टालीगंज, पंचनग्राम की ड्रेनेज स्कीम पर २९.१५ लाख रुपए व्यय किये जायेंगे। इस स्कीम को अभी हाल ही में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसका कार्य भी आरम्भ हो गया है। इस स्कीम द्वारा न केवल टालीगंज के आस-पास के ६.५७ वर्गमील इलाके में पानी का जमाव को दूर किया जायगा बल्कि कलकत्ता कारपोरेशन की हद में टालीगंज के ६.२३ वर्ग मील इलाके में नालियों का भी समुचित प्रबन्ध हो सकेगा।

## मत्स्य उद्योग

१९६१-६२ में नदियों और तालाबों में मछली पकड़ने के बेहतर तरीकों को काम में लाया गया है।

इस वर्ष ३७७ बीघा कृषि भूमि और २७७ बीघा बंजर भूमि को मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत लाया गया है और इन भूमि के मालिकों को अल्पावधि और मध्यावधि ऋण दिया गया। निजी मत्स्य उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता दी गई और उनके द्वारा ९२३६ मन मछली तालाब खाद पैदा किया गया। लगभग ६३,२५,००० कार्क मछली निजी उद्योग से प्राप्त हुई।

देशी मत्स्य उद्योग के लोगों को इस व्यापार में वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिये ६३ प्रदर्शन केन्द्र खोले गए हैं। मछलियों से सम्बन्धित रासायनिक तथा वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए एक मत्स्य अनुसंधानशाला कल्याणी में स्थापित की गई है। मछुओं को अल्पावधि और मध्यावधि ऋण दिए जा रहे हैं ताकि वे नाव और जाल खरीद सकें।

जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम है तीन समुद्री जहाज इस काम के लिये लगे हुये हैं। इस वर्ष २९६ दिनों में इन तीन जहाजों ने समुद्र के ३१ दौरे किए और ४९६००० किलोग्राम मछली प्राप्त कीं जबकि १९६०-६१ में केवल १,७०,००० किलोग्राम मछली प्राप्त की गई थी। इस वर्ष की मछली की बिक्री से २,४०,००० रुपए प्राप्त हुए हैं जबकि गत वर्ष केवल ६८,००० रुपए प्राप्त हुए थे।

## वन सम्पत्ति

पश्चिम बंगाल में लगभग ४,५०० वर्गमील का वन-प्रांत है जो कि राज्य के कुल भूभाग का लगभग १४ प्रतिशत है। विशेषज्ञों का ख्याल है कि राज्य को अपनी लकड़ी और इंधन की जरूरतों के लिये अपने भूभाग का २५ प्रतिशत हिस्सा वन प्रान्त बनाना चाहिए। सरकार बेकार पड़ी हुई ज़मीन पर वनारोपण कर रही है। १९६१-६२ में ४०० एकड़ भूमि पर नए जंगल लगाए गए और लगभग १३,००० एकड़ वन प्रान्त में आवश्यक सुधार किया गया।

वन के पशुओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नदियां जिले में हरिन उद्यान स्थापित किया गया है।

## सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में काफी उन्नति हुई है। अभी तक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण

क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग सामुदायिक विकास खण्डो के अन्तर्गत आ चुका है और शेष ग्रामीण जनसंख्या अक्टूबर, १९६३ के अन्त तक इस कार्यक्रम की परिधि में आ जाएगी। पंचायती राज का सूत्रपात एक नया क्रान्तिकारी कदम है। अभी तक राज्य के एक-तिहाई भाग में ग्राम पंचायतें संगठित हो चुकी हैं।

## भूमि सुधार

पश्चिम बंगाल सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिकारों का पंजीकरण किया जा रहा है। यह कार्य केवल पुलिया और पश्चिम दिनाजपुर को छोड़कर सभी जिलों में पूरा हो चुका है।

बिचौलियों को मुआवजा देने का काम संतोषजनक रूप से बढ़ रहा है। शुरू में छोटे बिचौलियों के मुआवजे का अन्दाज़ा लगाया जा रहा है बाद में बड़े बिचौलियों के मामलों को उठाया जाएगा।

२८ फरवरी, १९६२ के अन्त तक लगभग ७ लाख पंजियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन पंजियों के अनुसार मुआवजे की अदायगी की जा रही है।

मुआवज़े की रकम को पूरी तरह आंकने से पूर्व अन्तिम रूप से बिचौलियों को विशेष तौर पर धन दिया जा रहा है। दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक इस प्रकार ८.२० करोड़ रुपए, १,४०,००० बिचौलियों में बांटे गये।

सरकार ने प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित किसानों को विशेष आर्थिक सहायता दी है।

भूमि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आ जाने के बाद राज्य की उपलब्ध भूमि में समुचित उपयोग के लिये एक भूमि उपयोग बोर्ड १९५९ में कायम किया गया है जिसके सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं।

## बिजली

तीसरी योजना के अंतर्गत बिजली के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बन्डेल में एक सुपर थर्मल बिजलीघर कायम किया गया है जिससे ३१३ मिलियन वाट बिजली उत्पन्न होगी। कलकत्ता के औद्योगिक इलाके में जो हाल में बिजली संकट उत्पन्न हुआ था, उसकी जांच करने के लिये भारत सरकार ने सचदेव समिति नियुक्त की है। इस समिति ने कई नयी स्कीमों को तीसरी योजना में शामिल करने की सिफारिश की है। २.१९ करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत से ६ अतिरिक्त बिजली पैदा करने वाली इकाइयां स्थापित की जायेंगी।

औद्योगिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य कल्याण संस्थाओं और सड़क पर रोशनी करने के लिये नगरपालिकाओं तथा खाना बनाने के लिये घरेलू जरूरतों को देखते हुये राज्य सरकार ने गैस के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें सुधार लाने के लिये १९६० में ओरियण्टल गैस कम्पनी ऐक्ट चालू किया और इस संस्थान का कार्य-भार पांच वर्ष के लिये अपने हाथ में ले लिया। जब से इस संस्थान का कार्यभार सरकार के हाथ में आया है, महसूस किया गया है कि समूचे कार्य को आधुनिक आधार पर करना होगा। इस दिशा में उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण भाग उद्योगों की स्थापना करना है। इन मूल-उद्योगों से अन्य सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस समय अधिकांश उद्योग दुर्गापुर में केन्द्रित हैं। दुर्गापुर कोक ओवन संस्थान जो कि १९६० से काम कर रहा है, अपने क्षेत्र में कई उद्योगों को कोक और गैस सप्लाई करता है। इस वर्ष अक्टूबर मास के अन्त तक दुर्गापुर से कलकत्ता को गैस सप्लाई करने की व्यवस्था जारी हो जाएगी। दुर्गापुर कोक प्लांट की वर्तमान उत्पादन क्षमता को दुगुना करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जा चुकी है। कोक ओवन प्लांट के उत्पादन से समुचित लाभ उठाने की दृष्टि से भारत सरकार ने पेरिस की कैब्ज एण्ड कम्पनी के टैक्नीकल सहयोग से कासटिक सोडा और फिनौल आदि के निर्माण के लिये एक रासायनिक संस्थान खोलने की स्वीकृति दे दी है।

पश्चिम बंगाल में आज विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो कि दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार मौजूदा निजी उद्योगों के विस्तार के लिये टैक्नीकल और वित्तीय सहायता दे रही है और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की चौमुखी प्रगति हो रही है।

दासनगर (हावड़ा) में केन्द्रीय सरकार ने एक इण्डो-जापान प्रोटो टाइप प्रोडक्शन का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है।

कुटीर और लघु उद्योग के क्षेत्र में हाथकरघा और बिजलीकरघा, रेशम, चीनी के बर्तन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच औद्योगिक बस्तियां बनायी जानी थीं जिनमें से बरूईपुर, शक्तिगण और कल्याणी की औद्योगिक बस्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। हावड़ा और सिलीगुढ़ी की औद्योगिक बस्तियों के निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा है। तीसरी योजना की अवधि में ११ औद्योगिक बस्तियां कायम करने का विचार है जिनमें से तीन बड़ी और ८ छोटी होंगी।

लघु और कुटीर उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धि और उनके उत्पादन की बिक्री आदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिये पश्चिम बंगाल उद्योग निगम लिमिटेड को यह काम सौंपा गया है। राज्य सरकार ने कलकत्ता और हावड़ा में कई बिक्री केन्द्र भी खोले हैं जिनमें पश्चिम बंगाल के कुटीर और लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है।

टैक्नीकल प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रीरामपुर और बहरामपुर में दो वस्त्र उद्योग विज्ञान संस्थाएं तथा चमड़ा उद्योग की संस्था को दूसरी योजना की अवधि में पुनर्गठित किया गया। तीसरी योजना में इन संस्थाओं को आधुनिक साज-सामान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। तीसरी योजना में ४००० अतिरिक्त दस्तकार प्रशिक्षित किये जायेंगे। इस काम के लिये आठ नए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

## सहकारिता

सहकारिता के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है। सरकार वर्तमान सक्रिय सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने पर, न कि महज नई सहकारी समितियां खोलने पर जोर दे रही है।

टार डिस्टिलेशन संयत्र—दुर्गापुर (प० बंगाल)

हुगली नदी (पश्चिम बंगाल) की तह से रेत निकाल कर नमक झील पहुंचाई जारही है

साइकल के पुर्जे बनाने वाली फैक्टरी कल्याणी औद्योगिक बस्ती (पश्चिम बंगाल)

१९६०-६१ तथा १९६१-६२ में दो वर्ष के तुलनात्मक ब्यौरे से जो नीचे दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में सहकारिता की प्रगति का अन्दाजा लगाया जा सकता है :—

(क) १९६०-६१ में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या १७.९२ लाख थी जो कि १९६१-६२ मे बढ़कर १८.३३ लाख हो गई।

(ख) १९६०-६१ में सहकारी समितियों की कार्यकारी पूजी ५०.६४ करोड़ रुपए थी, जो कि १९६१-६२ मे बढ़कर ५५.२९ करोड़ रुपए हो गयी।

(ग) १९६०-६१ मे राज्य का ३४ प्रतिशत भाग सहकारी समितियों की परिधि में था, १९६१-६२ में ३५ प्रतिशत जनता सहकारी समितियों की सदस्य बनी।

(घ) १९६०-६१ में सहकारी समितियों के पास २६.९ करोड़ रुपए जमा थे, जबकि १९६१-६२ में २९.०३ करोड़ रुपए एकत्र थे।

(ङ) गत वर्ष २७.९४ करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिये गये। जबकि इस वर्ष यह रकम बढ़कर ३०.४९ करोड़ रुपए हो गयी।

यह बतलाता है कि सहकारी समितियों में जनता का विश्वास वढ़ता जा रहा है।

रिज़र्व बैंक से भी ऋण प्राप्ति में वृद्धि हुयी है। १९६०-६१ में १.९४ करोड़ रुपए और अब १९६१-६२ में २.६० करोड़ रुपए प्राप्त किये गये हैं।

भूमि रहन बैंक में भी जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक भूमि रहन बैंकों ने इस वर्ष ९.६४ लाख रुपए दीर्घावधि के ऋण के रूप में दिए, जबकि गत वर्ष ९.३२ लाख रुपए दिए गए थे। अभी तक २५१ सहकारी कृषि समितियां स्थापित की जा चुकी हैं जिनके सदस्यों की संख्या १०,७८५ और शेयर पूंजी ११.२२ लाख रुपए है। १९६१-६२ में कुछ चुनी हुई सहकारी कृषि समितियों को २,००० रुपए प्रति समिति के हिसाब से राज्य का योगदान दिया गया।

दस्तकारों और कारीगरों की औद्योगिक सहकारी समितियां जो कि इन लोगों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिये है, पहले से अधिक बढ़ गयी हैं। गत वर्ष इनकी सख्या १९८२ थी और इस वर्ष २,०६४ है।

महिलाओं की दस्तकारी समितियां १९६०-६१ में ४७ थीं, और अब १९६१-६२ में ६७ हैं। यह सहकारी समितियां अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता पहुंचाती हैं तथा मध्यवित्त परिवारों की महिलाओं को आंशिक समय का रोजगार भी दिलाती है।

हथकरघा सहकारी समितियों की संख्या १,११८ से बढ़कर इस वर्ष १,१४० हो गई है। सदस्यों की संख्या और कार्यकारी पूजी में भी वृद्धि हुई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारिता के विकास के लिए १५ स्कीमें तैयार की गयी हैं जबकि गत योजना की अवधि में ८ स्कीमें शुरू की गयी थीं। चार नई महत्वपूर्ण स्कीमें ये हैं :—१. मत्स्य उद्योग सहकारी समितियों का विकास, २. उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास, ३. दुग्ध वितरण सहकारिता समितियो का विकास और ४. सहकारी चीनी मिलों का संगठन।

## शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों

की संख्या दुगनी बढ़ गई है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अधिनियम और रवीन्द्र भारती अधिनियम गत वर्ष पास हुए हैं और इन विश्वविद्यालयों ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

तीसरी योजना में दो नए इन्जीनियरिंग कालेज खोलने का निश्चय किया गया है। इनमें से जलपाइगुड़ि के एक इन्जीनियरिंग कालेज में काम शुरू हो गया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम से राष्ट्रीय नाटकघर का निर्माण कार्य समाप्ति पर है।

## आवास

तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में ७१२ और निजि क्षेत्र में ४७१ मकान बन कर तैयार हो गये तथा ३६९ अन्य मकानों के निर्माण की योजनाएं बनाई गयीं। ये नये मकान निजी क्षेत्र में बनाये जायेंगे और इन पर १८.६८ लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा १९६१-६२ के अन्त तक २,४१८ मकानों के निर्माण का काम चल रहा था जिनमें से ८० मकान निजी क्षेत्र में बनाये जा रहे है।

## बागान के मजदूरों के लिये मकान

१९६०-६१ के अन्त तक ८,३०,००० रुपए की लागत से ३४६ मकान बनाये गये हैं और ४.६९ लाख रुपए ऋण के रूप में दिये गये हैं। १९६१-६२ में इस स्कीम के अन्तर्गत ३०८ मकान बनकर तैयार हुए हैं और ३१३२०० रुपए का ऋण सहायता के रूप में दिया गया है। साथ ही २,८५,६०० रुपए ऋण के रूप में भी दिये जायेंगे।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की दिशा में प्रगति की गयी है। १९६१-६२ में निम्न आय वर्ग के लिये ६५२ मकान बनाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र में शुरू किया गया जिस पर अनुमानतः ७३ लाख रुपए का व्यय होगा। इनके अतिरिक्त अभी तक १०० मकान बनकर तैयार हो गये हैं। मध्य आय वर्ग आवास स्कीम के अन्तर्गत १९६१-६२ में ६१ नये मकान बनाये गये।

## पुनर्वास

इस वर्ष पश्चिम बंगाल में सभी शरणार्थी शिविर बन्द कर दिए गए। वर्ष के आरम्भ में अर्थात् अप्रैल, १९६१ को पश्चिम बंगाल में ६१ परिवार थे, जिनमें कुल जनसंख्या ७९५२५ थी। सरकार ने जनवरी, ३१, १९६१ तक सभी शिविर बन्द कर दिये हैं।

वे विस्थापित परिवार जिनको दीर्घकाल तक सहायता की आवश्यकता है, विशेष शरणालयों में भेजे गये जहां उनकी उचित देखभाल हो रही है। ग़ैर किसान परिवार जो कि अभी तक शिविरों में थे, सरकारी बस्तियों या बैंनामा स्कीम के अन्तर्गत भेज दिये गये हैं। विस्थापित परिवारों में अधिआंश किसानों के परिवार हैं, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था मुख्यतः दण्डकारण्य अथवा उत्तर प्रदेश में की गयी है।

पश्चिम बंगाल के अन्दर और बाहर शिविरों में रहने वाले परिवारों के लिये १९६१-६२ में नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था की गई :—

**(क) पश्चिम बंगाल में :**

**पश्चिम बंगाल**

| | |
|---|---|
| २. बेनामा स्कीम | ४१६ परिवार |
| **(ख) पश्चिम बंगाल के बाहर :** | |
| १. दण्डकारण्य | ७०२ परिवार |
| २, उत्तर प्रदेश | ५४३ परिवार |
| ३. अन्डमन | १५३ परिवार |

**राज्यपाल :** कुमारी पद्मजा नायडु

| **मंत्री** | **विभाग** |
|---|---|
| श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन **मुख्य मन्त्री** | सामान्य प्रशासन, राजनैतिक, विधान और चुनाव वित्त, खाद्य, कृषि और पूर्ति । |
| श्री कालीपद मुखर्जी | पुलिस, प्रतिरक्षा, विशेप, पास पोर्ट और गृह विभाग की छपाई शाखा । |
| श्री खजेन्द्रनाथ दास गुप्ता | सार्वजनिक निर्माण और आवास । |
| श्री अजयकुमार मुखर्जी | सिंचाई और जल । |
| श्री ईश्वरदास जालान | विधि । |
| श्री राय हरिन्द्रनाथ चौधरी | शिक्षा । |
| श्री तरुणकान्ति घोष | कुटीर और लघु उद्योग, सहकारिता । |
| श्रीमती पुरभि महोपाध्याय | जेल और गृह विभाग की समाज कल्याण शाखा |
| श्री श्यामदास भट्टाचार्य | भूमि और भू-राजस्व । |
| श्री जगन्नाथ कोले | प्रचार, चुंगी और विधानसभाई कार्य । |
| डा० जिबनरत्न धर | स्वास्थ्य । |
| श्री सैला मुखर्जी | स्थानीय स्व-शासन और पंचायत, सामुदायिक विकास और आदिमजाति कल्याण । |
| श्रीमती आभा माइती | शरणार्थी और पुनर्वास सहायता । |
| श्री एस० एम० फजलुर रहमान | पशु चिकित्सा, वन और मत्स्य उद्योग । |
| श्री बिजयसिह नाहर | श्रम । |

**राज्य मन्त्री**

| | |
|---|---|
| श्री सौरिन्द्र मोहन मिश्रा | शिक्षा । |
| श्री टैंजिग वैंगदी | पशु चिकित्सा और पशु कल्याण । |
| श्री समरजीत बन्द्योपाध्याय | कृषि । |
| श्री चारुचन्द्र महन्ती | खाद्य, सहायता और पूर्ति । |
| श्री चितरंजन राय | सहकारिता । |
| श्री अरधेन्दु शेखर नासकर | चुंगी । |
| श्री आसुतोष घोष | गृह (परिवहन) । |
| श्री बिजेशचन्द्र सेन | विकास । |

| | |
|---|---|
| डा० प्रबोधकुमार गुहा | श्रम। |
| डा० सुशील रंजन चट्टोपाध्याय | स्वास्थ्य। |
| श्री प्रोमथारंजन ठाकुर | आदिमजाति कल्याण। |
| | **उप-मन्त्री** |
| श्री सैयद काज़िम अली मिर्जा | सार्वजनिक कल्याण। |
| श्री जिया-उल-हक़ | स्थानीय स्व-शासन और पंचायत। |
| श्रीमती माया बनर्जी | शिक्षा। |
| डा० तारापद राय | सिंचाई और जल परिवहन। |
| श्रीमती राधारानी मेहताब | गृह (जेल) और समाज कल्याण। |
| श्री कनईलाल दास | भूमि और भू-राजस्व। |
| श्री जोयनल अबेदिन | स्वास्थ्य। |
| श्रीमती शकीला खातून | शरणार्थी सहायता और पुनर्वास। |
| श्री मुक्तिपद चटर्जी | शिक्षा। |
| श्री महेन्द्रनाथ दकुआ | वाणिज्य एवं व्यापार। |

: ३८ :

# विहार

राजधानी : पटना
क्षेत्रफल : ६७,१९८ वर्ग मील
जनसंख्या : ४,६४,५७ ०४२
मुख्य भाषा : हिन्दी

विहार की प्रगति के लिए १९६२ विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस वर्ष राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सूत्रपात हुआ। विहार पंचायत समिति, जिला परिषद ऐक्ट, १९६१ लागू किय जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप गांवों मे क्रमशः प्रशासन का भार पंचायतों को सौंपा जा रहा है।

## कृषि

१९६० के पिछले तीन वर्षों में धान और मकई की खरीफ फसल की पैदावार से २१ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है। १९६०-६१ में राज्य ने पुनः गत तीन वर्षों की औसत पैदावार से २१ प्रतिशत अधिक चावल और मकई का उत्पादन किया। गेहूं, चना और जौ के उत्पादन में भी १९ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

१९६०-६१ में शाहाबाद जिले के ६ विकास खण्डों में "पैकेज प्रोग्राम" नामक सघन कृषि प्रोग्राम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम को काश्तकारों का सहयोग प्राप्त हुआ है और सघन कृषि द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई।

बाढ़ से बचाव की स्कीमों को अमल में लाने में काफी प्रगति की गयी है। दूसरी योजना में १४.२० लाख एकड़ भूमि को बाढ़ से बचाया गया और ७.७१ लाख एकड़ भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया गया है। इस समय कराचा से बाधाघाट तक किनारेबन्दी और नरौनी किनारेबन्दी का काम चल रहा है।

४५ करोड़ की लागत की कांसी परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम प्रगति कर रहा है। ईस्ट मेन केनाल और हैडरेगुलेटर, लैफ्ट अन्डर स्पिलपेज और ३४ स्पिलवे प्राप्त हो चुकी है।

## बिजली

बिहार राज्य में बिजली के उत्पादन और प्रसार ने क्रमशः प्रगति होती जा रही है। १९६१-६२ में बरौनी बिजलीघर के निर्माण का काम बड़ी तेजी के साथ चलता रहा है। पत्रातु बिजलीघर का काम भी शुरू किया जा चुका है जिसके लिए सोवियत संघ ने हमें जैनेरेटिंग सैट्स भेजे है। कोसी और गन्डक विद्युत परियोजनाओं की रिपोर्टें पूरी हो चुकी है और साज-सामान के लिए टेन्डर दिये जा चुके हैं। इस वर्ष राज्य मे बिजली बोर्ड को रेलवे बिजलीकरण का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रेलवे के लिए १७० मील में बिजली के तार लगाए गए है और मनीकुई (चाण्डील) राजखरसावा और केन्डोपोसी में बिजली की रेल चलाने के लिये बिजली उप-लब्ध की गई। १९६१-६२ में २८७ मील हाई टैन्शन और ९५१ मील की टैन्शन लाइनें बिछाई

ौर अन्य ११४ गांवों का बिजलीकरण किया गया। इस प्रकार क्रमशः अभी तक ८,१०० ,६८७ मील लम्बी हाई टैन्शन और लो टैंशन लम्बी लाइनें बिछाई गयी हैं और १,८७० गांवों जलीकरण किया गया है।

## उद्योग

बिहार अब नए औद्योगिक युग में पैर रख रहा है। निजी क्षेत्र में टाटा उद्योग का सभी ओं में विकास हुआ है।

गोमियां में भारतीय एक्सप्लोसिव फैक्टरी का कारखाना बड़े जोरों के साथ चल रहा है। कांश चीनी मिलों और सीमेन्ट फैक्ट्रियों ने अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ा दी है। बरतानियां ीनियरिंग वर्क्स ने मोकामा में रेलवे इन्जिनों के निर्माण के लिए एक कारखाना खोला है। फूल- ी शरीफ में स्थित बाइसिकिल के कारखानों में विस्तार किया गया है और उसे आधुनिक बनाया ा है। बिहार राज्य वित्तीय निगम की सहायता से राज्य में कई खासतौर पर पटना और बिहार ीफ में कोल्ड स्टोरेज क़ायम किए गए हैं। राज्य वित्तीय निगम से सहायता पाकर खाद्यान्न बन्धी साज़-सामान निर्माण करने का एक कारखाना धनबाद में खोला गया है। झमुगरी तलैया एक मिकेनाइट फैक्टरी कायम की गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र में बरौनी में एक तेल-शोधन कारखाना, रांची में भारी इन्जीनियरिंग गम का कारखाना और बोकारों में नया इस्पात का कारखाना आदि का शुरूआती काम चल हा है। इन बड़े कारखानों के निकट अन्य कई सहायक उद्योग बन रहे हैं।

सभी राजकीय उद्योगों को मार्च, १९६१ से राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधीन ले लया गया है। यह निगम राजकीय उद्योगों के संचालन के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में मध्यम और ड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना में भी मदद देता है।

राज्य वित्तीय निगम का ध्येय इन बड़े कारखानों को वित्तीय सहायता देना है जिन्होंने लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है। आशा है इस वितीय निगम से राज्य के औद्योगिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।

लघु उद्योग के क्षेत्र में कई स्कीमें चालू की गयी हैं जिनका उद्देश्य टेक्नीकल प्रशिक्षण और आर्थिक लाभालाभ के बारे में उद्योगपतियों को अवगत कराना है।

उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध सफलताओं से लाभ प्राप्त करने तथा औद्योगिक उन्नति की गति और कार्यक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी है जोकि भविष्य में लघु उद्योग के विकास के लिए समुचित कार्य करेगा।

## सड़कें

चीनी की मिलों के इलाके की सड़कों में सुधार करने की स्कीम के अन्तर्गत १४५ मील लम्बी सड़कों की मरम्मत की गयी जबकि लक्ष्य १३३ मील लम्बी सड़कों का रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के बनाये जाने और मरम्मत आदि के लिए १९ करोड़ रुपये की व्यव- स्था की गयी है। इसके अतिरिक्त २,३२६ मील लम्बे राजपथों की मरम्मत और सुधार

हाल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार ने जो कि विश्व बैंक की एक संलग्न संस्था है, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए ऋण दिया है। इस ऋण की राशि १५ करोड़ रुपये है।

## समाज कल्याण

१९६१-६२ में समाज कल्याण की योजनाओं में १.६ करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं या खर्च करने की उम्मीद है। यह राशि छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, छात्रावास अनुदान और अन्य प्रकार की सुविधाएं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पहुंचाने के निमित्त है जिससे लगभग २,१३,००० विद्यार्थियों को लाभ पहुंच रहा है।

## शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में १९६१-६२ के अन्त तक ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों की स्कूलों में प्रवेश पाने वाली संख्या २४.७० लाख थी जोकि कुल संख्या का ५७ प्रतिशत भाग है। वर्तमान वर्ष में इस आयु वर्ग के २.६५ लाख बालकों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जायगा जिससे इस उम्र के तमाम बच्चों का ६० प्रतिशत भाग स्कूलों में शिक्षा पा रहा होगा।

१,७५,००० लड़कों और २२,००० लड़कियों की अतिरिक्त भर्ती के लिए स्कूलों में व्यवस्था की गयी है। अगले वर्ष इस काम के लिए लड़कियों के १२५ मिडिल स्कूल खोले जाएंगे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में १.५५८ सैकेन्डरी स्कूल थे जिनमें ३.५० लाख विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे, जिनमें ०.२५ लाख लड़कियां थीं। अगले वर्ष में यह संख्या बढ़कर ३.९० लाख हो जाएगी जिसमें लड़कियों की संख्या ०.३० लाख होगी। लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से ५० सहायता-प्राप्त हायर सैकेन्डरी स्कूल खोले जायेंगे।

यह वर्ष विश्वविद्यालयों की शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस वर्ष मगध विश्वविद्यालय और एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इस प्रकार बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या पांच हो गयी। पटना विश्वविद्यालय को पूर्णरूपेण शिक्षादाई विश्वविद्यालय के रूप में परिणत किया गया हैं। कामेश्वरसिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयों को अन्य विश्वविद्यालयों के अनुरूप बनाया जा रहा है। बिहार राज्य की विश्वविद्यालयों की शिक्षा समन्वय नियंत्रण और सुधार आदि के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गयी है। यह आयोग संलग्न कालेजों के अध्यापकों की नियुक्ति, उन्नति, बरखास्तगी आदि के बारे में सलाह देगा।

## स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के प्रसार में काफी प्रगति हुई है। पटना में ३०० शैयाओं का एक संक्रामक रोग चिकित्सालय स्थापित किए गये हैं जो कि शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देंगे। बच्चों के अस्पताल में भी विस्तार किया गया है और अतिरिक्त शैयाओं का प्रबन्ध किया गया है। दरभंगा में सर्जीकल और कान, नाक व गले की बीमारियों के लिये अस्पतालों की अलग-अलग इमारतें बनाई गयी हैं जिनमें ५०० शैयाओं की व्यवस्था है। १००० शैया वाले एक अन्य

११,००० वर्गमील निजी जंगल हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में १९५९ से १९६१ के बीच आ चुके हैं। दूसरी योजना के अन्तर्गत एक लाख एकड़ भूमि पर बागात बनाए गए। १५०० मील लम्बी सड़कें तैयार की गयीं। रायगढ़ में लकड़ी का एक कारखाना खोला गया। तीसरी योजना के अन्तर्गत दो लाख एकड़ पर वन उगाए जाएँगे जिनमे से १०,०००मे टीक के जंगल और १५,००० बाँस के जंगल होंगे। इसके अलावा भूमि को सघन वन उपजाने के योग्य बनाने के लिए दामोदरी वेली कारपोरेशन में इलाके की ६०,००० एकड़ भूमि पर काम शुरू किया जा रहा है। जहां कि इरादा है कि २,००० मील लम्बी नयी सड़क बनाई जाएगी।

**राज्यपाल** : श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर

| मंत्री | पद |
|---|---|
| श्री विनोदानन्द झा **मुख्य-मंत्री** | नियुक्ति और राजनैतिक ( सूचना और परिवहन को मिलाकर ) मंत्रिमण्डल, उद्योग और खान (गन्ना उद्योग को छोड़कर) सामुदायिक विकास और ग्राम पंचायत। |
| श्री दीपनारायण सिन्हा | बड़ी सिंचाई, बिजली और नदी घाटी योजना। |
| श्री भोला पासवान | वन, कल्याण, सार्वजनिक निर्माण विभाग और पी० एच० (इन्जीनियरिंग)। |
| श्री बीरचन्द पटेल | वित्त, कृषि और छोटी सिंचाई। |
| श्री सत्येन्द्रनारायण सिन्हा | शिक्षा, स्वायत्त शासन। |
| श्री बद्रीनाथ वर्मा | चुंगी, खाद्य, पूर्ति और वाणिज्य। |
| श्री एम० पी० सिन्हा | राजस्व-रजिस्ट्रेशन, भूमिसुधार, भूमि-अर्जन, प्राकृतिक आपदा सहायता। |
| श्री हरीनाथ मिश्रा | स्वास्थ्य, परिवहन, कानून पशु-चिकित्सा। |
| श्री अब्दुल क़यूम अन्सारी | जेल, सहायता और पुनर्वास। |
| श्री के० बी० सहाय | योजना, सहकारिता। |
| श्री एस० सी० तुबिद | वन। |

**राज्यमन्त्री**

| | |
|---|---|
| श्री ए. ए. मोहम्मद नूर | सूचना और पर्यटन। |
| श्री दरोगाराय | श्रम और रोजगार। |
| श्री गिरीश तिवारी | धार्मिक न्यास। |
| श्री नन्दकुमारसिंह | आवास। |

**उपमन्त्री**

| | |
|---|---|
| श्री अम्बिका सरनसिंह | लोककर्म विभाग, जन-स्वास्थ्य (इंजीनियरिंग विभाग और वित्त। |

| | |
|---|---|
| श्री ए. जफूर | सामान्य प्रशासन, सामुदायिक विकास, ग्राम पंचायत स्वास्थ्य, परिवहन, कानून, (न्यायपालिका और विधानमंडल सहित) जेल, पशुपालन और पशु चिकित्सा । |
| श्री एल. एन. झा. | राजनीतिक, बड़ी सिंचाई, बिजली, नदी घाटी परियोजनाएं. सूचना और पर्यटन, श्रम और रोजगार । |
| श्री कमलदेव नारायणसिंह | शिक्षा, स्वायत्त शासन, योजना और उद्योग, आवास और धार्मिक न्यास । |
| श्री मुंगेरीलाल | उत्पादन-कर, खाद्य, वितरण और वाणिज्य । |
| श्री सहदेव मेहतो | सहकारिता तथा सहायता और पुनर्वास । |
| श्री नवलकिशोरसिंह | राजस्व, पंजीकरण, भूमि-सुधार, भूमि अर्जन और प्राकृतिक आपदाएं सहायता । |

: ३६ :

# मध्य प्रदेश

| | |
|---|---|
| राजधानी | : भोपाल |
| क्षेत्रफल | : १,७१,२१० वर्ग मील |
| जनसंख्या | : ३,६०,७१,६३७ |
| भाषा मुख्य | : हिन्दी |

मध्य प्रदेश के शैशवकालीन जीवन में सन् १९६१-६२ अनेक कारणों से उल्लेखनीय रहा है। इस वर्ष योजना के एक दशक की परिसमाप्ति हुई, जिसके अन्तर्गत की गई प्रगति अत्यन्त महत्व-पूर्ण रही। दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य में काफी परिवर्तन आया। इन पांच सालों में यदि कुछ ही बातों का उल्लेख् किया जाए तो फसल में १४ लाख टन वृद्धि हुई, ४.०९ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींचने की क्षमता बढ़ी, बिजली की क्षमता १.४७ लाख किलोवाट तक बढ़ी।

पिछले साल, अप्रैल में ३०० करोड़ रुपये की तीसरी पंचवर्षीय योजना का समारम्भ किया गया। तीसरी योजना का उद्देश्य अपने साधनों का दोहन कर, बेकारी को दूर कर और अच्छे जीवन के लिए साधनों को जुटाकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक किए गए विकास के स्तर के आधार पर अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जारी रखना है। राज्य की समूची आबादी ३ करोड़ से ज्यादा है, जिसके लिए तीसरी योजना का लक्ष्य होगा ५२५.५० मेगावाट अतिरिक्त बिजली, सिंचन क्षमता २८.४५ लाख एकड़ भूमि से बढ़ाकर ४८.०७ लाख एकड़ करना, १६.६८ लाख टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन सारे राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का जाल इत्यादि।

राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना ने अपने प्रथम वर्ष में ही अच्छी शुरुआत की। ४३ करोड़ रुपये के योजना प्रावधान में से ३१.१६ करोड़ रुपये की राशि ६७७ नई योजनाएं हाथ में लेने के लिए और शेष राशि पिछली अनेक योजनाओं को जारी रखने के लिए निर्धारित की गई। निर्धारित लक्ष्यों को अधिकांशतः पूरा किया गया। राज्य की योजना में बिजली और सिंचाई के विकास और कृषि के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें उत्पादन के दोनों क्षेत्रों—औद्यो-गिक तथा कृषि—में तेजी से प्रगति का प्रयास किया गया है। समाज सेवाओं के क्षेत्र में मुख्य कार्य ये हुए हैं—चिकित्सा सहूलियतों का विस्तार, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पिछड़े हुए वर्गों और आदिवासियों का कल्याण।

## सामुदायिक विकास

राज्य का संपूर्ण क्षेत्र वर्ष १९६३ तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया ाएगा। वर्ष १९६१-६२ में जो तीसरी योजना के कार्यान्वियन का प्रथम वर्ष था, कुल ३४२ विका ण्ड कार्य-रत थे, जिनके अन्तर्गत करीब १,१३,००० वर्ग मील क्षेत्र में फैले लगभग ६४,००० ांव थे, जिनकी आबादी २ करोड़ के करीब थी। १ अप्रैल १९६२ में इसमें और २४ खण्ड जोड़े ए जिससे उनकी संख्या ३६६ हो गई जबकि तीसरी योजना में ४१६ विकास खण्ड खोलने का न्तिम लक्ष्य है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में खेती के उन्नत तरीके अपनाकर और छोटे सिंचाई कार्यों के माध्यम से अधिक अन्न उत्पादन पर जोर दिया गया है। उन्नत बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है, जिससे कृषि उपज में भी वृद्धि हुई है।

## पशुपालन

पशुओं की बीमारियों को रोकने और उस पर नियन्त्रण पाने, उत्तम नस्ल के सांडों से पशुओं की नस्ल सुधारने की सुविधायें प्रदान करने तथा ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में चारा और दाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से पशुधन विकास का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इस अवधि में पशुओं के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने के लिए ३६ पशु-चिकित्सा अस्पताल, १०० पशु-चिकित्सा औषधालय और ४ भ्रमणशील पशु-चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जा रही है। खण्डीय और गैर-खण्डीय क्षेत्रों में स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए ८०० अच्छी नस्ल के सांड रख गए हैं।

मुर्गीपालन कार्य को भी गतिमान किया जा रहा है और इसी अवधि में १३ जिला मुर्गीपालन इकाइयां खोली जा रही हैं। छोटे केन्द्रों में बड़ी तादाद में अनेक मुर्गी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

इस वर्ष डेअरी के विकास की ओर भी आवश्यक ध्यान दिया गया। पेस्चुराइड् दूध तैयार करने के लिए भोपाल स्थित दुग्धशाला को आधुनिक यन्त्रों से सज्जित किया गया। इमारत और उससे सम्बद्ध अन्य इमारतों का निर्माण ४.६५ लाख रुपयों की लागत से किया गया है। दुग्धशाला प्रति-दिन लगभग २५० मन दूध पूर्ति का कार्य सम्भाल सकती है। इस वर्ष इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर में तीन दुग्ध संगठन बनाये जा रहे हैं।

## वन

राज्य के वन विभाग ने इसी वर्ष अपनी शताब्दी मनाई। इस अवसर पर विभाग ने विस्तृत, मिश्रित और स्थाई पौदगाह स्थापित किए और बड़े भू-भाग में पौधे लगाये गये।

आलोच्य अवधि में ३,२८७ एकड़ भूमि पर नियमित रूप से सागौन रोपण किया गया, उजाड़ वनों में, १०.३८ लाख रुपयों की लागत से पेड़ पौधे लगाए गए। कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित वनों के समूहीकरण, संरक्षण तथा सीमाबन्दी का कार्य और अधिक तेजी से जारी रहा।

## सहकारिता

१९६१-६२ में सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस वर्ष राज्य में २,९२३ ग्राम सेवा समितियां, २९ सहकारी कृषि समितियां तथा ३ वन श्रमिक सहकारी समितियां गठित की गई तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ६० शाखाओं सहित १७ प्राथमिक भूमि बंधक बैंक प्रारम्भ किए गए। केन्द्रीय सहकारी बैंक का कृषि वित्त ३६५ लाख रुपये था वह मार्च १९६१ में बढ़कर १,५०० लाख रुपये हो गया। शीर्षस्थ हाट समिति "दी० एम० पी० स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जबलपुर ने द्वितीय योजना काल में १,४३,२९५ टन उर्वरक तथा सन् १९६१-६२ में ३४,६४४ टन उर्वरक बेचा। यह बिक्री इसने अपने १,३२० प्रतिनिधियों जो कि अधिकांशतः आंतरिक भागों में कार्यरत सहकारी समितियां हैं, के द्वारा की। १७९ प्राथमिक

न ट्रांसफॉरमर, हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल

प्रसिद्ध जैन मन्दिर, पलिताना, सौराष्ट्र, गुजरात

गांव में एक नया कूंआ, गुजरात

सहकारी समितियों ने सन् १९६१-६२ में लगभग ३ करोड़ रुपयों के मूल्य का कृषि उत्पादन बेचा। ११२ ग्राम गोदाम बनाने के लिए ११.२० लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

द्वितीय योजना काल के अन्त तक सहकारी आन्दोलन का विस्तार ६५ प्रतिशत ग्रामों में हुआ। तृतीय योजना में यह लक्ष्य है कि इस आन्दोलन का विस्तार १०० प्रतिशत गांवों में हो जाय तथा ३८ प्रतिशत ग्राम परिवार सहकारी समितियों के सदस्य बनाये जायं।

वास्तव में, सहकारिता अभियान अधिकाधिक मात्रा में जनता का आन्दोलन बन रहा है जैसा कि आलोच्य वर्ष में [illegible] को जनता से प्राप्त निरन्तर समर्थन तथा सहयोग से स्पष्ट है। मध्य प्रदेश-भण्डार गृह निगम राज्य में वैज्ञानिक तथा विस्तृत संग्रह सुविधाएं सुलभ करने की समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहा है तथा किसानों को भण्डार गृह की रसीदों के आधार पर सरल शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में मदद कर रहा है। सरकार ने सन १९६१-६२ के अन्त तक निगम की हिस्सा पूंजी में १७ लाख रु० विनियोजित किए हैं। निगम के भण्डार-गृह शनैः-शनैः किराये के गोदामों का स्थान लेते जा रहे है तथा वे लोकप्रिय हो रहे हैं। निगम ने अपने ३१ केन्द्रों से ३०,००० रुपये का लाभ भी अर्जित किया है।

## उद्योगीकरण

राज्य सरकार की द्रुत उद्योगीकरण नीति के अनुसार सरकार ने इस वर्ष उद्योगपतियों के लिए विशेष रूप से भूमि प्रीमियम तथा किराया, विद्युत कर, बिक्री कर, चुंगी, कच्चे माल तथा जल पूर्ति के सम्बन्ध में बहुत अधिक रियायतें तथा उत्साहवर्धक सुविधाएं घोषित की है। इस राज्य में देश के ३० प्रतिशत से अधिक कच्चे लोहे के भण्डार, ४० प्रतिशत बाक्साइट, ४४ प्रतिशत मेंगनीज तथा निम्न श्रेणी के कोयला, डोलोमाइट और चूने के पत्थर के विस्तृत भण्डार के कारण यह राज्य निश्चित रूप से अत्यधिक प्रगति कर सकेगा।

उद्योगों तथा अनुसंधान केन्द्रों के मध्य घनिष्ट संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से, एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मण्डल बनाया गया है ताकि अनुसंधान के लाभ का औद्योगिक प्रगति के लिए उपयोग किया जा सके।

देश के सर्वाधिक [illegible] भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे उसका उत्पादन बढ़ कर प्रतिवर्ष २५ लाख टन हो जाय। इसी तरह भोपाल के हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में यथेष्ठ वृद्धि करने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। उर्वरक कारखाना, शक्कर मिलें, सिमेंट फेक्टरियां तथा कृषि और वनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों का दोनों निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य में एक अल्यूमिनियम कारखाना खोले जाने की पूरी सम्भावना है।

राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास की सम्भावनाएं हैं जिनका और अधिक लाभ उठाये जाने के लिए राज्य शासन बुनकरों तथा शिल्पकारों को हर सम्भव प्रेरणा तथा सुविधाएं दे रहा है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लघु प्रमाप उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में ६ उद्योगपुरियां स्थापित की है तथा तृतीय योजनावधि में और १८ पुरियों के स्थापित करने का प्रस्ताव है।

## सिंचाई

तवा योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया । इसी तरह तवा, बार्ना, हसदेव तथा हलाली जैसी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए एक पृथक मंत्री भी नियुक्त किया गया । दो मध्यम श्रेणी की योजनाओं सागरनदी (सिवनी) तथा शिवगढ़ मेडली (रतलाम) का कार्य पूरा होने वाला है तथा केशवा (रायपुर) तथा धुआंधार (जबलपुर) के हैड वर्क्स पूरे कर लिए गए तथा उनकी नहरों का कार्य प्रगति पर है । लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत १० और योजनाएं आलोच्य वर्ष में पूरी की गई । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत १० लघु योजनाएं पूरी की गई, ११८ योजनाओं को पूरा करने का कार्य प्रगति पर है तथा १६१ नवीन योजनाएं क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई हैं । होशंगाबाद में नर्मदा के घाट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर था । भिलाई इस्पात योजना के लिय १४८ लाख रु० की लागत से कुलिंगटेन्क तथा जलागार का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया ।

## लोक निर्माण कार्य

राजधानी परियोजना के अंतर्गत तात्या टोपे नगर में बस्ती के ७५ रुग्ण शैय्याओं वाला एक चिकित्सालय तथा दक्षिणी तात्या टोपे नगर में बालक बालिकाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक शालाभवनों के निर्माण कार्य पूरे किए गए । ६६.२० लाख रु० की लागत से बनने वाले ५ मंजिले सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है । १२५० कर्मचारी आवास गृहों का १६९ लाख रु० की लागत का निर्माण-कार्य भी पूरा हो चुका है । आलोच्य वर्ष में निर्मित अन्य पूरे किये गये महत्वपूर्ण भवनों में ३१.७९ रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालय का मुख्य भवन, ३६.३९ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का कृषि महाविद्यालय भवन तथा २२ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का गृहविज्ञान महाविद्यालय भवन सम्मिलित हैं ।

जबलपुर में नवीन जिला माल न्यायालय भवन तथा भोपाल में ८० लाख रु० की लागत के गान्धी चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर हैं ।

## सड़कें तथा पुल

मध्य प्रदेश में २३२ मील पक्की सड़कें बनाई गईं । इस प्रकार राज्य में पक्की सड़कों की लम्बाई १४,२७९ मील से बढ़कर १४,३११ मील हो गई । इन सड़कों में १५८ मील लम्बी सड़कें और जोड़ी गई हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में वर्तमान कच्ची सड़कों का उन्नयन करके निर्मित की गई थी । १२ मील लम्बी अन्य सड़कें भी पूरी की गईं ।

इंदौर वृत्त में अलिराजपुर-कुक्षी सड़क पर सुखेोद पुल, मन्गोद-मनावर सड़क पर केशरीपुल, नौगांव वृत्त में एक पुल तथा बिलासपुर वृत्त में पेन्ड्रा-पसान सड़क पर सोनपुल—इन चार बड़े पुलों से संबंधित निर्माण कार्य सन् १९६१-६२ में पूरा किया जा चुका है । भोपाल-इंदौर सड़क के सोंडा नाला के पुल का निर्माण-कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष में अनेक पुलों का निर्माण-कार्य भी आरंभ किया गया ।

सन १९६१-६२ में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रगति हुई। दो नवीन उपाधि महाविद्यालय—एक जावरा में तथा दूसरा बरेली में—खोले गए। कुछ अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से मंडला, शिवपुरी, शाजापुर तथा छिंदवाडा के अशासकीय महाविद्यालयों को राज्य शासन ने अपने अधिकार में ले लिया है। भोपाल, इंदौर तथा ग्वालियर के तीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी, दो भागों में विभाजित कर दिये गये हैं और वे कला तथा विज्ञान विषयों के लिए पृथक-पृथक पूर्ण महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिये गये है। विकास के इन उपायों के फलस्वरूप जब राज्य के प्रत्येक जिले में उपाधि-शिक्षण के लिए सुविधाएं प्राप्त हो गई है तथा अब सभी संभागीय मुख्यालयों में लड़कियों के लिए अलग उपाधि महाविद्यालय हैं। रीवा और इंदौर के संस्कृत महाविद्यालयों को अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से पुनर्गठित किया गया।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत १९६१-६२ वर्ष में ५,१७५ शिक्षक तथा ५० शाला माताएं नियुक्त की गईं। १०० प्राथमिक शालाओं को कनिष्ठ बुनियादी शालाओं में तथा अन्य ५० माध्यमिक शालाओं को वरिष्ठ बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया। आलोच्य वर्ष में १४० वर्तमान उच्चशालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उन्नत करने के अतिरिक्त ५०० नवीन माध्यमिक शालाएं तथा १०० नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गईं। ५ कन्या उच्चतर माध्यमिक शालाओं को बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया गया। ३,४२८ प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण कुल लागत के ५० प्रतिशत तक जन सहयोग से शुरू किया गया।

## तकनीकी शिक्षा

इंदौर में एक नवीन पालीटेकनिक खोलने के लिए अनुदान दिया गया है। भारत सरकार की "मुक्त द्वार" नीति के अंतर्गत हरदा, बालाघाट, धमतरी और खुरई (सागर जिला) में चार और पॉलीटेकनिक स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के इंजिनियरिंग कालेजों के १४ छात्रों, पालीटेकनिक संस्थाओं के १०० छात्रों तथा जूनियर टेक्निकल शालाओं के १०० छात्रों को क्रमशः ७५ रु०, ५० रु० और ४० रु० प्रतिमाह की विशेष छात्रवृत्तियां दी गई।

रीवा में इस सत्र से एक सैनिक शाला खोली गई है जहां लड़कों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षित तथा तैयार किया जावेगा।

## लोक स्वास्थ्य

लोक स्वास्थ्य के उद्देश्यों में शुद्ध तथा पर्याप्त जल की व्यवस्था, छूत रोगों के उन्मूलन और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की योजनाएं सम्मिलित हैं।

तवा योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। इसी तरह तवा, बार्ना, हसदेव तथा हलाली जैसी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए एक पृथक मंत्री भी नियुक्त किया गया। दो मध्यम श्रेणी की योजनाओं सागरनदी (सिवनी) तथा शिवगढ़ मेडली (रतलाम) का कार्य पूरा होने वाला है तथा केशवा (रायपुर) तथा धुआंधार (जबलपुर) के हैड वर्क्स पूरे कर लिए गए तथा उनकी नहरों का कार्य प्रगति पर है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत १० और योजनाएं आलोच्य वर्ष में पूरी की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत १० लघु योजनाएं पूरी की गई, ११८ योजनाओं को पूरा करने का कार्य प्रगति पर है तथा १६१ नवीन योजनाएं क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई हैं। होशंगाबाद में नर्मदा के घाट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर था। भिलाई इस्पात योजना के लिय १४८ लाख रु० की लागत से कूलिंगटेन्क तथा जलागार का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया।

## लोक निर्माण कार्य

राजधानी परियोजना के अंतर्गत तात्या टोपे नगर में बस्ती के ७५ रुग्ण शैय्याओं वाला एक चिकित्सालय तथा दक्षिणी तात्या टोपे नगर में बालक-बालिकाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक शालाभवनों के निर्माण कार्य पूरे किए गए। ६६.२० लाख रु० की लागत से बनने वाले ५ मंजिले सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। १२५० कर्मचारी आवास गृहों का १६९ लाख रु० की लागत का निर्माण-कार्य भी पूरा हो चुका है। आलोच्य वर्ष में निर्मित अन्य पूरे किये गये महत्वपूर्ण भवनों में ३१.७९ रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालय का मुख्य भवन, ३६.३९ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का कृषि महाविद्यालय भवन तथा २२ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का गृहविज्ञान महाविद्यालय भवन सम्मिलित हैं।

जबलपुर में नवीन जिला माल न्यायालय भवन तथा भोपाल में ८० लाख रु० की लागत के गान्धी चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर हैं।

## सड़कें तथा पुल

मध्य प्रदेश में २३२ मील पक्की सड़कें बनाई गईं। इस प्रकार राज्य में पक्की सड़कों की लम्बाई १४,२७९ मील से बढ़कर १४,३११ मील हो गई। इन सड़कों में १५८ मील लम्बी सड़कें और जोड़ी गई हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में वर्तमान कच्ची सड़कों का उन्नयन करके निर्मित की गई थी। १२ मील लम्बी अन्य सड़कें भी पूरी की गईं।

इंदौर वृत्त में अलिराजपुर-कुक्षी सड़क पर सुखेाद पुल, मन्गोद-मनावर सड़क पर केशरीपुल, नौगांव वृत्त में एक पुल तथा बिलासपुर वृत्त में पेन्ड्रा-पसान सड़क पर सोनपुल—इन चार बड़े पुलों से संबंधित निर्माण कार्य सन् १९६१-६२ में पूरा किया जा चुका है। भोपाल-इंदौर सड़क के सोंडा नाला के पुल का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष में अनेक पुलों का निर्माण-कार्य भी आरंभ किया गया।

सन १९६१-६२ में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रगति हुई। दो नवीन उपाधि महाविद्यालय—एक जावरा में तथा दूसरा बरेली में—खोले गए। कुछ अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से मंडला, शिवपुरी, शाजापुर तथा छिंदवाडा के अशासकीय महाविद्यालयों को राज्य शासन ने अपने अधिकार में ले लिया है। भोपाल, इंदौर तथा ग्वालियर के तीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी, दो भागों में विभाजित कर दिये गये हैं और वे कला तथा विज्ञान विषयों के लिए पृथक-पृथक पूर्ण महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिये गये है। विकास के इन उपायों के फलस्वरूप जब राज्य के प्रत्येक जिले में उपाधि-शिक्षण के लिए सुविधाएं प्राप्त हो गई है तथा अब सभी संभागीय मुख्यालयों में लड़कियों के लिए अलग उपाधि महाविद्यालय हैं। रीवा और इंदौर के संस्कृत महाविद्यालयों को अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से पुनर्गठित किया गया।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत १९६१-६२ वर्ष में ५,१७५ शिक्षक तथा ५० शाला माताएं नियुक्त की गईं। १०० प्राथमिक शालाओं को कनिष्ठ बुनियादी शालाओं में तथा अन्य ५० माध्यमिक शालाओं को वरिष्ठ बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया। आलोच्य वर्ष में १४० वर्तमान उच्चशालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उन्नत करने के अतिरिक्त ५०० नवीन माध्यमिक शालाएं तथा १०० नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गईं। ५ कन्या उच्चतर माध्यमिक शालाओं को बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया गया। ३,४२८ प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण कुल लागत के ५० प्रतिशत तक जन सहयोग से शुरू किया गया।

## तकनीकी शिक्षा

इंदौर में एक नवीन पालीटेकनिक खोलने के लिए अनुदान दिया गया है। भारत सरकार की "मुक्त द्वार" नीति के अंतर्गत हरदा, बालाघाट, धमतरी और खुरई (सागर जिला) में चार और पॉलीटेकनिक स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के इंजिनियरिंग कालेजों के १४ छात्रों, पालीटेकनिक संस्थाओं के १०० छात्रों तथा जूनियर टेक्निकल शालाओं के १०० छात्रों को क्रमशः ७५ रु०, ५० रु० और ४० रु० प्रतिमाह की विशेष छात्रवृत्तियां दी गईं।

रीवा में इस सत्र से एक सैनिक शाला खोली गई है जहां लड़कों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षित तथा तैयार किया जावेगा।

## लोक स्वास्थ्य

लोक स्वास्थ्य के उद्देश्यों में शुद्ध तथा पर्याप्त जल की व्यवस्था, छूत रोगों के उन्मूलन और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की योजनाएं सम्मिलित हैं। अभी तक अस्पताल सुविधाओं में विस्तार के प्रयत्नों के फलस्वरूप २,००० नये बिस्तरों की

व्यवस्था हो गई है। चक्षुपटल शल्यक्रिया शाला आरंभ की गई है जो कि देश में अपने ढंग की दूसरी है। मलेरिया तथा गोंडी रोग उन्मूलन में बहुत सफलता मिली है तथा मलेरिया पीड़ित व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या के १८.७५ प्रतिशत से घटकर ३ प्रतिशत और गोंडी रोग पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ७.५ प्रतिशत से घटकर १.५ प्रतिशत हो गई है।

## गृह-निर्माण

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अंतर्गत १९६१-६२ में औद्योगिक मजदूरों के लिए २४·२६ लाख रु० की लागत से ४१७ मकानों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इनमें से ३२५ मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा शेष मकानों का कार्य प्रगति पर था। लघु आय समूह गृह निर्माण की एक अन्य योजना के अन्तर्गत ४२४ मकानों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए ३३·२० लाख रु० दिये गये। उज्जैन में १·३६ लाख रु० की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में ३६ भूखण्डों का सुधार किया गया। विभिन्न ग्रामों में १५ अन्य गृहों का निर्माण कार्य पूरा हुआ तथा ४६५ मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर था। इनका निर्माण सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से ग्रामीणों द्वारा आरंभ किया गया है।

## रोज़गार

इस समय कोरबा की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अतिरिक्त जो केवल अनुसूचित जन-जातियों के प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करती है, इंदौर, खण्डवा, बैरागढ़ (भोपाल) रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर और कोनी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं है। मध्य प्रदेश में सभी शिल्पी प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रवेश क्षमता ३,००० छात्रों से अधिक हो गई है। आलोच्य वर्ष में रतलाम और छिंदवाडा में दो और संस्थाएं खोलने की प्राथमिक व्यवस्था पूरी कर ली गई।

आलोच्य वर्ष में राज्य में कार्यरत वर्तमान २५ रोजगार दफ्तरों के अतिरिक्त अंबिकापुर, टीकमगढ़, गुना, होशंगाबाद, रायगढ़, राजगढ़, मण्डला, भिण्ड, मुरैना, झाबुआ और धार में ११ नये रोजगार दफ्तर खोले गये। ३ विश्वविद्यालय रोजगार सूचना मार्गदर्शक केन्द्र भी आरंभ किये गये हैं। ग्रामीण जनता को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की सुविधाएं देने के उद्देश्य से १७ रोजगार सूचना तथा सहायक केन्द्र खोले गये।

रोजगार दफ्तरों ने अपनी जबलपुर, भोपाल तथा इंदौर शाखाओं में व्यवसाय संबंधी मार्ग-दर्शन करना जारी रखा। इस वर्ष रायपुर में एक और मार्गदर्शन शाखा खोली गई।

## श्रम तथा श्रम कल्याण

राज्य के श्रम विभाग की प्रमुख गतिविधियों में श्रमिक कानूनों का प्रशासन, शान्तिपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना तथा श्रमिक न्यायालयों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निर्णय कराना उल्लेखनीय है।

विगत वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में दो निजी तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी प्रथा का आरंभ, सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में [illegible] का अंगीकरण, ९ अतिरिक्त जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का श्रमिकों तथा उनके

कुटुम्बों में विस्तार, जनशक्ति संबंधी साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए ७ रोजगार दफ्तरों की स्थापना, राज्य की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में वृद्धि, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए घरों का निर्माण तथा इंदौर में एक श्रमिक संस्था का आरंभ उल्लेखनीय है। १५ वर्तमान तथा एक नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों को कुल ५८,८९० रु० के सहायता अनुदान दिये गये जिससे वे राज्य में श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों को संगठित कर सकें।

## पिछड़ी जातियों का कल्याण

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों में छात्रवृत्तियों तथा शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करने, विभिन्न शिल्पों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने तथा पेयजल की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया। जिन क्षेत्रों में प्रधानतः अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं उनमें इन जातियों के लिए प्राथमिक शालाओं की संख्या ८३९ से बढ़कर १,१०२ तथा माध्यमिक शालाओं की संख्या ७१ से बढ़कर १३७ हो गई। इन क्षेत्रों में खोली गई संस्थाओं में १२९ रात्रिशालायें, ५२ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, ४३ कृषि फार्म, १३ पशु औषधालय, १५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ११२ सूतिका एवं शिशु कल्याण केन्द्र, एक क्षय चिकित्सालय तथा एक कुष्ठ चिकित्सालय सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कोरबा में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

## कानून तथा व्यवस्था

राज्य की पुलिस राज्य के उत्तरी जिलों में बड़े डाकू दलों का उन्मूलन करने के लिए लगातार प्रयत्न करती रही। राज्य के ५ उत्तरी जिलों में भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तथा दतिया में सक्रिय १६ डाकू दलों में से १५ डाकू दलों का उन्मूलन किया गया। ३१ मार्च १९६२ को समाप्त १२ महीनों में राज्य की पुलिस ने ६१६ डाकुओं को गिरफ्तार किया तथा मुठभेड़ों में ४२ डाकू गोली से मार डाले गये। पुलिस द्वारा नष्ट किये गये डाकू दलों में अन्य कुछ स्थानीय दलों के अतिरिक्त सिकंदरा, मुसलमान, श्रीपाला, गडरिया, रामनाथ गूजर, डिंडोना का लक्ष्मी नारायण तथा मेवाराम के डाकू दल प्रमुख हैं। हाल में डाकू देवीसिंह को गोली से मार डाले जाने के बाद उसका गिरोह भी लगभग नष्ट प्रायः हो गया है।

ग्राम रक्षा समितियां १९५६ में सुसंगठित रूप से आरंभ की गई थी। मार्च १९६२ के अंत में राज्य के भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तथा छतरपुर जिलों में इन रक्षा समितियों की संख्या १,७१७ तथा उनकी सदस्य संख्या ४१,६३६ थी। ये समितियां केवल डाकुओं के आक्रमणों का मुकाबला ही नहीं करती अपितु गांवों के छोटे-छोटे विवादों को हल करने तथा असामाजिक तत्वों से संघर्ष करने में उपयोगी सहायता भी करती हैं।

राज्य की पुलिस को गोआ की मुक्ति के उपरान्त नागरिक प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन में सहायता करने के लिए ४ राजपत्रित अधिकारी भेजने का भी गौरव प्राप्त हुआ तथा राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री आर० एन० नागू गोआ में पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किये गये।

## कानूनों का एकीकरण

क़ानूनों के एकीकरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। राज्य के विभिन्न कानूनों

तथा नियमों में एकरूपता स्थापित करने के लिए बड़े परिमाण में [illegible] कुछ कानून बनाए गये । अत्यधिक महत्व के सभी अधिनियम एकीकृत किये जा चुके हैं तथा अब केवल कम महत्व के और अप्रचलित अधिनियम शेष हैं । इस समय राज्य शासन का तात्कालिक कार्यक्रम एक एकीकृत प्रणाली के अनुसार समस्त राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। इस प्रकार का पृथक्करण भूतपूर्व मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल क्षेत्रों में प्रचलित था । मध्य भारत की प्रणाली शेष राज्य में भी लागू करने का निर्णय किया गया तथा फरवरी १९६२ में यह प्रणाली महाकौशल क्षेत्र के ९ जिलों में प्रचलित की गई । इस संबंध में और अधिक कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं तथा ऐसी आशा है कि १९६२ के मध्य तक समस्त राज्य में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना है । इन उपायों से इस राज्य में जहां प्रारंभ में कानूनों, परंपराओं, नियमों तथा प्रणालियों और सेवाओं तथा सेवा श्रेणियों की बहुलता थी प्रशासन के क्षमतापूर्वक संचालन में सहायता मिलेगी ।

## कला और संस्कृति

सरकार राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के महत्व के प्रति पूर्णतः सजग है । इस वर्ष विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की गईं जिनमें अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक दलों का आदान-प्रदान, निबंधलेखन तथा अन्य साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक समितियों को धन सहायता की स्वीकृति तथा पर्यटन को प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित हैं । विक्रम विश्वविद्यालय रवीन्द्र साहित्य एवं ललित कलाओं के लिए एक पीठिका की स्थापना करने के लिए सहमत हो गया है । तानसेन समारोह, कालिदास समारोह, टैगोर शताब्दि समारोह इत्यादि कुछ कार्यों में राज्य सरकार ने सक्रिय रूप से भाग लिया । भोपाल में ७ लाख रुपये की लागत से बने टैगोर स्मारक भवन के इस वर्ष मई में उद्घाटन के उपरांत ललित कला तथा सांस्कृतिक कार्यों के क्षेत्र में एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो गई है ।

## भूमि-सुधार

भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण तथा प्रगतिशील कानून बनाये जा चुके हैं तथा वे राज्य में कार्यान्वित किये जा रहे हैं । मध्य प्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम १९६०, नवम्बर १५,१९६१ से प्रभावशील हो गया है ।

पंचायतीराज राज्य में बहुत शीघ्र वास्तविकता का रूप धारण कर लेगा । मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम १९६० राज्य विधानसभा के मार्च-अप्रैल १९६२ के सत्र में संशोधित रूप में पुनः पारित कर दिया गया है । चार चरणों का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। राज्य में प्रचलित वर्ष के उत्तरार्द्ध में पंचायती राज का आरंभ करने की योजना है । इस क्रान्तिकारी कदम के द्वारा जनता की एक बुनियादी अभिलाषा पूरी हो जायेगी ।

विगत दशक की नियोजन की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करते हुए तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले प्रयत्नों के घोषणा-पत्र के साथ मध्य प्रदेश अभिवृद्धि शक्ति के साथ नियोजित प्रगति के पथ पर भलीभांति अग्रसर हो रहा है । राज्य के अभी तक अप्रयुक्त साधनों का

व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जा रहा है। इन सब उपायों से देश के इस विशालतम राज्य की जनता के लिए समृद्धि तथा उज्ज्वल भविष्य की आश्वासनपूर्ण आशा बलवती होती है। भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य में स्थित इस राज्य की यह महत्वाकांक्षा है कि वह भारत के हृदय के रूप में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह करे।

---

**राज्यपाल** : श्री एच. वी. पाटस्कर

| **मन्त्री** | विभाग |
|---|---|
| श्री भगवन्तराव अन्नाभाउ माडलोई मुख्यमन्त्री : | सामान्य-प्रशासन, गृह प्रचार |
| श्री तख्तमल | आयोजन और विकास, लोककर्म विभाग, (सिंचाई) और बिजली विभाग (चम्बल परियोजना के अलावा)। |
| श्री शम्भुनाथ शुक्ला | बन, प्राकृतिक साधन, सहकारिता, लोककर्म विभाग। |
| श्री शंकरदयाल शर्मा | शिक्षा और कानून। |
| श्री मिश्रीलाल गंगवाल | वित्त, पृथक राजस्व, सिंचाई, अर्थशास्त्र और सांख्यकी, समाज कल्याण। |
| श्री वेंकटेश विष्णु ड्रविड | श्रम, कृषि, आवास, चम्बल परियोजना। |
| श्री नरसिंह दीक्षित | वाणिज्य और उद्योग |
| राजा नरेशचन्द्र सिंह | आदिमजाति कल्याण और पुनर्वास। |
| श्री केशोलाल गुमाश्ता | राजस्व, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त, भूमि आलेख, भूमि सुधार। |
| श्री जगमोहन दास | स्वायत शासन (शहरी और ग्रामीण)। |
| श्री मथुरा प्रसाद दुबे | जनस्वास्थ्य, जेल, खाद्य, नागरिक संभरण। |
| **उपमन्त्री** | |
| श्री सज्जन सिंह विशनार | नागरिक सम्भरण, खाद्य जेल। |
| श्री गोविन्द नारायण सिंह | गृह, आयोजन और विकास। |
| श्री वसन्त राव विक्की | आदिमजाति कल्याण और पुनर्वास। |
| श्रीमती चन्द्रकला सहाय | शिक्षा। |

वइगई जलकुण्ड प्रयोजना, मदुरई (मद्रास)

मनिमुथर जलकुण्ड प्रयोजना, तिरुनेलवेली (मद्रास)

े जल योजना, सलेम मद्रास

कम बांध, कोयम्बटूर (मद्रास)

कुण्डा बिजलीघर नं
ऊटी (मद्रास)

: ३९ :

# मद्रास

| | |
|---|---|
| राजधानी | : मद्रास |
| क्षेत्रफल | : ५०,१३२ वर्गमील |
| जनसंख्या | : ३,३६,५०,९१७ |
| मुख्य भाषा | : तमिल |

आजादी के पंद्रहवें वर्ष में मद्रास राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। यह प्रगति अत्यन्त उत्साहजनक है। आयोजन में गत वर्ष की भांति आजादी के पन्द्रहवें वर्ष में भी शिक्षा के तीनों स्तरों पर सतत उन्नति होती रही। बच्चों को स्कूलों में निशुल्क आहार और वस्त्र की उपलब्धि होती रही है। गांव में बिजली पहुंचाने के काम में भी मद्रास आगे है। उद्योगीकरण के क्षेत्र में यह राज्य तेज कदम तरक्की कर रहा है। नेवेली लिगनाइट खानों में तेजी के साथ काम हो रहा है और जो जमीन अभी कुछ पहले तक बंजर थी, वहां आज बड़ी भारी मशीनों का समूह खड़ा हो रहा है। समूचे राज्य में पंचायती राज आरम्भ किया जा चुका है और गांवों में इस महान् क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रभाव अनुभव किया जा रहा है।

## वित्तीय स्थिति

१९६२-६३ में राज्य की वित्तीय स्थिति से ज्ञात होता है कि शीघ्रता के साथ विकसित होने वाली एक अर्थ-व्यवस्था में उपलब्ध होने वाली यह वित्तीय स्थिति है जो कि क्रमशः सुदृढ़ता और स्थिरता प्राप्त करती जा रही है। १९६२-६३ में राजस्व प्राप्ति का अनुमान १०९.५० करोड़ रुपए और व्यय का अनुमान १२६.१० करोड़ रुपए है। शिक्षा, उद्योग और सामुदायिक विकास सम्बन्धी व्यय अनिवार्यतः वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा।

विकास कार्यों पर व्यय किए जाने वाली धनराशि का व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—

(रुपए लाख में)

| | १९६१-६२ | १९६२-६३ |
|---|---|---|
| शिक्षा और वैज्ञानिक विभाग | २०६५ | २१५२ |
| चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य | ७६६ | ८४९ |
| कृषि और पशुपालन | ५५४ | ५३७ |
| सहकारिता | २२६ | २३२ |
| उद्योग | ३३४ | ३२० |
| हरिजनोद्धार | ३०६ | ३५६ |
| सामुदायिक सेवा विकास और राष्ट्रीय विस्तार | ५०१ | ५५८ |

## कृषि उत्पादन

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मद्रास राज्य में ३८ लाख टन खाद्योत्पादन होता था जो कि प्रथम योजना की समाप्ति पर बढ़कर ४४ लाख टन हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रासायनिक खादों के घोर अभाव के बावजूद कुल खाद्योत्पादन में ९ लाख टन की

वृद्धि की जा सकी और इस प्रकार कुल उत्पादन ३५ लाख टन हुआ। अब तीसरी योजना की समाप्ति तक ७० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य [illegible] है जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त १७ लाख टन अनाज पैदा किया जाना है। इस अतिरिक्त अनाज की प्राप्ति के लिए सिंचाई (छोटी, बड़ी), भूमि सुधार, रासायनिक खाद और हरी खाद व बेहतर बीजों की उपलब्धि आदि के उपाय काम में लाए जा रहे हैं।

**रासायनिक खाद :** १९६१-६२ के दौरान एमोनियम सल्फेट और कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट आदि रासायनिक खादों की उपलब्धि में सराहनीय सुधार किया गया। इस वर्ष किसानों को १.४९ लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध किए गए। नेवेली रासायनिक खाद संस्थान में उत्पादन आरम्भ होने के बाद इस स्थिति में और सुधार आएगा।

**खाद के स्थानीय साधन :** गांवों में खाद एकत्र करने के स्थानीय साधनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है और किसानों को बेहतर खाद बनाने के तरीके सिखाये जा रहे हैं। १९६१-६२ में मद्रास राज्य में कुल ३७५ विकास खण्डों में से २०२ खण्डों में स्थानीय खाद एकत्र करने की स्कीम जारी की गयी है और लगभग १२.७५ लाख टन देहाती खाद एकत्र किया गया।

**बेहतर बीज :** किसानों में बेहतर बीज बांटने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। १९६१-६२ के अन्त में १३६ राजकीय बीज फार्म काम कर रहे थे और इन फार्मों की स्थापना से सम्बन्धित आरम्भिक उपाय पूरे हो चुके हैं। १९६१-६२ में पंचायतों ने ग्राम सहायकों के द्वारा बीज के वितरण का कार्य आरम्भ किया जो कि १९६२-६३ में भी चलता रहेगा। १९६१-६२ में २५०० टन अतिरिक्त बीज बांटे गए और कृषि-उत्पादन के नए कार्यक्रम शुरू किए गए।

**बेहतर औज़ार :** १९६१-६२ में किसानों को बेहतर कृषि औजार दिलाने की एक नयी स्कीम शुरू की गयी है। यद्यपि यह स्कीम कुछ देर से शुरू हुई है, फिर भी अभी तक २२,८७५ बेहतर किस्म के हल किसानों में बांटे जा चुके हैं। यद्यपि अनाज की पैदावार बहुत अधिक महत्व रखती है, कपास और तिलहन जैसी व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य के महत्वपूर्ण जिलों की एक महत्वपूर्ण फसल मूंगफली है। इस फसल को बढ़ाने के लिए दक्षिणी आरकट जिलों में कुरीन्ची-पढ़ी और पाण्डरूड़ी विकास खण्डों में एक पैकेज प्रोग्राम शुरू किया गया गया है जिसका उद्देश्य उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि करना है।

यदि हमें अपने ग्रामवासियों के रहन-सहन में सुधार लाना है तो हमें अपने कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत नई फसलें बोने तथा नए तरीके काम में लाने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। कृषि में दीर्घकालीन सुधार लाने के लिए सघन अनुसंधान कार्य भी अति आवश्यक हैं। अदुथराई, टिन्डीवनम् और कोयलपट्टी में तीन वर्तमान अनुसंधान केन्द्रों को पूर्णरूपेण क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र बना दिया गया हैं और यह अपने इलाके में मुख्य फसलों से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान कार्य करेगा। १९६१-६२ में तिरुनुअवेली, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तन्जीवर, उत्तर आरकट और दक्षिण आरकट जिलों में ६ कृषि स्कूल खोले गए जिनमें इन जिलों के किसानों को उन्नत वैज्ञानिक ढंग से कृषि की शिक्षा दी जा रही है।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये बुलडोज़र और अन्य भारी साज-सामान की जरूरत महसूस की जा रही है। १९६१-६२ में ७ रूसी और ८ अमरीकी बुलडोजर इकाइयां स्थापित की

गयी हैं और कृषि विभाग के अपने बुलडोज़रों सहित अब हरी मशीनों का यह बड़ा बेड़ा एक बड़े पैमाने पर नई भूमि तोड़कर कृषि योग्य बनाने में सफल हो सकेगा।

## सिंचाई परियोजनाएं

सिंचाई की योजनाओं को तेजी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २.९२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से २.६२ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त होने लगा है। परमविकुलम-अलियार परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, प्रशंसनीय प्रगति कर रही है और अलियार बांध के बंध जाने के बाद अक्टूबर, १९६२ के मध्य से पोलाचि तालुके की १०,००० एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलने लगेगा। सरकार ने तीसरी योजना की अवधि में निम्नलिखित सात मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित करना निश्चय किया है:

| परियोजना | कुल लागत (लाख रुपयों में) |
| --- | --- |
| पलार एनीकट और नहरों में सुधार | ४८.१० |
| सथानूर (क्रम—२) | ५५.०० |
| चित्तर पट्टानामकल स्कीम | २७२.०० |
| वगाई नहरों का आधुनिकरण | २६३.०० |
| गौमुखी नदी स्कीम | ८७.०० |
| मन्जलार स्कीम | ६५.८० |
| मणिमुक्ता नदी स्कीम | ८८.०० |

इनके आलावा रामनदी स्कीम (१८ लाख रुपए) और गटाना जल-कुण्ड परियोजना (८९ लाख रुपए) की स्वीकृति भी योजना आयोग से प्राप्त की जा रही हैं।

सिंचाई के छोटे साधनों में कुओं की खुदाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्कीम राज्य के सभी भागों में चालू की जा रही है। इसके लिए ७४ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा आर्टीजियन कुओं की खुदाई की एक स्कीम भी चालू की जा रही है जिनके लिए तीसरी योजना में ९४ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। निश्चय किया गया है कि प्रति वर्ष इस प्रकार के ५०० कुए खोदे जायेंगे। प्रति कुआं ६००० रुपए का ऋण दिया जाएगा।

छोटी सिंचाई का एक विशाल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य इस वर्ष १७१ लाख रुपए की राशि से सिंचाई के तालाबों और नहरों में जरूरी मरम्मत करना और सुधार करना है। इन सरकारी स्कीमों के अलावा किसानों ने अपने खर्च से पानी निकालने के लिए बिजली के पंप लगाए हैं। पहली योजना के आरम्भ में १४,६२६ बिजली के पम्प काम कर रहे थे और गत १० वर्षों में इन की संख्या बढ़कर १.४ लाख के करीब हो गयी। कृषि कार्य में बिजली के उपयोग में मद्रास राज्य सबसे आगे हैं।

मद्रास सरकार पशु-धन के सुधार की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ऊटी में स्थित डेरी फार्म का कार्य-भार सरकार ने नगरपालिका से अपने हाथ में ले लिया है। इस समय होसर पुडुकोटई, चेट्टीनाद, ऊटी और ओरलानाद में पांच पशुपालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। मवेशियों

को बीमारियों से दूर रखने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था की जा रही है। १९६१-६२ में २५ पशु चिकित्सालायों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी।

## वन सम्पत्ति

मद्रास राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप राज्य की वन संपत्ति कम हो गयी है और अब राज्य में केवल १७ प्रतिशत भाग में ही वन हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर ३३ प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए। अतः तीसरी पंचवर्षीय योजना में २१२ लाख रुपए की लागत से वन-प्रान्त के विस्तार का प्रयत्न किया जा रहा है। वनों के विस्तार से जन-साधारण की ईंधन की मांग और नए उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। कागज़, रेयन और चमड़ा उद्योगों को वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है। तीसरी योजना अवधि में नीलगिरि और ऊपरी पालिकी पर्वतों में ३०,००० एकड़ इलाके में नए बागान लगाए जाएंगे।

मद्रास राज्य में लम्बे समुद्र तट और नदियों के कारण मत्स्य उद्योगों के विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं। मद्रास राज्य आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर मत्स्य उद्योग के पुनर्गठन के लिए प्रयत्न कर रहा है। नागपट्टिम बन्दरगाह की सरकार ने एक मत्स्य उद्योग का बंदरगाह बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसी प्रकार रायपुरम् बंदरगाह को मत्स्य उद्योग का एक बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य पूरा किया जा चुका है।

## पंचायत

**पंचायती विकास :** समूचे राज्य में पंचायतों और पंचायत समितियों का निर्माण हो चुका है और उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये लोकतंत्रवादी संस्थाएं जो गत एक वर्ष से काम करती चली जा रही हैं स्थानीय विकास कार्य में एक विशेष सक्रियता ला रही हैं। गाँवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए जैसे शुद्ध जल की उपलब्धि, नई सड़कें और स्कूलों की इमारतों से बनाए जाने का काम इस वक्त चल रहा है जिस पर गत वर्ष मद्रास सरकार ने लगभग ३ करोड़ रुपए व्यय किए। स्वैच्छिक अंशदान के रूप में स्थानीय साधनों को भी संगठित किया जा रहा है। विकास स्कीमों के लिए अतिरिक्त कर भी लगाए जा रहे हैं। पंचायत समितियों को कृषि योजनाएं कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दी गयी है और इस कार्य के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक पंचायत समिति को २ लाख रुपए अनुदान दिए गए हैं।

## सहकारिता

इस समय मद्रास राज्य के सभी ग्रामों में सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। १९६१-६२ में सहकारी ऋण समितियों ने काश्तकारों के बीच ३१.४७ करोड़ रुपए वितरित किए जब कि लक्ष्य २८ करोड़ रुपए का रखा गया था। सहकारिता के विकास से सभी काश्तकारों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। तन्जावुर जिले में सघन कृषि विकास कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ काश्तकारों को कृषि उत्पादन के आधार पर ऋण भी दिया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत अभी तक २६,००० सदस्यों को ऋण दिया गया है।

१९६१-६२ में २६ सहकारी समितियाँ संगठित की गयीं जिन्हें शेयर पूंजी और कार्यकारी पूँजी के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए ऋण दिया गया।

**केन्द्रीय सरकार की परियोजना :** मद्रास राज्य ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कई नए प्रकार के उत्पादन आरम्भ किए गए हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी नेवेली लिगनाइट परियोजना है। इस लिगनाइट से बिजली पैदा की जाएगी ताकि ग्ररियर ग्रौर कार्बो नाइण्ड्ज ब्रिकेट्स का निर्माण आरम्भ किया जा सके। बिजलीघर की प्रथम इकाई का काम पूरा हो चुका है और ५०,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध होने लगी है। इटली की सरकार की सहायता से एक रासायनिक खाद का कारखाना खोला जा रहा है जिसका निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है।

केन्द्रीय सरकार की अन्य परियोजनाओं में भी सराहनीय उन्नति हो रही है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, जिसका सम्पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का है, टेलीप्रिंटर्स के सहायक साज-सामान के निर्माण के लिए गुइन्डी में एक कारखाना खोला जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कारखाने की स्थापना के लिए ३५ एकड़ भूमि निशुल्क दी है। भवन ग्रादि के निर्माण का कार्य चल रहा है। भारत सरकार रूसी विशेषज्ञों की सहायता से शल्य चिकित्सा का साज-सामान बनाने के लिए एक कारखाना खोल रही है। इस समय कारखाने के लिए जरूरी इमारत बनाने का काम चल रहा है। ऊटकमण्ड में सिनेमा फिल्म ग्रौर फोटोग्राफिक सामान बनाने के लिए एक प्रसिद्ध फ्रैन्च कम्पनी की टैक्नीकल सहायता मिल रही है।

मद्रास सरकार ने इस कारखाने के लिए २८० एकड़ भूमि दी है। ग्रभी तक इस काम के लिए १० लाख रुपए का साज़-सामान प्राप्त किया जा चुका है।

केन्द्रीय सरकार की एक ग्रन्य महत्वपूर्ण योजना तिरुचिरापल्ली में हाई प्रैशर ब्योलर प्लांट की स्थापना है। इस संस्थान के लिए ३,०५० एकड़ भूमि की ज़रूरत है जिसमें से २,४५० एकड़ भूमि उपलब्ध की जा चुकी है। भारतीय विशेषज्ञों का एक दल चेकोस्लाविया भेजा गया है ताकि इस कारखाने से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। आशा है यह परियोजना रिपोर्ट ग्रगस्त-सितम्बर, १९६२ तक तैयार हो जाएगी। भारत सरकार ने ग्रावडी में एक सुरक्षा उद्योग परियोजना ग्रारम्भ की है। इस समय इस परियोजना के लिए जरूरी ज़मीन ग्रौर जल-उपलब्धि का प्रबन्ध किया जा रहा है। सरकार ने इस परियोजना में काम करने वाले कारीगर प्रशिक्षार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की है।

**निजी क्षेत्र :** गत वर्ष ४५ इन्जीनियरिंग इकाइयों को लाइसेंस जारी किये गये हैं। ये निजी कारखाने इस्पात, मशीन, इन्जिन ग्रौर मोटर कार के पुर्जों को तैयार करेंगे। हाई स्पीड स्टील और निक्रोम स्टील जैसे विशेष प्रकार के इस्पात के निर्माण के लिए अन्य तीन कारखानों को लायसेंस जारी किये गये हैं। इसके ग्रलावा ४८,००० टन इलैक्ट्रिक रेसिस्टैन्स वैल्डेड स्टील ट्यूब बनाने के लिए भी एक अन्य कारखानें को लायसेंस जारी किया गया है। इण्डिया पिस्टन्स नामक कम्पनी को अपना कार्य बढ़ाने के लिए लायसेन्स दिया गया है। यह कम्पनी मोटर कार के पुर्जे ग्रौर साज़-सामान का निर्माण करती है। दो कागज की नई मिलें भी शुरू हुई हैं और कासटिक सोडा तथा सलफ्यूरिक एसिड बनाने के लिए अन्य दो कारखाने शुरू किये जा रहे हैं। अरकोनम् में बाल-बियरिंग बनाने वाला कारखाना खोला गया है। इसी प्रकार होसर और कोयम्बटूर में मशीन टूल निर्माण का लायसेन्स जारी किया गया है।

रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में विशेष उन्नति की गई है। ध्रान्गध्रा कैमिकल लिमिटेड और इण्डिया सीमेन्टस को पोलि-बिनिल-क्लोराइड निर्माण के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है।

कागज़ और मोटे गत्ते बनाने वाली शेषशायी मिल को कच्चे माल की उपलब्धि उचित आधार पर की गयी है। १९६१-६२ में अन्य दो कारखाने खोले गये हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में मद्रास राज्य में ८ चीनी की मिलें थीं—पांच निजी क्षेत्र में और तीन सहकारी क्षेत्र में। अन्य ८ नई चीनी मिलों के लिए लायसेन्स जारी किये गये हैं जिनमें से तीन सहकारी क्षेत्र में हैं—मोहनूर (सलेम), कोलाकोरिचि (दक्षिण आरकट जिला) और समनलूर (मदुराई)। ये नए कारखाने तीसरी योजना के अन्त से पहले ही स्थापित हो जाएंगे। इनके अलावा तिरुचिरापल्ली में एक पावर एलकोहल संस्थान की स्थापना की गयी है।

मद्रास राज्य सरकार प्रदेश के निजी उद्योगपतियों को भारत सरकार से लाइसेन्स पाने तथा बिजली और जल की उपलब्धि का प्रबन्ध करने के लिए समुचित सहायता देती है।

मद्रास औद्योगिक विनियोग निगम ने भी उद्योगों की स्थापना में मदद दी है। गत वर्ष १.२३ करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण दिये गये।

## प्राविधिक शिक्षा

दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में दो नए इन्जीनियरिंग कालेज और १४ पौलिटैक्निक खोले गये जिनसे डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने वालों की संख्या में दुगनी और डिप्लोमा कार्स में प्रवेश पाने वालों की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई।

प्राविधिक शिक्षा पर बहुत व्यय होता है और सरकार ने कुछ दिन हुए यह महसूस किया कि औसतन योग्यता से कुछ अच्छे गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाने की एक स्कीम बनाई जाए ताकि वे इस अधिक व्यय वाले अध्ययन का लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने अभी हाल में अपत्रित सरकारी नौकरों और अध्यापकों के बालकों को प्राविधिक कालेजों में अध्ययन के लिए कर्जे दिये जाने की एक स्कीम मन्जूर की है। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि कर्जे दिए जाने की एक स्कीम अपत्रित सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के बालकों को ही नहीं वरन् सभी पर लागू की जाये। ब्याज रहित ऋण व्यक्तिगत जमानत के आधार पर गरीब छात्रों को दिये जायेंगे जिनकी अदायगी ये छात्र अपने अध्ययन की समाप्ति के बाद अपनी आमदनी में से करेंगे।

सरकार ने मद्रास शहर में महिलाओं के लिए एक प्रथम पोलिटैक्निक खोलने की मन्जूरी दी है। इस पौलिटैक्निक में इलैक्ट्रोनिक्स, सचिवालय पाठ्यक्रम, सिविल इन्जीनियरिंग और पोशाकों के डिजाइन बनाये जाने के शिक्षण की व्यवस्था होगी। उद्योगों में तीव्रगामी विस्तार के लिए आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति केवल इन्जीनियरिंग कालेजों और पोलिटैक्निकों से पूरी हो सकती है। राज्य को इसके लिए एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित दस्तकारों की भी जरूरत होगी, इसलिए तीसरी योजना अवधि में दस्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में १४ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। १९६१-६२ में सलेम, काटपदी, अरियानूर, तिरुवेन्द्रूर और पौलाचि में ६ नए औद्योगिक केन्द्र खोले गये हैं। पौलाचि के केन्द्र को धरापुरम् में ले जाया गया है। सरकार ने औद्योगिक संस्थान में एप्रेन्टिसों के प्रशिक्षण के

लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन उद्योगपतियों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है और आशा है कि देश में औद्योगिक विकास के सामान्य हितों को सामने रखते हुए वे पर्याप्त रूप में एप्रेन्टिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देंगे।

एप्रेन्टिसशिप ऐक्ट, १९६१ के द्वारा औद्योगिक संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे एप्रेन्टिसों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे और औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं।

यह भी जरूरी है कि हमारे औद्योगिक कर्मचारियों को अत्यधिक प्राविधिक जानकारी पाने के लिए व्यवस्था की जाए। इस कार्य के लिए उनके कामों के समय के बाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सायंकालीन कक्षाओं की एक स्कीम कार्यान्वित हो रही है। इस तरह की कक्षाएं मद्रास शहर में स्थित बरोडवे और गुन्डी औद्योगिक केन्द्रों में कार्य कर रही हैं। गत वर्ष कोयम्बटूर केन्द्र भी सायंकालीन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। चालू वर्ष में मदुराई में भी इस स्कीम को शुरू करने का निश्चय किया गया है।

## छोटे उद्योग

छोटे उद्योगों की स्थापना की समस्या का अध्ययन किया गया है और छोटे उद्योगों के विस्तृत विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक बस्तियों की स्थापना निहायत जरूरी है, जिसमें बिजली पानी आदि जैसी अनिवार्य-सामान्य सुविधाओं के सहित विकसित और योजनाबद्ध प्लाटों की व्यवस्या हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ७ औद्योगिक बस्तियां कायम की गयी। इननें से गुन्डी स्थिति औद्योगिक बस्ती की सभी ने सराहना की है। गत वर्ष थांजाबुर और काडमदी की औद्योगिक बस्तियों में कार्य शुरू हो गया। सलेम में बनने वाली औद्योगिक बस्तियों के लिए भूमि अर्जन का कार्य प्रगति पर है। थेनी में ५.३७ लाख रुपए की लागत से एक नई औद्योगिक बस्ती बनाने का निश्चय किया गया है। इसके अलावा पोडकोटि, कैरायकुड़ि, कोयलपट्टी, आरकोणाम् कृष्णागिरि में भी नई औद्योगिक बस्तियां खोली जाएंगी। इनमें से हर एक बस्ती पर ९.६९ लाख रुपए व्यय होंगे। डिन्डीगुन में १५.९१ लाख रुपए की लागत से एक औद्योगिक बस्ती बनाने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा दक्षिण आरकट, वृधाचलम में सैरेमिक उद्योग के लिए तथा पैराम्बुर में चमड़ा उद्योग के लिए एक-एक औद्योगिक बस्ती खोलने की भी योजनाएं बनायी गयी हैं। अम्बातुर में एक बड़ी औद्योगिक बस्ती खोलने का निश्चय किया गया है इसकी १० इकाइयां होंगी।

छोटे उद्योगों की एक प्रमुख समस्या सदैव यह रही है कि उन्हें ऋण किस प्रकार दिया जाए। इस कार्य के लिए सरकार ने एक औद्योगिक सहकारी बैंक खोला है जो कि औद्योगिक सहकारी समितियों और छोटे उद्योगों को ऋण दे रहा है।

## बिजली

बिजली निर्माण की दशा में ठोस प्रगति हुई है। बिजली औद्योगिक विकास का मूल आधार है। २९०.८९ करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में से १०० करोड़ रुपये बिजली के विकास के

लिए रखे गये थे। पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मद्रास बिजली प्रणाली की प्रस्थापित क्षमता १,५४,००० किलोवाट थी, जो अब बढ़ कर ५,३१,००० किलोवाट हो गयी है। कुन्डा जल-विद्युत योजना पेरियार चरण--२ विस्तार और पेरियार जल-विद्युत योजनाओं के पूरा होने पर बिजली की प्रस्थापित क्षमता में ५,६०,००० अतिरिक्त किलोवाट की वृद्धि हो जाएगी। नेवेली लिगनाइट परियोजना के एक अंश के रूप में थरमल प्लांट की स्थापना के बाद मद्रास को १,८०,००० किलोवाट बिजली और उपलब्ध होने लगेगी। इन तमाम योजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। कुन्डा परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें केवल अपर भवानी बांध का कार्य अभी पूरा होना है जो कि १९६३-६४ तक खत्म हो जाएगा। कुन्डा चरण तृतीय स्कीम जिसके लिए २२० लाख डालर की कनेडा से सहायता मिली है, बहुत तेजी से कार्यान्वित हो रही है। मैत्तूर टनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक स्कीम का कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए जैनेरेटरों और अन्य साज-सामान के लिए सोवियत संघ को आर्डर दिया गया है।

मद्रास राज्य ग्रामीण बिजलीकरण की दिशा में आज भी सबसे आगे हैं। अब १३,६३८ कस्बों और गांवों को बिजली उपलब्ध है और आशा है कि तीसरी योजना के अंत तक शेष सभी गांवों को बिजली मिलने लगेगी। १९५१ में प्रति व्यक्ति बिजली खपत १२ यूनिट थी जो अब बढ़कर ६२ यूनिट हो गयी है। इससे बिजली विकास की दिशा में की गयी हमारी उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट है।

## संचार

औद्योगीकरण के साथ-साथ परिवहन की समस्या खड़ी होगी इसलिए परिवहन की मांग को पूरा करने के लिये संचार की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। राज्य में सड़कों का एक अच्छा जाल बिछाया जा चुका है। इस समय राज्य में २५,८६५ मील लम्बी सड़कें हैं। संचार प्रणाली में सुधार के लिये ९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसमें से २.१७ करोड़ रुपए १९६१-६२ में खर्च किए गए। पंचायत यूनियनों को स्थानीय सड़कों के निर्माण और सुधार के लिये १२० लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

## आवास

राज्य आवास बोर्ड ने मद्रास, मदुरई, कोयम्बटूर जैसे बड़े शहरों के आस-पास काफी मात्रा में ज़मीन लिए जाने का एक बड़ा कार्यक्रम अपनाया है ताकि उचित और कम दामों पर मकान निर्माण के लिए विकसित प्लाट दिए जा सकें। योजना में इस कार्य के लिए १७० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। राज्य आवास बोर्ड कम आय समूह आवास, मध्यम आय समूह आवास और किराया आवास जैसी अन्य स्कीमों को भी बहुत तेजी से कार्यान्वित कर रही है।

## श्रमिक कल्याण

१९६१ में कुल १४७ हड़तालें हुईं जबकि इससे पहले वर्ष में ३३१ हड़तालें हुई थीं। इसी तरह पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केवल एक-चौथाई मानव दिनों की हानि हुई। इसका मुख्य

कारण ट्रेड यूनियनों और मालिकों द्वारा अनुशासन संहिता की स्वीकृति और उसका अपनाया जाना है। राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम का विस्तार राज्य के ५ और केन्द्रों में कर दिया गया है। अब इस स्कीम से २.२१ लाख कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं। अभी हाल में यह स्कीम डिन्डीगुल, तिरुनेलवेली और कुम्बाकोनाम् में शुरू की गयी है। कर्मचारियों के परिवारों को २० केन्द्रों में से १२ में चिकित्सा सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है।

किलपौक में राजकीय कर्मचारी बीमा की बीमाशुदा रोगियों के लिए ही एक नयी राजकीय कर्मचारी बीमा अस्पताल खोला गया है जिसमें १७५ शैयाओं का प्रबन्ध है। तथा अस्पताल में काम करने वालों के लिए क्वार्टरों की भी व्यवस्था है। इस अस्पताल में २७ लाख रुपए व्यय हुए हैं। १८३ शैयाओं के लिए ११ लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है। मदुरई स्थित छूत की बीमारियों के अस्पताल को राजकीय कर्मचारी बीमा अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसमें २२० शैयाओं की व्यवस्था होगी।

## शिक्षा

पिछले ७-८ वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशाल प्रगति हुई है। जहां कि पहली योजना के आरम्भ में कुल १६,००० प्रारम्भिक स्कूल थे, वहां अब २८,००० प्रारम्भिक स्कूल हैं। इस समय प्रारम्भिक स्कूलों में (६-११ वर्ष के) ३९.३ लाख छात्र पढ़ रहे हैं जब कि पहली योजना के आरम्भ में कुल १८.३५ लाख छात्र थे। ६-११ वर्ष के लगभग ९४ प्रतिशत बालकों को स्कूलों में भर्ती किया जा चुका है। १९५१-५२ में स्कूल जाने लायक लड़कियों का केवल ३२.५ प्रतिशत भाग स्कूलों में पढ़ता था जो कि अब बढ़कर ५७ प्रतिशत हो गया है। ६ और ११ वर्ष की आयु के तमाम बालकों को तीसरी योजना के अन्त तक भर्ती किये जाने का लक्ष्य आशा है यह राज्य पहले ही पूरा कर लेगा।

मध्य-द्विदेसीय आहार स्कीम में काफी सुधार हो गया है। इसके लिये केअर संगठन, अमरीका से चावल-गेहूं, दूध का पाउडर और वनस्पति घी के रूप में ३ करोड़ रुपए की सहायता मिली है।

१९६१-६२ में १,४६१ उच्चतर प्रारम्भिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये और इस तरह उच्चतर प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या ४५,००० से अधिक हो गयी। हाई स्कूलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये गत वर्ष २७२ स्कूल खोले गए।

गत कुछ वर्षों में राज्य की कालेज शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। अब राज्य में पुरुषों के लिये ४३ और महिलाओं के लिये १६ कालेजों की व्यवस्था है। सरकार ने १,२०० रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर निशुल्क शिक्षा देने की एक स्कीम बनायी है। हाई स्कूलों में गरीब बालकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

## चिकित्सा सुविधाएं

चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य सेवाओं में काफी विस्तार हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक खण्ड में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से

१९६२-६३ में ४० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है और इसके लिये १३.०२ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

## पिछड़े वर्गों का कल्याण

सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान देती रही है। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण की स्कीमों के लिए १९६२-६३ के लिए ३५६ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। आवासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार के प्राविधिक और ग़ैर-प्राविधिक पाठ्य-क्रम के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाने की स्कीम जारी रही। इस वर्ष छात्रवृत्तियों में उचित वृद्धि करने की व्यवस्था भी की गयी। सरकारी छात्रावासों में भोजन शुल्क की दरों में वृद्धि करने का भी निश्चय किया गया है और सहायता-प्राप्त छात्रावासों को इसी वृद्धि के अनुपात में अनुदान दिए जाने की मन्जूरी दी गयी है।

राज्यपाल : श्री विष्णुराम मेधी

| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| श्री के० कामराज | योजना, सामान्य प्रशासन, सामुदायिक विकास पंचायत, गृह और परिवहन। |
| **मुख्य मंत्री** | |
| श्री एम० भक्तवत्सलम् | वित्त, शिक्षा, श्रम, न्यायालय और कैद, विधान, चुनाव, खादी और ग्रामीण उद्योग, धार्मिक न्यास। |
| श्री आर० वेंकटारमन् | उद्योग, व्यापारिक कर, राजकीय परिवहन, तकनीकी शिक्षा, विद्युत, आवास इत्यादि। |
| श्री पी० कक्कन | खाद्य और कृषि, छोटी सिंचाई, पशु-चिकित्सा, हरिजन कल्याण और मद्यनिषेध सार्वजनिक कार्य और राजस्व। |
| श्री वी० रामैया | सार्वजनिक कार्य और राजस्व। |
| श्रीमती जोथी वेंकटाचलम् | सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रसूति और बाल कल्याण। |
| श्री एन० एस० मनरडियार | सहकारिता, मत्स्य उद्योग और वन। |
| ी जी० भूवराघन | सूचना एवं प्रसारण। |
| ी एस० एम० अब्दुल मजीद | म्युनिसिपल शासन। |

# मैसूर

राजधानी : बंगलौर
क्षेत्रफल : ७४,१९१ वर्गमील
जनसंख्या : २,३५,४७०,८१
मुख्य भाषा : कन्नड़

मैसूर राज्य ने इस वर्ष सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। गत आम चुनावों में कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद नई सरकार संगठित की। श्री एस० आर० कंठी को कांग्रेस विधान सभाई दल का नेता चुना गया और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। आगे चलकर श्री निजलिंगप्पा जो कि उप-चुनाव में विजयी हुए थे, विधानसभा के नेता चुने गए और मुख्य मंत्री घोषित हुए। श्री कंठी ने उनके पक्ष में पद-त्याग किया।

## वित्तीय स्थिति

१९६२-६३ के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्ति ९९७०.८६ लाख और व्यय १०२९३.४६ लाख होना है। इस प्रकार घाटा ३२२.६३ लाख रहेगा।

( लाख रुपयों में )

| | वास्तविक प्रगति १९६०-६१ | संशोधित बजट १९६१-६२ | बजट १९६२-६३ |
|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्ति | ९२०७.३५ | ९५४७.२६ | ९९७०.८६ |
| व्यय | ८९७९.५३ | ९९५८.३४ | १०२९३.४९ |
| अतिरिक्त (+) | +२२७.८२ | | |
| घाटा (—) | | —४११.०८ | —३२२.६३ |

बजट में पूंजीगत व्यय की रकम २८९१.९३ लाख रखी गयी है। बढ़ते हुए व्यय को देखते हुए सम्भावना है कि यह रकम और ९५० लाख रुपए बढ़ जाएगी। अगस्त, १९६१ में मैसूर राज्य ने एक मैसूर विकास ऋण संगठन कायम किया जिसकी राशि ७ करोड़ थी। इस ऋण पर ४॥ प्रतिशत ब्याज दी जाएगी।

## विकास कार्य

निम्नलिखित विकास कार्यों की व्यवस्था की गयी है :—

| | ( रुपए लाखों में ) |
|---|---|
| वन सम्पत्ति विकास | ३९८.४२ |
| शिक्षा | १७७५.०३ |
| चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य | ६६७.७६ |
| लोककर्म और सिंचाई | १५४५.२३ |
| कृषि | २५०.३५ |
| समाज कल्याण | १५५.६३ |
| पशु चिकित्सा | ११८.३८ |

| | |
|---|---|
| सहकारिता | ७०.४१ |
| उद्योग | २०७२.७९ |
| राष्ट्रीय विस्तार सेवा | ३०३.०३ |
| श्रम | ५९.२८ |
| विविध | ३७.०० |

## अर्थ-व्यवस्था

मैसूर राज्य की अर्थ-व्यवस्था प्रधानत मौसम पर निर्भर करती है। यदि मौसम अच्छा रहा तो अच्छी फसल होती है। इस वर्ष असाधारण रूप से अति वृष्टि हुई और बाढ़ों के परिणामस्वरूप खड़ी हुई फसलें तथा रिहायशी जमीन आदि को हानि पहुँची । मैसूर राज्य के १९ जिलों में से १३ जिलों में बाढ़ का बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत से लोग बेघरबार हो गए। संयोगवश मानव जीवन की क्षति बहुत अधिक नहीं हुई। सहायता-कार्य के लिए ऋणों और अनुदानों के रूप में १.५० करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी। व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ सरकार ने बाढ़ के नुकसान को दूर करने पर ३ करोड़ रुपए व्यय किए । मैसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है।

## सिंचाई

जबकि राज्य के कई भागों में बाढ़ का प्रकोप चल रहा था, बीजापुर, धारवाड़, बेलगांव, कोलार, बेलारी और चित्रदुग जिलों में कुछ भागों में सूखा पड़ रहा था। इन लोगों की सहायतार्थ २७½ लाख रुपए की रकम स्वीकृत की गयी। इन इलाकों को जल के अभाव से स्थायी तौर पर बचाने के लिए मैसूर सरकार ने १९६०-६१ में एक विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत १५,००० सिंचाई के कुए बनकर तैयार हो जाएंगे और काश्तकारों को उदार शर्तों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

## नशाबन्दी

१९६१ में मण्डया जिले और मैसूर नगर तथा तालुके में नशाबन्दी चालू की गयी जिससे सरकार को ५० लाख रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि हुई है। इस समय राज्य के १९ जिलों में से १६ में नशाबन्दी लागू है। बंगलौर, गुलबर्गा और रायचूर में अभी तक नशाबन्दी जारी नहीं हुई है। तृतीय वित्तीय आयोग की रिपोर्ट और राज्य की वित्तीय अवस्था को देखते हुए नशाबन्दी के कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका है।

## पंचायती राज

मैसूर ग्राम पंचायत और लोकल बोर्ड ऐक्ट, १९५९ के अनुसार ग्राम तालुका और जिला स्तर पर पंचायती संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। इस समय ७४५० पंचायतें, १७,२ तालुक बोर्ड और १९ विकास परिषदें कार्य कर रही हैं। जिस समय पंचायती बिल विधानसभा में पेश किया गया था यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भूराजस्व का एक भाग और साथ ही कई आभार जैसे कि गांवों में दवाखानें और सिंचाई के साधनों की देखभाल का काम भी तालुका बोर्ड और ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। पंचायती राज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि यह कार्य पंचायतों को सौंप दिया जाए और साथ ही उन्हें आवश्यक सहायतार्थ अनुदान दिया जाए।

तालुका बोर्ड को प्राइमरी शिक्षा का भार सौंपने का प्रश्न विचारणीय है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है। इन नवजात पंचायतों और तालुका बोर्ड के कार्यक्षमा प्रशासन के लिए ४९.५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह रकम पंचायतों और तालुक बोर्डों के सदस्यों के लिए सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने, पंचायतों के हिसाब की जांच करने और गांवों में आय के साधन पैदा करने में पंचायतों की सहायता देने के निमित्त है।

## ज़मीन की पैमाइश

राज्य में जमीन की पैमाइश में दोबारा जांच की गयी है। अभी तक १४ क्षेत्रों में यह जांच पूरी हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति कर रहा है। अनुमान है कि ज़मीन की दुबारा पैमाइश से भूमि राजस्व में सराहनीय वृद्धि हो सकेगी।

## स्कूली अध्यापकों के लिए सुविधाएं

सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की अध्यापकों ने पेंशन का लाभ पाने के लिए आवाज़ उठायी है। सरकार ने मद्रास राज्य के नमूने की तीन लाभ पहुंचाने वाली एक स्कीम जारी करने का निश्चय किया है। एक विशेष अधिकारी इस कार्य की देखभाल के लिये नियुक्त किया गया है।

हायर सेकेण्डरी स्कूलों और बहु-प्रयोजनीय हाई स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ मैसूर में एक क्षेत्रीय अध्यापक प्रशिक्षण कालेज् खोलने की स्कीम विचारार्थ है। यह कालेज उन चार कालेजों में एक होगा जो कि भारत सरकार द्वारा समूचे देश में स्थापित किए जा रहे हैं। इस कालिज का समूचा व्यय जो कि लगभग १.५२ करोड़ होगा, भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस कालिज की स्थापना के लिए १०० एकड़ भूमि मुफ्त दी है। आशा है शीघ्र ही इस कालिज की स्थापना होगी जिसमें ४०० अध्यापकों के प्रशिक्षण की एक साथ व्यवस्था होगी।

## डा० विश्वेशरय्या शतवार्षिकी

मैसूर राज्य के नागरिकों ने डा० विश्वेशरय्या की शतवार्षिकी समारोह में बड़े उत्साह से भाग लिया। मैसूर विश्वविद्यालय डा० विश्वेशरय्या के नाम से एक पीठिका आरम्भ कर रहा है जिसके निमित्त ५ लाख रुपए की एक स्कीम तैयार की गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस काम के लिए तीन लाख रुपए का योगदान देना स्वीकार किया है और मैसूर विश्वविद्यालय ने चन्दे से ८ हजार रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। राज्य सरकार ने शेष १.९२ लाख रुपए की राशि देना स्वीकार किया है।

## कर

इस वर्ष कर सम्बन्धी दो नई कार्यवाहियां की गयीं—एक मुसाफिरी भाड़ा और सामान पर कर तथा दूसरी भूराजस्व पर सर चार्ज। पहली कार्यवाही अक्टूबर, १९६१ से लागू हुई और दूसरी १९६१ के अन्त में आरम्भ हुई। राज्य सरकार ने घरेलू और कृषि क्षेत्र में बिजली के उपभोग को छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग पर कर बढ़ा दिए हैं। आर्थिक समिति ने कर वृद्धि के लिए कई सुझाव दिए हैं: जैसे कि नई इमारतों पर, सेल्स टैक्स का संशोधन, कृषि आय-कर ऐक्ट का संशोधन और मनोरंजन कर में वृद्धि इत्यादि।

| | |
|---|---|
| सहकारिता | ७०.४१ |
| उद्योग | २०७२.७९ |
| राष्ट्रीय विस्तार सेवा | ३०३.०३ |
| श्रम | ५९.२८ |
| विविध | ३७.०० |

## अर्थ-व्यवस्था

मैसूर राज्य की अर्थ-व्यवस्था प्रधानत मौसम पर निर्भर करती है। यदि मौसम अच्छा रहा तो अच्छी फसल होती है। इस वर्ष [illegible] रूप से अति वृष्टि हुई और बाढ़ों के परिणामस्वरूप खड़ी हुई फसलें तथा रिहायशी जमीन आदि को हानि पहुँची । मैसूर राज्य के १९ जिलों में से १३ जिलों में बाढ़ का बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत से लोग बेघरबार हो गए। संयोगवश मानव जीवन की क्षति बहुत अधिक नहीं हुई। सहायता-कार्य के लिए ऋणों और अनुदानों के रूप में १.५० करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी। व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ सरकार ने बाढ़ के नुकसान को दूर करने पर ३ करोड़ रुपए व्यय किए । मैसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है।

## सिंचाई

जबकि राज्य के कई भागों में बाढ़ का प्रकोप चल रहा था, बीजापुर, धारवाड़, बेलगांव, कोलार, बेलारी और चित्रदुग जिलों में कुछ भागों में सूखा पड़ रहा था। इन लोगों की सहायतार्थ २७½ लाख रुपए की रकम स्वीकृत की गयी। इन इलाकों को जल के अभाव से स्थायी तौर पर बचाने के लिए मैसूर सरकार ने १९६०-६१ में एक विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत १५,००० सिंचाई के कुए बनकर तैयार हो जाएंगे और काश्तकारों को उदार शर्तों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

## नशाबन्दी

१९६१ में मण्डया जिले और मैसूर नगर तथा तालुके में नशाबन्दी चालू की गयी जिससे सरकार को ५० लाख रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि हुई है। इस समय राज्य के १९ जिलों में से १६ में नशाबन्दी लागू है। बंगलौर, गुलबर्गा और रायचूर में अभी तक नशाबन्दी जारी नहीं हुई है। तृतीय वित्तीय आयोग की रिपोर्ट और राज्य की वित्तीय अवस्था को देखते हुए नशाबन्दी के कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका है।

## पंचायती राज

मैसूर ग्राम पंचायत और लोकल बोर्ड ऐक्ट, १९५९ के अनुसार ग्राम तालुका और जिला स्तर पर पंचायती संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। इस समय ७४५० पंचायतें, १७,२ तालुक बोर्ड और १९ विकास परिषदें कार्य कर रही हैं। जिस समय पंचायती बिल विधानसभा में पेश किया गया था यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भूराजस्व का एक भाग और साथ ही कई आभार जैसे कि गांवों में दवाखानें और सिंचाई के साधनों की देखभाल का काम भी तालुका बोर्ड और ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। पंचायती राज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि यह कार्य पंचायतों को सौंप दिया जाए और साथ ही उन्हें आवश्यक सहायतार्थ अनुदान दिया जाए।

तालुका बोर्ड को प्राइमरी शिक्षा का भार सौंपने का प्रश्न विचारणीय है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है। इन नवजात पंचायतों और तालुका बोर्ड के कार्यक्षमा प्रशासन के लिए ४९.५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह रकम पंचायतों और तालुक बोर्डों के सदस्यों के लिए सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने, पंचायतों के हिसाब की जांच करने और गांवों में आय के साधन पैदा करने में पंचायतों की सहायता देने के निमित्त है।

## जमीन की पैमाइश

राज्य में जमीन की पैमाइश में दोबारा जांच की गयी है। अभी तक १४ क्षेत्रों में यह जांच पूरी हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति कर रहा है। अनुमान है कि जमीन की दुबारा पैमाइश से भूमि राजस्व में सराहनीय वृद्धि हो सकेगी।

## स्कूली अध्यापकों के लिए सुविधाएं

सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की अध्यापकों ने पेंशन का लाभ पाने के लिए आवाज उठायी है। सरकार ने मद्रास राज्य के नमूने की तीन लाभ पहुंचाने वाली एक स्कीम जारी करने का निश्चय किया है। एक विशेष अधिकारी इस कार्य की देखभाल के लिये नियुक्त किया गया है।

हायर सेकेण्डरी स्कूलों और बहु-प्रयोजनीय हाई स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ मैसूर में एक क्षेत्रीय अध्यापक प्रशिक्षण कालेज खोलने की स्कीम विचारार्थ है। यह कालेज उन चार कालेजों में एक होगा जो कि भारत सरकार द्वारा समूचे देश में स्थापित किए जा रहे हैं। इस कालिज का समूचा व्यय जो कि लगभग १.५२ करोड़ होगा, भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस कालिज की स्थापना के लिए १०० एकड़ भूमि मुफ्त दी है। आशा है शीघ्र ही इस कालिज की स्थापना होगी जिसमें ४०० अध्यापकों के प्रशिक्षण की एक साथ व्यवस्था होगी।

## डा० विश्वेशरय्या शतवार्षिकी

मैसूर राज्य के नागरिकों ने डा० विश्वेशरय्या की शतवार्षिकी समारोह में बड़े उत्साह से भाग लिया। मैसूर विश्वविद्यालय डा० विश्वेशरय्या के नाम से एक पीठिका आरम्भ कर रहा है जिसके निमित्त ५ लाख रुपए की एक स्कीम तैयार की गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस काम के लिए तीन लाख रुपए का योगदान देना स्वीकार किया है और मैसूर विश्वविद्यालय ने चन्दे से ८ हजार रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। राज्य सरकार ने शेष १.९२ लाख रुपए की राशि देना स्वीकार किया है।

## कर

इस वर्ष कर सम्बन्धी दो नई कार्यवाहियां की गयीं—एक मुसाफिरी भाड़ा और सामान पर कर तथा दूसरी भूराजस्व पर सर चार्ज। पहली कार्यवाही अक्टूबर, १९६१ से लागू हुई और दूसरी १९६१ के अन्त में आरम्भ हुई। राज्य सरकार ने घरेलू और कृषि क्षेत्र में बिजली के उपभोग को छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग पर कर बढ़ा दिए हैं। आर्थिक समिति ने कर वृद्धि के लिए कई सुझाव दिए हैं: जैसे कि नई इमारतों पर, सेल्स टैक्स का संशोधन, कृषि आय-कर ऐक्ट का संशोधन और मनोरंजन कर में वृद्धि इत्यादि।

## दूसरी पंचवर्षीय योजना

मैसूर राज्य ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया जबकि योजना के अन्तर्गत १४५-०० करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी, योजना पर १४२.२९ करोड़ रुपए व्यय हुए। अब तीसरी योजना का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया है। गत दो योजनाओं के अनुभव के आधार पर यह तीसरी योजना बनाई गई है जिससे आशा है कि मैसूर राज्य के समग्र विकास को बल प्राप्त होगा।

राज्यपाल : हिज हाईनेस जयचामराज वडियार

| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| श्री एस० निजलिंगप्पा मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन, आयोजन, आवास और समाज कल्याण और सिंचाई। |
| श्री एस० आर० कंठी | शिक्षा |
| श्री बी० डी० जती | वित्त। |
| श्री एम० वी० कृष्णप्पा | राजस्व, पशु चिकित्सा। |
| श्री एम० वी० रामा राव | विधि, अदालत चुंगी और नशाबन्दी। |
| श्री आर० एम० पाटील | गृह, पर्यटन। |
| श्रीमती यशोधरा दासप्पा | समाज कल्याण। |
| श्री के० मालवीय | वाणिज्य और उद्योग। |
| डा० के० नागप्पा अलवा | सार्वजनिक स्वास्थ्य। |
| श्री वीरेन्द्र पाटील | सार्वजनिक निर्माण-कार्य। |
| श्री बी० राचैया | वन और मत्स्य उद्योग। |
| श्री रामकृष्ण हैडगे | सहकारिता और विकास। |
| श्री डी० देवराज उर्स | श्रम, आवास और परिवहन। |
| श्री के० पुट्टास्वामी | म्युनिसिपल प्रशासन। |
| श्री जी० नारायण गोवदा | कृषि |

**उप-मंत्री**

| | |
|---|---|
| श्री एच० आर० अब्दुल गफ्फार | सार्वजनिक लेखा, लघु बचत इत्यादि। |
| श्री मक़सूद अली खां | भूगर्भ और खान। |
| श्रीमती ग्रैस टकर | प्रारामिक शिक्षा। |
| श्री जे० एच० शमसुद्दीन | बिजली। |
| श्री वाई० रामचन्द्रा | म्युनिसिपल प्रशासन। |
| श्री के० प्रभाकर | समाज-कल्याण। |
| श्री मल्लिकरजनस्वामी | आयोजन। |
| श्री के० बासप्पा | सहकारिता। |
| श्री ए० हनुमन्थय्या | छोटी सिचाई। |
| श्री आर० दयानन्द सागर | रेशमद्योग। |

: ४१ :

# महाराष्ट्र

राजधानी : बम्बई
क्षेत्रफल : १,१८,५३० वर्गमील
जनसंख्या : ३,२०.०३०८६
मुख्य भाषा : मराठी

महाराष्ट्र राज्य में दूसरे वर्ष को दो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्यों की तैयारी का वर्ष कहना उचित होगा। ये दो कार्य हैं: पंचायती राज अर्थात जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर शक्ति का विकेन्द्रीकरण तथा खेती की जमीन पर अधिक सीमा निर्धारित किया जाना। जिस समय देश में तीसरे आम चुनाव और महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद राज्य का पहला चुनाव हो रहा था, उस समय जिला परिषद् और पंचायती समिति अधिनियम के अन्तर्गत जिला परिषदों के पहले आम चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। चुनाव ८ जून तक सम्पन्न होने थे।

तीसरी योजना के पहले वर्ष में जो विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, वह इस वर्ष पूरा हो गया तथा कोयना जल-विद्युत परियोजना के ३८ करोड़ रुपए के प्रथम चरण का कार्य भी पूरा हो गया। इस परियोजना से पश्चिम महाराष्ट्र को छोटे और बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने लगी है और इस से एक बड़े क्षेत्र का रूप बदल रहा है।

इस वर्ष राज्य में पूना की बाढ़, दक्षिण कोंकण में भीषण तूफान, विदर्भ में भीषण बाढ़ों जैजी कई प्राकृतिक आपदाएं आईं। इन आपदाओं के कारण हुए भारी नुकसान तथा इनमें ग्रस्त लोगों की सहायता और पुनर्वास पर काफी शक्ति और धन व्यय हुआ।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

इस वर्ष राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका परिव्यय ३९०.२० करोड़ रुपए है, को अन्तिम रूप दिया गया। १९६१-६२ के लिए कुल योजना परिव्यय का लगभग १४ प्रतिशत भाग अथवा ५४. ६० करोड़ रुपए रखा गया था, तथा दूसरी योजना की कई स्कीमें चालू रखने के ख्याल से यह राशि मुख्यतः इन स्कीमों की प्रगति पर व्यय की गयी। योजना परिव्यय की गति को कायम रखा गया और इस वर्ष के व्यय में निश्चित राशि से लगभग १ करोड़ रुपए अधिक व्यय होने की सम्भावना है। राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष १९६१-६२ में देश में सबसे अधिक छोटी बचतें कीं। जबकि इस वर्ष के लिए २० करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कुल बचत २४ करोड़ रुपए की हुई।

## कोयना परियोजना

कोयना जल-विद्युत परियोजना के पहले चरण का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। ६०,००० किलोवाट का पहला जैनरेटर स्थापित किए जाने के लिए तैयार है और इसी शक्ति के तीन अन्य जैनरेटर भी निश्चित समय पर स्थापित किए जाएंगे। ३१ मार्च, १९६३ तक इस परियोजना पर ३१.७ करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके थे। आलोच्य वर्ष में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने

खापराखेड़ा, पारस और भूसावल में बिजलीघरों के विस्तार तथा ग्राम बिजलीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन के कार्य को जारी रखा।

## भूमि पर अधिकतम सीमा

किसानों को समान मात्रा में भूमि वितरित करने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ स्वीकार किया जो पिछली २६ जनवरी से लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है और अधिकतम सीमा के बाद बची अतिरिक्त भूमि के अर्जन तथा भूमिहीन किसानों, कम भूमि के मालिकों, सरकारी संयुक्त कृषि समितियों आदि में इस अतिरिक्त भूमि को विभाजित किए जाने की अधिनियम में व्यवस्था की गयी है। पश्चिम महाराष्ट्र के जिले में बम्बई काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, १९४८ का क्रियान्वयन कार्य अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। इस अधिनियम के अनुसार इन किसानों को अनिवार्य रूप से भूमि खरीदनी पड़ती है जिस पर कि वे १ अप्रैल, १९५७ को पट्टेदार की हैसियत से काबिज़ थे। इन किसानों के अलावा अन्य किसानों को भी ज़मीनों को खरीदने के लिए कहा गया। ये किसान जो ज़मीन खरीदेंगे और उसके लिए कितनी कीमत देंगे, इसका निर्णय कृषि भूमि न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मराठवाड़ा के पांच जिलों की सरकार द्वारा हैदराबाद काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, १९५० की धारा ३८-ई और ३८ एफ द्वारा प्रसारित अधिसूचना में घोषणा की गयी कि दूसरों की ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को धारा ३८ के अन्तर्गत इन ज़मीनों को खरीदने के अधिकार होंगे। ऐसे किसान कौन हैं, इस संबंध में विदर्भ में जांच की जा रही है।

## खाद्य समस्या

खाद्य समस्या को दो मोर्चों पर हल करने की कोशिश की गयी। राज्यवासियों की चावल और गेहूं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के खाद्य अंचलों से पूरा किया गया तथा सघन खेती की स्कीमें शुरू की गयीं। खार भूमि विकास बोर्ड ने दिसम्बर के अन्त तक कुल मिलकर १६३ खार भूमि स्कीमें पूरी कीं जिनसे ५९,१२६ एकड़ भूमि को लाभ पहुंच रहा है।

## वन

राज्य के वन क्षेत्रों के लिए बनाई गई भूमि संरक्षण स्कीम रत्नगिरि जिले में कार्यान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र में भूमि-क्षरण से वन-संपति को काफी नुकसान पहुंचा है। इस स्कीम के अन्तर्गत ५०,१९४ एकड़ क्षेत्र ले लिया गया है और ४००० एकड़ क्षेत्र में बनारोपड़ का कार्य किया जा रहा है। वन उत्पादन, बढ़ाए जाने की आवश्यकता को देखते हुए योजना आयोग ने विशेष निधि की व्यवस्था की है। यह राशि तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गयी राशि से अलग है। सरकार ने १९६१-६२ में जल्दी पैदा होने वाली कुछ वस्तुओं को उगाने की स्कीमें शुरू की हैं जिन पर अनुमानतः १.६६ लाख रुपये व्यय होंगे। यह स्कीम १९६२-६३ में भी जारी रहेगी।

गत नवम्बर में ३ करोड़ रुपए वाली डेरी परियोजना का कार्य शुरू किया गया। इस परियोजना का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। एक दूसरी बस्ती थाना जिले में दाहनु तालुका वनकाश और दावाचारि गांवों में बनाई जा रही है। इस बस्ती के निर्माण के बाद बम्बई शहर के तमाम पशुओं को हटाने का कार्यक्रम शुरू हो जायगा।

आरे कालोनी में एक गैस सन्यत्र लगाया जा रहा है। नासिक, कोल्हापुर, शोलापुर, कारजाप, पूना और नागपुर में दूध वितरण स्कीमों का विस्तार किया गया तथा मीराजा, कालेगांव, अकोला, अमरावती और औरंगाबाद में नई स्वीकृति प्राप्त स्कीमें इस वर्ष शुरू की गईं।

## औद्योगिक प्रगति

महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद से अब तक उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए औद्योगिक संस्थानों को ३०० नए लाइसेंस दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में जिन उद्योगों का विकास किया जाएगा वे इस प्रकार हैं: बम्बई के समीप ट्रॉबे में एक उर्वरक कारखाना, कोलावा जिले के खानवेल में ओर्गेनिक कैमिकल्स और डाई स्टफ फैक्टरी तथा वर्धा में इस्पात के भारी सामान बनाए जाने के सन्यत्र।

उद्योगपुरी: राज्य में लगभग १४ उद्योगपुरियां बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने लगभग हर राज्य में एक उद्योग पुरी स्थापित करने का निश्चय किया है और इसके लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास बोर्ड को निगम बना दिया गया है।

## सिंचाई

इस समय राज्य में १९ बड़ी और ३० मध्यम सिंचाई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। आलोच्य वर्ष में इन स्कीमों पर लगभग १०,५० करोड़ रुपए खर्च किए गए। घोड और गंगापुर परियोजनाओं के प्रथम और द्वितीय चरण के कार्यों से सिंचाई की सुविधाएं मिलनी आरम्भ हो गयी हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में गिरना और वीर, विदर्भ में बोर और नालगंगा, तथा मराठवाड़ा में पूर्णा और मनार सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

## खनिज

भूगर्भ और खनिज राज्य निदेशालय ने मूल्यवान खनिजों की खोज का कार्य शुरू कर दिया है। नागपुर जिले के उमरेर और कान्ति क्षेत्रों में लगभग ३७०० लाख टन कोयला मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने मैंगनीज़ के लिए विदर्भ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। चांदा जिले के थानेसवनन् में तांबा और योतमाल जिले के रायपुर जिले में चूना पत्थर मिलने की आशा है।

## श्रमिक कल्याण

बम्बई श्रमिक कल्याण नीति (विस्तार संशोधन) अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत श्रमिक कल्याण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु एक संविहीत इकाई स्थापित की गई। इस निकाय की स्थापना का उद्देश्य राज्य-भर में श्रमिक कल्याण कार्य को एक ढंग से समान किया जाना है।

## शिक्षा

**सैनिक स्कूल :** शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि सतारा में एक सैनिक स्कूल का खोला जाना है। इस स्कूल में कुल १५० छात्र भर्ती हो सकते हैं। इनमें से राज्य सरकार २२०० प्रति छात्र प्रति वर्ष की ६३ छात्रवृत्तियाँ देती है। श्री शिवाजी मिलिटरी प्रिपैट्री स्कूल पूना को नेशनल डिफेन्स अकादमी में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं चलाने हेतु ७६,२०० रुपए का अनुदान दिया गया है।

**नया विश्वविद्यालय :** निकट भविष्य में कोल्हापुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार के विचाराधीन है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम महाराष्ट्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ७ और ११ वर्ष की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा आरंभ कर दी गयी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विदर्भ और मराठवाड़ा के छात्र भी इस योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे।

ग्राम शिक्षा मोहिम गत वर्ष शिवाजी जयन्ती दिवस से समूचे राज्य में शुरू की गयी थी जिसने कि उल्लेखनीय प्रगति की है। यह स्कीम एक आत्म-निर्भर साक्षरता स्कीम है। इस समय इस अभियान में २,०७६ गांव भाग ले रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं में अब तक ८,२८,२०२ व्यस्क भर्ती किए जा चुके हैं जिनमें से ४,०७,७९५ महिलाएं हैं। गत वर्ष इस ३१ अक्टूबर तक २०९ गांवों में शत-प्रतिशत साक्षरता हो गयी थी।

शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय ६ इंजीनियरिंग कालेज, ४ पोलिटेक्निक, ४४ प्राविधिक हाई स्कूल और १९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २ इन्जीनियरिंग कालेज, ५ पोलिटेक्निक, १० प्रविधिक हाई स्कूल और १२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। गत वर्ष विभिन्न प्राविधिक संस्थाओं की प्रवेश क्षमता को बढ़ाया गया।

## पिछड़े वर्गों का कल्याण

पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निकट भविष्य में २५ बहु-प्रयोजनीय विकास खण्ड स्थापित किए जाने का निश्चय किया गया है जिन पर अनमानत: ८० लाख रुपए व्यय होंगे। यह खण्ड पिछड़े वर्गों की अवस्था में सुधार कार्य को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

## स्वास्थ्य सेवाएं

राजकीय कर्मचारी बीमा स्कीम के अन्तर्गत बृहत् बम्बई और थाना जिले में कर्मचारियों के परिवारों को भी चिकित्सा सुविधाएं देना आरम्भ कर दिया है। अब इस स्कीम के अन्तर्गत ३ लाख लोग लाभ पा रहे हैं जब कि पहले वर्ष ७ लाख लोगों को ही यह लाभ मिल रहा था। बम्बई के परेल इलाके में स्थित महात्मा गांधी स्मारक अस्पताल मे बीमाकृत कर्मचारियों के लिए ३०० शैयाओं की व्यवस्था की गयी है। १९६२-६३ में अस्पताल में ३०० अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था की जाएगी। वार्ली में २०० शैयाओं का एक अस्पताल बन रहा है और आशा है कि इस वर्ष के

अन्त तक यह अस्पताल अपना कार्य शुरू कर देगा। सी० ई० सी० डेन्टल कालेज की इमारत का निर्माण कार्य पूर्ति के समीप है। नागपुर में एक आयर्वेदिक अस्पताल भी लगभग बन चुका है।

आलोच्य वर्ष में राज्य के सुदूर स्थित क्षेत्रों को कुटीर अस्पताल और प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं दी गयीं। राज्य में तपेदिक नियन्त्रण अभियान शुरू किया गया था और उसके बड़े उपयोगी परिणाम समाने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए अप्रैल के आरम्भ में राज्य के नेत्र रोगों से बचने सम्बन्धी एक तीन दिवसीय अभियान चलाया गया था। आलोच्य वर्ष में परिवार नियोजन कार्य का भी विस्तार हुआ और सतारा में एक बहुत बड़ा शिविर आयोजित किया गया जहां कि १३०० आपरेशन किए गए। आगामी वर्ष में मिराज में एक नया मैडिकल कालेज खोलने का निश्चय किया गया है। बम्बई में सेन्ट जार्ज अस्पताल में कैंसर के निदान के लिए एक केन्द्र खोला गया है।

## आवास

आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की। महाराष्ट्र आवास बोर्ड ने मार्च, १९६१ तक ४५,५४१ मकान बनाए थे। इसके बाद घटकोपर में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए २,६०० मकान बनाए गए तथा विकरौली में लगभग १५०० मकान बनाए गए। पूना में आई बाढ़ के कारण आवास की जो समस्या आ गई थी उसके लिए कम आय समूह और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए १,८०० मकान बनाए गए। विदर्भ आवास बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में लगभग २००० मकान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ६,४०० मकान बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है।

**राज्यपाल : डा० पी० सुब्बारायन्**

| मंत्री | विभाग |
|---|---|
| श्री वाई० बी० चव्हाण<br>मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन, गृह और योजना। |
| श्री एम० एस० कन्नमवार | बिल्डिंग और संचार। |
| श्री जी० बी० खेदकर | ग्रामीण विकास। |
| श्री शान्तिलाल एच० शाह | शिक्षा। |
| श्री वी० बी० नायक | राजस्व। |
| श्री के० वानखेड़े | उद्योग, विधि और न्याय। |
| श्री एस० एस० देसाई | कृषि। |
| श्री पी० के० सावंत | सार्वजनिक स्वास्थ्य। |
| श्री एस० बी० चव्हाण | सिंचाई और बिजली। |
| श्री एस० जी० बर्वे | वित्त। |
| श्री होमी जे० एच० तल्यारखां | नागरिक पूर्ति, आवास, छापेखाने, मत्स्य, लघु बचत और भ्रमण। |

| | |
|---|---|
| श्री डी० ज़ेड० पलासपगार | वन । |
| श्री एस० अब्दुल कादर | मद्यनिषेध और वक्फ़ । |
| श्रीमती निर्मला राजे भोंसले | समाज कल्याण । |
| श्री एम० डी० चौधरी | शहरी विकास । |
| श्री एम० जी० माने | श्रम । |
| श्री के० एस० सोनवने | सहकारिता । |

**उप-मंत्री**

| | |
|---|---|
| श्री जी० डी० पाटील | उद्योग और आयोजन । |
| श्री एन० एन० कैलाश | सार्वजनिक स्वास्थ्य । |
| श्री वाई० जे० मोहिते | गृह । |
| श्री एन० एम० तिडके | ग्रामीण विकास । |
| श्री एम० ए० वैयरालों | सिंचाई और विद्युत । |
| श्री आर० ए० पाटील | राजस्व । |
| श्री एच० जी० वर्टक | शिक्षा । |
| श्री बी० जे० खातल | सहकारिता । |
| डा० आर० ज़करिया | बिल्डिंग और संचार । |
| श्री डी० के० खानविल्कर | श्रम और खार भूमि विकास । |
| श्री एस० एल० कदम | वन और मद्यनिषेध । |
| श्री एन० एस० पाटील | नागरिक पूर्ति, आवास, छापेखाने, मत्स्य, और लघु बचत । |
| श्री एस० बी० पाटील | कृषि । |
| श्री के० पी० पाटील | समाज कल्याण । |

: ४२ :

# राजस्थान

राजधानी : जयपुर
क्षेत्रफल : १,३२,१५० वर्ग मील
जनसंख्या : २.०४ करोड़—
मुख्य भाषाएं : राजस्थानी और हिन्दी

आलोच्य वर्ष में राजस्थान योजनाबद्ध विकास के पथ पर बढ़ता रहा। इस वर्ष की सबसे प्रमुख घटना फरवरी १९६२ में तीसरे आम चुनाव का आयोजन था। खुशी की बात है कि यह बड़ा काम सहज और सुगम ढंग से पूरा हुआ। समूचे राज्य में मतदान ६ दिन में पूरा हो गया। मतदाताओं के ५२% भाग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केन्द्रों की संख्या ११,५७७ थी। इस चुनाव कार्य को सम्पन्न करने में ३२,००० से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं ली गई। चुनाव के दौरान शांति भंग होने की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई।

## आयोजन और विकास

राजस्थान ने एक दशक के योजनाबद्ध विकास के पश्चात् अब अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की है। पहली दोनों योजनाओं में खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता, साधारणजन के रहन-सहन में सुधार और शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाना था। पहली योजना के अन्त पर राजस्थान की घरेलू पैदावार का मूल्य ४०८.०० करोड़ रु० था जो कि १९५९-६० में बढ़ कर ४६१.०० करोड़ रु० हो गया। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। १९५५-५६ में प्रति व्यक्ति आय २३७.०० थी जो कि १९६०-६१ में बढ़ कर ३१५.०० रु० हो गई।

पंचायती राज के सूत्रपात से राजस्थान के गांवों में नवजागरण आया है और ग्राम-जनता विकास कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने लगी है। प्रत्येक विकास खण्ड में जन सहयोग का मूल्य १९६० में ५३,००० रु० प्रति खंड के बराबर था जो कि १९६१-६२ में बढ़कर ८०,००० रु० के बराबर हो गया। कई ग्रामों ने अपनी निजी उत्पादन योजनाएं बनाई हैं और कई ज़िलों में, जैसे कि पाली में जहां कि सघन कृषि विकास के लिए "पैकेज प्रोग्राम" शुरू किया गया है, प्रत्येक परिवार के लिए उत्पादन योजनाएं बनाई जा रही हैं।

## भूमि सुधार

उपयुक्त भूमि सुधारों, अधिक सुविधाओं और काश्त के बेहतर तरीकों के काम में लाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्थान, जो कि कभी खाद्यान्न में अपनी आवश्यकता स्वयं नहीं पूरी कर पाता था, आज खाद्यान्न में अतिरिक्त बचत पैदा करता है। सिंचाई का इलाका भी ३३.३५ लाख एकड़ से बढ़ कर ३५.७१ लाख एकड़ हो गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन से बढ़ कर ४५.५२ लाख टन हो गया। राज्य के आय-व्ययक में योजना के निमित्त १४.५० लाख रु० की व्यवस्था की गई जिसमें से १०.३६ लाख रु० अभी तक विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किया जा चुका है।

## सहकारिता

राज्य में सहकारिता का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। १९५१-५२ में सहकारी समितियों की संख्या ४,६०८ थी जोकि १९६०-६१ में बढ़ कर १७,६७४ हो गई। इसी अवधि में गांवों में सहकारिता की परिधि में जहाँ केवल १.५ प्रतिशत लोग थे आज २४ प्रतिशत जनता है। तीसरी योजना के अन्त तक ६७ प्रतिशत लोगों को सहकारी समितियों की सेवाएं उपलब्ध होने लगेगीं।

तीसरी योजना की इस अवधि में सरकारी विक्रय में विस्तार लाने पर विशेष जोर दिया जायगा। योजना में सहकारिता के निमित्त ४९.५० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से अभी तक विभिन्न सहकारी स्कीमों पर ४२.४३ लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

## बिजली

बिजली का विकास औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। भाखड़ा और चम्बल जल-विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान के कई बड़े इलाकों को बिजली मिलने लगी है। राज्य ने सहकारी बिजलीघर स्थापित करने की स्कीम की मंजूरी दी है जिससे कई शहरों और बड़े गावों को लाभ प्राप्त होगा। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से सतपुड़ा में एक बिजलीघर बनाने का निश्चय किया है जिससे राज्य में बिजली की वर्तमान इकाई में काफी वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने बिजलीकरण और इस प्रकार की अन्य स्कीमों के लिए ४५० लाख रुपए की व्यवस्था की है जिसमें से अभी तक २२८.११ लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने गांवों में बिजलीकरण के लिए हाल में एक कमेटी भी नियुक्त की है।

## उद्योग

उद्योगीकरण के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों से राजस्थान सम्पन्न है। यह राज्य अभी तक पिछड़ा हुआ राज्य था। बिजली और पानी अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण और साथ ही संचार और परिवहन में विकास होने तथा ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप राज्य में नए उद्योग पनप रहे हैं और कहा जा सकता है कि राजस्थान एक औद्योगिक युग में पदार्पण कर रहा है। उदयपुर में एक स्पिनिंग मिल और कोटा की नायलन फैक्टरी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में दस नई स्पिनिंग मिलें खोलने के लिए सामान तैयार किया जा चुका है। किशनगढ़, भीलवाड़ा और भवानी मण्डी में कपड़ा मिलों के निर्माण में प्रगति हो रही है। उदयपुर में जिंक स्माल्टर के कारखाने और चितौड़गढ़ में सीमेंट फैक्टरी का शिलान्यास किया गया। हनुमानगढ़ के रासायनिक खाद के कारखाने और कोटा के कैलशियम कारबाइट तथा कासटिक सोडा संस्थान को निजी क्षेत्र में रखा गया है। निर्माण-कार्य भी निजी क्षेत्र को सौंपा जायगा जोकि शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। राजस्थान सरकार डीडवाना के निकट सोडियम सल्फेट की खोज के लिए एक योजना आरम्भ कर रही है। राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है कि तीसरी योजना के अन्त तक हर जिले में सरकार द्वारा आरम्भ की गयी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जाएंगी। ऐसी कुछ बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं और उनके कारखानों ने काम शुरू कर दिया है। तीसरी योजना की अवधि में राज्य में उद्योगीकरण लाने की विभिन्न स्कीमों पर ८५ लाख रुपए व्यय किए जाने की कुल व्यवस्था की

गयी है जिसमें से ५९.२९ लाख रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके.हैं।

## खानें

आज से ६ वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार को अपनी खानों से प्रति वर्ष ५० लाख रुपए राजस्व प्राप्त होता था जोकि अब बढ़कर एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गया है । आशा है कि पलाना में लिगनाइट और दुर्गापुर की फ्लोराइड की खानों में शीघ्र ही काम शुरू हो जायगा। भारत सरकार के तेल और नैसर्गिक गैस आयोग ने जोधपुर में एक इकाई स्थापित की है और जैसलमेर के इलाकों में तेल की खुदाई के लिए शुरुआती काम किया जा रहा है। योजना में इस निमित्त २८.५० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से अभी तक १९.३६ लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

## चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

राजस्थान सरकार ने यथासम्भव अधिकतम चिकित्सा सम्बन्धी सहायता अपने लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। इस दिशा में विशेष ध्यान दिया गया है और जनसंख्या के अनुसार यदि औसत सुविधाओं का हिसाब लगाया जाए तो राजस्थान देश के सभी राज्यों से अधिक सम्पन्न है। राज्य की सुदूर भागों में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी योजना में १५० लाख रुपये एलोपैथिक इलाज के लिए और ११ लाख रुपए आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाओं के लिए निर्धारित किए थे । इस रकम में से अभी तक क्रमशः १४२.०८ लाख और ४,६४ लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं।

## शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रगति की गयी है। ११ से १४ वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा पाने वाली संख्या ५ प्रतिशत से बढ़कर १३.९ प्रतिशत हो गयी है। जोधपुर में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। तीसरी योजना की अवधि में एक प्रादेशिक इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाएगी। उदयपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार अजमेर में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक नया कालेज खोल रही है। १९६१-६२ में शिक्षा पर ५३.४० लाख रुपये व्यय हुए। दस कालेजों में नए विषय आरम्भ हुए। तीन कालेजों में विदेशी भाषाओं के अध्ययन का प्रबन्ध किया गया। योजना में शिक्षा के लिये ३१७ लाख रुपये की व्यवस्था है। जिसमें से २८१.२७ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

## सड़कें और यातायात

योजनाबद्ध विकास के विगत दस वर्षों में राजस्थान में नई सड़कों का जाल बिछाया गया है। राजस्थान में सड़कों का राष्ट्रीयकरण सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तक निम्नलिखित सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है :—

(क) जयपुर–अजमेर

(ख) जयपुर–कोटा–अजमेर
(ग) जयपुर–भरतपुर–अजमेर
(घ) जयपुर–टोंक–देवली
(ङ) जयपुर–दिल्ली

योजना में सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए २४० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से २२७.०५ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

## समाज कल्याण

राजस्थान में समाज कल्याण की स्कीम के अन्तर्गत काफी काम किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों में शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। छात्रावास खोले जा रहे हैं और छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। भूमिहीन लोगों का पुनर्वास, छोटी सिंचाई के काम और कुएं खोदना व मकान बनाने का काम हाथ में लिया जा चुका है। इस मद के अन्तर्गत योजना में ४९.५० लाख रुपये की व्यवस्था है। जिसमें से अभी तक ३६.९१ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

## कानून और व्यवस्था

कानून और व्यवस्था का काम संतोषजनक रूप से चलता रहा। इस वर्ष १०७ डाकू पकड़े गये, ५ गोली से मारे गए और दो डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया।

## पर्यटन

इस समय राज्य में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और माउन्ट आबू में सात पर्यटन कार्यालय हैं। १९६० में पर्यटकों की संख्या १५,००० थी और १९६१ में २०,०००, राज्य की योजना में पर्यटकों को सुविधाएं देने के निमित्त आरम्भ में तीन लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी किन्तु विदेशी पर्यटकों की अधिकाधिक बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अतिरिक्त ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

## सरकारी दफ्तरों में कार्यक्षमता

सरकारी दफ्तरों में काम के स्तर को ऊंचा उठाने, विलम्ब दूर करने और सामान्यतः कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। इस काम को देखने के लिये एक संगठन विभाग खोला गया है। इस बारे में जांच करने के लिए एक विशेष समिति की भी नियुक्ति की जा रही है।

## उच्चाधिकारियों के सम्मेलन

जयपुर में ३० अप्रेल, १९६१ से ३ मई, १९६१ के बीच उच्चाधिकारियों के आठ सम्मेलन आयोजित हुए जिनमें निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लिया गया :

(१) सरकारी विभागों और ज़िला दफ्तरों में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नए उपायों का प्रचलन।

(२) खेती की ज़मीनों पर इमारत बनाने के लिए जागीरदारों द्वारा दिए गए पट्टों को मंज़ूरी देने के बारे में सरकारी नीति।
(३) सिंचाई की सुविधाओं का पूर्ण सदुपयोग।
(४) जिले के अफसरों का कार्य और जिला तथा डिवीज़न के स्तर के अधिकारियों के साथ उनके सम्बन्ध।
(५) पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों का काम।
(६) काग़ज़ी कार्यवाही कम करने और सचिवालयों तथा कलेक्टर के बीच अधिक संपर्क स्थापित करने से सम्बन्धी सुझाव।

**राज्यपाल :** श्री सम्पूर्णानन्द

| **मंत्री** | **विभाग** |
|---|---|
| श्री मोहनलाल सुखाड़िया | सामान्य प्रशासन, राजनैतिक, नियुक्ति, राजस्व, उद्योग और खानें, योजना और विकास। |
| **मुख्य मंत्री** | |
| श्री हरिभाऊ उपाध्याय | शिक्षा, समाज कल्याण, देवस्थान, सहायता और पुर्नवास। |
| श्री मथुरादास माथुर | गृह, विधि और भू-संरक्षण, न्यायालय विभाग, विधान सभा और चुनाव, प्रचार। |
| श्री नाथूराम मिर्धा | कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विकास, पंचायत और सहकारिता। |
| श्री हरीशचन्द्र | सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन, बिजली और छापेखानें। |
| श्री बी० के० कौल | वित्त, चुंगी और कर। |
| श्री भीखा भाई | सिंचाई, वन, श्रम और आयुर्वेद। |
| श्री बरकतुल्ला खां | चिकित्सा और स्वास्थ्य, स्थानीय स्वायत्त शासन। |
| | **उप-मंत्री** |
| श्री दौलत राम | बड़ी सिंचाई, स्वायत्त शासन और आयुर्वेद। |
| श्रीमती कमला बेनिवाल | योजना और विकास, कृषि और पशु-चिकित्सा, अकाल और बिजली। |
| श्रीमती प्रभा मिश्रा | चिकित्सा, समाज कल्याण विभाग, विधि और भू-संरक्षण विभाग। |

| | |
|---|---|
| श्री परसराम मदेरना | शिक्षा, सामान्य प्रशासन, सहायता और पुर्नवास। |
| श्री भवानीशंकर नन्दवाना | मध्यम और छोटी सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग। |
| श्री रामप्रसाद लाधा | राजस्व और खानें। |
| श्री चन्दन मल वैद्य | उद्योग और वित्त। |
| श्री दिनेश राय डांगी | सामुदायिक विकास, पंचाचत, छापेखानें, वन। |
| श्री निरंजन नाथ आचार्य | शिक्षा, वन, चुंगी। |
| श्री भीमसिंह | गृह, परिवहन, सहकारिता। |

---

: ४३ :

# नागालैंड

सदर मुकाम : कुहिमा
क्षेत्रफल : ६,२३६ वर्गमील

नागा नेताओं के साथ हुए समझौते के अनुसार ८ फरवरी १९६१ को नागालैंड अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के अनुसार नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र को नागालैंड नाम दिया और ४५ सदस्यों की एक अन्तरिम सभा संगठित की गई। जिसकी कार्यपालिका के लिए अधिक से अधिक ५ सदस्यों की व्यवस्था की गई। अन्तरिम सभा का काम कार्यपालिका को अपनी सिफारिशें पेश करना है। यह सिफारिशें आम नीति, विकास स्कीम आदि के मामले में होंगी। कार्यपालिका राज्यपाल को सब मामलों में सलाह देगी, यद्यपि वित्त तथा सुरक्षा का भार राज्य पाल का विशेष दायित्व है।

अन्तरिम सभा १८ फरवरी, १९६१ को संगठित की गयी और १९६१ में इसके दो सत्र हुए। तीसरा सत्र मोकोकचुंग में १७ से ३७ जनवरी, १९६२ के बीच हुआ। कार्यपालिका ने १६ मार्च, १९६१ को शपथ ग्रहण की।

श्री शिलु आओ प्रधान कार्यपालक, श्री टी० एन० अंगामी, अन्तरिम सभा के अध्यक्ष तथा अन्य कार्यपालकों ने १९ अक्टूबर, १९६१ को भारत के प्रधान मन्त्री तथा अन्य उच्चाधिकारियों से मुलाकात की और नई प्रशासन व्यवस्था के कार्य-संचालन में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया। इन कठिनाइयों को आपस में मिलकर शीघ्र ही दूर किया जा सकना सम्भव है। नागालैंड के मुख्य कार्यपालक और उनके साथ उच्चाधिकारी जनवरी, १९६२ में पुनः नई दिल्ली विचार-विनिमय करने के लिए आये।

इस वर्ष कमिश्नर के कार्यालय को पुनर्गठित किया गया। वित्त विकास और सामान्य प्रशासन के लिए तीन सचिव नियुक्त किए गए हैं। इनके अलावा कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तीन निदेशालय भी स्थापित किये गये हैं।

अन्तरिम सभा के प्रथम अध्यक्ष, डा० इमकोनिगिलिबा २२ अगस्त, १९६१ को शत्रु नागा की गोली के शिकार हुए और दो दिन बाद चल बसे। इस लोकप्रिय नेता की निर्मम हत्या से नागालेंड के निवासियों और शेष भारतवासियों में व्यापक रोष पैदा हुआ। डा० इमकोनिगिलिबा के स्थान पर अन्तरिम सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री टी० एन० अंगामी चुने गये हैं।

श्री चूबा टोशी जमीर नागालेंड की ओर से लोकसभा के सदस्य नामज़द किये गये हैं।

इस वर्ष विकास कार्य में प्रगति होती रही। १९६१-६२ के वर्ष में सामुदायिक विकास पर नागालैंड में १७ लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस समय इस प्रदेश में ७ विकास खण्ड कार्य कर रहे हैं जिनमें से एक इस विकास खण्ड को विशेष आदि जाति खण्ड का रूप के दिया गया है।

## कार्यपालिका

शिलु आओ

**मुख्य कार्यपालक परामर्शदाता**

आकुम इमलोंग

चेतन जमीर

जासेकी अंगामी

हुकीशे सेमा

# केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में जो क्षेत्र हैं उनकी प्रगति के लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रही है। इन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में धन की जो व्यवस्था की गई है वह इनकी जनसंख्या और साधनों के अनुपात में कहीं अधिक है। नीचे दी गई तालिका से दूसरी पंचवर्षीय योजना के व्यय और तीसरी योजना के परिव्यय का अन्दाजा मिलता है :—

| क्षेत्र | दूसरी योजना परिव्यय | अनुमानित व्यय दूसरी योजना में | तीसरी योजना परिव्यय | अनुमानित व्यय |
|---|---|---|---|---|
| | १९५६-६१ | १९५६-६१ | १९६१-६६ | १९६१-६६ |
| | (लाख रुपयों में) | | | |
| अण्डमान और निकोबार | ५९२.५० | ३६२.२० | ९७९.३२ | १७८.३० |
| दिल्ली | १,६९७.३५ | १५,३६.७९ ¶ | ८,१'७५ १०१, | ६५८.४२ |
| हिमाचल प्रदेश | १,४७२.५३ | १,६७२.७८ | २ ७९३.०० | ५७२.३२ |
| लेकाडाइब और मिनिकाय | ७३.८५ | ४९.२३ | ९७.९६ | २८.०५ |
| मनीपुर | ६२५.११ | ६२२.१७ | १,२८७.५६ | २९३.१० |
| त्रिपुरा | ६२५.७७ | ९४०.०४ | १,६३२.०३ | ३५६.०९ |

## अण्डमान और निकोबार द्वीप

**राजधानी** : पोर्ट ब्लेयर
**क्षेत्रफल** : ३,२१५ वर्गमील
**जनसंख्या** : ६३,४३८
**मुख्य आयुक्त** : श्री वी० एन० महेश्वरी

आलोच्य वर्ष में अण्डमान और निकोबार द्वीप के लिए नीति-विषयक मामलों में सलाह देने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय में एक सलाहकारी समिति स्थापित की गई है। इस समिति में मुख्य आयुक्त, इस क्षेत्र के संसद् सदस्य (श्री लक्ष्मण सिंह), पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल बोर्ड के उच्च उपाध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद पांच अन्य गैर-सरकारी सदस्य हैं। मुख्य आयुक्त की भूतपूर्व सलाहकार परिषद् भंग कर दी गई है।

¶ दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए व्यय इसमें शामिल नहीं हैं।

इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन ने कलकत्ता से बरास्ता रंगून पोर्ट ब्लेयर के लिए एक साप्ताहिक हवाई सेवा आरम्भ की है जिससे मुख्य भारत भूमि से इन द्वीपों का संपर्क बढ़ा है।

सहकारी समितियें में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है ताकि सही तौर पर सहकारिता का विकास किया जा सके।

## वित्तीय स्थिति

१९६१-६२ में अनुमानित राजस्व प्राप्ति १४८.५७ लाख रुपये थी जो कि पुनर्शोधित अनुमान में १५२.५२ लाख रुपए हो गयी। १९६१-६२ में अनुमानित व्यय ५६४.१९ लाख रुपए हुआ जिसमें से योजना के अन्तर्गत स्कीमों पर १७३.०२ लाख रुपए व्यय किया गया। किन्तु १९६१-६२ में व्यय पुनर्शोधित अनुमान ६०१.३३ लाख रुपए था जिसमें से १४७.८३ लाख रुपए योजना की स्कीमों पर खर्च किया गया।

## कृषि

अण्डमान द्वीप में ५५८ एकड़ नई ज़मीन पर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। अगले वर्ष इसी प्रकार १,०३७ एकड़ भूमि पर नारियल के पेड़ उगाए जाएंगे। निकोबार द्वीप में २०० एकड़ जंगल इस वर्ष और अन्य २०० एकड़ अगले वर्ष साफ किए जायेंगे।

नारियल की पौधगा है स्थापित की गयीं जिनसे इस वर्ष २२,९३० पौधे बांटे गए। आशा है १९६२-६३ में अन्य २४००० पौधे वितररित किए जा सकेंगे।

काश्तकारों को नारियल उद्योग के विकास के लिए ऋण भी दिया जा रहा है।

इस समय दो सरकारी खेतों पर अनुसन्धान और प्रदर्शन कार्य चल रहा है।

दस्तकारों के ३३ परिवार इस वर्ष यहां बसाए गए हैं।

## पशुपालन

इस वर्ष दो पशु चिकित्सालय इकाइयां स्थापित की जानी हैं, जिनमें कर्मचारियों के आवास और पशुओं की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं होंगी। पोर्ट ब्लेयर के पशु-चिकित्सालय में भी सुधार किया जा रहा है।

पहाड़गांव का सरकारी खेत प्रगति पर है।

मुर्गीपालन के कार्य में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है। इस वर्ष बकरियों की नस्ल में सुधार लाने के लिए एक विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

## मत्स्य उद्योग

मत्स्य उद्योगों में प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है और नए व बेहतर किस्म के साधन भी काम में लाए जा रहे हैं। आजकल नायलिन और टेरेलिन के जाल तथा प्लास्टिक की डोरियां काम में लायी जा रही हैं। मत्स्य उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य और जहां-जहां मछलियों का जमाव ज्यादा होता है उन स्थानों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

तीन मछओं को काकीनाड़ा में मशीनीकृत मछली पकड़ने के काम का प्रशिक्षण प्राप्त

करने के लिए भेजा गया है। इस वर्ष अन्य दो मछुओं को इसी प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करने तूतीकोरन भेजा जा रहा है।

## वन सम्पत्ति

अण्डमान द्वीप में ८३९ एकड़ भूमि पर टीक के पेड़ उगाए गए। १९६०-६१ में जंगल का बहुत-सा इलाका साफ किया गया और ३१० एकड़ भूमि पर दियासलाई की लकड़ी उगाने का प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष में अन्य १२०० एकड़ भूमि साफ की जाएगी जिसमें से ७०० एकड़ भूमि पर टीक और ४५० एकड़ भूमि पर दियासलाई की लकड़ी के पेड़ उगाए जाएंगे।

वनों के संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

## सहकारिता

३१ अक्टूबर, १९६१ को सहकारी समितियों की कुल संख्या ९१ थी जिनके सदस्यों की कुल संख्या ६,६७६ और शेयर पूंजी ३,९३,३१९ रुपए थी।

## सामुदायिक विकास

इस समय अण्डमान और निकोबार द्वीप में दो सामुदायिक विकास खण्ड काम कर रहे है। उत्तर अण्डमान, मध्य अण्डमान और मध्य निकोबार द्वीप में अन्य तीन नए खण्ड शीघ्र ही स्थापित किये जाएंगे।

## उद्योग

लघु उद्योग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत १० स्थानीय लड़कों को लोहे की ढलाई का काम सीखने, अन्य २० लड़कों को बेंत और बांस का काम सीखने, १३ लड़कियों को कपड़ों की सिलाई-कटाई का काम सीखने भेजा गया है। इसी प्रकार पांच लड़कों को कॉयर के काम और ७ लड़कों को बढ़ईगीरी का काम सिखाया गया है।

## परिवहन

आलोच्य अवधि में पोर्ट ब्लेयर के इलाके में ४.४ किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गयीं। अण्डमान ट्रंक रोड़ पर ६.४ किलोमीटर लम्बी सड़क की मरम्मत की गयी। पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे पर भी उचित मरम्मत की गयी जहाँ कि आज इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के हवाई जहाज आसानी से उतरते हैं। अक्टूबर, १९६१ तक १० बसों का एक बेड़ा प्रतिदिन ५२७ मील के इलाके में परिवहन का कार्य करता था।

जहां तक जल-परिवहन का सम्बन्ध है एक माल ढोने का जहाज और एक मुसाफिर व माल ढोने का जहाज बनाया जा रहा है। रानाघाट खाड़ी में एक जेटी बनाई जा रही है।

## शिक्षा

सार्वजनिक निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की स्कीम के अन्तर्गत अक्टूबर, १९६१ तक १९ प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को नियुक्त किया और अन्य ६ अध्यापक अप्रैल, १९६२ तक नियुक्त किए गए।

७ नए प्राइमरी स्कूल और ५ मिडिल स्कूल खोले गए हैं। इनके अलावा ६ प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी में बदला गया है।

पोर्ट ब्लेयर में लड़कियों के हायर सेकेण्डरी स्कूल और चौलदरी में मिडिल स्कूल की इमारत बनकर तैयार हो गयी है। लड़कों के छात्रावास की इमारत भी प्रायः तैयार हो चुकी है।

७ सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। इस प्रकार के अन्य चार केन्द्र भी अप्रैल, १९६२ में खोले गए।

हिन्दी के विकास के लिए एक हिन्दी केन्द्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार अन्य ९ हिन्दी केन्द्र इस वर्ष के अन्त तक स्थापित किये जाएंगे।

इस वर्ष ४० विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी हैं।

## चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य

इस वर्ष पोर्ट ब्लेयर में २० शैयाओं का एक क्षयरोग निवारण अस्पताल और चारलुंगटा में एक दवाखाना खोला गया। इस प्रकार इस समय ७ अस्पताल और २२ दवाखाने अंडमान द्वीप समूह में कार्य कर रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह में भी दो अस्पताल और सात दवाखाने हैं। पोर्टब्लेयर के सार्वजनिक अस्पताल में सुधार किया गया है।

दक्षिण अंडमान द्वीप में सुदूर ग्रामों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पहुंचाने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष ७,९७४ रोगियों का इलाज किया गया।

## आवास

अभी तक ६६ रिहायशी और ग़ैर-रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं और अन्य १७० इमारतों पर काम हो रहा है।

निम्न आय वर्ग आवास स्कीम के अन्तर्गत अप्रैल, १९६२ तक ६६,००० रुपए ऋण के रूप में दिए गए, जिन से १८ मकान बनाए जायेंगे। अगले वर्ष अन्य २७ मकानों के निर्माण व पूर्ति के लिए एक लाख रुपए ऋण दिए जाएंगे।

## पिछड़े वर्गों का कल्याण

दो छात्रावास बनकर तैयार हो चुके हैं जिनमें से एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए है। अनुसूचित जातियों के बच्चों को इस वर्ष के अन्त तक पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क लेखन सामग्री प्राप्त हो चुकी होगी। एक अन्य सामुदायिक कल्याण केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा।

## स्थानीय स्व-शासन

२६ जनवरी, १९६२ से पंचायतों ने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अण्डमान और निकोबार द्वीप पंचायत अध्यादेश १९६१ से जारी किया जा चुका है।

पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव १६ अप्रैल, १९६१ को हुए थे और ९ सदस्य चुने गए। इनके अलावा मुख्य आयुक्त द्वारा दो सदस्य नामज़द किए गए।

## दादरा और नगर हवेली

स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली के वरिष्ठ पंचायत तथा लोगों के अनुरोध पर तथा भूत-पूर्व पुर्तगाली बस्तियां ११ अगस्त, १९६१ से भारत संघ का एक भाग बन गयीं।

१९६१-६२ के पुनर्शोधित बजट के अनुसार राजस्व-प्राप्ति २२.७७ लाख रुपए थी और १९६२-६३ में १६.२६ लाख रुपए। १९६१-६२ में राजस्व व्यय २१.२९ लाख रुपए और १९६२-६३ में २६.३३ लाख रुपए होगा।

## दिल्ली

| | |
|---|---|
| राजधानी | : दिल्ली |
| क्षेत्रफल | : ५७३ वर्गमील |
| जनसंख्या | : २,६४,४५८ |
| मुख्य भाषाएं | : हिन्दी, उर्दू और पंजाबी |
| मुख्य आयुक्त | : श्री भगवान सहाय |

दिल्ली में इस समय दो सलाहकार समिति काम कर रही हैं : एक सार्वजनिक सम्बन्ध समिति और दूसरी सलाहकार औद्योगिक बोर्ड।

### कानून और व्यवस्था

दिल्ली पुलिस में मई, १९५९ के बाद वृद्धि नहीं की गयी है। दिल्ली पुलिस ने शहर में अमन, चैन कायम रखने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। गुन्डों आदि समाज विरोधी लोगों पर निगरानी रखने का काम भी तेजी से चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने तीसरे आम चुनाव, यातायात व्यवस्था और नियन्त्रण इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन और मेले-त्यौहारों के समय तथा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के समय शान्ति बनाए रखने की जिम्मे-दारी बखूबी निभाई। हत्या और लूटमार के मामले पहले से २५ प्रतिशत कम हो गए हैं। यद्यपि हत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। इस वर्ष लगभग १,००० दुश्चरित्र व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

### वित्तीय स्थिति

१९६१-६२ के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्ति १३२७५१ लाख रुपए थी। पुनर्शोधित बजट में राजस्व प्राप्ति १३१८.८१ लाख रुपए रखी गई। १९६१-६२ में राजस्व व्यय १६५०,५४ लाख रुपए और पूंजीगत व्यय २०१३.२१ लाख रुपए था।

१९६२-६३ में राजस्व प्राप्ति का अनुमान १३०८.१९ लाख रुपए और व्यय १७९८.०८ लाख रुपए रखा गया तथा ये व्यय राजस्व खाते में थे जब कि पूंजीगत व्यय १९४३.३५ लाख रुपए था।

### कृषि

इस वर्ष काश्तकारों में उन्नत बीजों के वितरण को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। २०० एकड़ इलाके में गेहूं की खेती के बेहतर तरीकों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा ८२ एकड़

भूमि पर जापानी ढंग की धान की खेती की गयी। काश्तकारों के बीच ५५० लोहे के हल, ४२ रहट, ५५ बीज बोने के यंत्र और अन्य २,०१८ कृषि औजार बांटे गए। ३,९८७ एकड़ भूमि को चूहों से साफ किया गया। ६,३४० लाख टन रासायनिक खाद बांटी गयी। १,७०५ हरे खेतों में गड्ढे खोदे गए ६७ एकड़ भूमि को नए बागों के लिए साफ किया गया और ८७ एकड़ में नए बाग लगाए गए और पुराने ९ एकड़ बागों में सुधार किया गया। इनके अलावा गांवों के ९१ तालाबों में ५,४२,००० छोटी मछलियां पाली गयीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जन-स्वास्थ्य और गांव की सफाई-सुथराई के लिए सक्रिय कार्य किया गया।

## सहकारिता

सहकारिता आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाने की अपेक्षा इसे अधिक सघन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस ध्येय को सामने रखकर निष्क्रिय सहकारी समितियों को समाप्त किया जा रहा है। इस वर्ष १०८ सहकारी समितियों को समाप्त किया गया और ६३ को पूरी तरह रद्द कर दिया गया।

इस समय दिल्ली के गांवों में ६२० सहकारी समितियां हैं जिनसे ४७ प्रतिशत जनसंख्या सम्बन्धित है। सामुदायिक विकास खण्ड के अन्तर्गत ३३४ बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियां हैं जिनके सदस्यों की संख्या २१,६२४ है। उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या १६४ और उनके सदस्यों की संख्या १६,७९० है जबकि औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ४०८ है और उनकी सदस्य संख्या ९७,२८१ है। दिल्ली सहकारी प्रशिक्षण संस्था ने इस वर्ष १,२९३ कार्याधिकारियों और कार्यपालन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। इस वर्ष सहकारिता की विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए २०९ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

## पंचायत

इस वर्ष २०५ गांव पंचायतें और २२ सर्किल पंचायतें कार्य करती रहीं। पंचायतों के सदस्यों को पंचायत प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया।

## उद्योग

इस वर्ष १२० करोड़ टन तांबा, १२० करोड़ टन जिन्क, २८ करोड़ टन अल्यूनियम और ३९० लाख टन जस्ता वितरित किया।

अल्हो धातुओं की उपलब्धि की स्थिति बहुत कठिन रही, विशेषतः तांबे की। और इस कारण दिल्ली के उद्योग की तांबे की आवश्यकता का केवल ३० प्रतिशत भाग को पूरा किया जा सकेगा।

दिल्ली राज्य इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम ने ७२,२११ रुपये के मूल्य की वस्तुएं बेचीं। इस वर्ष लघु उद्योग और ग्रामोद्योग के लिये सहकारी सहायता के रूप में २८३ व्यक्तियों को १२ लाख रुपए के ऋण दिए गए। खादी को प्रोत्साहन देने की स्कीम के अन्तर्गत ५० अंबर चरखे वितरित किये गये। ओखला उद्योगपुरी के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ४० नए कारखाने बनाए जा रहे हैं जिन पर १२ लाख रुपए खर्च होगा।

इस वर्ष ६४ मजदूर संघ पंजीकृत हुए। मजदूरों और मालिकों के बीच-बचाव करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसके द्वारा ६७४ झगड़े निपटाए गए। शाहदरा और नजफगढ़ रोड पर मजदूरों और मालिकों के लाभार्थ क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोले गए। श्रम सलाहकार बोर्ड श्रमिकों के हितों में कार्य करता रहा है और दिल्ली की दुकानों के कार्य का समय बदला गया जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है। इस वर्ष मजदूरों के लिए ३४८ क्वार्टर बनाए गए। श्रम विभाग अभी तक इस प्रकार के १,७२८ क्वार्टर बना चुका है।

## शिक्षा

दिल्ली प्रशासन ने शहर के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के लिए नए हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले हैं जिनमें लगभग ८,००० व्यक्तियों को प्रवेश प्राप्त हुआ है। १९६१-६२ से टेलीवीजन द्वारा शिक्षा देने का कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है जो कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयोग है। प्रति सप्ताह अंग्रेजी में पाठ, हिन्दी में पाठ और विज्ञान के विषयों में तीन पाठ पढ़ाए जा रहे हैं।

## मतदाताओं की सूची

इस वर्ष दिल्ली शहर में मतदाताओं की सूची को दोहराया गया है। आम चुनाव के समय दिल्ली के मतदाताओं की संख्या १३,४५,३६० थी। चुनाव आयोग ने गत आम चुनाव के लिये दिल्ली में १,३८५ मतकेन्द्रों की स्थापना की थी। नई दिल्ली, चाँदनी चौक, दिल्ली सदर, करोल बाग़ और बाहरी दिल्ली के निर्वाचन-क्षेत्रों से लोकसभा की पांच सीटों के लिए २८ उम्मीदवार खड़े हुए थे, ये पांचों सीटें कांग्रेस ने जीतीं।

## होम गार्डस्

इस वर्ष १,४०० होम गार्डस् भर्ती किए गए और २९ अगस्त, १९६१ को जमुना की बाढ़ के समय ५७९ होम गार्डो ने सहायता कार्य किया। होम गार्डस ने १९६२ में गणतंत्र दिवस के प्रबन्ध में भी सहायता दी।

## समाज कल्याण

दिल्ली में १ जनवरी, १९६२ से बाल अधिनियम १९६० जारी किया गया है जिसके अनुसार बालकों की देखभाल, सुरक्षा प्रशिक्षण और बेघरबार बच्चों के पुनर्वास आदि की व्यवस्था है। जनवरी, १९६२ में दिमागी तौर पर पिछड़े हुए बच्चों के लिये एक आश्रम खोला गया है। इस आश्रम ने ४५ बालकों के खाने-पीने और शिक्षण-प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया। नवम्बर, १९६१ में एक यात्री सहायता दफ्तर खोला गया जो कि भगाए गए बच्चों और औरतों आदि की मदद करता है। नवम्बर १९६१ से ३१ मार्च १९६२ तक इस प्रकार २८३ व्यक्तियों की सहायता की गयी है। अगस्त, १९६१ में भिखारियों के लिये एक घर खोला गया है और भिक्षावृत्ति को अपराध करार किया गया।

## आवास

मई, १९६१ में सरकार ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि प्राप्त करने के लिये एक स्कीम जारी की है। सरकार का उद्देश्य जमीन की बढ़ी हुई दरों को रोकना और रिहायशी औद्योगिक तथा व्यवसायिक आदि कार्यो के लिये सही ढंग से भूमि वितरित करना है।

दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत लगभग ८,००० एकड़ भूमि को प्राप्त करने के बाद उसका सुधार किया जाएगा। अभी तक ५,३०० एकड़ भूमि हस्तगत की जा चुकी है। निम्न आय और मध्य आय वर्ग आवास स्कीम के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए लोगों को खर्च किया जा रहा है।

## गोआ दमन और डियू

| | |
|---|---|
| राजधानी | : पंजिम |
| क्षेत्रफल | : १,४२६ वर्गमील |
| लैफ्टिनैण्ट गवर्नर | : श्री टी० शिवशंकर |

गोवा दमन और डियू जो कि भारत में पुर्तगाली औपनिवेशवाद के अवशेष थे, २० दिसम्बर, १९६१ को पुन: भारत के अभिन्न अंग बन गए।

पुर्तगालियों द्वारा तोड़ीफोड़ी हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत की जा चुकी है। डाक और तार, बैंक और बंदरगाह आदि पर सभी काम सुचारु रूप से मिलिट्री गवर्नर के अधीन चल रहा है। ये अब केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र हैं।

इन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के कार्य-संचालन के लिये कई कानूनी कार्यवाहियां की गयी हैं। राष्ट्रपति ने गोवा, दमन और डियू (प्रशासन) अध्यादेश (१९६२) जारी किया। इस अध्यादेश द्वारा मौजूदा पुर्तगाली कानूनों को जारी रखा गया और भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को भी बनाए रखा गया ताकि प्रशासकीय ढांचे में सहसा परिवर्तन लाने से जन-जीवन पर बुरा प्रभाव न पड़े। इस अध्यादेश द्वारा सभी भारतीय कानून गोवा, दमन और डियू में लागू किये जाने लगे हैं और भारत की नागरिकता इन क्षेत्रों में लोगों को प्राप्त हुई है।

लोकसभा के विगत सत्र में इस अध्यादेश को एक अधिनियम का रूप दिया गया। संविधान को संशोधित करते हुए एक अन्य अधिनियम जारी किया गया। जिसमें गोवा और दमन और डियू को भारत का अंग माना गया है और संविधान की धारा २४० में इन क्षेत्रों को उल्लिखित किया गया है ताकि इस इलाके में शान्ति और नीति की समुचित व्यवस्था हो सके। वे पुर्तगाली जो इस समय नजरबन्द हैं, पुर्तगाल जाने के लिये स्वतंत्र हैं। गोवा, दमन और डियू की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पुर्तगाली अधिकारियों ने अपने उपनिवेश में बड़ी संख्या में भारतीयों को नजरबन्द कर रखा था। कुछ भारतीय मुसाफिर जो लिस्बन होते हुए गुजर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया है किन्तु पुर्तगाली उपनिवेश में भारतीयों को अभी तक भी नजरबन्द रखा गया है। भारत सरकार ने इन लोगों की रिहायशी का सवाल पुर्तगाल की सरकार के साथ उठाया है।

# हिमाचल प्रदेश

राजधानी : शिमला
क्षेत्रफल : १०,८८९ वर्ग मील
भाषाएं : हिन्दी और पहाड़ी
लेफ्टिनेण्ट गवर्नर : श्री बजरंग बहादुर सिंह

**वित्तीय स्थिति** १९६१-६२ के बजट में ३७०.७, लाख रुपए राजस्व प्राप्ति के रूप में रखे गए हैं जबकि ९४९.४९ लाख रुपए की कुल व्यवस्था की गई है। अभी तक ९३४.७२ लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

## कृषि

कृषि की उन्नति के लिए बजट के आरम्भ में ५६.३६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी जबकि व्यय ५३.३० लाख रुपए हुआ।

१२,००० एमोनियम सल्फेट और ६४७ टन सुपर फास्फेट का वितरण इस वर्ष किया गया। इसके अलावा १,५२,६७५ टन देशी खाद प्राप्त किया गया और ७,२२२ एकड़ भूमि में हरी खाद एकत्र करने की व्यवस्था की गई। दो बीज वितरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष १,००० मन बेहतर बीज किसानों में बांटे गए हैं और ४,६६२ एकड़ भूमि पर जापानी ढंग की धान की खेती शुरू की गई है।

खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़ों को दूर करने के लिए एक विशेष स्कीम के अन्तर्गत सघन कार्य किया जा रहा है।

अदरक की खेती की स्कीम के अन्तर्गत ५०० मन बेहतर बीज पैदा करने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।

नए बागों के लिए ५.७० लाख रुपए उद्यान ऋण के रूप में दिए गए और लगभग २,५६० एकड़ भूमि पर नए बाग उगाए गए।

आलू की पैदावार को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय काम किया गया और १५,६०० मन आलू की पैदावार हुई।

## उद्योग

मण्डी में कम्बल और मोटे ऊनी कपड़े, सांगला में कालीन और दरियां तथा ढाली में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

मण्डी में रेशम की बुनाई का कारखाना भी खोला गया है। चन्दा में डिजाइन सम्बन्धी प्रदर्शनी का कार्य, शिमला में औद्योगिक सूचना कार्यालय खोला गया है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने की दृष्टि से सोलन और मण्डी में कच्चे माल के दो डिपो खोले गए हैं। इस वर्ष सिल्क के २०,००० पौधे बोए गए हैं। कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ३,१०,००० रुपए ऋण के रूप में वितरित किए गए हैं।

## सहकारिता

आलोच्य अवधि में ३८ नई सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में ८२,८६६ समितियां हैं जिनकी शेयर पूंजी ३८.३३ लाख रुपए और कार्यकारी पूंजी २९९.५६ लाख रुपए है। इस वर्ष अन्य २० सहकारी समितियों के संगठन का लक्ष्य पूरा हुआ।

दो सम्मिलित कृषि सहकारी समितियां भी संगठित की गई हैं। ग्राम सहकारी समितियों और बिक्रय सहकारी समितियों को १४ गोदाम बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

## परिवहन

आलोच्य अवधि से सिरमौर जिले में नाहन और सतौन के बीच एक नई बस-सर्विस जारी की गयी है। महीरपुर—बिलासपुर बस-सर्विस को शिमला तक बढ़ाया गया है और शिमला-किगल सर्विस को बड़ा गांव तक बढ़ाया गया है। शिमला-तातापानी बस-सर्विस करसियोग तक बढ़ाई गई है।

मार्च, १९६२ के अन्त में परिवहन विभाग के पास ३८१ बसों का एक बेड़ा था जोकि १,३३१ मील का दौरा करता रहा था।

## शिक्षा

हिमाचल प्रदेश में निशुल्क और सार्वजनीन प्रारम्भिक शिक्षा जारी की गयी है। प्रदेश में ३०६ नई शिक्षा संस्थाएं खोली गयी हैं।

विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में मार्च, १९६२ तक १,३१,३७९ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

बिलासपुर में एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है जिसे मिलाकर इस समय इस प्रकार के ४ स्कूल हैं। नाहन में ललितकला विषयक संस्था खोली गयी है जिसमें संगीत, नृत्य और चित्र-कला के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

## स्वास्थ्य

स्नोडोन, शिमला के प्रांतीय अस्पताल और किन्नौर तथा बिलासपुर के जिला अस्पतालों में वृद्धि की गयी है। इसके अलावा ८ आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किए गए। एक नया क्षय-रोग निवारण अस्पताल भी खोला गया है। कल्पा में कुष्टरोग और रतिरोगों के इलाज की व्यवस्था की गयी है। शिमला में एक स्वास्थ्य-शिक्षा सूचना कार्यालय स्थापित किया गया।

## समाज कल्याण

स्त्रियों और लड़कियों के प्रति अनाचार रोकने के लिए मण्डी में एक आश्रम खोला गया है। सोलन में अपराधियों के आवास के लिए व्यवस्था की गयी है। बाल-कल्बों के कार्य-संचालन के लिये २९,००० अनुदान दिया गया है।

१९६१-६२ में योजना के अन्तर्गत ६.५५ करोड़ रुपए व्यय किए गए जबकि आरम्भिक व्यवस्था ६.३० करोड़ रुपए की थी।

इस धनराशि में से ३५ प्रतिशत भाग स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धि और समाज-कल्याण की स्कीमों पर व्यय किया गया और शेष ६० प्रतिशत आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये जैसे कि सड़कों का बनाया जाना, बिजली पैदा करना और नए उद्योगों को स्थापित करना आदि पर व्यय किया गया।

## सामुदायिक विकास

आलोच्य अवधि में दो नए खण्ड और एक उप-खण्ड स्थापित किया गया। इस समय कुल ३५ विकास खण्ड हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। १९६१-६२ में सामुदायिक विकास पर ४९ लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी जबकि मार्च, १९६२ के अन्त तक ६८.५० लाख रुपए व्यय किए गए।

## पंचायत

हिमाचल प्रदेश में २६ जनवरी, १९६२ में पंचायती राज आरम्भ हुआ। शीघ्र ही आयोजन के विकास कार्य का भार ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें सम्भालने लगेंगी। समस्त सामुदायिक विकास अधिकारियों को तहसील पंचायतों के नियंत्रण में काम करना होगा। खण्ड विकास अधिकारी तहसील पंचायतों के कार्यपालक अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

# लैकेडिव मिनिकाय और एमिनदिवी द्वीप

| | |
|---|---|
| **प्रधान कार्यालय** | : कोझीकोड़े |
| **क्षेत्रफल** | : ११ वर्गमील |
| **जनसंख्या** | : २४,१०८ |
| **प्रशासक** | : श्री एम० रामुन्नि |

## वित्तीय स्थिति

इन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए १९६१-६२ के बजट में ५७.७९ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी जबकि वास्तविक व्यय ३४.२० लाख रुपए हुआ। करों के रूप में राजस्व प्राप्ति बहुत कम रही। अभी तक इस क्षेत्र में भूराजस्व एकत्र नहीं किया जाता क्योंकि इन द्वीपों में ज़मीन की पैमाइश पूरी नहीं हुई है। जो करों के रूप में राजस्व प्राप्त होता है वह वृक्षों पर कर और चुंगी कर आदि से एकत्र किया जाता है। १९६०-६१ में कॉयर उद्योग से २,६०,४९१ रुपए प्राप्त हुए।

## कृषि

इस द्वीप समूह की अर्थ-व्यवस्था नारियल की उपज पर निर्भर करती है। १९६१-६२ में

लगभग १०० प्रदर्शन खेतों में नारियल उगाने से सम्बन्धित विधियों का प्रदर्शन किया गया। २० टन रासायनिक खाद द्वीपवासियों के बीच सस्ते दामों में बांटी गयी। इसी तरह आधी कीमत पर ४०० से ज्यादा कृषि औजार भी वितरित किए गए। इनके अलावा १४,००० बढ़िया किस्म के पौधों का वितरण भी काश्तकारों के बीच किया गया।

## पशुपालन

योजना के अन्तर्गत पशुपालन सम्बन्धी स्कीम में सफल कार्यकरण के लिए एक पशु चिकित्सक नियुक्त किया गया। बकरियों की नस्ल सुधारने की दृष्टि से अच्छी नस्ल के बकरे लाए गए हैं। इस समय ७ मुर्गीपालन केन्द्र काम कर रहे हैं।

## मत्स्य उद्योग

मत्स्य उद्योगों के विकास के लिए इन द्वीप समूहों में बहुत गुंजाइश है। किन्तु अभी तक केवल मिनिकाय द्वीप में ही व्यापारिक आधार पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है। मशीनों से चलने वाली मछली पकड़ने की १० नावों ने गत वर्ष से कार्य आरम्भ कर दिया है। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में दुगुनी मछली पकड़ी गयी हैं। इत वर्ष ३५,६०० पौण्ड और इस वर्ष ६७,४१५ पौण्ड मछलियां पकड़ी गयीं। २७ द्वीपवासियों को आधुनिक तरीकों और मशीनी नावों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मत्स्य उद्योग के विकास के लिए अप्रैल, १९६२ में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी।

## सहकारिता

आलोच्य अवधि में प्रत्येक द्वीप में एक सहकारी सप्लाई और विक्रय समिति स्थापित की गयी है। इन सहकारी समितियों की कुल संख्या ९ है जिनसे हर एक को १०,००० रुपए कर्ज दिए गए हैं। केवल मिनिकोय सहकारी समिति को २०,००० रुपया कर्ज के रूप में दिया गया है। इसके अलावा अन्य ६ सहकारी समितियों की शेयर पूँजी के लिए प्रत्येक सहकारी समिति को १०,००० रुपए दिये गये है। इन द्वीप समूहों की सहकारी समितियों के कार्य-संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उनके लिए निशुल्क आवास की व्यवस्था भी की गयी है।

## उद्योग

इस क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये गुंजाइश नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कॉयर उद्योग ही यहां का प्रमुख उद्योग है जिसके लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ९ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और अभी तक लगभग ७०० प्रशिक्षार्थियों ने कॉयर का काम सीखा है।

अगाधि में एक हाथकरघा बुनाई का कारखाना खोला गया है जो कि संतोषजनक काम कर रहा है। ताड़गुड़ सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी प्रकार साबुन बनाने के दो कारखाने भी कार्य कर रहे हैं।

## शिक्षा

१९६१-६२ के सत्र के अन्त में १२ प्राइमरी स्कूल, ८ अपर प्राइमरी स्कूल तथा एक हाई स्कूल कार्य कर रहा था। इनमें से लड़कियों के लिये तीन प्राइमरी स्कूल और लड़कों के लिए दो

मिलेजुले स्कूल इस वर्ष खोले गए हैं। इनके अलावा इस वर्ष ४ मौजूदा प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूलों का रूप दिया गया है। १९६०-६१ में विद्यार्थियों की संख्या ३,७१९ थी जो कि १९६१-६२ में बढ़कर ४,१९४ हो गई। एक अन्य हाई स्कूल मई, १९६२ में काल्पेनी में खोला गया है जहां एक छात्रावास की व्यवस्था भी है।

## स्वास्थ्य

इस समय ६ दवाखानें, दो प्रसूती केन्द्र और एक अस्पताल कार्य कर रहे हैं। अस्पताल में २० रोगी शैयाओं की व्यवस्था है। १९६१-६२ में एन्ड्रोथ और सामेर्ली में दो औषधालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का रूप दिया गया है और प्रत्येक केन्द्र मे १० रोगियों की शैयाओं की व्यवस्था की गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक द्वीप में एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति की गई है। इन स्वास्थ्य निरीक्षकों को कुष्ट रोग निवारण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

## परिवहन

भारत की मुख्य भूमि से इन द्वीप समूहों के बीच यातायात की उचित व्यवस्था अभी तक एक बड़ी समस्या है। इस इलाके के लिए एक स्टीमर प्राप्त करने की बात थी जो कि अभी तक प्राप्त नही किया जा सका है। बहरहाल, १९६१-६२ में ३५० टन का एक जहाज जरूरत पूरी कर रहा था। इस जहाज ने मुख्य भारत भूमि और इन द्वीप समूहों के बीच ३७ यात्राएं कीं और २,२१२ मैट्रिक टन माल ढोया।

कालेपानी द्वीप में एक नया वायरलैस स्टेशन इस वर्ष खोला गया है। इस समय समूचे क्षेत्र में ५ वायरलैस स्टेशन काम कर रहे हैं।

**जमीन की पैमाइश :** सभी द्वीपों में ज़मीनों की पैमाइश शुरू कर दी गयी है. और कावरती, बन ग्राम, तिनकारा, पार्ली, और कालपिट्टी में पैमाइश का काम पूरा हो चुका है।

# मनीपुर

**राजधानी :** इम्फाल
**क्षेत्रफल :** ८,६२८ वर्ग मील
**जनसंख्या :** ५,७७,६३५
**मुख्य आयुक्त :** श्री जे० एन० रैना

मनीपुर क्षेत्र का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्य आयुक्त को अपने प्रशासन कार्य में एक मुख्य सचिव और अन्य ६ सचिवों से सहायता मिलती है।

मनीपुर में केवल एक ही जिला है जहाँ कि डिप्टी कमिश्नर और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं। इसके अलावा जन-जातियों के कल्याण, सामाजिक विकास और लोगों को फिर से बसाने के लिए तीन अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कार्य कर रहे हैं।

## वित्तीय स्थिति

मार्च, १९६१ से मार्च, १९६२ के बीच वार्षिक राजस्व प्राप्ति ५७,६२,११० रुपए थी जबकि व्यय ५,७२,३३,७०१ रुपए था। इस राशि में मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् को सहायतार्थ अनुदान के रूप में दिए गए १,४९,९९,००० रुपए भी शामिल हैं।

## कृषि

वंगबाल कृषि फार्म को धान सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र के रूप में परिणत किया गया है।

३० विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान के उच्च प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। दो विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा कर लिया है।

बेहतर खेती के तरीके अपनाए जाने के लिए १,७३९ प्रदर्शन खेत स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक खेत एक एकड़ का है जिसमें जापानी ढंग की धान की खेती शुरू की गयी है।

इम्फाल, वंगबाल और चप्पीकोरोंग में तीन कृषि फार्मों को बीज फार्मों के रूप में बदल दिया गया है। कर्मचारियों के आवास व कार्यालय तथा गोदामों की इमारतें तैयार हो गयी हैं।

## उद्योग

मनीपुर के उद्योग विभाग ने इस वर्ष अखिल भारतीय हाथकरघा सप्ताह समारोह मनाया। बुनाई-कताई के बेहतर तरीकों को काम में लाने के लिए व्यापक प्रचार किया गया है।

**लघु उद्योग :** इस समय मनीपुर में ८ प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र काम कर रहे हैं जो कि विभिन्न सामुदायिक विकास खण्डों में बढ़ईगिरि, लोहारगिरि, कपड़े की सिलाई-कटाई और बुनाई आदि के काम के प्रशिक्षण दे रही हैं। आलोच्य अवधि में लघु उद्योगों के विकास पर १,४९,५२४ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए भारी और हलकी बिजली की मशीनें खरीदी गयीं।

**खादी और ग्रामोद्योग :** इस वर्ष मनीपुर में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए १,८५,९०० रुपए की व्यवस्था की गयी।

## सहकारिता

१९६१-६२ में १२८ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गयीं। इस प्रकार १ अप्रैल, १९६२ में सहकारी समितियों की कुल संख्या ७५७ थी। इन समितियों की सदस्य संख्या ३६,६२९ से बढ़कर ४१,६२८ हो गयी और इनकी चुकता शेयर पूंजी १७,४६,०१० रुपए से बढ़कर १९,९८,०१० हो गयी। इसी प्रकार इन सहकारी समितियों की कार्यकारी पूंजी ६२.३३ लाख रुपए से बढ़कर ७५ लाख रुपए हो गयी। ५० नयी प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां संगठित की गयी हैं।

मनीपुर राज्य सहकारी बैंक सहकारी समितियों को ऋण देने का प्रशंसनीय कार्य करता रहा। बैंक ने कृषि के उत्पादन के लिए १५.१४ लाख रुपए लघुकालीन ऋण दिया।

## परिवहन

मनीपुर राज्य परिवहन बसें १० जिलों में और चार शहरी रास्तों पर चलती हैं। ये

बसें प्रत्येक दिन २,६९४ मील के इलाके में काम करती हैं। मार्च, १९६१ में राज्य परिवहन विभाग के पास ११५ बसें थीं और अब बढ़कर १३९ हो गयी हैं।

## शिक्षा

**प्राथमिक शिक्षा :** २५ लोअर प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यक्रम को बुनियादी ढंग का बनाया गया है।

१५३७ लोअर प्राइमरी को—७८३ घाटी में और ७५४ पहाड़ियों में और अन्य ६१ अपर प्राइमरी स्कूलों को मान्यता दी गई है।

**माध्यमिक शिक्षा :** सितम्बर, १९६२ में एक सीनियर बेसिक टैक्नीकल कालेज खोला गया जिसमें अध्यापकों के दो वर्ष के सीनियर बेसिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रशिक्षण कालेज में ३५ स्नातकोत्तर पूर्व-अध्यापक प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन मेंसे ५ अध्यापिकाएं हैं।

जोन्सटन हाई स्कूल, इम्फाल के हैड मास्टर, श्री कलाचन्द शास्त्री को १९६१ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भेंट किया गया।

**विश्वविद्यालय शिक्षा :** डी० एम० कालेज में विश्वविद्यालय पूर्व की कक्षा आरम्भ की गयी है जिसमें इस समय ५४६ छात्र हैं। कालेज के लिए एक औषधालय भी स्थापित किया गया है।

हिन्दी और संस्कृत की उन्नति के लिए कार्यक्रम जारी रखा गया। एक हिन्दी महाविद्यालय को ६००० रु० प्रति मास का सहायतार्थ अनुदान दिया गया है। इसी प्रकार अन्य ८४ हिन्दी स्कूलों को प्रति स्कूल ३००० रु० प्रति मास की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है। अनावर्त्तक अनुदान के रूप में एक हिन्दी स्कूल को १५०० रु० और अन्य दो हिन्दी स्कूलों को क्रमशः ६०० और ५०० रुपए का अनुदान दिया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य तीन हिन्दी संस्थाओं को १२२०० रु० के अनुदान दिए गए हैं। एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र के प्रकाशनार्थ १००० रु० नागरीलिपि प्रचार सभा को दिया गया। कांगला टोम्बी हिन्दी हायर सैकेण्डरी स्कूल के छात्रावास के निर्माण के लिए ५००० रु० स्वीकृति किए गए।

मनीपुर से ४१ विद्यार्थियों और ११ अध्यापकों ने भोपाल में आयोजित आठवें अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्कूल के शीतकालीन खेलकूद में भाग लिया। मनीपुर के एक विद्यार्थी श्री जयन्त ने भाला फेंकने में प्रथम पुरस्कार और ऊंची कूद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। लड़कों के व्यायाम दल ने अखिल भारतीय स्तर पर तृतीय स्थान और लड़कियों के व्यायाम दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मनीपुर की टीम के समूचे खेलकूद को देखकर भारत में चतुर्थ स्थान की टीम मानी गयी।

## आवास

१९६१-६२ में जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, आवास के निमित ४ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋणों की किश्तें अदा करने में व्यय की गयी। इनके अतिरिक्त १९६१-६२ में २६ अन्य नए ऋण मंजूर किए गए हैं।

## समाज कल्याण

मनीपुर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड आलोच्य अवधि में अपने कार्यक्षेत्र में प्रयत्नशील रहा। इस बोर्ड के ५ सदस्य हैं जो कि तीन आरम्भिक परियोजनाओं और दो समन्वित परियोजनाओं पर अपना ध्यान दे रहे हैं।

सामान्य चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और कला तथा दस्तकारी को प्रोत्साहन देने तथा शिक्षा, संस्कृति और आमोद-प्रमोद आदि की व्यवस्था करने के कार्यक्रम को अधिक सघन और व्यापक ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान से कांगला टोम्बी अनाथालय चलाया जा रहा है।

मातृसेवा मरुप नामक स्वैच्छिक संस्था ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से प्राप्त अनुदान से प्रशिक्षण का कार्यारम्भ किया गया। कांगला टोम्बी में एक सितम्बर, १९६१ से पूर्वी क्षेत्र आदिम जाति समुदाय के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया जिसमें इस समय २९ छात्र हैं।

आलोच्य अवधि में २६ स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता से अनुदान प्राप्त हुआ।

## कानून और व्यवस्था

नागा गुण्डों की कार्यवाहियों से तमेंगलोंग, माओमरम् और उखरुल सल्डम में पूरी तरह से अमन-चैन नहीं बना रह सका। इन नागा गुण्डों ने फरवरी-मार्च, १९६२ में आम चुनावों को रोकने की कोशिश की। सात बार हमले किये गये और १३ बार छिपकर सरकारी कर्मचारियों पर धावे बोले गए जो कि आम चुनावों के सिलसिले में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इन गुण्डों की कोशिश नागा मतदाताओं को मतदान देने से रोकना था। किन्तु उनकी ये कोशिशें नाकामयाब हुईं और आम चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न किए जा सके।

यद्यपि, नागा गुण्डों की कार्यवाहियां पूरी तरह नहीं रुकी हैं फिर भी स्थिति पर काबू है। चूंकि नागालैण्ड और मनीपुर आपस में मिले हुए इलाके हैं, नागालैण्ड से भागे हुए गुण्डे बदमाश मनीपुर में आ सकते हैं।

## योजना और विकास कार्य

**सामुदायिक विकास कार्यक्रम :** आलोच्य अवधि में दस सामुदायिक विकास खण्ड काम कर रहे थे जिनमें से एक विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड में तथा दूसरा आदिम जाति विकास खण्ड में। अक्टूबर, १९६१ से एक पूर्व-विस्तार खण्ड को पूर्णरूपेण क्रम—१ सामुदायिक विकास खण्ड के रूप में बदला गया। अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में ८,४६७ वर्गमील का इलाका आया है जिसके १६३९ गांवों में ४,३५,००० लोग रहते हैं।

१९६२-६३ में २४०६ लाख रुपए सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर व्यय किये गये।

# त्रिपुरा

राजधानी : अगरतल्ला
क्षेत्रफल : ४०३६
जनसंख्या : ११,४१,४९२
मुख्य आयुक्त : श्री एन० एम० पटनायक

इस वर्ष त्रिपुरा सलाहकार समिति की एक बैठक हुई। १ जनवरी, १९६१ से शासनतंत्र का पुनर्गठन किया गया। त्रिपुरा शासन द्वारा नियुक्त वेतन समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया और वेतन की नई दरें निर्धारित की गयी।

## कानून और व्यवस्था

कानून व्यवस्था को कायम रखने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। सीमान्त में भारतीय नागरिकों और मवेशियों आदि को भगा ले जाने के २५ मामले हुए। इन सरहदी घटनाओं को रोकने के लिए त्रिपुरा की पुलिस और जिला अफसरों व पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठकें हुई।

**वित्तीय स्थिति :** १९६१-६२ के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्ति ३९.३८ लाख रुपए थी जिसे पुनर्शोधित बजट में बढ़ाकर ५२.२२ लाख रुपए कर दिया गया। १९६१-६२ का अनुमानित व्यय ९९९.०४ लाख था जिसमें से योजना के अन्तर्गत स्कीमों पर ३३५.८० लाख रुपए व्यय किए जाने थे किन्तु १९६१-१२ के व्यय का पुनर्शोधित अनुमान १०८९.१९ लाख रुपए रखा गया जिसमें से योजना की स्कीमों पर ३३८.१७ लाख रुपए खर्च किए जाने थे।

**कृषि :** लगभग ३,३१४ मन बेहतर बीज काश्तकारों के बीच बांटा गया। इसी प्रकार ७४ टन रासायनिक खाद का वितरण भी किया गया। लगभग १६,००० एकड़ भूमि पर जापानी ढंग की धान की खेती शुरू की जा रही है।

**सिंचाई :** तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई की छोटी स्कीमों पर ३५ लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था है जिसमें से ४.२५ लाख रुपए इस वर्ष व्यय किए जाएंगे। इस समय १० छोटी स्कीमें चालू हैं। १९ छोटी स्कीमों की स्वीकृति भी हाल में दी गयी है जिन पर इसी वर्ष कार्य आरम्भ किया जाना है।

**पंचायत :** १९५९ से उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, इस केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र में जारी किया गया है। जिसे त्रिपुरा पंचायत राज नियम १९६१ का नाम दिया गया है। इन नियमों के अधीन २७ गांव सभा सरकारी बनाई गई हैं और परिवार तथा व्यस्क लोगों के रजिस्टर बनाए जा रहे हैं।

**वन-संरक्षण :** १६३२ एकड़ वन-भूमि को कृत्रिम ढंग से पुनर्जीवित किया गया है और उस पर १,५२९ लाख रुपए की लागत आई है। भूमि संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत ५७० एकड़ भूमि पर जंगल उगाए गए हैं। इस भूमि को कृषि योग्य बनाने में ०.६६२ लाख रुपए व्यय हुआ है।

**सहकारिता :** २५ बड़े पैमाने की ऋण समितियां, ६ प्राथमिक विक्रय समितियां, १ राज्य सहकारी बैंक, १ भूमि रहन बैंक और ६८ सेवा सहकारी समितियां दूसरी पंचवर्षीय योजना में संगठित की गयीं जोकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रगति करती रहीं।

**सामुदायिक विकास :** सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कांचनपुर-लोंगाई क्रम–१ विकास खण्ड को आदिम जाति विकास खण्ड के रूप में बदला गया। इसी प्रकार अन्य दो पूर्व विस्तार खण्डों को भी क्रम–१ खण्डों के रूप में बदला गया है। अब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में ३,३९६ वर्गमील भूमि आ चुकी है जिसमें २,५३४ गांव स्थित हैं।

**बिजली :** खोदई में एक नया बिजलीघर खोला गया है। इस वर्ष मेलापार तेलियामूरा में बिजलीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। तीसरी योजना में बिजली की स्कीमों पर ७३ लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था है जिसमें से ४० लाख रुपए गुमटी जलविद्युत स्कीम पर व्यय किए जाएंगे। इस धनराशि में से ८.२५ लाख रुपए इस वर्ष व्यय किए जाएंगे।

**ग्रामोद्योग और लघु उद्योग :** इस वर्ष लघु उद्योगों को अपनी वस्तुएं बेचने में सुविधाएं देने के लिए एक केन्द्रीय विक्रय संगठन बनाया गया है ताकि वह अपने क्षेत्र के उद्योगों को उचित दामों पर कच्चा माल सुविधापूर्वक दिला सकें और उनके तैयार माल की बिक्री की समुचित सहायता दे सकें।

**परिवहन :** भारत सरकार के साथ इस समय दो स्कीमों पर बातचीत चल रही है। एक स्कीम ४५ लाख रुपए की लागत से एक रोड परिवहन निगम की स्थापना है और दूसरी स्कीम का ध्येय ५ लाख रुपए की लागत से यात्रियों को सुविधाएं पहुंचाना है।

अमरपुर और उदयपुर के बीच की सड़क इस वित्तीय वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगी।

इस वर्ष १२.२६ लाख रुपए की लागत से हावड़ा नदी पर अगरतल्ला में एक पुल बनाने का काम शुरू किया गया।

## शिक्षा

माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् पर है। शिक्षा में अन्य सुधारों की प्रगति नीचे लिखे अनुसार है :—

**विश्वविद्यालय शिक्षा :** एम० बी० बी० कालेज, अगरतल्ला में विज्ञान की शिक्षा के लिए ३ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। जिससे वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

आर० के० महाविद्यालय, कैलाश शहर में सुधार के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से सहायतार्थ अनुदान की व्यवस्था की जा रही है।

**सामाजिक शिक्षा :** सामाजिक शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया गया है। ८५ सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ताओं और तीन ग्राम नेताओं को इस वर्ष जनता कालेज, रामनगर (धरमनगर) में प्रशिक्षण दिया गया।

**टैकनीकल शिक्षा :** नरसिंहगढ़ पोलिटैकिनक संस्था के प्रथम ४७ विद्यार्थी अन्तिम डिप्लोमा परीक्षा में बैठे जिनमें से ३२ विद्यार्थी (१० प्रथम प्रशिक्षण में) उत्तीर्ण हुए। इस संस्था में इस समय २२३ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

**हिन्दी प्रचार :** अगरतल्ला में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज में ४३ प्रशिक्षणार्थियों ने हिन्दी पढ़ने से सम्बन्धित सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद द्वारा तीन सब-डिवीज़नल अस्पताल बनाये जा रहे हैं–सबसंग-कमलपुर और मेलाघर में। इन अस्पतालों के निर्माण का प्रथम क्रम पूरा हो चुका है अब। दूसरा क्रम आरम्भ किया गया है जो कि इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इनके अलावा १० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कुन्जबन में गोविन्दबल्लभ अस्पताल बनकर प्राय: तैयार हो गया है जिसमें २५० रोगी शैयाओं की व्यवस्था है।

## आवास

आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों पर त्रिपुरा में कार्यारम्भ किया गया है।

१–सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम।

२–निम्न आय वर्ग आवास स्कीम।

३–बागान श्रमिक आवास स्कीम।

४–गन्दी बस्ती सफाई स्कीम।

५–ग्राम आवास स्कीम।

६–मध्य आय वर्ग आवास स्कीम।

तीसरी योजना में इन स्कीमों के लिए ४५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से ३.८६५ लाख रुपए इस वर्ष व्यय किए जाएंगे।

## अनुसूचित जातियां और जन-जातियां

दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के कल्याणार्थ १२१.२४ लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें से १०७.६९ लाख रुपए खर्च किए गए। इस काम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में १३०.७५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। इस धन में से २८.७२५ लाख रुपए चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाएंगे।

# पांडिचेरी

राजधानी : पांडिचेरी
क्षेत्रफल : १८६ वर्ग मील
जनसंख्या : ३,६७,०८३
मुख्य भाषा : फ्रेंच और तमिल

फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी, करांईकाल, यानम और माहे के क्षेत्रों से अपना अधिकार वापिस लेने की जो सन्धि की थी, उसका पुनःसमर्थन किया है।

नई दिल्ली में १२ नवम्बर, १९६१ को फ्रांस से एक शिष्टमण्डल आया। इस शिष्टमण्डल ने पांडिचेरी, कराईकाल, मद्रास और कलकत्ता का दौरा किया।

श्री एस० के० दत्त ने २ मई, १९६१ से पांडिचेरी में मुख्य आयुक्त का भार सम्भाला।

१९६१-६२ के पुनर्शोधित बजट के अनुसार राजस्व प्राप्ति २२० लाख रुपए और व्यय ३९४ लाख रुपए है। १९६१-६२ में योजना की स्कीमों पर १७६ लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

पांडिचेरी में बिजली की दर घटा दी गयी है ताकि वह पड़ौसी मद्रास राज्य की बिजली की दरों के अनुकूल हो सके।

कपड़ा मजदूर वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए मजदूर और मालिकों में जो झगड़ा हो रहा था वह शान्तिपूर्वक सुलझाया गया है।

भारत सरकार ने विलिनीकरण से पूर्व के नियमों के अधीन काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए एक तदर्थ मुआवजा भत्ता देना स्वीकार किया है जो कि १५ से ३५ रुपए प्रति मास के बीच है। ८०० अस्थाई पदों को स्थाई बनाया गया है।

१ नवम्बर, १९५४ से इनके भारत में विलिनीकरण करने के बाद सबसे पहले १९५५ में नगरपालिका के चुनाव किए गए। यह चुनाव पुनः १९६१ में किए गए जिसके परिणाम नीचे लिखे अनुसार हैं :

| | |
|---|---|
| कांग्रेस | १२९ |
| प्युपिल्स फ्रंट | ३१ |
| प्रजासोशलिस्ट | २ |
| स्वतंत्र | ३८ |
| | २०० |

## अधिक विदेशी मुद्रा राष्ट्रीय योजना के लिए

राष्ट्रीय आर्थिक-विकास के लिए व्यापक रूप में अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है। किसी भी राष्ट्र का विदेशी व्यापार, अधिकांश में, सुदक्ष बैंकिंग सुविधाओं पर निर्भर करता है।

दुनियाँ के सभी महत्त्व-पूर्ण व्यापारिक केन्द्रों में अपने प्रतिनिधि व्यवस्था द्वारा यूनाइटेड बैंक सर्व प्रकार विदेशी व्यापारमें सहायता कर सकता है और विदेशी व्यापारिक मामलों में निपुण पथ-प्रदर्शन भी।

हेड आफिस : ४, क्लाइव घाट स्ट्रीट कलकत्ता-१

**KOLAY BISCUIT CO., PRIVATE LTD.**
**CALCUTTA-10**

# विकासशील देश के लिये अधिकाधिक खाद्यान्न

**दस करोड़ टन !**

दस करोड़ टन कितनी गाड़ियों में आएगा ?

इसके लिए बहुत गिनती करनी होगी, हम सोचते हैं…

१९६५-६६ तक प्रतिवर्ष दस करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन तीसरी योजना का लक्ष्य है—यह उत्पादन दस वर्ष पूर्व के उत्पादन से दुगना है… राष्ट्र ने ८ करोड़ टन का उत्पादन प्राप्त कर लिया है।

देश के लाखों किसान परिवार खाद्य आत्म-निर्भरता पाने के राष्ट्र के विशाल प्रयास में लगे हुए हैं।

सिंचाई, अधिक उर्वरक, अच्छे औजार और बीज तथा खेती की वैज्ञानिक प्रविधियां—ये चीज़ें उन्हें लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता कर रही हैं।

(डी० ए०-६२।२१७)

# योजना का आश्वासन

बिहार की ३३७.०४ करोड़ रुपए के परिव्यय की तीसरी पंचवर्षीय योजना राज्यवासियों को प्रचुरता और समृद्धि का आश्वासन देती है। योजना के लक्ष्य हैं :

(१) २०.२७ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की पैदावार। दूसरी योजना के अन्त में लगाया ६० लाख टन खाद्यान्न होता था।
(२) कुल ४८.४८ लाख एकड़ भूमि सिचाई की सम्भावना।
(३) १,३३८ मेगावाट बिजली उत्पादन (स्थापित क्षमता)।
(४) एक हजार से अधिक गांवों का बिजलीकरण।
(५) प्रारम्भिक कक्षाओं में ४८ लाख से अधिक छात्रों की भर्ती।
(६) अस्पतालों में रोगियों के लिए ३,६०० शैयाओं की व्यवस्था।
(७) ६,३१६ मील सड़क का निर्माण।
(८) छोटे और बड़े उद्योगों की १६ बस्तियां और कस्बों में ५० कारखानों की स्थापना। दूसरी योजना अवधि में ४ उद्योग बस्तियां हो चुकी हैं।

तीसरी योजना ने केन्द्रीय सरकार के कामों में बिहार में कई भारी उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था की गई है—जैसे रांची के पास हतिया में फाउण्ड्री फोर्ज कम्पोनेंट सहित हैवी मशीन बिल्डिग प्लांट; बरौनी के ऑयल रिफाइनरी और बोकारो में चौथा इस्पात संयंत्र।